[illegible] माला, खंड 9, अंक 22

बुधवार, 20 अप्रैल, 2005
30 चैत्र, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 22, बुधवार, 20 अप्रैल, 2005/30 चैत्र, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 364 और 367	1-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 365, 366 और 368 से 380	44-71
अतारांकित प्रश्न संख्या 3915 से 4144 .	71-584
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
चीन के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा	
डा. मनमोहन सिंह .	586-593
सभा पटल पर रखे गए पत्र	593-602
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	602
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन.	603
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
नौवां से बारहवां प्रतिवेदन .	603
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
सोलहवा से बीसवां प्रतिवेदन .	603
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
पांचवा प्रतिवेदन	604
रेल संबंधी स्थायी समिति	
आठवा प्रतिवेदन	604
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
नौवां से बारहवां प्रतिवेदन .	604

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	605
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
सत्तरवां और इकहत्तरवां प्रतिवेदन .	605
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन	606
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी	
स्थायी समिति	
पांचवां और छठा प्रतिवेदन .	606
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	606
सदस्यों द्वारा निवेदन	
आपरेशन विजय (कारगिल) के लिए की गई खरीद के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए गए हलफनामे पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा न्यायमूर्ति फूकन आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदनों का सभा पटल पर रखा जाना	608
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) आपरेशन विजय (कारगिल) के लिए की गई खरीद के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया हलफनामा	
श्री प्रणब मुखर्जी	622
(दो) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री दयानिधि मारन	625
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उड़ीसा में परालाखेमुंडी में एफ.एम. रेडियो स्टेशन शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रशेखर साहु . . .	629

विषय		कॉलम
(दो)	राज्य में औद्योगिक संवर्धन के लिए उत्तरांचल को दिए गए विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा समय से पूर्व कम किए जाने के निर्णय की समीक्षा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री बची सिंह रावत "बचदा"	629
(तीन)	राजस्थान के अजमेर और पुष्कर शहरों के चहुंमुखी विकास के लिए इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. रासा सिंह रावत	630
(चार)	केरल में भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत हेडलोडर्स की मजदूरी बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री अबदुल्लाकुट्टी	631
(पांच)	राज्य / केन्द्रीय चिकित्सा परिषदों में पंजीकृत निजी चिकित्सा व्यवसायियों को प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के लिए नीति बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजीलाल सुमन	631
(छह)	बिहार में पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम कृपाल यादव .	632
(सात)	उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गोपामऊ शहर में "सम विकास योजना" के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थलों को दी जाने वाली सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री इलियास आजमी	632
(आठ)	तमिलनाडु में "काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम" के अंतर्गत कृष्णागिरी जिले को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ई.जी. सुगावनम .	633
(नौ)	देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंचाई का विकास किए जाने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"	633

विषय		कॉलम
(दस)	गुजरात के गिर जंगल क्षेत्र में पड़ने वाले अमरेली-जूनागढ़-कोडीनार मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण किए जाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री वी.के. दुग्मर	634
(ग्यारह)	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किए जाने के उद्देश्य से बोकारो स्टील प्लांट में चतुर्थ श्रेणी पदों की बकाया आरक्षित रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय के जरिए भरे जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्र शेखर दूबे	635
रेल बजट-अनुदानों की मांगे, 2005-2006		
और		
रेल अभिसमय समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन किए जाने के बारे में संकल्प		
	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	639
	कटौती प्रस्ताव	645
	श्री प्रभुनाथ सिंह	648
	श्री मदल लाल शर्मा	649
	डा. रामचन्द्र डोम	651
	श्री थावरचन्द गेहलोत	654
	श्री वी.के. दुग्मर	659
	श्री रघुनाथ झा	661
	श्री ब्रजेश पाठक	663
	श्री ए. कृष्णास्वामी	667
	श्री खगेन दास	670
	श्री अविनाश राय खन्ना	671
	श्री के.एस. राव	674
	श्री आलोक कुमार मेहता	678
	श्री भंवर सिंह डांगावास	680

विषय	कॉलम
कुंवर मानवेन्द्र सिंह	682
श्री एम. शिवन्ना	684
श्री महेश कनोडीया	685
श्री भर्तृहरि महताब	686
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	689
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	692
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	693
श्री मित्रसेन यादव	695
डा. राजेश मिश्रा	696
श्री हरिभाऊ राठौड़	697
श्री मुन्शी राम	698
श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल	699
श्री सुरेश चन्देल	700
श्री जे.एम. आरून रशीद	701
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	702
श्री गणेश प्रसाद सिंह	703
श्री अवतार सिंह भड़ाना	704
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	704
श्री रविन्दर नाइक धारावत	705
प्रो. रासा सिंह रावत	705
श्री तथागत सत्पथी	705
श्री इकबाल अहमद सरडगी	706
श्री लालू प्रसाद	707
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2005	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	712
श्री लालू प्रसाद	712
खंड 2, 3 और 1	713
पारित करने के लिए प्रस्ताव	414

विषय		कॉलम
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	715-716
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका . . .	716-722
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	723-724
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	423-726

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

बुधवार, 20 अप्रैल, 2005/30 चैत्र, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सर्वानन्द सोनोवाल, प्रश्न संख्या 361

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा

*361. **श्री सर्वानन्द सोनोवाल** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या दूरसंचार के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने हेतु कुछ प्राइवेट पार्टियां आगे आई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन राज्यों में ये दूरसंचार परियोजनाएं आरंभ किए जाने की संभावनाएं हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। सरकार टेलीफोन सुविधा रहित शेष सभी 66,822 गांवों को नवम्बर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करेगी। इनमें वन्य क्षेत्रों में बसे 100 से कम आबादी वाले गांव, उपद्रवग्रस्त/नक्सल प्रभावित क्षेत्र इत्यादि शामिल नहीं हैं। प्रत्येक अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) में कम से कम एक बीटीएस प्रदान करके बड़े पैमाने पर डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी शुरू करने की भी योजना बनायी गयी है। इसके अतिरिक्त, प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के कार्यालय ने विभिन्न प्रचालकों के साथ 1,685 निवल लाभार्जक (नेट कॉस्ट पॉजिटिव) अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में (जो अधिकतर ग्रामीण है) मांग पर सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने के लिए करार किया है।

(ख) से (घ) प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के कार्यालय ने ग्रामीण सामुदायिक फोन और ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस इन्फोकॉम लि. के साथ करार किया है। इसने ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने के लिए मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लि. और टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (महाराष्ट्र) का निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयन हो जाने के पश्चात्, उनके साथ भी करार किया है। तत्संबंधी ब्यौरा, ग्रामीण सामुदायिक फोनों के लिए अनुबंध-I में तथा ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-I

मैसर्स रिलायंस इन्फोकॉम लि. द्वारा संस्थापित किये जाने वाले ग्रामीण सामुदायिक फोनों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम (सेवा क्षेत्र)	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	उन गांवों की संख्या जिनमें ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान किये जाने हैं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी (राजामुंदरी)	137
2.		गुंटूर	243
3.		करीमनगर	487
4.		कुर्नूल	302
5.		मेडक (संगारेड्डी)	193
6.		निजामाबाद	16
7.		विशाखापट्टनम	204
8.		विजियानगरम	133
9.		पश्चिमी गोदावरी (एलुरू)	150

1	2	3	4
10.	बिहार	आरा (भोजपुर)	287
11.		छपरा (सारण)	108
12.		पटना	545
13.		सासाराम	128
14.		धनबाद	192
15.		मुंगेर	211
16.		मोतिहारी	374
17.		सहरसा	367
18.		कटिहार	724
19.	झारखण्ड	हजारीबाग	264
20.		जमशेदपुर	54
21.	गुजरात	भावनगर	176
22.		बड़ोदरा	124
23.	हरियाणा	अम्बाला	20
24.		गुड़गांव	141
25.		हिसार	243
26.		करनाल	96
27.		रेवाड़ी (नारनौल)	33
28.		सोनीपत	64
29.		जींद	29
30.	कर्नाटक	बेलगांव	253
31.		दक्षिण कन्नड (मंगलोर)	174
32.	कर्नाटक	धारवाड़ (हुबली)	147
33.		कोडागु (मेडिकेरी)	54
34.		मांड्या	41
35.	महाराष्ट्र	गोवा	101
36.		नागपुर	49
37.		पुणे	155
38.	पंजाब	भटिंडा	70
39.		होशियारपुर	4
40.		जालंधर	10
41.		लुधियाना	5
42.		पठानकोट (गुरदासपुर)	26
43.		पटियाला	25
44.		रोपड़	9
45.		संगरूर	76
46.	तमिलनाडु	कुड्डालोर	415
47.		धर्मापुरी	145
48.		इरोड	60
49.		कराईकुडी	104
50.		सेलम	57
51.		त्रिची	600
52.		वेल्लोर (दक्षिणी अरकोट)	388
53.	यू.पी. (पूर्व)	इलाहाबाद	362

1	2	3	4
54.	यू.पी. (पूर्व)	आजमगढ़	384
55.		बलिया	169
56.		बाराबंकी	181
57.		देवरिया	513
58.		इटावा	191
59.		फैजाबाद	188
60.		फर्रूखाबाद	182
61.		फतेहपुर	219
62.		गाजीपुर	247
63.		गोंडा	207
64.		हरदोई	351
65.		कानपुर	279
66.		लखनऊ	118
67.		मैनपुरी	146
68.		रायबरेली	217
69.		सीतापुर	269
70.		सुल्तानपुर	138
71.		उन्नाव	183
72.		वाराणसी	177
73.	यू.पी. (पश्चिम)	अलीगढ़	334
74.		बदायूं	203
75.		बिजनौर	66
76.	यू.पी. (पश्चिम)	बरेली	208
77.		एटा	233
78.		गाजियाबाद	635
79.		मुरादाबाद	356
80.		मेरठ	142
81.		मथुरा	233
82.		मुजफ्फरनगर	186
83.		पीलीभीत	84
84.		रामपुर	95
85.		सहारनपुर,	353
86.	उत्तरांचल	चमोली (कोटद्वार)	10
87.		नैनीताल	43
88.		न्यू टेहरी	2
89.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	588
90.		बांकुड़ा	162
91.		बहरामपुर (मुर्शीदाबाद)	519
92.		खड़गपुर (मिदनापुर)	556
93.		कोलकाता	1871
94.		कृशनगर (नदिया)	301
95.		मालदा	177
96.		सुरी	196
97.		पुरुलिया	172
		कुल	21459

अनुबंध-II

निवल लाभार्जक (नेट कास्ट पोजिटिव) अल्पदूरी के प्रभारण क्षेत्रों में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें-सफल बोली दाताओं को गौण स्विचन क्षेत्रों तथा अल्पदूरी के प्रभारण क्षेत्रों का वितरण

क्र. सं.	सफल बोलीदाता का नाम	सेवा क्षेत्रों की संख्या	गौण स्विचन क्षेत्रों की संख्या	पात्र अल्पदूरी के प्रभारण क्षेत्रों की संख्या	वे सेवा क्षेत्र जिनमें ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान की जानी है
1.	भा.सं.नि. लि.	18	171	1267	हरियाणा को छोड़कर सभी राज्य
2.	रिलायंस इन्फोकॉम लि.	15	61	203	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ.प्र. (पू.), उ.प्र. (प.) और पश्चिम बंगाल
3.	टाटा टेली सर्विसेज लि.	08	37	172	बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उ.प्र. (पू.). उ.प्र. (प.)
4.	टाटा टेली सर्विसेज लि. (महाराष्ट्र)	01	05	43	महाराष्ट्र
	जोड़		274	1685	

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिये गए लिखित उत्तर से यह पता चलता है कि असम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र की पूर्णतया उपेक्षा की गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि असम और उत्तर-पूर्व में दूरसंचार प्रणाली की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि असम में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार इस भय के कारण नहीं किया गया कि इससे उग्रवादी समूहों को फायदा होगा।

श्री दयानिधि मारन : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को उत्तर देना चाहूंगा। मूल रूप से यह प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने पर बल देने से संबंधित है। मैंने अपने जवाब में प्रस्तुत किये गये विवरण में उन क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा के बारे में बताया है जहां कि यू.एस.ओ. निधि का उपयोग किया गया है क्योंकि वहां इस सुविधा का संचालन लाभप्रद नहीं है और इसीलिए वहां यू.एस.ओ.एफ. का उपयोग किया गया है। लगभग 6,13,000 गांवों में से बी.एस.एन.एल. ने लगभग 5,60,000 गांवों को कवर किया है। शेष गांवों को अभी चालू वर्ष तथा अगले वर्ष में कवर किया जाना है। महोदय, ऐसा नहीं है कि हमने इसे पूरी तरह छोड़ दिया है। कनेक्शन देने की हमारी प्रक्रिया अभी भी जारी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर-पूर्व के बारे में उल्लेख किया है। वहां क्या स्थिति है?

श्री दयानिधि मारन : महोदय, हमने उत्तर-पूर्व क्षेत्र को कवर किया है। शेष क्षेत्रों को अगले वित्तीय वर्ष में कवर किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इस सूची से इसकी जानकारी नहीं मिलती।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, मुझे मंत्रीजी के उत्तर से कोई खुशी नहीं हुई। माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में जो कुछ कहा उससे उत्तर-पूर्व के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता।

यह भी एक तथ्य है कि केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से असम और उत्तर-पूर्व के कुछ चयनित क्षेत्रों में अक्सर नेटवर्क को बन्द कर

दिया जाता है। यदि मामला यह नहीं है तो माननीय मंत्रीजी असम और उत्तर-पूर्व में नेटवर्क के काम न करने के बारे में क्या स्पष्टीकरण देंगे?

श्री दयानिधि मारन : महोदय, मेरे पास जो सूचना है उससे पता चलता है कि केवल असम में ही लगभग 8,931 सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की योजना बनायी गयी है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्व और असम तथा उन सभी क्षेत्रों जहां ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, के प्रति हमारा दृष्टिकोण गम्भीर है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। परन्तु इसे उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं उत्तर-पूर्व के प्रति अपनी कमजोरी के कारण आपको एक अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : अब, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि असम राज्य के चाय बगानों सहित सभी गांवों को कवर करने के बारे में उनके मंत्रालय की क्या योजना है?

अपने कड़वे अनुभवों से हम यह जानते हैं कि असम और उत्तर-पूर्व में बी.एस.एन.एल. के सेलफोनों का कार्य संतोषजनक नहीं है। क्या हम निकट भविष्य में इसमें कुछ सुधार की आशा कर सकते हैं?

श्री दयानिधि मारन : महोदय, कृपया मुझे माननीय सदस्य को इसकी कार्य-प्रणाली के बारे में बताने की अनुमति दें। यह प्रणाली बहुत ही सरल है। वहां बी.एस.एन.एल. ही नहीं बल्कि अन्य निजी सेवा प्रदाता भी हैं।

दूसरे, मैं बताना चाहूंगा कि बी.एस.एन.एल. किसी क्षेत्र विशेष में प्रतीक्षा सूची के आधार पर कनेक्शन देता है। यदि प्रतीक्षा सूची में 100 या 200 से अधिक लोग होते हैं तो बी.एस.एन.एल. शीघ्र अपना कार्य शुरू कर देता है और ऐसे क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करता है।

दूसरी तरफ, उन क्षेत्रों में जहां कि कोई प्रतीक्षा सूची या टेलीफोन की मांग नहीं है, वहां प्रतीक्षा सूची जब तक काफी लम्बी न हो जाए तब तक वे टेलीफोन कनेक्शन देने के इच्छुक नहीं होते। इसके साथ ही हम अगले वर्ष जून माह तक सभी प्रतीक्षा सूचियों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और इनमें से अधिकांश इस वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाएंगी।

पर्वतीय क्षेत्रों की भांति कठिन और घनी आबादी वाले क्षेत्रों विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में – जहां टेलीफोन कनेक्शन देना एक कठिन कार्य है, हम जिन क्षेत्रों में मांग अधिक है उन प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम दूसरे क्षेत्रों में भी जा रहे हैं और डब्ल्यू.एल.एल. टावरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हम वाई.एम.ए. एक्स तकनीक भी अपना रहे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनुकूल भी हैं। ऐसे क्षेत्रों में यह किफायती भी हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान चल रहा है, और हम इसका प्रयोग आरंम्भ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सोहन पोटाई : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन सुविधा जीवन का आज जरूरी अंग बन गया है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में शेष सभी 66,822 गांवों को नवम्बर, 2007 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कई बड़ी आबादी वाले गांव हैं, दो हजार से पांच हजार तक की आबादी वाले गांव हैं, जहां टेलीफोन सम्पर्क नहीं है। पूर्व में जो व्यवस्था थी उसमें बराबर सम्पर्क रहता था, लेकिन जब से केवल बिछायी गयी है तब से कई गांव टेलीफोन सम्पर्क से वंचित हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बस्तर जिले के विकासखंड बड़े राजपुर का बांसकोट क्षेत्र आज भी टेलीफोन सम्पर्क से वंचित है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत कब तक केबल बिछाकर टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी? इसी के ''ख'' भाग में, मैं यह जानना चाहता हूं....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक पृथक और विशिष्ट प्रश्न पूछिए इसका 'ख' भाग नहीं।

श्री दयानिधि मारन : महोदय, मैं उनके संसदीय क्षेत्र विशेष के बारे में विवरण दे सकता हूं परन्तु मुझे वही जवाब दोहराना होगा। अतः मैं माननीय सदस्य को पृथक रूप से इसका विशिष्ट उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री पोटाई, आपको पृथक रूप से जवाब दिया जाएगा।

चौधरी लाल सिंह, कृपया एक विशिष्ट परन्तु संक्षिप्त प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में एक लिस्ट दी है, जिसमें रियासते जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन सेवा हेतु रिलायंस आदि को नहीं दिया गया है। वहां एयरटेल भी बंद पड़ा है। बीएसएनएल की हालत खराब है। पिछले दिनों एलांच में, जब हमारे लोग फंसे थे, उस समय यदि हमारे पास कनैक्टिविटी होती तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टाइमबाउंड करके आप हमारे राज्य को कब तक इसकी सुविधा देने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन : महोदय, माननीय सदस्य ने मेरी बात को गलत समझा है। मैंने अपने विवरण में ग्रामीण आर.सी.पीज. की सूची दी है जो कि रिलायंस जैसे निजी संचालकों द्वारा स्थापित की जानी है। मैंने विवरण में यही सूची दी है। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संचालन का कार्य भी रिलायंस द्वारा किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में टीका-टिप्पणी न करें।

श्री दयानिधि मारन : बी.एस.एन.एल. भी वहां कार्य कर रहा है। बी.एस.एन.एल. वहां सेवा प्रदान कर रहा है। यहां तक कि बर्फबारी के दौरान भी बी.एस.एन.एल. ने शीघ्र टेलीफोन सेवा बहाल करने के लिए भरसक प्रयत्न किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके मंत्री महोदय काफी सक्रिय और सक्षम हैं और वह आपके सभी सुझावों से सहमत हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, हम कुछ गम्भीर कार्य करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के भाग "क" का जो उत्तर आया है, मैं उस पर सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं। मैं एक ही सप्लीमेंटरी पूछूंगा, लेकिन मुझे समझने के लिए आधे मिनट का समय चाहिए। प्रश्न के भाग "क" के उत्तर में इन्होंने लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधा के लिए डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी शुरू करने जा रहे हैं, किन्तु शुरू नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि वह पहले से ही शुरू है, लेकिन वह कारगर नहीं हो रही है। देहाती इलाकों में जो लोग मोबाइल खरीदते हैं, वहां पर बिजली नहीं होने के कारण उसकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है।

लोग बैटरी खरीदकर ले जाते हैं लेकिन बिजली के अभाव में बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। इसलिए ग्रामीण इलाकों में टेलिफोन की सुविधा नहीं है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में पांच किलोमीटर की दूरी पर यदि कुछ उपभोक्ता हैं तो वहां आपने लैंडलाइन केबल बिछाकर नया एक्सचेंज खोलने का क्राइटेरिया बनाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि पांच किलोमीटर की दूरी पर नया एक्सचेंज खोलकर, केबल बिछाकर ग्रामीण इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन की सुविधा आप कब तक पूरी कर लेंगे, यह साफ-सुथरा बताएं?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन : महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि बी.एस.एन.एल. को पहली प्राथमिकता डब्ल्यू.एल.एल. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन देने की है। इसका कारण यह है कि तांबे की तार डालने की तुलना में यह काफी शीघ्रता से कार्यान्वित हो जाता है। तांबे की तार डालने में काफी अधिक समय लगता है और प्रति लाइन इसकी लागत भी अधिक आती है। प्रारम्भिक तौर पर हमारी प्राथमिकता के अनुसार हम डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी का उपयोग करके टेलीफोन सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : डब्ल्यू.एल.एल. तो फेल हो गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन : माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रारम्भ में हम टेलीफोन एक्सचेंज से 2.5 किलोमीटर के घेरे में आ रहे क्षेत्र में डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन कनेक्शन दे रहे थे। अब इसका विस्तार 5 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए किया जा रहा है। अब प्रत्येक पांच किलोमीटर के क्षेत्र पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका कार्य शुरू हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डब्ल्यू.एल.एल. की तुलना में ताम्बे की तार डालने में अधिक समय लगता है।

श्री खगेन दास : महोदय, मैं उत्तर-पूर्व क्षेत्र से आता हूं और टेलीफोन सलाहकार समिति का सदस्य हूं। मैं जानता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर त्रिपुरा में क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री खगेन दास : आप्टिकल फाइबर केबल की कमी होने के कारण कोई नया टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और हजारों आवेदन लम्बित पड़े हैं। क्या माननीय मंत्री इस बात का जवाब देंगे कि त्रिपुरा और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कितने मामले लम्बित पड़े है?

दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी का उपयोग करके टेलीफोन कनेक्शन दिये जा रहे हैं और इसकी क्षमता बढ़ायी गयी है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की जा रही इस डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी का नवीकरण किया जाएगा?

श्री दयानिधि मारन : पूर्वोत्तर क्षेत्र I में, शहरी क्षेत्रों में 2,142 लोग प्रतीक्षारत हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में 4,122 लोग प्रतीक्षारत हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र II में, शहरी क्षेत्रों में 3,509 लोग प्रतीक्षारत हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में 1,391 लोग प्रतीक्षारत हैं। हम इस वर्ष के अंत तक इस प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं।

श्री खगेन दास : आप्टीकल फाइबर केबल में कमी के बारे में क्या कहना है? हमने बार-बार इस मुद्दे को उठाया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार को फैलाएंगे, लोगों को सुविधा देंगे क्योंकि गांवों में भारत की आबादी बसती है। मैं समझता हूं कि दूरसंचार विभाग के माध्यम से ग्रामीणों को अभी लाइन देने की जो व्यवस्था की गई है, वह सुव्यवस्थित नहीं है। गांवों में कमी भी लाइन नहीं आती। बिहार में पटना सहित कई इलाकों में, शहर के आस-पास जो पांच-सात किलोमीटर गांव क्षेत्र हैं, वहां दूरसंचार विभाग की टेलीफोन सेवा काम नहीं कर पा रही है। गांवों में सुनिश्चित तौर पर लाइन बिछाने और वहां के लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए, चाहे लैंडलाइन की व्यवस्था हो या मोबाइल की व्यवस्था हो, आप क्या कर रहे हैं? नेटवर्किंग शहरों में काम नहीं करता, देहात की तो बात ही छोड़िए। लगता है कि बीएसएनएल डिपार्टमैंट ने प्राइवेट कम्पनियों से सांठ-गांठ कर ली है और जान-बूझकर सेवा खराब करने का काम करता है। ..*(व्यवधान)* यह बात सही है।...*(व्यवधान)* क्या वजह है कि देहात और शहरों में बीएसएनएल काम नहीं कर पा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कौन से ऐसी कार्यवाही करेंगे कि सरकार की नीति के अनुसार गांवों के लोगों को दूरसंचार विभाग के माध्यम से मोबाइल और लैंडलाइन सेवा ठीक ढंग से उपलब्ध हो सके?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रिपीटिशन हैल्प नहीं करता।

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन : मैं आपको बता दूं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने के प्रति बहुत प्रतिबद्ध है। वास्तव में, सरकार बहुत गभीर है क्योंकि हमने यह महसूस किया है कि यहां डिजीटल अंतर है। यहां शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 100 लोगों पर 25 टेलीफोन हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 100 लोगों पर 1.68 टेलीफोन हैं। हम इसे वर्ष 2007 तक बढ़ाकर कम से कम 3 करना चाहते हैं। हमारी यही नीति है, हमारी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 है और हम उसपर कायम हैं।

यह कहना कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेलुलर नेटवर्क बहुत सघन है, सही नहीं है। सघनता पटना जैसे शहरों में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सघनता नहीं है। बी.एस.एन.एल. विस्तार की प्रक्रिया में है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया है, हम जून तक अपना विस्तार कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। मेरे विचार से जून तक इस सघनता को संभाल लिया जाएगा।

श्रीमती अर्चना नायक : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू. एल.एल. टेलीफोन पूर्णतया असफल रहे हैं। क्या मंत्रालय इस बारे में अवगत है और क्या वह इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रहा है?

श्री दयानिधि मारन : मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि यह पूर्णतया असफल है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि वहां कुछ समस्याएं हैं। वहां एम.ए.आर.आर. जैसे कुछ महत्वपूर्ण उपकरण के संबंध में कुछ समस्याएं हैं। जिन्हें बदला जा रहा है। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष मामला मेरी जानकारी में लाते हैं तो मैं उसे देख सकता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बता दीजिए। उन्होंने बता दिया है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, डब्ल्यूएलएल का भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा है। हम मंत्री जी के जवाब को चुनौती देते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार के भाषण के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न की समाप्ति के पश्चात् एक टिप्पणी करूंगा।

श्री अनंत कुमार : महादय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा वैश्विक सेवा बाध्यताओं को क्रियान्वित करने की स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री अनंत कुमार : यह निश्चित रूप से इसी से उत्पन्न होता है। यह ग्रामीण टेलीफोनी के बारे में है।

दूसरे, यदि कोई सेवा प्रदाता इसका अनुपालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पहले प्रश्न के रूप में ही पूछने हेतु सक्षम हैं। 'दूसरा' मत कहिए।

श्री दयानिधि मारन : वैश्विक सेवा बाध्यता (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन) कोष संबंधी प्रश्न पर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको कितना मिला है?

श्री दयानिधि मारन : कुल 1,314 करोड़ रुपया दिया गया है।

श्री अनंत कुमार : मैं यह पूछ रहा हूं कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा यू.एस.ओ. के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और यदि कोई सेवा प्रदाता उसका अनुपालन नहीं करता है तो सरकार का उसके विरूद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : यह उससे उत्पन्न नहीं होता। मंत्री महोदय, यदि आप उत्तर देने की स्थिति में हैं तो आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री दयानिधि मारन : महोदय, मैं उत्तर दे सकता हूं। दिनांक 13-9-2004 को सफल बोलीदाताओं मै. बी.एस.एन.एल., रिलायंस इंफोकौम लिमिटेड, 24,794; और आर.सी.पी. के 21,459 के साथ 46,250 गांवों को सम्मिलित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सितम्बर 2007 तक आर.सी.पी. उपलब्ध कराए जाएंगे। वे तीन वर्ष की अवधि के दौरान उपलब्ध कराए जाएंगे। इनपर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। पहली बार निजी लोग यू.एस.ओ. कोष में भागीदारी कर रहे हैं। अभी तक निजी लोग नहीं आ रहे थे। आज टाटा और रिलायंस आक्रामक रूप से आ रहे हैं और इसके कारण दरें कम हो रही हैं।

श्री अनंत कुमार : पालन न करने वालों पर क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है?

अध्यक्ष महोदय : और कोई प्रश्न नहीं। यहां आपस में बात न करें।

श्री दयानिधि मारन : महोदय, यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री वनलाल जावमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल एक साधारण सा प्रश्न ग्रामीण संपर्कता, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, के संबंध में है। आप पूर्वोत्तर तथा कश्मीर की समस्याओं के बारे में भी जानते हैं। जब आप सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सभापति थे, तब भी हमने इस समस्या पर चर्चा की थी। जहां तक मेरे राज्य में ग्रामीण सम्पर्कता का संबंध है तो डब्ल्यू.एल.एल. के लिए हमारे पास केवल 8 बी.टी.एस. हैं और हम बहुत ही उत्सुकता से एक वर्ष से कुछ अधिक समय से अन्य 21 बी.टी.एस. की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मिजोरम को ये बी.टी.एस. कब तक मिलने जा रहे हैं?

श्री दयानिधि मारन : जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमने अभी यह प्रक्रिया आरम्भ ही की है। यह छह महीने की प्रक्रिया है। मेरे विचार से जून के मध्य तक आप देखेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस वर्ष, जून के मध्य तक?

श्री दयानिधि मारन : जी हां, महोदय, इस वर्ष।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न पर देश के लगभग सभी भागों से आने वाले सदस्यों को आठ अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। प्रत्येक इसे समझता है, मेरा विश्वास है कि सरकार भी इसे समझती

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है कि टेलीफोनों की बहुत मांग है। यह इस देश की प्रगति को दर्शाता है। इसलिए, मुझे विश्वास है कि युवा मंत्री जी इस मामले को पूर्ण गंभीरता से देखेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही, तब आप क्यों बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

बच्चों के लिए उत्पादों में कार्सिनोजेनिक रसायन

*362. **श्री ई. पोन्नुस्वामी :**
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्राधिकरण ने बच्चों के लिए खाद्य उत्पादन तैयार करने वाली कतिपय कम्पनियों को यह निदेश दिया है कि वे उत्पादों पर से 'बेबी' शब्द को हटाएं जैसाकि 17 मार्च, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी कम्पनियों द्वारा प्रयुक्त रसायन का स्वरूप कार्सिनोजेनिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्य-प्रणाली तैयार की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे उत्पादों में प्रयुक्त रसायनों के दुष्प्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए क्या निवारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफ डी ए), महाराष्ट्र ने दिनांक 15.3.2005 को मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें उनसे 'शिशु उत्पादों' के रूप में उनके द्वारा विपणित विभिन्न प्रसाधन सामग्री उत्पादों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। ऐसे ही नोटिस मैसर्स विप्रो लिमिटेड, बंगलौर, मैसर्स हिमालय ड्रग्स कं., बंगलौर, मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली और मैसर्स इमामी लिमिटेड, कोलकाता को विशेष रूप से शिशुओं के इस्तेमाल हेतु विपणित किए गए उनके उत्पादों के बारे में जारी किए गए हैं।

आयुक्त, एफ डी ए, महाराष्ट्र, जिन्होंने इन उत्पादों के लिए लाइसेंस दिया था, ने माना है कि फर्म का यह दावा कि उनका शिशु तेल शिशुओं के लिए आदर्श मालिश करने का तेल है, एक प्रसाधन सामग्री उत्पादन के लिए न्यायोचित नहीं है और अत: यह उत्पाद औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 17-ग के अन्तर्गत गलत ब्रांड का है। उसी प्रकार 3 आयुर्वेदिक विनिर्माताओं को दिए गए नोटिस में उनसे अपने शिशु तेलों के विनिर्माण और उनकी निरापदता तथा शिशु त्वचा पर मालिश करने के फायदों के संबंध में ''आदिकरण'' के प्रमाण को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।

मैसर्स जॉनसन एंड जॉनसन, मुम्बई सहित उपर्युक्त पांच कंपनियों को जारी किए गए उक्त नोटिस में आयुक्त, एफ डी ए, महाराष्ट्र ने अवयवों अथवा उत्पादों पर कार्सिनोजेनिक प्रकृति का होने का आरोप नहीं लगाया है।

मैसर्स जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा उनके शिशु तेल अर्थात् लिक्विड पैराफीन, टोकोफिराइल एसिटेट (विटामिन ई), विटामिन ए और डी के तैयार मिश्रण और इत्र में इस्तेमाल किए गए अवयवों का विश्वभर में विभिन्न प्रसाधन सामग्री उत्पादों तथा फार्मास्यूटिकल्स के विनिर्माण में इस्तेमाल किया जाता है और उनके असुरक्षित होने की सूचना नहीं मिली है। प्रसाधन सामग्री और परिष्कृत प्रसाधन सामग्री में इस्तेमाल कच्ची सामग्री के मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रसाधन सामग्री उद्योग के लिए खनिज तेल के विनिर्देशों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानक में यह उल्लेख है कि इस में गर्म करने, प्रकाश करने, अम्लों और क्षारों के लिए उत्कृष्ट स्थिरता है,

इसका कोई रंग अथवा गंध नहीं है, यह त्वचा के लिए हानिरहित है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : इस वर्ष 17 मार्च, को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक संपादकीय लेख छपा था जिसमें ''कीपिंग ए फिंगर ऑन द पल्स'' शीर्षक के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी की प्रशंसा की गई थी। आपने भी इसी प्रतिष्ठित सभा में बहुत कम अवधि में इतना नाम कमाने पर इन्हें बधाई दी थी।

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी बात से सहमत हैं।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : उसी दिन कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि महाराष्ट्र खाद्य और औषध प्राधिकरण ने एक विश्वविख्यात निजी कंपनी, जो शिशुओं के लिए उत्पाद बनाती है, से अपने उत्पादों पर से 'बेबी' शब्द हटाने को कहा है क्योंकि उन उत्पादों में कुछ ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग सौन्दर्य प्रसाधनों में किया जाता है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने यह बताया है कि जिस तेल पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है वह प्रत्येक मौसम में स्थिर बना रहता है और त्वचा के लिए अहानिकारक है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भविष्य में ऐसी कंपनियों को काली सूची में डालने की कोई योजना है जो शिशुओं के लिए ऐसे प्रसाधनों का उत्पादन करती हैं जिनमें वे रसायन हो सकते हैं जो कार्सिजोनक प्रकृति के भी हो सकते हैं और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

श्री अंबुमणि रामदास : महोदय, आज हम हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह महाराष्ट्र में खाद्य और औषध प्रशासन आयुक्त द्वारा सौंदर्य प्रसाधनों का उत्पादन करने वाली कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कुछ भारतीय कंपनियों को नोटिस जारी किए जाने के बारे में है। उन्होंने इन नोटिसों में उनके तथाकथित शिशु उत्पादों के बारे में किए गए दावों के बारे में पूछा है। महोदय, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत हमारे पास ब्यूरो ऑफ डाथरेक्टिवस, द कॉसमेटिक्स टायलेटरीज एण्ड फ्रेगरेंस एसोसिएशन, यू.एस.ए. द्वारा निर्धारित किए गए मानक और इंटरनैशनल फ्रेगरेंस एसोसिएशन (आई.एफ.आर.ए.) के समय समय पर प्रकाशित होने वाले दिशानिर्देश हैं। इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत, इस अधिनियम के तहत जिन रसायनों या खनिजों या तेलों का उल्लेख किया गया है केवल वे ही शिशु उत्पादों का उत्पादन करने में उपयोग में लाए जा सकते हैं। तरल पैराफिन, एक ऐसा खनिज तेल है जिसके लिए बी.आई.एस. मानकों के अन्तर्गत अनुमति है तथा आयुक्त, एफ.डी.ए. ने इन कंपनियों को नोटिस जारी करते समय अपने प्रतिवेदन में किसी कार्सिनोजेनिक पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के मद्देनजर मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। ऐसे ही उत्तर की आवश्यकता थी।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : मेरा प्रश्न 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार से जुड़ा हुआ है। किंतु में भारतीय प्रेस ट्रस्ट, बीजिंग की 23 मार्च, 2005 को रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं – चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि वह भारत में अपने बेबी केयर उत्पादों में निहित तत्वों के बारे में विवादों में घिरे जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों की स्वयं जांच करा रहा है। जबकि कंपनी ने चीनी उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि वह सरकारी मानकों का पालन कर रही है। जॉनसन एंड जॉनसन के चीनी मुख्यालय द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया हे कि उसने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपेक्षित मानकों के अनुसार उत्पादन किया है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी जानकारी है। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन के कुछ उत्पादों में हाल ही में शिशुओं के लिए हानिकारक माने जाने वाले तत्व पाये गए थे। महाराष्ट्र खाद्य और औसध प्रशासन ने पाया.....

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मंत्री ने पहले जवाब दे दिया है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : शिशु उत्पादों से संबंधित मामला बहुत ही गंभीर है।

[हिंदी]

एक महीने से तीन महीने तक के बच्चों के लिए यह दूध, तीन से छः महीने तक के बच्चों के लिए यह दूध और छः महीने से एक साल तक के बच्चों को यह दूध पिलाया जाएगा – अगर इसमे से 'बेबी' शब्द को हटा दिया गया तो यह दूध भी बाजार में बिकने वाले आम मिल्क पाउडर्स में शामिल हो जाएगा।

[अनुवाद]

मैं इस पर गंभीर चिंता दर्शाने के लिए माननीय मंत्री को कहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है। यदि इसमें कुछ भी संबंधित पाया गया तो...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : रसायन और पैराफिन दो तत्व हैं जो बहुत हानिकारक हैं। इनसे कैंसर और अन्य रोग पैदा हो सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस मामले में चिंता प्रकट करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल चिंता प्रकट करने के लिए नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या यह शिशु के लिए हानिकारक है?

डॉ. अंबुमणि रामदास : लगभग 28 विभिन्न प्रसाधन हैं जिनके पास मानक सामग्रियां हैं उदाहरणार्थ (स्किन) पावडर, टूथ पावडर, टूथपेस्ट, स्किन क्रीन, हेयर ऑयल, बेबी टॉयलेट सोप इत्यादि जो दोनों तरह के आयु वर्गों के लिए है। हमारे पास मानक हैं और हमने उन मानकों में उल्लेख किया है कि उन उत्पादों का इन प्रसाधन सामग्रियों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

जॉनसन एंड जॉनसन के विशेष प्रश्न पर आएं, तो आयुक्त ने उनके तथाकथित दावों के बारे में नोटिस जारी किया है। उस दावे में आंशिक तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि इनमें से कुछ बेबी ऑयल चिकित्सा आधार पर शिशुओं के विकास हेतु सही सिद्ध हो चुके हैं। पश्चिमी देशों अथवा विकसित देशों में निर्मित वैसे ही ऑयल में इसका उल्लेख नहीं किया जाता। इसी पर आयुक्त ने विशेष जोर दिया था। प्रसाधन उद्योग एक बढ़ता हुआ उद्योग है। लगभग दो वर्ष पूर्व हमने विनियम जारी किया था कि प्रसाधनों की एक्सपायरी तारीख अथवा 'यूज बिफोर डेट' का उतपादों पर उल्लेख किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष हमने उनसे लेबलों पर प्रसाधनों में प्रयोग किए गए तत्वों के नामों का उल्लेख करने के लिए कहा था। हम लेबल पद्धति परिवर्तित करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कुछ बेकार के दावे हैं। कुछ प्रसाधनों का कहना है कि 21 दिनों में आप काले से गोरे हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे कौन से हैं?

डा. अंबुमणि रामदास : मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। कुछ बेकार के दावे किये जा रहे हैं। हमें इन कार्यों को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या जॉनसन एंड जॉनसन के उत्पादों में बेबी शब्द को रखा जाए या नहीं।

डा. अंबुमणि रामदास : हमने उनके तथाकथित दावे के बारे में उनका स्पष्टीकरण मांगा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका तात्पर्य है कि मामला विचाराधीन है।

डा. पी.पी. कोया : प्रश्न उत्पादों और उनके कार्सिनोजेनिक अथवा कैंसर पैदा करने वाले प्रभावों के बारे में था। बाजार में आयुर्वेदिक उत्पादों के नाम पर सैंकड़ों उत्पाद आ रहे हैं। कोई रोक नहीं है। उन्हें रोकने के लिए कोई मानक उपाय नहीं हैं। इन्के टीवी चैनलों और अन्य मोडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार मिलता है। कोई प्रतिबंध नहीं है अथवा टीवी चैनलों को उनका प्रचार करने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्री जी को उन आयुर्वेदिक उत्पादों, जिन्हें सामान्य रूप से मंजूरी नहीं मिली हुई है, को नियंत्रित करने की कोई योजना है।

डा. अंबुमणि रामदास : इस मुद्दे पर मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं क्योंकि आज केवल आधुनिक अणुओं को नियंत्रित किया जा रहा है। आयुर्वेदिक अणुओं के बारे में हमारी व्यवहारिक समस्या है क्योंकि आयुर्वेदिक उत्पादों में निश्चित सम्मिश्रण होते हैं और ये सम्मिश्रण प्राचीन काल से हैं। यहां तक कि धर्मग्रंथों ने भी उन उत्पादों के तत्वों का रहस्योदघाटन नहीं किया। इन सम्मिश्रणों में से कुछ में बहुत से पौधे पर आधारित तत्व हैं। वास्तव में हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं। इस वर्ष के मध्य में औषध समन्वय समिति की बैठक होगी और वे इन मुद्दों पर विचार करेंगे। फिर यह औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के पास जाएंगे।

मुद्दा तत्वों को लेबल किए जाने का है। सभी तत्व घटते हुए क्रम में होने चाहिएं। 'एक्सपायरी डेट' और विशेषाधिकार के दावों को ठीक किया जाना चाहिए अथवा इसे बदला जाना चाहिए और

इस सब को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अनिल बसु : महोदय, आरम्भ में ही मुझे सुरक्षा मांगनी है क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : आपको किसके लिए सुरक्षा चाहिए? अपना प्रश्न रखो और उत्तर लो।

श्री अनिल बसु : उत्तर के पृष्ठ 2 में माननीय मंत्री ने बहुत बुद्धिमानी से दो शब्दों का प्रयोग किया है – एक है 'असुरक्षित नहीं बताय गए हैं' और दूसरा है 'त्वचा के लिए हानिरहित है।' यदि उत्पाद नकली भी है, यदि यह असुरक्षित नहीं है, यदि यह हानिरहित है तो इसे चलने दिया जाए। इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, और औषधि नियंत्रण आदेश ने नियंत्रकों को कोई शक्तियां प्रदान नहीं की हैं। अभियोग-पक्ष के लिए न्यायालय में मामले को सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि औषधियां और प्रसाधन सामग्री नकली हैं और यदि शिशुओं के लिए उत्पादों के लेबल पर विज्ञापन में निर्माता के दावे सत्य नहीं हैं तो भी कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि यह हानिकारक और असुरक्षित नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेंगे ताकि उत्पाद हानिकारक और असुरक्षित न हों। यदि यह नकली भी पाये जाते हैं तो निर्माता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, पहले मेरा कहना है कि मैं बहुत हानिरहित हूं और उन्हें मुझसे कोई किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किंतु जब नकली औषधियां बाजार में चल रही हैं तो उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है।

डा. अंबुमणि रामदास : कॉस्मेटिक उद्योग बड़ी तेजी से फल-फूल रहा है। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया था, इन कॉस्मेटिक्स के लिए एक स्थापित मानक है। हमने विश्व में प्रचलित विभिन्न मानकों को अपनाया है। ये मानक यूरोप, अमेरिका से हैं और हमारे मानक भी सामान्यत: विश्व स्तर के मानक हैं। हमने सी.आई.एस. के माध्यम से उन्हें भारतीय मानकों में शामिल किया है। यदि हम नकली कॉस्मेटिक्स की पहचान करते हैं जिसके हानिकारक प्रभाव होते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : मैंने अधिनियम के बारे में पूछा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई परिवर्तन ला रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए।

डा. अंबुमणि रामदास : देश में सैकड़ों, हजारों उत्पाद हैं। इन हानिकर प्रभावों के लिए सरकार प्रत्येक उत्पाद का परीक्षण नहीं कर सकती। उत्पादों के एक सामान्य मानक हैं और हम इन उत्पादों को अद्यतन करते रहते हैं। यदि कोई नकली कॉस्मेटिक पाया जाता है तो राज्यों द्वारा एक कानून लागू किया गया है जिसके तहत तीन साल की सजा है। यह औषध और कॉस्मेटिक अधिनियम के अंतर्गत आता है। हम इसे लागू कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : यह एकदम बच निकलने वाला उत्तर है। वे औषधि नियंत्रण आदेश के बारे में बोल सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए। मैं समझता हूं कि इस पर उचित चर्चा होनी चाहिए। आप अलग से सूचना दीजिए और मैं चर्चा के लिए अनुमति देने पर विचार करूंगा।

श्री अनिल बसु : यह देश के शिशुओं से जुड़ा है और मंत्री जी ने सभा में बहुत ही टालमटोल वाला उत्तर दिया है।

श्री तथागत सत्पथी : हमें गर्व है कि संभवत: 2010 तक भारत विश्व में सबसे युवा देशों में से एक होगा। सरकार को सोचना है कि क्या हम एक बहुत ही युवा देश बनाना चाहते हैं जिसमें एक करोड़ से ऊपर की आबादी में ज्यादातर लोग 18 से 35 वर्ष के बीच में होंगे जिसमें 80 प्रतिशत युवा और बीमार या रोगी या युवा और स्वस्थ होंगे।

सर्वप्रथम, कोका कोला और पेप्सी कोला के बारे में एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। समिति ने बहुत ही प्रसंशनीय सिफारिशें की थी लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ। अब, शिशु आहार की बात है और हर आदमी जानता है कि लंबे समय से भारत में शिशु आहार उन पदार्थों से बनाया जाता है जो विश्व मान की तुलना में बहुत ही घटिया दर्जे के हैं। मंत्रीजी ने मात्र यह उल्लेख किया है कि सरकार के लिए यह असंभव है कि यह हर उत्पाद की जांच करें। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने बच्चों और शिशुओं के लिए निम्न दर्जे के उत्पाद बनाने को रोकने संबंधी कानून को सख्त बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव किया है। यदि उनके पास कोई प्रस्ताव है तो इस संबंध में वे संसद में विधेयक कब ला रहे हैं?

डा. अंबुमणि रामदास : निश्चित तौर पर सरकार इस मामले में बहुत चिंतित है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है हम आगे बढ़ रहे हैं और यह प्रश्न शिशुओं के आहार से संबंधित न होकर कॉस्मेटिक से संबंधित है।

श्री तथागत सत्पथी : इसमें जारी चीजें आ जाती हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : खाद्य पदार्थ पी.एफ.ए. के अंतर्गत आते हैं और यह औषध और कॉस्मेटिक अधिनियम के अंतर्गत आता है।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल सही। दोनो ही महत्वपूर्ण हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : औषध और कॉस्मेटिक अधिनियम में हम दंड संबंधी विधान के एक अधिनियमन के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे यह और अधिक सख्त तथा अवयव पर आधारित होगा और इसके लिए एक विशेष न्यायालय होगा तथा इसे संज्ञेय बनाया जाएगा। ये सारे अपराध औषध और कॉस्मेटिक अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसमें औषध और कॉस्मेटिक दोनों ही आ जाते हैं।

स्वाभावित रूप से हम इस मुद्दे के बारे में चिंतित है और हम इस पर विस्तृत परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना चाहते हैं। इस साल के मध्य में पूरे देश में इस पर काफी चर्चा होने जा रही है और सभी राज्य नियंत्रकों को बुलाया जा रहा है और वे दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। इस मुद्दे पर हम विशद् चर्चा करने जा रहे हैं। मैं इस मुद्दे को व्यक्तिगत तौर पर उठाने जा रहा हूं।

श्रीमती वी. राधिका सेलवी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की पहुंच तक लाने के लिए सबसिडी युक्त दरों पर बच्चों के लिए आयुर्वेदिक उत्पाद के विनिर्माण और वितरण के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है?

डा. अंबुमणि रामदास : आयुर्वेदिक उत्पादों के विनिर्माण के बारे में हमारे पास उत्तरांचल में सरकारी संगठन है। मुझे उस संगठन का नाम याद नहीं आ रहा है। यह भारत सरकार का उपक्रम है जिसके माध्यम से हम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को तथा अन्य औषधालयों को आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या गरीब लोगों को सबसिडी के दर पर इन दवाइयों के वितरण के लिए आपके पास कोई योजना है?

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, ये उत्तम गुणवत्ता वाली दवाएं हैं। सर्वोत्तम उपलब्ध कीमतों पर आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सर्वोत्तम उपलब्ध कीमतों पर!

(व्यवधान)

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, शिशुओं के इस तेल का आधार मूलरूप से 99.9 प्रतिशत तरल पैराफिन है। सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार यह कहा गया है कि "फर्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक मे तरल पैराफिन का उपयोग बिल्कुल सुरक्षित है।" तथापि, शिशुओं या नवजात शिशुओं के लिए तरल पैराफिन के उपयोग की सिफारिश नहीं की जाती है। लेबल पर तरल पैराफिन का उल्लेख भी नहीं है जिसमें माना जाता है कि उन अवयवों के नाम होते हैं जिनसे उत्पाद बना होता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उन कंपनियों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं जो इस प्रकार के अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं जिसमे वे अपने उत्पाद के अवयवों के बारे में जानकारी नहीं देती हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका उल्लेख किया है। तथापि, वे पुनः दोहरा सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, तरल पैराफिन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में, विकासशील तथा विकसित देशों में हर जगह उपयोग हो रहा है। यह शिशुओं के लिए इस्तेमाल की जा रही है। विश्वस्तर पर शिशुओं के किसी भी उत्पाद में तरल पैराफिन का उपयोग वर्जित नहीं है। भारत भी तरल पैराफिन के विश्व में उपयोग के उदाहरण का अनुसरण कर रहा है और शिशुओं के किसी भी उत्पाद में तरल पैराफिन के हानिकर प्रभाव नहीं पाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती मेनका गांधी।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : लेकिन महोदय, मैं उन कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानना चाहती हूं जो अपने अवयवों का ब्यौरा नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है। ठीक है वे संक्षिप्त में पुनः बता दें।

डा. अंबुमणि रामदास : मैंने पहले इसका उत्तर दे दिया है कि हम अब इन कंपनियों का अपने लेबल पर उत्पादों के अवयवों तथा इसकी संरचना की जानकारी देने को कह रहे हैं। इसलिए, ऐसा होगा। विगत वर्ष में केवल मुख्य घटकों के बारे में ही लेबल पर जानकारी दी गई थी। लेकिन आने वाले वर्षों में, ठप हो सकता है वर्ष के अंत में, सभी घटकों के बारे में लेबल में जानकारी दी जाए।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, माननीय मंत्री ने बार-बार कहा है कि वे नकली उत्पादों के बारे में बहुत चिंतित हैं। मैं जानना चाहूंगी कि क्या उन्होंने किसी भी दवा, किसी भी उत्पादकों पिछले एक साल में प्रतिबंधित किया है।

दूसरी बात, कॉस्मेटिक्स के बारे में उन्होंने कहा है कि वे विदेशी मानकों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम किसी खास विदेशी मानकों का उपयोग नहीं कर सकते। किए जाने वाले बहुत से परीक्षणों का हमने त्याग नहीं किया है यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें छोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए एल.डी. 50 परीक्षण को लें, यह किसी भी औषधि और कॉस्मेटिक की प्रभावोत्पादकता का निर्धारण करने में पूरी तरह नाकामयाब रहा है।

बहुत से कॉस्मेटिक में रेटिन-ए का हर जगत इस्तेमाल होता है। रेटिन-ए जो एक कैंसर कारक पदार्थ है के बारे में माननीय मंत्री जी ने क्या किया है?

डा. अंबुमणि रामदास : वास्तव में ये कॉस्मेटिक्स है न कि औषध। जहां तक औषधों का संबंध है हमने कॉस्ट इन्हीं बीटरवायोस सहित कुछ औषधों को प्रतिबंधित कर दिया है। हमने उन उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया है। यह केवल प्रतिबंधित करने मात्र की बात नहीं है। इसे विश्वस्तर पर किया जाता है। मैंने इसकी व्यवस्था की है।

अब हम उनके प्रश्न के दूसरे भाग को लें। हमारा अपना भारतीय मानक ब्यूरो है।

भारतीय मानक ब्यूरो विश्वभर में प्रचलित, विशेषकर विकसित देशों में प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों की महत्वपूर्ण बातों को अपनाता है। हम अपना भारतीय मानदंड बना रहे हैं। हम केवल उन्हीं मानदंडों को नहीं लेते जिन्हें यहां स्वीकृति दी जाती है, हम उन्हें इसमें शामिल नहीं करते। हम उनमें से मूलभूत बातों को लेकर अपना एक भारतीय मानदंड निश्चित करते हैं।

चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

+

363. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन के प्रधान मंत्री ने भारत यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या हाल ही में भारत के विदेश सचिव ने चीन की यात्रा की थी;

(घ) यदि हां, तो दोनों अवसरों पर हुई बातचीत और किए गए द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बातचीत के दौरान सीमा-विवाद, मुक्त व्यापार समझौते के लाभ और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के वर्तमान रुख के संबंध में बातचीत हुई;

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इन समझौतों के परिणामस्वरूप दोनों देशों को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा चीन के साथ संबंधों को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (छ) एक विवरण सदन-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) चीनी प्रधानमंत्री महामहिम श्री वने जियाबाओ ने 9-12 अप्रैल, 2005 को भारत का दौरा किया जिस दौरान उन्होंने व्यापक श्रेणी के द्विपक्षीय मुद्दों और परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ व्यापाक विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षो ने बढ़ते हुए आपसी विश्वास और समझ पर संतोष व्यक्त किया और यह माना कि भारत-चीनी द्विपक्षीय संबंध ने व्यापक विकास के नए चरण में प्रवेश किया है। यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने एक ''शांति और सम्पन्नता के लिए नीतिगत और सहयोगी सहभागिता'' स्थापित की जो द्विपक्षीय संबंधों के सर्वांगीण और व्यापक विकास के लिए आधार

प्रदान करता है तथा सार्वभौमिक और नीतिगत दृश्य प्रदर्शित करता है जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ अपने संबंधों को देखते हैं। इस प्रकार की साझेदारी स्वभाव से गैर-सैन्य है और किसी तीसरे देश के विरुद्ध निर्देशित नहीं है। दोनों पक्षों ने सीमा प्रश्न सहित अनुसलझी भिन्नताओं को द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया को इन भिन्नताओं से प्रभावित किए बिना एक व्यवहार्य सकारात्मक तरीके से सुलझाने की अपनी इच्छा को भी दोहराया। इस यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय समझौते सम्पन्न किए गए।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेश सचिव ने चीनी उप विदेश मंत्री के साथ भारत चीन संयुक्त कार्य दल की पन्द्रहवीं बैठक करने के लिए 30-31 मार्च, 2005 को बीजिंग का दौरा किया जिस दौरान दोनों पक्षों ने विश्वास बढ़ाने के उपाय तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण और पुष्टि सहित भारत चीन सीमा प्रश्न से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी के लिए चीनी पक्ष के साथ वार्ताएं की। चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए जिसमें भारत-चीन संबंधों का अवलोकन तथा साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्य योजना की पेशकश की गई थी। ''भारत-चीन सीमा प्रश्न के निपटान के लिए राजनैतिक मापदंडों और मार्ग दर्शक सिद्धांत संबंधी समझौते'' सहित ग्यारह अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। नागरिक उड्डयन सम्पर्क के प्रमुख उदारीकरण संबंधी एक समझौता ज्ञापन सहित आर्थिक और व्यापार संबंधी मामलों पर अन्य समझौते सम्पन्न किए गए। सांस्कृतिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आपसी जन संपर्क बढ़ाने के लिए पहलों पर सहमति हुई।

(ङ) और (च) चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा प्रश्न पर अपने अपने विचारों का आदान-प्रदान किया तथा द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण हितों की दृष्टि से समान और मैत्रीपूर्ण परामर्श और कार्यवाही के माध्यम से निष्पक्ष, संतुलित तथा परस्पर रूप से सहमत हल ढूंढने के लिए अपनी तत्परता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों के विशिष्ट प्रतिनिधियों के बीच वार्ताओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और ''भारत-चीन सीमा प्रश्न के निपटारे के लिए राजनैतिक मापदंडों और मार्ग दर्शक सिद्धांतों संबंधी समझौते'' के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सीमा प्रश्न का शीघ्र निपटारा दोनों देशों के मूलभूत हितों को सुधारेगा और इसलिए इसका रणनीति की तरह अनुसरण किया जाना चाहिए। संयुक्त कार्य दल के तंत्र के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण रेखा के शीघ्र स्पष्टीकरण और पुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता को भी दोहराया गया।'' भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने के उपायों के कार्यान्वयन हेतु रीतियों संबंधी प्रोतोकोल भी सम्पन्न किया गया।

भारत-चीन संयुक्त अध्ययन दल ने दोनों प्रधानमंत्रियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें भारत-चीन क्षेत्रीय व्यापार समझौते की सिफारिश की गई थी। दोनों प्रधानमंत्री भारत-चीन क्षेत्रीय व्यापार समझौते की व्यवहार्यता का विस्तार से अध्ययन करने के लिए तथा इससे प्राप्त किए जा सकने वाले लाभों के लिए एक संयुक्त कार्य बल नियुक्त करने पर सहमत हुए जो इसके अंतवस्तु के संबंध में सिफारिश दे। दोनों पक्षों ने नोट किया कि व्यापार और निवेश सहित भारत-चीन द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के सम्पूर्ण विस्तार में ठोस भारत चीन संबंध के महत्वपूर्ण आयाम शामिल हैं।

(छ) सरकार पंचशील के सिद्धांत एक-दूसरे के हित और महत्वकांक्षा तथा समानता पारस्परिक आदान और भावुकता के आधार पर चीन के साथ संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान प्राप्त पर्याप्त परिणाम चीन के साथ भारत के संबंधों के स्तर व गुणवत्ता को बढ़ाने के सरकार के निर्णय में पूर्णत: दृष्टव्य हे और इसमें बृहत क्षेत्रों में पारस्पारिक हितकारी सहयोग प्राप्त करने की भी कोशिश की गई है।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महोदव गायकवाड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच जो वार्ता हुई, उस वार्ता के दौरान जो राजनीतिक सहित 11 व्यापक समझौते हुए, उन समझौतों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बाद में एक वक्तव्य दिया जायेगा। मैं समझता हूं तब वह इस सारे मामले पर प्रकाश डालेंगे। हां, आप संक्षेप में उन बातों पर प्रकाश डाल सकते हैं।

श्री ई. अहमद : महोदय, भारत और चीन के बीच 11 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जिस संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये गये हैं उसमें भारत-चीन संबंध और आपसी सहयोग

के क्षेत्रों के बारे में दोनों देशों के दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है जैसाकि माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है – वहां 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं जो राजनीतिक मानदंडों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, सीमा विवादों का निपटारा, प्रोटोकाल तथा आपसी विश्वास बहाल करने जैसे विषयों से संबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री इस बारे में वक्तव्य देंगे। हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए।

मोहम्मद सलीम : लेकिन हमें इस पर चर्चा करने का समय तो मिला ही नही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक हुआ तो इस पर चर्चा करायी जाएगी। क्या आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे? हमें इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य का इंतजार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चीन में बनी अनेक चीजें आज भारत में सस्ते दामों में बिक रही हैं। चीन के जो प्रोडक्ट्स यहां सस्ते भाव पर बेचे जाते हैं, क्या उनके बारे में भी कोई चर्चा हुई?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चीन पर कोई पाबंदी लगाने जा रहे हैं?

श्री ई. अहमद : हमने चीन के साथ व्यापार और दूसरे संबंधों को लेकर भी एक समझौता किया है। कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

श्री सुग्रीव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरफ आ जाइए।

श्री सुग्रीव सिंह : मेरी सीट यहां है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपनी सीट बदलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री सुग्रीव सिंह : हमें माइक भी नहीं मिला है, इधर ही बोलना पड़ता है।

[अनुवाद]

महोदय, इस समय चीन के कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के बारे में मेरे दिमाग में एक विशेष प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय क्षेत्र को वापस लेने के मुद्दे पर चीन के प्रधानमंत्री से चर्चा हुई और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है।

श्री सुग्रीव सिंह : इसका विशेषरूप से उल्लेख नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : विशेष उल्लेख नहीं हुआ है। आप इसका विशेष रूप से उल्लेख चाहते हैं।

श्री ई. अहमद : महोदय, शांति और समृद्धि के लिए एक सामरिक और आपसी भागीदारी की बात कही गयी है। इसके लिए यह रूपरेखा तैयार की गयी है कि भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि इस मामले पर चर्चा करेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा की जायेगी। दोनों देश इस तरह की चर्चा पर सहमत हो गये हैं। स्वयं चीन के प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रा बहुत ही उद्देश्यपूर्ण रही है और हमारे द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर साबित होगी। इस बात पर सहमति बनी है कि भारत और चीन चहुंमुखी विकास के एक नये चरण में प्रवेश कर गये हैं। इसलिए, इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चाएं होंगी। इस दिशा में शुरूआत हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे इस बारे में वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कोई और प्रश्न? मैं नहीं समझता इस पर कोई और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का वक्तव्य दोपहर 12 बजे होगा अत: आप इसके लिए 15 मिनट का इंतजार करें।

मोहम्मद सलीम : महोदय, आप हमें प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दें, हमें एक नए प्रश्न पर चर्चा करके प्रसन्नता होगी।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, राज्य सभा की भांति हम इस सभा में स्पष्टीरकरण नहीं मांग सकते।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, मैं इस वक्तव्य के बाद इसपर एक समुचित वाद-विवाद की अनुमति देने के लिए तैयार हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया हमें एक या दो अनुपूरक प्रश्न और पूछने की अनुमति प्रदान करें।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, हमें बताया गया है कि चीनी प्रधानमंत्री, महामहीम वेन जियाबाओ में हाल ही की यात्रा के दौरान भारत और चीन ने शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की है।

यह वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य को परिलक्षित करता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संबंधों के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया था?

श्री ई. अहमद : भारत, चीन और रूस के बीच ऐसी किसी चर्चा को भारत बहुत महत्व देता है। ऐसी कुछ चर्चाएं हुई थीं और भविष्य में भी ऐसी चर्चाएं होंगी। ऐसी एक चर्चा सम्भवत: जून के पहले सप्ताह में भारत, चीन और रूस के बीच होने जा रही है। यह न केवल भारत के लिए अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये देश एक साथ मिलकर इसे करेंगे।

श्री तापिर गाव : चीनी प्रधानमंत्री के भारत आगमन से पूर्व भारत में चीन के राजदूत ने अरूणाचल प्रदेश को विवादास्पद क्षेत्र बताया है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय विदेश मंत्री जी दोनों से यह जानना चाहूंगा. कि चीनी-हिंदी भाई-भाई के नारे पर. कि क्या अरुणाचल प्रदेश को वास्तव में भारत और चीन के बीच विवादास्पद क्षेत्र समझा जाता है? यदि नहीं, तो भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के बीच इस चर्चा के क्या परिणाम निकले? इस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया है। इसका उत्तर 'हां' तक ही सीमित रहा है। यह एक बहुत स्पष्ट और विशेष उत्तर है। मैं अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं और अरुणाचल प्रदेश भारत सरकार से यह जानना चाहता है कि क्या वह भी अरुणाचल प्रदेश को इन दोनों देशों के बीच एक विवादास्पद क्षेत्र मानती है। यदि नहीं, तो इसका एक स्पष्ट उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है।

श्री ई. अहमद : यह सत्य है कि भारत और चीन के बीच सीमा के प्रश्न पर कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं। इसलिए, हमने ऐसे समझौते किए हैं और चर्चा हेतु एक स्वीकृत प्रारूप भी तैयार किया है। विशेष प्रतिनिधि इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए चर्चाएं करेंगे। अत: यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि विशेष प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हेतु निश्चित रूप से एक स्वीकृत प्रारूप में सम्मिलित होगा। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि भारत और चीन के बीच सीमा के प्रश्न से संबंधित आविवादित मुद्दे हैं।

भारत-अफ्रीकी द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना

+

*364. **श्री खारबेल स्वाई** :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने हेतु उनका दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु हमारे दावे को और बल मिलने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इस अवसर पर की गयी विभिन्न चर्चाओं तथा किए गए द्विपक्षीय समझौतों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा भारत को इन समझौतों से क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा अफ्रीकी देशों के साथ व्यवसाय बढ़ाने और विदेशी संबंधों में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण समय-समय पर अफ्रीकी देशों का द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्तर पर उनके साथ हमारे संबंधों की समीक्षा करने के साथ-साथ इन रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ किए जाने संबंधी चर्चा करने के लिए दौरा करते रहे हैं। अफ्रीकी देशों के साथ हमारा काफी अच्छा तालमेल है और हमारे विचारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर काफी अधिक समानता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन करने की आवश्यकता भी शामिल

है, जिससे यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उभरी नई वास्तविकताओं को परिलक्षित कर सके। विभिन्न अफ्रीकी देशों में हमारे अधिकारियों द्वारा किए गए विचार-विमर्शों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट हासिल करने की हमारी दावेदारी का सवाल भी शामिल था। अफ्रीका में यह मान्यता है कि भारत एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की हमारी दावेदारी को सामान्यत: स्वीकारा गया है।

हाल के महीनों में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अफ्रीकी देशों में निम्नलिखित दौरे किए गए हैं:–

(i) नाईजीरिया एवं अंगोला – अपर सचिव (प्रशासन) एवं संयुक्त सचिव (पश्चिम अफ्रीका)

(ii) नामीबिया एवं जाम्बिया – सचिव (पश्चिम)

(iii) मॉरीशस – सचिव (पश्चिम) एवं संयुक्त सचिव (ई एंड एस ए) प्रधान मंत्री के साथ गए।

(iv) दक्षिण अफ्रीका – अपर सचिव (इ आर) एवं संयुक्त सचिव (एम ई आर) आइ बी एस ए मीटिंग के लिए विदेश मंत्री के साथ गए।

(v) दक्षिण अफ्रीका – संयुक्त सचिव (इ एंड एस ए) राज्य मंत्री (आर आई एस) के साथ गए।

(vi) गिनी – उप सचिव (डब्ल्यू ए एफ)

(vii) सेनेगल – उप सचिव (डब्ल्यू ए एफ) राज्य मंत्री (आर आइ एस) के साथ गए।

सचिव (पश्चिम) के नामीबिया दौरे के दौरान विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान तथा नामीबिया के विदेश कार्यालय के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। प्रधानमंत्री के मॉरीशस दौरे के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों / करारों पर हस्ताक्षर हुआ था :–

(i) अंतराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य दल की स्थापना करने हेतु करार;

(ii) भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय वायु सेवाओं से संबंधित समझौता ज्ञापन;

(iii) पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन; और

(iv) बाई डू तोम्बी सीवरेज प्रोजेक्ट हेतु 10 मिलियन अमरीकी डालर की नई ऋण सीमा प्रदान करने संबंधी समझौता ज्ञापन।

राज्य मंत्री (आर आइ एस) के सेनेगल दौरे के दौरान डकार तथा जिगुनचौर रेलवे लाईन सम्पर्क संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर हुआ था।

ऐसी आशा है कि मॉरीशस तथा नामीबिया के साथ हस्ताक्षरित करारों से इन देशों के साथ भारत के संबंध और अधिक मजबूत होंगे और उनके साथ आर्थिक एवं व्यावसायिक सम्पर्क बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

हमारी सरकार हाल के वर्षों में अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को सुधारने को अत्याधिक महत्व देती रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने 2003 में अफ्रीका के साथ हमारे आर्थिक एवं व्यावसायिक सम्पर्क बनाने के लिए 'फोकस अफ्रीका इनिसिएटिव' को अपनाया। पहले भी हमने अफ्रीकी विकास हेतु नई आर्थिक साझेदारी के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर तथा टीम-9, जिसमें पश्चिम अफ्रीकी देश शामिल हैं, के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सीमा की घोषणा की थी। द्विपक्षीय आधार पर कई ऋण सीमाएं अफ्रीकी देशों को प्रदान की गई हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान, हमने अफ्रीकी देशों को खाद्यान्न तथा दवाइयों के रूप में काफी बड़ी सहायता प्रदान की है। हमारी अग्रणी कंपनियों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ अफ्रीकी अधिकारियों एवं मंत्रियों की बैठकों को हम सहायता तथा बढ़ावा प्रदान करते रहे हैं। दिल्ली में हाल में सी आई आई द्वारा आयोजित एक सभा में लगभग 100 अफ्रीकी हस्तियों और बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया।

श्री खारबेल स्वाईं : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि अफ्रीका में यह मान्यता है कि भारत एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा है और वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के लिए हमारी उम्मीदवारी को सामान्यतया अनुमोदन करता है। मेरा प्रश्न यह है कि जब हमारी उम्मीदवारी का सामान्यतया अनुमोदन किया जाता है तो क्या अफ्रीका के किसी हिस्से, विशेषकर जैसाकि दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के नाम सुरक्षा परिषद में स्थान के हेतु लिए जा रहे हैं, से इसका विरोध हो रहा है?

राव इन्द्रजीत सिंह : भारत एशिया के वर्ग से एक आकांक्षी है। हमने दक्षिण अफ्रीका के साथ बात की है और हम सुरक्षा परिषद में सीट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और सीट प्राप्त करेंगे। माननीय सदस्य ने जिन-जिन देशों का उल्लेख किया है उनमें से किसी ने भी भारत की उम्मीदवारी का विरोध नहीं किया है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, परमानेंट सीट का मामला एशिया का नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे बहुत सक्षम हैं। इसे श्री खारबेल स्वाईं उठाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा। लेकिन अभी दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने दें।

श्री खारबेल स्वाईं : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की मॉरीशस यात्रा के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने हेतु एक संयुक्त कार्यदल स्थापित किए जाने की बात सम्मिलित थी। क्या हमें यह आशंका है कि मॉरीशस आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र बन सकता है?

क्या ऐसा कोई पूर्वोदाहरण है जिसमें आतंकवादियों ने भारत में अपनी गतिविधियां चलाने के लिए मारीशस का एक बेस के रूप में उपयोग किया हो?

राव इन्द्रजीत सिंह : मॉरीशस एक मित्र देश हैं। हमने आतंकवाद के संबंध में मॉरीशस के साथ समझौता इसलिए किया है क्योंकि यदि कभी किन्ही आतंकवादियों ने मॉरीशस में शरण ली तो हमारा उनके साथ समझौता होना चाहिए आज तक की स्थिति के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिसमें आतंकवादियों ने मॉरीशस में आश्रय लिया हो।

अध्यक्ष महोदय : श्री असादुद्दीन ओवेसी–उपस्थित नहीं है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष जी, अफ्रीकी मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात शुरू से और आजादी के बाद भी अच्छे थे। अफ्रीकी मुल्कों की आजादी में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार की दिशा कुछ बदलने की वजह से, अफ्रीकी मुल्कों के साथ, हमारी जो मित्रता थी, उसके प्रति उनके अंदर अविश्वास की भावना पैदा हुई है और कुछ दूरी भी पैदा हुई है। हम वामपंथी शुरू से ही यह कह रहे थे कि यद्यपि हम पश्चिमी मुल्कों से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पुराने मित्र हमें छोड़कर चले जायें। आज जब हमारे देश के लिये यू.एन. सिक्यूरिटी कौंसिल में परमानेंट मैम्बरशिप की बात चल रही है, हमने देखा है कि हम जिस तरह बड़ी ताकतों पर भरोसा कर रहे थे, उनसे मित्रता नहीं मिली, लेकिन आज तमाम एशियन, अफ्रीकन और लेटिन अमरीकी देश, खासकर अगर हम अफ्रीकी मुल्कों की तरफ तवज्जह देते हैं, तो बहुत से मुल्क हमारा साथ निभाने के लिये तैयार हैं। यू.पी.ए. सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो दिशा दर्शायी गई है, उसके संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे जो ट्रेडीशनल बौंड्स हैं, उन्हें मजबूत करने के लिये न सिर्फ साउथ अफ्रीका बल्कि तमाम अफ्रीकी देशों से और ज्यादा बेहतर रिलेशन्स बनाने के लिये सरकार ने सही मायने में क्या-क्या कंक्रीट कदम उठाये हैं या इस माहौल में उठाने जा रही है?

[अनुवाद]

राव इन्द्रजीत सिंह : महोदय, भारत के संज्ञान में यह तथ्य है कि जब सुरक्षा परिषद में चुनाव की बात होती है तो अफ्रीका के 54 अथवा अधिक वोट हैं। अफ्रीका के साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। उनमें गिरावट नहीं आई है। आज जब सुरक्षा परिषद में भारत के सदस्यता प्राप्त करने के बारे में बात हो रही है तो हमने अनेक मुद्दों पर विचार किया है। हमने विशेष दूत नियुक्त किए हैं जिनका नाम मैं पढ़ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक सूची बनी हुई है।

राव इन्द्रजीत सिंह : हमने अफ्रीका में सभी देशों का दौरा करने के लिए विशेष दूत नियुक्त किए हैं। श्री वी.के. ग्रोवर को विशेष दूत के रूप में केन्या, तंजानिया और युगांडा की यात्रा करने के लिए भेजा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नाम लेना जरूरी नहीं है।

राव इन्द्रजीत सिंह : अन्य दूत भी हैं जो वहां जा रहे हैं। हमने रियायती ब्याज दरों पर ऋण देना शुरू किया है। नेपाड (एन ई जी ए डी) के अंतर्गत हमने 200 मिलियन का ऋण दिया है। टीम-9 की पहल के अंतर्गत जो कि अफ्रीका का भाग है हमने 500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने का प्रस्ताव किया है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश : महोदय, मेरा प्रश्न भारत-चीन संबंधों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मुख्य प्रश्न के अंतर्गत चीन नहीं आता।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश : बहुत से तिब्बती कर्नाटक में रह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों के बारे में है। आप बाद में अपना प्रश्न पूछ सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 365

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ – उपस्थित नहीं।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी – उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. – 366

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख – उपस्थित नहीं।

मलेरिया के मामले

*367. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :**
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने नवीनतम अध्ययन में मलेरिया के मामलों में विशेषकर भारत में भयावह वृद्धि की रिपौर्ट प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गए/उठाये जाने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत सहित सदस्य देशों में मलेरिया की स्थिति पर हाल ही में कोई अध्ययन नहीं किया है अथवा उसमें तकनीकी सहयोग नहीं दिया है। तथापि, मिस्टर राबर्ट डब्ल्यू. स्नो और अन्य द्वारा हाल ही में नेचर (वाल्यूम 434/10 मार्च/2005) में प्रकाशित किया गया अध्ययन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम (पी एफ) मलेरिया की क्लिनिकल घटनाओं के सार्वभौमिक वितरण की मैपिंग के बारे में है। इस रिपोर्ट में भारत में मलेरिया के मामलों में वृद्धि के बारे में उल्लेख नहीं है। वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने "टाइम्स इन्टरनेशनल" में पी एफ मलेरिया की घटना में तेजी से हो रही वृद्धि के बारे में दी गई रिपोर्ट को चुनौती दी है।

देश में मलेरिया की घटना तथा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मामले पिछले कुछ वर्षों में कमी का रूझान दर्शा रहे हैं। वर्ष 2000 से देश में मलेरिया की महामरी विज्ञानी स्थिति नीचे दी गई है:–

वर्ष	पाजिटिव रोगी (मिलियन में)	पी एफ रोगी (मिलियन में)	मौतें
2000	2.03	1.05	932
2001	2.09	1.01	1005
2002	1.84	0.90	973
2003	1.86	0.86	1006
2004	7.73	0.80	832

मलेरिया नियंत्रण की कार्यनीतियों में समुदाय सहभागिता सूचीबद्ध करने हेतु प्रशिक्षण और सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के अलावा निगरानी, रोगियों का शीघ्र निदान तथा तुरंत उपचार, कीटनाशकों से संसाधित मच्छरदानियों के इस्तेमाल के साथ घरों के अन्दर अवशिष्ट छिड़काव सहित सतत वेक्टर नियंत्रण, लार्वाभक्षी मछलियों का इस्तेमाल आदि शामिल है। मलेरिया नियंत्रण के लिए भारत सरकार अनुमोदित नीति के अनुसार औषधें, कीटनाशक और लार्वानाशक प्रदान करती है। इस

कार्यक्रम का कार्यान्वयन और मानीटरिंग राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा की जाती है तथा प्रचालनात्मक लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। दिसम्बर, 1994 से प्रचालनात्मक लागत सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जा रही है। ऐसी सहायता के लिए 2003 से सिक्किम राज्य को पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। आठ राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में 100 जिलों में आदिवासियों की प्रधानता वाले 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विश्व बैंक सहायता से संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अधीन प्रचालनात्मक खर्चों सहित दिसम्बर, 1997 से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, सात पूर्वोत्तर राज्यों, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना (आई एम सी पी) में शामिल किया गया है जिसे मलेरिया रोधी कार्यकलापों अर्थात् शीघ्र निदान और तुरंत उपचार, कीटनाशक औषधों से संशिक्त मच्छरदानियों को बढ़ावा देना और समुदाय की भागीदारी के जरिए व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सम्प्रेषण, में तेजी लाने हेतु शीघ्र ही शुरू किया जाना है और एड्स, क्षयरोग और मलेरिया संबंधी सार्वभौमिक निधि (जी एफ ए टी एम) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, वक्तव्य में मंत्री ने कहा है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इसे श्री दासगुप्ता को दें दें?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मेरी बारी इतनी शीघ्र आ जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, ऐसा लगता है कि मैं अपनी पसंद से किसी भी प्रश्न को चुन सकता हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि उन्होंने सदस्य देशों में जिनमें भारत भी शामिल है, में मलेरिया की स्थिति के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन नहीं कराया है अथवा तकनीकी सहायता नहीं दी है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। यदि ऐसा है तो क्या सरकार का उस पर कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद लेगी?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : महोदय, दिए गए उत्तर के अनुसार भारत में मलेरिया की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। हमने उत्तर में वर्ष-वार आंकड़े दिए हैं। हम मलेरिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी इस संबंध में कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, मलेरिया की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हो रही है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, केरल सहित देश के विभिन्न भागों में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि हा रही है। मैंने सोचा था कि माननीय मंत्री सभा को बताएंगे कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं और यह भी कि क्या सरकार इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता ले रही है?

अध्यक्ष महोदय : आपका दूसरा पूरक प्रश्न भी खत्म हुआ।

मंत्री महोदया, क्या सरकार मलेरिया की घटना को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है क्योंकि देश के विभिन्न भागों से मलेरिया के मामलों की सूचना मिल रही है।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : महोदय, हम उन जगहों पर कीटनाशक युक्त सोने की मच्छरदानी दे रहे हैं जहां मलेरिया की घटना पाई जाती है। तथापि, दस राज्यों में, पूर्वोत्तर के सात राज्यों तथा उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सरकार इस बीमारी के रोकने के लिए विश्व-कोष से धन उपलब्ध करा रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस कार्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप श्री गुरूदास दासगुप्त की उपेक्षा नहीं कर सकते।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं और उन्होंने जो उत्तर देना चाहिए था वह नहीं दिया।

यदि हम आकड़ों पर नजर डालें तो हम पायेंगे कि सवाल यह नहीं है कि मलेरिया की घटनाओं की संख्या में कमी हुई है या मलेरिया के कारण हुई मौतों में कमी आई है। तथ्य यह है कि यह अभी भी हमारे देश में एक घातक रोग बना हुआ है।

महोदय, रिपोर्ट है कि देश के विभिन्न भागों में मलेरिया पुन: सिर उठा रहा है। इतना ही नहीं चिकित्सा रिपोर्ट यह सुझाती है कि मलेरिया के परजीवी जो हाल में पुन: दिख रहे हैं उनका इलाज पारंपरिक दवाओं से संभव नहीं है और ऐसा प्रदूषण और अन्य कारणो से हो रहा है।

इसलिए, सरकार से मेरा विशिष्ट प्रश्न है कि क्या सरकार इस बात से सहमत है कि मलेरिया, जो कि एक घातक बीमारी है, अभी वर्ष 2005 में भी मौजूद है और बीमारी के विशिष्ट लक्षणो को देखते हुए क्या सरकार मलेरिया को प्रसार को रोकने के लिए शहरों में भी प्रमुख कदम उठाएगी जिसमें जलभरण को खत्म करना भी शामिल है जो मलेरिया परजीवियों को पैदा करने वाले स्थान के रूप में कार्य करता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या केन्द्र सरकार ऐसा करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे अच्छा कर रही थी?

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, यद्यपि वे अच्छा उत्तर दे रही थी? मैं अपने सहयोगी की ओर से इस प्रश्न को उत्तर देना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि मलेरिया की घटना बढ़ रही है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैने कहा कि यह पुन: प्रकट हो रहा है। शब्दों के हेर-फेर में मत जाइये।...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, आज उड़ीसा राज्य में मलेरिया की घटना सबसे अधिक है उसके पश्चात् बंगाल का स्थान आता है तत्पश्चात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां मलेरिया का प्रसार है।

मध्याह्न 12.00 बजे

मलेरिया को रोकने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। हमने राष्ट्रीय परजीवि जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम बनाया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने सोने के लिए मच्छरदानी देना शुरू किया है जो पहले से सिन्थेटिक पाइरेथ्रीयॉड युक्त होता है। लार्वा को खानेवाली जम्बूदिया नामक मछली तालाबो में पाली जा रही हैं लार्वा को खा जाएगी। हम कीट-नाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। हम डी.डी.टी. और मालाथियॉन का छिड़काव कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए हम कई कदम उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, वह कार्यक्रम जारी रहना चाहिए *...(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास : हम यह कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष मलेरिया रोकथाम के लिए बजट को बढ़ाया गया है। सरकार इसके रोकथाम के लिए कदम उठा रही है। मलेरिया निरोधी क्षमता को बढ़ाने की बात है और हम इसके लिए मलेरिया-रोधी गोलियां तथा सूइयां (इंजेक्शन) बांट रहे हैं जो महंगी होती है। इसलिए, सरकार इस हद तक प्रयास कर रही है। हमें इस विषय की चिंता है और मलेरिया को रोकने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गरीबी के स्तर में कमी

*365. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़** :
श्री जी. करूणाकरं रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी के स्तर में कमी लाने संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसकी कितनी प्राप्ति हुई है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-07) में पहली बार 2007 तक 5 प्रतिशत प्वाइंट और 2012 तक 15 प्रतिशत प्वाइंट तक गरीबी में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी के स्तर में कमी लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-07) में 2007 तक 5 प्रतिशत प्वाइंट और 2012 तक 15 प्रतिशत प्वाइंट तक गरीबी में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ङ) सरकार ने गरीबी में कमी लाने के लिए त्रि-आयामी कार्यनीति कार्यनीति अपनाई है : (i) रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक विकास को तेज करना (ii) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास; और (iii) लक्षित गरीबी रोधी कार्यक्रम।

जून, 1997 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन (बी पी एल) करने वाले परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा विशेष रूप से इमदादी कीमतों, जो आर्थिक लागत के 50% के लगभग थीं, पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अन्तर्गत खाद्यान्नों की बिक्री करके भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुकर और कारगर बनाया गया था। नई योजना अर्थात् लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतगत प्रत्येक गरीब परिवार 35 किलो खाद्यान्न पाने का हकदार है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को अत्यन्त गरीब वर्गों के लिए और अधिक सकेन्द्रित और लक्षित करने के उद्देश्य से ''अन्त्योदय अन्न योजना'' में गेहूं को 2 रुपये प्रति किलो और चावल को 3 रुपये प्रति किलो की अत्यधिक इमदादी दर पर निर्धन परिवारों में से निर्धनतम परिवार को 35 किलो खाद्यान्न मुहैया कराए जाते हैं। 28.2.05 को प्रस्तुत किए गए हाल ही के बजट में यह घोषणा की गई थी कि 2005 में अन्त्योदय अन्न योजना की कवरेज को 2.0 करोड़ (बीपीएल) परिवारों से बढ़ा कर 2.5 करोड़ परिवार कर दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय दो प्रमुख रोजगार सृजन स्कीमों अर्थात् सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को क्रमश: मजदूरी रोजगार और स्व-रोजगार कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इन्दिरा आवास योजना गरीबों को दिए जाने वाले आवासों के निर्माण की प्रमुख स्कीम है। सरकार ने देश के 27 राज्यों के 150 अत्यन्त पिछड़े जिलों में अनुपूरक मजदूरी रोजगार का सृजन करने और इन जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नई मजदूरी रोजगार स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) की भी शुरूआत की है।

- एसजीआरवाई स्कीम का प्रमुख उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है और उसके द्वारा खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना और पोषणात्मक स्तर में सुधार करना है। इसका दूसरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन और आधारिक संरचना का विकास करना है। एसजीआरवाई उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए उपलब्ध है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है और जो गांव/आबादी में और उसके आस-पास शारीरिक और अकुशल कार्य करने की इच्छा रखते हैं।

- एसजीआरवाई का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रियां के माध्यम से स्व-सहायता ग्रुपों (एसएचजीएस) में संगठित करके उनका प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करके और बैंक ऋण और सरकारी सहायता के मिश्रण द्वारा आय सृजक परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करके गरीबी रेखा से उन्हें ऊपर लाना है।

- इंदिरा आवास योजना गरीबों को नि:शुल्क दिए जाने वाले आवासों के निर्माण की प्रमुख स्कीम है। इस स्कीम में एक अतिरिक्त घटक अर्थात् अप्रयोज्य कच्चे घरों को अर्द्ध पक्के घरों में बदलना है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण आवास निर्माण के लिए ऋण-सह सब्सिडी 1.4.99 से शुरू की गई थी जिसमें 32,000 रुपये वार्षिक तक की आय वाले परिवारों को लक्षित किया गया है।

- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों को अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराना है ताकि इन जिलों में अनुपूरक मजदूरी रोजगार सृजन और आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन के माध्य से खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था को और अधिक तीव्र किया जा सके। राज्यों

को निशुल्क खाद्यान्न मुहैया कराए जाते हैं। पंचवर्षीय भावी योजना के अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं।

शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी उपशमन स्कीम, जो मंत्रालय के पास है, वह स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) है। इस कार्यक्रम में स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहित करके अथवा मजदूरी रोजगार के प्रावधान के माध्यम से गरीब शहरी बेरोजगारों अथवा कम रोजगार वालों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराया जाता है। यह कार्यक्रम समय-समय पर यथा-परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के रूप में परिभाषित शहरी गरीबों को लक्षित करता है। यह कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकायों और इसी प्रकार की सामुदायिक संरचनाओं के माध्यम से उपयुक्त सामुदायिक संरचनाओं के सृजन और इनपुटों की डिलीवरी पर निर्भर करता है। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के आधार पर वित्तपोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम भारत में सभी शहरी नगरों पर लागू है। इस कार्यक्रम को शहरी गरीब समूहों (क्लस्टरों) पर विशेष बल देकर सम्पूर्ण नगर आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वीएएमबीएवाई) और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी), जो शहरी स्लम निवासियों को आश्रय उपलब्ध कराने/आश्रय के उन्नयन और पर्यावरणात्मक उन्नयन के लिए अभिप्रेत है, भी अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी उपशमन में योगदान करते हैं।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को रियायती दरों पर ऋण

***366. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले आवेदकों को लघु उद्योगों की स्थापना के लिए रियायती दरों पर ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बैंकों की ब्याज दरें क्या हैं;

(ग) क्या ग्रामीण आवेदकों को इस संबंध में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बी पी एल) या अन्य किसी भी व्यक्ति को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती दर पर ऋण नहीं दिया जाता। परन्तु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) व स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) के अंतर्गत बी पी एल के व्यक्तियों को तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के अंतर्गत कमजोर वर्गों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न उद्यम स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। यह सभी ऋण-संबंधित सब्सिडी योजनाएं हैं।

(ख) लघु उद्योगों को ऋण देने का कार्य बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र लेंण्डिग के अंतर्गत आता है। ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार 2 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज दर बैंकों के अपने-अपने प्राइम लेंडिंग रेट (पी एल आर) से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 लाख से ऊपर के ऋणों के लिए ब्याज दर का निर्धारण, पी एल आर तथा अधिकतम बैंड के अधीन, बैंकों पर छोड़ दिया गया है।

(ग) और (घ) एस जी एस वाई के अंतर्गत, पात्र ग्रामीण आवेदकों को उपलब्ध सब्सिडी सहायता निम्नोक्त है:-

क्रम संख्या	आवेदकों की श्रेणी	सब्सिडी सहायता
1.	सामान्य	परियोजना लागत का 30% परन्तु अधिकतम 7,500 रुपये
2.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	परियोजना लागत का 50% परन्तु अधिकतम 10,000 रुपये
3.	स्वयं-सहायता समूह	परियोजना लागत का 50% परन्तु अधिकतम 10,000 रुपये की प्रति व्यक्ति सब्सिडी अथवा कुल 1.25 लाख रुपये, जो भी कम हो

सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी)

के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के अन्तर्गत, उद्यमी अधिकतम 25 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए के वी आई सी से मार्जिन मनी सहायता (सब्सिडी) और सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। मार्जिन मनी सहायता नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गई दरों के अनुसार दी जाती है:-

आरईजीपी के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता

क्रम संख्या	लाभग्राही की श्रेणी	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1.	सामान्य	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं/ भूतपूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये तक	परियोजना लागत का 30 प्रतिशत
3.	सामान्य	10 लाख रुपये से अधिक तथा 25 लाख रु. तक	2.5 लाख रु. तथा शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं/ भूतपूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रुपये से अधिक तथा 25 लाख रु. तक	3 लाख रु. तथा शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत

पी एम आर वाई के अन्तर्गत स्वयं रोजगार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का ब्यौरा निम्नोक्त है:-

(पी एम आर वाई के अंतर्गत सब्सिडी)

क्र. सं.	परियोजना की श्रेणी	अधिकतम ऋण राशि (रुपये)	अधिकतम सब्सिडी प्रति लाभग्राही (रुपये)- सामान्य श्रेणी	अधिकतम सब्सिडी प्रति लाभग्राही (रुपये)- विशेष श्रेणी राज्य
1.	व्यवसाय	1,00,000	7,500	15,000
2.	सेवा	2,00,000	7,500	15,000
3.	उद्योग	2,00,000	7,500	15,000

इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति आपस में भागीदारी कर 10 लाख रुपये तक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पात्र आवेदक की वार्षिक आय 40,000 रुपये तक सीमित हो, यह इस योजना की एक शर्त है। यह योजना ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है।

आर ई जी पी एवं पी एम आर वाई के लाभग्राहियों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले भी समाविष्ट होते है।

[अनुवाद]

अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा

*368. **श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस ने हाल ही में भारत का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे के दौरान जिन विषयों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके परिणाम क्या निकले;

(घ) क्या अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे के दौरान आपसी सहयोग के जिन अनेक प्रमुख उद्यमों पर सिद्धांततः

सहमति की गई थी उन सभी को अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (ङ) अमरीका की विदेश मंत्री डा. कोन्डोलीजा राइस ने 15-16 मार्च, 2005 तक नई दिल्ली की यात्रा की।

उन्होंने विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। चर्चाएं भारत-अमरीका के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा केन्द्रित रही, जिनमें सामरिक भागीदारी में अगली कार्रवाई, उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार तथा सामरिक वाणिज्य, रक्षा सहयोग, नागरिक उड्डयन तथा आर्थिक एवं व्यापारिक सम्पर्कों को बढ़ाने के मसले शामिल थे। अमरीका की विदेश मंत्री ने प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मसलों पर भी चर्चा की। यह यात्रा भारत-अमरीका के द्विपक्षीय संबंधों को ऊंचाई पर ले जाने में सहायक होगी। दोनों पक्षों ने सहयोग के क्षेत्रों, विशेषरूप से ऊर्जा, प्रतिरक्षा तथा उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को विस्तारित करने की आवश्यकता की पुन: पुष्टि की।

इस यात्रा के दौरान की गई चर्चा की अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। 13-14 अप्रैल, 2005 को विदेश मंत्री की वाशिंगटन डी सी की यात्रा के दौरान भारत-अमरीका संबंधों के विविध आयामों पर और प्रगति हुई।

लाइसेंसों को रद्द किया जाना

*369. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री उदय सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के कई आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि विनिर्माताओं के लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिए हैं कि वे निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नकली आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के विनिर्माण पर रोक लगाने के लिए कोई प्रभावी विधान बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) राज्य सरकार आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण के प्रयोजन से ऐसे क्षेत्रों में अनुज्ञापन प्राधिकारियों को नियुक्त करती है जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए जा सकते हों। किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी औषधि की बिक्री हेतु निर्माण करने की अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण का आवेदन विहित प्रपत्र में अनुज्ञापन प्राधिकारी को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 153 के उपबंधानुसार करना पड़ता है।

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार, अनुज्ञप्तियों के नवीकरण से जुड़े 116 आवेदन सितंबर, 2004 तक की स्थिति के अनुसार नामंजूर कर दिए गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 10, दिल्ली के 6, उड़ीसा के 75 और पंजाब के 25 आवेदन उत्तम विनिर्माण प्रक्रिया (जी एम पी) के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे थे।

(ग) और (घ) नकली आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण की देखरेख करने वाले नए विधान के अधिनियमन का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि प्रभावी ढंग से प्रवर्तित किए जाने पर विद्यमान विधिक उपबंध इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 17 में मिथ्या छाप वाली, फर्जी और नकली (आयुर्वेद और यूनानी) औषधियों के लिए दंडित करने की व्यवस्था है। राज्य औषधि नियंत्रकों से अपेक्षा है कि वे यह उपबंध कार्यान्वित करेंगे।

[हिन्दी]

मधुमेह के संबंध में हुआ अध्ययन

*370. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली सरकार की सहायता से दिल्ली डायबेटिक रिसर्च सेंटर द्वारा किये गए अध्ययन की ओर आकृष्ट हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रचलित उण्डे पेय पदार्थों को त्याग कर मधुमेह से बचा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अन्य वैज्ञानिक अध्ययन/परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात् क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) "दिल्ली मधुमेह अनुसंधान केन्द्र", जो एक गैर सरकारी संगठन है, ने दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली के स्कूली बच्चों के बीच एक जागरूकता तथा शिक्षा कार्यक्रम तथा मोटापा के खतरों एवं मधुमेह के साथ इसके संबंध पर केन्द्रित एक अध्ययन शुरू किया। दिल्ली मधुमेह अनुसंधान केन्द्र का दावा है कि उक्त अध्ययन के दौरान अब तक दिल्ली के 34 स्कूलों को कवर किया जा चुका है। 8-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का यादृच्छिक रूप से चुनाव किया गया और उनका त्वचा की परत की मोटाई, शारीरिक वजन की प्रतिशतता, बी एम आई, कमर नितम्ब अनुपात तथा बी पी के आधार पर मूल्यांकन किया गया। अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि शारीरिक कार्यकलाप/व्यायाम का अभाव एवं फास्ट फूड तथा वातित पेय पदार्थों का अत्यधिक उपयोग इन बच्चों में अतिभार/मोटापा का प्रमुख कारण है।

दिल्ली मधुमेह अनुसंधान केन्द्र ने सूचना दी है कि यह अध्ययन अभी भी चल रहा है और अध्ययन के केवल प्रारम्भिक परिणाम उपलब्ध हैं।

तथापि, देश के विभिन्न भागों में किए गए अनेक जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययनों से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टाइप II मधुमेह की बढ़ती हुई व्यापकता प्रदर्शित होती है। इसे ध्यान में रखकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मधुमेह के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए योजना आयोग का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रापत करने हेतु उपाय शुरू किए हैं।

देश में पोलियो के मामले

*371. **श्री अतीक अहमद :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में देश में राज्य-वार दर्ज किये गए पोलियों के मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने पोलियो के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पोलियो के सबसे अधिक मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में दर्ज किये गए हैं जैसा कि 18 मार्च, 2005 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की पर्याप्त सुविधाएं हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार पोलियो के प्रतिरक्षण हेतु नये टीके को जारी करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) वर्ष 2004 में देश में पोलियो के 136 रोगियों की सूचना प्राप्त हुई। वर्ष 2005 में, एक जनवरी से 14 मार्च, 2005 तक 14 रोगियों की सूचना प्राप्त हुई है। विगत तीन वर्षों के दौरान देश में सूचित किए गए पोलियो के रोगियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

सरकार ने देश में पोलियो के उन्मूलन हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

- वर्ष 2004 के दौरान पांच राष्ट्रव्यापी प्रतिरक्षण दौर (एन आई डी) और एक उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दौर (एस एन आई डी) का आयोजन किया गया।
- वर्ष 2004 में उच्च-जोखिम वाले जिलों में दो मॉप-अप प्रतिरक्षण दौर आयोजित किए गए।
- वर्ष 2005 मे, जनवरी से अप्रैल, 2005 की अवधि के दौरान उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को कवर करते हुए दो उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दौर (एस एन आई डी) तथा एक राष्ट्रव्यापी प्रतिरक्षण दौर (एस एन आई डी) पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं।
- मई से दिसम्बर, 2005 की अवधि के दौरान एक और एन आई डी तथा चार एस एन आई डी आयोजित करने की योजना है।

– प्रतिरक्षण अभियानों की गुणवत्ता में उन्नयन करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं ताकि बच्चे प्रतिरक्षण दौरों से छूट न जाएं। इन प्रतिरक्षण दौरों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- प्रतिरक्षण दौरों के सफल क्रियान्वयन में बहु-क्षेत्रीय सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु जिला, उप जिला स्तर, ब्लाक तथा ग्राम स्तर पर भी सरकारी पदाधिकारियों की उन्नत सहभागिता

- उन वैक्सीनेशन टीमों, जो स्थानीय स्थिति के अनुसार उपयुक्त हों तथा जिन्हें अपनी भूमिका की जानकारी हो, का चयन करने हेतु वैक्सीन देने वालों तथा निरीक्षकों का उन्नत सूक्ष्म (माइक्रो)-नियोजन एवं प्रशिक्षण

- पोलियो वैक्सीन के प्रति पूरे समुदाय की स्वीकार्यता में उन्नयन करने हेतु उन्नत सामाजिक एकजुटता

- इन जिलों में संकेन्द्रित और लक्षित कार्यवाई के लिए उच्च जोखिम वाले जिलों तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना ताकि इन क्षेत्रों में वैक्सीन की पहुंच में सुधार हो सके।

- केन्द्रीय और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की नियमित मानिटरिंग और पर्यवेक्षण।

उपयुक्त कदम भारत विशेषज्ञ सलाहकार समूह (आई ई ए जी) की सिफारिशों के अनुसार उठाए गए हैं जिसमें जन स्वास्थ्य, बाल रोग विज्ञान, विषाणु विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय विशेषज्ञ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से अधिकतम रोगियों की सूचना प्राप्त होना जारी है। वर्ष 2004 में देश में सूचित पोलियो के 136 रोगियों में से 80 रोगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तथा 41 रोगी बिहार से थे।

इसका एक मुख्य कारण यह है कि पल्स पोलियो दौर के दौरान बच्चों की पर्याप्त संख्या नहीं पहुंचती है और परिणामस्वरूप यह पोलियो विषाणु फैलाव के सतत् संचरण में सहायक सिद्ध हुआ है। इन क्षेत्रों में पोलियो विषाणु के सतत फैलाव में योगदान देने वाले अन्य घटक उच्च जनसंख्या घनत्व तथा खराब सफाई व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) बिहार और उत्तर प्रदेश में मुखसेव्य पोलियो वैक्सीन प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसमें अभियान के पहले दिन में प्रत्येक दौर के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बूथों को खोलना शामिल है। इसके पश्चात् ऐसे दलों द्वारा घर-घर जाकर जांच की जाती है और वैक्सीन दी जाती है जो राज्य में प्रत्येक घर का दौरा करते हैं। बिहार में पहले ही दिन से दल जांच करना और वैक्सीन देना शुरू कर देते हैं।

प्रत्येक दल को बच्चों को वैक्सीन देने के लिए एक ठंडे डिब्बे (कोल्ड बाक्स) में पर्याप्त वैक्सीन प्रदान की जाती हैं। सभी दलों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है ताकि प्रतिरक्षण अभियान में भाग लेते समय उन्हें अपनी सही भूमिका की जानकारी हो।

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों. को बूथ मोबिलाइजेशन, प्रशिक्षण, निरीक्षण, सूचना, शिक्षा और संप्रेषण तथा सामाजिक एकजुटता संबंधी निधियों जैसे इन्पुट यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं ताकि ये दोनों राज्य इन राज्यों में सभी आवश्यक प्रावधान करने में समर्थ हो सकें।

इन दो राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त धन दिया जाता है कि यात्रागत बच्चों को वैक्सीन देने के लिए दौर के दौरान सभी आवागमन स्थलों जैसे मुख्य रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों, मेलों, बाजार स्थलों इत्यादि पर पर्याप्त दलों को तैनात किया जा सके।

भारत सरकार इन राज्यों को प्रत्येक प्रतिरक्षण दौर के लिए 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे के प्रतिरक्षण हेतु पर्याप्त मुखसेव्य पोलियो वैक्सीन की आपूर्ति कर रही है।

(च) और (छ) उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के उच्च जोखिम वाले राज्यों में पोलियो टाईप । विषाणु के फैलाव की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 के प्रतिरक्षण दौर के दौरान मोनोवैलेण्ट टाइप । पोलियो वैक्सीन (एम ओ पी व ।) की शुरूआत की है। मई, 2005 के दौरान भी इसी वैक्सीन को ही इन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा। एम ओ पी वी । कोई नई वैक्सीन नहीं है। विगत में यह अन्य देशों में प्रयुक्त होती रही है। एम ओ पी वी ।, पोलियो टाइप । विषाणु के प्रति ट्राइवैलेण्ट ओ पी वी (ओ ओ पी वी) की अपेक्षा बेहतर प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब एम ओ पी वी । का प्रयोग

करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि अधिकतर पोलियो रोगी, जिनकी हाल ही के महीनों के दौरान हमारे देश में पहचान की गई है, केवल टाइप । पोलियो विषाणु के कारण हैं।

विवरण

2002 से 2005 तक पोलियो रोगी

(15 अप्रैल, 2005 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वाइल्ड पोलियो विषाणु			
		02	03	04	05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	02	03	04	05
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	21	1	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	0	1	0	0
5.	बिहार	121	18	41	7
6.	चंडीगढ़	1	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	1	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमण और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	24	3	2	1
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	24	3	0	0
13.	हरियाणा	37	3	2	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0
16.	झारखंड	12	1	0	1
17.	कर्नाटक	0	36	1	0
18.	केरल	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	21	11	0	0
21.	महाराष्ट्र	6	3	3	0
22.	मणिपुर	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0
25.	नागालैण्ड	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	4	2	0	0
27.	पांडिचेरी	0	0	0	0
28.	पंजाब	2	1	0	0
29.	राजस्थान	41	4	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	2	1	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0
33.	उत्तरांचल	14	0	1	1
34.	उत्तर प्रदेश	1242	88	82	4
35.	पश्चिम बंगाल	49	28	2	0
	कुल	1600	225	136	14

एमटीएनएल तथा बीएसएनएल का विलय

***372. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एमटीएनएल तथा बीएसएनएल के विलय के संबंध में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के विलय का अध्ययन करने हेतु सरकार द्वारा किसी समिति का गठन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति की सिफारिशों पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों की मान्यताप्राप्त यूनियनों से कोई विचार-विमर्श किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकारी क्षेत्र के उक्त उपक्रमों का विलय कब तक होने की संभावना है;

(छ) सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के दोनों उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों की किस प्रकार सुरक्षा करने का है; और

(ज) विलय के परिणामस्वरूप आम लोगों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) जी, हां। परामर्शदाता संघ के प्रमुख भागीदार मै. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज ने "भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) के पुनर्गठन" संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) परामर्शदाता के अनुसार, दूरसंचार बाजार में, प्रत्येक स्तर पर और संपूर्ण देश में, एकीकृत प्रचालक होने पर वह प्रतिस्पर्द्धा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की बेहतर स्थिति में होगा और एमटीएनएल/बीएसएनएल का अलग-अलग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परामर्शदाता ने निम्नलिखित चार विकल्प चुने हैं:-

– विकल्प I क : एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय।

– विकल्प I ख : बीएसएनएल का एमटीएनएल में विलय।

– विकल्प II क : बीएसएनएल द्वारा एमटीएनएल, बीएसएनएल द्वारा आईपीओ का अधिग्रहण।

– विकल्प II ख : एमटीएनएल द्वारा बीएसएनएल का अधिग्रहण।

परामर्शदाता ने इनमें से विकल्प II क को तरजी दी है।

(ग) और (घ) जी, हां। परामर्शदाता की रिपोर्ट की जांच करने के लिए सचिव, दूरसंचार विभाग तथा दूरसंचार विभाग, विनिवेश विभाग, एमटीएनएल और बीएसएनएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की एक संचालन समिति गठित की गई है। समिति रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कर रही है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। अभी सरकार द्वारा परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाना है।

(छ) परामर्शदाता की रिपोर्ट के अनुसार, बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनर्गठन से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ज) रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय करते समय सभी संगत पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

नकली दवाएं

***373. श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सुरक्षा पर होने वाले औसत खर्च की तुलना में चिकित्सा अनुसंधान पर होने वाला खर्च काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए देश की चिकित्सा प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने कुछ और प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) चिकित्सा अनुसंधान पर होने वाला खर्च, स्वास्थ्य परिचर्या पर होने वाले औसत खर्च की तुलना में कम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अनुसार सार्वजनिक एवं प्राइवेट क्षेत्र में स्वास्थ्य अनुसंधान पर होने वाला खर्च 1998-99 में 80000 करोड़ रुपए के कुल वार्षिक खर्च की तुलना में 1150 कराड़ रुपए था। अनुवांशिकीय और जिनोम आधारित औषधों और वैक्सीन विकास मोनोक्युलर जीव विज्ञान और पर आधारित अनुसंधान के नए प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकता को पहचानते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य अनुसंधान में वर्ष 2005 तक कुल स्वास्थ्य खर्च का 1 प्रतिशत और उसके बाद 2010 तक 2 प्रतिशत बढ़ाने की परिकल्पना है।

(ग) से (ङ) मिलावटी औषधों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन 6 औषध प्रयोगशालाएं और राज्यों में 20 औषध प्रयोगशालाएं हैं और इन प्रयोगशालाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में है। नवनिर्मित छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल राज्यों में तीन औषध प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं और इन प्रयोगशालाओं की अनुमानित लागत 941.81 लाख रुपए है।

(च) सरकार द्वारा मिलावटी औषधों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:–

- मिलावटी औषधों के चलन की सम्भावना पर केन्द्रित निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी करना।
- राज्य सरकारों को औषध परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन अथवा नई औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक क्षमता निर्माण परियोजना शुरू की गई है। यह आशा है कि देश में प्रति वर्ष मौजूदा लगभग 36,000 नमूनों की जांच बढ़कर 1,00,000 प्रति वर्ष हो जाएगी तथा नमूनों की जांच का रिपोर्टिंग समय जो वर्तमान में 3 से 6 महीने है वह कम होकर एक महीने से भी कम हो जाएगा।
- एफ.डी.ए., महाराष्ट्र की सहायता से आसूचना कार्य संबंधी संभारतंत्र, मुकदमे आदि से जुड़े राज्य सरकार के नियामक अधिकारियों हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस कार्य को जारी रखने का प्रस्ताव है।
- लाइसेंस देनें, नमूने लेने, मुकदमें आदि के संबंध में देश में औषध नियामक अधिकारियों के बीच प्रभावी सूचना का अदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक देशव्यापी कंप्यूटर नेटवर्किंग परियोजना शुरू की गई है। इससे प्रवर्तन गतिविधियों की नियमित निगरानी और सुधारात्मक उपाय संस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार सक्षम होगी।
- फर्मा उद्योग और व्यापारियों को संयुक्त रूप से नकली औषधों की समस्या से निपटने के लिए प्रेरित किया गया है। फार्मा उद्योग द्वारा सेवा निवृत्त आसूचना अधिकारियों को भाड़े पर लेकर किए गए प्रयासों के जरिए कई मामलों का सफलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है।
- चूंकि नकली औषधों की घटनाओं को समाप्त करना राज्य सरकारों द्वारा किए गए पर्याप्त उपायों पर आधारित होता है, इसलिए इस मसले को अक्तूबर, 2002 में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सभी मुख्य मंत्रियों के साथ उठाया गया था।
- नकली औषधों की घटनाओं के नियंत्रण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नवम्बर, 2002 में सभी बड़े राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में व्यक्त विचारों को जनवरी, 2003 में कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया था।
- नकली/घटिया औषधों की समस्या समेत देश में औषध नियामक प्रणाली से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए सरकार द्वारा 2003 में गठित माशेलकर समिति की सिफारिश का विधान में आवश्यक परिवर्तन करने तथा प्रवर्तन कार्यकलापों में सुधार के लिए अनुकरण किया जा रहा है।

विवरण

देश में राज्यवार औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या

राज्य का नाम	औषध प्रयोगशाला का नाम
राज्य क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद और विजयवाड़ा
दिल्ली	दिल्ली
गुजरात	बड़ौदरा
हरियाणा	चंड़ीगढ़
हिमाचल प्रदेश	कांडा घाट
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
केरल	तिरूवनन्तपुरम
कर्नाटक	बंगलौर
मध्य प्रदेश	भोपाल
उड़ीसा	भुवनेश्वर
पांडिचेरी	पांडिचेरी
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नई
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
पश्चिम बंगाल	कोलकाता
छत्तीसगढ़	रायपुर (नया)
झारखण्ड	रांची (नया)
उत्तरांचल	पटवाडांगर (नया)
महाराष्ट्र	मुंबई और औरंगाबाद
गोवा	पणजी

[अनुवाद]

डाक्टरों की आवधिक परीक्षा

*374. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक पंजीकृत/पेशेवर डाक्टर की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के प्रति उनकी जानकारी का आकलन करने के लिए प्रत्येक पांच वर्षों के बाद आवधिक परीक्षा आयोजित कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चिकित्सा जगत के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (च) पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों को निरन्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने हेतु काफी समय से एक स्कीम प्रचलित है। तथापि, डाक्टरों के पुन: पंजीकरण से इसका संबंध नहीं है। प्रत्येक पांच वर्ष में डाक्टरों के पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण को डाक्टरों द्वारा अनिवार्य चिकित्सा शिक्षा (सी एम ई) प्राप्त करने से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव का विवरण तैयार किया जा रहा है।

सड़क क्षेत्र के लिए विदेशी सहायता

*375. **श्री हितेन बर्मन :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सुधार, मरम्मत,

रख-रखाव और उन्हें चौड़ा करने के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए सभी अनुदानों को खर्च कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राज्यों को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

*376. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के प्रथम चरण के लिए सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विश्व बैंक को भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता सहित अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व बैंक द्वारा ऐसी सहायता के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तें क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा तक वित्त पोषण उपलब्ध कराने तथा कार्यक्रम प्रबंध सहायता प्रदान करने के लिए अपने सैद्धांतिक अनुमोदन की सूचना दी है। बैंक के साथ विचार-विमर्श आरम्भिक अवस्था में है और विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत अथवा अनुमोदित नहीं की गई है। विश्व बैंक की सहायता की विस्तृत शर्तों एवं निबंधनों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

*377. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी परमाणु ईंधन संसाधनों पर आधारित देश को लंबी अवधि तक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में यह किस चरण में है?

प्रधानमंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) देश में परमाणु विद्युत के प्रदुर्भाव से ही बिजली के उत्पादन के लिए देश में मौजूद थोरियम के बड़े भंडारों का उपयोग करने के लिए एक त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

(ख) यह त्रि-चरणीय कार्यक्रम ये हैं:-

- प्रथम चरण में देश में उपलब्ध प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित दाबित भारी पानी रिएक्टर।
- दूसरे चरण में प्लूटोनियम-यूरेनियम ईंधन चक्र का उपयोग करते हुए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।
- तीसरे चरण में हमारे थोरियम के वृहत संसाधनों के उपयोग हेतु ब्रीडर रिएक्टर।

इन तीन चरणों में ईंधन चक्र का महत्वपूर्ण संबंध है और इनको क्रमिक रूप से क्रियान्वित करना होगा।

(ग) इस समय, कुल 2770 मेगावाट-ई क्षमता के साथ 14 विद्युत रिएक्टर प्रचालनरत हैं। इनके अलावा, छः दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्युआरज) और दो हल्का पानी रिएक्टर (एलडब्ल्युआरज) निर्माणाधीन हैं।

द्वितीय चरण कार्यक्रम की शुरूआत कलपाक्कम, तमिलनाडु में 500 मेगावाट-ई के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) का निर्माण शुरू करने के साथ की गई।

इस कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरूआत द्वितीय चरण के फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की पर्याप्त आधार क्षमता को चालू करने के बाद की जाएगी। प्रगत भारी पानी रिएक्टर (एचडब्ल्युआर) की प्रौद्योगिकी प्रदर्श परियोजना का निर्माण भी प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

डाक सामग्री की बिक्री में गिरावट

*378. **श्री राजनरायन बुधौलिया :**
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान लिफाफों, अंतर्देशीय पत्रों और पोस्ट कार्डों की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान डाकघरों की आय में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान बेचे गए लिफाफों, अंतर्देशीय पत्र कार्डों और पोस्ट कार्डों की संख्या ने वर्ष 2001-02 के मुकाबले मिलाजुला रुख दिखाया है, जैसा कि निम्नांकित विवरण में देखा जा सकता है:-

बेचे गए लिफाफों, अंतर्देशीय पत्रों और पोस्ट कार्डों का विवरण

(आंकड़े मिलियन इकाइयों में)

मद	2001-2002	2002-2003	2003-2004
लिफाफे	4181.25	3536.99	3591.87
अंतर्देशीय पत्र कार्ड	2249.37	1806.22	1455.07
पोस्ट कार्ड	1958.07	1634.65	1805.63

उपरोक्त आंकड़ों में स्पष्ट बिक्री के स्वरूप को देखते हुए रुख मिलाजुला प्रतीत होता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक प्रचालनों से डाकघरों की आय में गिरावट नहीं आई है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए लिफाफों, अंतर्देशीय पत्र कार्डों और पोस्ट कार्डों की बिक्री के आंकड़ों में घट-बढ़ तदनुसार राजस्व में परिवर्तन का संकेत नहीं है क्योंकि डाक राजस्व डाक विभाग के माध्यम से भेजे गए निजी रूप से उपलब्ध कराए गए लिफाफों, अंतर्देशीय पत्र कार्डों अथवा पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी अर्जित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक प्रचालनों के माध्यम से डाक विभाग की राजस्व प्राप्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक प्रचालनों के माध्यम से डाकघरों को हुई आय

(आंकड़े मिलियन इकाइयों में)

वर्ष	डाक प्रचालनों के माध्यमों से डाकघरों को हुई आय
2001-2002	2200.36
2002-2003	2432.65
2003-2004	2494.43

भारत संचार निगम लि. की मोबाइल फोन सेवाएं

*379. **श्री देविदास पिंगले :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) को नए उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन सेवाएं प्रदान करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में मोबाइल फोन सेवाएं प्रदान करने हेतु बीएसएनएल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए आयात का ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों के देश-वार नाम क्या हैं जहां से यह आयात किया गया;

(घ) क्या सभी आयातित उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) 31.3.2005 को स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड ने 94.47 लाख सेल्यूलर कनेक्शन प्रदान किए हैं जबकि नेटवर्क की क्षमता 94.92 लाख लाइनों की है। क्षमता संबंधी दबावों के कारण और मौजूदा उपभोक्ताओं को संकुलन-मुक्त सेवा प्रदान करने की बाबत देश के कुछ भागों में आगे नए प्री-पेड कनेक्शन जारी करने पर अस्थायी रूप से नियंत्रण रखा गया है।

(ग) से (ङ) यद्यपि बीएसएनएल ने मोबाइल उपस्करों की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं और और भारतीय पंजीकृत कंपनियों को क्रय आदेश दिए थे, फिर भी कंपनियों ने इस बात का संकेत दिया था कि लगभग 70% उपस्करों का आयात किए जाने की आवश्यकता है। आयातित उपस्कर मोबाइल स्विचों, बेस स्टेशन ट्रांसमीटरों और कंट्रोलरों, एंटिना उप प्रणालियों, इंटेलीजेंट नेटवर्क प्रणालियों, पैकेट हैंडलर्स, और प्रणालियों आदि से संबंधित है। मैसर्स नोकिया और मैसर्स नॉर्टेल से प्राप्त उपस्करों को छोड़कर, जिन्हें इस समय संस्थापित किया जा रहा है, अन्य सभी उपस्करों का उपयोग हो रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल ने जिन कंपनियों को क्रय आदेश दिए तथा उन कंपनियों ने जिन देशों से उपस्कर मंगाकर उन्हें नेटवर्क में संस्थापित किया, उनके नाम नीचे दिए गए हैं:—

क्रमांक	कंपनी का नाम	प्राप्ति का वर्ष	जिस देश से उपस्कर मंगाए गए
1.	मैसर्स आईटीआई, बंगलौर	2002 और 2004	संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस
2.	मैसर्स एरिक्सन इंडिया लिमिटेड	2002-03-04	स्वीडन
3.	मैसर्स मोटरोला इंडिया लिमिटेड	2002-03-04	चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका
4.	मैसर्स नोकिया इंडिया लिमिटेड	2004-05	चीन, फिनलैंड
5.	मैसर्स नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया लिमिटेड	2004-05	चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस

(च) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्टेम सेल के प्रयोग हेतु दिशानिर्देश

*380. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश में स्टेम सेल के प्रयोग हेतु मसौदा दिशानिर्देश प्रस्तुत किए हैं जैसा कि दिनांक 19 मार्च, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की आशा है;

(ङ) क्या किसी दिशानिर्देश अथवा कानून के न होने के कारण देश में स्टेम सेल के प्रयोग संबंधी लाभप्रद कारोबार चल रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (च). यह कहना ठीक नहीं होगा कि देश में स्टेम सेल अनुसंधान और उसका उपयोग अनियमित है। स्टेम सेल के उपयोग

संबंधी अनुसंधान के पहलुओं का समाधान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार ''मानक विषयों पर जैवचिकित्सा अनुसंधान संबंधी नीतिगत मार्गनिर्देश'' के अन्तर्गत किया जाता है जो कि भ्रूण ऊतक (टीशू) प्रत्यारोपण सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी भ्रूणीय एवं गर्भीय ऊतक का उपयोग सहित प्रत्यारोपण में अनुसंधान हेतु विशिष्ट सिद्धांतों संबंधी अध्यायों का एक भाग है। इन दिशानिर्देशों में सहमति (इन्फार्म्ड कनसेंट) की शर्त होती है और यह भी शर्त होती है कि भ्रूणीय और गर्भीय ऊतक के उपयोग का अनुमोदन स्थानीय वैज्ञानिक एवं नीतिशास्त्र संबंधी समिति द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए और उन्हें अन्तिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीतिशास्त्र समिति को भेजा जाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें सभी संबंधित अनुसंधान एवं नैदानिक संस्थाओं को भेज दिया गया है। इन दिशानिर्देशों को वैधानिक बनाया जा रहा है।

स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में हाल में हुई प्रगति को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विभिन्न स्टेम सेलों के उपयोग सहित अनुसंधान और उपचारात्मक प्रक्रियाओं की जांच की है। तदनुसार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार सैल अनुसंधान/नियमन संबंधी दिशानिर्देशों के प्रारूप को सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर रखा गया है। उल्लिखित दिशानिर्देशों के इस प्रारूप में देश में स्टेम सैल के अनुसंधान को बढ़ावा देने और उसके नियमन तथा उसके क्लीनिकीय उपयोग की व्यवस्था है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को इन दिशानिर्देशों के प्रारूप पर टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं और उनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर लाइन

3915. श्री बालेश्वर यादव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार उत्तर प्रदेश, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किन स्थानों के लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन स्वीकृत हो चुकी है;

(ख) इन केबलों की स्थान-वार लंबाई कितनी है;

(ग) स्वीकृत किए जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनों की जिले-वार लंबाई (किलोमीटर में) कितनी है; और

(घ) उक्त सुविधा जनता को कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है जिनके लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन केबल लाइनें स्वीकृत की गई है।

(ख) स्थान-वार केबलों की लंबाई भी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) स्वीकृति के लिए प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनों की किलोमीटर में जिला-वार लंबाई संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) विवरण के अनुसार, स्कीमों को मार्च 2006 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश (पूर्व) के लिए स्वीकृत ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्थान-वार लंबाई

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र	स्कीम का नाम	रूट कि.मी.
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	कर्नलगंज केकेआई एनएसटीबीटीएस	1.000
2.	इलाहाबाद	घूरपुर-लालापुर	24.000
3.	इलाहाबाद	मांडा रोड मोबाइल बीटीएस	0.500
4.	इलाहाबाद	मैडिकल सीएचआरएच-सिविल लाइंस बीटीएस	0.800
5.	इलाहाबाद	मेजा-कोराओं	19.000
6.	इलाहाबाद	नारायणी-शंकरगढ़	19.000
7.	इलाहाबाद	फफामऊ-सीआरपीएफबीटीएस	2.000

1	2	3	4
8.	इलाहाबाद	यूपी टैक-सिविल लाइंस बीटीएस	2.000
9.	बहराइच	मिहिनपुर्वा-मैटेही काला	17.396
10.	बहराइच	मिहिनपुर्वा-पिपरा भगड़िया	15.338
11.	बहराइच	रामपुर-गईघाट ढौबिया	19.000
12.	बांदा	अटर्रा-खुरंड बीटीएस	0.000
13.	बांदा	बांदा-बांदा सिटि बीटीएस	0.000
14.	बांदा	कार्वी एक्सजीई-कार्वीआरएसयूबीटीएस	0.000
15.	बाराबंकी	बेलसर न्यू बिल्डिंग-रुदौली	2.000
16.	बस्ती	बनकटी-नाथ नगर	0.500
17.	बस्ती	खलीलाबाद-महार	0.000
18.	बस्ती	सिद्धार्थ नगर-एसएचजी(न्यू) बीटीएस	13.100
19.	बस्ती	विक्रम जोत-चवनी	0.000
20.	देवरिया	गौरीबाजार बेललपुर	9.000
21.	देवरिया	गोदरवाड़काटनगंज बीटीएस	0.000
22.	देवरिया	खुरबुंदू मोबाइल बीटीएस	0.000
23.	देवरिया	कुशीनगर मोबाइल बीटीएस	6.300
24.	देवरिया	ओसीबीडीईओ-सी-डॉट डीईओ	0.000
25.	देवरिया	सोलन नगर मोबाइल बीटीएस	0.000
26.	इटावा	भरथाना - चकरनगर	0.000
27.	इटावा	भरथाना - महेवा	27.605
28.	इटावा	कुसवारा-बेवर	0.500
29.	फैजाबाद	इनायतनगर-अमनियांज	0.000
30.	फैजाबाद	जाफरगंज-अकबरपुर	0.000
31.	फैजाबाद	लालबाग-अशरानीपुरा बीटीएस	1.200
32.	फैजाबाद	ओल्ड एक्स जी ई बीकापुर-न्यू एक्सजीई बीटीएस	1.500
33.	गाजीपुर	घहमार मोबाइल बीटीएस	0.000
34.	गाजीपुर	गाजीपुर-जमनियां	0.000
35.	गाजीपुर	हसराजपुर मोबाइल बीटीएस	0.000
36.	गाजीपुर	मानपुर मोबाइल	0.000
37.	गाजीपुर	ताजपुर-माहान	0.000
38.	गौंडा	तुलसीपुर-हर्राईसत-गर्वा	14.200
39.	गौंडा	तुलसीपुर-कौवापुर	5.500
40.	गौंडा	तुलसीपुर-महाराजगंज तराई	4.700
41.	हमीरपुर	हमीरपुर सिटि-हमीरपुर बीटीएस	0.000
42.	हमीरपुर	कुलपाहर-कहरवारी	6.000
43.	हमीरपुर	महोबा-श्रीनगर	12.000
44.	हमीरपुर	राठ-अतरौला बीटीएस	0.000
45.	हमीरपुर	श्रीनगर-महौबा बीटीएस	2.200
46.	हरदोई	हरदोई-सेग्रा चौराह बीटीएस	0.500
47.	हरदोई	पाली-रूपनपुर बीटीएस	0.000
48.	हरदोई	रूपनपुर-पाली	8.500

1	2	3	4
49.	जौनपुर	बदेरी-मरियादू	15.600
50.	जौनपुर	बेलवाबाजार-सुजानगंज	8.200
51.	जौनपुर	सरायबीका-मछली शहर	13.995
52.	झांसी	आर्मी एक्स जीई-कैंट एक्सजीई	0.000
53.	झांसी	आर्मी एक्स जी ई-ई 10 बीजेआई	0.000
54.	झांसी	बिजौली-ई-10 बीएक्सजीई	0.000
55.	झांसी	ईसागढ़-ग्रासलैंड	0.000
56.	झांसी	ललितपुर-दैलवाड़ा	12.000
57.	झांसी	ललितपुर-राजघाट	16.5
58.	झांसी	शैदपुर-मदवाड़ा	14.000
59.	झांसी	विजयपुरा-तालबेहर	20.000
60.	लखीमपुर	मुदासराय-भीड़ा	9.600
61.	लखीमपुर	विधासन-पल्लीआ	42.000
62.	लखनऊ	बख्शी तालाब-आइएएफबीकेटी	4.300
63.	लखनऊ	बख्शी का तालाब बीटीएस	4.500
64.	प्रतापगढ़	बिशैया-कुण्डा	12.000
65.	प्रतापगढ़	दिलीपपुर-पटटी	15.000
66.	प्रतापगढ़	गौरादीद-अंटू	8.000
67.	प्रतापगढ़	मोहमदाबाद-ताजपुर	11.519
68.	प्रतापगढ़	सेमारी-बेरसिंहपुर	8.000
69.	रायबरेली	गाडागंज एसबीएम-आरएसयू	0.000
70.	रायबरेली	आरबीएल-बाघोरवार बीटीएस	0.000
71.	रायबरेली	आरबीएल-गुरूबख्शगंज बीटीएस	0.000
72.	शाहजहांपुर	बंदा-ढाकाघनश्याम	8.500
73.	शाहजहांपुर	तिलहर निछोई	26.800
74.	सीतापुर	एचडीआई क्रोसिंग-मुख्य एक्सचेंज बीटीएस	0.900
75.	सीतापुर	रामगढ़-मिशरिख	0.000
76.	सीतापुर	सीतापुर-गौशाला	3.500
77.	सुल्तानपुर	भदर-अमेठी बीटीएस	12.000
78.	सुल्तानपुर	जामो-जगदीशपुर बीटीएस	7.492
79.	सुल्तानपुर	जीया-हल्लियापुर	11.200
80.	सुल्तानपुर	जीया-हरीमाऊ	5.300
81.	सुल्तानपुर	जीया-जैनाबगंज	5.965
82.	सुल्तानपुर	कादीपुर-रावनिया	14.668
83.	सुल्तानपुर	कादीपुर-टाटामुरैनी	13.448
84.	सुल्तानपुर	कुरवर-सुल्तानपुर बीटीएस	0.000
85.	सुल्तानपुर	मोतीनगर मोबाइल बीटीएस	0.475
86.	सुल्तानपुर	राजानसीरपुर-सांगीपुर	18.000
87.	सुल्तानपुर	रानीगंज-जीया	9.036
88.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर-सेमारी	12.150
89.	सुल्तानपुर	तियारी-सुल्तानपुर बीटीएस	2.500
90.	उन्नाव	हासनगंज-साफीपुर	0.000
91.	उन्नाव	पीडी नगर-आवास विकास बीटीएस	0.000

1	2	3	4
92.	उन्नाव	पीडी नगर-बीघापुर	0.000
93.	उन्नाव	पीडी नगर-कोतवाली बीटीएस	1.200
94.	वाराणसी	गिलला बाजार - शिवपुर बीटीएस	0.000
95.	वाराणसी	लक्ष्मणपुर-लालपुर बीटीएस	0.000
96.	वाराणसी	रामनगर चौक-सिटी बीटीएस	7.600
97.	वाराणसी	सरैया-गोलगड्डा बीटीएस	0.000
98.	बलरामपुर	उतरौला-महूवा	18.000
99.	अम्बेडकरनगर	गायदास बुजुग-धुसवा	8.000
100.	अम्बेडकरनगर	जलालपुर-रूकनपुर	10.000
101.	अम्बेडकरनगर	बसररवारी-रूकनपुर	10.000
102.	अम्बेडकरनगर	बेंदीपुर-नेवादा	8.000
103.	अम्बेडकरनगर	मिझौरा-मिट्टी	14.000
104.	अम्बेडकरनगर	अकबरपुर-रामपुर साकरवारी	11.00
105.	औरैया	नेवाटी काला-अच्छल्दा	7.500
106.	बांदा	कामासिन-सरहुआ	11.000
107.	करवी	कामासिन-सरहुआ	11.000
108.	मेनपुरी	शिकोहाबाद-सिरसागंज	10.000
109.	मेनपुरी	सिरसागंज-काटफोरी	15.000
110.	देवरिया	मकरपुर-खैरगढ़	7.000
111.	देवरिया	पैना-बरहज	9.080
112.	देवरिया	बखरा-गौरी बाजार	8.500
113.	देवरिया	बखरा-हाटा	7.500
114.	देवरिया	प्रतापपुर - अहिरौली बाछेल	11.736
115.	देवरिया	पकारी - देवरिया	8.000
116.	देवरिया	रामलक्ष्मण पुराना - नया	0.600
117.	देवरिया	खुरवटूं पुराना - नया	0.600
118.	पदरौना	कुबेरस्थान - पदरौना	10.000
119.	पदरौना	कुशीनगर - कसैया	3.000
120.	पदरौना	कैप्टनगंज पुराना - नया	0.600
121.	पदरौना	खड्डा - छितौनी	11.665
122.	पदरौना	मनसच्चापर - जथ्थाबाजार	15.100
123.	पदरौना	पिपरा - पदरौना	16.770
124.	पदरौना	बराईपट्टी - घुघूली	8.980
125.	पदरौना	हरपुर बुदगर - हाटा	8.200
126.	पदरौना	जंगा मोड - मोतीचक	4.200
127.	पदरौना	तुमकुही - कसैया	32.000
128.	कानपुर देहात	देवबरामपुर	8.000
129.	कानपुर देहात	अमरौधा	8.500
130.	कानपुर देहात	कौरावां	9.500
131.	कानपुर देहात	भौपुर	13.500
		जोड़	947.818

उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

क्र. सं.	स्थान का नाम	स्वीकृत केबल की लंबाई (कि.मी. में)
1	2	3
1.	आगरा	55

1	2	3
2.	बिजनौर	20
3.	बदायूं	10
4.	मथुरा	40
5.	मेरठ	55
6.	मुरादाबाद	75
7.	मुजफ्फरनगर	40
8.	नौएडा	10
9.	एटा	20
10.	पीलीभीत	0
11.	सहारनपुर	15
	जोड़	350

परियोजना सर्किल-वार

क्र. सं.	स्थान का नाम	स्वीकृत केबल की लंबाई (कि.मी. में)
1.	बाराबंकी	38
2.	सुल्तानपुर	110
3.	फरीदाबाद (फर्रुखाबाद)	183
4.	झांसी	58
5.	लखनऊ	150
6.	कानपुर	74
	जोड़	613

विवरण-II

स्वीकृत की जाने वाली केबल की जिला-वार लंबाई

1.	आगरा	77
2.	फिरोजाबाद	3
3.	अलीगढ़	61
4.	हाथरस	50
5.	बरेली	40
6.	बुलंदशहर	135
7.	बदायूं	22
8.	गाजियाबाद	35
9.	मथुरा	19
10.	मुरादाबाद	16
11.	जे.पी. नगर	6
12.	नौएडा	44
13.	रामपुर	15
14.	सहारनपुर	53
	जोड़	576

परियोजना सर्किल-वार

1.	कानपुर	302
2.	लखनऊ	142
3.	झांसी	47
4.	बहराइच	154
5.	मैनपुरी	41
6.	शाहजहांपुर	66
7.	उन्नाव	87
	जोड़	839

पेंशनभोगियों को चिकित्सा-भत्ते

3916. श्री अविनाश राव खन्ना : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-सरकार ने वर्ष 1998 में पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा भत्तों की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो दिए जाने वाले चिकित्सा-भत्तों की दर क्या थी;

(ग) क्या सरकार का विचार औषधियों की कीमतों में वृद्धि के अनुसार चिकित्सा-भत्तों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत-सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रोजमर्रा के चिकित्सा-खर्चों, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक नहीं है, को पूरा करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्र-सरकार स्वास्थ्य-योजना और अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित तद्नुरूपी योजनाओं के दायरे में नहीं आने वाले रिहायशी क्षेत्रों के केन्द्र-सरकार के पेंशनभोगियों और कुटुम्ब पेंशनभोगियों को दिसम्बर 1997 से 100/- रुपए (सौ रुपए मात्र) प्रतिमाह नियत चिकित्सा-भत्ते के भुगतान किए जाने की योजना आरंभ की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग, जिसकी सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर, 1997 में नियत चिकित्सा-भत्ता दिए जाने की योजना आरंभ की गई, ने इस भत्ते की दर की आवधिक समीक्षा की सिफारिश नहीं की। इस प्रकार की किसी समीक्षा के कारण वित्तीय भार भी अत्यधिक होने की संभावना है।

[अनुवाद]

घटिया औषधियों की बिक्री

3917. श्री पी.एस. गड़वी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित औषधियों के लिए पंजीकरण प्रणाली देश में घटिया औषधियों की आवक को रोकने के लिए शुरू की गयी थी;

(ख) क्या औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अनुसार परिसरों के निरीक्षण के बिना ही बहुत सी विदेशी कंपनियों का पंजीकरण कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा डब्ल्यू एच ओ जी एम पी मानदंड अपनाया जाना तथा घटिया औषधियों की आपूर्ति न किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। देश में औषधों के आयात संबंधी पंजीकरण की नई प्रणाली, जो दिनांक एक अप्रैल, 2003 को लागू हुई थी, के अंतर्गत विनिर्माण स्थल पंजीकरण तथा औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत फार्म 10 में आयात लाइसेंस के बिना कोई भी औषध देश में आयात नहीं की जा सकती है।

(ख) और (ग) औषधों के आयात के पंजीकरण के लिए विदेशी विनिर्माण स्थलों का निरीक्षण अनिवार्य मानदण्ड नहीं है। फिलहाल, ऐसी आयातित औषधों, जो काफी अवधि से देश में प्रयोग की जा रही हैं और विधिवत अनुमोदित हैं, को पंजीकृत किया गया है बशर्ते कि औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली में विहित की गई सभी औपचारिकताओं का पालन किया जाए। आवेदक द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रपत्र अथवा मूल देश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी फार्मास्युटिकल उत्पाद संबंधी प्रमाण पत्र में औषध की विनियामक स्थिति, नि:शुल्क विक्रय प्रमाणपत्र और जी एम पी प्रमाणपत्र तथा अन्य प्रमुख देशों के विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी नि:शुलक विक्रय अनुमोदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

औषध के आयात के समय सीमा शुल्क प्राधिकारी, एंट्री बिल अथवा परेषण से संबंधित किसी भी आवेदन को आयात करने से पूर्व पत्तनों और वायुपत्तनों में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ) के पत्तन अधिकारियों को अग्रेषित करता है जो दस्तावेजों की जांच करता है तथा सरकारी अथवा अनुमोदित जांच प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच करता है। औषधों के प्रयोग हेतु स्वीकृति तभी दी जाती है यदि वे अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करती हों।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन भवन

3918. **श्री सुनील खां :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांकुरा जिले के इंदपुर में संभवत: वर्ष 2001-2002 में भारत संचार निगम लिमिटेड का टेलीफोन भवन खोला जाना निर्धारित था; और

(ख) यदि हां, तो आज तक इसके नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। जनवरी, 2006 में इंदपुर में टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने का प्रस्ताव है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथों के लंबित मामले

3919. **श्री सुव्रत बोस :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खोले गए पीसीओ/एसडीटी/आईएसडी बूथों की जिले-वार, श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन राज्यों में ऐसे बूथ खोलने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह आवेदन कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) लंबित पड़े आवेदनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आवेदनों के लंबित होने के कारण ये हैं:-

(i) क्षेत्र में भूमिगत केबल पेपरों की अनुपलब्धता।

(ii) एक्सचेंजों में हार्डवेयर (सीसीएम कार्ड) की अनुपलब्धता।

(iii) डब्ल्यूएलएल आधारित स्थिर बेतार टेलीफोनों (एफडब्ल्यूटी) की अनुपलब्धता।

(iv) डब्ल्यूएलएल टावरों (बीटीएस) की कमी के कारण डब्ल्यूएलएल सिग्नल की खराब कवरेज।

(v) फ्रैन्चाइज़ियों द्वारा दस्तावेज पूरे न करना।

(घ) लंबित आवेदन मार्च 2006 तक निपटाए जाने की संभावना है।

विवरण

पीसीओ के लिए लंबित आवेदन

क्र. सं.	राज्य का नाम	लंबित आवेदन		
		स्थानीय	एसटीडी/ आईएसडी	कुल
1	2	3	4	5
1.	असम	0	0	0
2.	मेघालय	0	0	0
3.	मिजोरम	0	0	0
4.	त्रिपुरा	0	2099	2099
5.	मणिपुर	0	3392	3392
6.	नागालैंड	81	91	172
7.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
8.	पश्चिम बंगाल	84	3783	3867

1	2	3	4	5
9.	कलकत्ता टेलीफोन जिला	720	0	720
10.	उड़ीसा	11	135	146
11.	राजस्थान	125	486	611
12.	बिहार	275	1664	1939
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्रों को बदलना

3920. **श्री गिरिधारी यादव :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री बालेश्वर यादव :
श्री सुनिल कुमार महतो :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों में न बदले गए दूरभाष केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) शेष दूरभाष केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों में राज्य-वार कब तक बदल दिये जाने की संभावना है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरभाष केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों में बदलने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) के अंतर्गत, 339 टेलीफोन एक्सचेंज दिल्ली में और 175 मुंबई में कार्यरत हैं। देश में बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल में सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.12.2004 की स्थिति के अनुसार एक्सचेंजों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य के नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	52
2.	आंध्र प्रदेश	3330
3.	असम	592
4.	बिहार	1447
5.	छत्तीसगढ़	816
6.	गुजरात	3273
7.	झारखंड	431
8.	हरियाणा	1116
9.	हिमाचल प्रदेश	936
10.	जम्मू-कश्मीर	381
11.	कर्नाटक	2701
12.	केरल	1185
13.	मध्य प्रदेश	3031
14.	महाराष्ट्र	4939

1	2	3
15.	मेघालय	99
16.	मिजोरम	76
17.	त्रिपुरा	94
18.	अरुणाचल प्रदेश	101
19.	नागालैंड	55
20.	मणिपुर	53
21.	उड़ीसा	1287
22.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	1535
23.	राजस्थान	2344
24.	तमिलनाडु	2325
25.	उत्तर प्रदेश	3351
26.	उत्तरांचल	489
27.	पश्चिम बंगाल	1867
28.	दीव	3
29.	दमन	5
30.	दादरा व नगर हवेली	7
31.	पांडिचेरी	30
32.	लक्षद्वीप	11
	जोड़	37962

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

3921. श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना नामक एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह योजना सरकार द्वारा कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है;

(ग) परिवार नियोजन, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल, बीमारियों तथा महामारियों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में उक्त योजना के तहत राज्यों को धनराशि के आबंटन तथा औषधियों के संवितरण सहित सुविधाओं का तथा उक्त आबंटन करते समय अपनाई गई कार्यविधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा स्वास्थ्य योजना (पी एम एस एस वाई) का केवल नाम ही बदला गया है तथा शेष चीजें वही हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई योजना तथा वर्तमान योजना के बीच क्या अंतर है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देशभर में लोगों को विशेषत: ग्रामीण निर्धनों को समेकित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरूआत 12 अप्रैल, 2005 को की है। इस योजना की मुख्य कार्यनीति में शामिल है- गांव स्तर पर मान्यताप्राप्त समाज स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित महिलाओं का प्रावधान, प्रति उपकेन्द्र 10000/- रु. की समेकित निधि का प्रावधान, भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के अनुरूप सी एच सी का उन्नयन, सभी स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का आमेलन और स्वास्थ्य का जिला स्तर पर प्रबंधन। इस मिशन की अवधि 2005 से 2012 तक है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (मिशन) के लिए वर्ष 2005-06 के लिए आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। वित्तीय पैकेज तैयार करते समय मिशन के तहत निर्धारित 18 उच्च प्राथमिक वाले राज्यों को वेटेज दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) वर्ष 2003 में शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की मुख्य कार्यनीति एम्स जैसी छ: संस्थाओं की स्थापना और वर्तमान छ: मेडिकल संस्थाओं का उन्नयन करना है जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य योजना का उद्देश्य देशभर में विस्तृत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का प्रावधान करना है।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान सहायता अनुदान आबंटन का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल एफडब्ल्यू योजनाएं (आरसीएच)	क्षयरोग	कुष्ठरोग	आईडी एसपी	आईडीडी	दृष्टिहीनता	एनवीबी डीसीपी	कुल स्वास्थ्य योजनाएं	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का सकल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	**उच्च प्राथमिकता वाले राज्य**									
1.	बिहार	33207.01	1270.28	320.00		3.50	284.52	4736.19	6614.49	39821.50
2.	छत्तीसगढ़	8213.75	740.21	151.00	305.00	3.50	271.78	2114.72	3586.21	11799.96
3.	झारखंड	12160.81	957.30	285.00		3.50	183.74	2179.13	3608.67	15769.48
4.	मध्य प्रदेश	23507.59	925.51	292.50	900.00	3.50	549.50	1897.77	4568.78	28076.37
5.	उड़ीसा	14372.84	300.00	213.00	425.00	7.00	326.64	4027.67	5299.31	19672.15
6.	राजस्थान	22783.64	865.75	55.00	500.00	5.50	554.79	1661.86	3642.90	26426.54
7.	उत्तर प्रदेश	69580.10	2545.16	357.00		5.00	1061.06	1121.00	5089.22	74669.32
8.	उत्तरांचल	4279.98	302.49	73.50	300.00	6.75	164.77	58.44	905.95	5185.93
9.	हिमाचल प्रदेश	3711.35	93.47	35.00	360.00	4.50	122.18	31.72	646.87	4358.22
10.	जम्मू-कश्मीर	4710.87	154.76	43.90		3.50	216.35	50.96	469.47	5180.34
11.	अरुणाचल प्रदेश	1434.99	55.31	50.00		13.00	21.00	1063.66	1202.97	2637.96
12.	असम	20249.11	1337.50	47.50		13.00	115.00	3035.10	4548.10	24797.21
13.	मणिपुर	2465.26	120.68	31.50	172.00	12.00	30.00	531.37	897.55	3362.81
14.	मेघालय	2147.32	115.65	32.00	164.00	12.00	15.50	729.00	1068.15	3215.47
15.	मिजोरम	2177.51	145.25	35.00	149.00	13.00	23.50	677.82	943.57	3121.08
16.	नागालैंड	1934.23	100.56	78.00	164.00	12.00	20.50	732.23	1107.29	3041.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	सिक्किम	692.69	25.14	23.00		13.00	13.50	24.65	99.29	791.98
18.	त्रिपुरा	3036.33	160.90	21.00	151.00	12.00	61.00	1616.65	2022.55	5058.88
	18 राज्यों का योग	230665.38	10115.92	2143.90	3590.00	146.25	4035.33	26289.94	46321.34	276986.72
	अन्य राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	24572.36	1100.00	92.50	610.00	4.50	528.76	852.37	3188.13	27760.49
2.	गोवा	447.10	19.92	15.50	59.00	4.00	68.44	21.13	187.99	635.09
3.	गुजरात	27990.67	775.35	111.00	440.00	5.00	521.44	838.84	2691.63	30682.30
4.	हरियाणा	6106.80	200.00	30.10	283.00	6.00	184.52	122.76	826.38	6933.18
5.	कर्नाटक	16427.04	807.30	45.00	620.00	9.00	462.08	385.99	2329.37	18756.41
6.	केरल	10535.53	487.27	18.50	330.00	5.00	270.19	91.53	1202.49	11738.02
7.	महाराष्ट्र	27501.20	1483.27	74.50	890.00	3.50	351.07	768.09	3570.43	31071.63
8.	पंजाब	6741.59	372.35	46.50	55.00	4.75	148.39	140.70	767.69	7509.28
9.	तमिलनाडु	17843.30	951.56	61.00	760.00	4.50	1294.39	358.60	3430.05	21273.35
10.	पश्चिम बंगाल	24402.41	1228.91	182.50	290.00	3.50	390.41	1231.17	3326.49	27728.90
	अन्य राज्यों का योग	162568.00	7425.93	677.10	4337.00	49.75	4219.69	4811.18	21520.65	184088.65
	कुल राज्यों का योग	393233.38	17541.85	2821.00	7927.00	196.00	8255.02	31101.12	67841.99	461075.37
1.	दिल्ली	2554.64	232.42	61.00	177.00	5.50	63.00	42.51	581.43	3136.07
2.	पांडिचेरी	181.35	16.84	11.00		2.50	24.00	31.77	86.11	267.46
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	286.56	5.05	11.00		6.00	17.50	236.96	276.51	563.07
4.	चंडीगढ़	152.42	15.16	10.40	46.00	6.00	29.00	69.62	176.18	328.60
5.	दादरा व नगर हवेली	131.25	3.37	8.70		5.00	4.50	50.09	71.66	202.91
6.	दमन और दीव	104.56	3.37	10.00		6.00	11.00	11.66	42.03	146.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	लक्षद्वीप	94.23	1.68	6.50		5.00	6.00	8.27	27.45	121.68
	योग: संघ राज्य क्षेत्र	3505.01	277.89	118.60	223.00	36.00	155.0	450.88	1261.37	4766.38
	सकल योग	396738.39	17819.74	2939.60	8150.00	232.00	8410.02	31552.00	69103.36	465841.75

आईडीएसपी – समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम

आई डी डी – आयोडीन अल्पता विकार

एनवीबीडीसीपी – राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

आपदा प्रबंधन प्रणाली

3922. श्री राकेश सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों में यथा स्थापित आपदा प्रबन्धन प्रणाली भारत में भी उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की जबलपुर के भूकंप आशंकित क्षेत्रों में ऐसी प्रणाली स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) आपदा खतरों से निपटने के लिए देश में आपदा प्रबंधन प्रणालियों को आधुनिकीकृत करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गये हैं। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने राहत एवं पुनर्वास विभागों को आपदा उपशमन तथा प्रवणता में कमी करने पर केन्द्रित करने के लिए आपदा प्रबंधन विभागों में परिवर्तित कर लें। साथ ही, भूकंप प्रवण क्षेत्रों के राज्यों से आवश्यकतानुसार अपने भवन-संबंधी उपनियमों की पुनरीक्षा करने और उनमें संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) जबलपुर के भूकंप प्रवण क्षेत्र में प्रणाली स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।

सड़क निर्माण में मिट्टी का प्रयोग

3923. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छतरपुर (मध्य प्रदेश) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 86 के किलोमीटर 107, 108, 109, 110 (बड़ा मलहार नगर) में दोनों किनारों में 'मुरम' के स्थान पर मिट्टी का प्रयोग किया गया है जिससे आस-पास रहने वाले लोगों को अस्थमा तथा क्षय रोग जैसी घातक बीमारियों सहित स्वास्थ्य संबंधी अन्य खतरे हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 86 में 'मुरम' का प्रयोग कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ऐसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) उपर्युक्त खंडों के शोल्डरों में इस मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुरूप चुनिंदा मृदा का उपयोग किया गया है। शोल्डरों में ऐसी सामग्री के उपयोग को इस क्षेत्र के लोगों को हुई बीमारियों से जोड़ने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए कोई मुआवजा प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में जड़ी-बूटियों का उपयोग

3924. श्री बापू हरी चौरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के वनों में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों का पता लगाने या उध्ययन करने के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में जड़ी-बूटियों का उपयोग करने के लिए स्थापित की गई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, वैस्टर्न सर्किल, पुणे ने राज्य का पुष्पीय सर्वेक्षण करके महाराष्ट्र की राज्य-वनस्पति को तीन खंडों में प्रकाशित किया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में पुष्पण की लगभग 4000 प्रजातियां और औषधीय रूप से महत्वपूर्ण पादपों की लगभग 450 प्रजातियां हैं।

(ग) दिनांक 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में 3 और निजी क्षेत्र में 674 फार्मेसियों सहित महाराष्ट्र में आयुर्वेद की 677 फार्मेसियां हैं।

झारखंड में टेलीफोन अदालतें

3925. **श्री धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान झारखंड के प्रत्येक जिले में टेलीफ़ोन अदालतें किस तिथि को आयोजित हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन अदालतों के समक्ष जिले-वार कितनें मामले आए तथा इनमें से कितने मामलों को निपटाया गया;

(ग) टेलीफोन उपभोक्ताओं को दी गई राहत का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी अदालतों को आयोजित करने के लिए क्या नियम हैं;

(घ) क्या ग़त तीन वर्षों के दोरान इन नियमों का उल्लंघन हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :

(क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) सामान्यत: अदालतें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाती हैं। तथापि, कुछ अदालतें आयोजित नहीं की जा सकीं। ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	1.4.2003 से 31.3.2004				1.4.2004 से 31.3.2005			
	अदालत आयोजित करने की तिथि	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	प्रदत्त राहत संबंधी ब्यौरे (रु.)	अदालत आयोजित करने की तिथि	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	प्रदत्त राहत संबंधी ब्यौरे (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.12.2003	22	22	—	13.08.2004	13	13	—
	28.01.2004	04	04	—	25.01.2005	02	02	—
	17.02.2004	02	02	—	10.02.2005	03	02	—
	17.03.2004	03	03	—	25.02.2005	02	02	—
	24.03.2004	03	03	—	05.03.2005	02	02	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					27.03.2005	02	01	80=00 रु.
	23.01.2004	23	13	4252=00	—	—	—	—
	27.01.2004	17	09	2339=00	—	—	—	—
	12.01.2004	06	06	152=00	14.12.2004	05	05	—
	—	—	—	—	25.02.2005	05	05	—
	19.01.2004	05	05	150=00	—	—	—	—
	04.03.2004	10	10	—	—	—	—	—
	28.01.2004	07	07	—	22.12.2004	06	06	165=00
	20.02.2004	05	05	—	05.02.2005	05	05	—
	25.02.2004	05	05	—	02.03.2005	07	07	—
	—	—	—	—	18.12.2004	06	06	—
	31.05.2003	74	74	21698=00	13.07.2004	61	61	28534=00
	20.09.2003	28	28	4630=00	29.11.2004	30	30	6535=00
	28.01.2004	68	68	27021=00	18.01.2005	23	23	23876
	—	—	—	—	07.03.2005	01	01	—
	—	—	—	—	14.03.2005	12	12	33375=00
	—	—	—	—	29.03.2005	24	24	29923=00
	29.01.2004	25	17	—	—	—	—	—
	04.07.2003	09	09	8266=00	24.09.2004	63	63	3062=00
	29.12.2003	41	41	—	25.09.2004	13	13	6985=00
	30.12.2003	17	17	—	17.02.2005	26	26	—
	05.01.2004	35	35	—	28.02.2005	13	13	—
	06.01.2004	10	10	—	08.03.2005	01	01	—
	—	—	—	—	18.03.2005	01	01	80=00

विवरण-II

सं. 12-1/2001-(पीजी)
भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
10वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग
जनपथ, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 22.06.2001

सेवा में,

सभी दूरसंचार सर्किलों और जिलों के प्रमुख

विषय: टेलीफोन अदालतों का आयोजन

संदर्भ: 18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 11.6.87
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 8.2.88
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 17.9.89
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 22.5.92
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक अक्तूबर, 96
2-2/2000-पीईजी (पीजी) दिनांक 16.12.2001
2-2/2000-पीजी दिनाक 9.2.2001
12.1.2001-पीजी दिनांक 20.3.2001

निर्धारित तारीख को विभाग और पीड़ित उपभोक्ता को आमने-सामने लाने और उपभोक्ता की समस्या को निपटाने के लिए विभाग की आंतरिक व्यवस्था के रूप में दूरसंचार सर्किलों और जिलों में टेलीफोन अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्र

पिछले आदेशों के अनुसार टेलीफोन अदालतों के क्षेत्र में अधिक बिलिंग संबंधी शिकायतों, सेवा संबंधी शिकायतों टेलीफोन कनेक्शनों को प्रदान न करने/विलम्ब से प्रदान करने आदि जैसी टेलीफोन सेवाओं से संबंधित सभी शिकायतों को शामिल किया गया था। अब टेलीफोन अदालतों के क्षेत्र में संबंधित दूरसंचार सर्किलों/जिलों द्वारा प्रदत सभी दूरसंचार सेवाएं और उनके द्वारा जारी किए गए बिल शामिल होंगे। मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली अदालत एसएसए प्रमुख की अध्यक्षता वाली अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय मामलों तथा उन मामलों पर भी विचार कर सकती है जो अलग-अलग नहीं हैं और/अथवा जिनका अप्रत्यक्ष प्रभाव संपूर्ण सर्किल में है। अपील एसएसए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गये तथ्यों पर आधारित होगी। एसएसए प्रमुखों की अध्यक्षता वाली अदालत अधिक बिलिंग संबंधी उन मामलों पर भी विचार कर सकती हैं जिन्हें इन प्रमुखों द्वारा प्रशासनिक प्रमुखों के रूप में अस्वीकृत किया गया है। केवल तीन महीने से अधिक पुराने मामलों पर इन अदालतों द्वारा विचार किया जाए।

अधिकार क्षेत्र और स्थान

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा संचालित की जाने वाली टेलीफोन अदालतों का अधिकार क्षेत्र उसका दूरसंचार सर्किल/जिला होगा। गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख द्वारा संचालित टेलीफोन अदालत का अधिकार क्षेत्र उसका गौण स्विचन क्षेत्र होगा।

समिति

समिति का गठन निम्नवत होगा:

(i) मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली अदालत

(क) दूरसंचार सर्किल/जिले का मुख्य महाप्रबंधक — अध्यक्ष

(ख) सर्किल/जिले का वित्तीय सलाहकार — सदस्य

(ग) सर्किल कार्यालय में पदानुक्रम में मुख्य महाप्रबंधक के बाद आने वाला इंजीनियरिंग अधिकारी — सदस्य

(घ) बीएसएनएल मुख्यालय द्वारा नामित वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक — सदस्य

यदि आवश्यक हो तो वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक द्वारा अपने संयुक्त उप महानिदेशक को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

(i) गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली अदालत

(क) गौण स्विचन क्षेत्र का प्रमुख — अध्यक्ष

(ख) गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख का वित्तीय सलाहकार — सदस्य

(ग) गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख से एक स्तर नीचे का इंजीनियरिंग अधिकारी — सदस्य

(घ) मुख्य महाप्रबंधक द्वारा नामित अधिकारी — सदस्य

आवृत्ति तारीख और समय

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तीन माह में एक बार और गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुखों द्वारा दो माह में एक बार अदालतें आयोजित की जानी हैं। अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएंगी। इन्हें आयोजित करने की तारीख और समय का निर्णय अदालतों के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। मेट्रो जिलों के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तीन माह में एक बार और क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा दो माह में एक बार अदालत आयोजित की जा सकती है। जिन गौण स्विचन क्षेत्रों में एक से अधिक महाप्रबंधकों के पास स्वतंत्र प्रभार है, उनमें स्वतंत्र प्रभार रखने वाले ऐसे सभी महाप्रबंधक अपने क्षेत्र के संबंध में दो माह में एक बार स्वतंत्र अदालतों का आयोजन करेंगे।

प्रचार

मुख्य महाप्रबंधक तथा एसएसए प्रमुख द्वारा अदालते आयोजित करने की सूचना का स्थानीय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए। संबंधित संसद सदस्य तथा विधायकों को अग्रिम सूचना दी जाए। प्रकाशन की तारीख और अदालत की तारीख के बीच कम से कम 30 दिनों के अंतर का प्रावधान होना चाहिए। आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख अदालत की तारीख से 15 दिन पहले हो।

लिया गया निर्णय:

अदालत का निर्णय सकारण आदेश में होना चाहिए। अपने मातहतों द्वारा आयोजित अदालत की गुणवत्ता की समीक्षा मुख्य महाप्रबंधक द्वारा आयोजित अदालत करेगी।

रिकार्ड रखना:

समाधान किए गए मामलों की संख्या, दी गई छूट की राशि की समेकित सूचना तथा सम्पूर्ण सर्किल से संबंधित अन्य संबंधित सूचना सर्किल कार्यालय में रखी जाए। इस सूचना को सर्किल की वेब साइट में डाला जाए ताकि उपभोक्ताओं अथवा बीएसएनएल मुख्यालय की पहुंच हो सके तथा दूरसंचार सर्किल/जिले की विश्वसनीयता में सुधार हो सके। सर्किल स्तर की प्रत्येक अदालत के बाद अदालत में भाग लेने वाले बीएसएनएल मुख्यालय के प्रतिनिधि अपने वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक के माध्यम से एक संक्षिप्त (एक पैरा) रिपोर्ट वरिष्ठ उप महानिदेशक (पीजी) को देंगे। जिसका रिकार्ड वरिष्ठ उप महानिदेशक अपने एकक में रखेंगे।

ह./-
वरिष्ठ डीडीजी (पीजी)
22.6.2001

विवरण-III

गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	2002-03				2003-04				2004-05			
	प्रतिमानकों के अनुसार आयोजित की जाने वाली अदालतों की संख्या	आयोजित की गई अदालतों की संख्या	प्राप्त कुल मामलों की संख्या	निपटाए गए कुल मामलों की संख्या	प्रतिमानकों के अनुसार आयोजित की जाने वाली अदालतों की संख्या	आयोजित की गई अदालतों की संख्या	प्राप्त कुल मामलों की संख्या	निपटाए गए कुल मामलों की संख्या	प्रतिमानकों के अनुसार आयोजित की जाने वाली अदालतों की संख्या	आयोजित की गई अदालतों की संख्या	प्राप्त कुल मामलों की संख्या	निपटाए गए कुल मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रांची	06	02	128	128	06	03	170	170	06	06	151	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमशेदपुर	06	01	28	28	06	02	40	22	06	—	—	—
धनबाद	06	01	41	41	06	05	112	112	06	06	117	117
हजारीबाग	06	01	22	22	06	05	34	34	06	06	24	22
दुमका	06	06	08	08	06	06	38	38	06	06	34	34
डाल्टेनगंज	06	02	05	05	06	01	25	17	06	—	—	—
झारखंड सर्किल कार्यालय	04	04	138	138	04	03	157	157	04	02	28	28
कुल	40	17	370	370	40	25	576	540	40	26	354	352

डाक संक्रियाओं का आधुनिकीकरण

3926. श्री कैलाश मेघवाल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग की आयोजना स्कंध पूरे देश में डाक संक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं के आधुनिकीकरण तथा व्यापक नेटवर्क के विकास पर जोर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पार्सल प्रेषण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राजस्थान में कम्प्यूटरीकृत तथा आधुनिकीकृत किये गए डाकघरों, मुख्य डाकघरों तथा स्पीडपोस्ट केन्द्रों की डाकघर-वार, मुख्य-डाक घर-वार तथा स्पीडपोस्ट केन्द्र-वार संख्या कितनी है; और

(च) आने वाले वित्तीय वर्ष में इस सम्बध में विचार किये जाने वाले प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा इस पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी हां। विभाग की 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 1350 करोड़ रुपए के कुल आबंटन का 79% से अधिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत, कम्प्यूटरीकरण और डाक नेटवर्क एवं इसके प्रचालनों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित किया गया है। 2005-06 में ऐसे कार्यकलापों के लिए 354 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का 86.7% नियत किया गया है। 2005-06 में हाथ में लिए गए आधुनिकीकरण और विकास संबंधी कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है। बहरहाल, दसवीं योजना के अन्तर्गत 7.02 करोड़ रुपए के परिव्यय के पार्सल केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए अभी अनुमोदन नहीं हुआ है।

(ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(च) वर्ष 2005-06 के लिए राजस्थान सहित सम्पूर्ण देश में 2860 बड़े उप-डाकघरों और 350 स्पीड पोस्ट केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य है। शेष बड़े उप डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन पर निर्भर करता है। 2005-06 के दौरान राजस्थान सहित समूचे देश में 205 डाकघरों और 150 स्पीड पोस्ट केन्द्रों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य को कवर किए जाने का लक्ष्य है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	योजना स्कीम/कार्यकलाप	वित्तीय परिव्यय
1.	डाकघरों (एमपीसीएम की स्थापना), लेखा एवं प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं सॉफ्टवेयर विकास	250.10
2.	मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग	1.87
3.	वीएसएटी प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	0.06
4.	प्रचालनात्मक/कार्यकरण प्रणालियों का आधुनिकीकरण (अर्गोनॉमिक्स में सुधार)	16.78
5.	ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग केंद्र	20.00
6.	मेल मूवमेंट का यांत्रिकीकरण/आधुनिकीकरण	0.02
7.	प्रीमियम उत्पादों का आधुनिकीकरण/उन्नयन	3.82
8.	सर्किल स्टाम्प डिपो का आधुनिकीकरण	0.44
9.	अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रोसेसिंग का कंप्यूटरीकरण	0.61
10.	राष्ट्रीय डाटा केंद्र	10.00
11.	पार्सल पोस्ट केंद्रों की स्थापना	3.05
12.	इ .पोस्ट	0.20
13.	ई-बिल पोस्ट	0.10
	कुल	307.05

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गरीब रोगियों का नि:शुल्क उपचार

3927. श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विभिन्न प्रकार की मंहगी चिकित्सा जांचों के लिए गरीब रोगियों को न तो औषधियों और न ही कोई छूट प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्य अस्पतालों द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भेजे गए गरीब तथा गंभीर रोगियों को नि:शुल्क उपचार देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की कैजुअल्टी/इमरजैंसी में आने वाले गरीब रोगियों सहित रोगियों की मुफ्त चिकित्सीय जांच और नैदानिक जांचें की जाती हैं। शल्य चिकित्सीय और उपभोज्य और जीवन रक्षक औषधें भी नि:शुलक प्रदान की जा रही हैं। सामान्य वार्डों में दाखिल किए गए रोगियों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निर्दिष्ट शल्य चिकित्सीय मदें और जीवन रक्षक औषधें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, गरीब और दीनहीन रोगियों जो औषधें और शल्य चिकित्सीय मदें खरीदने का व्यय वहन नहीं कर सकते हैं, को भी निर्धन रोगी निधि, राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि (आरोग्य निधि) प्रधान मंत्री राहत निधि, स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान और स्वयंसेवी संगठन के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विश्व बैंक की धनराशि से अस्पतालों का आधुनिकीकरण

3928. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु किन-किन राज्यों में वित्तीय सहायता खर्च किए जाने की सम्भावना है;

(घ) उक्त आधुनिकीकरण के कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से राज्य के अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, राज्यों में द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन से संबंधित विश्व बैंक सहायता प्राप्त राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है और ये परियोजनाएं आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और पंजाब में पूरी कर ली गई हैं। ऐसी परियोजनाएं उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ङ) और (च) महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक से 550 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता के सुदृढ़ीकरण और सरकारी मेडिकल कालेजों तथा संबद्ध अस्पतालों की भौतिक अवसंरचना में सुधार करने के लिए दिसम्बर, 2001 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव की आर्थिक कार्य विभाग, योजना आयोग और विश्व बैंक से परामर्श कर के जांच की गई। आर्थिक कार्य विभाग ने सूचित किया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विश्व बैंक वित्त पोषण का वर्तमान संकेन्द्रण रोग नियंत्रण, प्राथमिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रोग प्रतिरक्षण पर है। इस प्रकार आयुर्विज्ञान शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विश्व बैंक वित्त पोषण की वर्तमान प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। उपर्युक्त विचार 30 जनवरी, 2004 को राज्य सरकार को सूचित कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

'एम्स' की तरह के संस्थानों हेतु धनराशि

3929. श्री गिरिधर गमांग : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-2006 के दौरान 'एम्स' की तरह के संस्थानों हेतु राज्य और संस्थानवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार का संबंधित राज्यों में इन संस्थानों की स्थापना हेतु क्या सहयोग और योगदान रहा है; और

(ग) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्यप्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) तथा उत्तरांचल (ऋषिकेश), प्रत्येक राज्य में एम्स-जैसी एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ संबद्ध राज्य सरकार से संस्थानों के लिए न्यूनतम 100 एकड़ निःशुल्क भूमि, सड़क कनेक्टिविटी, बिजली तथा जल की आपूर्ति की व्यवस्था करने की अपेक्षा है। चार राज्यों नामतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तरांचल द्वारा प्रस्तावित एम्स जैसी संस्थाओं के लिए भूमि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। पटना तथा जोधपुर में एम्स के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ अपेक्षित भूमि के अंतरण के मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थलों पर एम्स जैसी संस्थाओं के स्तर की सात चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन करने का भी प्रस्ताव है। इन उन्नत संस्थाओं की सुविधाओं का संचालन करने के लिए अपेक्षित कार्मिक शक्ति सहित आवर्ती लागत को संबंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। वर्ष 2005-06 के दौरान, संपूर्ण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम के अन्तर्गत बजट अनुमानों में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

जय विज्ञान योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

3930. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के अनुसार "जय विज्ञान योजना" के अंतर्गत पहचान की गई और स्थापित की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान और अधिक ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 की तिथि के अनुसार योजना के अंतर्गत निर्धारित, स्वीकृत और व्यय की गई कुल धनराशि कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) "जय विज्ञान योजना" के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन

परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। ये परियोजनाएं देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों के माध्यम से 10 मंत्रालय/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में है।

(ख) 2005-2006 के दौरान कोई नई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) योजना के अंतर्गत 21 परियोजनाओं के लिए कुल स्वीकृत राशि 381.71 करोड़ रुपये हैं। योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2004 तक कुल व्यय 305.77 करोड़ रुपये हैं।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	राज्य जहां पर परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं
1	2	3
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	
1.	घरेलू खाद्य-पदार्थ और पौषणिक सुरक्षा	* आंध्र प्रदेश * अरुणाचल प्रदेश * असम * बिहार * छत्तीसगढ़ * गुजरात * हरियाणा * हिमाचल प्रदेश * जम्मू-कश्मीर * झारखंड * कर्नाटक * मध्य प्रदेश
2.	कृषि जैवविविधता का संरक्षण	* अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह * आंध्र प्रदेश * असम * बिहार * छत्तीसगढ़ * गुजरात * हिमाचल प्रदेश * जम्मू-कश्मीर * झारखंड * केरल * मध्य प्रदेश
		* महाराष्ट्र * मेघालय * मिजोरम * नागालैंड * नई दिल्ली * उड़ीसा * राजस्थान * उत्तरांचल * उत्तर प्रदेश * पश्चिम बंगाल

1	2	3
		* महाराष्ट्र
		* मणिपुर
		* मेघालय
		* नागालैंड
		* उड़ीसा
		* पंजाब
		* राजस्थान
		* तमिलनाडु
		* उत्तर प्रदेश
		* उत्तरांचल
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
3.	मेडिसीन में न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	* महाराष्ट्र
	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	
4.	संक्रामक रोगों के लिए नई पीढ़ी के टीके और नैदानिकी का विकास और उत्पादन	किसी विशिष्ट राज्य को नहीं, सभी राज्यों को लाभ पहुंचाएगी
5.	कॉपी सुधार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी उपाय	किसी विशिष्ट राज्य को नहीं, सभी राज्यों को लाभ पहुंचाएगी
6.	हर्बल उत्पाद विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकी उपाय	किसी विशिष्ट राज्य को नहीं, सभी राज्यों को लाभ पहुंचाएगी
7.	जिनोमिक अनुसंधान के लिए मिरर स्थलों की स्थापना	किसी विशिष्ट राज्य को नहीं, सभी राज्यों को लाभ पहुंचाएगी
	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	
8.	लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट (एलटीए) का डिजाइन एवं विकास, निर्माण और उड़न-योग्यता की जांच	किसी विशिष्ट राज्य को नहीं, सभी राज्यों को लाभ पहुंचाएगी
	पर्यावरण और वन मंत्रालय	
9.	नोएडा (एनओआईडीए) वनस्पति उद्यान की स्थापना	* उत्तर प्रदेश
	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
10.	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास	* कर्नाटक * महाराष्ट्र * तमिलनाडु * पश्चिम बंगाल
11.	सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ ब्रैल साक्षरता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	किसी विशिष्ट राज्य को नहीं, सभी राज्यों को लाभ पहुंचाएगी
12.	कैंसर के ईलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित इन्टीग्रेटिड मेडिकल एलआईएनएसी का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	किसी विशिष्ट राज्य को नहीं, सभी राज्यों को लाभ पहुंचाएगी
	महासागर विकास विभाग	
13.	समुद्री थर्मल ऊर्जा परिवर्तन	* तमिलनाडु
	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	
14.	थेलेसीमिया के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन मोड कार्यक्रम	* असम * गुजरात * कर्नाटक * महाराष्ट्र

1	2	3
		* पंजाब
		* पश्चिम बंगाल
15.	रूमैटिक ज्वर/रूमैटिक हृदय रोग रोकथाम के लिए जय विज्ञान राष्ट्रीय मिशन-चरण ।	* चंडीगढ़ (यूटी)
		* कर्नाटक
		* केरल
		* तमिलनाडु
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	
16.	नेत्रहीनों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन	किसी विशिष्ट राज्य को नहीं, सभी राज्यों को लाभ पहुंचाएगी
17.	प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के विशेष संदर्भ के साथ हिमालयी भूविज्ञान के लिए प्रौद्योगिकी मिशन	* आंध्र प्रदेश
		* असम
		* मिजोरम
		* मणिपुर
		* नागालैंड
		* सिक्किम
		* उत्तर प्रदेश
18.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए क्षेत्र विकास मिशन	* अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
	(क) समग्र कार्यनीति का संरूपण	
	(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग करके लैंडस्केप स्तर पर जैवविविधता लक्षण-वर्णन	
19.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जय विज्ञान स्वास्थ्य परियोजना-एक दूरस्थ चिकित्सा निदान प्रणाली	* आंध्र प्रदेश
	अंतरिक्ष विभाग	
20.	रिमोट सेंसिंग और जी आई एस का प्रयोग करके फसल प्रणाली का अध्ययन	* पंजाब
		* पश्चिम बंगाल
21.	आपदा प्रबंधन	* असम
		* बिहार
		* उड़ीसा
		* उत्तर प्रदेश
		* पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में दूरसंचार कार्य

3931. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास, विस्तार और उन्नयन के संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त दूरसंचार कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त दूरसंचार कार्य बहुत धीमी गति से चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मे दूरसंचार के विकास, विस्तार और उन्नयन के संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास, विस्तार और उन्नयन के संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा

I. विकास

क्र.सं.	कार्य-मद	वर्ष	शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	नए टेलीफोन एक्सचेंज	2002-03	44	82	126
		2003-04	0	17	17
		2004-05	03	07	10
2.	वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) सेवाएं (स्टेशनों की संख्या)	2002-03	0	16	16
		2003-04	2	158	160
		2004-05	0	50	50
3.	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	2002-03	—	—	9,041
		2003-04	—	—	3,368.54
		2004-05	—	—	1,464.67

II. विस्तार

क्र. सं.	कार्यमद	2002-03	2003-04	2004-05 (अनंतिम)
1.	लैण्डलाइन(एल/एल) स्विचों का विस्तार	(श) 2,15,883	(श) 44,664	(श) -26,720
		(ग्रा) 2,40,346	(ग्रा)1,09,602	(ग्रा) 72,648
2.	डब्ल्यूएलएल क्षमता का विस्तार	(श) 5,000	(श) 34,750	(गा) 50.000
		(ग्रा) 8,500	(ग्रा) 1,46,100	

श-शहरी

ग्रा-ग्रामीण

III. उन्नयन

क्र.सं.	कार्य-मद	वर्ष	संख्या
1	2	3	4
1.	एकल आधारित मॉड्यूल का रिमोट स्विचिंग यूनिट में (एसबीएम का आरएसयू में)	2002-03	53
		2003-04	646
		2004-05	296
2.	सी 2 का एएनआरएएक्स में परिवर्तन	2002-03	0
		2003-04	352
		2004-05	1,337

[अनुवाद]

लेट्रोजोल का क्लिनिकल परीक्षण

3932. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्तानोत्पत्ति हेतु डी.सी.जी.आई. की सूचना के बिना क्लिनिकल परीक्षण के तौर पर लेट्रोजोल को औषध के रूप में प्रयुक्त करने पर सन फार्मा विनिर्माताओं के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सन्तानोत्पत्ति हेतु लेट्रोजोल (कैंसर रोधी औषध) के अवैध उपयोग में अभी भी लगी किसी ऐसे क्लीनिक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) देश में स्तन कैंसर की प्रथम और द्वितीय लाइन थिरेपी के लिए लिट्रोजोल को मैसर्ज सन फार्मा, नाटको फार्मा और सिप्ला लिमिटेड आदि द्वारा विनिर्माण के लिए अनुमोदित किया गया है।

तथापि, अण्डोत्सग के प्रेरण में लिट्रोजोल की उपयोगिता के बारे में मेडिकल जर्नलों में अन्तरराष्ट्रीय रूप से प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर वन्ध्यता के उपचार के लिए स्त्रीरोग विज्ञानियों द्वारा लिट्रोजोल के उपयोग के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। विशेषज्ञों के परामर्श के साथ इस मंत्रालय में मामले की जांच की गई। लक्षण के लिए मेडिकल प्रेक्टिशनरों द्वारा औषध के ऐसे उपयोग को अभी तक अधिकारिक रूप से "औषधों का लेबल से हटकर उपयोग" के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है और डाक्टरों द्वारा यह पूरे विश्व भर में दी जाती है।

तथापि, मैसर्ज सन फार्मास्यूटिक्लस लिमिटेड, मैसर्ज डाबर इंडिया लिमिटेड सहित फर्मों को भारतीय महिलाओं में वन्ध्यता के उपचार के लिए अपने लिट्रोजोल फार्मूलेशनों को बढ़ावा नहीं देने के लिए सख्त रूप से चेतावनी दी गई है।

[हिन्दी]

आन्ध्र प्रदेश में एस.टी.डी. सुविधा वाले टैलीफोन केन्द्र

3933. श्री एम. अंजनकुमार यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में आज की तिथि तक कितने तालुका या तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा युक्त दूरभाष केंद्र हैं;

(ख) राज्य में ऐसे कितने तालुका हैं जहां अभी तक यह सुविधा नहीं है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे तालुका मुख्यालयों में कब तक यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) आंध्र प्रदेश में 316 तालुका मुख्यालय हैं। सभी 316 तालुका मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा सहित टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान किए गए हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा

3934. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को कब तक हासिल कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) स्थानीय कॉल आधार पर, पहाड़ी क्षेत्रों सहित, पूरे देश को इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीएसएनएल ने पाहड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा अवसंरचना की चालू परियोजनाएं पूरी करने हेतु 11 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है।

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने देश के पहाड़ी तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करने का कार्य आरंभ किया है ताकि इन क्षेत्रों का

सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। सीआईसी, आईटी समर्थित ई-सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों के इंटरफेस हैं और इनमें वीएसएटी, कम्प्यूटरों तथा पैराफैरल्स के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है जिसका ब्यौरा निम्नवत है:-

(i) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मीजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 वर्षे के लिए 242 करोड़ रुपए के परिव्यय से ब्लॉक स्तर पर 487 सीआईसी स्थापित किए गए हैं। फरवरी 2002 से लेकर इस परियोजना के लिए 141.62 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। परियोजना एनआईसी/एनएफसीएसआई द्वारा कार्यान्वित की गई है।

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों के अनुभवों के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 41.67 करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्षों के लिए जम्मू और कश्मीर में ब्लॉक पर 135 सीआईसी स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया है। फरवरी 2004 से इस परियोजना के लिए 24.96 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। यह परियोजना एनआईसी/एनआईसीएसआई द्वारा दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है, अर्थात् पहले चरण में अक्तूबर, 2004 तक 60 सीआईसी तथा दूसरे चरण में अक्तूबर 2005 तक शेष 75 सीआईसी स्थापित किए जाएंगे।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 5 वर्ष के लिए 21.75 करोड़ रुपए के परिव्यय से अंडमान और नीकोबार में 41 सीआईसी तथा लक्षद्वीप समूह में 30 स्कूल स्थापित करने का कार्य आरंभ किया है। इस परियोजना के लिए फरवरी 2005 से 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। ईआरएनईटी (अर्नेट) इंडिया द्वारा यह परियोजना दिसम्बर 2005 तक 71 सीआईसी स्थापित करने हेतु कार्यान्वित की जा रही है।

(iv) योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा, 4 वर्ष के लिए 85.59 करोड़ रुपए के परिव्यय से 328 सीआईसी (ब्लॉक स्तर पर 95 तथा ग्रामीण स्तर पर 233) स्थापित करने की योजना की पुनरीक्षा की जा रही है।

(v) देश के अन्य भागों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग समस्त देश के ग्रामीण क्षेत्रों में "सामान्य सेवा केन्द्र" (कॉमन सर्विस सेंटर) स्थापित करने की एक योजना तैयार कर रहा है। इस प्रयोजनार्थ, उपयुक्त सार्वजनिक निजी भागीदारियों (पीपीपी) के माध्यम से "सामान्य सेवा केन्द्र" स्थापित करने के कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों के प्रारूप तैयार किए गए हैं। ऐसे केन्द्रों में यह लचीलापन होगा कि वे स्थानीय समुदाय की आवश्यकतानुसार मिली-जुली सेवाओं (स्थानीय सेवाओं सहित सरकारी तथा गैर-सरकारी) की पेशकश कर सकेंगे।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी दवाओं की दुकानों का नेटवर्क

3935. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देशभर की सरकारी दवाओं की दुकानों का नेटवक्र स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सरकारी दवाओं की दुकानों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय सड़क निधि से सहायता

3936. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ प्रमुख सड़कों के सुधार और उन्नयन हेतु मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राक्कलन प्रस्तुत करके गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि से वित्तीय

सहायता प्रदान करने के संबंध में केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उनके नाम क्या-क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की सूची और उनका ब्योरा संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

क्रम सं.	सड़क का नाम और कार्य का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव प्राप्त होने का माह	धनराशि (लाख रु.)
1	2	3	4
1.	परौर-लहला-चचेन-लुगरीभट्टी-बंडला-पालमपुर सड़क पर 1/315 कि.मी. (आर डी) पर नौगल खड पर 2 लेन के 154 मी. लंबे प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट गर्डर पुल का निर्माण	मई, 2002	242,90
2.	हिमाचल प्रदेश में 38/800 से 50/200 कि.मी. तक नांगल मुबारिकपुर तलवाड़ा सड़क का सुदृढ़ीकरण	जून, 2002	193.13
3.	0/0 से 8/15 और 8/15 से 15/25 कि.मी. तक धर्मशाला-योल-दाध-पालमपुर सड़क का सुदृढ़ीकरण	जून, 2002	270.00
4.	0/0 से 7/0 और 28/0 से 48/0 कि.मी. तक बनेठी-बागथन-राजगढ़-चंडोल सड़क का सुधार	जून, 2002	236.00
5.	0/0 से 24/0 कि.मी. तक रामशिला-बिजली-महादेव सड़क के शेष कार्य का निर्माण	जून, 2002	304.00
6.	149/645 से 154/045 कि.मी. तक एम आर आर वाया लक्कड़ बाजार सड़क का सुदृढ़ीकरण/गुणता सुधार	अग., 2002	127.29
7.	0/0 से 2/370 कि.मी. तक छोटा शिमला कसुमपती-पठानघाट सड़क का सुदृढ़ीकरण/गुणता सुधार	अग., 2002	58.03
8.	कांगड़ा जिले में इंदपुर-टप्पा सड़क पर तारा खड पर 225.7 मी. स्पैन के पुल का निर्माण	दिस., 2002	110.77
9.	0/0 से 19/705 कि.मी. तक ध्योग कोटखाई हटकोटी सड़क का सुधार और उन्नयन (राज्यीय राजमार्ग: 8/0 से 13/255 कि.मी तक सुधार/उन्नयन)	फर., 2004	207.46

1	2	3	4
10.	23/705 से 72/800 कि.मी. तक थ्योग कोटखाई हटकोटी सड़क का सुधार और उन्नयन (राष्ट्रीय राजमार्ग: 34/0 से 39/0 कि.मी. तक सुधार/उन्नयन)	फर., 2004	288.32
11.	23/705 से 72/800 कि.मी. तक थ्योग कोटखाई हटकोटी सड़क का सुधार और उन्नयन (राष्ट्रीय राजमार्ग: 68/0 से 72/705 कि.मी. तक सुधार/उन्नयन)	फर., 2004	227.29
12.	0/0 से 4/487 कि.मी. तक कांगड़ा बाइपास का निर्माण	नव., 2004	234.60
13.	61/00 से 95/00 कि.मी. तक बनेठी-बागथन-राजगढ़-चंडोल सड़क का सुधार	मार्च, 2005	285.40

टेलीफोन कनेक्शनों का स्थानान्तरण

3937. श्रीमती निवेदिता माने : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.टी.एन.एल. द्वारा आवासों को बदलने पर एक केंद्र से दूसरे केंद्र में टेलीफोनों के स्थानान्तरण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एम.टी.एन.एल. के पास विशेषत: एलवर्ट स्कवायर से जोर बाग एक्सचेंज के अधीन जनपथ एक्सचेंज के अंतर्गत लोधी रोड एक्सचेंज तक टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानान्तरण के संबंध में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में कौन-कौन से अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी पाए गए हैं; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) टीआरएआई मानक के अनुसार, 3 दिनों के भीतर टेलीफोन शिफ्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एमटीएनएल द्वारा अलग-से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) जनपथ एक्सचेंज से जोरबाग एक्सचेंज में टेलीफोन शिफ्ट करने का एक मामला प्राप्त हुआ था, जहां उपभोक्ता द्वारा आवेदन में अधूरा पता लिखने के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। तथापि, अब पार्टी का सही पता प्राप्त कर लिया गया है और टेलीफोन शिफ्ट कर दिया गया है।

(घ) से (च) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

राज्यों का वर्गीकरण

3938. श्री मोहन सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को विकसित, अल्पविकसित और पिछड़े राज्य की कोटि में वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पहचान के बाद कोटि-वार राज्यों के नाम क्या है;

(ग) पिछड़ी कोटि के राज्यों के विकास हेतु सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पिछड़े/अल्प विकसित राज्यों हेतु विशेष विकास पैकेज प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो पैकेज का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, विशेष श्रेणी राज्यों का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो बहुल जनजातीय जनसंख्या सहित मुख्यत: पर्वतीय क्षेत्र हैं तथा अविकसित समाजार्थिक अवसंरचना, कम राजस्व आधार और राज्य की वित्तीय गैर-व्यवहार्य प्रकृति एवं समग्र आर्थिक पिछड़ेपन सहित संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में स्थित हैं। ये विशेष श्रेणी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल हैं। इन राज्यों को, गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की 30:70 की तुलना में 90:10 की अनुदान-ऋण अनुपात में केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

रिक्तियों को बनाए रखने की प्रक्रिया

3939. **श्री शैलेन्द्र कुमार** : क्या प्रधानमंत्री 16 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1973 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्तियों को बनाए रखने के संबंध में प्रक्रिया/प्रणाली क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने समूह 'घ' के आशुलिपिकों की परीक्षा आयोजित की है जो मैट्रिक स्तर की संयुक्त परीक्षा की स्कीम के अनुरूप नहीं था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त परीक्षा हेतु आवेदनों के आमंत्रण से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कुल कितनी धनराशि संग्रहित की गई है;

(ङ) क्या कर्मचारी चयन आयोग का विचार उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान की गई धनराशि को वापस करने का है या उस धनराशि को आगामी किसी परीक्षा हेतु आवेदन धन के रूप में समायोजित करने का है क्योंकि यह परीक्षा अब रद्द हो गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवश्यक कार्रवाई कब तक की जाएगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) साकार के मौजूदा निर्देशों में यह निर्धारित है कि प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष दर वर्ष होने वाले रिक्तियों तथा उनके भरे जाने के बारे में सतत लेखा-जोखा रखते हुए एक रिक्ति पंजी रखी जाए तथा इसे अद्यतन रखा जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कुल 51,645 उम्मीदवारों ने आवेदन किया तथा आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 50 रुपए की दर से शुल्क जमा किया था।

(ङ) और (च) उम्मीदवारों द्वारा उपर्युक्त परीक्षा हेतु जमा कराई गई राशि को लौटाने के बारे में आयोग ने पहले ही अपेक्षित आदेश जारी कर दिए हैं। इस बारे में इम्प्लायमैंट न्यूज/रोजगार समाचार में तथा अंग्रेजी/हिन्दी के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करके इसका उचित प्रचार भी किया गया।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.एस.एम. एन्ड एच.सी.जी.एच.एस. एककों हेतु नीति/मानदंड

3940. **श्री रनेन बर्मन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चरण बद्ध तरीके से भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी पद्धति (आई.एस.एम. एन्ड एच.), सी.जी.एच.एस. इकाइयां खोलने हेतु क्या नीति/मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) एलोपैथिक औषधालयों की तुलना में इसके लिए अपेक्षित संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2000 से आज तक उक्त नीति/मानदंड का पालन करते हुए खोले गए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी एककों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) एस आई यू मानकों के अनुसार, मौजूदा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहर

में एक नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए मानदण्ड 2000 कार्डधारक (सेवारत/पेंशनर) हैं जिससे लगभग 10,000 लाभार्थी बनते हैं। किसी नए शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना बढ़ाने के लिए कम से कम 6000 कार्डधारक (सेवारत/पेंशनर) अपेक्षित होते हैं जिससे लगभग 30,000 लाभार्थी बनते हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी/आयुष औषधालय/यूनिटें खोलने के लिए कोई निश्चित मानक नहीं हैं। ये यूनिटें औचित्य के आधार पर और कार्मिकशक्ति व संसयाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों की आवश्यकता/मांग के अनुसार खोली जाती हैं।

एक किराए के निजी भवन/सरकारी आवास और संबंधित अवसंरचना व वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता के अलावा, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार एस आई यू मानकों के अनुसरण में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक औषधालय के खोलने के लिए अपेक्षित पदों के सृजन/भरने की आवश्यकता होती है:-

चिकित्सा अधिकारी	दो
फार्मासिस्ट	दो
स्टाफ नर्स	एक
अवर श्रेणी लिपिक	एक
सफाईवाला, चौकीदार और अन्य समूह 'घ' स्टाफ	छह

चूंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी यूनिटें उन भवनों में खोली जाती हैं जहां पर पहले से कोई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक औषधालय कार्यरत होता है, अवर श्रेणी लिपिक, सफाईवाला, चौकीदार और अन्य समूह 'घ' स्टाफ की सेवाओं का साझा उपयोग करने के अलावा, एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी यूनिट के लिए निम्नलिखित पदों के सृजन/भरने की आवश्यकता होती है:-

चिकित्सा अधिकारी	दो
फार्मासिस्ट	एक

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए औषधालय

क्रमांक	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर का नाम	आयुष का प्रकार	स्वीकृत आयुष औषधालयों की संख्या
1.	त्रिवेन्द्रम	आयुर्वेदिक	एक
2.	त्रिवेन्द्रम	होम्योपैथिक	एक
3.	गुवाहाटी	आयुर्वेदिक	एक
4.	गुवाहाटी	होम्योपैथिक	एक
5.	दिल्ली	यूनानी	एक
6.	दिल्ली	सिद्ध	एक
7.	दिल्ली	योग केन्द्र	एक

[हिन्दी]

परिवार नियोजन केन्द्र

3941. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विशेषत: हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषत: पिछड़े, पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त केन्द्रों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार, वर्ष-वार आबंटित राशि कितनी है;

(ङ) क्या उक्त धनराशि विभिन्न उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस धनराशि को बढ़ाने का है जिससे कि सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें; और

(छ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) देश में परिवार कल्याण सेवाएं उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्रमश: 2067, 438 और 66 है। इन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में देखा जा सकता है।

इन केन्द्रों की स्थापना के लिए दसवीं योजना के लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। यद्यपि, केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य दिया जाता है, फिर भी अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इन केन्द्रों की स्थापना करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(घ) और (ङ) पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यवार जारी की गई निधियां संलग्न विवरण-III में दी गई हैं। भारत सरकार प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रमुख सिविल कार्य स्कीम के अधीन मौजूदा स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना की मरम्मत, नवीनीकरण और विस्तार के लिए निधियां प्रदान करती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रमुख सिविल कार्य के अधीन जारी की गई निधियां संलग्न विवरण-IV में दी गई हैं। छोटे सिविल कार्यों के अधीन 1997 से 49 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन सेवाओं के अनुरक्षण के लिए, ये निधियां पर्याप्त हैं।

(च) और (छ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-II के अधीन इन केन्द्रों और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुरक्षण के लिए और अधिक निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

सारणी 9

कार्यरत उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12522	1490	161
2.	अरुणाचल प्रदेश	376	78	31
3.	असम	5109	610	100
4.	बिहार	10337	1648	101
5.	छत्तीसगढ़	3818	516	116
6.	गोवा	172	19	5
7.	गुजरात	7274	1070	271
8.	हरियाणा	2433	408	72
9.	हिमाचल प्रदेश	2067	438	66
10.	जम्मू-कश्मीर	1879	334	70
11.	झारखण्ड	4462	561	47
12.	कर्नाटक	8143	1679	253
13.	केरल	5094	933	115
14.	मध्य प्रदेश	8835	1194	227
15.	महाराष्ट्र	9727	1780	382
16.	मणिपुर	420	72	16
17.	मेघालय	401	95	23
18.	मिजोरम	351	57	12
19.	नगालैण्ड	394	87	21
20.	उड़ीसा	5927	1282	231
21.	पंजाब	2852	484	117
22.	राजस्थान	9926	1675	298
23.	सिक्किम	147	24	4
24.	तमिलनाडु	8682	1380	35

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	539	73	9
26.	उत्तरांचल	1525	229	36
27.	उत्तर प्रदेश	18577	3640	294
28.	पश्चिम बंगाल	10356	1173	95
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	107	20	4
30.	चंडीगढ़	13	0	1
31.	दादरा व नगर हवेली	38	6	1
32.	दमन व दीव	21	3	1
33.	दिल्ली	42	8	0
34.	लक्षद्वीप	14	4	3
35.	पांडिचेरी	75	39	4
	अखिल भारत	142655	23109	3222

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के दसवीं योजना (2002-2007) तथा वर्ष 2004-05 के वार्षिक लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप केन्द्र		पी एच सी		सी एच सी	
		10वीं योजना के लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य 2004-05	10वीं योजना के लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य 2004-05	10वीं योजना के लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य 2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	321	76	208	50
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	116	27	81	19
4.	बिहार	1215	288	319	75	403	95
5.	छत्तीसगढ़	874	208	159	39	26	6
6.	गोवा	0	0	4	1	1	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	4	1
8.	हरियाणा	183	43	12	2	39	9
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	115	27	122	29
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	19	5
13.	केरल	0	0	0	0	75	18
14.	मध्य प्रदेश	0	0	123	29	100	24
15.	महाराष्ट्र	808	192	0	0	88	21
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	51	12	0	0	6	1
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	23	5	8	2	5	1
20.	उड़ीसा	447	106	0	0	108	25
21.	पंजाब	0	2	0	0	14	3
22.	राजस्थान	0	0	0	0	49	12
23.	सिक्किम	0	0	0	0	2	1
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	237	55
25.	त्रिपुरा	40	9	38	9	13	3
26.	उत्तरांचल	155	37	8	2	36	8
27.	उत्तर प्रदेश	1997	474	0	0	588	126
28.	पश्चिम बंगाल	2230	529	464	110	332	61
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	0	0	2	1	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	4	1	1	0	1	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	148	35	24	6	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	अखिल भारत	*8181	1941	1714	405	2562	574

नए आर.एफ.डब्ल्यू.सी. की स्थापना के कोई लक्ष्य नहीं दिए गए हैं।

*रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रति 3000 जनसंख्या पर उपकेन्द्र के जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में उपकेन्द्र खोलने के कार्य को शामिल करने की दृष्टि से यह संख्या संशोधित करके 8996 की गई।

विवरण-III

उप केन्द्रों के संचालन और अनुरक्षण के लिए जारी किए गए राज्यवार सहायता अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्तियां 2000-01	निर्मुक्तियां 2001-02	निर्मुक्तियां 2002-03	निर्मुक्तियां 2003-04	परिव्यय 2004-05
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3000.00	3450.00	9615.33	9848.57	9203.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.00	185.00	251.43	10.05	253.56
3.	असम	3020.00	4700.00	9195.00	4711.82	4737.92
4.	बिहार	6000.00	3725.00	9402.51	8710.40	9003.00
5.	छत्तीसगढ़		1280.00	3474.67	3869.53	3324.88
6.	गोवा	50.00	55.00	54.02	163.98	150.16
7.	गुजरात	2900.00	3350.00	6620.45	6454.20	6335.24
8.	हरियाणा	980.00	1110.00	2093.32	2030.51	2002.56
9.	हिमाचल प्रदेश	750.00	815.00	1884.37	1862.75	1802.04
10.	जम्मू-कश्मीर	850.00	870.00	547.74	1509.71	1481.40
11.	झारखण्ड		3155.00	4058.95	4420.06	3886.24
12.	कर्नाटक	2575.00	3650.00	7429.15	6941.30	7092.16

1	2	3	4	5	6	7
13.	केरल	2530.00	3000.00	4635.48	4924.75	4436.48
14.	मध्य प्रदेश	4300.00	2550.00	4730.31	6622.71	7080.08
15.	महाराष्ट्र	4025.00	4800.00	8849.20	9076.87	8469.84
16.	मणिपुर	185.00	390.00	746.93	103.26	389.80
17.	मेघालय	195.00	300.00	727.80	182.98	381.80
18.	मिजोरम	75.00	185.00	532.22	238.24	320.16
19.	नगालैण्ड	140.00	285.00	540.00	66.40	280.40
20.	उड़ीसा	2550.00	2935.00	5393.87	5162.24	5162.52
21.	पंजाब	700.00	785.00	670.01	2761.24	2482.72
22.	राजस्थान	4500.00	4520.00	9031.06	9382.99	8644.56
23.	सिक्किम	90.00	195.00	258.75	46.50	136.20
24.	तमिलनाडु	3600.00	4280.00	7897.34	8474.30	7560.24
25.	त्रिपुरा	310.00	510.00	967.50	140.17	500.16
26.	उत्तरांचल		1463.00	1385.23	1533.70	1327.40
27.	उत्तर प्रदेश	8540.00	5852.00	16947.74	17789.37	16223.80
28.	पश्चिम बंगाल	4300.00	4485.00	73943.32	824.11	7077.12
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	105.50		एनए	एनए	186.20
30.	चंडीगढ़	9.00		एनए	एनए	24.21
31.	दादरा व नगर हवेली	12.30		एनए	एनए	67.03
32.	दमन व द्वीप	13.50		एनए	एनए	39.10
33.	दिल्ली	21.00	30.00	एनए	37.25	59.00
34.	लक्षद्वीप	10.50		एनए	एनए	26.07
35.	पांडिचेरी	29.00	40.00	77.67	92.48	112.00
	अखिल भारत	56450.80	62950.00	126412.37	125411.44	120259.61

एन ए : अनुपलब्ध

विवरण-IV

प्रमुख सिविल कार्य

क्र.सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	कुल निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण									आंकड़े करोड़ में
		1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल जारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश			56284000				36989000		93273000	9.33
2.	अरुणाचल प्रदेश		13590622				9409278		13905795	36905695	3.7
3.	असम					47000000			38945000	85945000	8.59
4.	बिहार					0	95855600	0		95855600	9.58
5.	चंडीगढ़				28710000					28710000	2.87
6.	गोवा										
7.	गुजरात		51019000				18665000			69684000	6.97
8.	हरियाणा				19518031			30457835		49975866	5
9.	हिमाचल प्रदेश		17200000				14134000	27299000		58633000	5.86
10.	जम्मू-कश्मीर				30395000	19933945	16780655			67109600	6.71
11.	कर्नाटक				88300000	20000000	151000000			259300000	25.93
12.	केरल		59240000	9389000	14800000					83429000	8.34
13.	मध्य प्रदेश				73062439					73062439	7.3
14.	महाराष्ट्र		11794000		16547000	36446157		126275909		191063066	19.11
15.	मणिपुर			4000000	10000000		8000000			22000000	2.2
16.	मेघालय	3500000								3500000	0.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मिजोरम		9060000		940000				2000000	12000000	1.2
18.	नागालैण्ड				6000000		6000000	10000000	9000000	31000000	3.1
19.	उड़ीसा				51775161				59037339	110812500	11.08
20.	पंजाब								11415416	11415416	1.14
21.	राजस्थान				88947000	89982000				178929000	17.89
22.	सिक्किम		4000000				2000000		2000000	8000000	0.8
23.	तमिलनाडु				40230000		53740000		50585000	144555000	14.46
24.	त्रिपुरा		6587000				4705000			11292000	1.13
25.	उत्तर प्रदेश			27025000			142442000			169467000	16.95
26.	उत्तरांचल				19159000					19159000	1.92
27.	पश्चिम बंगाल				3635674	68395655				72031329	7.2
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह				1915085			715875		2630960	0.26
29.	चंडीगढ़										
30.	दादरा व नगर हवेली										
31.	दमन व दीव						2000000			2000000	0.2
32.	दिल्ली										
33.	लक्षद्वीप				1359900		640100			2000000	0.2
34.	पांडिचेरी				1180000				5809600	6989600	0.7
	कुल	3500000	172490622	96698000	496474290	281757757	525371633	231737619	192698150	2000728071	200.07

एस आई पी के अन्तर्गत निर्मुक्त निधियां।

पांडिचेरी और केरल राज्यों के लिए 174 लाख रुपए देने पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

असम में नये चिकित्सा महाविद्यालय

3942. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम में नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) असम सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, डाउन टाउन चेरिटी ट्रस्ट, गुवाहाटी द्वारा असम में पानीखैटी, कामरूप में नया मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मूल्यांकन के लिए इस प्रस्ताव से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेजा गया है। प्रस्ताव की क्लीयरेंस भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमनों में निर्धारित अर्हता मानकों को पूरा करने, एम बी बी एस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता और इस पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिश पर निर्भर करती है।

टैंकरों को कबाड़ में डालना

3943. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल मेरीटाइम आर्गेनाइजेशन ने 1977 से पूर्व निर्मित टैंकरों को कबाड़ में डालना पोत फर्मों के लिए अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनके पास 1977 से पूर्व निर्मित टैंकर हैं;

(ग) देश में पोत भंजक यार्डों की क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) पोत भंजक यार्डों को अब तक प्राप्त हुए आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां। संशोधित अंतर राष्ट्रीय समुद्री संगठन-विनियम में यह अनुबद्ध है कि 1982 से पहले बने एकल हल तेल टैंकर, आकार और श्रेणी के आधार पर, 05 अप्रैल, 2005 से, धीरे-धीरे, चरणबद्ध ढंग से इस्तेमाल करने बंद कर दिए जाने हैं।

(ख) किसी भी भारतीय नौवहन-कंपनी द्वारा 1977 से पहले बने तेल टैंकर नहीं चलाए जा रहे हैं।

(ग) पोत-भंजक यार्डों की क्षमता, लगभग 4 मिलियन टन प्रति वर्ष है।

(घ) वर्ष, 2004-2005 के दौरान, विभिन्न शिपयार्डों में लगभग 1.0 मिलियन टन पोत किनारे चढ़ा दिए गए हैं।

(ङ) पोत-भंजक यार्डों के वाणिज्यिक काम-काज के संचालन में सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती।

बुनियादी फोन तथा मोबाइल फोन के प्रभार

3944. डा. राजेश मिश्रा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रयोग से इनकी संख्या बुनियादी फोनों से अधिक हो गई है;

(ख यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को हैंडसैट खरीदने के लिए ज्यादा लागत अदा करनी पड़ती है और मोबाइल फोनों से हुई कालों के प्रति मिनट प्रभार महंगे हैं; और

(घ) यदि हां, तो आरम्भिक स्तर पर बुनियादी फोन और मोबाइल फोन लेने की लागत का अंतर कितना है और बुनियादी फोन और मोबाइल फोन की प्रति मिनट कॉल प्रभार का वास्तविक अंतर कितना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, 416.30 लाख स्थिर फोनों की तुलना में मोबाइल

फोनों की संख्या 129.80 लाख थी। तथापि, 28.02.2005 की स्थिति के अनुसार, 463.35 लाख स्थिर फोनों की तुलना में मोबाइल फोनों की संख्या बढ़कर 508.06 लाख हो गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, स्थिर फोनों एवं सेल्युलर फोनों के लिए अभिदान लागत (सब्सक्रिप्शन कॉस्ट) तथा प्रति कॉल प्रभार विभिन्न प्रचालकों द्वारा पेश की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अलग-अलग होती है।

बेतार बुनियादी फोनों का प्रयोग

3945. श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में बेतार बुनियादी फोनों का प्रयोग बी. एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के बुनियादी फोनों की तुलना में किफायती तथा अधिक सुविधाजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी और दूरस्थ गांवों में बेतार बुनियादी फोनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) स्थिर बेतार सेवाओं और वायरलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए टैरिफ में कोई अन्तर नहीं है। बेतार स्थिर फोन सामान्यत: लागत प्रभावी होते हैं, तथापि शहरी क्षेत्रों में लागत प्रभाविता के संबंध में लैण्ड लाइनों की अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता, स्पैक्ट्रम संबंधी दबाव और मांग के आकार आदि को ध्यान में रखना होता है। स्थिर बेतार सेवाओं के मामले में, उपभोक्ता यूनिट को बाह्य विद्युत स्रोत द्वारा चार्ज करने की आवश्यकता होती है, जबकि वायरलाइन सेवाओं के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं होती।

(ग) उप-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे दूर-दराज/सुदूर स्थानों पर जहां निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज 5 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थित है, तथा वायरलाइन अवसंरचना बिछाने का कार्य काफी लागत वाला है, ऐसे स्थानों पर मुख्यत: स्थिर वायरलैस सेवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। टेलीफोन सुविधा रहित गांवों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई है कि शेष बचे अधिकतर ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी पर लगाए जाएं।

आशुलिपिक के रिक्त पद

3946. श्री पारसनाथ यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रेड 'सी' और 'डी' आशुलिपिकों के भरे गए पदों की संवर्ग-वार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) मंत्रालय में विशेषत: अनुसूचित जाति की ग्रेड 'सी' और 'डी' आशुलिपिकों की रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन रिक्तियों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए अनुसार आशुलिपिक ग्रेड ''सी'' के पद और आशुलिपिक ग्रेड ''डी'' के 6 पद भरे गए है:-

आशुलिपिक ग्रेड ''सी''

वर्ष	सामान्य	अनु. जाति	अनु. ज.जाति	पिछड़ा वर्ग	कुल
2002-03	11	1	4	—	16
2003-04	2	2	—	—	4
2004-05	24	2	1	—	24
आशुलिपिक ग्रेड ''डी''					
2002-03	—	—	—	—	—
2003-04	—	—	—	—	—
2004-05	6	—	—	—	6

(ख) अभी फिलहाल आशुलिपिक ग्रेड सी की 23 और आशुलिपिक ग्रेड ''डी'' की 37 रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों में ग्रेड ''सी'' में 2 और ग्रेड ''डी'' में 6 रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) और (घ) 2003 और 2004 में ग्रेड ''सी'' की सीधी भर्ती के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई। आशुलिपिक ''डी'' के लिए, पद खाली रहने का कारण आशुलिपिक ग्रेड ''डी'' बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में लिपिकों द्वारा सीमित विभागीय परीक्षा पास नहीं किया जाना है। विदेश मंत्रालय ने आशुलिपिक ग्रेड ''सी'' और ''डी'' दोनों को रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को कहा गया है और उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होते ही रिक्तियों को भरा जाएगा।

द्वितीय कंटेनर टर्मिनल की स्थापना

3947. **श्री के.सी. पलनिसामी :** क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चैन्नई पत्तन पर द्वितीय कंटेनर टर्मिनल की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा चैन्नई पत्तन न्यास को इसकी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता कितनी है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार ने दूसरा कंटेनर टर्मिनल कायम किए जाने के प्रति सैद्धांतिक अनुमोदन, 31.03.2005 को चैन्नई-पत्तन-न्यास को संसूचित कर दिया है। उपर्युक्त टर्मिनल, आधुनिकीकृत पूर्वी घाट (क्वे) और उससे सटे 826 मीटर लम्बे दक्षिण घाट (क्वे) पर विकसित किया जाएगा। लगभग 28 हैक्टेयर भूमि, पार्किंग यार्ड/सहायक क्षेत्र विकसित किए जाने के लिए उपलब्ध है। उपर्युक्त टर्मिनल विकसित किए जाने पर 495.00 करोड़ रु. की लागत आने का अनुमान है और उपर्युक्त टर्मिनल, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर विकसित किया जाएगा। चेन्नई-पत्तन, विकासात्मक निर्माण-कार्यों के संबंध में 100 करोड़ रु. का योगदान करेगा और उपर्युक्त परियोजना की शेष लागत से संबंधित खर्च, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर उपर्युक्त टर्मिनल विकसित किए जाने से संबंधित कार्य के संचालक द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) पत्तनों में विकासात्मक कार्य-कलाप, महापत्तनों द्वारा, पत्तनों के काम-काज के संचालन से उपलब्ध अधिशेष से किए जाते हैं। भारत-सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, चेन्नई-पत्तन को विकासात्मक कार्य-कलापों के लिए कोई भी वित्तीय सहायता सुलभ नहीं करवाई है।

यूरेनियम बरामद करना

3948. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
श्रीमती मनोरमा माधवराज :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस को बरेली में पकड़े गए दो व्यक्तियों के पास रेडियोधर्मी यूरेनियम मिला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे स्रोत कौन से हैं जिनसे यूरेनियम अवैध हाथों में पहुंचा; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा बरेली में जब्त की गई सामग्री अवक्षयित यूरेनियम (डी यू) का एक छोटा सा प्लेट की शक्ल का टुकड़ा था। उस टुकड़े की सतह पर गामा विकिरण का स्तर इतना ज्यादा कम होता है कि वह 40 सेंटीमीटर की थोड़ी सी दूरी पर पृष्ठभूमि में विलुप्त हो जाता है। अत: जब्त किये गये टुकड़े से विकिरण अथवा स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बड़ा खतरा पैदा नहीं हो सकता है।

(ग) जब्त किए गए डी यू टुकड़े के सही स्रोत का पता नहीं है। एक उच्च घनत्व वाली सामग्री होने के कारण डी यू का इस्तेमाल आयात किए जाने वाले औद्योगिक रेडियोग्राफी कैमरों और अस्पतालों में रेडियोग्राफी यूनिटों में एक शील्डिंग सामग्री के रूप में और एयरक्राफ्ट में काउंटरवेट के रूप में किया जाता है। जब्त किए गए टुकड़े की शक्ल और आकार से ऐसा लगता है कि यह टुकड़ा किसी एयरक्राफ्ट के काउंटरवेट का हिस्सा हो सकता है।

(घ) भारत में, एयरक्राफ्ट अनुरक्षण वर्कशापों को ऐसी डी यू काउंटरवेट सामग्री के निपटान संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी है।

तदनुसार, जब भी ऐसे टुकड़ों के सुरक्षित निपटान की जरूरत पड़ती है तो वे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए ई आर बी) और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) से संपर्क करते हैं।

डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधन

3949. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधन करने का सुझाव दिया है जिससे कि इसे प्रतिस्पर्धात्मक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य संगठन बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग द्वारा 10वीं योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किये जाने और राष्ट्रीय निम्नतम साझा कार्यक्रम को लागू किये जाने के लिए विभाग द्वारा इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और समयबद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना आयोग के दृष्टिकोण पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को कब तक संशोधित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधन 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों में से एक है, जिस पर डाक विभाग को योजना अवधि के दौरान कार्रवाई करना अपेक्षित है ताकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। नीतिगत पहलों पर की गई कार्रवाई की मॉनीटरिंग योजना आयोग द्वारा विभाग के साथ नियमित पुनरीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वार्षिक आबंटन की मांग के समय विभाग द्वारा तय किए गए योजना कार्यक्रमों में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उद्देश्य परिलक्षित होते हैं ताकि उनका समय पर क्रियान्वयन किया जाए। योजना आयोग भी वार्षिक आबंटन की मांग के समय विभाग द्वारा बनाए गए योजना कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करता है ताकि इनका समय से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) भारतीय डाकघर (संशोधन) अधिनियम पहली बार लोक सभा में मई 2002 में प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् इसे सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति को जांच एवं रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 जुलाई 2002 को लोक सभा में प्रस्तुत की। इसके बाद हालांकि मंत्रिमंडल के लिए नोट तैयार था। पर फरवरी 2004 में लोक सभा भंग हो जाने के कारण भारतीय डाकघर (संशोधन) अधिनियम 2002 व्यपगत हो गया। अब संशोधन अधिनियम 2005 को लोक सभा में जल्दी ही पुन: प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

टीएसी सदस्यों को टेलिफोन कनेक्शन

3950. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में दूरभाष सलाहकार समिति में नामांकित सभी सदस्यों को दूरभाष कनैक्शन प्रदान किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। टेलीफोन सलाहकार समिति (टीएसी) में नामांकित कुछ सदस्यों को अभी तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) 28.2.2005 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल में विभिन्न टीएसी में नामांकित 4649 सदस्यों में से केवल 4374 सदस्यों ने टेलीफोन कनेक्शन हेतु आवेदन किया है। इनमें से, 3932 सदस्यों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं तथा 52 अन्य मामलों में कनेक्शन प्रदान करने संबंधी कार्य किया जा रहा है। शेष 390 सदस्यों को निम्नलिखित कारणों से टेलीफोन प्रदान करना संभव नहीं हो सका है:-

(i) क्षेत्र की तकनीकी अव्यवहार्यता (23 मामले)।

(ii) कुछ सदस्यों/पति या पत्नी के प्रति बकाया देयताएं इत्यादि (54 मामले)।

(iii) गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) के क्षेत्राधिकार से बाहर टेलीफोन कनेक्शन लगाने हेतु सदस्यों के अनुरोध (16 मामले)।

(iv) अन्य उपभोक्ता कारण जैसे सदस्यों द्वारा यह अनुरोध करना कि फिलहाल टेलीफोन न लगाया जाए, जहां टेलीफोन लगना है उसका पता न देना, यह अनुरोध करना कि किसी ऐसे प्राइवेट टेलीफोन को टीएसी श्रेणी में बदल दिया जाए जो उनके नाम पर काम नहीं कर रहा है, (आदि 297 मामले)।

एमटीएनएल, दिल्ली एवं मुम्बई में उन सभी नामांकित टीएसी सदस्यों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं, जिन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी है (दिल्ली 58 कनेक्शन एवं मुम्बई 47 कनेक्शन)

एमटीएनएल मुम्बई में

टीएससी सदस्यों को प्रदान न किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या स्वागत पत्र भेजे गये किंतु टीएसी सदस्यों से नामांकन-स्वीकृति	: 17	निम्नलिखित कारणों से
प्राप्त नहीं हुई	: 14	
टीएसी में नामांकन से इनकार	: 01	
टीएसी कनेक्शन लेने से इनकार	: 02	

[अनुवाद]

पुरुषों में स्तन कैंसर का खतरा

3951. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुषों को भी स्तन कैंसर हो सकता है;

(ख) क्या डाक्टरों का यह दृष्टिकोण है चूंकि पुरुषों में स्तन ऊतक कम होते हैं इसलिए उनसें कैंसर अधिक सक्रिय और तेजी से फैलता है;

(ग) क्या वृद्ध पुरुषों में स्तन कैंसर के मामलों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पुरुषों में स्तन कैंसर के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ङ) क्या स्तन कैंसर पनपने की निम्नतम आयु में कमी आयी है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले ऐहतियाती कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) पुरुष भी स्तन के कैंसर के लिए प्रवण हैं। तथापि, यह रोग पुरुषों के बीच विरल है। अल्प संख्या और सीमित अनुवर्तन के कारण पुरुषों के बीच स्तन के कैंसर की घटना के रूझानों को आंकना संभव नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा सूचित किए गए अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान से मिली सूचना से पता चलता है कि स्तन के कैंसर से पीड़ित पुरुषों की समग्र जीवन प्रत्याशा स्तन के कैंसर वाली महिलाओं की जीवन प्रत्याशा के सदृश है। पहले से ही प्रवृत्त जोखिम वाले कारकों में विकिरण का प्रभाव, इस्ट्रोजन देना और सिरहोसिस अथवा क्लाइनफेल्टर्स लक्षणों जैसे हाइपर इस्ट्रोजेनिज्म से संबद्ध रोग शामिल हैं। पुरुषों में बढ़ी हुई घटना के निश्चित पारिवारिक रूझान देखे गए हैं जिनकी स्तन के कैंसर वाली अनेक महिला रिश्तेदार हैं। तथापि, घटित हो रहे पुरुषों के स्तन के कैंसर के मामलों की बहुत कम संख्या को देखते हुए घटित होने की आयु के रूझानों पर निर्णायक रूप से टिप्पणी करना संभव नहीं है।

(च) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सभी स्कीमों को अब संशोधित कर दिया गया है। जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए जिलों में नोडल अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित किया जाना है, के अधीन जांच के जरिए कैंसर का शुरू में पता लगाने, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने, जागरूकता पैदा करने आदि पर अब विशेष बल दिया जा रहा है।

परमाणु ग्रेड पदार्थों का दोहन

3952. श्री पी. मोहन :
श्री ए.वी. बेल्लारमिन :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के तटों पर दुर्लभ तत्वों का अवैध उत्खनन और तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु ग्रेड पदार्थों के वाणिज्यिक दोहन में स्थानीय व्यक्तियों के अलावा कुछ निजी कम्पनियां भी लगी हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे पदार्थों के दोहन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) तमिलनाडु के तट पर गैरकानूनी खनन की केवल एक ही घटना पहचान में आई थी। तथापि, इस मामले में कलक्टर द्वारा लगाए गए जुर्माने पर माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने रोक लगा दी है।

(ग) और (घ) 6.10.1998 तक परमाणु खनिजों के लिए खनन/खनिज पृथक्करण का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। पुलिन बालुका खनिजों के बारे में 6.10.1998 को की गई संशोधित नीति की घोषणा के बाद, कुछेक साझेदारी वाली फर्मों और निजी कम्पनियों, अधिकतर तमिलनाडु राज्य से गार्नेट के भूतपूर्व उत्पादकों ने पुलिन बालुका खनन/खनिज पृथक्करण के क्षेत्र में प्रवेश किया है।

(ङ) तटीय क्षेत्र में पाए गए विहित पदार्थों के खनन और हस्तन के लिए संबंधित राज्य सरकार से खनन पट्टा लेने के अलावा परमाणु ऊर्जा (खानों के कार्यकरण, खनिज और विहित पदार्थों के हस्तन) नियमावली, 1984 के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग से एक लाइसेंस लेना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, भारी खनिजों के निर्यात की अनुमति परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (ए एम डी) द्वारा इस बारे में प्रमाणीकरण करने कि मोनाजाइट अंश की मौजूदगी 0.25% से कम है, के बाद ही दी जाती है। जब दोहन की प्रक्रिया के दौरान मोनाजाइट उत्पादित किया जाता है, तब उसका निपटान परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के निदेशों के अनुसार किया जाता है। अत: राष्ट्रीय सुरक्षा की दुष्टि से पर्याप्त सुरक्षोपाय मौजूद हैं।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत धनराशि आबंटन

3953. श्रीमती परनीत कौर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत राज्यों को धनराशि आबंटित करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या मौजूदा मानदंडों के परिणामस्वरूप प्रगतिशील और कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों को कम धनराशि प्राप्त होती है इस प्रकार वे अच्छे कार्य के लिए दण्डित होते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या मंत्रालय के समक्ष विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत समान रूप से धनराशि आबंटित करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रगतिशील और कम प्रगतिशील राज्यों हेतु अलग-अलग मानदण्ड तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की फरवरी, 1999 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में प्रमुख ग्रामीण गरीब उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निधियों का आबंटन करने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति गठित की गई थी। समिति के सदस्यों में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री और उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री शामिल थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति ने प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निधियों का आबंटन करने के विभिन्न मानदण्डों पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूर्ण योजना आयोग द्वारा प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यथाअनुमोदित 15 प्रतिशत समायोजित शेयरों को निधियों का आबंटन करने के मानदण्ड के रूप में जारी रखने पर सहमति हुई। वर्तमान में इन समायोजित शेयरों को प्रमुख ग्रामीण गरीब उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निधियों का आबंटन करने के मानदण्ड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) से (च) योजना आयोग में, जुलाई, 2001 में, प्रमुख ग्रामीण गरीबी अन्मूलन कार्यक्रम के तहत निधियों का आबंटन करने के मानदण्ड के संबंध में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि गरीबी अनुमान के रीति-विधान की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की जाए और तब तक वर्तमान मानदण्ड को ही जारी रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

3954. **श्री रामदास आठवले** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान से अब तक महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है और कितने लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं; और

(ख) उनमें से राज्य-वार कितने लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) योजना आयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) के पंचवार्षिक दौरों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके लगाता है। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 में किया गया था, और विगत तीन वर्षों के ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1993-94 और 1999-2000 में एन एस एस ओ द्वारा कराए गए विगत दो दौरों के आधार पर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और महाराष्ट्र सहित अखिल भारत स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे तालिका में दी गई है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या (लाख में)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
	अखिल भारत स्तर		
1993-1994	2440.31	763.37	3203.68
1999-2000	1932.43	670.07	2602.50
	महाराष्ट्र		
1993-1994	193.33	111.90	305.22
1999-2000	125.12	102.87	227.99

वर्ष 1993-94 और 1999-2000 के संबंध में महाराष्ट्र सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण-I में दिया गया गया है।

(ख) वर्ष 1993-94 और 1999-2000 के लिए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी एन एस एस ओ के पंचवार्षिक दौरों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके तैयार की गई गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत की राज्य-वार तालिका संलग्न विवरण-II और विवरण-III पर दी गई है।

विवरण-I

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94			1999-2000		
		ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	79.49	74.47	153.97	58.13	60.88	119.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.62	0.11	3.73	3.80	0.18	3.98

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	94.33	2.03	96.36	92.17	2.38	94.55
4.	बिहार	450.86	42.49	493.35	376.51	49.13	425.64
5.	गोवा	0.38	1.53	1.91	0.11	0.59	0.70
6.	गुजरात	62.16	43.02	105.19	39.80	28.09	67.89
7.	हरियाणा	36.56	7.31	43.88	11.94	5.39	17.34
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	0.46	15.86	4.84	0.29	5.12
9.	जम्मू-कश्मीर	19.05	1.86	20.92	2.97	0.49	3.46
10.	कर्नाटक	95.99	60.46	156.46	59.91	44.49	104.40
11.	केरल	55.95	20.46	76.41	20.97	20.07	41.04
12.	मध्य प्रदेश	216.19	82.33	298.52	217.32	81.22	298.54
13.	महाराष्ट्र	193.33	111.90	305.22	125.12	102.87	227.99
14.	मणिपुर	6.33	0.47	6.80	6.53	0.66	7.19
15.	मेघालय	7.09	0.29	7.38	7.89	0.34	8.23
16.	मिजोरम	1.64	0.30	1.94	1.40	0.45	1.85
17.	नागालैंड	4.85	0.20	5.05	5.21	0.28	5.49
18.	उड़ीसा	140.90	19.70	160.60	143.69	25.40	169.09
19.	पंजाब	17.76	7.35	25.11	10.20	4.29	14.49
20.	राजस्थान	94.68	33.82	128.50	55.06	26.78	81.83
21.	सिक्किम	1.81	0.03	1.84	2.00	0.04	2.05
22.	तमिलनाडु	121.70	80.40	202.10	80.51	49.97	130.48
23.	त्रिपुरा	11.41	0.38	11.79	12.53	0.49	13.02
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	108.28	604.46	412.01	117.88	529.89
25.	पश्चिम बंगाल	209.90	44.66	254.56	180.11	33.38	213.49

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.73	0.33	1.06	0.58	0.24	0.82
27.	चण्डीगढ़	0.07	0.73	0.80	0.06	0.45	0.51
28.	दादरा और नगर हवेली	0.72	0.06	0.77	0.30	0.03	0.33
29.	दमन और दीव	0.03	0.15	0.18	0.01	0.05	0.06
30.	दिल्ली	0.19	15.32	15.51	0.07	11.42	11.49
31.	लक्षद्वीप	0.06	0.08	0.14	0.03	0.08	0.11
32.	पांडिचेरी	0.93	2.38	3.31	0.64	1.77	2.41
	अखिल भारत	2440.31	763.37	3203.68	1932.43	670.07	2602.50

विवरण-II

वर्ष 1993-94 के लिए राज्य-वार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण			शहरी		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	26.02	25.66	15.92	43.82	46.68	38.33
2.	असम	45.38	41.44	45.01	14.34	7.11	7.73
3.	बिहार	70.66	69.75	58.21	55.16	35.76	34.50
4.	गुजरात	32.26	31.20	22.18	44.99	35.47	27.89
5.	हरियाणा	46.56	41.55	28.02	23.58	0.00	16.38
6.	हिमाचल प्रदेश	36.89	63.94	30.34	18.52	0.00	9.18
7.	कर्नाटक	46.36	37.33	29.88	61.59	62.05	40.14

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	केरल	36.43	37.34	25.76	31.59	1.08	24.55
9.	मध्य प्रदेश	45.83	56.69	40.64	65.00	65.28	48.38
10.	महाराष्ट्र	51.64	50.38	37.93	52.56	61.06	35.15
11.	उड़ीसा	48.95	71.26	49.72	47.45	64.85	41.64
12.	पंजाब	22.08	27.00	11.95	27.96	0.00	11.39
13.	राजस्थान	38.38	46.23	26.46	48.63	13.21	30.49
14.	तमिलनाडु	44.05	44.37	32.48	61.50	30.08	39.77
15.	उत्तर प्रदेश	58.99	37.11	42.28	58.02	36.89	35.39
16.	पश्चिम बंगाल	45.29	61.95	40.80	37.73	19.41	22.41
	अखिल भारत	48.11	51.94	37.27	49.48	41.14	32.36

एन.बी.

1. ये अनुमान अनुपात और गरीबों की संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में प्रस्तुत रीतिविधान पर आधारित हैं।
2. कुल जनसंख्या संबंधी गरीबी रेखा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोग की जाती है।
3. अखिल भारत गरीबी अनुपात की गणना व्यक्तियों और (अन्तर्निहित) अखिल भारत गरीबी रेखा के एन.एस.एस. वितरण से की जाती है।

विवरण-III

वर्ष 1999-2000 के लिए राज्य-वार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण			शहरी		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	सभी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	16.49	23.82	11.14	41.42	44.99	26.53
2.	असम	44.00	38.73	40.20	19.99	2.70	7.47

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	59.81	59.68	44.22	51.91	39.47	32.95
4.	गुजरात	17.77	29.11	13.17	29.13	36.66	15.59
5.	हरियाणा	19.03	—	8.27	25.38	—	9.99
6.	हिमाचल प्रदेश	13.15	5.73	7.94	6.74	—	4.63
7.	कर्नाटक	26.22	25.49	17.36	47.01	51.37	25.25
8.	केरल	14.64	24.20	9.38	24.15	—	20.27
9.	मध्य प्रदेश	41.29	56.26	37.09	54.24	52.59	38.54
10.	महाराष्ट्र	33.27	43.56	23.82	39.88	42.98	26.91
11.	उड़ीसा	51.83	73.93	48.13	70.59	59.59	43.13
12.	पंजाब	12.39	17.99	6.44	11.30	12.95	5.80
13.	राजस्थान	19.62	25.27	13.65	41.82	20.71	19.85
14.	तमिलनाडु	32.59	43.20	20.55	44.94	5.22	22.17
15.	उत्तर प्रदेश	43.65	34.06	31.22	43.51	13.27	30.90
16.	पश्चिम बंगाल	35.10	50.02	31.82	28.15	31.88	14.86
	अखिल भारत	36.25	45.86	27.11	38.47	34.75	23.65

एन.बी

1. कुल जनसंख्या संबंधी गरीबी रेखा का उपयोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए किया जाता है।

2. अखिल भारत गरीबी अनुपात की गणना व्यक्तियों और (अन्तर्निहित) अखिल भारत गरीबी रेखा के एन.एस.एस. वितरण से की जाती है।

[अनुवाद]

सुनामी आपदा के लिए प्राप्त सहायता

3955. श्री अजीत कुमार सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुनामी प्रभावित राज्यों के लिए विभिन्न देशों और संगठनों से कितनी और किस रूप में सहायता और राहत प्राप्त हुई; और

(ख) इस संबंध में देश-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) सुनामी आपदा की विभीषिका के बाद, कई विदेशी सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों ने प्रधानमंत्री राहत कोष, भारतीय रेड क्रॉस तथा क्रीसेंट सोसायटियों एवं सुनामी प्रभावित राज्यों के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को अपना योगदान दिया।

फार्मेसी कालेजों का खोला जाना

3956. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में द्वारका, बेरावल, जामनगर, वापी, पालनपुर, अहमदाबाद, बडोदरा आदि में स्ववित्त पोषित फार्मेसी कालेजों को खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) गुजरात में स्ववित्तपोषित फार्मेसी कालेज खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय फार्मेसी परिषद ने सूचित किया है कि गुजरात के चार संस्थानों (कालेजों की सूची वर्तमान स्थिति के साथ संलग्न विवरण में है) ने फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के प्रयोजन से भारतीय फार्मेसी परिषद में फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 के तहत फार्मेसी पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री की मान्यता/स्वीकृति के लिए सम्पर्क किया है।

विवरण

गुजरात की फार्मेसी संस्थाओं की सूची जिन्होंने फार्मासिस्टों के पंजीकरण के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए पी.सी.आई को एप्रोच किया है।

1. **सिगमा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बाकरोल, बडोदरा** : संस्थान ने 10.01.2005 को आवेदन भेजा था। कमियां कालेज को प्रेषित कर दी गई हैं और कालेज से अनुपालन की प्रतीक्षा है।

2. **पारूल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, लिमडा, वडोदरा** : संस्थान ने 18.12.2004 को आवेदन भेजा था। कमियां कालेज को प्रेषित कर दी गई हैं और कालेज से अनुपालन की प्रतीक्षा है।

3. **इंदूकला-आपिओवाला कालेज ऑफ फार्मेसी, न्यू वल्लभ विद्या नगर, उद्योग नगर** : संस्थान ने 24.01.2005 को आवेदन भेजा था। कमियां कालेज को प्रेषित कर दी गई हैं और कालेज से अनुपालन की प्रतीक्षा है।

4. **मलिबा फार्मेसी कालेज, गोपाल विद्यानगर कैम्पस, बरदोली, सूरत:** संस्थान ने 18.05.2004 को आवेदन भेजा था। अगस्त, 2004 में निरीक्षण किया गया था। शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से 2004-2005 तक 60 दाखिलों के लिए कालेज को अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

कुपोषण के कारण होने वाली मौतें

3957. श्री देविदास पिंगले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले छ: महीनों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में कुपोषण के कारण होने वाली मौतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी घटनाएं होने वाले स्थानों का केन्द्रीय दल ने दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) कुपोषण के कारण हुई मौतों की संख्या का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है। तथापि, कुपोषण एक बहुआयामी समस्या है और मौत का एक प्रत्यक्ष कारण नहीं है। लेकिन संक्रमणों के प्रति प्रतिरोध शक्ति को कम करके इससे रूग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है।

(ङ) सरकार ने कुपोषण की समस्या पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित देश में बच्चों सहित अतिसंवेदनशील जनसंख्या की पौषणिक स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

- कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।
- आय पैदा करने की स्कीमों के जरिए लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए रियायती सहायता प्राप्त लागत पर आवश्यक खाद्य मदों की उपलब्धता।
- जागरूकता में वृद्धि करने हेतु पोषण शिक्षा और स्तनपान को बढ़ावा देने सहित आहार, पद्धतियों में वांछित परिवर्तन लाना।

– पूरक आहार कार्यक्रम जैसे:-

(i) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम।

(ii) विशेष पोषण कार्यक्रम।

(iii) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम।

(iv) गेहूं आधारित पूरक पोषण कार्यक्रम।

(v) प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना (पी एम जी वाई)।

(vi) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम।

– विशिष्ट पोषण अल्पता विकार निवारण कार्यक्रम जैसे:-

– राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम।

– प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के रूप में विटामिन 'ए' से होने वाली दुष्टिहीनता और लौह की कमी से होने वाली पौषणिक रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए कार्यक्रम।

– सूक्ष्म पोषक कुपोषण के नियंत्रण के लिए प्रायोगिक परियोजना।

[अनुवाद]

अत्यधिक जोखिम वाले खतरनाक क्षेत्र

3958. श्री चुएल ओराम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने यू.एन.डी.पी. के सहयोग से देश में कुछ अत्यधिक जोखिम वाले खतरनाक क्षेत्रों और भूकम्प प्रवण शहरों का अध्ययन और पहचान कराई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?'

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) गृह मंत्रालय ने यू.एन.डी.पी. के सहयोग से अनेक प्रकार के खतरों वाले 17 राज्यों (169 जिलों) में एक आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम संलग्न विवरण-I और 5 लाख से अधिक की आबादी के भूकम्पीय जो, III, IV और V में 38 शहरों को शामिल करते हुए शहरी भूकम्प प्रवणता में कमी लाने का कार्यक्रम संलग्न विवरण-II चलाया है।

इस कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु मुख्यत: आपदा जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में बेहतर तैयारी और जोखिम में कमी लाने के लिए जागरूकता एवं शिक्षा, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करने और सामुदायिक, जिला तथा राज्य स्तरों पर पुनर्बहाली का है।

विवरण-I

प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम

कार्यक्रम वाले राज्यों में सर्वाधिक जोखिम प्रवण जिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	असम	12
2.	बिहार	14
3.	दिल्ली	9
4.	गुजरात	14
5.	महाराष्ट्र	14
6.	मेघालय	7
7.	उड़ीसा	14
8.	सिक्किम	4
9.	तमिलनाडु	6
10.	उत्तर प्रदेश	13
11.	उत्तरांचल	8
12.	पश्चिम बंगाल	11
13.	त्रिपुरा	3

1	2	3
14.	मणिपुर	9
15.	मिजोरम	8
16.	अरुणाचल प्रदेश	15
17.	नागालैंड	8
	कुल	169

विवरण–II

भूकम्पीय जोन III, IV और V में 5 लाख से अधिक की आबादी के 38 जिलों की सूची . .

क्र.सं.	शहर का नाम	राज्य	जोन
1	2	3	4
1.	देहरादून	उत्तरांचल	IV
2.	दिल्ली	दिल्ली	IV
3.	जामनगर	गुजरात	IV
4.	राजकोट	गुजरात	III
5.	भावनगर	गुजरात	III
6.	सूरत	गुजरात	III
7.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	III
8.	भिवण्डी	महाराष्ट्र	III
9.	नासिक	महाराष्ट्र	III
10.	पुणे	महाराष्ट्र	III
11.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	III
12.	कटक	उड़ीसा	III
13.	चैन्नई	तमिलनाडु	III
14.	पटना	बिहार	IV
15.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	III
16.	गुवाहाटी	असम	V
17.	वडोदरा	गुजरात	III
18.	अहमदाबाद	गुजरात	III
19.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	III
20.	आगरा	उत्तर प्रदेश	III
21.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	III
22.	बरेली	उत्तर प्रदेश	III
23.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	IV
24.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	III
25.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	III
26.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	III
27.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	V
28.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	IV
29.	इन्दौर	मध्य प्रदेश	III
30.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	III
31.	अमृतसर	पंजाब	IV
32.	जालन्धर	पंजाब	IV
33.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	III
34.	धनबाद	झारखण्ड	III
35.	मंगलौर	कर्नाटक	III

1	2	3	4
36.	कोच्चि	केरल	III
37.	कोजीकोड	केरल	III
38.	त्रिवेन्द्रम	केरल	III

[हिन्दी]

वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिए आवंटन

3959. श्री गणेश सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिए आवंटन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है और कितनी आवंटन राशि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) हाल ही में, अगस्त, 2004 में 2004-05 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (जिसमें वृद्धावस्था पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय परिवार लाभ शामिल हैं) तथा अन्नपूर्णा के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) को 679.87 करोड़ रुपये से 1189.87 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2002 में, योजना आयोग में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से एन एस ए पी के लिए ए सी ए को 54 करोड़ रुपये से 78 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए सूचना प्राप्त हुई थी। 2004-05 के लिए एन एस ए पी और अन्नपूर्णा के लिए ए सी ए की समग्र बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप, अगस्त, 2004 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार का हिस्सा 54.05 करोड़ रुपये से 76.45 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। मार्च, 2005 में, मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम ओ आर डी) से एम एस ए पी के लिए 2004-05 हेतु 11.695 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध किया था। 2005-06 के लिए, 86.138 करोड़ रुपये की ए सी ए के लिए भी अनुरोध किया था। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध की दृष्टि से, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम ओ आर डी) ने मध्य प्रदेश के लिए 2004-05 के दौरान एन एस ए पी के तहत एक बारगी ए सी ए के रूप में 23.39 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि 31.3.2005 को वित्त मंत्रालय के लिए अनुमोदित की गई थी। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

रोगियों की लंबी प्रतीक्षा सूची

3960. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सर्जिकल यूनिट/वार्ड में रोगियों की प्रतीक्षा सूची लंबी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) यह सही है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में शल्य चिकित्सा एकक/वार्ड में रोगियों की एक लम्बी सूची है। यह देश के विभिन्न भागों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में काफी बड़ी संख्या में आने वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि कैंसर से पीड़ित रोगियों सहित सभी शल्य चिकित्सीय और औसत (मीडियल) आपाती रोगियों को बिना कोई विलम्ब किए प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। सरकार का देश के विभिन्न भागों में पी एम एस एस वाई के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी छह संस्थाएं स्थापित करने तथा सात मौजूदा चिकित्सीय संस्थानों का उन्नयन करने का प्रस्ताव है। इन संस्थानों के प्रस्तावित सृजन/उन्नयन से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में रोगियों की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

स्वतंत्र औषध प्राधिकरण

3960. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :

श्री वाई.जी. महाजन :
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतंत्र औषध प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या उद्देश्य हैं;

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) प्राधिकरण के कार्यकरण और सदस्यों की चयन प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) नकली औषधों की समस्या सहित औषध विनियामक मुद्दों पर डा. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। नवम्बर, 2003 में प्रस्तुत की गई अपनी अंतिम रिपोर्ट में समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सशक्त, व्यावसायिक रूप से प्रबंध संचालित और कार्यकुशल विनियामक तंत्र सृजित करने की सिफारिश की है जिसकी संरचना केन्द्रीय औषध प्रशासन के रूप में की जा सकती है। इस समय यह मामला इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बाईपास और पुल का निर्माण

3962. श्री दुष्यंत सिंह :
श्री अशोक अर्गल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर बाईपास और चम्बल राजघाट पुल के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण से संबंधित कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) रा.रा. 3 के धौलपुर-मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के अंतर्गत चार लेन का बनाया जाएगा। चम्बल नदी पर पुल और धौलपुर बाइपास सहित इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रा.रा. 3 पर किसी एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चाय बागानों को कोयला आपूर्ति

3963. श्री तूफानी सरोज : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने देश में विशेषकर असम में स्थित चाय बागानों को कोयले की आपूर्ति बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले की आपूर्ति बंद होने से चाय बागानों में उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि निम्नलिखित कारणों से कुछ चाय बागानों को कोयले की आपूर्ति बन्द कर दी गई है:-

(i) लगातार 12 महीने से अधिक समय से कोयला प्राप्त न करना, तथा

(ii) उनकी स्थिति के सत्यापन के लिए कोयला कम्पनियों द्वारा मांगे गए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना।

(ग) से (ङ) बागान संघों की परामर्शदात्री समिति (सीसीपीए) को सूचित किया गया है कि वे अपने चाय बागान सदस्यों को ई-नीलामी में भाग लेकर अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने की सलाह दें। वास्तव में उनमें से कुछ ने 5.4.2005 को नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) में सम्पन्न ई-नीलामी में भाग लिया था।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव

3964. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
डा. एम. जगन्नाथ :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री जोवाकिम बखला :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री रनेन बर्मन :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री वाई.जी. महाजन :
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त मानवेन्द्र शाह :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री इलियास आजमी :
श्री महावीर भगोरा :
श्री मोहन सिंह :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, मरम्मत, चौड़ा करने और विकास के लिए कोई केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आई.आर.सी. मानकों के अनुसार विभिन्न राजमार्गों के तल की मोटाई को बढ़ाने की आवश्यकता है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न कार्यों के लिए आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ज) अब तक उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण, मरम्मत, चौड़ा करने और उनके विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित कोई स्कीम नहीं है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्गों जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 और 12 भी शामिल हैं, का सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ इनकी मोटाई भी बढ़ाई जाती है। यह कार्य यातायात की मात्रा, सड़कों की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(छ) और (ज) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित और प्रयुक्त धनराशि का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न कार्यों के लिए आबंटित और प्रयुक्त धनराशि (लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02	
		आबंटन	उपभोग	आबंटन	उपभोग	आबंटन	उपभोग	आबंटन	उपभोग	आबंटन	उपभोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	5957.19	5200.16	4879.82	4273.04	5707.87	3736.50	11188.26	10792.54	10379.70	9455.81
2.	असम	1860.80	1388.24	2661.10	1577.99	4239.32	2769.61	5253.64	4874.05	7605.19	7489.83
3.	बिहार	1952.00	2094.54	3417.35	3238.60	6117.52	5950.16	6927.56	6015.11	6532.00	4914.62
4.	चंडीगढ़	30.00	29.20	82.00	79.82	100.00	73.93	144.00	139.57	150.00	144.62
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	1227.80	472.08	3228.00	3228.00
6.	दिल्ली	800.00	858.21	1400.00	1225.54	700.00	422.13	483.00	483.00	600.00	482.25
7.	गोवा	971.56	1003.02	1100.00	1172.54	1700.02	1670.19	2300.00	2138.45	2000.00	1975.05
8.	गुजरात	4322.42	4916.93	6628.54	9332.70	8851.90	8683.39	9099.97	8675.49	7042.71	5396.60
9.	हरियाणा	10040.00	10191.24	7588.80	6913.16	10000.00	9046.65	10100.00	9251.97	10388.47	10388.46
10.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	1664.94	2500.00	2500.00	4000.00	3502.72	4415.00	3893.44	5500.00	4415.72
11.	जम्मू और कश्मीर	150.00	25.00	100.00	6.15	100.00	0.91	250.00	51.59	230.00	222.73
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	1188.78	3500.00	2670.15
13.	कर्नाटक	4236.78	4085.65	3709.01	3772.04	6113.84	6846.09	8104.00	7553.96	10947.56	10607.17
14.	केरल	8042.48	8182.48	7080.16	8820.63	12837.02	10808.59	8978.03	4390.91	9261.56	8225.23
15.	मध्य प्रदेश	4657.06	4215.68	8247.73	7932.47	12334.80	11547.45	13472.11	12649.59	9099.00	9242.20
16.	महाराष्ट्र	8062.43	8062.43	11382.63	11659.74	17808.08	16661.96	21236.20	19631.80	19371.95	17232.97
17.	मणिपुर	702.19	670.06	700.30	828.29	1014.15	894.90	851.31	535.22	1452.59	1046.71
18.	मेघालय	979.50	900.51	1060.50	911.03	1785.28	1372.61	1708.34	1563.01	2270.00	1684.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	282.90	1000.00	994.51	2600.00	2167.15
20.	नागालैंड	100.00	134.77	200.00	210.87	800.00	886.17	1500.00	1489.52	1500.00	1496.94
21.	उड़ीसा	6475.20	6417.39	9726.82	8711.02	9228.02	9198.17	10046.89	8496.21	7912.70	5666.87
22.	पांडिचेरी	70.00	15.38	100.81	86.30	319.46	281.27	200.00	146.65	212.00	199.26
23.	पंजाब	5378.88	4977.53	7148.88	7672.10	5300.10	4233.38	5365.00	3855.15	6413.00	5866.47
24.	राजस्थान	4315.83	4521.80	4605.81	4620.18	5214.02	4311.94	8720.00	8403.34	8746.00	8367.82
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	2567.92	1948.93	3921.37	3652.38	6754.08	5348.20	10342.21	8264.40	9739.00	9679.28
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	12535.27	11899.20	12649.35	10722.86	12647.45	11776.30	14949.76	13938.81	14662.88	13368.60
29.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.35	123.88	2500.0	2102.29
30.	पश्चिम बंगाल	7335.00	7641.38	10150.94	8394.40	8818.02	8072.55	12800.00	10983.46	8422.04	*7785.67*

[अनुवाद]

एम.आई.सी. अधिनियम में सशोधन

3965. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एम.सी.आई. अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो संसद में अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार अन्य बातों के साथ-साथ परिषद की कार्यप्रणाली आदि की जवाबदेही में सुधार लाने तथा इसकी संरचना और इसमें प्रतिनिधित्व की स्थिति को ठीक करने की दृष्टि से भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में कतिपय संशोधन करने पर विचार कर रही है। विधेयक को शीघ्र ही लाए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

सड़कों पर पथकर

3966. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के जोधपुर जिले में सड़कों के निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) उनमें से कितने स्वीकृत किए गए हैं और शेष प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है;

(ग) केंद्रीय सड़क निधि से उक्त जिले में निर्मित सड़कों का ब्योरा क्या है;

(घ) निजी कंपनियों द्वारा निर्मित उन सड़कों का ब्योरा क्या है जहां पथकर लिया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त कर को हटाने हेतु निर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार से जोधपुर जिले के लिए केंद्रीय सड़क निधि स्कीम के अंतर्गत 17 प्रस्ताव और राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य के अंतर्गत 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से केंद्रीय सड़क निधि के 15 प्रस्ताव और राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं। शेष प्रस्ताव, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर आगामी वार्षिक योजनाओं में लिए जा सकते हैं। केंद्रीय सड़क निधि के 12 अनुमोदित कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

(घ) राज्यीय राजमार्ग-5 (इसे अब रा रा 112 घोषित किया गया है) पर 90/0 से 105/0 कि.मी. तक बार-बिलारा सड़क पर निर्माण कार्य एक निजी कंपनी (मे. चेतक एंटरप्राइजेज प्रा. लि. उदयपुर) द्वारा बी ओ टी आधार पर किया गया था जहां प्रयोक्त शुल्क (पथकर) वसूल किया जा रहा है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता। यह सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार है।

कोयले पर रॉयल्टी

3967. श्रीमती करूणा शुक्ला : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने कोयले के बाजार मूल्य की प्रतिशतता के रूप में प्रति टन कोयले का रुपयों के आधार पर निर्धारित रॉयल्टी की दर तय करने के संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या योजना आयोग ने सरकार को ऐसे ही सुझाव दिये हैं; और

(ग) क्या यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। छत्तीसगढ़ सरकार, योजना आयोग तथा विभिन्न अन्य राज्यासें ने कोयले पर रायल्टी की दर यथामूल्य आधार पर निर्धारित करने की सिफारिश्स की है।

(ग) कोयले पर रायल्टी की दरों के संशोधन पर विचार करने के लिए वर्ष 2000 में मंत्रालय में गठित समिति ने यथामूल्य आधार पर रायल्टी की सिफारिश नहीं की। तथापि, यथामूल्य आधार पर रायल्टी की दरों को निर्धारित करने के प्रस्ताव की अगली बार रायल्टी के संशोधन के समय जांच की जाएगी।

लोकल काल डायलिंग सुविधा

*3968. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाह** :
श्री मुन्नी राम :
मोहम्मद शाहिद :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :
श्री मो. ताहिर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकल कॉल डायलिंग के माध्यम से महानगरों से राज्यों को जोड़ने हेतु टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को कब तक सभी राज्यों में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां तो यह कार्य कब तक किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कौन-कौन से राज्यों और महानगरों के बीच यह सुविधा प्रदान की जा रही है; और

(च) इससे आम जनता को कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) का उत्तर देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) बीएसएनएल ने प्रायोगिक आधार पर अपने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उन्हें तमिलनाडु एवं चेन्नई और पश्चिम बंगाल एवं कोलकाता के सेल्यूलर उपभोक्ताओं के बीच शुरू में "0" सहित या इसके बिना कॉल डायल करने की अनुमति दी है। से कॉलें अंतरसंबंध प्रयोग प्रभार आईयूसी) और अभिगम्य घाटा प्रभार (एडीसी) के सभी प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉलों के रूप में मानी जाती हैं।

(च) एसटीडी सुविधा रहित बीएसएनएल के मोबाइल उपभोक्ता, राज्य के भीतर अन्य बीएसएनएल मोबाइल उपभोक्ताओं को डायल कर सकते हैं।

"'(क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य, जिसमें मुंबई महानगर और महाराष्ट्र दूरसंचार सेवा क्षेत्र शामिल हैं, तमिलनाडु, जिसमें चेन्नई महानगर और तमिलनाडु दूरसंचार सेवा क्षेत्र शामिल हैं, कोलकाता, जिसमें कोलकाता महानगर और पश्चिम बंगाल दूरसंचार सेवा क्षेत्र शामिल हैं और उत्तर प्रदेश जिसमें उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्र शामिल हैं, में 20 मई 2005 से अभिगम प्रदाताओं के बीच अंतर सेवा क्षेत्र कनेक्टिविटी की अनुमति दी गई है। इसका अर्थ है कि एक ही राज्य के भीतर "फिक्स्ड से मोबाइल और मोबाइल से मोबाइल कॉलों" के लिए '0' डायल किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच भी इसी प्रकार कॉलें की जा सकती है क्योंकि उत्तरांचल उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्र का हिस्सा है।"

ऊपर मुद्रित उत्तर मंत्री द्वारा शुद्धि करने वाले विवरण के रूप में दिनांक 24.8.2005 को सभा में मूल उत्तर के स्थान पर दिया गया तथा इस विवरण को एल.टी. संख्या 2765/2005 के अन्तर्गत ग्रंथालय में भी रखा गया।

पंचायत स्तर पर पी.सी.ओ.

3969. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायात स्तर पर सार्वजनिक पी.सी.ओ. उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रदान किये जा रहे सेटों की गुणवत्ता घटिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जानी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। उन स्थानों जहां अभिरक्षकों द्वारा बिलों का भुगतान न करने पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन काट दिए गए हैं, को छोड़कर, 100 व्यक्तियों से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों (ग्राम पंचायतों सहित) में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

के बी के क्षेत्रों हेतु समितियां

3970. श्री गिरिधर गमांग : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केबीके दीर्घकालिक कार्य योजना को शुरू किए जाने के समय से केबीके क्षेत्रों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय, राज्य और जिला-स्तर पर समितियों का गठन न करने का क्या कारण है;

(ख) क्या राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों ने केबीके क्षेत्रों के सांसद, विधायक और जिला परिषद् के साथ कभी चर्चा अथवा परामर्श किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे को राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों को गठित करने और उक्त समितियों में सांसदों, विधायकों और जिला परिषद् को शामिल करने के लिए उड़ीसा राज्य के साथ उठाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) केन्द्रीय स्तर पर, सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सम विकास योजना संबंधी अधिकार प्राप्त एक समिति है, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत केबीके जिलों के लिए विशेष योजना के लिए अनुमोदन पर विचार करती है। राज्य स्तर पर, केबीके जिलों के लिए संशोधित दीर्घावधिक कार्य योजना (आरएलटीएपी) और जिलों में की जा रही अन्य विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग और समीक्षा के लिए सितंबर, 2000 में उड़ीसा राज्य सरकार ने पहले ही राज्य स्तर समिति का गठन किया था। प्रभावी मानीटरिंग और समीक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आरएलटीएपी और केबीके जिलों में विकास गतिविधियों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने की दृष्टि में इस समिति को राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2005 में पुनर्गठित किया गया है।

(ख) से (ङ) पुनर्गठित राज्य स्तर समिति, उड़ीसा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, राज्य सरकार के मंत्रियों, केबीके क्षेत्रों के विधायकों तथा सांसदों के सदस्य के रूप में कार्यरत है।

[हिन्दी]

सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष

3971. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में संचार प्रणाली की स्थापना के उद्देश्य से सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष (यूनीवर्सल सर्विस ओब्लीगेशन फंड) स्थापित किया था;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से स्रोतों से उक्त कोष को बनाया गया और अलग-अलग हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) इस कोष के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान औसत कितनी धनराशि एकत्र की गयी;

(घ) मार्च, 2005 तक इस कोष के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि एकत्र की गयी; और

(ङ) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान इस कोष से व्यय हेतु कितनी धनराशि निकाली गयी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां। ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय तथा उपयुक्त मूल्यों पर बुनयादी तार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) स्थापित की गई है। यूएसओएफ को 1.4.2002 से प्रभावी समझा गया है।

(ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्रित और भारत की संचित निधि में जमा की गई सार्वभौमिक सेवा दायित्व लेवी के आधार पर बजटीय प्रक्रिया के जरिए भारत की संचित निधि से निधियां प्रदान की गई हैं। इस समय सार्वभौमिक सेवा लेवी की दर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5 प्रतिशत है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान यूएसओ लेवी के जरिए क्रमश: 1653 करोड़ रु., 2144 करोड़ रुपये और 3458 करोड़ रुपये एकत्रित किए गए।

(घ) मार्च, 2005 तक यूएसओ लेवी के जरिए 7255 करोड़ रुपये एकत्रित किए गए हैं।

(ङ) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान, यूएसओएफ को आबंटित क्रमश: 200 करोड़ रुपये और 1314.585 करोड़ रुपये का पूरा उपयोग किया गया है।

[अनुवाद]

भारत-जापान दोहरा कराधान बचाव समझौता

3972. श्री जी.वी. हर्ष कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जापान में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने प्रतिष्ठान स्थापित करने में मदद पहुंचाने के लिए भारत-जापान दोहरा कराधान समझौते पर पुन: बातचीत करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जैसाकि दिनांक 11 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961

की धारा 90 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर दोहरा कराधान परिवर्जन समझौता (डीटीएए) करने के लिए प्राधिकृत है। इस शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार द्वारा वर्ष 1989 में जापान के साथ एक डीटीएए किया गया था जिसे साकानि 101 (ई) दिनांक 1-3-1990 के जरिए अधिसूचित किया गया। भारत सरकार तथा जापान सरकार ने इस समझौते पर पुन: बातचीत करने का निश्चय किया है। पुन: बातचीत की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है।

एड्स नियंत्रण संबंधी विधान

3973. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में एड्स रोगियों के लिए 'विशेष उपचार केन्द्र' स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में एड्स नियंत्रण संबंधी विधि निर्माण का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी अन्य देश ने इस समय मौजूदा ऐसा ही कोई कानून लागू किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) मार्च, 2005 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल 25 एंटी रिट्रोवायरल थिरेपी केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) जी, हां।

(घ) कानूनविद एचआईवी/एड्स संबंधी विधान का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। प्रारूप को इस माह के अंत तक स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है। जांच के बाद प्रारूप को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(ङ) और (च) एचआईवी से संबंधित कानून दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, उक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, कम्बोडिया, घाना, नामीबिया, फिलीपीन्स, रूस, इंडोनेशिया आदि देशों में विद्यमान है।

विवरण

एआरटी केन्द्रों का नाम

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	राज्य का नाम	तिथि से प्रभावित
1	2	3	4
1.	जीएचटीएम, ताम्बरम, चेन्नई	तमिलनाडु	अप्रैल, 04
2.	जेजे अस्पताल, मुम्बई	महाराष्ट्र	अप्रैल, 04
3.	आरआईएमएस, इम्फाल	मणिपुर	अप्रैल, 04
4.	उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	अप्रैल, 04
5.	आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	दिल्ली	अप्रैल, 04
6.	एलएनजेपी अस्पताल, नई दिल्ली	दिल्ली	अप्रैल, 04
7.	बौरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल, बंगलौर	कर्नाटक	अप्रैल, 04

1	2	3	4
8.	नागा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, कोहिमा	नगालैंड	अप्रैल, 04
9.	मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर	कर्नाटक	अक्तूबर, 04
10.	कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली	कर्नाटक	अक्तूबर, 04
11.	जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, इम्फाल	मणिपुर	अक्तूबर, 04
12.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, गुंटूर	आंध्र प्रदेश	अक्तूबर, 04
13.	मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नई	तमिलनाडु	अक्तूबर, 04
14.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, मदुरई	तमिलनाडु	जनवरी, 05
15.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सांगली	महाराष्ट्र	अक्तूबर, 04
16.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, विजाग	आंध्र प्रदेश	अक्तूबर, 04
17.	बी.जे.मेडिकल कालेज, पुणे	महाराष्ट्र	जनवरी, 05
18.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर	महाराष्ट्र	जनवरी, 05
19.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नामक्कल	तमिलनाडु	अक्तूबर, 04
20.	बी.जे.मेछिकल कालेज, अहमदाबाद	गुजरात	फरवरी, 05
21.	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़	पंजाब	फरवरी, 05
22.	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	राजस्थान	फरवरी, 05
23.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	मार्च, 05
24.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, पणजी	गोवा	मार्च, 05
25.	स्कूल ऑफ ट्रॉपीकल मेडिसिन, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	मार्च, 05

अन्तर्राष्ट्रीय टेलीमेडीसिन सम्मेलन

3974. **श्री एम. शिवन्ना :**
श्री डी. विट्टल राव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीमेडीसिन सम्मेलन आयोजित किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टेलीमेडीसिन विशिष्ट उपचार प्रदान करने में बहुत प्रभावी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने देश में टेलीमेडीसिन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय टेलीमेडीसिन सम्मेलन मार्च 17 से 19, 2005 के दौरान बेंगलूर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) देश में टेलीमेडीसिन के लाभों के विस्तार के लिए राज्य सरकारों, स्पेशियलिटी अस्पतालों और गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के साथ कार्य कर रहा है।

चिकित्सा पाठ्यक्रम में असिस्टिड रिप्रोडक्टिव टैक्नोलोजी

3975. **श्री लोनाप्पन नम्बाडन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि असिस्टिड रिप्रोडक्टिव टैक्नोलोजी भारत में चिकित्सा पाठ्यक्रम का कहीं भी अंग नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत के चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा पाठ्यक्रम में असिस्टिड रिप्रोडक्टिव टैक्नोलोजी को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण अस्पतालों में चिकित्सकों/ कर्मचारियों का अभाव

3976. **श्री पी. करूणाकरन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई अस्पतालों में चिकित्सकों और कर्मचारियों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम/सीमित अवधि के लिए चिकित्सकों द्वारा कार्य करने को अनिवार्य घोषित किये जाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जुड़े चिकित्सकों और कर्मचारियों को स्टाफ आवास/क्वार्टर प्रदान करने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : ((क) और (ख) जी, हां। सरकार को कुछ राज्यों की ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में डाक्टरों और अन्य स्वास्थ्य स्टाफ की कमी के बारे में पता है परन्तु इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती और उनका स्थानांतरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस कमी के मुख्य कारण स्टाफ की असंगत तैनाती, दुर्गम क्षेत्रों/दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात स्वास्थ्य स्टाफ के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन की कमी और स्वीकृत पदों की तुलना में रिक्तियां है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों और इन स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों और इन स्वास्थ्य संस्थाओं में अन्य स्वास्थ्य स्टाफ की रिक्ति संबंधी स्थिति संलग्न विवरण में है।

(ग) वर्तमान में, डाक्टरों को एक विशिष्ट अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। इनमें 3 वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम तैनाती, डाक्टरों की संविदात्मक नियुक्ति, स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए 3 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा, ग्रामीण क्षेत्र भत्ता, ग्रामीण कार्यकाल के बाद पसंद की तैनाती, प्रोन्नति/विदेशी नियुक्ति/विदेशी प्रशिक्षण आदि के लिए पूर्वापेक्षा ग्रामीण तैनाती जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं। सरकार, राज्य सरकारों को प्राथमिकता आधार पर रिक्तियां भरने की सलाह दे रही है।

(घ) और (ङ) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-2 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त कार्यवाही समूह (ईएजी) राज्यों अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और उड़ीसा को चरण-वार तरीके से प्राथमिकता देते हुए स्टाफ क्वार्टरों के उन्नयन और नवीकरण के लिए निधियां प्रदान करना प्रस्तावित है।

विवरण

रिक्ति तैनाती पर एक दृष्टि

सितम्बर, 2004 तक की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एएनएम	एमपीडब्ल्यू (एम)	एचए(एफ)/ एलएचवी	एचए(एम)	एमओ (पीएचसी)	विशेषज्ञ	फार्मासिस्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	337	1013	50	348	360	182	67
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	4	0
3.	असम	0	318	146	0	0	0	0
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	छत्तीसगढ़	463	611	*	611	56	56	250
6.	गोवा	17	25	7	7	3	8	1
7.	गुजरात	624	3016	275	649	158	202	391
8.	हरियाणा	23	382	250	57	0	243	16
9.	हिमाचल प्रदेश	420	719	80	52		उ.न.	150
10.	जम्मू व कश्मीर	376	4	58	0	25	134	0
11.	झारखंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
12.	कर्नाटक	1351	2665	39	465	175	147	545
13.	केरल	0	184	0	18	0	280	32
14.	मध्य प्रदेश	469	748	128	उ.न.	247	उ.न.	उ.न.
15.	महाराष्ट्र	333	1639	279	832		888	201
16.	मणिपुर	0	0	24	28	28	21	23
17.	मेघालय	0	0	0	0	10	0	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	मिजोरम	3	31	11	11	0	0	0
19.	नागालैंड	0	*	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	353	1519	25	8	0	उ.न.	56
21.	पंजाब	315	1175	70	40	60	0	38
22.	राजस्थान	258	1440	10	224	199	223	20
23.	सिक्किम	1	*	3	0	10	16	4
24.	तमिलनाडु	273	830	455	651	632	0	153
25.	त्रिपुरा	*	236	*	35	11	0	*
26.	उत्तरांचल	31	155	4	135	464	32	0
27.	उत्तर प्रदेश	1036	3348	407	1651	उ.न.	उ.न.	उ.न.
28.	पश्चिम बंगाल	1286	2523	499	946	241	177	207
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	26	0	0	0	8	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	3	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	13	8	4	7	0	0	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	3	5	5	0	*	5
	अखिल भारत	7982	22618	2829	6783	2679	2621	2198

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

*अतिरिक्त

[हिन्दी]

एम्स में कथित आत्महत्याएं

3977. श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री गुरुदास कामत
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कथित आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान आत्महत्याओं के कितने मामले प्रकाश में आये;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संस्थान में चिकित्सकों और अनुसंधान कर रहे विद्यार्थियों की कार्य स्थितियों की जांच करने के लिए समिति गठित करने का है, जैसा कि दिनांक 15 मार्च, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस समिति को कब तक गठित किये जाने की संभावना है;

(ङ) इस संस्थान में आत्महत्याओं की ऊंची दर के क्या कारण हैं;

(च) क्या एम्स के विभागों का बड़ी परियोजना के अंतर्गत विस्तार किये जाने का प्रस्ताव था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ज) क्या सरकार को एम्स अधिकारियों से संस्थान में कार्यरत चिकित्सकों के लिए परामर्श सेवाओं और तनाव प्रबंध कार्यशालाओं से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये गये/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (झ) विगत एक वर्ष के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक रोगी सहित तीन आत्महत्या के मामलों तथा एक आत्महत्या करने की कोशिश के मामले की सूचना प्राप्त हुई है। सरकार ने आत्महत्या/आत्महत्या करने की कोशिश में सहायक परिस्थितियों की जांच करने और तीन महीनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 10.2.2005 को डा. एस.पी. अग्रवाल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन एक एकल सदस्यीय जांच समिति गठित की है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृति की रोकथाम हेतु एम्स ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. संबंधित विभाग के छात्रों और रेजीडेंट डाक्टरों के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु दो संकाय सदस्यों, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ, के नाम आमंत्रित किए गए थे।

2. दिनांक 9.4.2005 को छात्रों/रेजीडेंट डाक्टरों/पीएचडी छात्रों के लिए विभागीय सलाहकारों के नामों को सभी एमबीबीएस छात्रों तथा सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ रेजीडेंटों (शैक्षिक) और पीएचडी छात्रों को परिचालित किया गया है।

3. प्रति वर्ष अगस्त के दौरान, अर्थात एमबीबीएस छात्रों के नए बैच द्वारा ज्वाइन करने की तारीख को, पहले दिन में एमबीबीएस छात्रों के लिए तनाव उपचार कार्यशाला का आयोजन करना। एक महीने के पश्चात ऐसा ही अनुसरण करना।

4. नए रेजीडेंट डाक्टरों/पीएचडी छात्रों के लिए जुलाई और जनवरी में प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कनिष्ठ रेजीडेंटों/वरिष्ठ रेजीडेंटों (शैक्षिक) और पीएचडी छात्रों के लिए एमबीबीएस हेतु तनाव उपचार कार्यशाला।

5. मनश्चिकित्सा विभाग, एम्स, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए मनोनीत सलाहकारों का प्रशिक्षण।

6. जुलाई, 2005 के पश्चात नए बैचों के लिए मेडिकल बोर्डों में मनश्चिकित्सकों को शामिल करना।

विदेशों में भारतीयों का उत्पीड़न

3978. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री एस.के. खारवेनथन :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशियाई नियोक्ता द्वारा काम पर रखी गयी एक भारतीय लड़की का बर्बरतापूर्ण तरीके से उत्पीड़न किया गया जैसा कि दिनांक 15 मार्च, 2005 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में भारतीयों के विदेशों में उत्पीड़न और झूठे मामलों में फंसाये जाने की लगातार रिपोर्ट आयी है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामलों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या इराक में खराब स्थितियों के बावजूद बड़ी संख्या में कृषि मजदूर इराक जा रहे है;

(च) यदि हां, तो अब तक वहां जा चुके ऐसे मजदूरों की कुल संख्या कितनी हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इराक में अवैध रूप से कर्मचारियों को भेजने में लिप्त एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) दिनांक 15.03.05 के हिन्दुस्तान टाइम्स 'में' छपी रिपोर्ट की कुआलालपुर में स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा पुष्टि की गई हैं।

(ख) समय-समय पर उत्पीड़न संबंधी शिकायतों सहित अन्य शिकायतें मिलती रहती है।

(ग) 2003 और 2004 के दौरान क्रमश: 25 और 39 शिकायतें प्राप्त हुई। देशवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) विदेशों में प्रवासी भारतीय कामगारों के काम करने की परिस्थितियों की निरंतर समीक्षा की जाती है। प्रवासी मजदूरों के साथ बुरे व्यवहार के अनेक मामलों की सरकार को जानकारी हैं। उठाए गए/उठाए जाने के विचारधीन उपायों में निम्नलिखित शामिल है:-

(i) व्यक्तिगत मामलों में हमारे मिशनों द्वारा/के माध्यम से और स्थानीय समुदाय संगठनों में मध्यस्थता।

(ii) सम्बधित देशों के साथ समझौता ज्ञापन सम्पन्न करना ताकि अत्याधिक कठिनाइयों के मामलों में दोनों ओर के सरकारी प्राधिकारी हस्तक्षेप कर सकें; और

(iii) प्रवासी कामगारों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का सुझाव।

(ङ) और (च) इराक में कृषि के लिए प्रवास करने वाले मजदूरों की किसी रिपोर्ट की सरकार को जानकारी नहीं है।

(छ) इन रिपोर्टों कि भारतीय उत्प्रवासी अवैध रूप से कुवैत, जार्डन आदि के रास्ते इराक में प्रवेश कर रहे हैं, तो पी ओ पीज को उत्प्रवासन क्लीयरस प्रदान करते समय पासपोर्टों पर ''इराक में यात्रा करने के लिए मान्य नहीं'' की मोहर लगाने के लिए 02.08.2004 को निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा इराक में लगातार अस्थिर हालत के मद्देनजर सरकार और भारतीय मिशनों द्वारा भारतीयों को इराक मे प्रवेश न करने का सलाह जारी की गई।

दवाइयों की खरीद में अनियमितताएं

3979. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और प्रशासनिक कुप्रबंध पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आज की तिथि तक उक्त औषधालयों और अस्पतालों के लिए घटिया दवाइयों की खरीद के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. औषधालयों/अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पागावाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलना

3980. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनजातीय बहुल जिलों में प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित क्रियान्वयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र के जनजातीय गडचिरौली जिले के नजदीक आयुर्वेद संस्थान का काम लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जनजातीय बहुत जिलों में चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। राज्य में चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने और अपेक्षित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है।

(ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार ने एम्स जैसी संस्थाएं स्थापित करने तथा छत्तीसगढ़ और झारखंड जनजातीय बहुल राज्यों में चिकित्सा अवसंरचना की उपलब्धता, मृत्यु दर और रूग्णता दर की उच्च घटनाओं, अति विशिष्टता सेवाओं के लिए अपर्याप्त सुविधाओं आदि के संदर्भ में अल्प-सेवित क्षेत्रों में मौजूदा मेडिकल कालेजों में सुविधाओं का भी उन्नयन करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

3981. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने हेतु देशभर में कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बिहार स्थित प्रत्येक राज्य में आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य सहित देश भर में किए गए मोतियाबिंद आपरेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यवार जारी निधियों और राज्य सरकार द्वारा संसूचित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) इस कार्यक्रम के सुचारूपूर्ण कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनायी गई हैं–

1. प्रत्येक जिले/राज्य में जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटी/ राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटी का सुदृढ़ीकरण।
2. नेत्र बैंकों/नेत्र दान केन्दों को आवर्ती अनुदान का विकेन्द्रीकरण।
3. नेत्र शल्य चिकित्सकों को आधुनिक मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा और अन्य विशेषतापूर्ण तकनीकों का प्रशिक्षण देना।
4. ग्रामीण क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 'विजन सेन्टर' की स्थापना।
5. अस्पतालों को विभिन्न स्तर पर सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की नेत्र परिचर्या सेवाओं की क्षमता में वृद्धि।
6. दृष्टिदोष का पता लगाने के लिए स्कूल बच्चों की जांच और निर्धन बच्चों को मुफ्त चश्में उपलब्ध कराना।
7. 80% आईओएल इम्प्लांटेशन सहित मोतियाबिंद आपरेशन करना।

विवरण-I

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

मोतियाबिन्द शल्यचिकित्सा का निष्पादन

क्र. सं.	राज्य	2002-03		2003-04		2004-05*	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रमुख राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	350000	404002	350000	443091	400000	457069
2.	बिहार	140000	63927	140000	87876	100000	86182
3.	छत्तीसगढ़	80000	56451	80000	64196	80000	84388
4.	गोवा	7000	5294	7000	5497	7000	5913
5.	गुजरात	400000	436740	400000	449234	450000	490205
6.	हरियाणा	110000	90665	110000	104375	110000	75239
7.	हिमाचल प्रदेश	16000	16226	16000	18343	16000	14059
8.	जम्मू और कश्मीर	13000	11553	13000	10712	13000	7663
9.	झारखंड	70000	29544	70000	28054	70000	30000
10.	कर्नाटक	220000	244699	220000	263613	250000	239802
11.	केरल	90000	83345	90000	79696	100000	74127
12.	मध्य प्रदेश	240000	224049	240000	233870	250000	220646
13.	महाराष्ट्र	420000	480356	420000	519561	500000	537256
14.	उड़ीसा	130000	81619	130000	82652	130000	80712
15.	पंजाब	160000	122670	160000	133376	160000	137270
16.	राजस्थान	220000	188747	220000	226829	230000	260033
17.	तमिलनाडु	400000	371559	400000	452650	440000	478826
18.	उत्तर प्रदेश	450000	551516	450000	567718	450000	466147

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	उत्तरांचल	100000	34703	100000	37105	60000	34641
20.	पश्चिम बंगाल	220000	233382	220000	249895	220000	181028
	योग	3836000	3731047	3836000	4058343	4036000	3961206
पूर्वोत्तर राज्य							
1.	अरुणाचल प्रदेश	1000	532	1000	664	1000	776
2.	असम	45000	20889	45000	23063	45000	9809
3.	मणिपुर	2000	722	2000	553	2000	604
4.	मेघालय	2000	824	2000	1283	2000	827
5.	मिजोरम	800	733	800	796	800	859
6.	नागालैंड	500	400	500	429	500	365
7.	सिक्किम	1000	376	1000	253	1000	241
8.	त्रिपुरा	8000	8270	8000	8098	8000	5186
	योग	60300	32746	60300	35139	60300	18667
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान और निकोबार	500	530	500	693	500	739
2.	चंडीगढ़	5500	5560	5500	6320	5500	5748
3.	दादरा और नगर हवेली	330	500	330	250	330	2
4.	दमन और दीव	350	372	350	372	350	305
5.	दिल्ली	80000	73391	80000	79994	80000	60764
6.	लक्षद्वीप	20	8	20	87	20	1
7.	पांडिचेरी	7000	7397	7000	9969	7000	9885
	योग	93700	87758	93700	97685	93700	77444
ई.एस.आई.ए.एफ., सी.आर.		10000	5582	10000	6442	10000	4950
सकल योग		4000000	3857133	4000000	4197609	4200000	4062267

*अनन्तिम

विवरण-II

(राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम)

(राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नकद सहायता, डीबीसीएस/एसबीसीएस/एनजीओ को सहायता अनुदान की मद में व्यय)

क्र.सं.	राज्य	2002-03						
		नकद अनुदान		डीबीसीएस/एसबीसीएस/एनजीओ को सहायता अनुदान		अनुरोध पर जारी	कुल जारी	कुल व्यय
		जारी	व्यय	जारी	व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रमुख राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	523.30	262.00	211.05	244.43	100.45	834.82	605.89
2.	बिहार	41.30	0.00	91.50	32.53	25.17	157.97	57.70
3.	छत्तीसगढ़	37.80	26.03	70.00	102.45	57.43	165.23	187.91
4.	गोवा	5.00	7.83	0.00	1.31	5.52	10.52	14.63
5.	गुजरात	41.50	10.30	127.48	155.57	62.37	231.45	228.34
6.	हरियाणा	12.80	60.70	0.21	49.80	32.35	45.36	142.85
7.	हिमाचल प्रदेश	8.00	1.14	23.22	24.08	22.89	54.11	48.11
8.	जम्मू और कश्मीर	8.00	69.07	25.14	9.89	32.65	66.79	111.61
9.	झारखंड	20.10	0.00	54.03	16.19	34.44	118.57	50.63
10.	कर्नाटक	42.90	27.63	308.53	118.34	16.87	368.30	162.84
11.	केरल	10.00	9.57	93.12	88.25	50.10	153.22	148.02
12.	मध्य प्रदेश	177.80	238.00	362.90	145.04	126.59	567.29	509.63
13.	महाराष्ट्र	291.50	82.48	191.50	94.00	234.15	627.15	410.63
14.	उड़ीसा	123.80	103.23	169.00	148.25	32.00	324.80	283.54
15.	पंजाब	14.10	0.00	50.04	8.17	125.11	189.25	133.29
16.	राजस्थान	125.40	77.75	305.00	188.81	96.53	525.93	363.10
17.	तमिलनाडु	425.43	251.97	1075.48	1385.86	151.12	1653.03	1788.95

2003-04							2004-05*						
नकद अनुदान		डीबीसीएस/एसबी सीएस/एनजीओ को सहायता अनुदान		अनुरोध पर जारी	कुल जारी	कुल व्यय	नकद अनुदान		डीबीसीएस/एसबी सीएस/एनजीओ को सहायता अनुदान		अनुरोध पर जारी	कुल जारी	कुल व्यय
जारी	व्यय	जारी	व्यय				जारी	व्यय	जारी	व्यय			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
261.30	15.00	335.92	253.23	99.51	626.73	367.74	21.50	-6.50	252.98	312.94	37.67	312.15	344.11
41.30	10.00	220.12	11.48	27.88	289.30	49.34	0.00	10.00	17.00	2.87	16.62	33.62	29.49
9.77	10.00	116.00	121.16	60.59	156.38	191.75	10.00	0.00	175.00	141.93	35.24	220.24	177.17
-2.80	5.00	13.25	3.04	9.84	20.29	17.88	2.68	2.32	3.00	0.00	2.79	8.47	5.11
31.30	15.00	279.07	42.06	83.38	393.75	140.44	15.00	0.00	293.47	303.00	110.25	418.73	413.26
-47.90	10.00	77.76	17.39	60.14	90.00	87.53	0.00	10.00	99.84	32.63	47.41	147.25	90.04
6.86	10.00	66.25	87.93	21.97	95.08	119.90	0.00	10.00	0.00	3.22	91.54	91.64	104.86
-61.07	10.00	59.25	2.43	25.25	23.43	37.68	14.82	-4.82	0.00	0.51	38.55	53.77	34.64
20.10	10.00	128.75	44.00	22.54	171.39	76.54	0.00	10.00	67.00	32.29	1.35	68.35	43.64
15.27	20.00	411.89	258.97	219.86	647.02	528.83	23.23	-3.23	396.18	425.32	5.51	424.92	427.60
0.33	10.00	157.98	125.58	75.53	243.94	214.31	7.46	2.54	115.44	114.54	14.38	137.28	131.45
-50.20	15.00	386.82	221.43	55.34	381.95	291.77	15.00	0.00	581.63	705.50	33.29	629.92	739.79
119.02	15.00	404.50	253.52	104.43	627.95	382.95	12.86	2.14	271.62	165.68	32.50	317.08	200.42
20.50	15.00	248.25	815.97	38.93	307.73	669.90	4.80	10.20	105.67	246.60	68.19	178.66	324.99
14.10	10.00	103.50	18.45	23.05	140.65	51.50	0.00	10.00	0.00	1.06	11.63	11.63	22.69
47.64	15.00	238.75	239.86	74.25	360.65	379.12	0.00	15.00	350.00	386.61	16.51	355.51	418.12
173.46	15.00	1417.55	1314.80	62.74	1653.75	1392.54	0.00	15.00	997.82	988.31	15.82	1014.64	1020.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	उत्तर प्रदेश	383.57	185.37	494.94	615.26	184.69	1063.20	986.32
19.	उत्तरांचल	35.00	41.30	65.00	79.17	15.02	115.02	135.49
20.	पश्चिम बंगाल	40.30	13.53	182.27	45.12	82.55	305.12	141.27
	योग	2777.70	1470.10	3912.42	3553.63	1488.01	7678.13	6511.74
पूर्वोत्तर राज्य								
1.	अरुणाचल प्रदेश	4.00	19.53	10.12	20.55	2.10	16.22	42.18
2.	असम	5.35	3.51	30.27	27.32	0.08	35.70	31.21
3.	मणिपुर	4.00	0.00	11.85	0.17	4.28	20.13	4.45
4.	मेघालय	4.00	11.41	11.84	6.72	9.25	25.12	26.91
5.	मिजोरम	9.35	5.51	18.32	8.58	4.05	31.72	18.34
6.	नागालैंड	4.00	4.09	16.62	7.35	2.60	23.22	13.95
7.	सिक्किम	4.50	3.00	15.74	0.00	0.32	20.56	3.32
8.	त्रिपुरा	6.00	23.34	21.51	16.27	12.37	39.88	53.98
	योग	41.20	70.70	136.27	88.56	35.09	212.56	194.35
संघ राज्य क्षेत्र								
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.50	0.00	0.00	1.90	0.09	1.59	1.99
2.	चंडीगढ़	1.50	2.28	5.00	4.06	3.57	10.07	9.91
3.	दादरा और नगर हवेली	1.50	0.38	1.50	3.34	1.16	4.16	4.88
4.	दमन और दीव	3.00	0.00	1.00	1.60	0.97	4.97	2.57
5.	दिल्ली	0.00	20.51	21.34	18.74	0.96	22.30	40.21
6.	लक्षद्वीप	1.50	1.22	0.00	0.24	0.06	1.56	1.52
7.	पांडिचेरी	1.50	3.90	0.00	0.31	0.54	2.04	4.75
	योग	10.50	28.29	28.84	30.19	7.35	46.69	65.83
मध्य सेल							525.06	525.06
सकल योग		2329.40	1569.09	4077.53	3672.38	1530.44	8462.43	7296.97

*अनन्तिम

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
198.20	15.00	759.83	465.08	226.61	1184.64	706.69	0.00	15.00	406.18	489.00	228.82	635.00	732.82
-6.30	10.00	87.50	54.17	41.13	122.33	105.30	42.74	-32.74	32.00	29.73	2.14	76.88	-0.87
26.70	15.00	303.75	45.22	67.24	397.69	127.48	0.00	15.00	11.49	142.38	73.14	84.63	230.52
807.60	250.00	5826.69	4488.85	1400.32	8034.61	6139.17	170.09	79.91	4176.32	4525.12	884.96	5231.37	5489.99
-15.53	4.00	10.63	6.54	19.41	14.51	29.95	10.05	-6.05	37.50	34.72	2.15	51.70	32.82
1.54	10.00	89.50	25.48	7.59	98.63	44.07	0.00	10.00	17.52	8.35	19.53	37.05	37.68
4.00	4.00	21.15	0.00	2.69	27.84	6.69	0.00	4.00	0.00	0.00	3.94	3.94	7.94
-7.41	4.00	14.90	8.68	14.49	21.98	27.17	10.20	-6.20	35.00	20.44	1.89	47.09	16.13
3.74	4.00	13.38	14.03	7.75	24.87	25.78	9.35	-5.35	0.00	24.29	1.58	11.23	20.82
0.00	4.00	10.50	11.89	0.68	11.18	15.57	30.18	25.18	0.00	0.00	4.75	34.93	-21.43
1.50	3.00	6.25	0.00	7.11	14.86	10.11	2.06	0.94	0.00	0.00	1.35	3.41	2.29
-17.34	6.00	36.50	15.19	12.21	31.37	34.40	28.03	-22.03	0.00	18.97	12.44	40.47	9.38
-29.50	39.00	202.81	83.81	71.93	245.24	194.74	89.37	-50.87	90.02	106.77	49.93	229.82	105.83
1.50	3.00	3.50	0.00	0.80	5.80	3.80	0.00	3.00	1.00	1.20	0.33	1.33	4.53
-0.78	3.00	6.38	1.23	10.20	15.80	14.43	0.00	3.00	4.05	4.30	0.53	4.58	7.83
1.12	2.00	3.50	3.25	2.37	6.99	7.62	0.09	1.91	0.00	0.00	0.00	0.09	1.91
3.00	2.00	3.50	0.23	0.21	6.71	2.44	2.23	-0.23	0.00	0.00	0.19	2.42	-0.04
-20.51	10.00	22.77	2.48	15.09	18.35	28.57	2.33	7.67	32.43	5.97	1.96	36.72	15.60
0.28	2.00	3.50	2.28	0.54	4.32	4.82	0.00	2.00	3.00	0.00	0.45	3.45	2.45
-2.40	1.50	6.38	2.03	5.22	9.20	8.75	4.10	-2.60	3.00	8.72	0.01	7.11	6.13
-17.79	23.50	49.53	11.50	35.43	67.17	70.43	8.75	14.75	43.48	20.19	3.47	55.70	38.41
					214.70	214.70						3203.21	
760.31	312.50	6079.03	4584.16	1507.68	8561.71	6619.03	268.71	43.79	4309.82	4652.08	938.36	8720.10	5634.23

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों पर भीड़भाड़ कम करना

3982. श्री बी. विनोद कुमार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के प्रमुख पत्तनों जैसे जे.एन.पी.टी. चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट आदि पर भीड़भाड़ कम करने हेतु क्या विभिन्न कदम उठाए गए है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख पत्तनों पर भीड़भाड़ कम करने हेतु कुल कितनी बजटीय परिव्यय किया गया/वित्तीय अनुमान लगया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख पत्तनों पर भीड़भाड़ कम करने के कार्य पर खर्च की गई रकम की तुलना में कुल कितनी बजटीय राशि स्वीकृत की गई; और

(घ) इस संबंध में पत्तन-वार किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) महापत्तन, निर्यात-आयात से संबंधित यातायात संभालने की दृष्टि से कुल मिलाकर, अपेक्षित उपस्करों से सुसज्जित हैं। फिर भी, पिछले वर्ष के दौरान, जवाहरलाल नेहरू-पत्तन-न्यास और चेन्नई-पत्तन-न्यास पर अपेक्षित स्थान के अभाव (भीड़-भाड़) के दृष्टांत पाए गए हैं। उपर्युक्त स्थानाभाव (भीड़-भाड़) से निबटने की दृष्टि से उठाए जाने आरंभ किए गए प्रभावी कदमों में रीच स्टैकरों, ट्रैक्टर-ट्रेलरों इत्यादि जैसे अतिरिक्त उपस्करों का काम-काज के संचालन में गत्यात्मकता से प्रयुक्त किया जाना शामिल है। पत्तनों ने कंटेनरों की स्टेकिंग के लिए अलग क्षेत्र भी निश्चित कर लिया है और संचयन के लिए अतिरिक्त स्थान कायम कर लिया है। कंटेनरों का एक साथ संचलन सुनिश्चित करने और स्थानाभाव (भीड़-भाड़) दूर करने की दृष्टि से गैर सरकारी पक्षों से परामर्श करके, जहाजी माल की अपेक्षाकृत अधिक तेजी और शीघ्रता से निकासी करने के कदम उठाए जाने आरंभ किए जाते हैं।

(ख) से (घ) महापत्तनों में स्थानाभाव (भीड़-भाड़) दूर करने के कदम उठाए जाने के लिए कोई धनराशि विशेष रूप से उद्दिष्ट नहीं की गई है। पत्तनों की क्षमता बढ़ाने, उनका रेल और सड़क से बेहतर संपर्क कायम किया जाना सुनिश्चित करने इत्यादि के विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। महापत्तनों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में किया गया कुल आबंटन और वास्तव में हुआ व्यय निम्नानुसार है:-

वर्ष	बजट-अनुमान (करोड़ रु.)	वास्तविक व्यय (करोड़ रु.)
2002-2003	902.12	478.96
2003-2004	914.89	303.83
2004-2005	735.91	320.56

महापत्तनों और सरकार द्वारा पत्तनों से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने तथा पत्तनों की क्षमता बढ़ाने में किए गए निवेश से, इन पत्तनों की कार्य-कुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

कर्नाटक में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत परियोजनाएं

3983. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत दावणगेरे, कर्नाटक में चलाए जाने हेतु प्रस्ताव/परियोजनाएं भेजी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 में दावणगेरे में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कर्नाटक के लिए कितनी राशि स्वीकृत/जारी की गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) परियोजनाओं के लिए राशि कब तक स्वीकृत/जारी किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) कर्नाटक राज्य सरकार से दावणगेरे जिले के लिए 2.40 करोड़ रु. के 6 केंद्रीय सड़क निधि प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव 2.40 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष 2004-05 में अनुमोदित

कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उपभोग प्रमाण पत्रों के आधार पर स्वीकृत केंद्रीय सड़क निधि कार्यों के लिए समय समय पर धनराशि जारी की जाती है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र के विकासात्मक कार्यकलापों में कमी आना

3984. श्री रेवती रमन सिंह :
श्री राव्यपति सांबासिवा राव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने यह आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र को विकासशील देशों की आवश्यकताओं हेतु अपने कार्यकलापों में और अधिक संतुलन लाने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के विदेश सचिव ने खतरे, चुनौतियां और परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्चस्तरीय पैनल की रिपोर्ट पर अपना मुख्य भाषण देते समय यह सुझाव दिया था;

(ग) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधि द्वारा अपने भाषण में क्या अन्य सुझाव दिए;

(घ) उन प्रस्तावों को किस हद तक स्वीकार किया गया और संयुक्त राष्ट्र सचिवों की रिपोर्ट में शामिल किया गया;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विकासात्मक कार्यकलापों में आई कमी पर अपनी चिंता व्यक्त की है;

(च) यदि हां, तो भारत का यह मानना है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार सहित समस्त संयुक्त राष्ट्र संस्थागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (ग) 30 दिसम्बर, 2004 को इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा खतरे, चुनौतियों और परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उच्चस्तरीय पैनल की रिपोर्ट पर आयोजित पैनल वार्ता में विदेश सचिव ने अपने प्रमुख भाषण में संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकताओं में, इसके अधिकतर सदस्यता की चिंताओं को दर्शाने के उद्देश्य से, उच्चतम संतुलन लाने की आश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संशोधन की सभी पहलूओं में भारत की रूचि पर भी जोर दिया और संस्थागत संशोधन, संयुक्त राष्ट्र की कार्य पद्धति में सुधार, निर्णय बनाने में लोकतंत्रीकरण, प्रभावकारी बहुपक्षवाद, विकास को यथोचित प्राथमिकता, निशस्त्रीकरण व परमाणु अप्रसार आदि की आवश्यकता सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

(घ) संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 21 मार्च, 2005 को जारी रिपोर्ट में खतरे, चुनौतियां और परिवर्तन संबंधी उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि परियोजना, 2005 और सदस्य राज्यों के बीच संयुक्त राष्ट्र में इन रिपोटो पर वार्ताओं को रेखांकित किया गया है। भारत ने इन वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र की वाताओं में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की विकासात्मक कार्यकलापों में आई कमी पर बल दिया।

(च) और (छ) भारत इस बात पर कायम है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार सहित संयुक्त राष्ट्र संशोधन के सम्पूर्ण श्रेणियों पर बल दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में इन मुद्दों पर वार्ताएं चालू हैं।

[अनुवाद]

स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु लंबित प्रस्ताव

3985. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1857 के महान विद्रोह के नेता सिद्धू और कनु नामक शहीदों के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्मारक डाक टिकट कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) विभाग द्वारा दिनांक 06-04-2002 को सिद्धू और कनु के सम्मान में पहले ही स्मारक डाक-टिकट जारी किया जा चुका है।

असुरक्षित इंजेक्शनों का प्रयोग

3986. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में असुरक्षित इंजेक्शनों के प्रयोग से प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत लोग हेपेटाइटिस-बी और सी और एक चौथाई लोग एचआईवी. संक्रमण से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा असुरक्षित इंजेक्शनों के प्रयोग को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) असुरक्षित इंजेक्शन के प्रचलन से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस "सी" एचआईवी संक्रमण इत्यादि जैसे जनित रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। आईएनसीएलईएन अध्ययन के अनुसार असुरक्षित इंजेक्शन के प्रचलन के कारण रक्त जनित रोग का संभावित जोखिम 31.6% है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए ए डी (आटोडिसेबल्ड) सिरिंजों का प्रयोग शुरू करने का निर्णय लिया है। इन सिरिंजों का पुन: इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इसलिए रक्त जनित संक्रमणों (अर्थात हेपेटाइटिस बी.सी. और एचआईवी) के संचरण की संभावना कम हो जाती है।

[हिन्दी]

ड्राप्सी के मामले

3987. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ वर्षों के ड्राप्सी के दौरान कारण देश में कई बच्चों की जानें चली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ड्राप्सी के मामलों को रोकने हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के पश्चात भेज दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते

3988. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र में समतुल्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों की तुलना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति और प्रक्रिया के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को युक्तिसंगत बनाने और वास्तविक स्तर तक लाने हेतु कोई अध्ययन कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश चौधरी) : (क) जी, हां। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और प्रसुविधाओं का आकलन करने के आशय से प्रबंध विकास संस्थान गुड़गांव के माध्यम से एक अध्ययन करवाया है।

(ख) इस बारे में किए गए अध्ययन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन का निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

1. भारत सरकार के सचिव पर आने वाली औसत लागत, निजी क्षेत्र के एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर आने वाली लागत की आधी होती है। निजी क्षेत्र में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की प्रति माह लागत 1,02,255 रुपए है जबकि एक सचिव पर आने वाली लागत 44,817/-रु. होती है।

2. 23,303/-रु. के औसत मूल वेतन (मंहगाई भत्ते+नगर प्रतिकर भत्ते सहित) के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 14,752/-रुपए का प्रोत्साहन वेतन मिलता है, जो मूल वेतन का 65% है। भारत सरकार के सचिव को इस प्रकार की कोई राशि प्राप्त नहीं होती है।

3. निजी क्षेत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को मूल वेतन के अलावा आवास तथा कार के लाभों के रूप में कुछ और सुविधाएं प्राप्त होती है। इनमें आवास तथा सजावट भत्ता, आवास रख-रखाव, टेलीफोन, ड्राइवर, कार रख-रखाव बीमा, पथ कर, पेट्रोल आदि भी शामिल हैं। कुछ मामलों में आवास तथा कार पर होने वाले कुछ खर्चे की नकद प्रतिपूर्ति भी जाती है। सचिव को भी आवास तथा कार की सुविधा प्रदान की जाती है परन्तु यह निजी क्षेत्र की तुलना में कम होती है।

4. इसके अलावा निजी क्षेत्र में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विविध भत्तों जैसे पुस्तक तथा पत्र-पत्रिका भत्ता, क्लब सदस्यता, क्रेडिट कार्ड, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा, मनोरंजन, सेवाएं तथा सुविधाएं, नौकर आदि के रूप में प्रति माह लगभग 12,645/-रुपए प्राप्त करते हैं जो कि मूल वेतन का लगभग 55% है। भारत सरकार के सचिव को भी कुछ चिंकित्सा लाभ तथा केवल रेल द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की हकदारी प्राप्त है जो 2700/-रुपए अथवा मूल वेतन के 16% के बराबर है।

5. निजी क्षेत्र में, उच्च कार्यपालक अधिकारियों को उत्तरोत्तर ऐसे अधिवर्षिता लाभ दिए जा रहे हैं जो सचिवों को उपलब्ध पेंशन हकदारियों की तुलना में बहुत अधिक हैं।

6. निजी क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को प्रतिकर के रूप में 30 से 35% तक की वार्षिक वृद्धि दी जाती है, जबकि सचिवों को दी जाने वाली यह वृद्धि बहुत कम (8-9% तक) होती है। यदि यही स्थिति जारी रही तो मुख्य कार्यपालक अधिकारियों तथा सचिवों को दी जाने वाली प्रतिकर की राशि में अंतर, समय के साथ-साथ बढ़ता जाएगा।

7. निजी क्षेत्र में विभागाध्यक्ष के प्रतिपूरक पैकेज का ढांचा मुख्य कार्य-पालक अधिकारी के पैकेज के समान होता है लेकिन उनके पारिश्रमिक में काफी अंतर होता है। एक विभागाध्यक्ष को मुख्य कार्यपालक अधिकारी से 40% कम प्राप्ति होती है। जबकि सरकार में सचिव और संयुक्त सचिव की परिलब्धियों में बहुत कम अंतर होता है। विभागाध्यक्ष के स्तर पर, निजी संगठन पदनाम के मामले में काफी उदार होते हैं लेकिन प्रतिपूर्ति के मामले में काफी अनुदार होते हैं। एक विभागाध्यक्ष को 8-10 वर्षों का अनुभव प्राप्त होता है जबकि संयुक्त सचिव सेवा में 16 से 22 वर्ष व्यतीत कर चुका होता है।

8. हालांकि, निजी क्षेत्र में सेवा में भर्ती स्तर पर कार्यपालकों का औसत प्रतिपूरक पैकेज सरकार से कम हो सकता है कुछ मामलों में कार्यपालक भर्ती के बाद कुछ समय में ही प्रतिपूर्ति की इतनी राशि प्राप्त करने लगते हैं जो भारत सरकार के उच्चतम स्तर पर उपलब्ध प्रतिपूर्ति की राशि से दोगुनी होती है। ऐसा मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में उपलब्ध पिष्पादन से जुड़े पारितोषिकों के कारण होता है।

9. निजी क्षेत्र में, निष्पादन मानदण्ड भली भांति निर्धारित होते हैं तथा वेतन में संशोधन वार्षिक आधार पर किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की तुलना में अच्छा कार्य निष्पादन करते हैं उन्हें वेतन वृद्धियां तथा पदोन्नतियां शीघ्र दी जाती हैं।

10. निजी क्षेत्र में, गैर-कार्यपालकों के कार्यों में काफी अधिक लचीलापन होता है तथा उन्हें अनेक प्रकार के विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक टाइपिस्ट को, टेलीफोन आपरेटर, आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक अथवा सहायक के कार्य भी करने पड़ते हैं। इसी प्रकार एक चपरासी/संदेशवाहक को ड्राइवर तथा अन्य काम जैसे चाय तैयार करना और देना आदि कार्य भी सौंपे जाते हैं।

11. गैर कार्यपालकों के वार्षिक वेतन में इस प्रकार से संशोधन किया जाता है कि वेतन वृद्धि की दर में मुद्रा स्फीति समायोजन तथा कार्य निष्पादन के लिए पारितोषिक, दोनों घटक शामिल होते हैं।

12. निजी क्षेत्र में, कर्मचारियों के हित से जुड़े अनेक पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, उपस्थिति पारी

भत्ता, परिवार के सदस्यों के लिए परिवहन, पिकनिक, महत्वपूर्ण त्यौहारों पर उपहार आदि।

13. निजी क्षेत्र में वेतन की जानबूझ कर ऐसी संरचना तैयार की जाती है कि कर्मचारी, आयकर बचा सकता है। निजी क्षेत्र में वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नकद भत्ता होता है जो उन्हें ''प्रतिपूर्ति'' के आधार पर दिया जाता है ताकि आयकर के भुगतान से बचा जा सके। इनमें से कुछ को अनाचार भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की पद्धतियां सरकार में संभव नहीं है जहां पारदर्शिता अधिक है तथा लेखा परीक्षा की प्रणाली अधिक कठोर है। अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को आयकर से छूट दी जाए अथवा उनके कर भार में कमी की जाए।

14. निजी क्षेत्र में अवकाशों की संख्या सरकार की तुलना में काफी कम है। लेकिन कार्य अवधि तथा कार्य दिवसों की संख्या कहीं अधिक है। वास्तव में, कार्य का कोई निर्धारित मानक समय नहीं है।

15. सरकार को अतिशीघ्र पदोन्नतियों संबंधी कोई स्कीम लागू करने पर विचार करना चाहिए। कुछ नियुक्तियां संविदा आधार पर की जानी चाहिए।

16. कुछ सरकारी क्षेत्रों में कार्य निष्पादन तथा प्रतिपूर्ति के बीच आसानी से संबंध स्थापित किया जा सकता है क्योंकि ये विभागीय तौर पर चलाए जाने वाले वाणिज्यिक अथवा सेवा उपक्रम हैं।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

3989. श्री के.सी. सिंह ''बाबा'' : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल ने केंद्र सरकार को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) फरवरी, 2004 में मंत्रालय ने देश में 7457 कि.मी. राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था। तदुपरांत उत्तरांचल सरकार से नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टोल टैक्स वसूलना

3990. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टुमकुर और नीलमंगला राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच स्थित टोल ब्रिज 24 घंटे के भीतर दोनों तरफ के लिए टोल टैक्स वसूल रहा है;

(ख) क्या यह 24 घंटों के भीतर गुजरने वाले एक वाहन द्वारा एक तरफ के लिए टोल टैक्स वसूलने संबंधी दिशानिर्देश का उल्लंघन है;

(ग) क्या इस पर कोई रोक लगाई गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दुर्घटना और भीड़भाड़ से बचने हेतु धीमी गति से चलने वाले वाहनों के लिए एक अलग लेन बनाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) स्थानीय और धीमी गति से चलने वाले वाहनों के लिए इस खंड में 8.5 कि.मी. लंबाई में सर्विस रोड के निर्माण

का प्रावधान है जिसमें से 7.2 कि.मी. लंबाई में पहले ही सर्विस रोड का निर्माण किया जा चुका है। सर्विस रोड की शेष लंबाई में निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी

3991. श्री संतोष गंगवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को मांग के प्रति कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंट भट्टा (बीआरके) क्षेत्र के लिए कोयले की कमी का अनुमान लगाया है।

(ख) पहले से ही की जा रही आपूर्तियों के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई मांग के आधार पर ईंट भट्टा क्षेत्र की खपत के लिए उत्तर प्रदेश को 0.5 मिलियन टन कोयला आबंटित किए जाने पर सहमति हुई है जिसे मानसून मौसम के शुरू होने से अर्थात् जून, 2005 से पहले फरवरी से मई, 2005 के दौरान उठाया जाना है। परन्तु सीआईएल द्वारा की गई पेशकश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिवत नियुक्त सरकारी अभिकरण ने अभी तक आबंटित उक्त मात्रा को उठाने के लिए सम्पर्क नहीं साधा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश को विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों को की गई कोयले की आपूर्ति की मात्रा नीचे दी गई है:-

(आकड़े हजार टन में)

वर्ष	विद्युत	सीमेंट	उर्वरक/ उर्वरक सीपीपी	ईंट (प्रायोजित)	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
2002-03	40273	7	316	875	10421	51892
2003-04	41187	72	362	1054	7886	50561
2004-05 (अनन्तिम)	42759	87	355	125	8403	51729

[अनुवाद]

सड़क सेक्टर हेतु भूमि अधिग्रहण

3992. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिनसुकिया में बाई-पास हेतु भूमि अधिग्रहण करने डिब्रूगढ़ बाईपास का सर्वेक्षण करने और राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के धौला क्षेत्र पर केएम 638 और केएम 689 पर सुदृढ़ीकरण और गुणोत्तर सुधार नामक तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख, कुल परिव्यय, स्वीकृति की तारीख और अभी तक प्राप्त उपलब्धियों का तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) उपर्युक्त प्रस्तावों से संबंधित ब्योरे नीचे दिए गए हैं:-

(i) तिनसुकिया में बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जून, 2004-05 में प्राप्त प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि वार्षिक योजना 2004-05 में इसके लिए कोई स्थान नहीं था।

(ii) डिब्रूगढ़ बाइपास के सर्वेक्षण के लिए प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) 638 किमी. में सुदृढीकरण और ज्यामीतिय सुधार के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(iv) सुदृढीकरण और ज्यामीतिय सुधार के लिए प्रस्ताव, जिसमें 689 कि.मी. लंबाई है, दिसंबर, 2004 में प्राप्त हुआ था जिस पर राज्य लोक निर्माण विभाग से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे। चूंकि स्पष्टीकरण अभी प्राप्त होने हैं, इसलिए परिव्यय तथा अन्य ब्योरे बता पाना अभी कठिन है।

पशुओं के उपचार में होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग

3993. श्रीमती मेनका गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होम्योपैथिक महाविद्यालय पशुओं के उपचार में होम्योपैथिक दवाइयों के उपयोग संबंधी जानकारी प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पशुओं के उपचार में होम्योपैथिक को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) होम्योपैथिक औषधियों का परीक्षण पशुओं पर न करके स्वस्थ्य व्यक्तियों पर किया जा रहा है

(घ) होम्योपैथिक उपचार व्यक्तिपरक और विषय-परक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। पशुओं के मामले में, व्यक्तिपरक लक्षण अभिलिखित नहीं किए जा सकते। तथापि, विधिक रूप से पशुओं के लिए होम्योपैथिक औषधियों के प्रयोग करने संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है।

किडनी फेन होने से बचने के लिए प्रोटोकॉल

3994. श्री एस.के. खारवेनचन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चेन्नई स्थित एक गैर-सरकारी संगठन ने किडनी को फेल होने से बचाने के लिए एक परिवर्तनीय और कम कीमत वाली प्रभावी प्रोटोकॉल विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठन की सहायता और किडनी रोगियों को सुगम और वहनीय उपचार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (रिट याचिका संख्या 813/2004 में दिनांक 6.9.2004 के निर्णय के अनुसार) द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 और मानव अंग प्रतिरोपण नियमावली, 1995 के प्रावधानों की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की गई है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 30.4.2005 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। सरल और वहनीय उपचार के लिए वृक्क रोगियों की सहायता करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ, उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित उक्त समिति की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

पश्चिम बंगाल में दूरसंचार सेवाओं के लिए धनराशि

3995. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए आबंटित की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार सर्किल ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर किए गए व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गौण स्विचन क्षेत्र-वार/जिला-वार आबंटित निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट आबंटन अभी निर्धारित किया जाना है तथापि, सर्किल को पहले दो महीनों के लिए पिछले वर्ष के आबंटन का 1/6 भाग खर्च करने का अधिकार दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल में 31 मार्च, 2004 को समाप्त दो वर्षों के संचयी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। वर्ष

2004-05 के लक्ष्यों की वर्ष-वार उपलब्धि निश्चित की जा रही है तथा अनंतिम आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	व्यय (करोड़ रु.)
1.	2002-03*	279000	356211	644.52
2.	2003-04*	417000	371171	464.55
3.	2004-05**	883700	629609	368.22 (फरवरी 2005 तक)

*दो वर्षों अर्थात 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान 727382 सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) की संचयी उपलब्धि ने 696000 सीधी एक्सचेंज लाइनों के लक्ष्य को पार किया है।

**वर्ष 2004-05 के लिए दर्शायी गई उपलब्धि अनंतिम है

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान फिक्सड लाइनों तथा डब्ल्यूएलएल कनैक्शनों की उपलब्धि में कमी, कनैक्शन काट दिए जाने तथा अदालती मामलों के कारण स्थिर बेतार टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) से संबंधित उपस्कर उपलब्ध न होने तथा उपस्करों के प्रापण के खिलाफ अदालत द्वारा दिए गए स्थगनादेश के कारण आयी है।

(ङ) सीएमटीएस उपस्करों के प्रापण के लिए अग्रिम कार्रवाइयां की गई हैं तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान उपस्कर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

विवरण

पश्चिम बंगाल में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए आबंटित निधियों का एसएसए/जिला/वर्ष-वार ब्यौरा

राशि करोड़ रुपयों में

क्र. स.	एसएसए/जिले का नाम	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05
1	2	3	4	5
1.	आसनसोल	9.64	4.11	9.31
2.	बर्दवान	9.64	14.82	17.11
3.	बेरहमपुर	16.2	8.21	9.09
4.	बांकुरा	14.23	8.13	10.27
5.	कोलकाता	54.8	39.14	74.19
6.	कूचबिहार	5.46	3.91	4.64
7.	दुर्गापुर	9.64	8.41	5.29
8.	गंगटोक	8.25	4.3	5.13
9.	जलपाईगुड़ी	11.77	5.61	4.55
10.	खड़गपुर	28.04	19.87	36.19
11.	कृष्णानगर	19.17	13.57	12.33
12.	मालदा	6.23	7.6	8.55
13.	पुरूलिया	5.25	2.73	6.31
14.	रायगंज	7.59	3.95	4.35
15.	सिलिगुड़ी	14.91	7.84	3.07
16.	सुरी	11.87	7	11.73
17.	कोलकोता शहर	212.24	174.95	267.89
18.	सीएमटीएस और अन्य*	125.77	83.62	164.81
	जोड़	570.7	417.77	654.81

*सीएमटीएस के अन्तर्गत आबंटन संपूर्ण पश्चिम बंगाल सर्किल के लिए है।

निर्धन रोगियों को उपचार की आधुनिक सुविधाएं देना

3996. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्धन लोगों, विशेषकर ग्रामीण और दूरवर्ती स्थानों पर रहने वाले लोगों को गंभीर रोगों के उपचार के लिए अपने-अपने राज्यों की राजधानियों और दिल्ली भी जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास निर्धन रोगियों के लाभ के लिए जिला और राज्य स्तरीय अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विशेष आवंटन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तन करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी और ग्रामीण लोगों को समान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार की तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में उन्नयन करने हेतु पूरे देश में एम्स के समान 6 संस्थाओं को स्थापित करने तथा 7 मौजूदा राज्य संस्थाओं को एम्स जैसी सुविधाओं वाली संस्था तक अद्यतन करने की अपेक्षा है। राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना और प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नाको तथा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम जैसे विभिन्न दाता वित्तपोषित कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिला और राज्य स्तरीय अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) से (छ) जी, हां। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 12.4.2005 को पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरूआत की गई है जिसमें 18 राज्यों पर विशेष फोकस किया गया है एनआरएचएम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकस्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना है। इसका प्रस्ताव भारतीय जन स्वास्थ्य मानदण्ड (आईपीएचएस) के अनुसार 2000+ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड करने का है इसकी सचल चिकित्सा एककों का प्रावधान करने की अपेक्षा भी है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों आउटरीच सेवाओं का उन्नयन किया जा सके।

(ज) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। आरसीएच के अन्तर्गत मामूली मरम्मत और बिल्डिगों के रखरखाव, विशेषतया ऑपरेशन कक्ष, प्रसूति कक्ष इत्यादि के लिए सभी राज्यों को प्रति जिला 10 लाख रु. की धनराशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

सूचना के आदान-प्रदान पर रोक लगाना

3997. श्री सीताराम यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ई-मेल, चैट और वेबसाइट के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान पर रोक लगाने का है चूंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रसायन विज्ञान पर राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी

3998. श्री डी. चिट्टल राव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ''रसायनिक विज्ञान में भविष्य की चुनौतियां'' विषय पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

3999. श्री अर्जुन सेठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा बनाई जाती हैं और उनका कार्यान्वयन अंतत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/उनकी एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन संबंधी रीति-विधान केन्द्र सरकार के संबंधित कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा बनाये जाते हैं। इन स्कीमों की निगरानी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की जाती है। योजना आयोग तिमाही निष्पादन समीक्षा प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान योजना स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष योजनाओं के लिए संसाधन

4000. श्री सूरज सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के चयन और अनुसंधान कार्यक्रमों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो अंतरिक्ष विभाग में कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है और इसके लिए क्या मानदंड हैं तथा तीन वर्षों के दौरान कितने वैज्ञानिकों ने विश्व स्तर अनुसंधान संबंधी विषय/कार्यक्रमों में भाग लिया था;

(घ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान संसाधनों के अभाव में अंतरिक्ष योजनाओं पर प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)/भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में 659 वैज्ञानिकों/इंजीनियरों की भर्ती की गई है। चयन के लिए अनिवार्य मानदंडों में समय-समय पर कार्यक्रम संबंधी जरूरतों तथा नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता अर्थात् बी.टेक./एम.एस.सी./एम.टेक./पी.एच.डी. के संबंध में उपयुक्तता को शामिल किया गया है। डी.ओ.एस./इसरो प्रमोचक राकेटों, उपग्रहों और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विश्व स्तरीय अनुसंधान और विकास कार्यों में कार्यरत है, जिसमें सभी वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का योगदान होता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष में कम कीमत पर जाना

4001. श्री राजेन्द्र कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इसरो' अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष में कम कीमत पर जाने की प्रणालियों की खोज कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पास दो प्रचालनात्मक प्रमोचक राकेट हैं अर्थात् ध्रुवीय कक्षा में सुदूर संवेदन उपग्रहों के प्रमोचन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट, पी.एस.एल.वी., तथा भू-तुल्यकाली अन्तरण कक्षा में संचार उपग्रहों के प्रमोचन के लिए भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट, जी.एस.एल.वी., जोकि लागत प्रतिस्पर्धी हैं। इसके अलावा, अन्तरिक्ष में अभिगमन की लागत में पर्याप्त कमी करने के लक्ष्य से जी.एस.एल.वी.-मार्क-III राकेट का विकास शुरू किया गया है।

गुजरात में भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान

4002. **श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य सरकार से जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्यमंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, नहीं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग को गुजरात राज्य सरकार से भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, जनवरी, 2003 में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने तत्कालीन माननीय मानव संसाधन विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के इस प्रयोजन के लिए पत्र लिखा था। माननीय मानव संसाधन विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने अपने उत्तर में राज्य सरकार से यह अनुरोध किया था कि वे राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के बीच एक बैठक का आयोजन करें। यह बैठक अभी होना बाकी है।

खादी ग्रामोद्योग भवन और भंडार का नवीकरण

4003. **श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से खादी ग्रामोद्योग भवन और भंडार के नवीकरण के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन्नयन और कम्प्यूटरीकरण के लिए पहुंचाने गए केवीआईसी के बड़े विक्रय केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केवीआईसी के विक्रय केन्द्रों के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकें?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के प्रमुख सेल्ज आउटलेट्स जिनका आधुनिकीकरण के लिए पता लगाया गया है उनमें सम्मिलित हैं खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, ग्रामशिल्प, नई दिल्ली तथा खादी ग्रामोद्योग भवन, कोलकाता।

(ग) उठाए गए कदमों में नवीनीकरण/चुनिन्दा खादी ग्रामोद्योग भवनों का आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकृत बिल तथा लेखा उत्पादों का बार कोडिंग, नए खादी भारत लोगों साइन बोर्ड, उत्पाद प्रदर्शन के लिए सुधरी शोकेसिंग, ब्राडेड उत्पादों तथा डिजाइनर गारमेन्टस के लिए स्पेशल काउंटर, चुनिन्दा सेल्ज व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, ग्रामोद्योग उत्पादों इत्यादि के लिए खादी, देसी आहार और सर्वोदय ब्रांड शुरू करना सम्मिलित हैं।

बच्चे भी एच.आई.वी. के नए शिकार

4004. **डा. एम. जगन्नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चौदह वर्ष की कम आयु के बच्चे भी एच.आई.वी. के शिकार हो रहे हैं जैसा कि आन्ध्र प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटी की सेन्टीनल सर्वेलेन्स रिपोर्ट में बताया गया है जो 3 मार्च, 2005 के "दक्कन क्रानिकल" में प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां।

जुलाई-सितंबर, 2004 के दौरान राष्ट्रीय प्रहरी निगरानी के भाग के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा आन्ध्र प्रदेश में एचआईवी प्रहरी निगरानी चलाई गई। इसलिए, 15 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को इस प्रहरी निगरानी में शामिल नहीं किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-II के अन्तर्गत, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन अपनी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के जरिए माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए ixवीं तथा xiवीं कक्षाओं में सह- पाठ्यचर्यात्मक विधि से अपने माड्यूल जीवन के लिए शिक्षा के माध्यम से स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम चलाता है। माड्यूल को एनएसीओ, एनसीईआरटी, यूएनईएससीओ तथा यूएनआईसीईएफ के विशेषज्ञों द्वारा एक परामर्शी प्रक्रिया से तैयार किया गया। आयु तथा संस्कृति अनुकूल सूचना पर ध्यान इस तरह दिया गया है कि एचआईवी के संबंध में जागरूकता पेदा करने के अलावा यह युवा लोगों को सुरक्षित तथा जिम्मेवार जीवन शैली की ओर जीवन कौशल जैसे कि हम उम्र वाले व्यक्तियों के दबाव का प्रतिरोध करना, नकारना, निर्णय लेना इत्यादि को विकसित करने में भी सहायता करता है। स्कूल स्तर के कार्यकलापों में शिक्षकों एवं हम उम्र (पीयर) शिक्षकों का प्रशिक्षण, नोडल शिक्षक छात्रों में पीयर शिक्षक संबंधी दृष्टिकोण, भूमिकाएं निभाना, चर्चाओं, वाद-विवादों, प्रतियोगिताओं प्रश्न बॉक्स तथा यदि आवश्यक हो तो रेफरल सेवाओं तक पहुंच शामिल हैं। एचआईवी/एड्स निवारण शिक्षा की विषय-वस्तु को नियमित पाठ्यक्रम (पाठ्य-पुस्तकों) तथा शिक्षकों की सेवा पूर्व/ सेवाकालीन प्रशिक्षण नियमावली में भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। यह सब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेतृत्व में शिक्षा प्राधिकारियों के गहन सहयोग से किया जाता है।

दूरसंचार सेवाओं का विस्तार

4005. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेट ने रक्षा और नागरिक अवसंरचना को आकस्मिक और अनभिप्रेत रूप से अतिसंवेदनशील बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के परिणामस्वरूप सुरक्षा संबंधी पहलुओं की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रह है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विकास सहयोग देने वाले सहयोगी देशों से सहायता

4006. श्री विक्रम केशरी देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जापान, यू.के., जर्मनी, यू.एस.ए., यूरोपीय संघ (ईसी) और रूसी के अलावा द्विपक्षीय विकास में सहयोग करने वाले सहयोगी देशों से विकास संबंधी सहायता न लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसे कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन, स्वायत्त और विश्व विद्यालय है जिन्हें वर्ष 2005-06 में विकास संबंधी सहायता के लिए शामिल किया गया है/शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) विदेशी सहायता के रूप में संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय विकासात्मक एजेंसियों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) भारत सरकार ने द्विपक्षीय विकास सहयोग की नीति की समीक्षा की है और निर्णय लिया कि सभी डी-8 देशों नामत: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, और रूसी परिसंघ और यूरोपीय परिषद् द्वारा द्विपक्षीय विकास सहायता को स्वीकार किया जाएगा। जी-8 से बाहर के यूरोपीय संघ के देशों से द्विपक्षीय विकास सहायता, जो भारत को न्यूनतम द्विपक्षीय सहायता पैकेज (प्रति वर्ष 25 मिलियन अमरीकी डालर) भी स्वीकार्य है।

(ख) गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ), स्वायत्त संगठन तथा विश्वविद्यालय विकास सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तथापि, इन संगठनों का बाह्य सहायता विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल किया जाएगा।

(ग) 2004-05 के दौरान संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त बाह्य सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	संगठन का नाम	2004-05
1.	विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई डी ए)	4549.51
2.	विश्व बैंक के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आई बी आर डी)	3655.42
3.	एशियाई विकास बैंक	2107.29
4.	कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड (आई एफ ए डी)	24.89
5.	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू एन एफ पी ए)	32.96
6.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी)	42.74

[हिन्दी]

बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों के रूप में डाकघर

4007. श्री पंकज चौधरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघर शीघ्र ही बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे जहां कि लोग बिजली बिल, टेलीफोन बिल और अन्य कर जमा कर सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेवाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) डाकघर पहले ही बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों के रूप में कार्यरत हैं, जहां लोग बिजली के बिल, टेलीफोन बिल और विभिन्न करों को जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि बिलकर्ता डाकघर से ऐसी सुविधाओं की अपेक्षा करता हो और डाकघर को सेवा प्रभारों की अदायगी करके अपनी ओर से भुगतान की राशि वसूल करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर करें।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च काउन्सिल आर एण्ड डी कार्यक्रम

4008. डा. के. धनराजू : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च काउन्सिल. आर एण्ड डी कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई और उनका संकाय-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के परिणाम के बारे में कोई निगरानी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं की उपलब्धियों/ परिणाम को आम लोगों की जानकारी में लाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (च) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (एस.ई.आर.सी.), जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों से लिए गये प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद शामिल हैं, एक शीर्ष निकाय है जिसके माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और इंजीनियरी के नये उभरते हुए एवं अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। लगभग 94.1 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 377 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

भौतिक विज्ञान	33 परियोजनायें	–	6.2 करोड़ रुपये
रसायन विज्ञान	77 परियोजनायें	–	13.5 करोड़ रुपये
जीवन विज्ञान	100 परियोजनायें	–	16.5 करोड़ रुपये

इंजीनियरी विज्ञान भू, वातावरण एवं	90 परियोजनायें	–	10.2 करोड़ रुपये
गणितीय विज्ञान	30 परियोजनायें	–	4.7 करोड़ रुपये
उत्कृष्टता केन्द्र	12 परियोजनायें	–	23.0 करोड़ रुपये
नैनो विज्ञान	35 परियोजनायें	–	20.0 करोड़ रुपये

एस.ई.आर.सी. विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की सहायता करता है जिसमें वैज्ञानिकों, कोर ग्रुपों और उत्कृष्टता केन्द्रों, राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधाओं एवं गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को परियोजना सहायता देना शामिल है।

विभिन्न कार्यक्रम सलाहकार समितियों (पी.ए.सी.) और मानिटरिंग कार्यशालाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के निष्पादन की निरंतर मानिटरिंग की जाती है। विशेष रूप से गठित विशेषज्ञ समितियों के द्वारा बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है जिसमें साइट पर मानिटरिंग भी शामिल है। यह कठोर मानिटरिंग प्रणालियां अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समुचित माडलों और कार्यपद्धतियों का विकास करती हैं।

इन बुनियादी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। अनुसंधान की मुख्य बातों को शामिल करते हुए नियमित रूप से उचित प्रकाशन निकाले जाते हैं एवं न्यूज लेटर के माध्यम से इन पर प्रकाश डाला जाता है।

चूहों में मोटापे के कारण वाले जीन

4009. **श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिक मोटापे के कारण वाले जीनों का, विशेषकर सुपर फैट सूमो प्रजाति के चूहों में, इन जीनों का पता लगाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, भारतीय और यूएस वैज्ञानिक "डब्ल्यू एनआईएन म्यूटेन्ट मूषक (डब्ल्यूएनआईएन/ओबी) में मोटापा जीन का स्थानीकरण और क्लोनिंग" पर एक इंडो-यू.एस. सहयोगी अध्ययन पर एक साथ काम करने पर सहमत हो गए है। उक्त सहयागी अध्ययन अभी शुरू किया जाना है।

विभिन्न बंदरगाहों को सड़क और रेलमार्गों से जोड़ा जाना

4010. **श्री नवजोत सिंह सिंद्धू : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कार्गो आदि की शीघ्र ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बंदरगाहों से सड़क और रेलमार्गों के संपर्क को सुदृढ़ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पत्तनों पर यातायात से संबंधित आवश्यकताओं के आधार पर, पत्तनों का, सड़क और रेल से संपर्क बढ़ाया जाना, निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। पत्तनों के सड़क और रेल से संपर्क से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया जा रहा है।

विवरण

क्र. सं.	पत्तन का नाम	कार्य का प्रयोजन	कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावित तारीख
1	2	3	4
1.	कांडला रा.रा.-8ए (समख्याली गांधीधाम सड़क परियोजना पैकेज-I)	306 से 324 कि.मी. के बीच सड़क का चार लेनों से युक्त बनाया जाना	कार्य पूरा कर लिया गया है।

1	2	3	4
	रा.रा.-8ए (समख्याली गांधीधाम सड़क परियोजना पैकेज-II)	324 से 346 कि.मी. के बीच सड़क का चार लेनों से युक्त बनाया जाना	कार्य पूरा कर लिया गया है।
	रा.रा.-8ए (समख्याली गांधीधाम सड़क परियोजना पैकेज-III)	346 से 362.160 कि.मी. के बीच सड़क का चार लेनों से युक्त बनाया जाना	कार्य पूरा कर लिया गया है।
2.	मुंबई	(क) 30 करोड़ रु. की लागत पर वडाला में नमक की क्यारियों के आर-पार ट्रक टर्मिनस् को जाने वाली 700 मीटर लंबी पत्तन सड़क का निर्माण। पत्तन 15 करोड़ रु. का अंशदान देगा और शेष राज्य-सरकार द्वारा दिया जाएगा।	(क) भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है।
		(ख) अनिक पंजरपोल लिंक -ट्रक टर्मिनस् सड़क को पूर्वी एक्सप्रैस मार्ग से जोड़ने वाली नई सड़क का निर्माण। कुल लागत 140 करोड़ रु. और पत्तन का हिस्सा 25% । शेष व्यय राज्य-सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।	(ख) यह प्रस्ताव वर्ष, 2007 तक पूरा किया जाना है।
3.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन	चरण-I 5/000 कि.मी. से 26/987 कि.मी. तक तथा 0/000 कि.मी. से 4/440 कि.मी. तक रा.रा. 4 बी का चार लेनों से युक्त बनाया जाना और 106/000 कि.मी. से 109/500 कि.मी. तक रा.रा. 4 का चार लेनों से युक्त बनाया जाना	अप्रैल, 2005
		चरण-II 6.400 कि.मी. से 14.550 कि.मी. तक राज्य राजमार्ग-54 का चार लेनों से युक्त बनाया जाना और महाराष्ट्र राज्य में पनवेल क्रीक (बेलापुर-गवनफटा-6.202 कि.मी.) के आर-पार, छः लेनों वाले मुख्य पुल सहित चार लेनों वाले आम्रा मार्ग का निर्माण करना।	मई, 2007
4.	मुरगांव	रा.रा.-17 पर वर्ना जंक्शन से मुरगांव पत्तन तक रा.रा.-17 बी का चार लेनों से युक्त बनाया जाना	जून, 2004 में कि.मी. का कार्य पूरा कर लिया गया।

1	2	3	4
5.	नव मंगलूर	रा.रा.-17 (सूरतकरल-नन्तूर खंड), रा.रा.-48 (पादिल-बंतवाल खंड) और रा.रा.-17 पर अवस्थित नन्तूर जंक्शन से रा.रा.-48 पर अवस्थित पादिल जंक्शन का चार लेनों से युक्त बनाया जाना	कार्य अभी सौंपा जाना है। कार्य पूरा किए जाने का अनुमानित समय कार्य प्रारंभ किए जाने की तारीख से 30 मा है।
6.	कोचीन	348/382 कि.मी. से 358/750 कि.मी. तक रा.रा.-47 का चार लेनों से ययुक्त बनाया जाना	अगस्त, 2006
7.	तूतीकोरिन	4/000 कि.मी. से 51/200 कि.मी. तक रा.रा.-7 ए का चार लेनों से ययुक्त बनाया जाना	अगस्त, 2006
8. और 9.	चेन्नई और इन्नौर	चेन्नई-इन्नौर पत्तन संपर्क परियोजना-तट संरक्षा कार्य, टी पी पी मार्ग, इनर रिंग रोड, मनाली ऑयल रिफाइनरी मार्ग सहित चेन्नई इन्नौर एक्सप्रैसवे का निर्माण	इन्नौर एक्सप्रैसवे के साथ-साथ तट संरक्षा कार्य के लिए ही अक्टूबर, 2005; संपूर्ण परियोजना का कार्य पूरा होने की संभावित तारीख- दिसम्बर 2007
10.	विशाखापट्टणम	विशाखापट्टनम पत्तन संपर्क	दिसम्बर, 2007
11.	पारादीप	0/0 कि.मी. से 77/0 कि.मी. तक रा.रा.-5ए का चार लेनों से युक्त बनाया जाना	फरवरी, 2007
12.	कोलकाता पत्तन	पश्चिम बंगाल राज्य में रा.रा.-41 के 0/500 कि.मी. से 52/700 कि.मी. तक के कोलाघाट-हल्दिया खंड का चार लेनों से युक्त बनाया जाना।	जून, 2006

महापत्तनों का रेल संपर्क

1. **मुंबई पत्तन** : यह पत्तन, राओली जंक्शन, वडाला पर भारतीय रेल से जुड़ा हैं वडाला से कुरला तक 5.5 कि. मी. लंबे एक विशेष रेलमार्ग के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

2. **जवाहरलाल नेहरू पत्तन** : यह पत्तन, एकल लाइन वाले एक रेल मार्ग द्वारा पनवेल से जुड़ा है। इस रेलमार्ग को दोहरा बनाए जाने का कार्य 60 करोड़ रु. लागत पर चल रहा है और इसके दिसम्बर, 2005 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

3. **कोचीन पत्तन** : दक्षिण रेलवे से जुड़ा है। वल्लारपद्म से रेल संपर्क का कार्य, उपर्युक्त टर्मिनल के, वर्ष, 2008 तक कार्य प्रारंभ देने के समय तक, उपयुक्त प्राधिकारियों के अनुमोदन से विशेष प्रयोजनीय वाहन की स्थापना के जरिए पूरा किया जाना है।

4. **नव मंगलूर पत्तन** : हस्सन-मंगलूर रेलमार्ग के गेज कनवर्जन के कार्य के प्रयोजन से, हस्सन-मंगलूर रेलवे डिवैलपमेंट कं.लि. नामक एक विशेष प्रयोजनीय वाहन बनाया गया है।

5. **पारादीप पत्तन** : यह पत्तन, कटक से एक एकल लाइन

खंड, जिसे दोहरा बनाया जा रहा है, द्वारा हावड़ा-चेन्नई ट्रंक लाइन से जुड़ा है। हरिदासपुर-पारादीप रेल लिंक का कार्य अभी प्रारंभ होना हैं उपर्युक्त कार्य रेल विकास निगम लि. को सौंपा गया हैं जखापुर-बंसपानी रेल संपर्क का कार्य चल रहा है और इसके दिसम्बर, 2005 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना हैं दूसरे महानदी पुल का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके वर्ष, 2007 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। कटक-पारादीप रेलमार्ग के दोहरा बनाए जाने का कार्य सितम्बर, 2005 तक पूरा किया जाना है।

6. **कांडला पत्तन :** इस पत्तन के द्वार तक दोहरे गेज का रेल संपर्क हैं गांधीधाम-पालनपुर गेज कनवर्जन का कार्य कच्छ रेलवे कंपनी लि. द्वारा किया जा रहा है। पत्तन ने, मौजूदा समख्याली-पालनपुर रेलमार्ग के कनवर्जन के उद्देश्य से रेल-मंत्रालय से एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

7. **इन्नौर पत्तन :** इन्नौर पत्तन और मुख्य रेलमार्गों के बीच संपर्क के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। बेल्लारी-होसपेट से इन्नौर पत्तन तक लौह अयस्क यातायात को सुकर बनाने की दृष्टि से पुत्तूर-अट्टीपट्टू के बीच रेल संपर्क के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

8. **विशाखापट्टणम पत्तन :** रायगदा-तितलागढ़ा-रायपुर रेलमार्ग को दोहरा बनाने और विजयानगरम-रायपुर रेलमार्ग के विद्युतीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

9. **तूतीकोरिन पत्तन :** यह पत्तन ब्रॉडगेज के जरिए, पश्चिम में तिरूनेलवेली, दक्षिण में नागेरकोइल और त्रिवेन्द्रम तथा उत्तर में मदुरई, त्रिची, चेन्नइ और बैंगलौर जैसे मुख्य शहरों से जुड़ा है।

10. **कोलकाता पत्तन :**

कोलकाता डॉक सिस्टम (के डी एस) : के डी एस, दांकुनी-सील्दाह-माजेरहाट लिंक के रास्ते दांकुनी पर मुख्य ट्रंक लाइन से जुड़ा है।

हल्दिया डॉक काम्पलैक्स (एच डी सी) : एच डी सी, पंसकुरा के रास्ते, दक्षिण-पूर्व रेलवे से जुडत्रा हैं रेलवे ने पहले चरण में पंसकुरा-राजगोडा खंड को दोहरा बनाए जाने का कार्य प्रारंभ किया हैं अगले चरण में राजगोडा-दुर्गाचक लाइन को दोहरा बनाए जाने का कार्य किया जाएगा।

11. **मुरगांव पत्तन :** यह पत्तन, दक्षिण-पश्चिम रेलवे और कोंकण रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। ब्रगांजा घाट खंड पर रेल संबंधी प्रचालन में बाधाओं को समाप्त करने की दृष्टि से कुलेम-गंजी के बीच एक नए रेलमार्ग पर विचार किया जा रहा है।

12. **चेन्नई पत्तन :** यह पत्तन रेलवे नेटवर्क से भलीभांति जुड़ा है और पत्तन के अनुसार मौजूदा संपर्क पर्याप्त है क्योंकि महत्वपूर्ण मात्रा में कोयला इन्नौर को स्थानांतरित किया गया है और वर्ष, 2008 में लौह अयस्क की हैंडलिंग इन्नौर को स्थानांतरित कर दी जाएगी।

खाड़ी देशों में श्रमिकों के मानव अधिकारों का उल्लंघन

4011. **श्री प्रहलाद जोशी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी से यह बात आई हैं कि नियोक्ताओं के लिए नियमित श्रम बल सुनिश्चित करने के नाम पर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिकों की नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक मानव अधिकारों का अत्यधिक शोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उन श्रमिकों को, जो प्रायोजक कंपनियों की नौकरियां निर्धारित अवधि से पहले ही छोड़ देते हैं, दंडित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में कानून बनाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और दुबई तथा अन्य खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों के मौलिक मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कया कइम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार इस मसले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच पर उठाने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी नहीं। संयुक्त अरब अमीरात में सभी राष्ट्रीयता के श्रमिकों की भर्ती और कार्यव्यापार को संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के श्रम और उत्प्रवासन नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

(ख) वर्तमान नियमों में संशोधन करने की कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

(ग) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पुरानी पूंजीगत सामग्रियों का आयात

4012. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरानी पूंजीगत सामग्रियों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुरानी पूंजीगत दूरसंचार संबंधी सामग्रियों के आयात से दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या तर्क है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कितने मूल्य की पुरानी दूरसंचार संबंधी पूंजीगत सामग्रियां आयात की गईं; और

(च) इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता पर किस सीमा तक असर पड़ा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (च) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित दूरसंचार के पुराने पूंजीगत माल सहित दूरसंचार पूंजीगत माल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा आयात किया जाता है, न कि सरकार द्वारा। विदेश व्यापार नीति के अनुसार, पुन: चमकाए गए/मरम्मतशुदा माल सहित पुराने पूंजोगत माल के नि:शुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेवा-गुणवत्ता पैरामीटरों के न्यूनतम मानकों का उल्लेख करते हुए विभिनन सेवाओं की सेवा-गुणवत्ता (क्यूओएस) संबंधी विनियम अधिसूचित किया है और उपरोक्त पैरामीटरों के संदर्भ में दूरसंचार सेवा प्रचालकों द्वारा दी गई सेवाओं पर ट्राई द्वारा निगरानी रखी जाती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सेवा-गुणवत्ता संबंधी तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, पुराने पूंजीगत माल के उपयोग तथा सेवा-गुणवत्ता के स्तर के बीच कोई अन्तर्सम्बन्ध नहीं है।

आयात संबंधी आंकड़ों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा आयातित पुराने दूरसंचार माल के आंकड़ों का अलग से रखरखाव नहीं किया जाता है।

ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन

4013. श्री अजीत जोगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार कितने ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए;

(ख) वर्ष 2005 के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ में जिलावार कितने ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए; और

(घ) देश में ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए आगे आने वाली निजी कंपनियों को सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) गत दो वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सर्किल-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 2004-05 में बीएसएनएल ने 5980 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का लक्ष्य निर्धारित किया था।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ष प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की जिल-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) छः निजी सेवा प्रदाताओं के द्वारा संस्थापित 9185 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए आर्थिक-सहायता प्रदान करने हेतु उनके साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए। अभी तक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से इन सेवा प्रदाताओं को 8.32 करोड़ रु. की राशि वितरित की जा चुकी है।

विवरण-I

गत दो वर्षों के दौरान बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सर्किल-वार संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2002-03	2003-04
1	2	3	4
1.	अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह	1	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0
3.	असम	1,007	1,354
4.	बिहार	9,061	0
5.	झारखंड	9,197	634
6.	गुजरात	0	0
7.	हरियाणा	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	205	2
9.	जम्मू और कश्मीर	177	537
10.	कर्नाटक	6	0
11.	केरल	0	0
12.	मध्य प्रदेश	0	4
13.	छत्तीसगढ़	248	0
14.	महाराष्ट्र	0	0
15.	उत्तर पूर्व I	389	847
16.	उत्तर पूर्व-II	135	907
17.	उड़ीसा	5,078	318
18.	पंजाब	0	0
19.	राजस्थान	0	0
20.	तमिलनाडु	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	6,651	35
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0
23.	उत्तरांचल	1,627	99
24.	पश्चिम बंगाल	3147	0
25.	कलकत्ता	0	0
26.	दिल्ली	0	0
	जोड़	36,929	4,737

विवरण-II

गत दो वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की जिले-वार संख्या

क्र. सं.	जिला का नाम	2002-03	2003-04
1	2	3	4
1.	बस्तर	0	0
2.	दांतेवाडा	0	0
3.	कनकेर	0	0
4.	बिलासपुर	86	0

1	2	3	4
5.	कोरबा	12	0
6.	चंपा	25	0
7.	दुर्ग	0	0
8.	कवरधा	0	0
9.	राजनंदगांव	0	0
10.	रायगढ़	0	0
11.	जशपुरनगर	0	0
12.	रायपुर	78	0
13.	महासमुंद	34	0
14.	धामतरी	13	0
15.	सरगुजा	.0	0
16.	कोरिया	0	0
	जोड़	248	0

रोगों का फैलना

4014. श्री भर्तृहरि महताब : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां फैलेरिया, मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में इस स्थिति का मौके पर अध्ययन के लिए विशेषज्ञों का कोई दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त दल किस निष्कर्ष पर पहुंचा है;

(घ) इन रोगों से लड़ने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ङ) इन रोगों पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) फाइलेरिया 20 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एक चिरकारी स्थानिकमारी है। हाल के वर्षों में नए क्षेत्रों में फाइलेरिया के तीव्र फैलाव की कोई रिपोर्ट नहीं है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त अनंतिम रिपोर्टों के अनुसार देश में मलेरिया की वार्षिक घटना 2003 में 1.86 मिलियन की तुलना में 2004 में घटकर 1.73 मिलियन हो गई है। जापानी एसेफैलाइटिस की घटना में भी 2003 में 2568 की तुलना में 2004 में कम होकर 1695 होने की सूचना मिली है।

तथापि, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, चण्डीगढ़ तथा दादरा एवं नगर हवेली से मलेरिया की घटना में मामूली वृद्धि की सूचना मिली है। जापानी एसेफ्लाइटिस की घटना में वृद्धि की सूचना केवल असम, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से मिली।

(ख) और (ग) केन्द्रीय दल वेक्टर जनित रोगी के प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्यों को तत्काल तकनीकी सहायता देने हेतु विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं। हाल के वर्षों में इन दलों ने/स्थिति की समीक्षा की है तथा उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां प्राथमिक कार्रवाइयां अपेक्षित हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

- शीघ्र निदान तथा तत्काल उपचार सुनिश्चित करने के लिए निगरानी को सुदृढ़ करना जो मुख्यत: स्वास्थ्य कर्मियों, प्रयोगशाला तकनीशियनों तथा पर्यवेक्षकों जैसे मुख्य कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण अपर्याप्त है।
- औषध वितरण केन्द्रों तथा ज्वर उपचार डिपुओं के नेटवर्क के जरिए औषधों तक पहुंच का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण।
- घर के भीतर कीटनाशी छिड़काव, लार्वानाशी मछली, कीटनाशी संसाधित मच्छरदानियों एवं पर्यावरणिक विधियों के माध्यम से समेकित वेक्टर नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण।
- अन्तरक्षेत्रीय सहयोग, सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों एवं सामाजिक संघटन को सुदृढ़ करना।

(घ) अनुमोदित नीतियों के अनुसार राज्यों को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता में नकद तथा औषधों, कीटनाशकों इत्यादि जैसी वस्तुगत सहायता शामिल हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हैं राज्यवार केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ङ) चल रही 3 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं नामत: राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम तथा कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम के साथ मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू, जापानी एंसेफेलाइटिस के नियंत्रण कार्यक्रमों को कवर करते हुए एक राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम अक्तूबर, 2003 से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार सभी राज्यों को इन रोगों के उपचार के लिए कीटनाशकों, लार्वानाशियों तथा औषधों के रूप में सहायता देती है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक लागत को वहन करने हेतु नकद सहायता दी जाती है। 8 राज्यों नामत: आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा तथा गुजरात में 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो को कवर करते हुए 100 जिलों को भी विश्वबैंक द्वारा सहायता प्राप्त संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक लागत को वहन करने हेतु 100% नकद सहायता भी दी जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत अन्य राज्यों को प्रशिक्षण एवं सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण के लिए नकद सहायता भी दी जाती है।

इन वेक्टर जनित रोगों के निवारण तथा नियंत्रण के लिए कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- शीघ्र निदान एवं तत्काल उपचार
- घर के भीतर अवशिष्ट कीटनाशी छिड़काव, लार्वानाशी मछलियों के प्रयोग तथा पर्यावरणिक प्रबंध सहित लार्वा-रोधी कार्यकलापों तथा कीटनाशी संसाधित मच्छरदानियों के प्रयोग द्वारा वैयक्तिक संरक्षण के माध्यम से समेकित वेक्टर नियंत्रण।
- महामारी के प्रति तत्परता एवं अनुक्रिया।
- सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण तथा सामाजिक संघटन
- क्षमता निर्माण।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2015 तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए, फाइलेरिया स्थानिकमारी वाले जिलों में वार्षिक व्यापक औषध प्रदानगी चलाई जा रही है।

विवरण

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 के दौरान राज्यवार व्यय को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 व्यय	2002-03 व्यय	2003-04 व्यय
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	954.64	548.86	534.73
अरुणाचल प्रदेश	364.97	377.08	112.63
असम	2377.47	1935.83	1364.15
बिहार	873.90	198.35	2789.19
छत्तीसगढ़	876.31	3047.95	1739.99
गोवा	6.19	7.97	18.55
गुजरात	1,353.89	767.99	380.99
हरियाणा	18.43	67.21	37.35
हिमाचल प्रदेश	36.78	11.89	4.90
जम्मू व कश्मीर	69.62	62.44	72.30
झारखण्ड	883.78	1671.15	1296.86
कर्नाटक	386.48	227.36	264.87
केरल	67.75	13.31	214.55
मध्य प्रदेश	2540.8	2408.15	1333.71
महाराष्ट्र	2,289.20	947.11	463.30
मणिपुर	275.27	144.86	69.71
मेघालय	292.98	301.70	323.35
मिजोरम	345.85	190.50	275.68

1	2	3	4
नागालैण्ड	368.08	372.14	386.20
उड़ीसा	1,745.06	3030.80	2512.78
पंजाब	94.10	65.75	37.87
राजस्थान	924.92	925.90	1415.59
सिक्किम	0.14	4.32	2.42
तमिलनाडु	289.03	187.39	279.06
त्रिपुरा	505.76	389.93	428.63
उत्तर प्रदेश	671.41	607.31	744.61
उत्तरांचल	39.18	1.96	39.17
पश्चिम बंगाल	1,140.73	518.97	616.94
दिल्ली	89.55	58.47	80.67
पांडिचेरी	8.30	13.18	11.12
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	220.75	230.07	203.33
चण्डीगढ़	34.87	38.29	25.36
दादरा व नगर हवेली	40.67	16.07	60.72
दमण व दीव	18.65	7.99	19.29
लक्षद्वीप	5.92	5.35	12.06
योग :	20,211.43	19403.60	18172.60
पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा राज्यों के लिए नकद	—	0.00	0.00
वस्तुगत विविध	0	0.00	1928.31
स्थापना/रिहायसी/पब.	1,767.16	1278.00	—
दिल्ली/मुख्यालय/बफर	—	—	—
आर.आई.टी.ई.एस. (शुल्क)	0.00	0.00	0.00
योग:	1767.16	1278.00	1928.31
सकल योग:	21978.59	20681.60	20100.91

सामुदायिक सूचना केन्द्र

4015. चौधरी लाल सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जम्मू और कश्मीर में ब्लॉक मुख्यालयों में 139 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए वर्ष 2003 में वहां की राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सामुदायिक सूचना केन्द्रों को चालू करने, अनुरक्षण, नियंत्रण, प्रचालन तथा उनके प्रबंध का हस्तान्तरण करने के संबंध में भारत सरकार और जम्मू तथा कश्मीर सरकार के बीच दिनांक 16 फरवरी, 2004 को एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता पत्र के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने 5 वर्षों के अवधि में 40.67 करोड़ रुपए के परिव्यय से जम्मू तथा कश्मीर में ब्लॉक स्तर पर 135 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने का कार्य शुरू किया हैं इस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र/निक्सी द्वारा दो चरणों में किया जा रहा है, अर्थात् अक्टूबर 2004 तक पहले चरण में 60 सामुदायिक सूचना केन्द्र और अक्टूबर 2005 तक दूसरे चरण में शेष 75 सामुदायिक सूचना केन्द्र।

(ग) पहले चरण के 60 सामुदायिक सूचना केन्द्र जम्मू तथा कश्मीर की जनता को नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए

उपलब्ध करा दिए गए हैं। सभी 60 सामुदायिक सूचना केन्द्रों के सामुदायिक पोर्टल तैयार कर लिए गए हैं और सामुदायिक सूचना केन्द्रों के प्रचालकों को इन साइटों में स्थानीय सूचना सामग्री डालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। शेष 75 सामुदायिक सूचना केन्द्रों पर कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य मेला

4016. श्री रामसेवक सिंह :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कैंसर और एच.आई.वी. जैसी जानलेवा रोगों की रोकथाम के लिए कोई कार्य-योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश और असम में सरकार द्वारा कितने स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है;

(घ) स्वास्थ्य मेले के आयोजन पर गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्वालियर और देश के अन्य भागों में, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में, निरन्तर स्वास्थ्य मेले का आयोजन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(छ) क्या देश के प्रत्येक बड़े शहर में एम्स की तरह की आधुनिक सुविधाएं युक्त अस्पतालों की स्थापना की जाएगी;

(ज) यदि हां, तो त त्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान कुल 46 मेले, वर्ष 2003-2004 में 515 मेले और 2004-2005 में 233 मेले आयोजित किए गए थे। इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों को जारी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) इस योजना का संचालन जारी है। वर्तमान में, सरकार स्थानीय सांसदों के अनुरोध पर स्वास्थ्य मेलों के आयोजन हेतु प्रति संसदीय चुनाव क्षेत्र को 8.00 लाख रुपये उपलब्ध करा रही है।

(छ) से (झ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम:

इस समस्या को नियंत्रित रखने की दृष्टि से वर्ष 1975 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत देश में कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और कैंसर के उपचार के उद्देश्य से की गयी थी। इस कार्यक्रम की कार्यनीति है- कैंसर का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम के लिए समुदाय में जागरूकता लाना तथा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता प्रदान कर देशभर में कैंसर उपचार संबंधी विस्तृत सुविधाओं का प्रावधान करना। ओंकोलाजी विंग के विकास के माध्यम से भी सरकारी मेडिकल कालेजों और अस्पतालों, को सहायता दी जा रही है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम:

भारत में एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकने तथा नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार ने विस्तृत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है जो केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में देश भर में कार्यान्वित है। इस कार्यक्रम के घटक निम्नलिखित हैं:–

- व्यवहार परिवर्तन संवाद और गहन परामर्श सहित बहुआयामी कार्यनीति अपनाकर लक्षित कार्यकलापों के माध्यम से अतिजोखिम पूर्ण आबादी के लिए निवारक कार्यकलाप।
- रक्त सुरक्षा, स्वैच्छिक परामर्शन और परीक्षण सेवाएं, माता-पिता से बच्चों में फैलने वाले संक्रमण की रोकथाम, सूचना शिक्षा और संचार तथा किशोरों में जागरूकता सृजन और एड्स वैक्सीन संबंधी पहल के प्रति लोगों को जागरूक

बनाने संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वसाधारण के लिए निवारक कार्यकलाप।

समुदाय परिचर्या सेवाओं की प्रदानगी, समयानुवर्ती संक्रमणों के उपचार, व्यावसायिक खुलेपन की रोकथाम हेतु कम लागत की परिचर्या और सहायक सेवाओं का प्रावधान।

सार्वजनिक - निजी क्षेत्र भागीदारी और कार्यस्थल से जुड़े कार्यकलापों सहित अन्त:क्षेत्रीय कार्यक्रम से जुड़े कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास।

– निगरानी, प्रशिक्षण, प्रबोधन और मूल्यांकन, तकनीकी संसाधन ग्रुपों, प्रचालनात्मक अनुसंधार और कार्यक्रम प्रबन्धन के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और प्रबन्धकीय क्षमता का सृजन।

विवरण-II

स्वास्थ्य मेला के लिए जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	320.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	16.00	0.00
3.	असम	10.00	112.00	0.00
4.	बिहार	25.00	248.00	320.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	56.00	88.00
6.	गोवा	0.00	16.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	208.00	16.00
8.	हरियाणा	0.00	80.00	16.00
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	24.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	48.00	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	104.00	112.00
12.	कर्नाटक	10.00	208.00	0.00
13.	केरल	0.00	160.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	50.00	224.00	232.00
15.	महाराष्ट्र	35.00	386.00	0.00
16.	मणिपुर	10.00	16.00	0.00
17.	मेघालय	10.00	16.00	0.00
18.	मिजोरम	30.00	8.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	8.00	0.00
20.	उड़ीसा	10.00	168.00	168.00
21.	पंजाब	0.00	104.00	0.00
22.	राजस्थान	40.00	200.00	200.00
23.	सिक्किम	0.00	8.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	312.00	32.00
25.	त्रिपुरा	10.00	16.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	600.00	624.00
27.	उत्तरांचल	14.12	40.00	40.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	320.00	16.00
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	8.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	8.00	0.00

1	2	3	4	5
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	8.00	0.00
32.	दमन और दीव	3.61	8.00	0.00
33.	दिल्ली	11.00	48.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	8.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	8.00	0.00
	नामित सदस्य	0.00	8.00	0.00
	योग	328.73	4130.00	1864.00

विवरण-III

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)

1. वर्ष 2003 में शुरू की गयी प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की मुख्य कार्यनीति - उन राज्यों में सभी तरह की विशेषज्ञतापूर्ण और अति विशेषज्ञतापूर्ण मेडिकल परिचर्या और गुणवत्तापरक मेडिकल शिक्षा मुहैया कराना है जिन राज्यों में ये सेवाएं अब तक प्रदान नहीं की गयी हैं। प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर), और उत्तरांचल (ऋषीकेश) में एम्स की तरह की संस्था स्थापित करने और उनका प्रबन्धन करने का प्रस्ताव हैं इसके अतिरिक्त मेडिकल संस्थाओं नामत: (i) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, (ii) राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची (iii) गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, जम्मू, (iv) कोलकाता मेडिकल कालेज, कोलकाता (v) गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, सलेम (तमिलनाडु), (v) निजामुस आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद को उन्नत कर एम्स के स्तर का बनाने का भी प्रस्ताव है। श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान, तिरूपति को भी एम्स के स्तर का संस्थान बनाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम, तिरूपति उन्नयन लागत की 50% लागत वहन करें। इन संस्थाओं को उन्नत करने संबंधी पूंजीगत लागत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

2. एम्स की तरह की छ: संस्थाओं की स्थापना संबंधी पूंजीगत लागत अनुमानत: 1707 करोड़ रुपए (प्रति संस्थान औसतन 284.50 करोड़ रु.) है। वर्तमान छ: संस्थानों के उन्नयन के लिए 780.00 करोड़ रुपए की राशि अपेक्षित होगी अर्थात प्रत्येक संस्थान के लिए लगभग 120 करोड़ रु और एसवीआई एमएस, तिरूपति के लिए 60 करोड़ रुपए।

3. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. योजना को समाप्त किया जाना

4017. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अनुमानित खर्च के अपने मध्यावधि मूल्यांकन में सीजीएचएस योजना को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए योजना आयोग द्वारा कौन सी वैकल्पिक स्वास्थ्य योजना की सिफारिश की गई है; और

(घ) उक्त वैकल्पिक स्वास्थ्य योजना कब तक क्रियान्वित की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) योजना आयोग ने सरकार के प्रमुख क्षेत्रों के लिए दसवीं पचवर्षीय योजना का मध्यवर्ती मूल्यांकन (एमटीए) पूरा कर लिया है। 'स्वास्थ्य' अध्ययन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सौंपी गई अनेक रिपोर्टों ने ध्यान आकर्षित किया है। इन रिपोर्टों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में विशेषतौर से खराब आपाती सेवाओं, औषधों की अनुपलब्धता और असुविधाजनक

कार्य समय के संदर्भ में संतुष्टि के कम स्तरों को सूचित किया गया है। मध्यवर्ती मूल्यांकन में आगे सुझाव दिया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सुधार के लिए अनेक विकल्पों पर विचार कर सकता है। इस योजना की कमियों को दूर करने के लिए किसी भी उपाय में अवश्य ही इस बुनियादी ढांचे के अभीष्टतम उपयोग के प्रश्न पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मध्यवर्ती मूल्यांकन में सुझाया गया है कि नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंशदाताओं को स्वास्थ्य बीमे की प्रणाली को अपनाने का विकल्प भी दिया जा सकता है जिसके माध्यम से वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा अन्य नैदानिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों (रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, योग्य समझे जाने वाले अन्य श्रेणियों के प्रदायकों के नेटवर्क को भी शामिल किया जा सकता है) से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विद्यमान अंशदाता विद्यमान व्यवस्था को जारी रखने का विकल्प को अपनाना जारी रख सकते हैं अथवा वैकल्पिक रूप से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के भीतर विकसित की गई एक नई प्रणाली के लिए अंशदान कर सकते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इन विकल्पों को आगे विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को नई भूमिका तैयार करने और इसे एक पंजीकृत सोसाइटी जैसे एक समुचित संगठनात्मक रूप में बदलने के लिए अधिक स्वायतता मिल जाएगी।

मध्यवर्ती मूल्यांकन प्रकृति में संस्तुतात्मक है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कोई सुधार समुचित विचार करने और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों (स्टेकहोल्डरों) से परामर्श के पश्चात ही किया जाएगा।

अस्पतालों में तपेदिक की दवाओं की कम आपूर्ति

4018. **श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तपेदिक के उपचार की पूरी अवधि में रिफामांपसीन और आइसोनिराजिड नामक दो अनिवार्य औषधियों की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राजधानी के प्रमुख अस्पतालों के साथ-साथ कुछ राज्य के अस्पतालों में भी इन दोनों औषधियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ये दोनों औषधियां अनिवार्य हैं; और

(ङ) यदि हां, तो देश में इन दोनों औषधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र द्वारा क्षयरोधी औषधियों की पूरी जरूरत जिलों को सामग्री अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। जिला स्तर पर औषधियों की उपलब्धता की नियमित आधार पर मानीटरिंग की जाती है। कार्यक्रम में इलाज के पूरे कोर्स के लिए क्षय-रोधी दवाइयां क्षय रोगियों को नि:शुल्क रूप में रोगीवार बने बक्सों में प्रदान की जाती हैं ताकि उपचार पूरी अवधि के लिए क्षय-रोधी सभी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। क्षयरोधी औषधियां निगरानी में दी जाती हैं और रोगियों पर इलाज के पूरे होने तक निगरानी रखी जाती है।

जननी सुरक्षा योजना

4019. **श्री मधु गौड यास्खी : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मात् और शिशु मृत्यु-दर में कमी लाने हेतु जननी सुरक्षा योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक लागू होगी और इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितना धन नियत किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) जननी सुरक्षा योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समग्र अम्ब्रेला के तहत जननी सुरक्षा योजना में प्रसव के दौरान नकद सहायता के लाभ को संस्थागत परिचर्या के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इसके पूर्व इसमें प्रसव पूर्व परिचर्या एवं शीर्ष प्रसवोत्तर परिचर्या शामिल है।

- यह स्कीम शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम होगी।

- यह लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।

- इस स्कीम के तहत लाभ पहले दो जीवित बच्चों के जन्म तक उपलब्ध होगा। तथापि, कम कार्यनिष्पादन वाले दस राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम एवं जम्मू व कश्मीर में यह लाभ तीसरे बच्चे तक प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि मां अपनी स्वेच्छा से प्रसव के तुरन्त बाद उस स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में नसबंदी करवाती है।

- इस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मा बनने वाली महिलाओं को प्रत्येक प्रसव के लिए 700 रुपए तथा उपरोक्त कम कार्यनिष्पादन वाले राज्यों के शहरी क्षेत्रों में 600 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, निर्धन गर्भवती महिला और गांव के स्वास्थ्य प्रदायक के बीच संपर्क के रूप में काम करेगी।

- आशा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कम कार्यनिष्पादन वाले सभी दस राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपए का पैकेज प्रदान किया गया है यह पैकेज गर्भवती महिला के लिए परिवहन सहायता और आशा के लिए स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचने और प्रसव के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र में गर्भवती महिला के साथ रहने के लिए तथा थोड़ी राशि आशा के प्रोत्साहन को पूरा करने के लिए होता है। तथापि, शहरी क्षेत्रों में आशा हेतु सहायता पैकेज 200 रुपए तक सीमित होगा।

- जहां स्वास्थ्य संस्थाओं में सरकारी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है वहां जटिलता से ग्रसित एवं सीजेरियन सेक्शन की आवश्यकता वाली महिलाओं के लिए प्रति मामले 1500 रुपए तक की सहायता, सरकारी चिकित्सा सुविधा केन्द्र या अधिकृत/मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम आदि में सर्जरी करवाने के लिए प्राइवेट विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने हेतु प्रदान की गई है।

- यह स्वीकार करते हुए कि सरकारी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, जननी सुरक्षा योजना के तहत ये लाभ राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा विधिवत अधिकृत एवं मान्यताप्राप्त प्राइवेट क्षेत्र के अस्पतालों/नर्सिंग होमों/क्लिनिकों में प्रसव कराने वाली पात्र महिलाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे।

- इस स्कीम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य मिशन एवं जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य मिशन की होगी।

(ग) यह स्कीम दिनांक 1.4.2005 से लागू हुई है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुदानों के जारी करने के समग्र तंत्र के तहत जननी सुरक्षा योजना हेतु अनुदान निधियों के फ्लेक्सी पूल का भाग होगा जिसमें बहुत सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्कीमों के आबंटन को मिला दिया है।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योग के उत्पादों का निर्यात

4020. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की राज्य-वार मात्रा कितनी है;

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत वर्ष के दौरान महाराष्ट्र द्वारा निर्यातित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कुटीर उद्योग क्षेत्र के कुल निर्यात का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) कुटीर उद्योग क्षेत्र में हस्तशिल्प, खादी, पोलीवस्त्र और ग्रामीण उद्योग शामिल हैं। हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा पर आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। 2003-04 के दौरान खादी, पोलीवस्त्र और ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II, और III में दिया गया है।

(ख) कुटीर उद्योग उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों में अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, क्रेता-विक्रता बैठकें आयोजित करना, विदेश में प्रचार में प्रचार के लिए सहायता देना, निर्यात प्रक्रियाओं पर सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन, नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प तथा उपहार मेला आयोजित करना, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में भारतीय एक्सपोजिशन मार्ट की स्थापना, नए हस्तशिल्प स्पेशल इकोनॉमिक जोनों (एसईजेड) की स्थापना, बाजार पहुंच पहल के तहत विशिष्ट फंडों को उद्दिष्ट करना आदि शामिल है।

(ग) हस्तशिल्पों पर राज्यवार निर्यात आंकड़ें केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, 2003-04 के दौरान, महाराष्ट्र में स्थित और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में पंजीकृत इकाइयों द्वारा निर्यात किए गए ग्रामीण उद्योग उत्पादों की मात्रा इस प्रकार है:–

क्र. सं.	उत्पाद का नाम	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	पापड़	10.26
2.	हस्तनिर्मित कागज	1.20

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्पों के निर्यात की राशि इस प्रकार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
2002-03	10933.67
2003-04	12765.18
2004-05	15256.00

इसके अलावा, 2003-04 के दौरान, 52 करोड़ रुपये के पापड़, ताड़ के पत्ते के उत्पाद, फाइबर वस्तुओं तथा हस्तनिर्मित कागज जैसे ग्रामीण उद्योग उत्पादों हका निर्यात किया गया।

विवरण-I

2003-04 में खादी का राज्य वार उत्पादन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	कोटन खादी	ऊनी और सूची	सिल्क खादी	मुस्लिन खादी	कुल खादी
1	2	3	4	5	6	7
1.	चंडीगढ़	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34
2.	दिल्ली	145.02	6.63	0.00	0.00	151.65
3.	हरियाणा	1330.49	1263.07	0.00	0.00	2593.56

1	2	3	4	5	6	7
4.	हिमाचल प्रदेश	59.69	223.01	0.00	0.00	282.70
5.	जम्मू एवं कश्मीर	9.53	844.85	0.18	0.00	854.56
6.	पंजाब	862.99	194.07	0.00	0.00	1057.06
7.	राजस्थान	1303.83	1377.21	0.00	0.00	2681.04
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	बिहार	450.06	125.58	181.45	79.82	836.91
10.	झारखंड	39.86	14.28	223.97	0.00	278.11
11.	उड़ीसा	64.06	0.00	256.09	34.38	354.53
12.	पश्चिम बंगाल	106.73	0.00	4043.45	729.00	4879.18
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.40	0.00	3.50	0.00	3.90
14.	असम	37.76	0.00	357.62	0.00	395.38
15.	मणिपुर	17.54	0.00	28.76	0.00	46.30
16.	मेघालय	1.24	2.75	0.46	0.00	4.45
17.	मिजोरम	0.27	0.00	56.01	0.00	56.28
18.	नागालैंड	0.00	0.00	40.59	0.00	40.59
19.	त्रिपुरा	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90
20.	सिक्किम	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34
21.	आन्ध्र प्रदेश	1084.37	44.58	364.93	78.60	1572.48
22.	कर्नाटक	1759.19	830.40	747.38	0.00	3336.97
23.	केरल	703.38	0.00	64.54	313.93	1081.85
24.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	पांडिचेरी	6.51	0.00	15.81	0.00	22.32

1	2	3	4	5	6	7
26.	तमिलनाडु	1363.89	0.00	4118.91	0.00	5482.80
27.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दमन एवं द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	गुजरात	1746.90	169.03	741.30	0.00	2657.23
31.	महाराष्ट्र	255.39	0.00	3.79	0.00	259.18
32.	छत्तीसगढ़	59.79	20.50	620.68	0.00	700.97
33.	मध्य प्रदेश	167.77	138.40	86.83	0.00	393.00
34.	उत्तरांचल	600.63	437.63	0.00	0.00	1038.26
35.	उत्तर प्रदेश	12496.47	1676.60	107.56	0.00	14280.63
	कुल	24682.37	7368.59	12063.81	1235.73	45350.47

विवरण-II

2003-04 में पोली-वस्त्र का राज्यवार उत्पादन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन मूल्य
1	2	3
1.	चंडीगढ़	3.50
2.	दिल्ली	6.00
3.	हरियाणा	11.64
4.	हिमाचल प्रदेश	6.02
5.	जम्मू एवं कश्मीर	0.06
6.	पंजाब	3.50
7.	राजस्थान	296.72
8.	अंडमान एवं निकोबार	0.00
9.	बिहार	70.08
10.	झारखंड	7.08
11.	उड़ीसा	40.60
12.	पश्चिम बंगाल	56.48
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
14.	असम	10.35

1	2	3
15.	मणिपुर	1.03
16.	मेघालय	1.02
17.	मिजोरम	0.00
18.	नागालैंड	0.00
19.	त्रिपुरा	0.00
20.	सिक्किम	0.00
21.	आन्ध्र प्रदेश	92.93
22.	कर्नाटक	242.21
23.	केरल	105.78
24.	लक्षद्वीप	0.00
25.	पांडिचेरी	0.00
26.	तमिलनाडु	939.46
27.	दादरा व नगर हवेली	0.00
28.	दमन एवं द्वीव	0.00
29.	गोवा	0.00
30.	गुजरात	773.50
31.	महाराष्ट्र	19.70
32.	छत्तीसगढ़	84.42
33.	मध्य प्रदेश	101.86
34.	उत्तरांचल	6.10
35.	उत्तर प्रदेश	1092.64
	कुल	3972.68

विवरण-III

2003-04 में ग्रामीण उद्योग उत्पादों का राज्य वार उत्पादन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	खनिज आधारित उद्योग	वन आधारित उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	पोलिमर रसायन आधारित उद्योग	दस्तनिर्मित कागज तथा फाइबर उद्योग	ग्रामीण इंजीनियरिंग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग	सेवा उद्योग	कुल ग्रामीण उद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़	245.71	119.53	452.51	275.93	78.93	306.90	145.08	1624.59
2.	दिल्ली	816.61	423.18	1527.21	892.52	268.79	1026.52	461.07	5415.90
3.	हरियाणा	3963.74	2585.62	6067.70	3658.20	1185.74	5295.06	830.78	23586.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	हिमाचल प्रदेश	4051.77	2529.96	7236.99	4179.74	1180.14	5485.40	1554.21	26218.21
5.	जम्मू एवं कश्मीर	3052.33	1785.48	5426.01	3239.81	1043.07	3973.63	1311.28	19831.61
6.	पंजाब	6937.82	5166.61	10725.33	7332.51	1773.04	8784.91	2122.84	42843.06
7.	राजस्थान	14908.55	7858.31	23569.85	13672.32	4396.13	18219.31	5273.27	87897.74
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	89.03	73.61	126.22	89.45	21.89	129.96	79.60	609.76
9.	बिहार	3251.89	1437.55	5097.47	2974.86	882.11	3524.29	1513.10	18681.27
10.	झारखंड	1581.21	343.36	223.90	64.25	46.27	308.79	444.74	3012.52
11.	उड़ीसा	2484.57	1427.81	4063.30	2369.39	781.21	3142.02	917.40	15185.70
12.	पश्चिम बंगाल	4753.38	4353.68	7576.52	5174.20	1411.31	6302.84	1234.27	30806.80
13.	अरुणाचल प्रदेश	51.39	72.47	60.38	82.08	57.46	147.82	49.17	520.77
14.	असम	1366.08	950.34	2136.70	1035.11	329.10	1658.72	497.12	7973.17
15.	मणिपुर	928.01	477.80	1674.89	988.56	430.80	1171.46	479.34	6150.86
16.	मेघालय	673.85	505.74	939.89	545.76	129.99	729.59	180.30	3705.12
17.	मिजोरम	531.83	372.90	835.82	611.84	170.87	683.04	673.44	3879.74
18.	नागालैंड	839.02	441.81	1282.90	755.25	245.32	990.21	367.38	4921.89
19.	त्रिपुरा	688.49	216.88	823.44	406.33	223.66	659.04	123.37	3141.21
20.	सिक्किम	92.96	101.31	190.28	80.96	130.15	142.61	24.65	762.92
21.	आन्ध्र प्रदेश	7948.54	5225.84	10949.28	6702.93	1889.97	8155.66	2041.80	42914.02
22.	कर्नाटक	13144.07	5665.20	23591.70	12963.45	3849.21	14886.57	5079.42	79179.62
23.	केरल	8500.84	4601.17	12947.18	7105.29	2444.65	9604.25	2477.21	47680.59
24.	लक्षद्वीप	17.02	9.44	28.29	16.01	3.68	23.64	6.77	104.85
25.	पांडिचेरी	67.02	36.55	181.02	59.78	28.89	89.24	85.34	547.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	तमिलनाडु	11201.28	5778.33	19792.31	11386.03	3614.27	14288.46	5305.76	71366.44
27.	दादरा व नगर हवेली	14.79	3.73	36.32	8.13	0.15	9.35	19.79	92.26
28.	दमन एवं द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	गोवा	468.29	323.63	778.72	499.04	146.06	600.87	186.69	3003.30
30.	गुजरात	6785.31	3406.25	12560.00	7355.23	2247.24	8515.63	3939.41	44809.07
31.	महाराष्ट्र	20499.09	11380.83	36544.26	21924.66	6482.50	25831.32	10275.61	132938.27
32.	छत्तीसगढ़	2588.89	873.77	2216.1	1266.73	292.58	1720.56	272.61	9231.25
33.	मध्य प्रदेश	8464.92	4672.61	14266.84	8387.78	2667.02	11108.57	3738.16	53305.90
34.	उत्तरांचल	1487.19	1075.29	2050.31	1115.68	595.97	1901.26	303.60	8529.30
35.	उत्तर प्रदेश	19066.68	11198.81	34406.93	19245.66	5682.20	24198.04	8556.45	122354.77
	कुल	151562.17	85495.40	250386.58	146465.47	44730.97	183615.54	60571.03	922827.16

[अनुवाद]

सीसीएच जांच समिति का गठन

4021. **श्री सर्वानन्द सोनोवाल :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री मुनव्वर हसन :
श्री मोहन रावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् (सीसीएच) जांच समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 31 के अधीन केन्द्र सरकार को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 14.01.2004 को दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति, सुश्री न्यायमूर्ति ऊषा मेहरा की अध्यक्षता में उएक जांच आयोग नियुक्त किया गया ताकि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के कथित उल्लंघनों, तथा ऐसे ही अन्य मामलों अथवा अनियमितताओं, जिन्हें केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा उनकी जानकारी में लाया गया है, की जांच की जा सके। आयोग ने आरोपों आदि की सुनवाई और उनके परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन पर अमरीका की आपत्ति

4022. **श्री ई. पोन्नुस्वामी :**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

श्री चाडिराम रामकृष्णा :
श्री प्रह्लाद जोशी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री ने हाल के भारत दौरे के दौरान प्रस्तावित भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में अपने देश की आपत्ति व्यक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) भारत के अपने दौरे के दौरान, विदेश मंत्री डॉ. कॉडोलीजा राईस ने 16 मार्च, 2005 को एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि "मैं समझती हूं कि ईरान से संबंधित हमारे विचार अब तक सुपरिचित हैं और हमने भारत एवं ईरान के बीच गैस पाइपलाइन सहयोग से संबंधित अपनी चिंताओं से भारत सरकार को अवगत करा दिया है। "गैस पाइपलाइन के मामले पर अमरीकी विदेश मंत्री के दौरे के दौरान सरकारी वार्ताओं मे चर्चा नहीं हुई थी।

(ख) इस मामले पर भारत, पाकिस्तान और ईरान के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं तेजी से बढ़ रही है। ईरान के साथ हमारे परम्परागत अच्छे संबंध रहे हैं। सरकार भारत के राष्ट्रीय हित के आधार पर गैस पाइपलाइन से संबंधित निर्णय लेगी।

स्वचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना

4023. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री विजय कृष्ण :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्वाचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना करने हेतु कुछ उद्योगों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरस्थ क्षेत्रों में इन केन्द्रों की क्या उपयोगिता है; और

(घ) राष्ट्रीय आपदाओं के समय ये केन्द्र कितने कारगर होंगे?

प्रधानमंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग के एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन ने स्वचालित मौसम केन्द्रों के उत्पादन और संस्थापना के लिये मेसर्स आस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्टस् लिमिटेड, हैदराबाद के साथ एक समझौता किया है।

(ग) और (घ) स्वचालित मौसम केन्द में सुदूर क्षेत्रों में कार्य करने की तथा आंकड़ा विरल क्षेत्रों से मौसमविज्ञानीय आंकड़ें प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है। इन स्थानों से तापमान, दबाव, आर्द्रता, पवन, वर्षा इत्यादि जैसे मौसम से संबंधित आंकड़ों को प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान और मानीटरन में उपयोग में लाया जा सकता है।

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची

4024. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार गुजरात के सभी बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) सरकार के विचाराधीन नई टेलीफोन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) गुजरात के सभी प्रमुख शहरों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए सकल नए कनेक्शनों तथा उन पर खर्च की गई राशि से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन (सकल)	खर्च की गई राशि करोड़ रुपये में
2002-03	584669	896.19
2003-04	398840	337.21
2004-05	465548 (अनंतिम)	107.73

(ग) (i) बीएसएनएल ने अपने दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सम्पूर्ण देश में अपने बेतार उपभोक्ताओं की संख्या में व्यापक वृद्धि करने की योजना बनायी है।

(ii) पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल की अवसंरचना संस्थापित की जा रही है।

विवरण

गुजरात के सभी प्रमुख शहरों, जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एसएसए	कवर किए गए राजस्व जिल	जिला मुख्यालय स्तर पर प्रतीक्षा सूची	एसएस की प्रतीक्षा सूची		
				शहरी #	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	2937	3006	2021	5027
		गांधीनगर	69			
2.	अमरेली	अमरेल	31	31	346	377
3.	भरूच	भरूच	0	47	3200	3247
		नर्मदा	13			
4.	भावनगर	भावनगर	138	612	2514	3126
5.	भुज	कच्छ	5	47	3583	3630
6.	गोधरा	गोधरा	0	109	1919	2028
		दाहोद	16			
7.	हिम्मतनगर	साबरकांठा	0	143	2011	2154
8.	जामनगर	जामनगर	0	191	3077	3308
9.	जूनागढ़	जूनागढ़	0	641	6176	6817

1	2	3	4	5	6	7
		पोरबन्दर	150			
		दीव (संघ शासित क्षेत्र)	20			
10.	मेहसाना	मेहसाना	73	762	4162	4924
		पाटन	59			
11.	नाडियाड़	नाडियाड़	370	792	2592	3384
		आनन्द	285			
12.	पालनपुर	बानसकांठा	0	81	6959	7040
13.	राजकोट	राजकोट	144	623	5848	6471
14.	सूरत	सूरत	228	533	1286	1819
15.	सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर	125	517	2800	3317
16.	बड़ोदरा	बड़ोदरा	130	130	1171	1301
17.	वलसाड़	वलसाड़	24	838	2571	3409
		नवसारी	339			
		दांग	20			
		दमन (संघ शासित क्षेत्र)	0			
		दादरा और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)	114			
		जोड़	52920	9103	52236	61379

जिला मुख्यालय स्तर पर प्रतीक्षा सूची सहित।

बीएसएनएल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4025. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 2005 में भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी हड़ताल पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो उनके मांग-पत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लि. के कार्यपालक कर्मचारियों के एक समूह ने मार्च, 2005 के दौरान कुछ दिन विरोध-प्रकट करते

हुए नियम के मुताबिक ही काम (वर्क-टू-रूल) किया और लंच अवधि में/कार्यालय अवधि के बाद प्रदर्शन किया।

(ख) (i) गैर-पद आधारित समयबद्ध पदोन्नति का कार्यान्वयन।

(ii) सेवा का लाभ तदर्थ/तत्स्थाने/सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी)परवर्ती ग्रेड सहित, दूरसंचार विभाग/दूरसंचार सेवा विभाग में की गयी सेवा का 100 प्रतिशित लाभ प्रदान करना।

(iii) पदोन्नति की प्रभावी तारीख 1.10.2000 से बाद की होगी और पदोन्नति, सेवा के लाभ सहित, विनिर्दिष्ट पात्रता अवधि पूरी होने पर दी जाएगी।

(iv) कोई समानान्तर पद आधारित पदोन्नति नहीं।

(v) प्रबंधन प्रशिक्षुओं की कोई भर्ती नहीं;

(vi) राजभाषा अधिकारियों के प्रस्तावित संशोधित वेतनमान सहित सिविल/विद्युत/वास्तुकारिता/दूरसंचार फैक्ट्रियों के कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों (जेटीओ)/उपमण्डल अभियंता(एसडीई) तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायतों, अनुभाग अधिकारियों एवं कनिष्ठ लेखा अधिकारियों (जेएओ) इत्यादि के लिए संशोधित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि 1.10.2000 होगी; और

(vii) जेटीओ/एसडीई, दूरसंचार के लिए अगले उच्चतर ग्रेड में प्लेसमैंट एक बारगी होगी।

(ग) भारत संचार निगम लि. द्वारा संबंधित एसोसिएशनों के साथ मांगों पर विचार-विमर्श करने तथा उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जा चुकी है।

केन्द्र सरकार के अस्पताल खोलना

4026. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अस्पतालों का खोला जाना नई दिल्ली तक ही सीमित है और सरकार ने अब तक देश के अन्य शहरों में ऐसे अस्पताल स्थापित नहीं किए हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली से बाहर कार्यरत केन्द्रीय कर्मचारी उस सुविधा से वंचित हैं;

(ग) यदि हां, तो देश के अन्य हिस्सों में केन्द्र सरकार के अस्पताल स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य हिस्सों में भी केन्द्र सरकार के अस्पताल स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्यों में अस्पताल खोलना संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है। दिल्ली से बाहर कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा उपचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट एवं सामान्य अस्पताल/संस्थाएं खोली हैं, जैसे स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, जवाहर लाल स्नाताकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग तथा केन्द्रीय मनशिचिकित्सा संस्थान रांची आदि।

वर्ष 2003 में आरम्भ की गई प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान, (जोधपुर) और उत्तरांचल (ऋषिकेश) राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह के एक-एक संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त छह राज्यों में सात संस्थाओं का दर्जा बढ़ाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर का किया जा रहा है।

टेलीफोन लाइनों की क्षमता में वृद्धि

4027. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न हिस्सों में टेलीफोन लाइनों की क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिमाह वृद्धि की जा रही टेलीफोन लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी तीन वर्षों में उक्त वृद्धि हेतु अपेक्षित उपकरणों का मूल्य कितना है; और

(घ) उक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु आवश्यक वित्तपोषण का स्रोत क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) टेलीफोन लाइनों की क्षमता सर्जित करने का निर्णय संबंधित दूरसंचार प्रचालकों द्वारा उनके अपने-अपने क्षेत्रों में लिया जाता है।

(ख) अप्रैल 2004–फरवरी 2005 के दौरान, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रचालकों द्वारा प्रतिमाह फोनों में की गई वृद्धि 18.73 लाख थी।

प्रदान किए गए टेलीफोनों का माह-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अप्रैल 2004	1392524
मई 2004	1434785
जून 2004	1650147
जुलाई 2004	1934248
अगस्त 2004	1884272
सितम्बर 2004	2020594
अक्तूबर 2004	1762939
नवम्बर 2004	1940088
दिसम्बर 2004	2332632
जनवरी 2004	2132136
फरवरी 2004	2116209

(ग) और (घ) अपेक्षित उपस्कर की कीमत मौजूदा बाजार मूल्य पर निर्भर करेगी तथा इसलिए इस समय मूल्य का निर्धारण करना असामयिक होगा। तथापि, ऑपरेटरों द्वारा वित्त पोषण मुख्यत: आंतरिक संसाधन पैदा करके तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से किया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

4028. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आयोग का गठन करने के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में अंश-कालिक अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में प्रतिष्ठित सांख्यिकीविद् और समाज विज्ञानियों को शामिल किया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग देश की सभी कोर सांख्यिकीय गतिविधियां के लिए नोडल और अधिकार प्रदत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह राष्ट्रीय महत्व के कोर सांख्यिकी के क्षेत्रों को अभिज्ञात करेगा, सांख्यिकीय प्रणाली से सम्बद्ध राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं का विकास करेगा, सांख्यिकी के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और कार्य-प्रणालियों के विकास करने के अलावा कोर सांख्यिकी के संग्रहण/सारणीकरण और प्रसार के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति का विकास करेगा और सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय लेखा-परीक्षा के साथ सांख्यिकीय समन्वयन का कार्य भी करेगा।

आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्थापना

4029. श्री देविदास पिंगले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयुर्वेद महाविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से नासिक जिले में आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसे कब तक संस्वीकृत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) देश में निम्नानुसार 221 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं:- आंध्र प्रदेश-4, असम-1, बिहार-11, चंडीगढ़-2, दिल्ली-1, गोवा-1, गुजरात-10, हरियाणा-6, हिमाचल प्रदेश-1, जम्मू व कश्मीर-1, झारखंड-1, कर्नाटक-50, केरल-12, मध्य प्रदेश-14, महाराष्ट्र-56, उड़ीसा-6, पंजाब-11, राजस्थान-6, तमिलनाडु-6, उत्तर प्रदेश-14, उत्तरांचल-3, पश्चिम बंगाल-3, चंडीगढ़-1 ।

(ख) जिला-नासिक, महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से विहित पत्र में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची

4030. श्री राजेन गोहेन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक देश के प्रत्येक राज्य में लैंड-लाइन, डब्ल्यूएलएल, सीडीएमए मोबाइल फोन और सेल्यूलर फोन की प्रतीक्षा सूची में कितने लोग सम्मिलित हैं;

(ख) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड दो माह के अंदर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन/मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध कराने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि दिनांक 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 18 लाख आवेदक थे; और

(ङ) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित सभी लोगों को कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार, देश में बीएसएनएल के लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल, सीडीएमए मोबाइल फोनों की कुल प्रतीक्षा सूची 2535648 है। सर्किलवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) शीघ्रता से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए बीएसएनएल अपेक्षित क्षमता की संस्थापना कर रहा है जहां कहीं दूरसंचार अवसंरचना उपलब्ध है तथा क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य है वहां अविलंब टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) बीएसएनएल अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों के माध्यम से प्रतीक्षा सूची में दर्ज अपने उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर डब्ल्यूएलएल नेटवर्क संस्थापित करने की योजना बनायी गयी है।

(ii) लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए आउटडोर केबल की लंबाई 2.5 किमी. से बढ़ाकर 5.0 किमी तक करने की अनुमति दी गई है।

(iii) सभी राजामार्गों, महत्वपूर्ण नगरों, तीर्थ स्थानों और राज्य राजमार्गों में मोबाइल नेटवर्क सस्थापित किए गए हैं ताकि अधिक क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

(iv) बीएसएनएल द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, निजी आपरेटर भी टेलीफोन की मांग को पूरा करते हैं।

(v) इसके अलावा, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ निधि) तंत्र के माध्यम से दूरसंचार आपरेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों टेलीफोन प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

विवरण

क्र. सं.	सर्किल का नाम	लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल और सीएमटीएस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	449
2.	आंध्र प्रदेश	40680
3.	असम	30306
4.	बिहार	96871
5.	छत्तीसगढ़	2809
6.	गुजरात	57328
7.	हरियाणा	89105
8.	हिमाचल प्रदेश	45207
9.	जम्मू कश्मीर	67714
10.	झारखंड	210747
11.	कर्नाटक	95742
12.	केरल	357004
13.	मध्य प्रदेश	10059
14.	महाराष्ट्र	180287
15.	पूर्वोत्तर-1	4377
16.	पूर्वोत्तर-2	4442
17.	उड़ीसा	40958
18.	पंजाब	44887
19.	राजस्थान	137814
20.	तमिलनाडु	99195
21.	उत्तरांचल	8626
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	727179
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	52362
24.	पश्चिम बंगाल	125447
25.	कोलकाता	4609
26.	चेन्नई	1444
	कुल	2535648

[हिन्दी]

राजस्थान में टावर

4031. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिला-वार विशेषत: जोधपुर में कितने दूरसंचार टावर बनाए गए/निर्माणाधीन हैं; और

(ख) इन टावरों के कब तक कार्यशील होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) राजस्थान के विभिन्न जिलों में कुल 492 दूरसंचार टावर कार्य कर रहे हैं तथा 779 टावर संस्थापित किए जा रहे हैं। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। संस्थापित किए जा रहे टावर का इस्तेमाल मोबाइल, वायरलेस इन लोकल लूप जैसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए किया जाएगा तथा जून 2005 से इनके उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध होने की आशा है।

विवरण

कार्यशील तथा संस्थापित किए जा रहे टावरों की जिले-वार सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	निर्मित हो चुके टावर	निर्माणाधीन टावर
1	2	3	4
1.	अजमेर	29	32

1	2	3	4
2.	अलवर	22	29
3.	बांसवाड़ा-डूंगरपूर	10	18
4.	बाड़मेर	16	26
5.	भरतपुर+धौलपुर	10	24
6.	भीलवाड़ा	18	25
7.	बीकानेर	19	31
8.	बुंदी	08	09
9.	चित्तौड़गढ़	16	16
10.	चुरू	11	30
11.	जयपुर+दौसा	86	180
12.	जैसलमेर	04	14
13.	झालावाड़	10	08
14.	झुनझुनू	12	21
15.	जोधपुर	38	55
16.	कोटा+बारन	36	37
17.	नागौर	14	23
18.	पाली	17	25
19.	सीकर	15	25
20.	सिरोही+जालोर	15	24
21.	श्रीगंगानगर+हनुमानगढ़	28	27
22.	सवाईमाधोपुर+करोली	09	23
23.	टॉक	08	14
24.	उदयपुर+राजसमंद	41	63
	कुल	492	779

कोल लिंकेज नीति में परिवर्तन

4032. श्रीमती करूणा शुक्ला :
श्री गणेश सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षित उपयोग हेतु कोल लिंकेज के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने की वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटीन कंपनियों के लिए कोयला और मंहगा हो जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या नई नीति उन कंपनियों पर भी लागू होगी जिन्होंने पहले ही कोल लिंकेज के माध्यम से कोयला प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो छोटी कंपनियां खुले बाजार में बड़ी कंपनियों का मुकाबला कैसे करेंगी जिन्होंने कोल-ब्लाक खरीद लिए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (घ) विजय पोद्दार बनाम कोल इंडिया लि. के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में नान-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बीच कोयले के संवितरण के संबंध में नीति तैयार की जा रही है। कोयला कंपनियों द्वारा परीक्षण आधार पर ई-नीलामी की जा रही है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, कोयले के संवितरण संबंधी नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

जनसंख्या वृद्धि में कमी हेतु लक्ष्य

4033. कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमित व दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के मद्देनजर सरकार का विचार जनसंख्या वृद्धि दर में कमी के संबंध में प्रत्येक राज्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के प्रयासों के बावजूद जनसंख्या में अबाधवृद्धि के कारण आम आदमी को खाना, कपड़ा, आश्रय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मौलिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में उच्च निवेश आदि के रूप में कुछ प्रोत्साहन देने का भी है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर में कमी के लक्ष्य को प्राप्त किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक प्रकृति का है। अप्रैल, 1996 से जनांकिकी उपलब्धि के संबंध में लक्ष्यों को नियत करना छोड़ दिया गया है और उसके स्थान पर सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन दृष्टि कोण (सी. एन.ए.ए.) के आधार पर विकिद्रीकृत सहभागिता नियोजन को अपनाया गया है।

(ग) और (घ) यह स्वीकार किया गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से देश के प्राकृतिक और नागरिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है।

देश के जनसंख्या को स्थिर करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाना, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि का पंजीकरण और जनांकिकीय रूप से पिछड़े 8 राज्यों पर विशेष (फोकस्ड) ध्यान देने के लिए एक अधिकार प्राप्त कार्य दल (ईएजी) का गठन करना शामिल है। सरकार ने लोगों को प्रजनन, मातृ, बाल स्वासयि और गर्भ निरोधक सेवाओं की व्यवस्था के लिए वर्ष 1997 में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया। सरकार ने हाल ही में देश भर में व्यापक एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है।

जनसंख्या स्थरीकरण के लिए किए गए उपायों के परिणाम स्वरूप देश के जनांकिकी सूचकों में काफी सुधार हुआ है। कुल प्रजनन दर 1951 में 6 थी जो कम होकर वर्ष 1999 में 3.2 हो गई है। वर्ष 1951 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जनसंख्या पर 146 थी जो कम हो कर 64 रह गई है। वर्ष 1992 में मातृ-मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्मों पर 437 था जो कम होकर 407 रह गया है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 24.66 प्रतिशत (1981) थी जो कम होकर 1.93 प्रतिशत (2001) हो गई है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में हीचलता आ रहा है। परिवार कल्याण संबंधी बुनियदी ढांचे के एककों के रख-रखाव, औषधों, गर्भनिरोधकों की आपूर्ति और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले 5 वर्षों में राज्यों के लिए दी जाने वाली सहायता लगभग दुगुनी हो गई है। जो राज्य परिवार कल्याण में बेहतर कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करते हैं, उनको कार्य निष्पादन के आधार पर विशेष तौर पर गर्भ निरोधकों की आपूर्ति, नसबंदी/आई यू डी निवेशन के लिए मुआवजे और क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम के लिए वार्षिक बजट में अधिक आबंटन मिलता है।

एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी

4034. श्री जी.वी. हर्षकुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ग) इन दिशा-निर्देशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में एड्स अस्पतालों की स्थापना

4035. श्री एम. शिवन्ना :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से विजयनगर इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, बेल्लारी में 100 बिस्तरों वाले एड्स अस्पताल की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनुरोध गत तीन वर्षों से लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यदि/ जब प्रस्ताव प्राप्त होगा, निर्णय लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण

4036. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कंपनियों ने देश में दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उपकरणों के विनिर्माण पर उकत कंपनियों द्वारा कुल कितना निवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) किन-किन कंपनियों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण के लिए सरकार से विशिष्ट अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

एल्कोटक, नोकिया, एलजी, एरिक्सन आदि जैसी कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में दूरसंचार उपकरण विनिर्मित करने के लिए अपनी इच्छा दर्शाते हुए प्रचार माध्यमों में कुछ घोषणाएं की हैं। निवेश की संभावित राशि का इस चरण में आकलन नहीं किया जा सकता।

बिहार में सड़कों की हालत

4037. श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री सीता राम यादव :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102, 103, 104, 105, 106, 107, 98 और 28 की स्थिति बहुत बदतर है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मानदंड के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के संबंध में वर्ष-वार और सड़क-वार योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त उद्देश्य हेतु धनराशि की मांग करते हुए प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राष्ट्रीय राजमार्गों की कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार किया जा रहा है और पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में इन्हें यातायात योग्य स्थिति में बनाया जा रहा है। गत चार वर्षों के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों (सं. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 98 और 28) पर सुधार कार्यों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जाता है और राज्य सरकार से प्रापत प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाता है। बिहार के लिए चालू वित्त वर्ष हेतु 7000 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्गों सहित बिहार में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सुधार कार्यों पर वर्ष 2005-06 के लिए बजट के अनुमोदन के बाद कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

विवरण

स्वीकृत स्कीम के सड़क वार और वर्ष वार ब्योरे

करोड़ रु.

रा.रा. सं.	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	स्कीम और खंड	स्वीकृत धनराशि	स्कीम और खंड	स्वीकृत धनराशि	स्कीम और खंड	स्वीकृत धनराशि	स्कीम और खंड	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	1-36 कि.मी. में आवधिक नवीकरण	2.51	—	—	42-44 कि.मी. और 61-69 कि.मी. में आवधिक नवीकरण	1.43		
103	1-5 कि.मी. और 9-40 कि.मी. में आई आर क्यू पी	1.17	—	—	32 कि.मी. में स्क्रू पाइल पुल की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण	0.55	(i) 7, 8, 15 - 44 कि.मी. में आई आर क्यू पी (ii) 45 कि.मी. में पुल का पुनरूद्धार	6.30
104	—	—	(i) 1-22.35 कि.मी. में आई आर क्यू पी	2.99			नष्ट हो चुके पुल के स्थान पर 178 कि.मी. में स्क्रू पाइल पुल का निर्माण	1.46
			(ii) 133-142 कि.मी. में आई आर क्यू पी	1.69				
			(iii) 69-96 कि.मी. में चौड़ीकरण	14.86				
			(iv) 85, 96 और 106 कि.मी. में स्क्रू पाइल पुल का पुनर्निमाण	0.79				
			(v) 178 , 184, 187 और 191 कि.मी. में स्क्रू पाइल पुल का पुनर्निमाण	1.25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105			12-234 कि.मी. में आई आर क्यू पी	3.82				
106	10-19 कि.मी., 58-68 कि.मी., 89-98 कि.मी. में आई आर क्यू पी	4.73	69-76 कि.मी. में आवधिक नवीकरण	1.18	99-124 कि.मी. में आई आर क्यू पी	3.81		
107	(i) 9-20 कि.मी., 101-110 कि.मी., 117-126 कि.मी., 151-165 कि.मी. में आई आर क्यू पी	12.60	(i) 141-150 कि.मी. और 166-180 कि.मी. में आई आर क्यू पी	475	(i) सहरसा लेबल क्रासिंग पर आर ओ बी के लिए साध्यता अध्ययन	0.07	25.5-30.5 कि.मी. मे आई आर क्यू पी	2.22
	(ii) बेला पुल के शेष कार्य का निर्माण	2.30	(ii) 128 कि.मी. में स्क्रू पाइल पुल का निर्माण	0.63	(ii) 51-66 कि.मी. में आई आर क्यू पी	4.86		
	(iii) 44 कि.मी. में बॉक्स पुलिया का निर्माण	0.41	(iii) 99 और 100 कि.मी. में आवधिक नवीकरण	0.29				
98	1-7, 65-89 कि.मी. में आई आर क्यू पी	5.31	18-35 कि.मी. में आई आर क्यू पी	3.59			(i) 7 कि.मी. में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	0.86
							(ii) 53-64 कि.मी और 90-127 कि.मी. में आई आर क्यू पी	10.72
28	(i) 476-487, 547-564, 582-608 (597, 600 और 603 को छोड़कर) कि.मी. में आई आर क्यू पी	14.37	597 और 600 कि.मी. में आवधिक नवीकरण	0.24	544, 566-568, 570-572, 584 कि.मी. में आवधिक नवीकरण	2.40	(i) 534-543, 545 546 और 565 कि.मी. में आई आर क्यू पी	3.66
							(ii) 573-581 कि.मी. में आई आर क्यू पी	3.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ii) 412-581 कि.मी. में 76 कि.मी. के विभिन्न खण्ड	9.80					(iii) 609-627 कि.मी. में आवधिक नवीकरण	2.96

[अनुवाद]

औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं

4038. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और खाद्य व औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा वर्तमान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थापित किए जाने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या तथा इनके कार्य क्या हैं;

(ग) इसमें कितनी लागत अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) क्या ये प्रयोगशालाएं भारतीय बाजार में प्रवेश पा रहे खाद्य पदार्थों में जैव संसाधित खाद्य, संदूषक और पैथोजेन्स की नई प्रवृत्तियों का पता लगाने में सक्षम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कोई भी वर्तमान प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित संदूषकों का पता लगाने में सक्षम नहीं है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार प्रयोगशाला कर्मियों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का प्रशिक्षण देने का है; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) खाद्य और औषध के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत 17 मौजूदा खाद्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और 14 नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं केन्द्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में स्थापित की जा रही हैं। औषधों के मामले में 13 मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जा रहा है और एक नई प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। इनके अतिरिक्त खाद्य और औषध की 5 नई संयुक्त प्रयोगशालाएं देश में स्थापित की जा रही हैं। इन कार्यकलापों पर 62.24 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्रयोगशाला खाद्य पदार्थों में संदूषकों और पेथोजेन्स के नए स्टेन्स का पता लगा सकेगी और केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर और राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद आनुवंशिकी रूप से संशोधित खाद्य संदूषकों का पता लगा सकेंगे।

(च) और (छ) कुछ मौजूदा प्रयोगशालाएं अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्राय: सभी संदूषकों का पता लगा सकने में सक्षम हैं।

(ज) और (झ) जी, हां। राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली (पंजाब), अन्य बातों के साथ-साथ औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर और खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद खाद्य प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर बाईपास का निर्माण

4039. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर 100 करोड़ रु. लागत वाले 16 कि.मी. लंबे बाईपास का निर्माण कार्य गत दो वर्षों से रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिसंबर, 2002 की निविदा के अनुसार कान्सट्रामा कंपनी को उक्त सड़क का डी पी आर तैयार करने के लिए 16 लाख 76 हजार रुपये दिए जाने की आवश्यकता है किंतु केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बीच विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करना चाहती है; और

(च) यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (च) संभवतया माननीय सांसद रा.रा. 80 पर भागलपुर बाइपास के निर्माण का हवाला देना चाहते हैं। राज्य सड़क निर्माण विभाग से भागलपुर बाइपास के निर्माण के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भागलपुर बाइपास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य 15.20 लाख रु. की धनराशि की लागत से अक्तूबर, 2004 में मंजूर किया गया था। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। इस बाइपास का निर्माण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

विदेशियों द्वारा भारत में अवैध रूप से ठहरना

4040. श्री ब्रजेश पाठक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशियों द्वारा भारत में अवैध रूप से ठहरने के मुद्दे को कई अन्य देश की सरकारों के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान जिन देशों के साथ ऐसे मुद्दे उठाए गए है उनका वर्ष-वार नाम क्या है; और

(ग) प्रत्येक देश द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी हां।

(ख) बांग्लादेश, पाकिस्तान।

(ग) और (घ) बांग्लादेश।

भारत सरकार सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) और बांगलांदेश राइफल्स (बी डी आर) के बीच अर्द्धवार्षिक महानिदेशक स्तरीय वार्ताओं सहित राजनैतिक और आधिकारिक स्तरों पर यह समस्या बंगलादेश सरकार के साथ लगातार उठाती रही है।

बंगलादेश सरकार का कहना है कि भारत ने कोई गैरकानूनी बंगलादेशी आप्रवासी नहीं है क्योंकि भारत में बंगलादेश से बड़े पैमाने के देशांतरण के लिए कोई आर्थिक औचित्य नहीं है।

पाकिस्तान :

गृह मंत्रालय द्वारा जब विदेश मंत्रालय को सूचित किया गया कि पाकिस्तान सरकार द्वारा नजरबंद कैदियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि किए जाने के बाद पाकिस्तानी सरकार को कौंसुलर जाने के बाद पाकिस्तानी सरकार को कौंसुलर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पाकिस्तान सरकार द्वारा स्वदेश लौटाए गए पाकिस्तानी नजरबंद कैदियों को स्वीकार कर लिया गया है।

गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानियों को उनकी सजा पूरा करने की इजाजत दी जाती है और उसके बाद उन्हें रिहा करके स्वदेश वापस भेज दिया जाता है। पिछले तीन में, भारत सरकार ने 109 पाकिस्तानी असैनिक कैदियों को रिहा करके स्वेदश भेजा है।

[अनुवाद]

अधिशेष भूमि का अतिक्रमण

4041. श्री चुएल ओराम : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महत्वपूर्ण पत्तनों के अंतर्गत अधिशेष भूमि के अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) मुंबई, तूतीकोरिन, चेन्नई, पारादीप और कांडला के महापत्तनों ने खाली पड़ ज़मीन के अतिक्रमण के दृष्टांत रिपोर्ट किए हैं। मुंबई-पत्तन-न्यास में, 2.79 हैक्टेयर भूमि पर 4960 हटमेंटों से युक्त जनगणनाकृत 4 पॉकिटों को समाविष्ट किए हुए, 7.46 हैक्टेयर भूमि पर 25 पॉकिटों में लगभग 14365 हटमेंटों और 4.67 हैक्टेयर भूमि पर 9405 हटमेंटों से युक्त 21 पॉकिटों को अतिक्रमण के अधीन पाया गया है। जनगणनाकृत झुग्गी बस्ती में आने वाले क्षेत्र, उपर्युक्त नगरों के विकास की योजना में झुग्गी बस्ती का विकास करने के लिए भी उद्दिष्ट हैं। तूतीकोरिन-पत्तन में लगभग 200 मछुआरे अतिक्रमित भूमि पर रह रहे हैं। चेन्नई-पत्तन के नियंत्रण में, तिरूसूलम गांव में स्थित 2.43 एकड़ भूमि-क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया गया है। कुल 7566 परिवारों ने पारादीप-पत्तन-न्यास की भूमि का अतिक्रमण कर लिया है। कांडला-पत्तन-न्यास में अतिक्रमण अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के हटमेंटों के रूप में है।

(ग) उपर्युक्त पत्तन-न्यास संबंधित राज्य-सरकार की सहायता से समय-समय पर अतिक्रमण दूर करने के कदम उठाने आरंभ करते हैं। पत्तन-न्यास प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं और अतिक्रमण का मामला नज़र आने पर, अतिक्रमण का मसला, पुलिस-प्राधिकारियों से उठाया जाता है। सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार, कानून की समुचित प्रक्रिया का निर्वाह करके, अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने के कदम उठाए जाने भी आरंभ कर दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन

4042. श्री बापू हरी चौरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में क्रियान्वित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त स्वास्थ्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विस्तार हेतु अधिक धनराशि आबंटन की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान पांच प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ये हैं- राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठन

4043. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में लगे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है;

(ग) क्या इस धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या धनराशि के किसी दुरूपयोग की जानकारी मिली है; और

(च) यदि हां, तो दोषी पाए गए संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक दवाओं की उपलब्धता

4044. श्रीमती मेनका गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और अन्य वैकल्पिक दवाओं हेतु एक अलग विभाग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक दवाओं को दवा की खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचा जा सकता है परन्तु होम्योपैथिक दवाओं की इस प्रकार से बिक्री किए जाने पर प्रतिबंध है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दवा की दुकानों के माध्यम से होम्योपैथिक दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारत सरकार द्वारा 1995 में स्थापित भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग (भाचिप एवं हो) का नवम्बर, 2003 में नया नाम आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग रखा गया है।

(ख) वर्तमान विधिक उपबंधों के अंतर्गत आयुर्वेद औषधियों के खुदरा विक्रय के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। होम्योपैथिक औषधियों का विक्रय औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम-67 ग के अधीन उपबंधों के अनुसार बने लाइसेंस के माध्यम से किया जाता है।

(ग) सरकार ने कुछ सामान्यत: प्रयुक्त होम्योपैथिक औषधियों के विक्रय हेतु कुछ छूटें देने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची ट में संशोधन किया है।

कलपाक्कम परमाणु रिएक्टर और कुदनकुलम विद्युत परियोजना को संरक्षण

4045. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलपाक्कम परमाणु रिएक्टर और कुदनकुलम विद्युत परियोजना के आस-पास के क्षेत्र को सुनामी और चक्रवात-रोधी क्षेत्र बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शहर में और निकट के मत्स्यन गांवों में आपदा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए कितनी निधियां निर्धारित की गयी हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं कलपाक्कम और कुडनकुलम संयंत्रों का डिजायन सुनामी और चक्रवात जैसी घटनाओं को सह सकने योग्य बनाया गया है।

(ख) ऊपर (क) के मद्देनजर यह लागू नहीं होता।

(ग) जी, हां। कलपाक्कम टाऊनशिप में आपदा की चेतावनी देने वाली प्रणाली स्थापित की जा रही है।

(घ) कलपाक्कम टाऊनशिप में आपदा की चेतावनी देने वाली प्रणाली के लिए 5 लाख रुपए की निधि नियत की गई है। आशा है कि यह प्रणाली जून, 2005 से काम करने लगेगी।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग का आधुनिकीकरण

4046. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग का व्यापक स्तर पर आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो विकसित देशों के समान संगठनों की तुलना में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई विशिष्ट योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी. हां। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) के बढ़े हुए उपयोग तथा प्रौद्योगिकी में उन्नयन के साथ, योजना विकासात्मक कार्यकलापों के लिए अद्यतन आकड़ों की उपलब्धता एक प्रमुख कारक बन गई है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और इसमें काफी तेजी भी आई है।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण विभाग विकसित देशों के इसी प्रकार के

संगठनों की तुलना में सर्वेक्षण और मानचित्रण के क्षेत्रों में पीछे था। अर्थात

स्थानिक आंकड़ा प्राप्ति

स्थानिक आंकड़ा रूपान्तरण

स्थानिक आंकड़ा प्रबंधन एवं प्रसार

परन्तु नवीं एवं दसवीं योजना के दौरान आधुनिक एवं उन्नत उपकरणों की प्राप्ति के साथ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आर्डनेंस सर्वे ऑफ यू. के. अथवा आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों के किसी भी संगठन की तुलना में आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवीनतम उपकरणों के साथ भली प्रकार से सुसज्जित होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सदृश (एनालॉग) रूप में मानचित्र तैयार कर रहा था, परन्तु इसने अब अंकीय रूप में डाटा सृजन करना आरंभ कर दिया है। आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अपनाना एक सतत प्रक्रिया है, और इसके सम्पन्न होने पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग अन्य विकसित देशों की सर्वेक्षण एवं मानचित्रण एजेंसियों के समकक्षा आ जायेगा।

(ग) जी, हां। अधुनातन प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना तैयार करने और वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई विभिन्न स्कीमों पर पर्याप्त निधि प्रदान करके सरकार के पास नवीं पंचवर्षीय योजना (1998-2001) और दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2006) के लिए विशिष्ट योजनाएं है। यह प्रक्रिया ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी।

(घ) भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अभी भी सम्पूर्ण आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार है:–

- हवाई अंकीय कैमरा
- ए एल टी एम संवेदक
- मानचित्र प्रकाशन प्रणाली
- राज्य केन्द्रों और राष्ट्रीय भू - स्थानिक आंकड़ा केन्द्रों के बीच उच्च गति संयोजनता।
- लेजर रेंज फाइंडर्स
- क्षेत्र जांच पड़ताल हेतु सर्वेक्षकों के लिए मॉबिलिटी
- जी पी एस के साथ समेकित वाहन पर लगा अंकीय कैमरा
- अवस्थिति - संबंधी सटीकता के वास्तविक समय सम्पर्क के लिए सक्रिय नियंत्रण बिन्दु नेटवर्क की स्थापना
- आंकड़ा प्रबंधन के लिए हाई एण्ड सर्वर
- डाटा के शीघ्र प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी जैसे कि मांग पर मानचित्रों के लिए उच्च क्षमता प्लॉटर

भारतीय सर्वेक्षण विभाग विकसित देशों में प्रचलित सर्वेक्षण एवं मानचित्रण की नवीनतम प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए चरणबद्ध रूप से अधिक से अधिक आधुनिकतम उपकरणों/उपस्करों की खरीद कर रहा है।

[हिन्दी]

कैगा में नया परमाणु रिएक्टर

4047. श्री सीता राम यादव :
श्री प्रह्लाद जोशी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के कैगा में और तीन परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैगा भूकम्प प्रवण क्षेत्र में आता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को उसकी स्थापना के समय से आवंटित की गयी निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसकी स्थापना के समय से इसके द्वारा उत्पादित विद्युत का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) इस संयंत्र से विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक को आपूर्ति की गई विद्युत का ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संयंत्र को हुई हानियों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) कैगा, कर्नाटक में दो रिएक्टर प्रचालनरत हैं और दो निर्माणाधीन हैं। इस समय कैगा में इनके अलावा और भी रिएक्टर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भूकंपनीयता के बढ़ते क्रम में इस देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों (II से V तक) में वर्गीकृत किया गया है। कैगा क्षेत्र III में आता है और परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए एक उपयुक्त स्थान है।

(ग) इस संयंत्र की सभी संरचनाओं, उपस्करों और प्रणालियों का डिजायन इस परमाणु विद्युत संयंत्र के कार्यकाल के दौरान स्थल पर भूंकप से पड़ सकने वाले अधिकतम संभावित प्रभाव को सह सकने योग्य बनाया गया है।

(घ) इस बिजलीघर ने वर्ष 2000 में वाणिज्यिक रूप से प्रचालन करना शुरू किया था और वाणिज्यिक रूप से प्रचालन शुरू करने के बाद कोई आबंटन नहीं किया गया।

(ङ) इस बिजलीघर द्वारा वर्ष-वार मिलियन यूनिटों में उत्पादित बिलजी निम्नानुसार है:-

2000-01	1900 (कैगा-1 ने नवंबर 2000 में प्रचालन शुरू किया था)
2001-02	2999
2002-03	3308
2003-04	3123
2004-05	2926

(च) राज्यों के बीच विद्युत का हिस्सा निम्नानुसार है:-

कर्नाटक		30%
तमिलनाडु	:	54%
केरल	:	13%
पांडिचेरी	:	3%

(छ) इस बिजलीघर ने वर्ष 2001-02 से लेकर 2004-05 तक पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ कमाया है।

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. और अन्य परियोजनाओं को कोयला आपूर्ति

4048. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. केन्द्रीय विद्युत कंपनी एन.टी.पी.सी. और अन्य परियोजनाओं को की जाने वाली कोयले की आपूर्ति में भारी कमी करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले की कमी से अनेक ताप विद्युत संयंत्र पहले ही प्रभावित हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड एन.टी.पी.सी., सिंगरौली और कोबरा विद्युत केन्द्रों के लिए कोयला आपूर्ति विनियमों को और अधिक कठोर बनाने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इससे एन.टी.पी.सी. और राज्य विद्युत बोर्ड किस हद तक प्रभावित हुए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. ने वर्ष 2003-04 में विद्युत उपयोगिता संबंधी सेवाओं तथा एन.टी.पी.सी. को लगभग 234 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की जबकि वर्ष 2004-05 में इसने 249 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की है। वर्ष 2005-06 में लगभग 257 मिलियन टन आपूर्ति की परिकल्पना की गयी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. वार्षिक कार्य-योजना के लक्ष्यों के अनुसार काफी हद तक थर्मल विद्युत संयंत्रों को कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ रही है यद्यपि कुछ अलग-अलग यूनिटों में उत्पादन की कुछ कमी से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बढ़े हुए उत्पादन के कारण कोयले की अपनी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र को लगभग 10 मिलियन टन कोयले का आयात करने की सलाह भी दी गयी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

दूरसंचार विभाग, एमटीएनएल और बीएसएनएल के बीच त्रिपक्षीय समझौता

4049. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमटीएनएल इस विचार से सहमत नहीं है कि इसे बीएसएनएल की अनुषंगी इकाई बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों कंपनियों का विलय करने तथा इस निर्णय के लिए कि बीएसएनएल पिछले वर्ष के लिए अपनी लेखाओं को अंतिम रूप देगा दूरसंचार विभाग, एमटीएनएल और बीएसएनएल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा गया है;

(घ) यदि हां, क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) परामर्शदाताओं ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के पुनर्गठन के लिए अपनी रिपोर्ट में चार विकल्पों का चयन किया है जिनकी एमटीएनएल और दूरसंचार विभाग में जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ीसा हेतु योजना आकार को बढ़ाया जाना

4050. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य का योजना आकार बढ़ाने तथा एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आबंटन करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को कब तक स्वीकार किया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय जड़ी-बूटियों के बारे में अमरीकी अध्ययन

4051. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी अध्ययन ने मधुमेह, निम्न रक्तचाप और इन्सुलिन स्तर के उपचार में भारतीय जड़ी-बूटियों, शेलेसिया ओबलांगा के उपयोग नुस्खे को औषधि के समान माना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार भारत में मधुमेह को नियंत्रित करने में अमरीकी अध्ययन से किस प्रकार लाभ उठाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अमरीकी डायबेटिक एसोसिएशन की पत्रिका के जनवरी, 2005 के अंक में हीकाक और अन्य द्वारा प्रकाशित मधुमेह के उपचार में भारतीय जड़ी-बूटी के उपयोग पर अमरीकी अध्ययन से पता चला है कि शेलेसिया ओबलांगा आंतीय इन्जाइमों से संयोजित हो जाता है, जिससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है। ये इन्जाइम कार्बोहाइड्रेटों को ग्लूकोज, शक्कर में परिणत कर देते हैं जो सारे शरीर में संचरण करते हैं। यदि इन्जाइम कार्बोहाइड्रेट के बदले जड़ी बूटी सत्व से संयोजित हो जाए तो रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा कम पड़ जाती है जिससे रक्त में ग्लूकोज और इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है।

(ग) जड़ी-बूटी का परीक्षण किया जा रहा है। अध्ययन पूर्ण होने के बाद भारत मधुमेह रोग को नियंत्रित करने के लिए इस औषधि का भी उपयोग कर सकता है बशर्ते कि यह औषधि सुरक्षित और दुष्प्रभाव रहित हो।

तटीय शहरों का विकास

4052. **श्री प्रहलाद जोशी : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तटीय शहरों को पूर्ण विकसित समुद्री पत्तनों के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक में अंकोला भी ऐसे तटीय शहरों में से एक है जो समुद्री पत्तन के रूप में विकसित किए जाने हेतु सरकार के पास विचारार्थ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) तटीय कस्बों को परिपूर्ण पत्तनों के रूप में विकसित किए जाने का कोई भी प्रस्ताव, पोत-परिवहन विभाग में नहीं मिला है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली हेतु निधियां

4053. **श्री पी.एस. गढ़वी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली हेतु पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष अपेक्षाकृत कम निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार के अनेक संगठनों/संघों ने निधियां बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी जेलों में बंद भारतीय

4054. **श्री अजीत जोगी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की देश-वार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उन्हें शीघ्र मुक्त कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) विदेशी जेलों में बंद भारतीयों की सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) विदेशों में भारतीय दूतावास/पोस्ट विदेशी जेलों में बंद पड़े भारतीय राष्ट्रीकों की शीघ्र रिहाई के लिए सभी सम्भावित प्रयास करती है और सहायता उपलब्ध कराती है जिसमें तत्काल मुकदमा चलाया जाना, सजा से माफी प्राप्ति की मांग, बंदियों और कैदियों के लिए कौंसुलर सेवा प्रदान किए जाने की मांग, कानूनी व अन्य मामलों में सुझाव/मार्ग दर्शन उपलब्ध कराना, भारत में अपने अन्य संबंधियों के साथ सम्पर्क करना, विदेशी जेलों में निष्पक्ष व मानवोचित व्यवहार सुनिश्चित करना तथा उनकी सम्भावित रिहाई पर भारत के लिए प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाना।

विवरण

क्र.सं.	देश	विदेशों में जेलों में बंद भारतीयों की संख्या
1	2	3
1.	अल्जीरिया	9
2.	अर्जनटीना	3
3.	अर्मेनिया	1
4.	ऑस्ट्रिया	0

1	2	3
5.	अजरबैजान	0
6.	आस्ट्रेलिया	1
7.	बहरीन	163
8.	बंगलादेश	378
9.	बेल्जीयम	14
10.	बेलीज	0
11.	भूटान	30
12.	बोलिविया	0
13.	बोत्सवाना	5
14.	ब्राजील	0
15.	ब्रूनेई	0
16.	बुल्गारिया	0
17.	बुर्किना फासो	0
18.	कनाडा	1
19.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	0
20.	चिली	0
21.	चीन	34
22.	कोलंबिया	0
23.	कंबोडिया	1
24.	कोट डी आइवर	0
25.	कोमोरोस	0
26.	क्रोएशिया	0
27.	क्यूबा	4
28.	साइप्रस	49
29.	चेक गणराज्य	1
30.	डेनमार्क	9
31.	डिजूबुती	0
32.	अल सलवाडोर	0
33.	इथियोपिया	0
34.	फिजी	0
35.	फिनलैंड	1
36.	फ्रांस	190
37.	जर्मनी	0
38.	घाना	0
39.	यूनान	198
40.	गुआटामाला	0
41.	गिनी	0
42.	गुयाना	0
43.	होंडूरस	0
44.	हांगकांग	39
45.	हंगरी	3
46.	इंडोनेशिया	3
47.	ईरान	4
48.	आयरलैंड	0
49.	इस्राईल	170
50.	इटली	39

1	2	3
51.	अमैका	2
52.	जापान	2
53.	जार्डन	4
54.	कुवैत	49
55.	लाटविया	0
56.	लैबनान	160
57.	लाइबेरिया	11
58.	लिबिया	0
59.	मेसीडोनिया	0
60.	मेडागास्कर	2
61.	मलेशिया	568
62.	मालद्वीप	12
63.	मैक्सिको	0
64.	मंगोलिया	0
65.	मोजांबिक	0
66.	म्यामां	50
67.	नामिबिया	0
68.	नीदरलैंड	152
69.	निकारागुआ	0
70.	निजार	0
71.	ओमान	22
72.	पाकिस्तान	लगभग 900; हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ 182 स्वीकार किया है
73.	पनामा	3
74.	पपुआ न्यूगिनी	0
75.	पेरू	0
76.	पोलैंड	1
77.	पुर्तगाल	5
78.	कतर	21
79.	रूसी परिसंघ	120
80.	सऊदी अरब	1160
81.	सर्बिया व मॉंतेनिगरो	5
82.	सेशल्स	0
83.	सिएरा लियोन	0
84.	सिंगापुर	345
85.	सलोवक गणराज्य	12
86.	सोलोमन द्वीप	0
87.	दक्षिण अफ्रीका	3
88.	श्रीलंका	3
89.	सूडान	0
90	स्वाजीलैंड	0
91.	स्वीडन	0
92.	स्विटजरलैंड	4
93.	सिरिया	10
94.	ताजिकिस्तान	1
95.	तंजानिया	2

1	2	3
96.	थाइलैंड	31
97.	टोगो	0
98.	ट्यूनिशिया	0
99.	तुर्की	45
100.	सं. अरब अमीरात	750
101.	यू के	233
102.	अमरीका	101
103.	यूगांडा	0
104.	यूक्रेन	231
105.	उजबेकिस्तान	0
106.	वानुआतु	0
107.	वियतनाम	0
108.	यमन	0
109.	जिब्बावे	0
	कुल	6730

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या हेतु संचार उपग्रह का प्रक्षेपण

4055. श्री असदुद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केवल स्वास्थ्य परिचर्या हेतु एक संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करने का है जो मरीजों और डाक्टरों को शहरों में विशेषज्ञों से सम्पर्क करने में समर्थ बनाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस उपग्रह का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की संभावना है तथा इस पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस उपग्रह के प्रक्षेपण के परिणामस्वरूप ग्रामीण जनता को क्या मुख्य लाभ होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बुनियादी टेलीफोन कनेक्शन वापस करना

4056. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एस.एन.एल. द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार बुनियादी सेवा क्षेत्र में इसके कुछ सबसे बड़े सर्किलों में काफी संख्या में बुनियादी टेलीफोन कनेक्शनों को वापस किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व का घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार का विचार इस परिस्थिति से किस प्रकार से निपटने तथा निजी आपरेटरों से प्रतिस्पर्धा करने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख शहरों में टेलीफोन वापस किये जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(i) टेलीफोन प्रयोक्ताओं से संबंधित किफायत संबंधी कारक।

(ii) लैंडलाइन कनेक्शनों की विश्वसनीयता में वृद्धि के कारण कुछ उपभोक्ताओं को दूसरे टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है।

(iii) मोबाइल सेवा प्राप्त होने के कारण लैंडलाइन कनेक्शन वापस किया जाना।

(iv) उपभोक्ताओं का अन्य स्थानों अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं की ओर शिफ्ट/स्थानान्तरित होना।

(ग) कुछ टेलीफोनों को वापस किए जाने के बावजूद कंपनी के निवल राजस्व में वृद्धि हुई है।

(घ) लैंडलाइन फोनों की संख्या बढ़ाने तथा लैंडलाइन कनेक्शनों की वापसी को रोकने के लिए बीएसएनएल द्वारा निम्नलिखित पहल की गई है:-

(i) फोन प्लस सेवाएं नि:शुल्क प्रदान करना।

(ii) निम्न आय वर्ग की मांग को पूरा करने के लिए सुलभ योजना शुरू की गई है।

(iii) इंटरनेट कार्य के लिए दूसरा बी-फोन कनेक्शन रियायती दर पर प्रदान किया जाता है।

(iv) बीएसएनएल कनेक्शन का उपयोग छोड़ चुके उपभोक्ताओं को फिर से आकर्षित करने के लिए किराया माफी योजना शुरू की गयी। इस योजना में सेवा न प्राप्त होने की अवधि के लिए किराया माफ कर दिया गया।

(v) मांग क्षेत्र में नि:शुल्क पंजीकरण, नि:शुल्क संस्थापन आदि जैसी विशेष प्रोत्साहन योजनाएं समय-समय पर शुरू की गई।

(vi) अत्यंत आकर्षक टैरिफ पर ब्राडबैंड सेवाओं की शुरूआत।

स्वास्थ्य कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठन

4057. श्री जसुभाई दानाभाई धारड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों में लगे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या इस धनराशि का पूरा प्रयोग किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी प्रकार का दुरूपयोग ध्यान में लाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाकका लक्ष्मी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समेकित बीमारी निगरानी परियोजना

4058. श्री मधु गौड़ यास्खी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला में हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से एक समेकित बीमारी निगरानी परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्य राज्यों में इन परियोजनाओं के कब आरम्भ होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाकका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 25 मार्च, 2005 को एकीकृत रोग निगरानी परियोजना का शुभारम्भ किया।

(ख) भारत सरकार ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत रोग निगरानी परियोजना की शुरूआत 8 नवम्बर, 2004 को की। इसका उद्देश्य समय पर एवं प्रभावी जन-स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए संचारी एवं असंचारी रोगों हेतु विकेन्द्रीकृत राज्य आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करना है।

(ग) से (ङ) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस परियोजना के तहत सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। चरण-I के राज्यों को जून, 2005 के पहले इस परियोजना का राज्य स्तरीय शुभारम्भ के आयेजन की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश और मिजोरम सरकार ने राज्य स्तर पर परियाजना को शुरू किया है तथा चरण-I में शामिल शेष 7 राज्य आई डी एस पी शुरू करने की प्रक्रिया में है।

विवरण

एकीकृत रोग निगरानी परियोजना

परियोजना चरण

चरण-I (2004-05): तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल एवं मिजोरम तथा "संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम" नामक प्रायोगिक परियोजना के तहत कवर किए गए सभी 101 जिले।

चरण-II (2005-06): गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, चण्डीगढ़, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा।

चरण-III (2006-07): उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नगर हवेली दमण व दीव, लक्षद्वीप।

राजस्थान में राजमार्गों का उन्नयन

4059. श्री दुष्यंत सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कुछ राज्य राजमार्गों के उन्नयन तथा उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तित करने के प्रस्ताव, सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो 2004-05 के दौरान इस प्रकार के कितने प्रस्तावों पर विचार किया गया; और

(ग) इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) फरवरी, 2004 में मंत्रालय ने राजस्थान में 988 किलोमीटर सहित राज्यीय सड़कों के 7457 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया था। तत्पश्चात् राजस्थान सरकार ने 17 राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। राजस्थान सरकार को सूचित किया गया है कि वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में और अधिक सड़कों की घोषणा करने की बजाय मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु फार्मूले में संशोधन

4060. श्री अण्णाराव पाटील शिवाजीराव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की योजनाओं हेतु सामान्य केन्द्रीय सहायता के आवंटन के वर्तमान फार्मूले में संशोधन के संबंध में राज्यों ने बिल्कुल अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) में इस मामले पर विचार किया था;

(घ) यदि हां, तो एन डी सी द्वारा क्या निर्णय लिया गया;

(ङ) क्या एन डी सी के निर्णय को प्रभावी बनाया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) नई सं.प्र.ग. (यूपीए) सरकार के गठन के परिणामस्वरूप, योजना आयोग ने उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में देश के सभी 6 (छः) क्षेत्रों अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को कवर करते हुए राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ क्षेत्रीय बैठकें की हैं। तथापि, राजस्थान को छोड़कर, किसी भी राज्य

ने राज्य योजनाओं को आवंटित की जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) के वर्तमान फार्मूले में संशोधन का मुद्दा नहीं उठाया। इस परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान सरकार का सुझाव था कि गाडगिल फार्मूले में भौगोलिक क्षेत्र, अवसंरचना विकास के सूचकों तथा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति आबादी की प्रतिशतता को वेटेज देते हुए संशोधन किया जाए।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर-दक्षिण गलियारे का पूरा होना

4061. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण गलियारे के धौलपुर-ग्वालियर मार्ग पर निर्माण कार्य इस समय रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्माण कार्य कब से रुका हुआ है;

(ग) उत्तर-दक्षिण गलियारे के कार्य को जल्द पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई अथवा प्रस्तावित है;

(घ) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के पूर्व-पश्चिम गलियारे के निर्माणाधीन मार्गों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) विलंब के क्या कारण हैं तथा पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण गलियारों क कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर-दक्षिण महामार्ग को शीघ्र पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) शीघ्र पूरा करने के लिए बोनस का प्रावधान।

(ii) देरी से पूरा करने के लिए दंड का प्रावधान।

(iii) ठेकों की कई स्तरों पर निगरानी करना।

(iv) भूमि अधिग्रहण और सुविधाओं/बाधाओं को हटाने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों से उपयुक्त समन्वय।

(v) आर ओ बी/आर यू बी के निर्माण के लिए रेलवे प्राधिकारियों के साथ उपयुक्त समन्वय।

(घ) पूर्व-पश्चिम महामार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भाग नहीं है। पूर्व-पश्चिम महामार्ग के निर्माणाधीन खंडों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों को दिसंबर, 2007 तक काफी हद तक पूरा करने का लक्ष्य है। आशा है इन लक्ष्यों को काफी हद तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम ठेकों के ब्यौरे

क्र.सं.	ठेका खंड	रा.रा.	लंबाई
1	2	3	4
1.	सिलचर-उदरबंद 309-275.00 किमी.	54	34.00
2.	सोनापुर-गुवाहटी 183-183.895 किमी.	37	19.00
3.	नालबाड़ी-बिजिल 1065.00-1040.3 केमी	31	25.00
4.	डलखोला इस्लामपुर उप खंड 2(पू.प./6) 500-476.15 किमी.	31	23.85
5.	पूर्नोवा-जेयालकोटा (पू.प/4) 476.15-470 किमी. और 419-410 किमी.	31	16.15
6.	पूर्नोवा-गयाकोटा (पू.प.-12/बीआर) 447-419 किमी.	31	28.00

1	2	3	4
7.	लखनऊ शहर से गुजरने वाले रा.रा. 56 से होकर रा.रा. 25 को जोड़ने वाला लखनऊ बाइपास (पू.प.-15/यू पी)	5, 28 और 6	22.65
8.	लखनऊ-कानपुर (पू.प.-8/यू पी) 21.80-44.00 कि.मी.	25	22.20
9.	लखनऊ-कानपुर (पू.प.-3) 59.5-75.5 कि.मी.	25	16
10.	डीसा-राधनपुर 372.60-456.0 कि.मी.	14	85.40
11.	राधनपुर-गागोधर 138.80-245.00 कि.मी.	15	106.00
12.	गागोधर-गानामोर 245-281.2 कि.मी.	15 और 8ए	90.30
13.	गानामोर-बामनबोर 254.00-182.60 कि.मी.	8ए	71.40
14.	राजकोट बाइपास और गोनई जैतपुर 185.00-175.00 कि.मी.	8बी	10.00
15.	जैतपुर-भिलाड़ी 117-52.50 कि.मी	8बी	64.50
16.	भिलाड़ी-पोरबंदर 52.50-20.00 कि.मी.	8बी	50.50

नैदानिक सुविधाओं को मजबूत करना

4062. **श्री एम. शिवन्ना :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, कर्नाटक सरकार से नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु चिकित्सा शिक्षा, सरकारी चिकित्सा कालेजों तथा संलग्न अस्पतालों की भौतिक अवसंरचना की गुणवत्ता को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव/प्रायोगिक परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव/परियोजना सरकार के पास कई वर्षों से लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से उनके दिनांक 5.1.2002 के पत्र के तहत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए चयनित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बंगलौर में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है। इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई और कर्नाटक सरकार से दिनांक 30.4.2002 के पत्र के तहत कतिपय अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। कर्नाटक सरकार से अपेक्षित अतिरिक्त सूचना अप्रैल, 2003 में ही प्राप्त हुई थी, तब तक यह योजना बंद कर दी गई थी, अत: कोई अनुदान जारी नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

नकली संस्थाएं/डॉक्टर

4063. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री राजेन्द्र कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में चिकित्सा कालेजों में नकली डाक्टरों ने स्वयं को पंजीकृत करा लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, कालेजवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि देश में बहुत से नकली संस्थान चल रहे हैं, जोकि चिकित्सा विज्ञान की डिग्रियां प्रदान करते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे डाक्टरों तथा संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (च) केवल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त संस्थाएं ही आयुर्विज्ञान में शिक्षा प्रदान कर सकती हैं और केवल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही इन संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नकली संस्थाओं के कार्य करने अथवा मेडिकल कालेजों में नकली डाक्टरों को नियुक्त करने संबंधी कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है।

दृष्टिहीनता तथा कुष्ठ के उन्मूलन के लिए अनुदान सहायता

4064. श्री ब्रजेश पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को दृष्टिहीनता तथा कुष्ठ के उन्मूलन के लिए चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए अब तक राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय अनुदान सहायता के उपयोग के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2005-06 के दौरान उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों को कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) 10वीं योजना में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की सहायता से संबंधित संशोधित पैटर्न की प्रति विवरण-I में तथा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के वित्तपोषण संबंधी पैटर्न की प्रति विवरण-II में संलग्न की गई है।

विवरण-I

सं. जी 20015/1/97-ओपथै. बीसी
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(दृष्टिहीनता नियंत्रण अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 12 अक्तूबर, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सहायता संबंधी संशोधित पैटर्न।

लक्ष्य दृष्टिहीनता की व्याप्तता को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1976 में शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू किया गया। 10वीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2007 तक 0.8 प्रतिशत तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता को कम करना है।

2. इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) प्रभावित लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र परिचर्या प्रदान करना;

(ख) अल्पसेवित क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या सेवाओं के कवरेज को बढ़ाना;

(ग) प्रभावित लोगों के लिए सेवाएं निर्धारित करके एवं प्रदान करके दृष्टिहीन लोगों की संख्या में कमी लाना;

(घ) उपस्कर एवं सामग्री और प्रशिक्षण कार्मिक के लिए सहायता प्रदान करके नेत्र परिचर्या सेवाओं की संस्थागत क्षमता विकसित करना;

3. निम्नलिखित कार्यनीति अपनाकर कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है:-

- जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों के जरिए स्कीम का विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन;
- 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की समुचित रूप से जांच करके दृष्टिहीनता व्यक्तियों की संख्या में कमी लाना, नेत्र जांच शिविर आयोजित करना और आपरेशन किए जाने योग्य रोगियों को नेत्र परिचर्या सुविधा केन्द्रों में ले जाया जाए;
- विभिन्न नेत्र परिचर्या कार्यकलापों में स्वैच्छिक संगठन की सहभागिता;
- ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में समुदाय एवं पंचायत राज संस्थानों की भागीदारी;
- कार्मिक के प्रशिक्षण, उच्च प्रौद्योगिकी उपस्करों की आपूर्ति, अनुवर्ती सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सेवाओं की मानीटरिंग द्वारा नेत्र परिचर्या सेवाओं का विकास एवं नेत्र परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार;
- अल्प सेवित क्षेत्रों में विशेष ध्यान केन्द्रित करके अपवर्ती त्रुटियां का पता लगाकर उनका उपचार करने के वास्ते स्कूल जाने वाले बच्चों की जांच;
- नेत्र रोगों की रोकथाम एवं समय पर उपचार के बारे में जन जागरूकता;
- ग्रामीण क्षेत्रों की अनपढ़ महिलाओं पर विशेष ध्यान इस प्रयोजनार्थ महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए विभिन्न चल रही स्कीमों के साथ इसे जोड़ा जाना चाहिए;
- नेत्र परिचर्या को व्यापक बनाने के लिए मोतियाबिंद सर्जरी के अलावा ग्लूकोमा के उपचार हेतु अन्य इन्ट्रा ओकूलर सर्जिकल आपरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी भी सरकारी एवं अर्हता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के जरिए निर्धन रोगियों को नि:शुल्क प्रदान किया जाए।

4. 10वीं योजना के लिए लक्ष्य

10वीं योजना के दौरान इस स्कीम में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने में काफी सफलता मिलेगी और विशेषकर बच्चों एवं वृद्ध व्यक्तियों में अन्य कारणों से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कार्यकलाप भी शुरू किए जाएंगे। मोतियाबिंद सर्जरी में वृद्धि करके, कवरेज में वृद्धि करके, दृष्टिहीनता के अन्य कारणों के लिए आधारभूत सुविधा एवं मानव संसाधन विकासित करके तथा पंचायतों एवं स्वैच्छिक संगठनों सहित लोगों की सहभागिता से ऐसा किया जाएगा। यह स्कीम देश भर में समान रूप से कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम के तहत उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित कार्यकलापों पर किया जाएगा:-

(क) 2.11 करोड़ मोतियाबिंद आपरेशन करना जिनमें 80 प्रतिशत आईओएल प्रत्यारोपण हो;

(ख) अपवर्तक त्रुटियों का पता लगाने के लिए स्कूली बच्चों की जांच और निधर्न बच्चों को 3.1 लाख चश्मे प्रदान करना;

(ग) कार्नियल दृष्टिहीनता वाले लोगों में पत्यारोपण के लिए नेत्रदान (मृत्यु के बाद) वाले 1.75 लाख नेत्र एकत्र करना;

(घ) आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी एवं अन्य विशेषीकृत प्रक्रियाओं में 1200 नेत्र सर्जनों को प्रशिक्षण;

(ङ) विभिन्न स्तरों के अस्पतालों को सहायता प्रदान करके सार्वजनिक क्षेत्र में नेत्र परिचर्या सेवाओं हेतु क्षमता बढ़ाना;

(च) ग्रामीणों लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं गैर-सरकारी संगठन सुविधा केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 विजन केन्द्र स्थापित करना;

(छ) दान किए गए नेत्रों को एकत्र करने एवं उनके संबंध में कार्रवाई करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए 25 नेत्र बैंगों एवं नेत्र दान केन्द्रों का नेटवर्क बनाना;

(ज) ग्रामीण लोगों के लिए नेत्र परिचर्या सेवाओं के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु 50 स्वैच्छिक संगठनों को अनावर्ती सहायता प्रदान करना।

वर्ष वार लक्ष्य अनुबंध-I में दिए गए हैं:

5. सहायता का पैटर्न: मौजूदा सहायता पैटर्न में कुछ संशोधन करने का निर्णय किया गया है। संशोधित सहायता पैटर्न की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(क) 9वीं योजना के दौरान सृजित पदों पर कार्यरत प्रमुख तकनीकी स्टाफ (नेत्र सर्जन, नेत्र सहायता एवं राज्य नेत्र प्रकोष्ठ) के वेतनों के लिए सहायता को 10वीं योजना (मार्च, 2007 तक जारी रखी गई है)।

(ख) बेहतर प्रबंधन एवं मानीटरिंग क्षमता के लिए राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटी को सहायता।

(ग) दृष्टिहीन बच्चों में दृष्टि वापस लाने के लिए अपेक्षित उपचार सहित सभी प्रकार के नेत्र रोगों के उपचार हेतु क्षमता बढ़ाने के वास्ते विभिन्न सुविधाओं के लिए सामग्री गत सहायता में वृद्धि करना।

(घ) इन्ट्रा ओकूलर लैंस प्रत्यारोपण संबंधी सुविधाओं को तालूका स्तर तक बढ़ाना।

(ङ) लागतों में वृद्धि के कारण और उपचारात्मक चश्मों की बेहतर गुणवत्ता के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान में वृद्धि करना।

(च) सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध नेत्र परिचर्या सुविधाओं का उपयोग बढ़ाने के लिए वहां एक ऐसी स्कीम तैयार की जाएगी जहां इस कार्यक्रम में पंचायत शामिल होंगे। वे नेत्र परिचर्या सेवाओं की आवश्यकता वाले लोगों का पता लगाएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाओं को मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा प्रदान करना शामिल है। पंचायतें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप/केन्द्र स्टाफ, आई सी डी एस कार्मिकों (आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं) एवं महिला मंडल जैसे स्वैच्छिक दलों आदि की ससेवाओं का उपयोग करेंगे। इस स्कीम का उद्देश्य मौजूदा सुविधाओं का उपयोग एवं विशेषकर अल्पसेवित क्षेत्रों में दृष्टिहीन लोगों की संख्या में कमी लाना है। इस कार्यकलाप पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियां पंचायतों को आपरेशन किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 175 रुपए तक की राशि का भुगतान करेंगी।

(छ) सरकारी क्षेत्र में नए नेत्र वार्ड एवं आपरेशन थिएटर बनाने के लिए सहायता।

आर्थिक कार्य मंत्रिमण्डल समिति द्वारा अनुमोदित, संशोधित सहायता पैटर्न का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता संबंधी मानदण्ड अनुबंध-III में दिए गए हैं।

1 अक्तूबर, 2004 के पहले किए गए मोतियाबिंद आपरेशन हेतु सहायता अनुदान पुराने सहायता पैटर्न के अनुसार दिया जाएगा। संशोधित सहायता पैटर्न 1 अक्तूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

(राज कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

1. सचिव (स्वास्थ्य) (सभी राज्य)
2. स्वास्थ्य सेवा निदेशक (सभी राज्य)
3. संयुक्त निदेशक (एन पी सी वी (सभी राज्य)
4. जिलाधीश एवं अध्यक्ष, जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियां (एन आई सी मेल द्वारा सभी जिलों को)

अनुबंध-1

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

दसवीं योजना (वर्ष 2002-2007) के दौरान वास्तविक लक्ष्य

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6	7
नेत्र परिचर्या आधारभूत सुविधा का सुदृढ़ीकरण						
क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान (मौजूदा एवं नए पांच को सुदृढ़ करना)	0	3	4	4	4	15

1	2	3	4	5	6	7
मेडिकल कालेज (बाल रोग यूनिट/कम दूषित केन्द्र)	10	10	10	10	10	50
आई ओ एल सर्जरी के लिए जिला अस्पताल	50	50	50	50	50	250
आई ओ एल सर्जरी के लिए उप जिला अस्पताल	0	25	25	25	25	100
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (दूषित केन्द्र)	0	500	500	500	500	2000
नेत्र बैंक	0	6	6	6	7	25
नेत्र दान केन्द्र	0	24	24	24	28	100
नेत्र परिचर्या सुविधा की स्थापना/विस्तार के लिए गैर-सरकारी संगठन को अनावर्ती सहायता अनुदान	5	12	12	12	9	50
वास्तविक लक्ष्य						
मोतियाबिंद आपरेशन (लाख में)	40	41	42	43	45	211
स्कूली बच्चों को चश्मे (हजार में)	50	60	60	70	70	310
दान किए गए नेत्रों को एकत्र करना (हजार में)	25	30	35	40	45	175
प्रशिक्षण						
आई ओ एल/एस आई सी एस/पी एच ए सी ओ में नेत्र सर्जनों का	200	200	200	200	200	1000
नेत्र विज्ञान तकनीकों में नर्सों को	0	50	50	50	50	200
नेत्र विज्ञान सहायकों के लिए पुनश्चर्या	200	200	200	200	200	1000
	500	500	500	500	500	2500

अनुबंध-II

10वीं योजना के लिए अनुमोदित एन पी सी बी के तहत संशोधित सहायता पैटर्न

घटना	संशोधित सहायता पैटर्न
1	2
1. क. राज्य क्षेत्र विज्ञान प्रकोष्ठ	(क) बड़े राज्यों (21) के लिए निम्नलिखित स्टाफ के वेतन, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, समीक्षा बैठकें आयोजित करने, आपरेशन करने और कार्यालय उपस्करों के रख-रखाव

1	2
	तथा आकस्मिक व्यय से संबंधित लागत को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 7 लाख रुपए की आवर्ती सहायता (नकद अनुदान)
	संयुक्त/उपनिदेशक 1
	लेखाकार 1
	कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक 1
	आशुलिपिक/अवर श्रेणी लिपिक 1
	समूह घ 1
	(ख) छोटे राज्यों/संघ क्षेत्रों (14) के लिए
	निम्नलिखित स्टाफ के वेतन, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, समीक्षा बैठकें आयोजित करने एवं आकस्मिक व्यय से संबंधित लागत को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 3 लाख रुपए की आवर्ती सहायता (नगद अनुदान)
	उप निदेशक 1
	सांख्यिकी सहायक या आशुलिपिक 1
	कम्प्यूटर आपरेटरी 1
	समूह घ 1
	टिप्पणी: उपरोक्त स्टाफ को प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर लगाया जा सकता है।
1. ख. राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटी	कम्प्यूटर, प्रिंटर, फैक्स, जेरॉक्स मशीन, कार्यालय फर्नीचर, फर्नीचर की खरीद के लिए 3 लाख रुपए का अनावर्ती सहायता अनुदान।
	आवर्ती सहायता अनुदान: यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के लिए, समीक्षा बैठकें आयोजित करने, रख-रखाव एवं प्रचालन लागत, राज्य नेत्र विज्ञान प्रकोष्ठ के रख-रखाव और संविदा आधार पर लगे स्टाफ की सहायता के लिए पारिश्रमिक हेतु हेतु बड़े राज्यों के वास्ते 9 लाख रुपए, छोटे राज्यों/संघ क्षेत्रों के वास्ते 4 लाख रुपए, ब्यौरे अनुबंध-III (छ)
2 क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान का सुदृढ़ीकरण/स्थापना	बाल नेत्र यूनिटों/निम्न दृष्टि यूनिटों/रेटिना यूनिटों एवं प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत सुविधा हेतु नेत्र विज्ञान उपकरणों को उपलब्ध कराने के वास्ते नए आर आई ओ के लिए 50 लाख रुपए एवं मौजूदा आर आई ओ 30 लाख रुपए

1	2
	तक के अनावर्ती सामग्रीगत सहायता। उपकरण की सूची अनुबंध-III (क) में दी गई है।
3. मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण	बाल नेत्र यूनिटों/निम्न दृष्टि यूनिटों/रेटिना यूनिटों के विकास के लिए सामग्रीगत सहायता के रूप में नेत्र विज्ञान उपकरणों के वास्ते 30 लाख रुपए तक की अनावर्ती सामग्रीगत सहायता। उपकरण की सूची अनुबंध-III (क) में दी गई है।
4. जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण	आई ओ एल सर्जरी के लिए नेत्र उपकरणों हेतु 12 लाख रुपए तक की अनावर्ती सामग्रीगत सहायता। उपकरण की सूची अनुबंध-III (ख) में दी गई है।
5. उपजिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन	आई ओ एल सर्जरी के लिए नेत्र उपकरणों हेतु 3 लाख रुपए तक की अनावर्ती सामग्रीगत सहायता, उपकरण की सूची अनुबंध-III (ख) में दी गई।
6. जिला सचल यूनिट	रिक्त पदों के लिए सचल यूनिट के अंतर्गत उपलब्ध स्टाफ को पुन: तैनात किया जाना। अल्पसेवित क्षेत्रों में जांच शिविर/सर्जिकल नेत्र शिविर लगाने के लिए जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटी को सचल यूनिटें आबंटित की जाएंगी।
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वैच्छिक क्षेत्र में दृष्टि केन्द्र	बुनियादी उपकरणों, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स के लिए 25,000 रुपए तक की अनावर्ती सहायता। डीबीसीएस के लिए सहायता अनुदान का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के दृष्टि केन्द्रों हेतु किया जाएगा। स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। ब्यौरे अनुबंध-III(ङ) में दिए गए हैं।

10वीं योजना के लिए अनुमोदित राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक का संशोधित पैटर्न

संघटक	सहायका का संशोधित पैटर्न
1	2
8. सरकारी/स्वैच्छिक क्षेत्रों में नेत्र बैंक को सहायता	अनुबंध-III ग के अनुसार भारत सरकार द्वारा बैंक के सुदृढ़ीकरण/विकास के लिए उपकरणों और साज-समान हेतु 10 लाख रुपए तक की अनावर्ती सहायता। परिरक्षण सामग्री और प्रचार सामग्री, परिवहन/पीओएल और आकस्मिक खर्चों सहित नेत्र बैंक के स्टाफ के मानदेय उपभोज्यों के लिए नेत्रों के प्रति जोड़े के लिए 1000/-रुपए की आवर्ती सहायता। आवर्ती जीआ.ई. का जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

1	2
9. नेत्रदान केन्द्रों को सहायता	नेत्रदान केन्द्र के सुदृढ़ीकरण/विकास के लिए एक लाख रुपए तक की अनावर्ती सहायता। परिरक्षण सामग्री और प्रचार सामग्री, परिवहन/यात्रा लागत/पीओएल और आकस्मिक खर्चों सहित नेत्र बैंक के स्टाफ के मानदेय, उपभोज्यों के लिए नेत्रों के प्रति जोड़े 500 रुपए की आवर्ती सहायता। आवर्ती जीआईए का संबंध नेत्र बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
10. जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों को सहायतानुदान	राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटी के माध्यम से जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों को 5 लाख रुपए अथवा इससे अधिक धनराशि की किस्त में आवर्ती सहायता जारी की जाएगी। जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटी को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक किस्त दी जा सकती है। जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटी को वित्तीय वर्ष में अपेक्षित बजट का जीआईए का 50 प्रतिशत पहली किस्त के रूप में मंजूर किया जा सकता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार जीआईए को अनुमोदित सूची (अनुबंध-II एफ) के अनुसार उपभोज्यों, लघु उपकरणों/उपस्करों की लागत, चश्मों, पीओएल, वाहनों के रख-रखाव और उपकरणों, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्यकलापों, ग्राम दृष्टिहीन रजिस्ट्री, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और सहायक स्टाफ को पारिश्रमिक, नि:शुल्क मोतियाबिन्द आपरेशन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायतानुदान, मोतियाबिन्द के रोगियों की जांच, प्रेरणा और लाने-ले-जाने के लिए पंचायतों को सहायता, नेत्र बैंकों के आवर्ती सहायतानुदान स्कूल नेत्र जांच, नेत्रदान कार्यकलापों, जिले के भीतर प्रशिक्षण और अन्य आकस्मिक व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा। सरकारी अथवा अर्हता-प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों में से है। (ग्लुकोमा), मधुमेह, रेटिनोपैथी इत्यादी जैसी अन्य नेत्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित निर्धन रोगियों के उपचार के लिए जीआईए का भी उपयोग किया जा सकता है। **सामग्रीगत सहायता:** जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों को सामग्रीगत सहायता के रूप में सूचर्स और इन्ट्राक्लरलेंस जैसे ब्लक उपभोज्य देना जारी रखा जाएगा और उनको क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थानों और चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला और उपजिला अस्पतालों, गैरसरकारी संगठनों और उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वितरित किया जाएगा।
11. शिविरों/निर्धारित सुविधा केन्द्रों में स्वैच्छिक संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नि:शुल्क मोतियाबिन्द आपरेशनों के लिए सहायतानुदान	

	आईसीसीई	ईसीसीई/आईओएल	फेको.
(क) औषधें और उपभोज्य	150	200	200
(ख) सुचर्स	50	50	0
(ग) चश्में (ऐनकें)	125	125	125

1	2			
	(घ) परिवहन/पी ओ एल	100	100	100
	(ङ) संगठन और प्रचार	75	75	75
	(च) आई ओ एल, विस्कोईलास्टिक्स अतिरिक्त उपभोज्य	0	200	250
	कुल	500	750	750

दृष्टिहीन व्यक्तियों (दृष्टिहीन रजिस्ट्री) का पता लगाने, अयोजन करने और पता लगाए गए व्यक्तियों को प्रेरित करने तथा उनको सरकारी/स्वैच्छिक संगठन निर्धारित सुविधा केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ले जाने के लिए पंचायतों, समेकित बाल विकास योजना कार्यकर्ताओं और महिला मंडलों जैसे अन्य स्वैच्छिक दलों का पता लगाया जाएगा और जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा शामिल किया लाएगा। वे 175/-रुपए प्रति तक ही आपरेटिड केस के लिए सहायता के पात्र होंगे (उपर्युक्त दी गई तालिका में घ और ङ संघटक)

12. नेत्र परिचर्या एककों के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु अनावर्ती जी आई ए

1:1 की भागीदारी के आधार पर 25 लाख रुपए तक का अनावर्ती जी आई ए। योजना के आधार पर ब्यौरा अनुबंध-III (घ) में दिया गया है।

13. सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण

केन्द्रीय स्तर: सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण का नियोजन, मानीटरिंग और मूल्यांकन से संबंधित कार्यनीतियों के लिए राज्यों और जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों को दिशानिर्देश। दिशा-निर्देश, प्रशिक्षण मैनुअलों और अन्य प्रोटोटाइप सामग्री बनाई गई, उसका परीक्षण किया गया और उसे परिचालित किया गया। सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण से संबंधित समाचार-पत्रों का प्रकाशन, प्रचालन अनुसंधान।

राज्य स्तर: राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित की गई सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्यनीति, प्रभावकारी प्रोटोटाइप की प्रतिकृति, जिला स्तर के सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्यकलापों की मानीटरिंग।

जिला स्तर: जनसंख्या को लक्षित करने के लिए उपयुक्त स्थानीय सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण, लोक विधियों का उपयोग और संचार की अन्य स्वदेशी साधन। स्थानीय नेताओं का विषय-परिचायन।

14. नेत्र और सहायक जनशक्ति का प्रशिक्षण

— निम्नलिखित क्षेत्रों में पता लगाए गए संस्थानों में नेत्र शल्य चिकित्सकों का प्रशिक्षण:- ईसीसीई/आईओएल प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा, लघु चीरा मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा, चीरे-टांके बिना नेत्र शल्य चिकित्सा (फेको-इमल्सी फिकेशन) कम-दृष्टि सेवाएं, रोहे, बाल नेत्र रोग विज्ञान

1	2
	अप्रत्यक्ष नेत्र विज्ञान एवं लेजर तकनीक विट्रेक्टो रेटिनल शल्य चिकित्सा, नेत्र बैंक और कोर्निया संबंधी प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा अत्यादि। नेत्र शल्य चिकित्सकों को प्रशिक्षण हेतु सहायता 45,000 प्रति प्रशिक्षार्थी से अधिक नहीं होगी। – केन्द्रीय कक्ष द्वारा आयोजित किया गया जिला कार्यक्रम प्रबंधकों का प्रशिक्षण। – चिकित्सा अधिकारियों और पी एम ओ एल के नेत्र उपचर्या और पुनश्चर्या प्रशिक्षण को राज्य स्तर पर आयोजित किया जाना। नेत्र सहायकों का बुनियादी प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा और इसे देश की चयनित संस्थाओं में शुरू किया जाएगा। – केन्द्रीय कक्ष विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश और पाठ्यचर्या की व्यवस्था करेगा।
15. **प्रबंध, सूचना, प्रणाली, मानीटरिंग और मूल्यांकन**	**केन्द्रीय स्तर:** दिशा-निर्देश और मानक प्रपत्र तैयार किए गए और उनको परिचालित किया गया। सोफ्टवेयर का विकास, प्रबंध, सूचना प्रणाली के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया और लाभार्थी मूल्यांकन और मूल्यांकन सर्वेक्षण किए गए। राज्यों और जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा कार्यनिष्पादन और व्यय की मानीटरिंग। **राज्य स्तर:** राज्यों को सामग्रीगत सहायता के रूप में हार्डवेयर और साफ्टवेयर की आपूर्ति। राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों को आवर्ती सहायता में से रख-रखाव और प्रचालनात्मक व्यय। कार्यनिष्पादान की डाटा एन्ट्री और विश्लेषण तथा विभिन्न संघटकों पर व्यय। **जिला स्तर:** मानक रिकार्डों में विभिन्न कार्य कर रहे एककों से आंकडों का संकलन, राज्यों और केन्द्रीय कक्ष को कार्यनिष्पादन और व्यय को सूचित करना, विभिन्न खंडों में कार्यनिष्पादन की मानीटरिंग। आधारभूत रूग्णता दर की मानीटरिंग हेतु प्रहरी निगरानी एककों को सहायता, लाभार्थियों की स्थिति का अध्ययन करना और तीव्र सर्वेक्षण शुरू करना। **मूल्यांकन:** स्कूली बच्चों, ग्रामीण महिलाओं और अल्पसेवित क्षेत्रों के लिए योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। यह सर्वेक्षण सरकारी नियत सुविधा केन्द्रों, अनुदानग्राही गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण और दृष्टिहीनता में व्याप्तता दर के रूझानों का भी मूल्यांकन करेगा।

1	2
16. राज्यों के प्रमुख कार्मिकों के वेतनों के लिए सहायता	10वीं योजना के अन्त (मार्च, 2007) तक भारत सरकार राज्यों को 10वीं योजना के दौरान सृजित किए गए पदों के लिए नेत्र शल्य चिकित्सकों और नेत्र सहायकों के वेतनों के लिए नकद अनुदान देगी।

अनुबंध-III

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं योजना के दौरान सहायता के मानदंड

क. क्षेत्री नेत्र विज्ञान संस्थानों और चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु सामग्रीगत सहायता

क्र.सं.	उपकरण
1	2
1.	एसिसटेंट स्कोप एवं केमरा उपकरणों सहित आपरोटिंग माइक्रोस्कोप
2.	ए-स्केन बायोमीटर
3.	केरेटोमीटर
4.	स्लिट लैम्प
5.	याग लेसर
6.	एप्पलेनेशन टोनोमीटर
7.	आटो रिफ्रेक्टो मीटर
8.	एंडोलेसर फोटोकोएगुलेटर से पूरा विट्रेक्टोमी यूनिट
9.	फ्लेश आटोक्लेव
10.	फील्ड एनेलाइजर सहित आटोमेटिड पेरीमीटर
11.	फेकोइमल्सीफायर
12.	डबल फ्रीकेवेन्सी भाग लेसर/अर्गोन ग्रीनलेसर
13.	फंडस फ्लुओरेसीन एंजियोग्राफी
14.	स्ट्रीक रेटिनोस्कोप
15.	टोनी मीटसै (चियोट्ज)
16.	डारेक्ट ओफथल्मोस्कोप

क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के लिए अधिकतम सहायता विद्यमान क्षे.ने. संस्थान=30 लाख रुपए, नए क्षे.ने. संस्थान=50 लाख रुपए

चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अधिकतम सहायता=30 लाख रुपए

ख. इन्ट्रा आकूलरन्स शल्य चिकित्सा हेतु जिला और उप-जिला अस्पतालों को सज्जित करने हेतु सामग्रीगत सहायता

क्र.सं.	जिला अस्पताल	उप-जिला अस्पताल
1	2	3
1.	आपरेटिंग माइक्रोस्कोप	आपरेटिंग माइक्रोस्कोप
2.	ए-स्केन बायोमीटर	ए-स्केन बायोमीटर
3.	केरेटोमीटर	केरेटोमीटर
4.	स्लिट लैम्प	स्लिट लैम्प
5.	आटो रिफ्रेक्टो मीटर	आटो रिफ्रेक्टो मीटर
6.	फ्लेश आटोक्लेव	फ्लेश आटोक्लेव
7.	स्ट्रीक रेटिनोस्कोप	स्ट्रीक रेटिनोस्कोप
8.	टोनोमीटर्स (चियोट्ज)	टोनोमीटर्स (चियोट्ज)

1	2	3
9.	डारेक्ट ओफथल्मोस्कोप	डारेक्ट ओफथल्मोस्कोप
10.	याग लेसर	याग लेसर
11.	एप्पलेनेशन टोनोमीटर	एप्पलेनेशन टोनोमीटर
	अधिकतम सहायता= 12 लाख रुपए	**अधिकतम सहायता= 3 लाख रुपए**

ग. सरकारी/स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्र बैंकों के लिए अनावर्ती सहायता

क्र.सं.	उपकरण/साज-समान
1.	केरेटोमीटर
2.	कैमरा एटेचमेंट सहित आपरेटिंग माइक्रोस्कोप
3.	स्पेकूलर माइक्रोस्कोप
4.	लेमिनर फ्लो
5.	सीरोलाजी उपकरण
6.	कोर्नियल एक्सीसियन हेतु उपकरण और कंटेनरों सहित इनुक्लीएशन
7.	आटोक्लेव
8.	परिवहन सुविधा (एक चौपहिया और एक दुपहिया)
9.	रेफरीजिरेटर
10.	कम्प्यूटर व सहायत पुर्जे
11.	टेलिफोन लाइन
12.	वातानुकूलक
13.	नवीकरण, मरम्मत, फर्नीचर और फिक्सचर्स
	अधिकतम = 10 लाख रुपए

घ. नेत्र परिचर्या सुविधा केन्द्र के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु गैर सरकारी संगठनों को अनावर्ती जी.आई.ए.

क्रमांक	संघटक
क.	**नेत्र उपकरण**
1.	एसिसटेंट स्कोप एवं केमरा उपकरणों सहित आपरोटिंग माइक्रोस्कोप
2.	ए-स्केन बायोमीटर
3.	केरेटोमीटर
4.	स्लिट लैम्प
5.	याग लेसर
6.	एप्पलेनेशन टोनोमीटर
7.	आटो रिफ्रेक्टो मीटर
8.	एंडोलेसर फोटोकोएगुलेटर से पूरा विट्रेक्टोमी यूनिट
9.	एंडोलेसर फोटोकोएगुलेटर से पूरा विट्रेक्टोमी यूनिट
10.	फील्ड एनेलाइजर सहित आटोमेटिड पेरीमीटर
11.	फेकोइमल्सीफायर
12.	डबल फ्रीकेवेन्सी भाग लेसर/अर्गोन ग्रीनलेसर
13.	डबल फ्रीकेवेन्सी भाग लेसर/अर्गोन ग्रीनलेसर
ख.	**नेत्र वार्ड/आपरेशन थियेटरों कई निर्माण**
ग.	**आपरेशन थियेटरों और वार्ड के फर्नीचर व फिक्सचर्स**
घ.	**परिवहन के लिए वाहन**
	अधिकतम सहायता = 25 लाख रुपए

ङ. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वैच्छिक क्षेत्र में दृष्टि केन्द्रों के विकास के लिए सहायता

क्र.सं.	उपकरण/साज-समान
1	2
1.	टोनोमीटर्स (चियोट्ज)

1	2
2.	डारेक्ट ओफथेल्मोस्कोप
3.	इलुमिनेटिड विजिन परीक्षण ड्रम
4.	ट्रायल फ्रेम्स सहित ट्रायल लेन्स सेट्स
5.	स्नेलेन व नियर विजिन चार्ट्स
6.	बैटरी आपरेटिड टार्च (2)
7.	फर्निशिंग एवं फिक्सचर्स
	अधिकतम सहायता = 25,000/-रुपए

च. जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटी/राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटी द्वारा जिला स्तर पर अधिप्रापण हेतु मदों की सूची–

क्र.सं.	मदें
1	2
1.	बाइनोमैग्स
2.	ई सी सी ई/इन्ट्रा आकूलर लेंस इम्पलांटेशन और लघु इन्सीजन मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा इ,इ,
3.	क्राइयो यूनिट
4.	डिस्टेंट विजन चार्ट
5.	फारेन बाडी स्पड व सुई
6.	लेक्सीमल केन्नुला व प्रोब्स
7.	लिड रिट्रक्टर्स (डेस्मार्स)
8.	पास दृष्टि चार्ट
9.	पंक्टम डायलेटर
10.	रेटिनोस्कोपिक मिटर
11.	रोटेटिंग विजुअल एक्सूटी ड्रम
12.	टार्च
13.	ट्रायल फ्रेम एडल्ट/बच्चे
14.	ट्रायल लेंस सेट

ख. नेत्र मरहम

1.	एट्रोपाइन (1%)
2.	लोकल एंटीबायोटिक: फ्रेमिसेटिन/जेंटामाइसिन इत्यादि
3.	लोकल एंटीबायोटिक स्टेरायड आयंटमेंट

ग. नेत्र ड्राप्स

1.	एक्सीलोकेन 4% (30 मि.ली.)
2.	लोकल एंटीबायोटिक: फ्रेमिसेटिन/जेंटा माइसिन इत्यादि
3.	लोकल एंटीबायोटिक: स्टेरायड ड्राप्स
4.	पिलोकार्पिन निट्रेट 2%
5.	रिमोलोन 0.5%
6.	हेमेट्रोपइान 2%
7.	ट्रोपिकेमाइड 1%
8.	साइक्लोमाइड 1%

घ. इन्जेक्शन

1.	इन्जे. एक्सीलोकेन 2% (30 मि.ली.)
2.	इन्जे. हिएलेस (हिल्युरोनिडेस)
3.	इन्जे. जेंटारमाइसिन
4.	इन्जे. बेटामेथासोन/डेक्सामेथासोन
5.	इन्जे. मेराकेन (0.5%) (रिजिनल एनिसथीसिया हेतु)

1	2
	6. इन्जे. एड्रेनेलाइन
	7. बिख्याति फर्म से रिंगर लेकेट (540 मि.ली.)
ङ.	शल्य चिकित्सीय पुर्जे
	1. गोज
	2. ग्रीन शेड्स
	3. ब्लेड (कार्बन स्टील)
	4. आप्साइट सर्जिकल गोज (10x14 से.मी.)
	5. 8.0 व 10.0 डबल नीडल सूचर (भारत सरकार से सामग्रीगत सहायक)
	6. विख्यात फर्मों से विस्को-इलास्टिक्स
च.	चश्में
	1. आपरेटिड केटारेक्ट केसिज हेतु (रेफ्रेक्शन के पश्चात)
	2. रिफ्रेक्टिव ऐरर्स सहित निर्धन स्कूल आयु के बच्चों हेतु

छ. राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों के लिए आवर्ती सहायता

(रुपए)

क्र.सं.	पद	पारिश्रमिक प्रतिमास	लागत प्रति वर्ष
1	2	3	4
क.	स्टाफ सहायता		
1.	बजट एवं वित्तीय अधिकारी	13000	156000
2.	प्रशासनिक अधिकारी	11000	132000
3.	कम्प्यूटर प्रोगेमर	9000	108000
4.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	6500	78000
5.	प्रशासनिक सहायक	5500	66000
6.	चालक	3500	42000
7.	चपरासी	3000	36000
	उपयोग		618000
ख.	स्टाफ को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	8000	96000
ग.	पी.ओ.एल. और वाहन रख-रखाव	5000	60000
घ.	लेखन सामग्री एवं उपभोज्य	5500	66000
ङ.	तिमाही समीक्षा बैठकें	15000	60000
	कुल		900000

(ii) छोटे राज्य/संघ क्षेत्र

क्र.सं.	पद	पारिश्रमिक प्रतिमास	लागत प्रति वर्ष
क.	स्टाफ सहायता		
1.	लेखाधिकारी	13000	156000
2.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	6500	78000
3.	प्रशासनिक सहायक	5500	66000
	उपयोग		300000
ख.	स्टाफ को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	3000	36000
ग.	पी.ओ.एल. और वाहन रख-रखाव	3000	36000
घ.	लेखन सामग्री एवं उपभोज्य	1500	18000
ङ.	तिमाही समीक्षा बैठकें	2500	10000
	कुल		400000

विवरण-II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निधिकरण पैटर्न

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। राज्यों/संघ क्षेत्रों को निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार अपेक्षित सहायता प्रदान की जाती है:

1. **सहायतानुदान:-** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार यह सहायतानुदान केन्द्रीय कुष्ठ प्रभाग द्वारा सीधे राज्य कुष्ठ सोसाइटियों को सीधे जारी किया जाता है। बदले में राज्य कुष्ठ सोसाइटी सहायक औषध एवं सामग्री व आपूर्तियां, प्रशिक्षण व कार्यशाला, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्यकलापों, संविदीय सेवाओं, अनुसंधान तथा अध्ययन, रोगी का पता लगाने, अभियान, पी.ओ.एल. आफिस आपरेशन इत्यादि से संबंधित सभी कार्यकलाप चलाने के लिए जिला कुष्ठ सोसाइटियों को धन जारी करती है। राज्य अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना के अनुसार आबंटन किया जाता है।

   सहायतानुदान योजना व्यय के लिए है और राज्य कुष्ठ सोसाइटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से राज्य कुष्ठ सोसाइटी द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। राज्य वित्त विभाग को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

2. **नकद सहायता:-** इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सरकार को नकद जारी किया जाता है। अत: यह राज्य के राजस्व विभाग को सीधे जाती है। दैनिक भत्ते, वाहन के रख-रखाव/खरीद, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण तथा शीर्ष स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए है। नियमित शीर्ष स्टाफ के वेतन पर व्यय को अब राज्यों द्वारा याजनेत्तर व्यय के रूप में वहन किया जाता है।

   राज्य कुष्ठ कक्ष केवल राज्य वित्त विभाग के अनुमोदन से राज्य सरकार की मंजूरी से ही इस धन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत से मामलों में राज्य कुष्ठ कक्ष को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम नकद सहायता के रूप में प्राप्त किए गए धन के बारे में पता नहीं है। आबंटित की गई धनराशि राज्य (जनसंख्या) के आकार और रोग की स्थानिकमारित के अनुपात में है।

3. **वस्तुगत:-** इसके अंतर्गत राज्य की सभी आवश्यक बहु-औषध चिकित्सा औषध की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन से नि:शुल्क आपूर्ति के रूप में औषधें प्राप्त करती है। राज्य/संघ क्षेत्र से प्राप्त मांग (आवश्यकता) के अनुसार आबंटन किया जाता है।

लेखन-परीक्षा व लेखे:-

राज्य सोसाइटियां उनके द्वारा प्राप्त किए गए सहायतानुदान के लिए राज्य कुष्ठ सोसाइटियों और जिला कुष्ठ सोसाइटियों के समेकित मासिक व्यय विवरण वार्षिक समेकित अंकेक्षित विवरण प्रस्तुत कर रही हैं।

नकद सहायता और बहुत-औषध चिकित्सा औषधों के लिए अलग-अलग समुपयोजन प्रमाण-पत्र भेजे जाते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य नीति में परिवर्तन

4065. श्री बापू हरी चौरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार देश की मानसिक स्वास्थ्य नीति में बड़े परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति के क्रियान्वयन के लिए क्या प्रणाली तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) मानसिक रूप से बीमार रोगियों का शुरू में ही निदान करके सामान्य स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली के माध्यम से उनका उपचार करने संबंधी वर्तमान कार्यनीति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुदान]

पत्तनों में सुरक्षित लदान/उतराई

4066. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक लौह अयस्क वाहक पोत और बजरा (बार्ज) के बीच पणजी में हुई टक्कर से हुए तेल के रिसाव के कारण

भारतीय पत्तनों में बिना पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए हुए बढ़ते हुए बजरा प्रचालनों पर चिंता जताई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या सुरक्षात्मक, उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का पत्तनों में सुरक्षित लदान और उतराई सुनिश्चित करने हेतु कतिपय प्रतिबंधात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों में नौकाओं (बजरों) का संचलन, संबंधित राज्य-सरकारों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। जहां तक महापत्तनों का संबंध है, उपस्करों के सुरक्षा पूर्ण संचालन और उन्हें सुरक्षित रखने की दृष्टि से नामित पत्तन प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त नौकाओं (बजरों) का निरीक्षण किया जाता है। मास्टरों का पर्याप्त अर्हताओं से युक्त होना अपेक्षित होता है। उपर्युक्त नौकाओं (बजरों) में पर्याप्त संचार-उपस्करो का होना भी अपेक्षित होता है। नौकाओं (बजरों) के संचालन में सुरक्षा के मसले पर नौवहन-महानिदेशालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इन उपायों का लक्ष्य, नौकाओं (बजरों) के संचालन में सुरक्षा बढ़ाना है।

[हिन्दी]

जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए विशेष योजना

4067. श्री रामसेवक सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या को रोकने हेतु कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं में जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) मध्य प्रदेश विशेषकर ग्वालियर और अन्य उच्च प्रजनन वाले राज्यों में इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या इस संबंध में ग्राम पंचायत की सहायता भी ली जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार कितने प्रतिशत गर्भनिरोधक गोलियां/दवाएं वितरित की जा रही हैं;

(च) क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर दंपत्ति को उक्त औषधियां उपलब्ध हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने व्यापक एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था के लिए दिनांक 12.4.2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारम्भ किया जो अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ देश में जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

(ख) सरकार ग्रामीण स्तर पर ए एन एम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला स्वास्थ्य संघों, स्व सहायता दलों एवं गैर-सरकारी संगठनों के जरिए जागरूकता पैदा करती रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्तर पर स्वंय सेवी महिला मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को तैनात करना है।

(ग) मध्य प्रदेश सहित जनांकिकीय रूप से कमजोर आठ राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अधिकार संपन्न कार्य दल गठित किया गया। प्रत्येक जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नत करके चौबीसों घंटे प्रथम रेफरल एकक का दर्जा प्रदान करने, कोल्ड चेन को सुदृढ़ करने, गर्भनिरोधकों की व्यवस्था करने आदि के लिए ई ए जी तंत्र के तहत निधियां जारी की गई हैं।

मध्य प्रदेश के तीन जिलों अर्थात् ग्वालियर, भिण्ड एवं मोरैना में मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के हिन्दुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट के जरिए वर्ष 1998 में सामाजिक विपणन पहले शुरू की गई।

(घ) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्राम पंचायत, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं तैयार करने और ग्रामीण लोगों के लिए डयूटी करने में आशा को समुचित दिशा-निर्देश देने के कार्य में शामिल किया जाएगा।

(ङ) विवरण-I संलग्न है। यह मंत्रालय सभी राज्य सरकारों को उनकी अनुमानित मांग के अनुसार किट ए एवं किट बी, गर्भनिरोधक, कण्डोम आदि प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) ये दवाएं एवं गर्भनिरोधक सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से नि:शुल्क आपूर्ति एवं सामाजिक विपणन के तहत उपलब्ध हैं।

(छ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

मुफ्त आपूर्ति योजना के अंतर्गत गर्भनिरोधक गोली माला–एन (खाई जाने वाली गोली) तथा 2004-05 में राज्यों को आपूर्ति

राज्य/संघ क्षेत्र	मात्रा लाख चक्रों में	कुल आपूर्ति का प्रतिशत
1	2	3
आंध्र प्रदेश	44	8.24
छत्तीसगढ़	15.75	2.949
गुजरात	20	3.746
हरियाणा	7	1.311
झारखंड	9	1.685
कर्नाटक	13	2.435
केरल	5	0.936
मध्य प्रदेश	89.75	16.81
महाराष्ट्र	40	7.491
उड़ीसा	25	4.682
पंजाब	9	1.686
राजस्थान	99.54	18.642
तमिलनाडु	10	1.873
उत्तर प्रदेश	77.33	14.482
उत्तरांचल	3.64	0.682
पश्चिम बंगाल	50	9.364
हिमाचल प्रदेश	3.5	0.655
जम्मू-कश्मीर	2	0.375
बिहार	0	0
गोवा	0.03	0
असम	0	0
मणिपुर	0.2	0.037
मेघालय	0.5	0.094
नागालैंड	0.4	0.075
सिक्किम	0.5	0.094
त्रिपुरा	4	0.749
अरुणाचल प्रदेश	0.5	0.094
मिजोरम	1	0.187
पांडिचेरी	0.27	0.051
दिल्ली	2.5	0.468
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.24	0.045
चंडीगढ़	0.1	0.019
दादरा व नागर हवेली	0.14	0.026
दमन और दीव	0.05	0.009
लक्षद्वीप	0.02	0.004
कुल	533.96	99.996

विवरण-II

वर्ष 2004-05 के दौरान ड्रग किट ए और बी की राज्यवार आपूर्ति

राज्य/संघ क्षेत्र	आपूर्ति किए गए किटों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	23188
छत्तीसगढ़	7258
गुजरात	14998
हरियाणा	5267
झारखंड	7230
कर्नाटक	17842
केरल	10168
मध्य प्रदेश	20980
महाराष्ट्र	26010
उड़ीसा	13554
पंजाब	6396
राजस्थान	20644
तमिलनाडु	0
उत्तर प्रदेश	42006
उत्तरांचल	3050
पश्चिम बंगाल	17641
हिमाचल प्रदेश	4138
जम्मू-कश्मीर	2990
बिहार	22270
गोवा	362
असम	10292
मणिपुर	1140
मेघालय	1034
नागालैंड	794
सिक्किम	380
त्रिपुरा	1644
अरुणाचल प्रदेश	900
मिजोरम	782
पांडिचेरी	168
दिल्ली	1104
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	220
चंडीगढ़	114
दादरा व नागर हवेली	72
दमन और दीव	42
लक्षद्वीप	43
कुल	284721

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4068. श्री जुएल ओराम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को समाप्त करने के संबंध में कोई तिथि नियत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत संचार निगम लिमिटेड के कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अशक्तता संबंधी मामले

4069. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशक्तता संबंधी मामले देश में बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) विशेषकर राजस्थान में अगस्त, 2004 से अब तक कितने ऐसे मामले ध्यान में आए हैं;

(घ) क्या अशक्तता व्यक्तियों को अस्पतालों में उचित उपचार मुहैया कराया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अस्पतालों में इस संबंध में उचित सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (छ) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गांवों में परिवार कल्याण कार्यक्रम

4070. **श्री अजीत जोगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आम जनता में जागरूकता लाने हेतु गत तीन वर्षों ग्राम स्तर पर चलाए जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों हेतु प्रत्येक राज्य में व्यय कि गई राशि कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में जन्म दर कम करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राज्यों को सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं जिनमें ग्राम स्तर पर महिला स्वास्थ्य संघों के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को बढ़ावा देने में समुदाय को शामिल करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम भी शामिल है। ये संघ पारस्परिक सम्पर्क के माध्यम से प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 79512 गांवों में स्थापित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग तथा क्षेत्र प्रचार निदेशालय की सेवाओं का उपयोग विभिन्न कार्यकलापों के लिए ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में नीचले स्तर पर किया जाता है जिनमें प्रेस विज्ञापन, प्रदर्शनियां फिल्म शो, सांस्कृतिक शो और लोक कार्यक्रम भी शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकों को स्वयं भी परामर्श और प्रचार के कार्य में प्रशिक्षित किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संदेश भी दूरदर्शन और आकाशवाणी से नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं। राज्यों में दूरदर्शन और रेडियो के स्थानीय चैनलों का भी स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में प्रचार और जागरूकता पैदा करने के काम में गैर-सरकारी संगठनों को भी लगाया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण के लिए जारी किए गए धन का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2000 से 2002 के दौरान अशोधित जन्म दर के अनुमानों का नवीनतम राज्यवार नमूना पंजीयन प्रणाली विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यकलापों के लिए निधियां

(धनराशि रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य	जारी राशि 2002-03	जारी राशि 2003-04	जारी राशि 2004-05
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	11761000	21228400	3000000
गोवा	1264000	2958200	1964000
गुजरात	11982000	19063400	8780555
हरियाणा	8978000	12604000	2895000
हिमाचल प्रदेश	4786000	1828800	2810000
जम्मू व कश्मीर	3313000	5585200	2510000
कर्नाटक	10578000	19420400	20336000
केरल	7689000	11405000	2457164
महाराष्ट्र	14011000	25032600	21353000
पंजाब	9757000	16549400	16008000
तमिलनाडु	7119000	19274800	14184000
पश्चिम बंगाल	4005000	11650400	0
कुल	95263000	166600600	96297719
बिहार	0	21800000	0
छत्तीसगढ़	0	30000000	28042000
झारखंड	0	0	28000000
मध्य प्रदेश	55404000	21314000	21392000
उड़ीसा	10631000	19153000	25372000
राजस्थान	18006000	50638000	0
उत्तरांचल	9864000	4763000	0
उत्तर प्रदेश	45542000	0	0
कुल	139447000	147668000	102806000
संघ राज्य			
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1298000	1521000	1542000
चंडीगढ़	1278000	1443800	870000
दमन और दीव	1488000	1096600	1445140
दादरा और नगर हवेली	1160000	1081800	666000
दिल्ली	6470000	10341800	5000000
लक्षद्वीप	0	1761200	1000000
पांडिचेरी	1468000	2036400	708000
कुल	13162000	19282600	11231140
पूर्वोत्तर राज्य			
अरुणाचल प्रदेश	1828000	4995400	1252000
असम	0	4640000	3000000
मणिपुर	0	5268000	4768000
मेघालय	3340000	5490600	2085000
मिजोरम	4200000	5727600	5228000
नागालैंड	4200000	5785200	5286000

1	2	3	4
सिक्किम	1667000	4375400	2912000
त्रिपुरा	3618000	5254400	2819000
कुल	18853000	41536600	27350000
महायोग	266725000	375087800	237684859

विवरण-II

अशोधित जन्म दर

क्र.स.	राज्य/संघ क्षेत्र	2000	2001	2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21.3	21.0	20.7
2.	असम	26.9	27.0	26.6
3.	बिहार	31.9	31.2	30.9
4.	छत्तीसगढ़	26.7	26.5	25.0
5.	गुजरात	25.2	25.0	24.7
6.	हरियाणा	26.9	26.8	26.6
7.	झारखंड	26.5	26.2	26.4
8.	कर्नाटक	22.0	22.2	22.1
9.	केरल	17.9	17.3	16.9
10.	मध्य प्रदेश	31.4	31.0	30.4
11.	महाराष्ट्र	21.0	20.7	20.3
12.	उड़ीसा	24.5	23.6	23.2
13	पंजाब	21.6	21.2	20.6
14.	राजस्थान	31.4	31.1	30.6
15.	तमिलनाडु	10.3	19.1	18.5
16.	उत्तर प्रदेश	32.8	32.1	31.6
17.	पश्चिम बंगाल	20.7	20.6	20.5
18.	अरुणाचल प्रदेश	22.3	22.2	20.2
19.	दिल्ली	20.3	18.9	17.2
20.	गोवा	14.3	14.2	14.0
21.	हिमाचल प्रदेश	22.1	21.2	20.7
22.	जम्मू कश्मीर	19.7	20.2	19.2
23.	मणिपुर	18.3	18.3	16.8
24.	मेघालय	28.5	28.3	25.8
25.	मिजोरम	16.0	15.7	16.9
26.	नागालैंड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
27.	सिक्किम	21.8	21.6	21.9
28.	त्रिपुरा	16.5	16.1	14.9
29.	उत्तरांचल	20.2	18.5	17.0
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	19.1	16.8	16.8
31.	चंडीगढ़	17.5	16.3	14.6
32.	दादरा व नगर हवेली	34.9	29.5	30.4
33.	दमन और दीव	23.7	22.3	22.4
34.	लक्षद्वीप	26.1	20.4	19.3
35.	पांडिचेरी	17.8	17.9	17.9
	अखिल भारत	25.8	25.4	25.0

स्रोत : भारत के महारजिस्ट्रार, भ.पं.प्र.

[अनुवाद]

आयातित उपकरणों की खरीद हेतु निविदाएं

4071. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सफदरजंग अस्पताल ने कुछ समय पहले आयातित उपकरण खरीदने हेतु निविदाएं आमंत्रित की थी किन्तु दो वर्ष बीत जाने के पश्चात भी निविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और खरीद किए जाने वाले उपकरणों के ब्यौरे सहित निविदाओं को अंतिम रूप देने के कार्य को गति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सफदरजंग अस्पताल ने उसके पास अप्रयुक्त पड़े करोड़ों रुपए वापस कर दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सभी संहिता (कोड्ल) संबंधी औपचारिकताओं का अनुपालन करने के पश्चात केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के लिए आयातित उपकरणों सहित मंहगे उपकरणों की खरीद की जाती है जैसा कि नियमों में निर्धारित किया गया है।

सफदरजंग अस्पताल के मामले में सभी संहिता संबंधी औपचारिकताओं का अनुपालन करने के पश्चात एम. आर. आई. (6.24 करोड़ रुपए), कोबाल्ट थिरेपी मशीन (यूनिट-I) (2.10 करोड़ रुपए), कोबाल्ट थिरेपी मशीन (यूनिट-II) (2.20 करोड़ रुपए), ब्रेची थिरेपी (1.00 करोड़ रुपए) और बैक एलर्ट 3-डी सिस्टम (0.28 करोड़ रुपए) की खरीदने के लिए आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। इनमें से बैंक एलर्ट 3-डी सिस्टम इस अस्पताल में मार्च, 2005 में पहले ही संस्थापित किया जा चुका है। कोबाल्ट थिरेपी मशीन (यूनिट-I) को संस्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य उपकरण भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की संभावना है। चूंकि वित्तीय वर्ष 31.03.2005 को समाप्त हो चुका है, अत: इन उपकरणों के लिए रखे गए धन का उपयोग नहीं किया जा सका। अत: सफदरजंग अस्पताल को 12.07 करोड़ रुपए सौंपने/वापिस करने पड़े थे। इस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किया जाएगा।

धर्मार्थ अस्पताल

4072. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से मुम्बई में धर्मार्थ अस्पतालों द्वारा गरीबों को रियायती नि:शुल्क दरों पर वित्तीय सहायता/सुविधाएं नहीं दी गई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार छोटे धर्मार्थ अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) क्या इन अस्पतालों को आयकर तथा अन्य करों जैसे सीमा शुल्क से छूट दी जाती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (छ) भारत के संविधान के अन्तर्गत 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण निर्धन लोगों के लिए मुफ्त/रियायती दर पर उपचार की व्यवस्था करने के लिए धर्मार्थ अस्पतालों के लिए प्रक्रिया तैयार करना और उनके कार्यकरण को विनियमित करना तथा दोषी अस्पतालों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करना राज्य सरकारों का काम है। संस्थाओं को प्रदान की गई सुविधाओं, राज्य में धर्मार्थ अस्पतालों द्वारा प्रक्रियाओं और विनियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

सऊदी अरब के राजकुमार का दौरा

4073. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब के राजकुमार अल वलीद बिन तलाल अल सऊद ने हाल ही में भारतीय होटल आद्योग में निवेश अवसरों का आकलन करने के लिए भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय सरकार के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी;

(घ) यदि हां, तो की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या राजकुमार ने निवेश तथा पर्यटन के संबंध में द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ोतरी करने में रूची दर्शाई है; और

(च) यदि हां, तो इस अवसर के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों यदि कोई किया गया हो, का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में तैयार की गई भावी नीति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी हां। सऊदी अरब के राजकुमार अल वलीद बिन तलाल अल सऊद ने होटल उद्योग में निवेश सहित भारत में विदेशी निवेश के लिए वातावरण का मूल्यांकन करने के लिए 14-15 मार्च, 2005 को भारत का दौरा किया।

(ग) अपने दौरे के दौरान, राजकुमार अल वलीद ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के साथ वार्ताएं की।

(घ) वार्ताओं में प्रमुख बल भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और होटल उद्योग में निवेश सहित भारत में विदेशी निवेश के लिए अवसर पर था।

(ङ) राजकुमार ने भारत में होटल और आतिथ्य उद्योग में निवेश पर रूचि दिखाई।

(च) इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ। राजकुमार अल वलीद ने निवेश की सम्भावनाओं का व्यापक अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भारत भेजने का प्रस्ताव किया।

[हिन्दी]

परमाणु संयंत्र

4074 श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश के परमाणु संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में स्वदेशी रूप से अभिकल्पित एक परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त स्वदेशी परमाणु संयंत्र की स्थापना करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या उक्त संयंत्र से परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) प्रचालनरत परमाणु विद्युत रिएक्टरों का विवरण निम्नानुसार है:

यूनिट-स्थान	रिएक्टर की किस्म	मौजूदा क्षमता (मेगावाट-ई)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1	2	3	4
तारापुर परमाणु बिजलीघर-1, तारापुर, महाराष्ट्र	बीडब्ल्यूआर	160	28 अक्तूबर-1969
तारापुर परमाणु बिजलीघर-2, तारापुर, महाराष्ट्र	बीडब्ल्यूआर	160	28 अक्तूबर-1969
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1, रावतभाटा, राजस्थान	पीएचडब्ल्यूआर	100	16-दिसंबर-1973
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2, रावतभाटा, राजस्थान	पीएचडब्ल्यूआर	200	01-अप्रैल-1981

1	2	3	4
मद्रास परमाणु बिजलीघर-1, कलपाक्कम, तमिलनाडु	पीएचडब्ल्यूआर	170	27-जनवरी-1984
मद्रास परमाणु बिजलीघर-2, कलपाक्कम, तमिलनाडु	पीएचडब्ल्यूआर	220	21-मार्च-1986
नरोरा परमाणु बिजलीघर-1, नरोरा, उत्तर प्रदेश	पीएचडब्ल्यूआर	220	01-जनवरी-1991
नरोरा परमाणु बिजलीघर-2, नरोरा, उत्तर प्रदेश	पीएचडब्ल्यूआर	220	01-जुलाई-1992
ककरापार परमाणु बिजलीघर-1, ककरापार, गुजरात	पीएचडब्ल्यूआर	220	06-मई-1993
ककरापार परमाणु बिजलीघर-2, ककरापार, गुजरात	पीएचडब्ल्यूआर	220	01-सितंबर-1995
कैगा-2, कैगा, कर्नाटक	पीएचडब्ल्यूआर	220	16-मार्च-2000
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-3 रावतभाटा, राजस्थान	पीएचडब्ल्यूआर	220	01-जून-2000
कैगा-1, कैगा, कर्नाटक	पीएचडब्ल्यूआर	220	16-नवंबर-2000
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-4, रावतभाटा, राजस्थान	पीएचडब्ल्यूआर	220	23-दिसंबर-2000
	कुल	2770	

(ख) जी, हां।

(ग) टीएपीपी-2 (540 मेगावाट-ई तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 और 4 के दो रिएक्टरों की एक यूनिट), ने 6.3.2005 को क्रांतिकता हासिल कर ली है। इस यूनिट द्वारा अगस्त 2005 तक वाणिज्यिक रूप से प्रचालन शुरू कर देने की आशा है। यूनिट-3 (टीएपीपी-3 और 4 की दूसरी यूनिट) को वर्ष 2006-07 के दौरान पूरा कर लिए जाने की योजना है।

(घ) परियोजना को पूरा करने के लिए 6525 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में से अब तक लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) इन दोनों यूनिटों के पूरा हो जाने पर लगभग 6500 मिलियन यूनिट (एमयूज) बिजली के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तथापि, वर्ष 2005-06 के दौरान टीएपीपी-4 के संबंध में 3105 मिलियन यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में डेंटल कालेज

4075. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से तीन और डेंटल कालेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मिले है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से मैसूर, हुबली और बेल्लारी में तीन नए दन्त महाविद्यालय स्थापित करने हेतु तीन आवेदन प्राप्त हुए थे। नए दन्त महाविद्यालयों की स्थापना हेतु इन प्रस्तावों की डी सी आई नियमन की दृष्टि से जांच की गई थी और इन

स्कीमों में कतिपय कमियां पाई गई थी। इस लिए स्कीमों में पाई गई कमियों के कारण उन्हें राज्य सरकारों को लौटा दिया गया है।

[हिन्दी]

तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए सहायता कार्यक्रम

4076. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निधियों का आबंटन अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों के निर्धारण के बाद किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता कार्यक्रमों के लिए निर्धारित तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग का वर्ष-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानवतावादी सहायता के लिए अन्य देशों को संवितरण हेतु निधियां जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दौरान इस पर किए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भूटान को सहायता देने के लिए कोई विशेष योजना घटक सम्मिलित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (घ) जी हां।

साथी विकासशील राष्ट्रों को भारत की विकास सहायता भारत की राजनयिक पहुंच के महत्वपूर्ण आयामों को दर्शाता है। इन देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग के माध्यम से भारत उनके साथ समृद्ध विकासात्मक अनुभव और विशेषज्ञता तथा उचित प्रौद्योगिकियों को बांटने में सक्षम रहा है। मित्र राष्ट्रों के विकास में योगदान देने के लिए भारत कई कार्यक्रमों व योजनाओं का कार्यान्वयन करता रहा है। भारत की सहायता इन राष्ट्रों के प्रति हमारे भाइचारे और सद्भावना की अभिव्यक्ति है और इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के लिए बड़े पैमाने पर आपसी समझ और सहायता उत्पन्न की है। भारत द्विपक्षीय तंत्र और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। द्विपक्षीय आधार पर हमारे पड़ोसी देशों को भारत की सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भूटान, नेपाल, बांगलादेश, म्यामां, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को दी जाने वाली द्विपक्षीय सहायता उल्लेखनीय रही है। भारतीय सहायता अफ्रीकी राष्ट्रों और मध्य एशियाई देशों को भी दी जाती है। आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की विकासात्मक सहायता असल में राष्ट्रों के पूरे विकासशील समुदाय तक पहुंचती है। भारत ने तुरंत आपदा राहत उपलब्ध कराई है, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया को दी गई सुनामी सहायता इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

भारत की विकासात्मक सहायता ने क्षमता निर्माण संस्थानों की स्थापना, आर्थिक और औद्योगिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन, औद्योगिक संस्थानों एस एम ई केन्द्रों की स्थापना। उपकरण भेंट में देना, परामर्शदात्री सेवाओं का प्रावधान, विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति और इन सबसे महत्वपूर्ण नागरिक और सैन्य दोनों के प्रशिक्षण का प्रावधान जैसे विविध रूप ले ली है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 (सशों. अनु.) के दौरान वितरित विकास सहायता के वर्ष-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) भूटान की दी जाने वाली भारतीय सहायता के दो घटक है। बड़ी परियोजनाओं विशेषकर पन बिजली परियोजना के लिए योजना सहायता बिजली परियोजनाओं को वर्तमान समय में 60% अनुदान और 40% ऋण आधार पर वित्त पोषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत, भूटान को गैर योजना अनुदान सहायता उपलब्ध कराता है।

(च) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दी गई सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

(योजना)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	करोड़ (रु.) में वास्तविक व्यय
1.	2002-03	650.00
2.	2003-04	783.17
3.	2004-05	760.71

(गैर-योजना)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	करोड़ (रु.) में वास्तविक व्यय
1.	2002-03	231.44
2.	2003-04	245.02
3.	2004-05	432.52

विवरण

विदेश मंत्रालय

मुख्य लेखानियंत्रक का कार्यालय

अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को अग्रिम देने के लिए

सहायता/सहयोग कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय दर्शाने वाला विवरण

अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	2002-03 वास्तविक	2003-04 वास्तविक	2004-05 ब.अनु.
1	2	3	4
बंगलादेश को सहायता	0.50	0.54	3.30
भूटान का सहायता गैर-योजना	232.54	245.34	313.65
योजना	375.25	456.00	455.00
नेपाल को सहायता	45.93	57.91	66.17
श्रीलंका-अन्य सहायता कार्यक्रम	14.08	5.65	15.30
मालदीव को सहायता	1.71	3.20	3.20
म्यामां को सहायता	1.51	2.57	6.21
अन्य विकासशील देशों को सहायता	157.11	96.22	285.55
आपदा राहत के लिए सहायता	17.81	7.22	5.10
आई टी ईसी कार्यक्रम	37.18	45.13	49.00
सार्क कार्यक्रम	0.76	0.17	0.79
एससीएएपी कार्यक्रम	6.40	6.71	5.50
अफ्रीकी देशों को सहायता	4.87	81.41	106.84
बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम	12.52	1.00	1.90
निवेश संवर्द्धन एवं प्रचार कार्यक्रम	0.13	0.59	0.38
मध्य एशिया के लिए सहायता	1.93	5.76	8.50
तजाकिस्तान के लिए अनुदान	22.55	0.00	0.00
नाइजीरिया के लिए सहायता अनुदान	7.19	8.80	0.00
कुल योजना	375.25	456.00	455.00
गैर-योजना	564.72	568.22	871.39
अन्य देशों के साथ कुल तकनीकी और आर्थिक सहयोग	939.97	1024.22	1326.39
विदेशी सरकारों को अग्रिम			
बंगलादेश सरकार को ऋण	13.35	20.00	18.87
भूटान सरकार को ऋण योजना	272.89	327.15	280.00
नेपाल सरकार को ऋण	0	0.00	0.01
कुल योजना	272.89	327.15	280.00
गैर-योजना	13.35	20.00	18.88
विदेशी सरकार को कुल अग्रिम	286.24	347.15	298.88
कुल सहायता और अग्रिम	1226.21	1371.37	1625.27

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथों के लम्बित मामले

4077. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एसटीडी/आईएसडी टेलीफोन तथा पीसीओ बूथ खोलने से संबंधित कुछ आवेदन केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन आवेदनों को शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) स्थानीय और एसटीडी/आईएसडी पीसीओ बूथ खोलने से संबंधित लंबित आवेदनों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदम निम्नानुसार हैं:

(i) भूमिगत केबल बिछाकर तकनीकी रूप से अव्यवहार्य (टीएनएफ) क्षेत्रों को व्यवहार्य बनाना।

(ii) एक्सचेंजों के लिए अपेक्षित हार्डवेयर (सीसीएम कार्ड) की अधिप्राप्ति।

(iii) जिन क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाना व्यवहार्य नहीं है उन क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल प्रणाली का नियोजन तथा मौजूदा प्रणाली का विस्तार।

(iv) कमजोर सिग्नल वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिए अतिरिक्त डब्ल्यूएलएल टावरों (बीटीएस) का नियोजन।

(v) स्थिर वायरलेस टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) की अधिप्राप्ति।

विवरण

स्थानीय और एसटीडी/आईएसडी पीसीओ बूथों से संबंधित लंबित आवेदनों के ब्यौरे

सर्किल	जिले का नाम	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार पीसीओ के आबंटन के लिए लंबित आवेदनों की संख्या	
		स्थानीय	एसटीडी/आईएसडी
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1. आगरा व फिरोजाबाद	0	0
	2. अलीगढ़ व हाथरस	0	0
	3. बरेली	0	0
	4. बिजनोर	0	255
	5. बुलंदशहर	0	0
	6. गाजियाबाद	54	121
	7. मथुरा	0	0
	8. मेरठ व बागपत	1	9
	9. मुरादाबाद व जे.पी. नगर	4	2
	10. मुजफ्फरनगर	2	37
	11. नोएडा	0	0
	12. सहारनपुर	54	179
	13. बदायुं	0	0
	14 एटा	0	0
	15. पिलीभीत	0	0

1	2	3	4
	16. रामपुर	0	0
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1. इलाहाबाद	0	103
	2. आजमगढ़	7	67
	3. बहराईच	0	0
	4. बलिया	0	142
	5. बांदा	0	0
	6. बाराबंकी	0	0
	7. बस्ती	0	0
	8. देवरिया	0	0
	9. इटावा	0	0
	10. फैजाबाद	0	3
	11. फरुखाबाद	7	193
	12. फतेहपुर	0	0
	13. गाजीपुर	2	57
	14. गोंडा	0	0
	15. गोरखपुर	0	0
	16. हमीरपुर	0	0
	17. हरदोई	0	0
	18. जौनपुर	0	12
	19. झांसी	0	0
	20. कानपुर	0	82
	21. लखीमपुर	0	7
	22. लखनऊ	0	0
	23. मैनपुरी	0	0
	24. मऊ	0	82
	25. मिर्जापुर	0	0
	26. ओराई	0	0
	27. प्रतापगढ़	0	0
	28. रायबरेली	0	7
	29. शाहजहांपुर	0	0
	30. सीतापुर	0	0
	31. सुल्तानपुर	5	27
	32. उन्नाव	7	15
	33. वाराणसी	36	273

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में डाकघर खोलना

4078. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अब तक खोले गए डाकघरों की संख्या कितनी है और पुणे संसदीय चुनाव क्षेत्र में इनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को गत 5 वर्षों के दौरान पुणे संसदीय चुनाव क्षेत्र में डाकघर खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 12721 डाकघर खुले हैं जिनमें से पुणे क्षेत्र में 2658 डाकघर स्थित हैं।

(ख) और (ग) गत वर्षों के दौरान पुणे संसदीय चुनाव क्षेत्र में डाकघर खोलने के लिए सरकार को 52 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक 28 प्रस्ताव औचित्यसम्मत नहीं पाए गए, जबकि 15 औचित्यसम्मत प्रस्तावों के संबंध में डाकघर खोले जा चुके हैं।

श्रमिकों को जीवन-बीमा सुरक्षा

4079. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों को जीवन बीमा सुरक्षा देने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक श्रमिक को जीवन बीमा सुरक्षा की कितनी राशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) जी, नहीं। कोयला खानों में काम कर रहे श्रमिकों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VI (एन.सी.डब्ल्यू. ए.-VI) के खंड सं. 9.1.0 के अनुसार, श्रमिकों के लिए एक जीवन सुरक्षा योजना प्रचलित है जिसके अंतर्गत कोयला कंपनी के प्रबंधन द्वारा, मृतक श्रमिक के कानूनी उत्तराधिकारी को 30,000/- रु. की धनराशि प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध

4080. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री उदय सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष, 2000 से आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयोडीन रहित नमक के उपयोग से बच्चों के मानसिक विकास सपर बुरा असर पड़ा है जैसा कि दिनांक 23 मार्च, 2005 ''द हिन्दु'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(छ) क्या सरकार को देश में आयोडीन रहित नमक की बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अन्तर्गत एवं अधिसूचना सा.का.नि. 670 (अ), दिनांक 27.11.97 जारी की गई थी जो 27.5.98 से लागू हुई थी और जिसके अन्तर्गत मानव द्वारा सीधे सेवन के लिए सामान्य खाद्य नामक की बिक्री पर तब तक रोक लगा दी गई थी जब तक कि उसे आयोडीन युक्त नहीं बना लिया जाता।

जन स्वास्थ्य के हित में और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तकनीकी सलाह के लिए यह उपाय किया गया था।

(ग) और (घ) एक अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 716 (अ), दिनांक 13.9.2000 को जारी की गई थी जो 30.9.2000 से लागू हुई थी जिसके अन्तर्गत सा.का.नि. संख्या 670(अ), दिनांक 27.11.1997 के तहत मानव द्वारा सीधे सेवन हेतु सामान्य खाद्य नमक की बिक्री पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया था।

यह निर्णय जनता के विभिन्न वर्गों से लगातार प्राप्त हो रहे अभ्यावेदनों को देखते हुए लिया गया था जिनमें यह उल्लेख था कि जन स्वास्थ्य को स्वेच्छा इनफॉर्मड चाईस पर छोड़ देना चाहिए न कि इसे अनिवायत: (कानूनन) लागू किया जाए।

(ङ) और (च) 'द हिन्दु' में दिनांक 23.3.2005 को खबर छपी है कि ज्यादातर राज्यों में आयोडीन युक्त नमक पर से प्रतिबंध हटा लिए जाने से आयोडीन युक्त नमक के सेवन में कमी आई है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में आयोडीन अल्पता के उन्मूलन के लिए 95% जनसंख्या को आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए।

(छ) यूनीसेफ ने, वर्ष 2000 में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत सामान्य खाद्य नमक की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लेने के बाद से आयोडीन नमक में उपयोग में आई थी पर चिन्ता व्यक्त की है।

(ज) और (झ) सरकार मानव द्वारा सीधे सेवन हेतु सामान्य खाद्य नमक की बिक्री पर तब तक रोक लगाने का प्रस्ताव कर रही है जब तक कि उसे आयोडीन युक्त नहीं बना लिया जाता। तदनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के संबंधित प्रावधानों (उपबंधों) में संशोधन का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

राज्यों की सड़कों का आधुनिकीकरण

4081. श्री मोहन सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना की तरह राज्य की सड़कों का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को सहायता देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सहायता का स्वरूप क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार है और राज्यीय सड़कों के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय केंद्रीय सड़क निधि से आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क के लिए केंद्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों सहित राज्यीय राजमार्गों के सुधार के लिए धनराशि प्रदान करता है।

[अनुवाद]

महासागर पारिस्थितिकी पर सुनामी का दीर्घकालिक प्रभाव

4082. श्री ई. पोन्नुस्वामी : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महासागर की पारिस्थितिकी पर सुनामी के दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या हैं और किस विषय-वस्तु की समीक्षा किए जाने का विचार है;

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके तटीय क्षेत्रों के निवासियों को किस प्रकार से सहायता मिलने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वरिष्ठ सिविल सेवाओं में व्यापक सुधार

4083. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ सिविल सेवा में व्यापक सुधार को स्वीकृति दी है जैसा कि दिनांक 5 अप्रैल, 2005 के "द हिंदू" में रिपोर्ट छपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तेजी से बदलते वैश्विक वातावरण

के मद्देनजर आवधिक प्रशिक्षण एवं पुन: अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिमुखीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए उनके कॅरियर के दौरान तीन विभिन्न स्तरों पर अनिवार्य कॅरियर-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवा के 7वें और 9वें वर्ष के बीच 8 सप्ताह का, सेवा के 14वें और 16वें वर्ष के बीच 8 सप्ताह का और सेवा के 26वें और 28वें वर्ष के बीच 4 सप्ताह का होगा। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से परियोजना तैयार करने, नीति विश्लेषण, परिप्रेक्ष्य-निर्माण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, अनुक्रियाशील सरकार और सेवा प्रदान करना, बृहत आर्थिक नीतियां, वित्तीय प्रबंधन इत्यादि पर केन्द्रित होंगे।

देश में टेलीफोन घनत्व स्तर

4084. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार घनत्व स्तर 9 की संख्या पार कर चुका है;

(ख) क्या इस दूरसंचार घनत्व में लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल और मोबाइल फोन जैसे विभिन्न फोन सम्मिलित हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में लैंडलाइन, मोबाइल और डब्ल्यूएलएल फोन के संबंध में दूरसंचार घनत्व स्तर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ट्राई द्वारा दूरसंचार घनत्व का आकलन करते समय कार्यालयों और वाणिज्यिक स्थापनाओं में दी गई फोन लाइनों का भी ध्यान रखा जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ट्राई द्वारा दूरसंचार घनत्व का आकलन करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया अथवा प्रयोग किए गए तरीके क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 28 फरवरी, 2005 को टेलीघनत्व 8.98 था।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी हां, ऐसे फोनों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

28.2.2005 की स्थिति के अनुसार सर्किलवार टेलीघनत्व

क्र. सं.	सर्किल का नाम	कुल फोन (स्थिर-डब्ल्यूएलएल एफडब्ल्यूटी	स्थिर-डब्ल्यूएलएल एफडब्ल्यूटी टेलीघनत्व	मोबाइल जीएसएम और डब्ल्यूएलएल (एम)	मोबाइल जीएसएम और डब्ल्यूएलएल (एम) टेलीघनत्व	कुल टेलीफोन (स्थिर+मोबाइल)	समग्र टेलीघनत्व
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार	40131	10.62	9188	2.43	49319	13.05
2.	आंध्र प्रदेश	3686784	4.69	3823292	4.86	7510076	9.55
3.	असम	532879	1.90	250605	0.89	783484	2.79
4.	बिहार	1054351	1.20	917108	1.04	1971459.	2.24

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	341846	1.55	32958	0.15	374804	1.70
6.	गुजरात	3123752	5.82	3705934	6.91	6829686	12.73
7.	हरियाणा	1277999	5.72	1126327	5.04	2404326	10.77
8.	हिमाचल प्रदेश	488164	7.75	330513	5.25	818677	13.00
9.	जम्मू व कश्मीर	310148	2.83	232400	2.12	542548	4.95
10.	झारखंड	488191	1.72	165394	0.58	653585	2.31
11.	कर्नाटक	3218414	5.86	3550720	6.47	6769134	12.33
12.	केरल	3658242	11.10	2525897	7.66	6184139	18.76
13.	मध्य प्रदेश	1726043	2.68	1537274	2.39	3263317	5.07
14.	महाराष्ट्र	4403745	5.17	4001209	4.70	8404954	9.87
15.	पूर्वोत्तर	375917	3.03	109691	0.88	485608	3.91
16.	उड़ीसा	842465	2.21	662888	1.74	1505353	3.94
17.	पंजाब	2350279	8.93	3549203	13.48	5899482	22.40
18.	राजस्थान	2091599	3.47	1597413	2.65	3689012	6.13
19.	तमिलनाडु	3278865	5.62	3330407	5.71	6609272	11.33
20.	उत्तरांचल	385256	4.31	131461	1.47	51617	5.78
21.	उत्तर प्रदेश	3152906	1.78	4035002	2.28	7187908	4.06
22.	पश्चिम बंगाल-कोलकाता	1289894	1.84	778707	1.11	206801	2.94
23.	कोलकाता	1498372	10.72	1881544	13.47	3379916	24.19
24.	चेन्नई	1207377	17.84	2028823	29.98	3236200	47.82
25.	दिल्ली	2519987	16.62	5488253	36.19	8008240	52.80
26.	मुंबई	2990933	16.87	5003332	28.22	7994265	45.09
	समग्र	46334539	4.29	50805543	4.70	97140082	8.98

[हिन्दी]

सी.बी.आई. का कार्यकरण

4085. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री वीर सिंह महतो :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से रोक नहीं लगा पाई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सी.बी.आई. की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया गया है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह सच है कि विसॅल ब्लोअर्स का उनके संबंधित विभागों और जांच एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(च) उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (च) भारत सरकार ने, इस उद्देश्य से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की दिनांक 01 अप्रैल, 1963 के संकल्प द्वारा स्थापना की कि केन्द्रीय सरकार का अपना केन्द्रीय अभिकरण हो जो न केवल रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों का अन्वेषण करेगा बल्कि केन्द्रीय वित्तीय कानूनों के उल्लंघनों, भारत सरकार के विभागों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों से संबंधित बड़ी धोखाधड़ियों, पारपत्र-धोखाधड़ियों, खुले समुद्रों में होने वाले अपराधों, एयरलाईन्स में होने वाले अपराधों तथा संगठित गिरोहों तथा पेशेवर अपराधियों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों का भी अन्वेषण करेगा। पिछले पांच वर्ष के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विभिन्न न्यायालयों को विचारण हेतु भेजे गए दोषसिद्धि चाहने के 66 प्रतिशत से अधिक मामलों में ब्यूरो को उच्च सफलता दर हासिल हुई। इसके साथ ही मामले भी तीव्र गति से निबटाए गए। हर वर्ष पंजीकृत किए गए 1000 से अधिक मामलों में से 1100 से अधिक अन्वेषण पूरे किए जाते रहे जो यह दर्शाता है कि उपर्युक्त उद्देश्य अधिकांशत: हासिल कर लिया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने, पर्दाफाश करने वालों (विसल ब्लोअर्स)/घोटाला उजागर करने वालों (स्कैम बसटर्स) के संबंध में भारत सरकार के संकल्प के अंतर्गत शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए अपनी नीति तैयार कर ली है जो उसकी वेबसाईट पर उपलब्ध है। उत्पीड़न/तंग करने से संबद्ध तथ्य अन्वेषण पूरा होने पर ही सिद्ध हो सकता है।

रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान

4086. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष योजना तैयार करके भर्ती अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भर्ती अभियान कब तक चलाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) रिक्तियों का भरा जाना एक सतत् कवायद है जो, विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा पदों के लिए बनाए गए भर्ती नियमों/सेवा नियमों के आधार पर, इन पदों को भरे जाने हेतु कार्यात्मक अपेक्षा तथा सरकार की मौजूदा नीति को ध्यान में रखते हुए चलाई जाती है।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. जांच

4087. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान आज तक असम सरकार द्वारा सी.बी.आई. को जांच के लिए तिथि-वार और विषय-वार कितने मामले सौंपे गए;

(ख) सी.बी.आई. ने कितने मामलों में जांच पूरी कर ली है;

(ग) न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सी.बी.आई. ने जांच पूरी करने के बाद कितने मामलों में दोष मुक्त करने की सिफारिश की है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) असम सरकार द्वारा गत तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को जांच के लिए सौंपे गए मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) वर्ष, 2002 के दौरान, मैसर्स ब्रह्मपुत्र शुगर मैन्युफैकचरिंग कंपनी लिमिटेड को, 1992 से 1996 तक असम कोपरेटिव एपैक्स बैंक लिमिटेड द्वारा ऋण स्वीकृति में की गई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक मामला सी.बी.आई. द्वारा हाथ में लिया गया था और यह मामला जांच के अंतिम चरण में है।

(ii) वर्ष, 2003 के दौरान, असम सरकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

(iii) वर्ष, 2004 के दौरान उठाईगिरी/चोरी/अवैध बिक्री/ट्रंक पाइप से कच्चे तेल के व्यापार से संबंधित दो मामले और वर्ष 2005 में एक गैर सरकारी व्यक्ति के अपहरण का एक मामला असम सरकार द्वारा जांच के लिए भेजे गए थे।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने इन मामलों में से किसी में भी अपनी जांच पूरी नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय और विदेशी शिष्टमंडलों की यात्रा

4088. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री विजय कृष्ण :
श्री किन्जरपु येरनायडु :
श्री अनन्त नायक :
मो. मुकीम :
श्री मुनव्वर हसन :
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालद्वीव के राष्ट्रपति और मारीशस के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो इस अवसर पर हुई वार्ता और किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान-मंत्री और विदेश मंत्री ने पिछले दो महीनों में अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन महीनों में भारत की यात्रा पर आये विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और उनके साथ किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(च) भारत को उपर्युक्त समझौतों से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(छ) श्रीलंका और म्यांमार के साथ संबंध सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ज) क्या म्यांमार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और तमाती जल परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए सहमत हो गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) मालदीव के राष्ट्रपति ने 27 मार्च से 1 अप्रैल, 2005 तक भारत का सरकारी दौरा किया था। मारीशस के प्रधानमंत्री ने इस वर्ष भारत का दौरा नहीं किया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से बातचीत की। मालदीव के राष्ट्रपति ने भी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता से

मुलाकात की। इस दौरे के दौरान द्विपक्षीय मसलों की संपूर्ण श्रृंखला पर चर्चा हुई थी जिसमें मालदीव में भारतीय सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाएं और आर्थिक सहयोग शामिल हैं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मसलों पर भी चर्चा हुई थी। इस दौरे के दौरान कोई करार हस्ताक्षरित नहीं हुआ था।

(ग) और (घ) :

1. भारत के प्रधानमंत्री ने 30 मार्च से 2 अप्रैल, 2005 तक मारीशस का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने साइबर टावर का उद्घाटन किया, जिसे भारत द्वारा प्रदान की गई ऋण सीमा का प्रयोग कर मैसर्स लारसन एवं टूब्रो तथा मैसर्स शापूरजी पालूनजी नामक भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया है। उन्होंने मारीशस की राष्ट्रीय असम्बेली की एक विशेष सत्र को भी संबोधित किया। मारीशस में हुई शिष्टमंडल स्तरीय वार्ताओं के दौरान, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय हित के विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई थी। यह निर्णय लिया गया था कि व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी करार संबंधी रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्य करने तथा इसे अंतिम रूप देने के लिए दोनों सरकारों द्वारा एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति को नियुक्त किया जाएगा। भारत ने मारीशस के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समस्त संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी मारीशस को दिया, जिसमें मारीशस को उनके मध्य एवं उच्च स्तरीय शैक्षिणक संस्थाओं की गुणवत्ता को सुधारने हेतु भारत द्वारा सहायता पर भी सहमति हुई थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि भारत उनके ई ई जैड का व्यापक सर्वेक्षण करवाएगा।

2. विदेश मंत्री ने पिछले दो महिनों में उनके साथ संबंध सुधारने के लिए निम्नलिखित देशों का दौरा किया। दौरे का देशवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

पाकिस्तान

विदेश मंत्री, श्री के नटवर सिंह ने 15-17 फरवरी, 2005 तक इस्लामाबाद का दौरा किया। 1979 के बाद भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान का यह पहला द्विपक्षीय दौरा था। इस दौरे के दौरान भारत-पाकिस्तान प्रक्रिया को काफी आगे ले जाया गया था। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ तथा प्रधानमंत्री शौकत अजीज से मुलाकात की और अपने प्रतिपक्षी विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी से बातचीत की। ननकाना साहिब जैसे धार्मिक स्थलों सहित लाहौर और अमृतसर के बीच तथा मुज्जफराबाद और श्रीनगर के बीच बस सेवाएं शुरू करने संबंधी करार हुए थे। पाकिस्तान खोकरापार-मुन्नाबाओ रेल संपर्क को फिर से शीघ्र चालू करने पर भी सहमत हुआ था। यह भी निर्णय लिया गया था कि आने वाले महीनों में मिसाईल परीक्षणों की पूर्व-जानकारी, और तटरक्षकों एवं पाकिस्तान के मेरीटाइम सिक्युरिटी एजेंसी के बीच, के साथ-साथ दोनों देशों के मादक पदार्थ नियंत्रण प्राधिकारियों के बीच करार को अंतिम रूप दिया जाए। समुद्र की घटनाओं को रोकने, और परमाणु घटना या परमाणु हथियारों के अप्राधिकृत प्रयोग के खतरे को कम करने संबंधी करारों के लिए विचार-विमर्श शुरू किया जाएगा।

अफगानिस्तान

विदेश मंत्री ने 15 फरवरी, 2005 को काबुल का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति करजाई, बाबा-ए-मिल्लत और पूर्व राजा जहीर शाह तथा विदेश मंत्री डा. अब्दुल्ला से मुलाकात की। दौरे के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान के नए सर्जिकल ब्लाक का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सहायता से बनाया गया है। उन्होंने अफगान नेशनल आर्मी को लगभग 49 वाहन भी सुपुर्द किए। इंदिरा गांधी बाल संस्थान को एक सहायता पैकेज देने की भी घोषणा की गई थी जिसमें भारत में डाक्टरों और पैरामेडिक्स का प्रशिक्षण तथा इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान के एक डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना करना भी शामिल था।

म्यांमार

म्यांमार के विदेश मंत्री यू न्यान विन के आमंत्रण पर विदेश मंत्री ने 24 27 मार्च, 2005 को म्यामार की राजकीय यात्रा की। विदेश मंत्री की यात्रा अक्तूबर, 2004 में म्यामार के राज्याध्यक्ष, वरिष्ठ जनरल थान श्वे की भारत की राजकीय यात्रा के पश्चात् की गई थी और इसका उद्देश्य भारत और म्यांमार के बीच जारी उच्चस्तरीय वार्ता को आगे बढाना था। अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने स्टेट पीस एण्ड डिवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष, वरिष्ठ जनरल थान श्वे और प्रधानमंत्री लेफ्टि. जनरल सोए विन से मुलाकात

की। उन्होंने अपने समकक्ष यू न्यान बिन के साथ द्विपक्षीय मसलों के समस्त स्वरूप पर व्यापक चर्चा की। पूर्वोत्तर में भारत की सुरक्षा से सम्बद्ध हित-चिन्ताओं, सीमापर आधार संरचना विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से कलादान बहु-मॉडल परिवहन परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा ऊर्जा सहयोग, जिसमें प्रस्तावित भारत-बंगलादेश-म्यांमार गैस पाइपलाईन और तामान्थी जल-विद्युत बिजली परियोजना को कार्यसूची में दिखाया गया। द्विपक्षीय संबंधों के पुनरीक्षण के अतिरिक्त, इस यात्रा ने परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मसलों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया।

दक्षिण अफ्रीका

विदेश मंत्री ने आई बी एस ए (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) वार्त्ता मंच के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए 9-11 मार्च, 2005 तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। इस बैठक के अंत में एक केप टाउन विज्ञाप्ति जारी की गई।

यू.के.

विदेश मंत्री ने 9-10 मार्च, 2005 को यू.के. की यात्रा की। उन्होंने विदेश सचिव जैक स्ट्रा से द्विपक्षीय वार्त्ता की। उन्होंने परस्पर हित-चिंता के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

(ङ) और (च) विदेश के विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने पिछले तीन महीनों में भारत की यात्रा की, का ब्यौरा नीचे दिया गया है। उनके साथ सम्पन्न किए गए करार और उससे भारत को होने वाले लाभ का ब्यौरा भी नीचे दिया गया है:-

भूटान

(1) भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर, भूटान नरेश महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक ने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में 24 से 29 जनवरी, 2005 तक भारत की छह दिन की राजकीय यात्रा की। राजकीय यात्रा के दौरान, 25 जनवरी, 2005 को निम्नलिखित तीन समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए:-

(क) पुनात्सांगछु (स्टेज-II) हाइड्रोपॉवर परियोजना

(ख) मान्गदेछु हाइड्रोपॉवर परियोजना

(i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए

(ii) भारत और भूटान के सीमा के शहरों के बीच रेलवे सम्पर्कों की स्थापना;

(iii) कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग;

उपरोक्त क्षेत्रों में सम्पन्न समझौता ज्ञापनों से निम्नलिखित में सहयोग की उम्मीद है:

(i) भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूटान में विद्युत जेनरेशन को बढ़ाना;

(ii) सीमा आधार संरचना के सुधार के माध्यम से व्यापार को बढ़ाना;

(iii) द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र को बढ़ाना;

(II) भूटान की महारानी महामहिम आशी सांगे चोदेन वांगचुक ने यू एन एफ पी ए की सद्भावना राजदूत की हैसियत से 6-21 फरवरी, 2005 तक भारत की यात्रा की। भारत में अपने प्रवास के दौरान, महारानी ने सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री श्रीमती मीरा कुमार से मुलाकात की। उन्होंने जयपुर मुंबई तथा अहमदाबाद की यात्रा भी की और जनसंख्या के मामलों, एच आई वी, एड्स तथा महिला कल्याण जैसे मसलों में लगे कई संगठनों के साथ कार्यकलाप किया।

नेपाल

नेपाल के विदेश मंत्री, रमेश नाथ पान्डे ने 7-9 मार्च 2005 तक भारत की यात्रा की। यात्रा पर आए विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री से मुलाकात की और नेपाल में आन्तरिक मामलों, वर्तमान राजनीतिक तथा सुरक्षा स्थिति के बारे में चर्चा की।

अफगानिस्तान

राष्ट्रपति कर्जायी 23-25 फरवरी, 2005 तक भारत की "कार्यकारी" पर भारत आए। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्त्ता की। इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए

गए: (क) मीडिया तथा सूचना के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन और (ख) नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन। यद्यपि मीडिया तथा सूचना के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन दोनों देशों के मीडिया के लोगों और रेडियो तथा दूरदर्शन संगठनों के बीच अधिक कार्यकलाप के लिए था, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अफगान नागरिक उड्डयन क्षेत्र की निर्माण क्षमता और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करना था। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को पुन: सुदृढ़ करेंगे।

ईरान

ईरा के विदेश मंत्री डा. कमाल कर्जायी ने भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक के 14वें सत्र के लिए 21-22 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए: (क) भारत और ईरान के समान सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन तथा संरक्षण से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन और (ख) संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक के निष्कर्षों से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड सरकार के विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री, फिल जाफ ने 3-5 मार्च 2005 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और व्यापार तथा आर्थिक मामलों, कृषि, जनता से जनता के संपर्कों तथा शिक्षा से सम्बद्ध द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने शिक्षा, पर्यटन तथा मनोरंजन उद्योग के क्षेत्रों में बढ़ते हुए कार्यकलाप पर संतोष जाहिर किया।

वियतनाम

वियतनाम के विदेश मंत्री, नगुयेन डी निएन ने 31 मार्च से 4 अप्रैल को भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री और अन्य नेताओं के साथ भारत-वियतनाम बंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए वार्ताएं की।

इण्डोनेशिया

इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री, डा. हसन वीराजुदा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सिटि फदिला सुपारी शामिल हैं, ने 1 मार्च 2005 को द्वितीय संयुक्त आयोग बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश मंत्री के. नटवर सिंह द्वारा किया गया। बैठक में 26 दिसम्बर 2004 को दोनों देशों द्वारा सुनामी से प्रभावित पीड़ितों के प्रति चिंता व संवेदना व्यक्त की गई और द्विपक्षीय संलग्नता को सुदृढ़ करने व गहरा बनाने पर सहमति हुई। संयुक्त आयोग ने दोनों देशों के बीच संबंधों की समीक्षा की। इस बैठक में आर्थिक व व्यापार संबंधों, रक्षा व सुरक्षा बंधन, फारमास्यूटीकल्स और स्वास्थ्य बैंकिंग के क्षेत्र, निवेश, कृषि, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, शिक्षण, तकनीकी सहयोग, महिला कल्याण को संवर्द्धन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और खनिज संसाधन, कानूनी सहयोग, परामर्श संबंधी मामलों सहित द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई। दोनों विदेश मंत्रियों द्वारा सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए।

थाईलैंड

थाईलैंड किंग्डम की राजकुल मान्य राजकुमारी माहा चकरी सिरिन्धोन ने 27 फरवरी से 10 मार्च, 2005 को भारत का गैर-सरकारी दौरा किया।

इटली

इटली के राष्ट्रपति कारलोस अजेगलिओ सीएम्पी ने 12-16 फरवरी, 2005 को भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दोरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सात समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए। इन समझौता ज्ञापनों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का सृजन करने की आशा की जा रही है।

ब्रिटेन

ब्रिटिश विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ ने 16-18 फरवरी, 2005 को भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान कैदियों के अंतरण पर एक समझौता तथा राजनैतिक शरण पाने में असमर्थ लोगों को लौटने से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन भी सम्पन्न किया गया। इस समझौते से इन श्रेणियों में से आने वाले मामलों के प्रबंधन और विनिमय में संशोधन आने की संभावना है।

बेल्जियम

युवराज फिलिपे ने 13 से 19 मार्च 2005 को भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान ऐतिहासिक स्मारको के संरक्षण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन तथा दोनों पक्षों से उद्योग निकायों के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौता ज्ञापनों से ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण को सुदृढ़ होने और व्यापार तथा निवेश के प्रोत्साहन के लिए बेहतर वातावरण तैयार होने की आशा है।

ऑस्ट्रिया

ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति, डा. हेइन्ज फिशर ने 16-21 फरवरी, 2005 को भारत की राजकीय यात्रा की। ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति आर्थिक और श्रम फेडरल मंत्री, मार्टिन बर्ट्रैस्टेन, टाइरोल के मुख्यमंत्री गैब्रिएले बर्गस्टालर तथा ऑस्ट्रियन फेडरल इकोनॉमिक चेम्बर के अध्यक्ष, क्रिस्टोफर लेइटल वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए। डा. फिशर ने भारत के राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम से मुलाकात की और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति फिशर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित की। राष्ट्रपति फिशर ने यूपी पी ए अध्यक्ष के साथ भी बैठक की। राष्ट्रपति फिशर और साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई, हैदराबाद, बंगलौर और मैसूर का दौरा किया। दिल्ली और मुंबई में राष्ट्रपति ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर (एफ आई सी सी आई) के तत्वाधान में भारतीय व्यापार एवं उद्योग के अग्रणी को संबोधित किया। पारम्परिक रूप से ऊष्ण और मजबूत द्विपक्षीय बंधन को एक सहारा प्रदान किया।

यात्रा के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय समझौते सम्पन्न किए गए:

(i) स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सहयोग संबंधी समझौता।

(ii) स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ और मैडिकल यूनीर्सिटी इन्सबरूक के बीच सहयोग के विकास संबंधी समझौता ज्ञापन।

सम्पन्न किए समझौतों से आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों पक्षों को लाभ मिलने की संभावना है जहां दोनों पक्षों की विशेषज्ञता को समान हित के लिए बांटा जा सकता है।

चेक गणराज्य

उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री, मिलान सिमोनोविस्की ने 8-12 फरवरी, 2005 को भारत का दौरा किया। उन्होंने आई टी ई एफ 2-05 नई दिल्ली में भाग लिया। उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री से भी मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

फिनलैंड

फिनिश विदेश मंत्री, एरक्की तुओमीओजा ने 6-10 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में हेल्सिन्की प्रक्रिया बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री के साथ वार्ताएं की। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद द्वारा एक स्वागत समारोह की मेजबानी की गई।

आइसलैंड

आइसलैंड के राष्ट्रपति, ओलाफर रगनर ग्रिमसन ने टेरी द्वारा आयोजित दिल्ली सतत विकास समिति में भाग लेने के लिए 3-9 फरवरी 2005 को भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री, यू पी ए के अध्यक्ष, विदेश मंत्री तथा राज्य मंत्री (नागरिक विमानन) के साथ अलग से बैठकें आयोजित की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

माल्टा

डा. माइकल फरनेंडो, माल्टा के विदेश मंत्री ने 7-12 मार्च 2005 के दौरान भारत की यात्रा की और विदेश मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। यात्रा के दौरान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और माल्टा के विदेश मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श के प्रोतोकोल

पर करार सम्पन्न किया गया। सम्पन्न प्रोतोकोल से दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श में वृद्धि होगी।

वेनजुएला

भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वेनजुएला के राष्ट्रपति हुगो सावेज ने 4-5 मार्च 2005 को भारत की राजकीय यात्रा की उनके साथ केबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अफसरशाहों और प्रमुख व्यापारियों का एक शिष्टमंडल भी आया। किसी वेनजुएला के राष्ट्रपति की भारत की यह प्रथम राजकीय यात्रा थी। राष्ट्रपति सावेज हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिले और विदेश मंत्री और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने भी उनसे मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कोलकत्ता और बंगलौर की यात्रा भी की। कोलकाता में उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया और उन्होंने एक ग्राम पंचायत का कार्य भी देखा।

2. यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न किए गए:

(i) भारत-वेनजुएला संयुक्त आयोग पर समझौता ज्ञापन

(ii) अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पर करार

(iii) हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग पर करार

(iv) बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

(v) ओ एन जी सी विदेश लि. और वेनजुएला स्टेट पैट्रोलियम कंपनी पी डी वी एस ए के बीच समझौता ज्ञापन

(vi) इरकोन और वेनजुएला रेलवे प्राधिकरण, आई ए एफ ई के बीच समझौता ज्ञापन

3. दोनों पक्षों ने, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की नई वास्तविकताओं को परिलक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता पर सहमति जताई। वेनजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया।

पराग्वे

डा. (श्रीमती) लीला रशीद, पराग्वे की विदेश मामलों की मंत्री ने जी-20 में भाग लेने और साथ ही द्विपक्षीय वार्त्ता के लिए 18-23 मार्च 2005 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और अक्टूबर, 2002 को सम्पन्न विचार-विमर्श तंत्र पर समझौता ज्ञापन के संदर्भ में आपसी हित के मामले पर राव इन्दरजीत सिंह, विदेश राज्य मंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर पर बातचीत की। उनकी यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

उज्बेकिस्तान:

उज्बेक राष्ट्रपति, इस्लाम करियोव ने 4-6 मार्च 2005 को भारत का दोरा किया। उनके साथ उज्बेक के प्रथम उप प्रधानमंत्री, उज्बेक के विदेश मामलों के मंत्री, हायर और सैकन्डरी विशेषज्ञ शिक्षा के मंत्री. रक्षा मंत्री और उज्बेकिस्तान का सीनेट की विदेश नीति समिति के अध्यक्ष भी आए। दौरे के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच निम्नलिखित द्विपक्षीय करार सम्पन्न किए गए:-

1. उज्बेकिस्तान गणराज्य के रक्षा मंत्रालय और भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच सैन्य और सैन्य तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग पर करार।

2. शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर उज्बेकिस्तान गणराज्य और भारत गणराज्य की सरकार के बीच कार्यक्रम आदान-प्रदान।

3. 2005-2007 की अवधि के लिए भारत गणराज्य की सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार के संस्कृति और खेल मंत्रालय के बीच सहयोग कार्यक्रम।

4. लघु और निजी उद्यमिता को समर्थन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच करार।

उपरोक्त के अलावा, दोनों देशों के संगठनों के बीच निम्नलिखित 8 करार/समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए:-

1. फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उज्बेकिस्तान के चैम्बर ऑफ कामर्स और उद्योग के बीच सहयोग पर करार।

2. भारतीय निर्यात संगठन संघ और उज्बेकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री के बीच सहयोग पर करार।

3. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. और उज्बेकिस्तान गणराज्य की विदेश आर्थिक संबंधों की एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन।

4. गालिब इन्स्टीच्यूट (भारत) और ताशकंद राज्य ओरियंटल स्टडीज संस्थान (उज्बेकिस्तान) के बीच समझौता प्रोतोकोल।

5 जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और विश्व अर्थव्यवस्था और राजनय विश्वविद्यालय, ताशकंद के बीच समझौता ज्ञापन।

6. भारत के पर्यटन विकास निगम और उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय कम्पनी ''उज्बेक टूरिज्म'' के बीच सहयोग के लिए प्रोतोकोल आफ इन्टैंशन।

7. भारतीय निर्यात-आयात बैंक और उज्बेकिस्तान के विदशी आर्थिक संबंधों का राष्ट्रीय बैंक के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

8. भारतीय स्टेट बैंक और उज्बेकिस्तान के विदेश आर्थिक संबंधों का राष्ट्रीय बैंक के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

इन करारों से विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के सुदृढ़ होने की आशा है।

कनाडा:

कनाडा के प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन ने प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 17-18 जनवरी 2005 तक भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेता एस एंड टी सहयोग आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के पदनामित वैज्ञानिक सलाहकारों को भेजने पर सहमत थे। वे सी ई ओ गोलमेज, जो आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करेंगी, आयोजित करने पर सहमत हुए। पर्यावरणीय सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। दोनों पक्ष लोगों से लोगों के सम्पर्कों को सदृढ़ करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में वीजा और कॉंसली सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर सहमत थे।

अमरीका:

विदेश मंत्री के निमंत्रण पर अमरीका की विदेश मंत्री डा. कॉंडॉलीजा राइस ने 15-16 मार्च 2005 को भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

डा. राइस ने प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और यू पी ए की अध्यक्षा से मुलाकात की। दोनों ओर से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के संपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और हमारी सामरिक भागीदारी बेहतर बनाने के लिए हर क्षेत्र में बातचीत की गई। संयुक्त राष्ट्र सुधार के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत जैसे उभरते शक्तिशाली देश को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है।

गाम्बिया:

(i) गांबिया के विदेश मंत्री श्री सीदी मोरो स्नेह ने 11-13 जनवरी, 2005 तक भारत की यात्रा की। यह गांबिया की प्रथम उच्चस्तरीय यात्रा थी। उन्होंने विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श किया। इससे दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हुए। दोनों पक्ष बहुपक्षीय मंच पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए। यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

(ii) गाम्बिया के विदेश मंत्री श्री सीदी मोरो स्नेह ने 5-10 मार्च, 2005 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

सेनेगल:

डा. शेख टिडीआने गादियो, सेनेगल के विदेश मंत्री ने 23-24 जनवरी 2005 तक भारत की यात्रा की। मंत्री ने अपनी सरकार की ओर से सुनामी आपदा और श्री

पी वी नरसिंह राव और श्री जे एन दीक्षित के निधन पर संवेदना प्रकट की। दौरे से भारत और सेनेगल के बीच रिश्ते बेहतर हुए। यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

कांगो:

(i) कांगो लोक गणराज्य के विदेश मंत्री श्री रेगंड रामाजनी बाया ने 1-4 फरवरी 2005 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मामलों पर बातचीत की। दौरे से दोनों देशों के बीच घनिष्ट संबंध बने हैं। दोनों पक्ष आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

(ii) कांगो लोक गणराज्य के उप राष्ट्रपति श्री जीन पीयरे बेम्बा ने 1-4 मार्च 2005 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर कन्कलेव में हिस्सा लिया। दौरे से, द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ हुए। दौरे के दौरान कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

चाड

चाड गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री नगोम यामासोम ने 1-4 मार्च 2005 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर कन्कलेव में भाग लिया और द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श किया। इससे दोनों देशों के बीच बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुए। दौरे के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

नाइजर

नाजर गणराज्य के विदेश और अफ्रीकी एकीकरण और सहयोग मंत्री मैडम असोटो मिंडाओडो और खान एवं ऊर्जा मंत्री मोहम्मद अब्दोलाही ने 1-4 मार्च 2005 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने रत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर कन्कलेव में भाग लिया। दौरे के परिणामस्वरूप बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुए। दौरे के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

घाना

घाना के ऊर्जा मंत्री प्रो. माइक ओक्वाए ने 1-4 मार्च 2005 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर कन्कलेव में भाग लिया। दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को बल मिला। यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

नाइजेरिया

नाइजेरिया के विदेश मंत्री श्री ओल्यूयेमी अदेनिजी ने 21-23 मार्च, 2005 तक भारत की यात्रा की। दौरे से द्विपक्षीय संबंधों और हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने की पुष्टि हुई। दौरे के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किए गए।

मडगास्कर

मडगास्कर के विदेश मंत्री जनरल मासेल रंजेवा ने 21-25 मार्च 2005 तक भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

(छ) श्रीलंका और म्यांमार दोनों के मामले में सरकारी स्तर पर नियमित उच्चस्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान और संस्थागत वार्ताएं होती हैं। पिछले वर्ष श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्वीकर, विदेशमंत्री और विपक्ष के नेता सभी ने भारत की यात्राएं कीं। म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष सीनियर जनरल थान स्वे ने अक्टूबर 2004 में भारत की यात्रा की और विदेश मंत्री ने मार्च 2005 में म्यांमार का दौरा किया।

श्रीलंका के मामले में, मुक्त व्यापार करार को व्यापक आर्थिक भागीदारी करार में बदलने पर वार्ताएं जारी हैं ; मत्स्यकी पर एक संयुक्त कार्य दल गठित किया गया है; तीन ऋण शृंखलाओं से राशियां वितरित की जा रही है; अनेक सूनामी राहत उपाय और परियोजनाएं शुरू की गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं और मूलभूत संरचनात्मक और संचार संपर्क बढ़ाए गए हैं।

म्यांमार के मामले में, भारत अनेक आर्थिक और विकासीय पहले शुरू कर रहा है। इनमें, सड़क, रेल, बिजली, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा जैसी विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। भारत और म्यामां हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी मिलकर कार्य कर रहे हैं।

(ज) और (झ) भारत सरकार और म्यांमार सरकार कलादान मल्टी-मोडल परिवहन परियोजना और तामंथी जल विद्युत बिजली परियोजना की शीघ्र प्रगति की इच्छा रखते हैं। कलादान परियोजना के निर्माण, रख-रखाव और वित्तपोषण से संबंधित सभी करारों को अंतिम रूप

देने के लिए दोनों सरकारों के बीच वार्ताएं चल रही हैं। करार सम्पन्न होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तामंथी परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है। यदि स्वीकार हो जाएगी, तो एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

गुजरात में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

4089. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :
श्री जी. करूणाकर रेड्डी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलावार कुल कितने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) लगाए गए;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस लक्ष्य को अब तक किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(ङ) देश के प्रत्येक गांव में वीपीटी कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) गुजरात दूरसंचार सर्किल में 15,855 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए गए हैं। गौण स्विचन क्षेत्रवार (एसएसए) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने शेष 4,144 बसे हुए तथा 100 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों में वीपीटी प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के प्रशासक के कार्यालय के साथ करार किया है। इन वीपीटी को नवंबर, 2007 तक चरणबद्ध रूप से प्रदान करने की योजना बनाई गई है। गुजरात दूरसंचार सर्किल में इन 4,144 वीपीटी में से अब तक 1,130 वीपीटी प्रदान किए गए हैं।

(ङ) बीएसएनएल ने शेष बचे 66,822 गांवों में तीन वर्ष की अवधि में अर्थात नवंबर, 2007 तक चरणबद्ध रूप से विपीटी प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि के प्रशासक के कार्यालय के साथ करार किया है। इनमें उन गांवों को शामिल नहीं किया गया है जो आबादीरहित है, नक्सलदाद/उग्रवाद से प्रभावित हैं, जिनकी जनसंख्या सौ से कम है और जो घने जंगली क्षेत्रों में स्थित हैं।

विवरण

गुजरात दूरसंचार सर्किल में प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के गौण स्विचन क्षेत्रवार (एसएसए) ब्यौरे

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित के द्वारा प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या		प्रदान किए गए वीपीटी की कुल संख्या
		बीएसएनएल	आरआईएल	
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	564	158	722
2.	अमरेली	565	52	617
3.	भावगर	587	150	737
4.	भरूच	723	151	874
5.	भुज	446	153	599
6.	गोधरा	1,180	322	1,502
7.	हिम्मतनगर	879	398	1,277
8.	जामनगर	493	105	598
9.	जूनागढ़	899	41	940
10.	मेहसाणा	601	465	1,066
11.	नाडियाद	735	354	1,089
12.	पालनपुर	985	351	1,336
13.	राजकोट	805	3	808
14.	सूरत	788	208	996

1	2	3	4	5
15.	सुरेन्द्रनगर	565	51	616
16.	वडोदरा	818	433	1,251
17.	वलसाड	623	204	827
	कुल	12,256	3,599	15,855

प्रति व्यक्ति निवेश

4090. श्री जोवाकिम वल्ला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002, 2002-2003, और 2003-2004 के दौरान योजना परिव्यय की तुलना में सरकार द्वारा कितना प्रति व्यक्ति निवेश किया गया;

(ख) इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों की रैंकिंग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्पूर्ण देश के योजना परिव्यय में प्रति व्यक्ति निवेश में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001-02, 2002-03, और 2003-04 के दौरान योजना परिव्ययों में किए गए प्रति व्यक्ति निवेश की तुलना में वर्ष 2003-04 के लिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) राज्यों की योजनाएं केन्द्रीय सहायता और राज्यों के निजी संसाधनों द्वारा वित्तपोषित की जाती है। योजना परिव्ययों को बढ़ाने के लिए, सरकार बेहतर कर-प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक बचतों को बढाने, कर-संग्रहण में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है जिसमें मुद्रास्फीति भी शामिल है। राज्यों से निजी संसाधनों के उच्च स्तर के सृजन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ राज्य स्तरीय उद्यमों के निष्पादन में सुधार, कर और गैर-कर राजस्व संग्रहण को बढ़ाने तथा अपने गैर-योजना व्यय को कम करने का भी अनुरोध किया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा योजना परिव्ययों की तुलना में किया गया प्रति व्यक्ति निवेश

क्र. सं.	राज्य	2001-02 प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश (रु. में)	2001-02 योजना परिव्यय (करोड़ में)	2002-03 प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश (रु. में)	2002-03 योजना परिव्यय (करोड़ में)	2003-04 प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश (रु. में)	2003-04 योजना परिव्यय (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सिक्किम	5678	300.22	6400	350.00	7248	405.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5614	661.00	5938	676.00	6323	708.00
3.	मिजोरम	4847	410.00	5236	430.00	6171	480.00
4.	जम्मू और कश्मीर	2244	2050.00	2018	2265.15	3070	2500.00
5.	मणिपुर	2441	520.00	2541	550.00	2787	590.00
6.	नागालैण्ड	2359	405.00	2487	424.00	2732	500.00
7.	हिमाचल प्रदेश	2051	1720.00	1953	1840.00	2369	1335.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	त्रिपुरा	2046	560.00	2142	625.00	2366	650.00
9.	मेघालय	1836	487.00	1968	545.00	2140	555.00
10.	उत्तरांचल	1632	1050.00	1729	1533.13	1917	1575.00
11.	उड़ीसा	653	3000.00	740	3100.00	1039	3200.00
12.	गोवा	1056	460.00	1177	586.00	899	650.00
13.	आन्ध्र प्रदेश	700	8378.00	795	10100.00	857	10970.46
14.	गुजरात	1196	7267.85	1039	7600.00	831	7860.00
15.	असम	651	1710.00	738	1750.00	768	1780.00
16.	कर्नाटक	587	8941.56	659	8610.61	751	9620.00
17.	केरल	273	3015.00	582	4026.00	580	4430.00
18.	तमिलनाडु	296	6040.00	289	5750.00	492	7000.00
19.	मध्य प्रदेश	306	3630.00	366	4821.00	448	5703.00
20.	राजस्थान	282	5031.00	380	5160.00	444	4258.00
21.	छत्तीसगढ़	283	1312.00	358	1757.00	413	2335.00
22.	पश्चिम बंगाल	350	7186.13	424	6307.00	410	3894.00
23.	पंजाब	374	3021.00	397	2793.00	368	2822.00
24.	उत्तर प्रदेश	359	8400.00	368	7250.00	350	7728.00
25.	झारखण्ड	272	2650.00	318	2651.94	347	2935.85
26.	बिहार	242	2644.00	265	2964.40	331	3320.00
27.	महाराष्ट्र	224	10834.00	258	11562.00	285	12050.00
28.	हरियाणा	300	2150.00	281	2034.00	273	206800.

टिप्पणी:

1. राज्य योजनाओं के लिए प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश के रूप में ली गई है।
2. वर्ष 2001 जनगणना की जनसंख्या का उपयोग प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश की गणना के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवा

4091. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी मोबाइल सेवा आपरेटरों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं रिआयती दरों पर प्रदान करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मोबाइल सेवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) निजी मोबाइल सेवा आपरेटरों के उपभोक्ताओं की कुल संख्या की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इनके प्रतिशत का संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनिमय, 1997 के अनुसार सरकार ने ट्राई को सेल्युलर मोबाइल सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण का काम सौंपा है। मोबाइल सेवाओं के लिए प्रशुल्क के संबंध में ट्राई ने राष्ट्रीय रोमिंग सेवा को छोड़ कर मोबाइल सेवा के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने के कार्य से स्वयं को अलग रखा है और मोबाइल प्रचालक ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्वयं के प्रशुल्क लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। अत: मोबाइल प्रचालकों को ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती दरों पर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के संबंध में निर्देश नहीं दिया गया है।

सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) करार की शर्तों और निबंधन के अनुसार मोबाइल सेवा प्रदाताओं के रॉलआउट दायित्व में 50% जिला मुख्यालयों को कवर किया जाना है और 50% जिला मुख्यालयों/कस्बों से आगे विस्तार पूर्णत: मोबाइल सेवा प्रदाताओं के व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्यत: कवर करने की आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है।

तथापि, लाइसेंसधारी द्वारा जहां कहीं भी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाती हैं वहां ट्राई को सेवा की गुणवत्ता पर निगरानी रखने का कार्य सौंपा गया है। इस संबंध में, ट्राई ने मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए हैं और वह समय-समय पर सर्वेक्षण करके इस पर निगरानी रखता है।

(ग) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या के बारे में अलग से सूचना नहीं रखती। 28.02.205 की स्थिति के अनुसार निजी मोबाइल प्रचालकों के उपभोक्ताओं की कुल संख्या 41.20 मिलियन है।

सरकारी अस्पतालों में ढीली सुरक्षा व्यवस्था

4092. श्री अधीर चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ढीली सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं और सरकार की जानकारी में इन अस्पतालों में सुरक्षा की खामी होने की कोई घटना नहीं आई है।

[अनुवाद]

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन

4093. श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों से नीचे सेवाएं प्रदान करने वाले आपरेटरों पर जुर्माना लगाने के उद्देश्य से अपने पास और अधिकार रखने के महेनजर अपने अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों संबंधी सर्वेक्षण

4094. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री रामचीलाल सुमन :
श्री अनन्त नायक :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज) के कार्यकरण संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने गैर-सरकारी संगठन काम कर रहे हैं;

(ग) क्या देश में कार्य कर रहे अनेक गैर-सरकारी संगठन अनेक मंत्रालयों द्वारा काली सूची में रखे जाने के बावजूद कुछ मंत्रालयों से सहायता प्राप्त करने में सफल रहे हैं?

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकारी निधियों का दुरूपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, एक गैर-सरकारी संगठन, सोसाइटी फॉर पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (पी आर आई ए) द्वारा वर्ष 2002 में कराए गए एक अध्ययन में उनकी संख्या लगभग 12 लाख होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) से (ङ) काली सूची में रखे गए गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओज) का मंत्रालयों/विभागों और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच व्यापक प्रचार किया जाता है। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है कि काली सूची में शामिल गैर-सरकारी संगठन मंत्रालयों/विभागों से सहायता प्राप्त न करें।

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन

4095. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना अवधि के दौरान देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करनें हेतु कोई लक्ष्य तय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वास्तविक उपलब्धि क्या रही;

(ग) देश में, विशेषकर राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि के बीच अंतर के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) देश में तेजी से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। पूरे देश के लिए 650 लाख टेलीफोनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ताकि मार्च, 2007 के अंत तक 9.91% टेलीघनत्व का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार, योजनावधि के अंत तक 3% टेलीघनत्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 147.2 लाख फोन उपलब्ध कराए जाने थे। इस लक्ष्य की तुलना में 28 फरवरी, 2005 तक देश में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रचालकों द्वारा 522.69 लाख अतिरिक्त फोन उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें से 41.18 लाख फोन ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित किए गए हैं। राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। तथापि, बीएसएनएल और एमटीएनएल निधियों की मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इन लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। हालांकि राजस्थान में लक्ष्यों की तुलना में बीएसएनएल का निवल योगदान कम रहा है जिसका मुख्य कारण उपभोक्ताओं द्वारा स्थिर फोन कनेक्शन लौटाया जाना है, फिर भी 1 अप्रैल, 2002 से 28 फरवरी 2005 के दौरान सरकारी और निजी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे फोनों की संख्या में 19.53 लाख की समग्र वृद्धि हुई है।

(घ) चूंकि अधिकांश प्रतीक्षा सूची ग्रामीण क्षेत्रों में है इसलिए ऐसे क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर डब्ल्यूएलएल नेटवर्क संस्थापित करने की योजना बनायी गयी है।

(ii) लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए आउटडोर केबल की लंबाई 2.5 किमी. से बढ़ाकर 5.0 किमी. तक करने की अनुमति दी गई है।

(iii) सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण नगरों, तीर्थ स्थानों और राज्य के प्रमुख मार्गों में मोबाइल नेटवर्क संस्थापित किए गए हैं ताकि अधिकाधिक क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

(iv) बीएसएनएल द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, निजी आपरेटर भी टेलीफोन की मांग को पूरा करते हैं।

(v) इसके अलावा, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ निधि) तंत्र के माध्यम से दूरसंचार अपारेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

विवरण

2002-03, 2003-04, 2004-05 के लिए टेलीफोन कनेक्शन से संबंधित लक्ष्य और उपलब्धि और 2005-06 के लिए लक्ष्य (बीएसएनएल+एमटीएनएल)

क्र. सं.	सर्किल	लक्ष्य 2002-03	उपलब्धि 2002-03	लक्ष्य 2003-04	उपलब्धि 2003-04	लक्ष्य 2004-05	निवल उपलब्धि 2004-05*	लक्ष्य 2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान एवं निकोबार	4000	4946	3500	6313	9900	4407	23000
2.	आंध्र प्रदेश	399000	332331	449000	309625	639700	295671	730000
3.	असम	75000	64750	83000	49771	213600	154894	1248000
4.	बिहार	215800	161075	255000	143599	438300	179635	816000
5.	छत्तीसगढ़	39500	50052	58000	41793	102900	47969	165000
6.	गुजरात	502700	404152	424000	3306	663000	127918	839000
7.	हरियाणा	187000	180219	223000	164704	375000	114344	792000
8.	हिमाचल प्रदेश	74000	55495	75000	53525	147700	45838	804000
9.	जम्मू कश्मीर	49000	41266	79500	64673	102100	136716	1451000
10.	झारखंड	93200	90414	96000	101347	151000	87053	1575000
11.	कर्नाटक	430000	362151	385000	128552	434400	412887	710000
12.	केरल	664000	530452	800000	407074	1018000	710685	2055000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	मध्य प्रदेश	167500	167874	176000	157134	332200	202668	1259000
14.	महाराष्ट्र	593000	565043	596000	343365	965500	384831	752000
15.	पूर्वोत्तर-I	22300	21306	69500	26096	78800	49317	813000
16.	पूर्वोत्तर-II	15500	18204	14500	26518	61000	47858	1717000
17.	उड़ीसा	147000	151395	137000	139421	319200	181940	620000
18.	पंजाब	387000	282909	389000	106112	548000	97814	473000
19.	राजस्थान	249000	213986	297000	214920	641700	234226	664000
20.	तमिलनाडु	318000	269127	305000	217247	548600	581741	841000
21.	उत्तरांचल	57000	58698	73000	82806	139900	64944	1317000
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	270000	232839	271000	173139	586600	388035	2014000
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	215500	203454	245000	211836	362500	121802	866000
24.	पश्चिम बंगाल	217000	217236	285000	165730	532000	195046	581000
25.	कोलकाता	62000	42810	132000	40360	351700	222111	1410000
26.	चेन्नई	136000	48116	140000	80415	236700	197101	165000
27.	दिल्ली और मुंबई	549000	238000	350000	-148000	500000	24000	800000
	कुल	6139000	5008300	6411000	3311381	10500000	5311521	25500000

*(अनंतिम)

[हिन्दी]

भूकंप के झटके

4096. **श्री हेमलाल मुर्मू :**
श्री एस.के. खारवेलचन :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मुम्बई, पुणे, अंडमान और निकोबार तथा अन्य स्थानों पर हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इसकी सूचना मिलने पर मार्च, 2005 में नई दिल्ली में केंद्रीय आपदा प्रबंधन समूह की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौसम विभाग अथवा किसी अन्य विभाग ने इन भूकंप के झटकों की भविष्यवाणी की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। 14 मार्च, 2005 को कोयला क्षेत्र में 5.1 की तीव्रता का एक भूकंप आया था जिसे मुंबई, पुणे तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों में महसूस किया गया। साथ ही, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हाल ही में सुमात्रा दीप समूह (इण्डोनेशिया) में आए दो भीषण भूकंपों के कारण बाद के झटकों की गतिविधि महसूस की जा रही है। अब तक 5.0 और इससे अधिक की तीव्रता वाले कुल 304 बाद के झटके दर्ज किए गए हैं। कोयना भूकंप के पश्चात मार्च, 2005 में केन्द्रीय आपदा प्रबंधन समूह की कोई विशिष्ट बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विश्व में इस समय कहीं भी समय, स्थान और तीव्रता के संबंध में भूकंपों की भविष्यवाणी करने से संबंधित कोई वैज्ञानिक प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर रोजगार

4097. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साधारण नियमों में छूट देते हुए भर्ती की योजना के अंतर्गत मृतक और अक्षम सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां, जो अब सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों का 5 प्रतिशत कर दी गई हैं, वास्तव में सभी आवेदकों को, विशेषकर डाक विभाग में गौण अथवा अस्तित्वहीन आधार पर नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी प्रतिबंध समाप्त करने और सभी पात्र मामलों में रोजगार प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) सरकार की नीति के अनुसार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां, सुपात्र मामलों में प्रशासनिक विभागों द्वारा समूह 'ग' और समूह 'घ' में प्रत्येक वर्ष की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के 5 प्रतिशत रिक्त पदों पर की जानी होती है। डाक विभाग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां, सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान मानकों तथा शर्तों के अधीन ही नियंत्रित होती हैं।

[हिन्दी]

सी जी एच एस के डाक्टरों और कर्मचारियों की समय पाबंदी संबंधी रिपोर्ट

4098. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में अनेक सी जी एच एस औषधालयों में विशेषकर गोल मार्केट और आरामबाग औषधालयों में डाक्टर और अन्य कर्मचारी अपनी सुबह की ड्यूटी में प्राय: देर से आते हैं जिससे लाभार्थियों को भारी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ये शिकायतें कौन से औषधालयों से संबंधित है;

(ग) उपर्युक्त औषधालयों द्वारा दी जा रही सेवाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टर और कर्मचारी औषधालयों में कमोवेश अपनी ड्यूटी निभाने में समय के पाबन्द हैं। इस प्रकार लाभार्थियों को असुविधा नहीं होती है। तथापि, पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के समय पर उपस्थित न होने के बारे में पांच (5) शिकायतें प्राप्त हुई हैं। औषधालय-वार प्राप्त शिकायतें इस प्रकार हैं–

1.	गोल मार्किट-I	2 शिकायतें
2.	आराम बाग (चित्रगुप्त रोड)	1 शिकायत
3.	आर के पुरम औषधालय, सेक्टर-12 (होम्योपैथी)	1 शिकायत
4.	पश्चिमी पटेल नगर, औषधालय	1 शिकायत जो अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई पाई गई थी।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और मार्गनिर्देश के द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य

योजना औषधालय के कार्यकरण में सुधार के लिए एक अंतर्निर्मित (इनबिल्ट) तंत्र है। लाभार्थियों से प्राप्त शिकायतों की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों, जोनल स्तर औरैर मुख्यालय स्तर पर नियमित मानीटरिंग की जाती है। अधिकारियों के समय-पाबंदी और आचरण में सुधार के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी जारी किए जाते हैं। दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की कार्य प्रणाली की मानीटरिंग के लिए आठ विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण और शहरी दूरसंचार सेवा संबंधी अध्ययन

4099. श्री राजेन गोहेन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीफोन की ग्रामीण और शहरी आवश्यकता मोबाइल कनेक्टिविटी तथा बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता संबंधी राज्यवार कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य विशेषकर असम में टेलीफोन और मोबाइल की राज्यवार अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ग) बीएसएनएल और निजी टेलीफोन संचालकों द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को कितने टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किए गए है; और

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर टेलीफोन और मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) यद्यपि सरकार ने ग्रामीण और टेलीफोन आवश्यकता पर कोई अध्ययन नहीं कराया है, तथापि बीएसएनएल में उन उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची रखी जाती है जो टेलीफोन लेना चाहते हैं। पिछले वर्ष प्रदान किए गए टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची और इन वर्षों में वृद्धि दर का उपयोग भविष्य में मांग का आकलन करने के लिए किया जाता है। जहां तक सेवा की गुणवत्ता का संबंध है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एक स्वतंत्र अधिकरण नामत: आईएमआरबी इंटरनेशनल के माध्यम से बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित सभी दूरसंचार आपरेटरों की सर्किलवार सेवा की गुणवत्ता की जांच करता है।

(ख) बीएसएनएल द्वारा अनुमानित टेलीफोनों की सर्किलवार आवश्यकता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीएसएनएल और निजी आपरेटरों द्वारा प्रदान किए गए स्थिर लाइन कनेक्शनों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। 28.2.2005 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक और निजी आपरेटरों का सेल्यूलर उपभोक्ता आधार संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) बुनियादी सेवा के लिए बुनियादी और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में ट्राई विनियमन 2000 के अनुसार, उन एक्सचेंज क्षेत्रों में जहां टेलीफोन मांग पर उपलब्ध है, आपरेटर को 7 (सात) दिनों के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने चाहिए। आपरेटरों द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग तिमाही कार्य निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टों द्वारा की जा रही है। ट्राई चूककर्ताओं के साथ कार्य योजना पर आवधिक रूप से चर्चा करता है ताकि सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। मोबाइल कनेक्शनों के लिए एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में 400 हजार लाइन की जीएसएम क्षमता चालू कर चुका है। 400 हजार लाइन की सीडीएमए क्षमता दोनों शहरों में जल्द ही चालू किए जाने की संभावना है। वर्ष 2005-06 के दौरान एमटीएनएल द्वारा जीएसएम की 1 मिलियन लाइनें जोड़े जाने की योजना है। जहां तक ग्रामीण दूरदराज के क्षेत्रों में बीएसएनएल की अधिकांश प्रतीक्षा सूची का संबंध है, बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क की व्यापक पैमाने पर संस्थापना सहित अनेक कदम उठा रहा है ताकि प्रतीक्षा सूची का निपटान किया जा सके।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 के लिए ग्रामीण/शहरी सीधी एक्सचेंज लाइनों का सर्किलवार लक्ष्य

क्र. सं.	सर्किल का नाम	ग्रामीण टेलीफोन	शहरी बुनियादी+ मोबाइल	कुल टेलीफोन
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार	260	22,740	23,000

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	26600	1,673,400	1,700,000
3.	असम	30900	447,100	478,000
4.	बिहार	88300	1,402,700	1,491,000
5.	झारखंड	7800	542,200	550,000
6.	गुजरात	59000	1,155,000	1,214,000
7.	हिमाचल प्रदेश	43000	336,000	379,000
8.	हरियाणा	71000	671,000	742,000
9.	जम्मू-कश्मीर	21400	379,600	401,000
10.	कर्नाटक	77200	1,732,800	1,810,000
11.	केरल	337500	1,717,500	2,055,000
12.	मध्य प्रदेश	14100	944,900	959,000
13.	छत्तीसगढ़	1670	413,330	415,000
14.	महाराष्ट्र	149000	1,903,000	2,052,000
15.	पूर्वोत्तर-I	4200	158,800	163,000
16.	पूर्वोत्तर-II	4600	162,400	167,000
17.	उड़ीसा	18900	776,100	795,000
18.	पंजाब	41600	856,400	898,000
19.	राजस्थान	128900	1,485,100	1,614,000
20.	तमिलनाडु	69800	1,271,200	1,341,000
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	68500	1,945,500	2,014,000
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	26100	839,900	866,000
23.	उत्तरांचल	2470	239,530	242,000
24.	पश्चिम बंगाल	107200	948,800	1,056,000
25.	चेन्नई	0	465,000	465,000
26.	कोलकाता	0	810,000	810,000
	कुल	1400000	23,300,000	24,700,000

विवरण-II

उपभोक्ता आधार

क्र. सं.	सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता का नाम	31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार डीईएल की सं.						31.12.2004 की स्थिति के अनुसार कुल डीईएल
			शहरी			ग्रामीण			
			स्थिर	डब्ल्यूएलएल (स्थिर)	कुल	स्थिर	डब्ल्यूएलएल (स्थिर)	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान व निकोबार	बीएसएनएल	1774	0	17474	20799	397	21193	36667
		रिलायंस	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	आंध्र प्रदेश	बीएसएनएल	1864266	4575	1868841	1301572	28534	1330106	3198947
		टाटा	131688	242164	373852	0	1343	1343	375195
		रिलायंस	2820	54198	57018	3	370	373	57391
3.	असम	बीएसएनएल	379866	1099	380965	123335	17437	140772	521737
4.	बिहार (झारखंड सहित)	बीएसएनएल	937132	5871	943003	392100	121743	513843	1456846
		रिलायंस	35	18019	18054	0	0	0	18054
		टाटा	0	8085	8085	0	0	0	8085
5.	दिल्ली	भारती	131564	0	131564	0	0	0	131564
		एमटीएनएल	1725309	7330	1732639	191	0	191	1732830
		टाटा	9552	291546	301098	0	0	0	301098
		रिलायंस	3735	162508	166243	0	0	0	166243
6.	गुजरात	बीएसएनएल	1838940	9358	1848298	840596	31041	871637	2719935
		रिलायंस	6253	95398	101651	0	4847	4847	106498
		टाटा	23458	218897	242355	0	0	0	242355
7.	हरियाणा	बीएसएनएल	686992	14006	700998	381996	31836	413832	1114830
		भारती	106658	0	106658	0	0	0	106658
		रिलायंस	197	24636	24833	0	43	43	24876
8.	हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	103047	312	103359	369183	11228	380411	483770
		रिलायंस	0	542	542	0	0	0	542
9.	जम्मू व कश्मीर	बीएसएनएल	244780	1564	246344	51260	6888	58148	304492
10.	कर्नाटक	बीएसएनएल	1859227	14223	1873450	840448	38751	879199	2752649
		भारती	132520	0	132520	0	0	0	132520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		टाटा	4759	204313	209072	0	0	0	209072
		रिलायंस	5273	42829	48102	0	0	0	48102
11.	केरल	बीएसएनएल	1099965	5299	1105264	2215562	80946	2296508	3401772
		रिलायंस	1192	101155	102347	5	2057	2062	194409
12.	मध्य प्रदेश	बीएसएनएल	1265241	11340	1276581	319093	63237	382330	1658911
	(छत्तीसगढ़ सहित)								
		भारती	226551	25302	251853	607	0	607	252460
		रिलायंस	545	25404	25949	0	0	0	25949
13.	महाराष्ट्र (मुंबई)	बीएसएनएल	4824316	58614	4882930	1321732	77962	1399694	6282624
	सहित)	व एमटीएनएल							
		रिलायंस	7637	223950	231587	0	119	119	231706
		टाटा	217282	393659	610941	0	2653	2653	613594
	मुम्बई	एमटीएनएल	2299903	42390	2342293	0	0	0	2342293
		रिलायंस	5606	136634	142240	0	0	0	142240
		टाटा	184004	215607	399611	0	399	399	400010
	महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर)	बीएसएनएल	2524413	16224	2540637	1321732	77962	1399694	3940331
		रिलायंस	2031	87316	89347	0	119	119	89466
		टाटा	33278	178052	211330	0	2254	2254	213584
14.	पूर्वोत्तर	बीएसएनएल	257398	1113	258511	90171	21195	111366	369877
15.	उड़ीसा	बीएसएनएल	485510	0	485510	270443	55769	326212	811722
		रिलायंस	115	14035	14150	0	3	3	14153
		टाटा	0	24	24	0	0	0	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	पंजाब	बीएसएनएल	1151772	9837	1161609	816810	56386	873196	2034805
		एचएफसीएल	133041	47971	181012	0	725	725	181737
		रिलायंस	2258	89257	91515	0	0	0	81515
17.	राजस्थान	बीएसएनएल	1150038	10603	1160641	612998	36313	649311	1809952
		एसटीएल	104104	21241	125345	4415	636	5051	130396
		रिलायंस	757	40750	41507	0	0	0	41507
		टाटा	0	468	468	0	0	0	468
18.	तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	बीएसएनएल	2998231	14644	3012875	853058	33816	886874	3899749
		टाटा	547	253973	254520	0	0	0	254520
		भारती	180457	0	180457	0	0	0	180457
		रिलायंस	2920	57025	59945	0	0	0	59945
	चेन्नई	बीएसएनएल	993777	7399	1001176	0	0	0	1001176
		रिलायंस	2028	27656	29684	0	0	0	29684
		टाटा	469	154520	154989	0	0	0	154989
		भारती	122759	0	122759	0	0	0	122759
	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	बीएसएनएल	2004454	7245	2011699	853058	33816	886874	2898573
		टाटा	78	99453	99531	0	0	0	99531
		भारती	57698	0	57698	0	0	0	57698
		रिलायंस	892	29369	30261	0	0	0	30261
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बीएसएनएल	1225428	11375	1236803	158107	73653	231760	1468563
		रिलायंस	1293	45169	46462	0	0	0	46462
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	बीएसएनएल	1335044	9089	1344133	500071	51693	551764	1895897
	उत्तरांचल (सहित)	रिलायंस	137	45980	46117	0	0	0	46117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता सहित)	बीएसएनएल	1998952	9073	2008025	559023	43892	602915	2610940
		रिलायंस	4422	94498	98920	0	0	0	98920
	कोलकाता	बीएसएनएल	1354753	5670	1360423	0	0	0	1360423
		रिलायंस	4377	82179	86556	0	0	0	86556
	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	बीएसएनएल	644199	3403	647602	559023	43892	602915	1250517
		रिलायंस	45	12319	12364	0	0	0	12364
		कुल	28890698	3042321	31933019	12043578	895510	12939088	44872107

विवरण-III

28.2.2005 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल और बीएसएनएल सहित दूरसंचार सर्किलों और महानगरों में सेल्यूलर उपभोक्ताओं के आंकड़े

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं की सं.	उपभोक्ताओं की सं. (फरवरी-05)
1	2	3	4
1.	दिल्ली	4	4024909
2.	मुंबई	4	3846120
3.	कोलकाता	4	1386240
4.	चेन्नई	4	1511750
	महानगर का जोड़	16	10769019
1.	आंध्र प्रदेश	4	2758416
2.	असम, निकोबार और पश्चिम बंगाल	2	666415
3.	असम	2	250605
4.	बिहार - झारखंड सहित	2	870617
5.	गुजरात	4	2911059
6.	हरियाणा	4	899879
7.	हिमाचल प्रदेश	4	326080
8.	जम्मू और कश्मीर	1	232400
9.	कर्नाटक	4	2778252
10.	केरल	4	2064847
11.	मध्य प्रदेश - छत्तीसगढ़ सहित	4	1205152
12.	महाराष्ट्र	4	3115120
13.	उत्तर पूर्व	3	109691
14.	उड़ीसा	2	537072
15.	पंजाब	4	2971540
16.	राजस्थान	4	1188418

1	2	3	4
17.	तमिलनाडु	4	2780631
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3	1712879
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) - उत्तरांचल सहित	3	1635439
	जोड़	62	29014512
	कुल जोड़	78	39783531

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम परियोजना में राजमार्गों को चार लेन बनाने के कार्य की धीमी गति

4100. **श्री खारबेल स्वाईं :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के अंतर्गत राजमार्गों को चार लेने करने का कार्य धीमा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण क्षेत्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 22 मई, 2004 से 20 फरवरी, 2005 तक उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए लंबाईवार तथा स्थानवार कितने ठेके दिए गए;

(ङ) उपर्युक्त अनुबंधों के लिए कितनी निविदाएं प्राप्त हुईं;

(च) कितनी-कितनी धनराशि के ठेके दिए गए;

(छ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ठेके के लिए कितनी लागत निर्धारित की गई; और

(ज) ठेके के इन कार्यों के आरंभ होने तथा पूरा करने हेतु क्या तारीख निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और रजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) एन एच डी पी चरण I और एन एच डी पी चरण-II को काफी हद तक पूरा करने की नियत तारीख दिसंबर, 2007 है। यद्यपि, भूमि अधिग्रहण, सुविधओं के स्थानांतरण, ठेकेदारों के खराब कार्य-निष्पादन इत्यादि से जुड़ी समस्याओं के कारण कुछ ठेकों में विलंब हुआ है, फिर भी आशा है कि लक्ष्यों को काफी हद तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ज) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एन एच ए आई द्वारा 22 मई, 2004 से 20 फरवरी, 2005 के बीच सौंपे गए ठेकों के ब्योरे

क्र. सं.	खंड/ठेका	लंबाई (कि.मी.)	प्राप्त निविदाओं की सं.	सौंपे गए कार्य की लागत (करोड़ रु.)	एन एच ए आई के अनुसार लागत (करोड़ रु.)	आरंभ की तारीख	पूरा करने की निर्दिष्ट तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु में रा.रा. 7 के 163.4-180.0 कि.मी. तक ओमालूर से थुम्मीपाडी	17	11	49.702	70	मई, 05	अक्तू, 07
2.	महाराष्ट्र में रा.रा. 7 के 36.6-64.0 कि.मी. तक बोरखेडी से जाम	27.4	12	89.387	110	अप्रैल, 05	सित, 07

	2	3	4	5	6	7	8
	महाराष्ट्र में रा.रा. 7 का बुटीबोरी आर ओ बी	2	11	24.268	26	अप्रैल, 05	सित. 06
4.	उत्तर प्रदेश में रा.रा. 2 पर 158-198 कि.मी. तक इलाहाबाद बाइपास ठेका।	39	5	446.99	440.93	जून, 04	दिस, 06
5.	उत्तर प्रदेश में रा.रा. 2 पर 198-242.27 कि.मी. तक इलाहाबाद बाइपास ठेका।	44	4	505.27	481.43	नव., 04	मई. 07
6.	गुजरात में रा.रा. 8बी (2.00-52.50 कि.मी.) - पैकेज-I का पोरबंदर-भिलाडी सड़क खंड	50.50	7	193.23	217.05	फर., 05	नव. 07
7.	गुजरात में रा.रा. 8बी (52.50-117.00 कि.मी.) - पैकेज-II का भिलाडी-जैतपुर सड़क खंड	64.50	6	299.84	342.38	फर., 05	नव. 07
8.	गुजरात में रा.रा. 8ए (182.60-254.00 कि.मी.) - पैकेज-III का बामनबोर-गारामोड़ सड़क खंड	71.40	8	289.92	313.39	फर., 05	नव. 07
9.	गुजरात में रा.रा. 8ए और रा.रा. 15 (254.00-308.00 और 281.30-245.00 कि.मी.) - पैकेज-iv का गारामोड़-गागोधर सड़क खंड	90.30	7	339.02	357.30	फर., 05	नव. 07
10.	गुजरात में रा.रा. 15 (245.00-138.80 कि.मी.) - पैकेज-v का गागोधर-राधनपुर सड़क खंड	106.20	6	288.54	370.09	फर., 05	नव. 07
11.	गुजरात में रा.रा. 14 (458.00-372.60 कि.मी.) - पैकेज-vi का राधनपुर-डीसा सड़क खंड	85.40	6	326.04	341.71	फर., 05	नव 07
12.	गुजरात में रा.रा. 8बी पर (117.00-143.00 और 175.00-185.00 कि.मी.) - पैकेज-vii का जैतपुर-गोंडल और राजकोट बाइपास (बी ओ टी खंड)	36.00	4	ठेकेदार ने 265 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के मुकाबले में 240 करोड़ रु. का ऋणात्मक अनुदान उद्धृत है। करार पर 22.3.2005 को हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय समापन अभी किया जाना है।			दिस. 07

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मध्य प्रदेश में रा.रा. 3 पर गुना बाइपास (एन एच डी पी चरण-IIIए)	14	6			अक्तू. 05	अप्रैल, 07
14.	तमिलनाडु में रा.रा. 4 और रा.रा. 5 को जोड़ते हुए चेन्नै बाइपास चरण-II का निर्माण और रा.रा. 45 और रा.रा. 4 को जोड़ते हुए चेन्नै बाइपास चरण-I का चौड़ीकरण	32	11	405	449	फर. 05	अग. 07
15.	महाराष्ट्र में राज्यीय राजमार्ग 54 पर जवाहर लाल नेहरू पत्तन संपर्क चरण-II	14.35	8	127.21	14300	जुला. 04	मई. 07
16.	उत्तर प्रदेश में रा.रा. 24 (58.00-93.00 कि.मी.) पर हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर का उन्नयन	35	13	195.51	220.20	जुला. 04	सित. 07
17.	उत्तर प्रदेश में रा.रा. 24 (93.00-149.25 कि.मी.) पर गढ़मुक्तेश्वर से मुरादाबाद का उन्नयन	56.25	14	221.42	275.00	नव. 04	सित. 07
18.	असम में रा.रा. 54 पर 306.54-275.00 कि.मी. तक सिलचर-उदारगंड	31.54	12	115.86	130.00	सित. 04	सित. 07

[हिन्दी]

राजस्थान में बीएसएनएल कैश कार्ड की कमी

4101. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में बीएसएनएल के कैश कार्ड की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य में विशेषकर जोधपुर जिले में भारत संचार निगम लि. के कैश कार्डों की कालाबाजारी की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) क्षमता संबंधी दबावों के कारण प्री-पेड कनेक्शन जारी करने के कार्य पर अस्थायी तौर से नियंत्रण रखा गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा राज्य में 8,50,000 लाइनों की क्षमता द्वारा नेटवर्क का विस्तार करने की कार्रवाई पहले से ही की जा रही है। क्षमता उपलब्ध हो जाने पर, जून 2005 से नए प्री-पेड कनेक्शन जारी किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) जोधपुर/जयपुर में मीडिया के माध्यम से और जनता की शिकायतों के जरिए प्री-पेड कार्डों की कालाबाजारी के कुछ मामलों की सूचना मिली थी। इस पर रोक लगाने के लिए निम्नानुसार उपचारात्मक कार्रवाई की गई है:

(i) नए कैश कार्ड लेने के लिए 2000 रु./ 1000 रु. के रीचार्ज कूपन खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।

(ii) प्री-पेड कैश कार्डों के सहज विक्रय हेतु राजस्थान सर्किल के सतर्कता सेल ने वितरक/फ्रेंचाइज नेटवर्क और उपभोक्ता सेवा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया।

(iii) नए कनेक्शन के पंजीकरण से पूर्व उपभोक्ता के दस्तावेजों का पूर्णतया सत्यापन किया जा रहा है।

कोयला लिंकेज हेतु आवेदन

4102. श्रीमती करूणा शुक्ला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में प्रमुख क्षेत्रों तथा लौह/इस्पात, सीमेंट, रक्षित विद्युत संयंत्र में निजी कंपनियों को कोयला लिंकेज प्रदान करने हेतु कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) क्या मंत्रालय 28 जून, 2004 से पहले प्राप्त आवेदनों पर ही विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अपने निर्णय की समीक्षा की है और उसका प्रस्ताव इन प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों को कोयला लिंकेज प्रदान करने का है जिन्होंने नीलामी के द्वारा 28 जून, 2004 के बाद आवेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर केन्द्र सरकार का अंतिम निर्णय क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मत्रांलय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) छत्तीसगढ़ में प्रमुख क्षेत्रों में निजी कंपनियों को कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए जांच के अधीन आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:–

(1)	गृहीत विद्युत संयंत्र (सी.पी.पी.)	–	25 नग
(2)	स्पांज आयरन	–	44 नग
(3)	लौह तथा इस्पात	–	शून्य
(4)	सीमेंट	–	शून्य

(ख) जी. नहीं।

(ग) से (च) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक प्रणाली में सुधार लाना

4103. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाह :
श्री मुंशी राम :
श्री मो. ताहिर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डाक प्रणाली में सुधार लाने पर विचार कर रही है जैसा कि 23 मार्च, 2005 के हिन्दी दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में अनेक डाकघर अस्थायी डाक सेवकों से ही कार्य कर रहे हैं और किराये के भवनों/निजी घरों से परिचालित हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विशेषकर उत्तर प्रदेश में 2004-05 में कितने जिलों में डाकघर खोले गए;

(च) राज्य-वार कितने जिलों में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है; और

(छ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के विस्तार हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) दिनांक 23.3.05 के राष्ट्रीय सहारा के समाचार में नए शहरी केन्द्रों, नई शिक्षण संस्थाओं आदि के विकसित होने के कारण बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए मोदी नगर के उपनगरों में बेहतर डाक सुविधाओं की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित

किया गया है। डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदण्डों के पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) अतिरिक्त विभागीय डाकघर (ईडीबीओ) शाखा पोस्टमास्टर द्वारा दिए गए भवनों से कार्य करते हैं। यह उसकी सेवा और नियुक्ति की शर्तों में से एक है और इसके लिए उसे भत्ते की अदायगी की जाती है।

(ङ) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(च) अब तक 2372 बड़े डाकघरों में कम्प्यूटरों की व्यवस्था की गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) डाकघरों की उन स्थानों पर व्यवस्था की जाती रहेगी जो तीनों मानदण्डों को पूरा करते हों, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। विभाग 10वीं योजना के अन्तर्गत नीति संबंधी सूत्रपातों के सामंजस्य से डाक सेवाओं तक पहुंच बनाए रखने के लिए अधिक किफायती विकल्पों की खोज करने में भी लगा है।

विवरण

ऐसे डाकघरों की राज्यवार संख्या जहां 2004-05 तक कम्प्यूटरों की व्यवस्थाकी जा चुकी है

क्र.सं.	सर्किल	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	170
2.	असम	110
3.	बिहार	57
4.	छत्तीसगढ़	44
5.	दिल्ली	150
6.	गुजरात	131
7.	हरियाणा	48
8.	हिमाचल प्रदेश	40
9.	जम्मू व कश्मीर	68
10.	झारखंड	33
11.	केरल	173
12.	कर्नाटक	137
13.	मध्य प्रदेश	61
14.	महाराष्ट्र *	252
15.	उत्तर पूर्व **	65
16.	उड़ीसा	60
17.	पंजाब	54
18.	राजस्थान	163
19.	तमिलनाडु	225
20.	उत्तर प्रदेश	114
21.	उत्तरांचल	31
22.	पश्चिम बंगाल	186
	कुल	2372

* गोवा सहित

**अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर सहित

कनिष्ठ विमान दुर्घटना संबंधी निर्णय

4104. श्री बालेश्वर यादव :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय की जांच पड़ताल की है जिसमें कनिष्क विमान दुर्घटना के सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने कनाडा सरकार से उपर्युक्त निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उपर्युक्त दुर्घटना में कितने भारतीय मारे गये थे; और

(ङ) मृतकों के निकट संबंधियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) सरकार ने एयर इंडिया कनिष्क बम कांड मामले में ब्रिटिश कोलम्बिया न्यायालय द्वारा दिए गए 16 मार्च, 2005 के फैसले को देखा है।

(ख) और (ग) एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता ने 17 मार्च, 2005 को कहा कि "कनिष्क बम कांड नागरिक उड्डयन इतिहास में दसवसे जघन्य आतंकवादी कृत्य है"। सरकार उन लोगों जिन्होंने इस हादसे में अपने सगे संबंधियों और मित्रों को खोया है, की नफरत को समझती है, क्योंकि लगभग 20 वर्षों के बाद भी दोषियां को सजा नहीं मिली है। आज, आतंकवाद को एक ऐसा कृत्य माना गया है जिसको किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके किसी भी स्वरूप को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है और अधिकतर देशों और व्यक्तियों ने स्पष्ट रूप से इसको अस्वीकार किया है।" सरकार, इस हादसे के प्रभावित लोगों की उम्मीद, कि एक दिन तो न्याय मिलेगा, में साथ है। आतंकवाद से लड़ने के लिए गठित भारत - कनाडा संयुक्त कार्य दल की 11-12 अप्रैल, 2005 को हुई 7वीं बैठक के दौरान भारत ने एयर इंडिया कनिष्क बमकांड हादसे के मृतकों के संबंधियों के बीच फैली निराशा और बढ़ती नफरत की भावना को पुन: उठाया।

कनाडा की सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री सुश्री एने मैकलेलन ने घोषणा की कि मामले की व्यापक जांच के लिए वे एक स्वतंत्र सलाहकार नियुक्त करेंगी। ब्रिटिश कोलम्बिया अपील न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों की विमुक्ति के विरुद्ध अपील करने की सरकारी वकीलों की समय सीमा को 30 दिनों तक बढ़ा दिया है। कनाडा के लोक सदन में 12 अप्रैल 2005 को 124 के मुकाबले 172 मतों से एयर इंडिया बमकांड की सार्वजनिक जांच कराने के लिए एक संकल्प पारित किया है।

(घ) एयर इंडिया हादसे में मृतकों की कुल संख्या में 159 कनाडा के नागरिक थे, जिनमें अधिकतर भारतीय मूल के थे, 22 विमान के सदस्यों सहित 148 भारतीय, 20 अमरीकी और 2 ब्रिटेन के राष्ट्रिक थे।

(ङ) दिए गए मुआवजे में बेरोजगार व्ययस्कों को लगभग 75,000 डालर और बच्चों को 25,000 डालर शामिल हैं। मृतकों के परिवार के सदस्यों ने मुआवजा लेते समय बाजदावा करारों पर हस्ताक्षर किए है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

4105. श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री के.सी. पलनिसामी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शनों और प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रतीक्षा सूची कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शनों और प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) प्रतीक्षा सूची को 31.03.2006 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलेवार ब्यौरा

जिले का नाम	प्रदान किए गए एक्सचेंजों की संख्या		
	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
चेन्नई	27	19	05
कोयम्बटूर	05	01	04
कुड्डालोर	05	05	02
धर्मपुरी	06	शून्य	शून्य
डिंडीगुल	02	01	02
एरोड	04	शून्य	शून्य
कांचीपुरम	05	02	01
कन्याकुमारी	02	02	01
करूर	शून्य	शून्य	शून्य
कृष्णागिरी	शून्य	03	शून्य
मदुरे	02	01	03
नागापट्टिनम	07	शून्य	शून्य
नामाक्कल	शून्य	शून्य	शून्य
पेरम्बलूर	09	शून्य	शून्य
पुड्डुकोटाई	27	शून्य	शून्य
रामनाथपुरम	03	शून्य	शून्य
सेलम	04	शून्य	शून्य
शिवगंगा	06	शून्य	शून्य
तंजावुर	05	01	शून्य
नीलगिरि	03	03	शून्य
थेनी	शून्य	शून्य	शून्य
तिरूवरूर	01	शून्य	शून्य
तिरूनेलवेली	02	01	शून्य
तिरूवन्नमलाई	02	शून्य	शून्य
तिरूवेल्लोर	शून्य	02	शून्य
त्रिची	03	शून्य	शून्य
टूटीकोरिन	01	शून्य	शून्य
वेल्लोर	01	शून्य	शून्य
विल्लुपुरम	15	08	शून्य
विरूद्धनगर	06	01	शून्य
पांडिचेरी	शून्य	शून्य	01

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शन और प्रतीक्षा सूची

वर्ष	प्रदान किए गए कनेक्शनों की निवल सं.	प्रतीक्षा सूची
2002-03	413370	161317
2003-04	122521	176911
2004-05	465363	297378

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन

4106. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार :**
श्री हरिन पाठक :

श्री मो. ताहिर :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सभी सड़क सुरक्षा प्रयासों का समन्वय, निगरानी और मार्ग निर्देशन करने हेतु एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सब-वे अथवा ऊपरि पुलों की संख्या बढ़ाने हेतु किसी योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने श्री प्रकाश नारायण, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में सड़क दुर्घटना, चोट निवारण तथा नियंत्रण संबंधी कार्यदल गठित किया था। उक्त कार्यदल जिसने जुलाई, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, की सिफारिशों में से एक सिफारिश राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने से संबंधित थी।

(ग) योजना आयोग के साथ परामर्श करके इस मामले की विस्तार से जांच की गई और यह महसूस किया गया कि यदि एक पृथक एजेंसी बनाई जाती है तो उसे अनिवार्य रूप से सभी मामलों में इस मंत्रालय के साथ परामर्श करना होगा, इसलिए परस्पर विचार विनिमय की दृष्टि से तथा समग्रता एवं समन्वित दृष्टिकोण का लाभ उठाने की दृष्टि से ऐसा संगठन मंत्रालय में ही होना चाहिए।

तदनुसार, कार्य योजना तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालय तथा कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक अंतर मंत्रालय दल गठित किया गया। उक्त दल की रिपोर्ट, जिसे दिसंबर, 2002 में अंतिम रूप दे दिया गया था, को तदुपरांत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद ने दिनांक 15.1.2004 को आयोजित 7वीं बैठक में अनुमोदन दे दिया गया था।

किसी पृथक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है बल्कि सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों को देखने वाली विद्यमान मशीनरी तथा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए निर्णय लिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूमिगत मार्गों अथवा ऊपरि पुलों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को कार्यस्थल की आवश्यकता, यातायात, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर लिया जाता है।

वित्तीय सहायता के अनुपात में परिवर्तन

4107. श्री एम. शिवन्ना :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों, विशेषकर कर्नाटक ने योजना आयोग से सर्व शिक्षा अभियान लागू करते हुए कोई और राज्यों के बीच वर्तमान 50:50 के अनुपात के स्थान पर 85 : 15 के पुराने अनुपात को अपनाने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग की वार्षिक योजना (2005-06) की बैठक के दौरान, कर्नाटक सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान (एस एस ए) की निधीकरण प्रणाली में 75 : 25 के वर्तमान अनुपात के स्थान पर 85 : 15 के अनुपात को पुन: चालू करने का आग्रह किया है। एसएसए के अंतर्गत निधिकरण प्रणाली का अनुपात केन्द्र व राज्यों के बीच दसवीं योजना के दौरान 75 : 25 है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 50 : 50 है। कर्नाटक राज्य सरकार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

उपग्रहों का निर्माण व प्रक्षेपण

4108. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को विदेशी एजेंसियों से उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को विदेशी एजेंसियों से उपग्रहों के निर्माण के लिए और कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। विदेशी एजेंसियों से उपग्रहों के प्रमोचन के लिए निम्न तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:

(i) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट पर एक्स-सैट नामक प्रौद्योगिकीय उपग्रह के पिग्गी बैक रूप में प्रमोचन के लिए ननयांग टैक्नोलॉजिकल यूनीवर्सिटी, सिंगापुर से प्रस्ताव।

(ii) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट पर 350 किलो ग्राम भार के "एजाइल" नामक वैज्ञानिक उपग्रह के प्रमोचन के लिए कॉस्मॉस इन्टरनेशनल सैटेलाईटनस्टार्ट गेम्ब एच, जर्मनी से प्रस्ताव।

(iii) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट पर लापान-टबसैट नामक अपने लघु उपग्रह के प्रमोचन के लिए इन्डोनेशिया के एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिकी टेक्नोलॉजी सेन्टर (लापान) से प्रस्ताव।

(ग) सरकार ने एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन, जोकि अन्तरिक्ष विभाग का वाणिज्यिक अंग है, के माध्यम से उपर्युक्त प्रमोचनों के आयोजन के लिए ठेके निष्पादित किये हैं।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के मामले में कोई ढील न देने संबंधी नीति

4109. **श्री आलोक कुमार मेहता** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने हेतु विभिन्न सरकारी विभागों/अन्य एजेंसियों में भ्रष्टाचार के मामले में कोई ढील न देने (जीरो टौलरेन्स) संबंधी कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य हेतु विभिन्न सरकार कार्यालयों में स्थापित की गई सतर्कता एजेंसियों का पुनर्गठन करने सहित सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) सरकार, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न करने संबंधी अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतया सजग है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाए किए हैं। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की भ्रष्टाचार-निरोधी और सतर्कता संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार की है। वार्षिक कार्य योजना की तीन मुख्य विशेषताएं हैं - निवारक सतर्कता, निगरानी और सुरागरसानी तथा दण्डात्मक प्रतिवारक कार्रवाई। जहां तक दीर्घकालिक रणनीति का संबंध है, सरकार विभिन्न प्रशासनिक और विधायी उपायों से व्यवस्था से अधिकाधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्रयत्नशील है।

पकाने वाले (राइपनिंग) एंजाइम की खोज

4110. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल सेन्टर फॉर प्लांट जिनोम रिसर्च ने एक ऐसे जीन की खोज की है जो पकाने वाले एंजाइम को पैदा करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जीन टमाटरों को उस ऑक्सेलिक एसिड से मुक्त कर सकता है जिसके कारण गुर्दे में पथरी बनती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मानव स्वास्थ्य से संबंधित अन्य किन सब्जियों पर अनुसंधान किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.पी.जी.आर), नई दिल्ली ने एक ऐसे जीन की खोज की है जो फल पकाने वाले एंजाइम - मोनोसाइडेस को पैदा करता है।

(ख) और (ग) यह आशा की जा रही है कि इस जीन का प्रयोग टमाटर के शेल्फ जीवन में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा न कि इसे अक्सेलिक एसिड से मुक्त करने के लिए। तथापि, एनसीपीजीआर ने ऑक्सलेट डीकारबोक्सिलेस (ओ.एक्स.डी.सी) के लिए अन्य जीन का विलगन किया है जिससे टमाटर में ऑक्सलेट की मात्रा कम हो जाने से गुर्दे में पथरी के मामले में कभी होने की आशा की जा रही है।

(घ) पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक और अन्य फसलें अर्थात मूंगफली, सोयाबीन में ऑक्सलेट की मात्रा को कम करने के लिए इनमें ओ.एक्स.डी.सी. जीन को अन्तरित करने के लिए अनुसंधान प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एसेन्शाल एमिनो एसिड सहित उच्च प्रोटीनयुक्त आलू का विकास किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बीमारियों का मुकाबला

4111. **श्री एम. अंजनकुमार यादव :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई बीमारियों जैसे एड्स और पुरानी बीमारियों जैसे मलेरिया, हैजा, डेंगू, तपेदिक और प्लेग के पुनः प्रकोप से उत्पन्न खतरों के प्रति सचेत है;

(ख) यदि हां, तो इन बीमारियों को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इनमें से प्रत्येक रोग के संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम और इन रोगों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:—

एड्स

भारत में एच आई वी/एड्स के फैलाव के निवारण और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है, जो इस समय संपूर्ण भारत में निम्नलिखित घटकों के साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयनाधीन है:—

- उच्च जोखिम वाली जनसंख्या के लिए हम उम्र परामर्श, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और व्यवहार में बदलाव लाने वाले संप्रेषण सहित एक बहुमुखी कार्य योजना को अपनाते हुए लक्षित कार्यकलापों के जरिए निवारक कार्यकलाप।

- सामान्य जनसंख्या के लिए रक्त निरापदता, स्वैच्छिक परामर्श और जांच सेवाओं, माता-पिता से बच्चों में होने वाले संचरण की रोकथाम सेवाओं, सूचना शिक्षा और संप्रेक्षण हेतु कार्यक्रमों के जरिए निवारक कार्यकलाप और किशोर किशोरियों के बीच जागरूकता पैदा करना और एड्स वैक्सीन संबंधी पहल के बारे में जानकारी देना।

- सामुदायिक परिचर्या सेवाओं, अवसरवादी संक्रमणों का उपचार और व्यवसायिक अरक्षितता के निवारण की व्यवस्था द्वारा कम लागत की परिचर्या और सहायक सेवाओं का प्रावधान।

- कार्यस्थल कार्यकलापों और सरकारी-निजी सहभागिता सहित अंत:क्षेत्र कार्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सहयोगात्मक प्रयत्न।

- निगरानी, प्रशिक्षण, मानीटरिंग और मूल्यांकन, तकनीकी संसाधन समूहों, प्रचालनात्मक अनुसंधान और कार्यक्रम प्रबंधन के जरिए कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का सृजन करना।

मलेरिया, डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोग

मलेरिया, डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सारे देश में एक केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन रोगों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं:—

- शुरू में ही निदान, समुचित उपचार एवं उपयुक्त रोग प्रबंधन।

– एकीकृत वेक्टर नियंत्रण जिसमें चुनिंदा अंतरंग अवशेष कीटाणुनाशक छिड़काव एवं लार्वाभक्षक मछलियों का प्रयोग शुरू करना शामिल है।

– महामारी का सामना करने की तैयारी एवं शीघ्र कार्रवाई।

– मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण।

– मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यों में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करके क्षमता निर्माण।

– सक्रिय रूप से रोगी का पता लगाने एवं इसकी सूचना प्रदान करने के लिए समुचित सूचना प्रणाली विकसित करना।

हैजा

– संक्रामक रोग अस्पताल, दिल्ली के सहयोग से वर्षभर हैजा के लिए प्रयोगशाला आधारित निगरानी की जाती है।

– सक्रिय रूप से रोगी का पता लगाकर एवं उनका उपचार करके हैजे की नियमित मानीटरिंग की जाती है।

– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सक्रिय भागीदारी से जल गुणवत्ता मानीटरिंग सहित आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण उपाय।

क्षय रोग

– संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1997 से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य नए पाजीटिव स्पूटम वाले रोगियों में से 85 प्रतिशत रोगियों को रोगमुक्त करना और ऐसे कम से कम 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाना है।

– संक्रामक रोगियों का पता लगाने एवं उनको रोगमुक्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए स्पूटम, माइक्रोस्कॉपी द्वारा निदान हेतु सुविधाएं सुदृढ़ की गई हैं।

– क्षय रोग-रोधी औषधें निगरानी के तहत नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं तथा रोगियों की मानीटरिंग की जाती है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर लें।

– कार्यक्रम को और अधिक पहुंच वाला और सरकारी प्रयासों को पूरा करने वाला बनाने हेतु मेडिकल कालेजों, सभी सामान्य (जनरल) अस्पतालों, प्राइवेट चिकित्सकों तथा गैर-सरकारी संगठनों को कार्यक्रम में शामिल करने पर जोर देना।

– इस समय 564 जिलों में एक बिलियन से अधिक लोगों को कवर किया गया है जहां रोगमुक्ति दर 85 प्रतिशत से अधिक है। वर्तमान वर्ष 2005 में सारे देश को इस कार्यनीति के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

प्लेग

– प्लेग सहित संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत 101 जिलों को शामिल किया गया है।

– सुरक्षित संवर्धन, पृथक्कीकरण, फ्लोरसेंट आदि की सुविधा वाली केन्द्रीय प्लेग प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

– प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास हेतु विभिन्न चिकित्सा एवं परा-चिकित्सा कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए जाते हैं।

– मौजूदा स्थिति नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करने हेतु अन्तरराज्जीय प्लेग समन्वय समिति की बैठकें की जा रही हैं और समरूप निगरानी प्रणाली की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठकें की जा रही हैं।

– प्लेग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तकनीकी दस्तावेज (सीडी-अलर्ट) तैयार किया गया है और इसे सभी राज्यों को भेजा गया है।

केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सड़कों का विकास

4112. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में 2382.48 किलोमीटर सड़कों के विकास और मरम्मत का कार्य केंद्रीय एजेंसियों को आबंटित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन सड़कों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है जहां सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा किया जा रहा है;

(ग) तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार में भागलपुर हंसडिहा सड़क का निर्माण कौन सी एजेंसी कर रही है और उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बिहार में सड़कों की कुल 2382.48 कि.मी. को राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा बिहार सरकार के परामर्श से योजना आयोग ने केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी का अभिनिर्धारण किया था। राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत सड़कों तथा स्कीमों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) भागलपुर-हंसडीहा सड़क केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। इस समय यह बता पाना संभव नहीं है कि कार्य कब पूरा होगा क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है।

विवरण

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत सड़कों और स्कीमों के ब्यौरे

कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	माडयूल सं.	शामिल जिले	राज्यीय राजमार्ग की लंबाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु.)
इरकॉन इंटरनेशनल लि.	I	वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी	337.85	126.84
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार	II	सारन, सीवम, गोपालगंज, पूर्वी चंपारन, पश्चिमी चंपारन, सीतामढ़ी और शिवहर	380.04	129.06
	II	पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर	606.85	214.44
	IV	कोशी, सुपोल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार	321.45	84.43
	V	जमूई, लखीसराय, मुंगेर शेखपुरा, खगरिया, बेगूसराय, बंका और भागलपुर	527.74	203.19
	VI	गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और अरवल	208.55	88.32
		जोड़	2382.48	846.28

विज्ञान और अनुसंधान संस्थान

4113. **श्री अविनाश राय खन्ना** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की इन संस्थानों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ङ) इन संस्थानों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(च) क्या कुछ संस्थानों ने इस धन का उपयोग नहीं किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय समविकास योजना

4114. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समविकास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले को कोई धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उक्त योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर विशेषकर उन्नाव जिले में जन-प्रतिनिधियों से कथित अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सम विकास योजना के पिछड़े जिले पहल के अंतर्गत कवर किए गए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की जिला योजना का जनवरी, 2003 में अनुमोदन किया गया था तथा स्कीम के अनुमोदन के बाद इस जिले के लिए सितम्बर, 2003 में 7.50 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई थी। व्यय की प्रगति को देखते हुए 7.50 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश हाल ही में की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) माननीय सांसद जी ब्रजेश पाठक ने अक्तूबर, 2004 में यह शिकायत की थी कि उन्नाव जिले में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत कार्यों को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों अथवा सत्ताधारी पार्टी के विधान सभा सदस्यों को आवंटित किया गया है। वे चाहते थे कि इन कार्यों का निष्पादन सरकारी एजेंसियों से कराया जाए। तत्पश्चात् इस मामले को उन्होंने नियम 377 के अंतर्गत दिसम्बर, 2004 में लोक सभा में उठाया तथा नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव के माध्यम से भी इस बात पर बल दिया गया कि उन्नाव जिले में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यों का निष्पादन सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कराया जाए।

(ङ) शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार से इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया गया। उन्नाव जिले की संशोधित जिला योजना का योजना आयोग द्वारा अनुमोदन करते समय राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि जिला योजना के अंतर्गत सभी सिविल/निर्माण कार्यों का निष्पादन केवल विभाग द्वारा ही कराया जाए तथा किसी गैर-सरकारी संगठन को ऐसा कोई कार्य न सौंपा जाए। राज्य सरकार ने सूचित किया था कि राजकीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार साक्षात्कार के माध्यम से अधिकारियों की समिति द्वारा सात गैर-सरकारी संगठनों का उनके अनुभव के आधार पर चयन किया गया था तथा कोई गैर-सरकारी संगठन किसी उच्च अधिकारी अथवा सत्ताधारी पार्टी के एम.एल.ए. से संबंधित नहीं था। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया था कि गैर-सरकारी संगठनों में से दो को प्रारंभ में निर्माण कार्य आवंटित किए गए थे। तथापि, राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद कि सिविल/निर्माण कार्य किसी गैर-सरकारी संगठन को न दिया जाए, उन कार्यों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण

4115. **श्री जुएल ओराम :**
श्री तथागत सत्पथी :
श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिनांक 04.04.05 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सीधे मार्ग से जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने और नए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण गठित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य व अन्य ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने सीधे मार्ग से जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए औद्योगिक नीति एवं प्रवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.), उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई) पर नीति बनाने के लिए नोडल विभाग है, के समक्ष सिफारिश की है। ''राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति'' के प्रारूप दस्तावेज में, विभाग ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य; समुद्री जैवप्रौद्योगिकी; पशु जैवप्रौद्योगिकी; पौषणिक जिनोमिक्स और खाद्य जैवप्रौद्योगिकी; हर्बल औषध; आण्विक औषध, जैव-सामग्रियों एवं साधनों और जैव सूचना प्रणाली के स्नानान्तरीय अनुसंधान के क्षेत्रों में नए राष्ट्रीय संस्थानों और उत्कृष्टता केन्द्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(ग) और (घ) ''राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति'' के प्रारूप दस्तावेज में विभाग ने कहा है कि सभी बायोटेक उत्पादों के लिए एक प्रभावकारी अनुमति प्रक्रिया प्रदान करने के लिए सक्षम एकल ''राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण'' की स्थापना की जाए।

[हिन्दी]

भारतीय मिशनों के विरुद्ध शिकायतें

4116. **श्री बापू हरी चौरे :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मूल के लोगों द्वारा भारतीय मिशनों के विरुद्ध मिशन-वार कितनी और किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ऐसी शिकायतों के निपटारे हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भारतीय मिशनों में, उन देशों के दौरे पर गए/कार्य कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु देश-वार कौनसा तंत्र उपलब्ध है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय मूल के लोगों से विदेश स्थित हमारे मिशनों/पोस्टों को लगभग 150 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश शिकायतें कौंसल सेवाओं, विशेषकर खोए हुए पासपोर्ट के बदले में पासपोर्ट की दूरी प्रति जारी करने में हुई देरी से संबंधित हैं।

(ख) शिकायतों के प्राप्त होने पर मिशन मामले को संबद्ध प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है और मामले के निपटान तक इसपर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

(ग) विदेश में कार्यरत/जाने वाले भारतीय मूल के लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय मिशनों/पोस्टों में शिकायतों के निपटान के लिए उपलब्ध तंत्र में शिकायत/सुझाव पेटी और/या रजिस्टर का उपलब्ध होना, ''ओपन हाउस'' बैठकों का आयोजन करना, मिशन/पोस्ट प्रमुख सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कौंसल विंग की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा करना, भारतीय संघों के माध्यम से भारतीय समुदाय के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रखना, आम नागरिक की सुविधा के लिए मिशन के वेबसाईट के माध्यम से तथा आसान जगहों पर कौंसल मामलों की जानकारी प्रदर्शित करना, खाड़ी के हमारे कुछेक मिशनों में 24-घंटे हेल्पलाइन को उपलब्ध कराना, दूरवर्ती क्षेत्रों में कौंसल दलों को भेजना समुदाय कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन करना, आदि शामिल हैं। देशवार ब्यौरे को संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

विवरण

''भारतीय मिशनों के विरुद्ध शिकायतें'' के संबंध में 20.04.05 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अनंतिम अतारांकित प्रश्न सं. 4116 के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं पोस्टों से प्राप्त उत्तर

क्र.सं.	मिशन/पोस्ट	(क)	(ख)	(ग)
1	2	3	4	5
1.	अंकारा	शून्य	लागू नहीं	भारतीय मूल के लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक शिकायत पुस्तिका रखी गयी है जिसकी मिशन प्रमुख सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है।
2.	आबू धाबी	शून्य	लागू नहीं	दूतावास के कौंसल विंग की निरन्तर समीक्षा की जाती है। प्रत्येक माह एक ''ओपन हाऊस'' बैठक का आयोजन किया जाता है। रचनात्मक सुझावों/प्रस्तावों को बोर्ड पर रखा जाता है। भारतीय मूल के लोगों और अप्रवासी भारतीयों ने दूतावास के कार्यों की प्रशंसा की है।
3.	अकरा	शून्य	लागू नहीं	यदि भविष्य में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसे उच्च स्तर पर निपटाया जाएगा। चांसरी के स्वागत क्षेत्र में एक शिकायत पेटी लगाई गई है। जहां भारतीय मूले के लोग तथा अप्रवासी भारतीय अपनी शिकायतें डाल सकते हैं।
4.	अदीस अबाबा	शून्य	लागू नहीं	शिकायतें पर राजदूत सहित उपयुक्त स्तरों पर जांच पड़ताल की जाती है।
5.	अलमाटी	2; दोनों शिकायतें सामान्य कौसंल मामलों से संबंधित हैं।	जबकि एक शिकायतकर्ता ने स्पष्ट नहीं किया है कि उसे क्या सहायता चाहिए, दूसरे शिकायतकर्ता को अपेक्षित सहायता दी गयी थी।	भारतीयों को समस्त कौंसल सहायता दी जाती है। दूतावास में एक शिकायत/सुझाव में एक शिकायत/सुझाव पेंटी लगाई गई है। मिशन के वेब साईट पर भी शिकायत भेजी जा सकती है।
6.	अंतनानरीवू	शून्य	लागू नहीं	कौंसलर कार्यालय के सम्पर्क टेलिफोन नम्बरों को उन आम नागरिक के प्रयोग के लिए प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया गया है जिन्हें किसी तरह से इसकी आवश्यकता हो।

1	2	3	4	5
7.	बगदाद	शून्य	शून्य	शून्य
8.	बैंकाक	शून्य	शून्य	शून्य
9.	बीजिंग	समय-समय पर सामान्य प्रकृति की कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं।		सभी शिकायतों की मिशन द्वारा जांच की जाती है तथा शिकायतकर्ता के संतोष के अनुरूप इसे निपटाया जाता है।
10.	बेरूत	शून्य/हालांकि, मजदूरी आदि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में भारतीयों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।	शिकायतों के निपटान के लिए स्थानीय विदेशी कार्यालय के समक्ष मामले को उठाया गया है।	भारतीय समुदाय के साथ उनके संघों के माध्यम से नियमित सम्पर्क बनाए रखा जाता है। अपेक्षानुसार आवश्यक सहायता दी जाती है।
11.	बेलग्रेड	शून्य	शून्य	शून्य
12.	बर्लिन	छूट-पुट शिकायतों के मामले आए है; अधिकांश पासपोर्टों को जारी करने को जारी करने में देरी से संबंधित थे।	मिशन द्वारा दी गई सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है।	सभी शिकायतों पर तुरन्त विचार किया गया और सुधरात्मक कार्रवाई की गई।
13.	बर्न	शून्य	शून्य	शून्य
14.	बीरगंज	शून्य	शून्य	शून्य
15.	बीसकेक	शून्य	लागू नहीं	मामला-दर-मामला आधार पर अपेक्षित सहायता की जाती है।
16.	बोगोटा	शून्य	लागू नहीं	भारतीय मूल के लोगों को समस्त संभव सहायता दी जाती है। मिशन प्रमुख तथा कौंसलर सेक्शन के प्रमुख के नाम एवं टेलीफोन नम्बर मिशन के वेबसाईट पर दर्ज किए गए हैं और आगन्तुत कक्ष में भी प्रदर्शित किए गए हैं।
17.	ब्रासीलिया	शून्य	लागू नहीं	यदि कोई शिकायत है, तो मिशन प्रमुख निदेशन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वार और निपटाया जाता है।
18.	ब्रुनेई	शून्य	लागू नहीं उठता	मिशन प्रमुख निरन्तर स्थानीय भारतीय समुदाय के साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं। सभी अधिकारी आसानी से उपलब्ध होते हैं। स्वागत कक्ष में एक शिकायत पेटी लगाई गई है।

1	2	3	4	5
19.	ब्रूसेल्स	शून्य	लागू नहीं	भारतीय मूल के लोगों की सभी शिकायतें मिशन प्रमुख स्तर सहित वरिष्ठ स्तर पर निपटायी जाती हैं।
20.	बुखारेस्ट	शून्य	लागू नहीं	सभी शिकायतों को प्रथम सचिव/कौंसल प्रमुख द्वारा निपटाया जाता है। राजदूत को इसकी सूचना दी जाती है। और आवश्यकतानुसार निर्देश प्राप्त किया जाता है।
21.	बुडापेस्ट	शून्य	लागू नहीं	शिकायतकर्त्ता संबंद्ध अधिकारी से मिल सकता है। मिशन प्रमुख के साथ नियोजित भेंट तुरन्त कराई जाती है।
22.	बूनस आयर्स	शून्य	लागू नहीं	शिकायतों को देखने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है।
23.	कायरो	शून्य	शून्य	शून्य
24.	केनबरा	पासपोर्टों और वीजाओं में देरी की कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं।	शिकायतों को निपटाया गया था।	सभी शिकायतों को मिशन प्रमुख के समग्र निर्देशन में प्रथम सचिव द्वारा निपटाया जाता है।
25.	कराकस	शून्य	शून्य	शून्य
26.	शिकागो	एक को छोड़कर कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली जिसमें भारतीय मूल के एक अमरीकी नागरिक ने कौंसलर हॉल में चुनिन्दा प्रवेश की प्रवृत्ति पर आपत्ति जताई।	मामले को शिकायतकर्त्ता के संतोष स्तर तक निपटाया गया था। फोटोकापी आदि करने जैसी मौलिक एवं सामान्य सुविधाएं कौंसलर हाल में उपलब्ध कराई गई हैं।	एक शिकायत पेटी लगाई गई है जिसे निरन्तर खोला जाता है। सभी शिकायतों को तत्काल निपटाया जाता है। ऐसी शिकायतों के निपटान तथा प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए कौंसल (समुदाय मामले) के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है।
27.	कोलम्बो	शून्य	लागू नहीं	मिशन के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय मूल के नागरिकों के साथ सम्पर्क में हैं और यदि उनकी कोई शिकायत है तो उसे निपटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।
28.	कोपेनहेगन	शून्य (भारतीय समुदाय बहुत कम है; उनमें से अधिकांश ने डेनिश नागरिकता प्राप्त कर ली है)	लागू नहीं	भारतीय मूल के लोगों को संपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है। मामले को सीधे मिशन प्रमुख की जानकारी में लाया जाता है।

1	2	3	4	5
29.	डकार	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	अप्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के लोग राजदूत सहित मिशन के संबंद्ध अधिकारियों तक सीधे पहुंच सकते हैं।
30.	दार-ए-सलम	शून्य	शून्य	शून्य
31.	क्षका	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायतें देखने के लिए नामित किया गया है; मिशन में एक शिकायत पेटी उपलब्ध है; मिशन के तत्वाधान में एक भारतीय संघ की स्थापना की गई है।
32.	गेहा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
33.	दुबई	8; शिकायतें ऐसी थीं जिन्हें सेवाएं प्रदान करने में अधिकांश लम्बा समय लगा।	मिशन वर्तमान कर्मचारी क्षमता के अन्दर सेवाएं प्रदान करने में लगने वाले लंब समय को कम करने में सक्षम रहा है।	कौंसलर दल अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों को कौंसलर सेवाएं प्रदान करने के लिए छुट्टियों में समस्त इमिरातों का दौरा करता है, कौंसलेट में 24 घंटे हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। भारतीय समुदाय कल्याण समिति की बैठकें प्रतिमाह होती है। प्रत्येक माह एक "ओपन हाऊस" होता है; एक सुझाव पेटी लगाई गई है। शिकायतों/ सुझावों की निगरानी स्वयं पोस्ट प्रमुख द्वारा की जाती है।
34.	डबलिन	शून्य	शून्य	कौंसलर सेक्शन में एक शिकायत पेटी लगाई गई है जिसकी दैनिक जांच की जाती है और सुझावों/शिकायतों पर विचार किया जाता है।
35.	डरबन	शून्य	लागू नहीं	यदि कोई शिकायत है तो उसे निपटाने के लिए कौंसल जनरल तथा कौंसलर ऑफीसर सदैव उपलब्ध होते हैं।
36.	दुशाम्बे	शून्य	लागू नहीं	भारतीय अपनी शिकायतें मिशन प्रमुख/कौंसलर ऑफीसर को भेज सकते हैं, जो मामले को निपटाने के लिए इसे ताजिक प्राधिकारियों के समक्ष उठाएंगे।

1	2	3	4	5
37.	एडिनबर्ग	शून्य	लागू नहीं	सभी शिकायतों पर मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है।
38.	फ्रैंकफुर्त	कौंसलर सेवाओं से संबंधित छः शिकायतें प्राप्त हुई।	शिकायतों पर शिकयतकर्त्ता के संतोष स्तर तक विचार किया गया।	कौंसलर के प्रवेश पर शिकायत पेटी लगाई गई है। सभी शिकायतों को पोस्ट प्रमुख की जानकारी में लाया जाता है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा इसपर विचार किया जाता है।
39.	गोथोरन	शून्य	शून्य	शून्य
40.	जेनेवा	शून्य	शून्य	शून्य
41.	जॉजटाऊन	शून्य	शून्य	शून्य
42.	हैम्बर्ग	कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।	लागू नहीं	कौंसलर सीधे तौर पर तत्काल शिकायतों को निपटाने का प्रयास करता है।
43.	हरनोई	शून्य	लागू नहीं	प्रथम सचिव के नेतृत्व में कौंसलर सेक्शन भारतीय मूल के लोगों की सहायता करने के लिए पूर्णतः अभिप्रेत है और उनकी यदि कोई शिकायत है तो उसे निपटाता है।
44.	हरारे	शून्य	लागू नहीं	सभी शिकायतों पर राजदूत सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है।
45.	हवाना	शून्य	लागू नहीं	भ्रमकारी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों को समस्त संभव सहायता दी जाती है।
46.	हो-ची मिन्ह सिटी	शून्य	लागू नहीं	कौंसलर ऑफीसर तक कार्यालय काल के दोरान कभी भी और यहां तक कि सप्ताहांतों में उभी भारतीय राष्ट्रिक जा सकते हैं।
47.	हांग कौंग	पासपोर्टों के जारी करने में देरी की कुछ मौखिक शिकायतें		शिकायतों पर तत्काल विचार किया जाता है।

1	2	3	4	5
48.	ह्यूस्टन	वीजाओं को जारी करने में गलत तरीके का आरोप लगाते हुए 2001 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	भारतीय दूतावास वाशिंगटन के एक दल ने इस आरोप की जांच की परन्तु कोई प्रमाण	कौसंलर हॉल में एक शिकायत पेटी लगाई गई है। कौसंलर सहायता के किसी अनुरोध को तत्काल पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मूल के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौसंल जनरल सदैव उपलब्ध होते हैं।
49.	इस्लामाबाद	शून्य	लागू नहीं	जब भी उभारतीय मूल का कोई नागरिक आता है तो उसे तत्काल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
50.	ईस्ताम्बूल	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	शिकायत पर उपयुक्त स्तर पर सुनवाई की जाती है और मामले को सरकारी हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निपटाया जाता है।
51.	जलालाबाद	शून्य	शून्य	शून्य
52.	जोहानीसबर्ग	शून्य	शून्य	शून्य
53.	कम्पाला	शून्य	शून्य	शून्य
54.	कैन्डी	शून्य	लागू नहीं	केन्द्र प्रमुख सहित मिशन के संबंधित अधिकारियों ने भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं को सुना
55.	काठमान्डू	वर्ष 2004 के दंगों में क्षतिग्रस्त शहनाज हुसैन ब्यूटी सैलून को मुआवजा देने में भारत का राजदूतावास, काठमान्डू के असफल होने से सम्बद्ध एक शिकायत	इस मामले को नेपाल की सरकार के साथ उठाया गया है कई अनुस्मारक भी भेजे गए हैं।	मिशन का कॉसुलर प्रभाग इस प्रकार की सभी शिकायतों का निपटान करता है और उनको नेपाल सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाता है।
56.	खार्तुम	शून्य	–	शिकायतों को उच्च अधिकारी देखते है और उन्हें मिशन प्रमुख के ध्यान में लाया जाता है। मामले को स्थानीय विदेश कार्यालय तथा श्रम कार्यालय की सहायता से निपटाया जाता है।
57.	कुवैत	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
58.	कीव	शून्य	लागू नहीं	प्रथम सचिव (कौंसुलर) शिकायतों को देखने और उनको निपटाने के लिए नामित अधिकारी हैं।
59.	लीमा	शून्य	लागू नहीं	भारतीय मूल के लोगों से प्राप्त सभी शिकायतें चांसरी प्रमुख द्वारा देखी जाती है और मिशन प्रमुख के विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है।
60.	लिस्बन	शून्य	लागू नहीं	एक शिकायत पेटी रखी गई है। एक सूचना भी लोगों को सूचित करने हेतु लगाई गई है कि अपनी शिकायतों के निपटान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा सकते हैं।
61.	लुआन्डा	शून्य	शून्य	शून्य
62.	लुसाका	शून्य	लागू नहीं	उच्चायुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारतीय समुदाय के सदस्यों से नियमित मिलते हैं और उनकी शिकायतों को तत्काल निपटाते हैं।
63.	मैड्रिड	डुप्लीकेट पासपोर्ट के जारी न किए जाने के विषय में अक्सर मौखिक शिकायतें	–	सभी शिकायतों को देखा जाता है, जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।
64.	माले	शून्य	शून्य	एक सुझाव पेटी रखी गई है; शिकायतों को देखने के लिए एक अधिकारी को नामित किया गया है; विभिन्न अनुभागों के सभी प्रभारी अधिकारियों को भारतीय राष्ट्रिकों की समस्याओं को निपटाने में मदद देने के अनुदेश दिए गए हैं।
65.	माहे	शून्य	शून्य	शून्य
66.	म्यान्डाले	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	शिकायतों को मामला दर-मामला के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

1	2	3	4	5
67.	मनीला	भारतीय मूल के व्यक्ति के संबंध में एक मामला उसको गृह मंत्रालय की नेगेटिव सूची में रखने से सम्बद्ध	मिशन ने उसका नाम नेगेटिव सूची से हटाने की सिफारिश की थी जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था।	अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल ने लोगों की शिकायतें शीघ्र सुनी जाती हैं। प्रथम सचिव (कौंसलर) भारतीय समुदाय से नियमित मिलते हैं। राजदूत भी अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए उनसे मिलते हैं;
68.	भापूतो	शून्य	शून्य	विभिन्न स्तरों के अधिकारी भारतीय मूल के लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध हैं।
69.	मज़ार-ए-शरीफ	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	भारत का राजदूतावास काबुल अथवा विदेश मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके सहायता प्रदान की जाती है।
70.	मेदान	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	भारतीय मूल के लोगो की सभी शिकायतें तत्काल निपटाई जाती हैं।
71.	मिलान	शून्य	शून्य	कौंसुलर काउंटर का स्टाफ समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। गंभीर समस्याओं को प्रधान कोसल के ध्यान में लाया जाता हैं एक शिकायत पेटी रखी गई है।
72.	मिस्क	शून्य	शून्य	शून्य
73.	मोम्बासा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
74.	मास्को	एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच होने पर आधारहीन पाया गया।	कोई भी शिकायत तत्काल सुनी जाती है और उसकी उपचारी कार्रवाई की जाती है।	भारतीय राजदूतावास के संबंधित खण्ड एन आई। पी आई ओ की तत्काल देखभाल। ध्यान दिया जाता हैं राजदूतावास और मिशन उप प्रमुख को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
75.	म्यूनिख	शून्य	लागू नहीं	कौंसलावास ''खुले दरवाजे'' की नीति अपनाता है और उच्चतम स्तर पर भारतीय मूल के लोगों की शिकायतें निपटाई जाती हैं।

1	2	3	4	5
76.	मस्कट	शून्य	लागू नहीं	कॉसुलर विंग और समुदाय कल्याण खण्ड भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को सहायता प्रदान करते हैं।
77.	नैरोबी	6 (लगभग); अधिकतर शिकायतें वीज़ा प्रदान करने अथवा दस्तावेजों के जारी करने से सम्बद्ध हैं	–	मामले को निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। एक शिकायत पेटी भी रखी गई है जिसे रोज़ाना खोला जाता है और शिकायतें तत्काल निपटाई जाती हैं।
78.	न्यूयार्क	24 अधिकतर मामले जम्मू एवं कश्मीर के भारतीयों के पासपोर्टों के नवीकरण से सम्बद्ध मामले; गुम हुए पासपोर्ट के स्थान पर नए पासपोर्ट जारी करने के मामले है।	–	सभी गंभीर शिकायतों के लिए प्रत्येक मामले हेतु एक रजिस्टर और एक अलग फाईल रखी जाती है। कॉसुलर खण्ड में नियमित उन्मादी सत्र सेवाओं में सुधार के उपायों की दृष्टि से रखा जाता है। कॉसल के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में वीज़ा कैम्प आयोजित किए जाते हैं।
79.	ओसाका-कोबे	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	भारतीय मूल के लोग उप कॉसल अथवा प्रधान कॉसलर से अपनी शिकायतों के समाधान हेतु सीधे मिल सकते हैं।
80.	ओस्लो	शून्य	शून्य	शून्य
81.	ओटावा	15 शिकायतें प्रतिवर्ष; उनमें से अधिकतर पासपोर्टों के जारी करने में देरी और पुलिस निपटान प्रमाणपत्र में देरी के कारण हैं।	मामला संबंधित राज्य सरकारों के प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है।	भारतीयों की सभी शिकायतें मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुनी जाती हैं और यदि वे सहायता नहीं करते तो मामले को सीधे मिशन प्रमुख के ध्यान में लाया जाता है।
82.	पनामा	शून्य	लागू नहीं	सभी भारतीय मूल के लोगों तक मिशन प्रमुख और अधिकारी की पहुंच है और जहां कहीं आवश्यक होता बैठकें की जाती है;
83.	पारामारिब्बो	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	मिशन का एक वरिष्ठ अधिकारी भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं को देखता है।
84.	नोम पेन्ह	शून्य	लागू नहीं	दुखी व्यक्ति मिशन के अधिकारियों के पास आ सकते हैं।

1	2	3	4	5
85.	पोर्ट ऑफ	शून्य	शून्य	शून्य
86.	प्राग	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	सभी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। दुखी व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। टेलीफोन पर भी सलाह दी जाती है।
87.	प्रिटोरिया	शून्य	लागू नहीं	भारतीय मूल के लोगों को सहायता देने सहित उनकी शिकायतों के निपटान हेतु भारतीय समुदाय के लिए कॉसुली अधिकारी उपलब्ध हैं।
88.	प्योंगयांग	शून्य	शून्य	शून्य
89.	रियाद एवं जेददा	शून्य	लागू नहीं	(1) भारतीयों की सभी शिकायतें संबंधित अधिकारियों द्वारा निपटाई जाती हैं। वे उनसे पूर्व अनुमति लिए बिना मिल सकते हैं। (2) ऐसी सभी शिकायतों को स्थानीय प्राधिकारियों ने साथ उठाया जाता है। (3) 700-800 यात्रियों को रोजना कॉसुली सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सामान्य पासपोर्ट सेवाएं सामान्यतया उसी दिन प्रदान की दी जाती हैं। (4) स्थल पर कॉसली सेवाएं प्रदान करने के लिए नियमित रूप से सऊदी अरब के विभिन्न भागों के कॉसुली दौरे किए जाते हैं। (5) जरूरतमन्द भारतीय कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय कामगार कल्याण कोष सीपित किए गए हैं। (6) जेलों और श्रमिकों के कैम्पों की नियमित यात्राएं की जाती हैं। (7) भारतीयों को सहायता तथा परामर्श देने के लिए राजदूतावास में एक 24 घन्टे हेल्पलाईन स्थापित की गई है।

1	2	3	4	5
				(8) महीने के प्रत्येक दूसरे गुरूवार को एक ओपन हाउस सत्र आयोजित किया जाता है। (9) मिशन तथा केन्द्र के अधिकारी भारतीयों से बिना पूर्व अनुमति के मिलते हैं।
90.	साना	शून्य	–	भारतीय मूल के लोग अपनी समस्याओं के निपटान के लिए मुक्त रूप से राजदतावास में आ सकते हैं। मिशन प्रमुख सहित वरिष्ठ अधिकारी तक मुक्त होकर मिला जा सकता है। भारतीय मूल के अधिकारियों की शिकायतों के निपटान हेतु चांसरी में आवधिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।
91.	शंघायी	शून्य	–	केन्द्र प्रमुख द्वारा शिकायतों को देखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
92.	सिंगापुर	75 शिकायतें प्राप्त हुई। उनमें से अधिकतर मिशन में सुविधाओं की कमी और सेवाओं की प्रक्रियाओं में लगने वाले लंबे समय से सम्बद्ध थीं।	–	सभी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की गई है। मिशन में सुविधाओं को उन्नत किया गया है। कॉसुलर विंग की मैनपावर को बढ़ाने और कॉसुली खण्ड के कम्प्यूटरीकिरण के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।
93.	सोफिया	शून्य	–	भारतीय मूल के लोगों से प्राप्त कोई शिकायत कार्रवाई के लिए विदेश मंत्रालय के सी पी वी प्रभाग को भेजी जाती है।
94.	स्टाकहोम	शून्य	लागू नहीं	जब कभी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति मिशन के पास आता है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है और हर सम्भव सहायता प्रदान की जाती है।
95.	सेन्ट पीटर्सवर्ग	शून्य	लागू नहीं	भारतीय मूल के लोग बिना किसी नियुक्ति के कॉसुल और प्रधान कॉसल से मिल सकते हैं।
96.	सूवा	शून्य	शून्य	शून्य
97.	ताशकंद	शून्य	शून्य	भारतीय मूल के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कॉसुली अधिकारी जिम्मेदार है।

1	2	3	4	5
98.	तेहरान	शून्य	शून्य	एक शिकायत पेटी रखी जाती है। शिकायतों/सुझावों को तत्काल देखा जाता है। भारतीय समुदाय के साथ नियमित सम्पर्क रखा जाता है।
99.	हेग	अभद्र व्यवहार की केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी	राजदूतावास के स्टाफ को जनता के साथ भद्र व्यवहार करने की नियमित सलाह दी जाती है। स्थिति को लगातार मॉनीटर किया जाता है।	मिशन प्रमुख सहित उपयुक्त स्तरों पर सभी शिकायतों को देखा जाता हैं किसी भी लिखित सुझाव पर विधिवत विचार किया जाता है।
100.	थिम्पू	शून्य	लागू नहीं	कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति सहायता के लिए मिशन में जा सकता है।
101.	टोरन्टो	13; अधिकतर शिकायतें नगण्य किस्म की होती हैं उदाहरण के तौर पर; स्टाफ का रवैया, सेवा में देरी; वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को वरीयता इत्यादि	कोंसलुर स्टाफ को भद्र रहने; वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को वरीयता देने के आदेश दिए जाते है निर्देशों को मुख्य तौर पर प्रदर्शित किया जाता है।	कोंसुली मामलों को निपटाने वाले अधिकारियों को जनता तक उनकी शिकायतों को निपटाने हेतु उनकी पहुंच प्रदान की जाती है।
102.	त्रिपोली	शून्य	सभी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।	शिकायत को मिशन प्रमुख के ध्यान में लाया जाता है जो कम से कम समय में उसके निपटान हेतु उपयुक्त निर्देश देते हैं।
103.	ट्यूनिस	शून्य	शून्य	शून्य
104.	उलानबातर	शून्य	लागू नहीं	मिशन प्रमुख के निर्देशन में मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोंसुली शिकायतें निपटाई जाती हैं।
105.	वैंकूवर	कोई लिखित शिकायत नहीं; केवल कुछ मौखिक शिकयतें प्राप्त हुई है;	—	भारतीय मूल के लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए एक मिशन ने एक सुविधा काउंटर बनाया है। प्रथम सचिव और प्रधान कोंसुल के पास भी जाया जा सकता है। भारतीय समुदाय से सम्बद्ध मामलों से सम्बद्ध मामलों के स्पष्टीकरण के लिए रेडियो/टीवी पर वार्ताएं की जाती हैं।

1	2	3	4	5
106.	वियनशियाने	शून्य	–	कॉसुलर अनुभाग में एक शिकायत पेटी रखी गई है जिसकी नियमित रूप से जांच की जाती है।
107.	ब्लादिवोस्तोक	शून्य	लागू नहीं	भारतीय मूल के लोगों की शिकायतों को निपटाने के लिए प्रधान कॉंसल और उप कॉंसल की दो लोगों की एक समिति बनाई गई है।
108.	वेलीगंटन	2004 के अन्त में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी; उनमें से अधिकतर पासपोर्ट, पुलिस अनापति प्रमाणपत्रों के जारी करने में देरी से सम्बद्ध थीं	अतिरिक्त आकस्मिक भुगतान पर स्टाफ रखा गया	शिकायतों को निपटाने के तंत्र का संचालन अताशे (कॉसुलर) परामर्शदाता और अन्त में उच्चायुक्त के स्तर पर होता है।
109.	विंडहोक	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	सभी अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को सभी सम्भव सहायता शीघ्र प्रदान की जाती है। सभी राजनयिक अधिकारी अनिवासी/भारतीय मूल के अधिकारियों को आसानी से मिल जाते हैं।
110.	यांगोन	शून्य	–	एक शिकायत रजिस्टर रखा जाता है जिसका मिशन प्रमुख द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।
111.	येरेवान	शून्य	शून्य	शून्य
112.	जगरेब	शून्य	लागू नहीं	मिशन प्रमुख भारतीय मूल के लोगों की शिकायतों को स्वयं देखते हैं।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा शुल्क में छूट

4117. **श्री रेवती रमन सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को हाल ही में कौन-कौन सी शुल्क संबंधी छूट व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) एसटीडी की शुल्क दरों में कमी के कारण कितनी प्रतिशत उपभोक्ताओं के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीफोन नेटवर्क को विस्तृत करने हेतु स्थानीय कॉलों को नि:शुल्क करने या उनके शुल्क में कमी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) एमटीएनएल समाज के विभिन्न तबकों के व्यक्तियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेलीफोन कनेक्शनों (जीएसएम-मोबाइल, लैंडलाइन, सीडीएमए-मोबाइल आदि) को यथासंभव प्रयोक्ताओं के अनुकूल बनाने की दृष्टि से उनके कॉल प्रभारों, पंजीकरण शुल्कों आदि की सतत समीक्षा करता रहा है। एमटीएनएल अपने उपभोक्ताओं के लाभार्थ अनेक आकर्षक योजना-स्कीमों आदि की भी घोषणा करता रहता है। लैंडलाइनों पर उपलब्ध कुछ रियायतों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एसटीडी की प्रशुल्क दरों में कमी सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है।

(ग) और (घ) ट्राई द्वारा समय-समय पर प्रशुल्कों में संशोधन किया जाता है और प्रचालकों को इन प्रशुल्कों को लागू करना होता है।

विवरण

क्र.सं.	उपभोक्ताओं की श्रेणी	पात्र व्यक्ति/संगठन	उपलब्ध रियायतें	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज (केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित)
1	2	3	4	5
1.	01	व्यापार	शून्य	
2.	02	आवासीय	शून्य	
3.	03	सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूलों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं/वृद्धाश्रमों/अनाथाश्रम आदि में गैर-आवासीय टेलीफोन	किराये में 25% की रियायत	मान्यता प्रमाण-पत्र
4.	04	नेत्रहीन	किराये में 50% की रियायत	सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से नेत्रहीनता प्रमाण-पत्र
5.	05	युद्ध में हताहत हुए सैनिकों की विधवाओं/विकलांग सैनिक	किराये में 50% की रियायत और संस्थापन प्रभार से शत-प्रतिशत छूट	दस्तावेजी साक्ष्य, पीपीओ की प्रतिलिपि (युद्ध में हताहत हुए सैनिकों की विधवाओं के लिए)
6.	06	स्वतंत्रता सेनानी	किराये में 50% की रियायत और संस्थापन प्रभार से शत-प्रतिशत छूट	पीपीओ की प्रतिलिपि और पहचान-पत्र
7.	07	वीरता पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के लिए वीरता पदक/राष्ट्रपति का पुलिस पदक	किराये और संस्थापन प्रभार से पूर्ण छूट	पुरस्कार पत्र की प्रतिलिपि

1	2	3	4	5
8.	08	दूरसंचार विभाग के सेवारत कर्मचारी	किरायामुक्त और सामान्य उपभोक्ताओं के समान उपलब्ध नि:शुल्क कॉल	सेवा प्रमाण-पत्र, सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि का प्रमाण
9.	09	दूरसंचार विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी	किरायामुक्त और निम्नवत नि:शुल्क कॉलें :– समूह क - 1000+सामान्य नि:शुल्क कॉल समूह ख - 500+सामान्य नि:शुल्क कॉल समूह ग - 300+सामान्य नि:शुल्क कॉल समूह घ - 200+सामान्य नि:शुल्क कॉल	पीपीओ की प्रतिलिपि और अन्य दस्तावेजी प्रमाण
10.	10	वरिष्ठ नागरिक	किराया 187.50 रु. तथा संस्थापन प्रभार में 25% छूट	आयु 65 वर्ष से अधिक, आयु प्रमाण-पत्र

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

4118. श्री जी. करूणाकर रेड्डी :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में जिले-वार कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां डाक और तार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में पंचायत दूरसंचार सेवा या तारघर स्थापित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन राज्यो में तेजी से डाक पहुंचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं। कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में 8761 डाकघर हैं जो 5692 ग्राम पंचायत गांवों की डाक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 7572 डाकघर हैं जो 5254 ग्राम पंचायत गांवों की डाक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जबकि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15693 डाकघर 55537 ग्राम पंचायत गावों की डाक संबंधी आवश्यकता पूरी करते हैं। डाकघरों का खोला जाना एक सतत् प्रक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर जनसंख्या, दूरी और आय संबंधी मानदण्डों को पूरा करने तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं।

(ख) इन राज्यों में सभी ग्राम पंचायतों को डाक वितरण, डाक

संग्रहण और डाकियों के माध्यम से डाक-टिकटें एवं डाक सामग्री की बिक्री हेतु डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहरहाल, कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में उन ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या जहां डाकघर नहीं हैं, संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है। कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में उन ग्राम पंचायतों की जिलावार सूचना जहां तार सुविधाएं नहीं हैं, एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेंगी।

(ग) से (ङ) गत दो वर्षों के दौरान इन राज्यों में पंचायत संचार सेवा और तारघर स्थापित करने की जिलावार सूचना और इस संबंध में सरकार द्वारा निष्पादित समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

(च) कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित देश में डाक वितरण तेजी से सुनिश्चित करने के लिए रेलवे, सड़क परिवहन और मानव संसाधनों के जरिये उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डाक व्यवस्थाएं प्रतिपादित की जाती हैं ताकि डाक पारेषण का कार्य तीव्रतम साधनों के जरिये हो सके। मेल लाइनों को यथासम्भव योत्रिकीकृत किया जाता है ताकि डाक पारेषण में तेजी लाई जा सके। टेस्ट लेटरों आदि के जरिए नियमित रूप से डाक व्यवस्थाओं की मानीटरिंग भी की जाती है ताकि समय-समय पर डाक पारेषण में उत्पन्न हुई अड़चनों को दूर किया जा सके।

विवरण-I

कर्नाटक में डाकघर रहित ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या

क्र. सं.	जिला का नाम	डाकघर रहित ग्राम पंचायत ग्रामों की संख्या
1	2	3
1.	बागलकोट	6
2.	बंगलोर (आर)	27
3.	बंगलोर (यू)	54
4.	बेलगांव	11
5.	बेल्लारी	0
6.	बीदर	1
7.	बीजापुर	0
8.	कामराज नगर	2
9.	चिकमंगलूर	1
10.	चित्रदुर्ग	8
11.	डी. कन्नड़	18
12.	दावनगेरे	5
13.	धारवाड़	9
14.	गडग	0
15.	गुलबर्गा	5
16.	हासन	43
17.	हवेरी	8
18.	कोडगू	7
19.	कोलार	73
20.	कोप्पल	4
21.	मांड्या	33
22.	मैसूर	15
23.	रायचूर	1
24.	शिमोगा	64
25.	तुमकुर	49
26.	उडुपी	6
27.	उत्तर कन्नड़	17
	कुल	467

विवरण-II

उड़ीसा में डाकघर रहित ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	डाकघर रहित ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या
1	2	3
1.	अंगुल	10
2.	बालासोर	10
3.	बारागढ़	1
4.	भद्रक	2
5.	बोलांगीर	16
6.	बोध	3
7.	कटक	11
8.	देवगढ़	7
9.	धेनकनाल	6
10.	गजपति	10
11.	गंजम	23
12.	जगतसिंहपुर	10
13.	जाजपुर	0
14.	झारसुगुड़ा	3
15.	कालाहांडी	0
16.	केन्द्रपाड़ा	1
17.	केओनझार	0
18.	खुर्दा	0
19.	कोरापुट	3
20.	मलकानगिरी	0
21.	मयूरभंज	4
22.	नयागढ़	0
23.	नवरंगपुर	5
24.	नौपाड़ा	4
25.	फुलबनी	0
26.	पुरी	16
27.	रायगढ़	2
28.	सम्बलपुर	2
29.	सोनपुर	3
30.	सुन्दरगढ़	5
	कुल	157

विवरण-III

उत्तर प्रदेश में उन ग्राम पंचायतों का जिलावार ब्यौरा जिनमें डाकघर नहीं हैं

क्रम. सं.	जिला का नाम	डाकघर रहित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	637
2.	अलीगढ़	910
3.	इलाहाबाद	1446
4.	अम्बेडकर नगर	705

1	2	3
5.	औरैया	290
6.	आजमगढ़	803
7.	बागपत	94
8.	बहराइच	849
9.	बलिया	504
10.	बलरामपुर	520
11.	बांदा	293
12.	बाराबंकी	662
13.	बरेली	1178
14.	बस्ती	1334
15.	सन्त रविदासनगर (भदोही)	382
16.	बिजनौर	731
17.	बदायूं	785
18.	बुलन्दशहर	634
19.	चंदौली	992
20.	देवरिया	750
21.	एटा	660
22.	इटावा	266
23.	फैजाबाद	510
24.	फर्रूखाबाद	389
25.	फतेहपुर	548
26.	फिरोजाबाद	478
27.	जी.बी. नगर	257
28.	गाजियाबाद	243
29.	गाजीपुर	692
30.	गोंडा	700
31.	गोरखपुर	903
32.	हमीरपुर	208
33.	हरदोई	838
34.	हाथरस	71
35.	जालौन	453
36.	जौनपुर	1134
37.	झांसी	442
38.	जे.पी. नगर	447
39.	कन्नौज	307
40.	कानपुर (देहात)	1144
41.	कानपुर (शहर)	80
42.	कौशाम्बी	327
43.	खीरी	673
44.	कुशीनगर	752
45.	ललितपुर	295
46.	लखनऊ	55
47.	महाराजगंज	581
48.	महोबा	134
49.	मैनपुरी	494
50.	मथुरा	304

1	2	3
51.	[illegible]	450
52.	मेरठ	305
53.	मिर्जापुर	659
54.	मुरादाबाद	735
55.	मुजफ्फरनगर	416
56.	प्रतापगढ़	757
57.	पीलीभीत	461
58.	रायबरेली	542
59.	रामपुर	471
60.	सिद्धार्थनगर	833
61.	संतकबीर नगर	529
62.	सहारनपुर	762
63.	चित्रकूट	181
64.	शहजहांपुर	691
65.	सीतापुर	944
66.	सोनभद्र	292
67.	श्रावस्ती	325
68.	सुलतानपुर	819
69.	उन्नाव	908
70.	वाराणसी (पूर्व)	356
71.	वाराणसी (पश्चिम)	424
72.	जी.वी. नगर (बरेली)	131
	कुल	40875

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के चुनाव

4119. श्रीमती मेनका गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के चुनाव आयोजित कराने के प्रति जिम्मेदार है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विगत में ये चुनाव कब आयोजित कराए गए थे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (एचसीसी) अधिनियम, 1973 की धारा 3(1) के अधीन उपबंधों के अनुसार किया जाता है। एच सी सी निर्वाचन नियमावली, 1975 में विहित प्रक्रिया के अनुसार, होम्योपैथी की राज्य पंजिकाओं में पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्साभ्यासियों से राज्य सरकारों की अनुशंसाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं।

(ख) सी सी एच का अंतिम निर्वाचन महाराष्ट्र और बिहार को छोड़कर सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में 1997-98 में कराए गए।

स्तन कैंसर

4120. श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महिलाओं में सबसे ज्यादा स्तन कैंसर पाया गया है तथा भारत के शहरी महिलाओं में यह सबसे तेजी से फैलने वाला कैंसर है जैसा कि 10 मार्च, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या महिलाओं में निष्क्रिय धूम्रपान से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो महिलाओं में स्तन कैंसर के अन्य कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्तन कैंसर के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने तथा कैंसर को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) महिलाओं में स्तन कैंसर भारत के शहरी क्षेत्रों में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से है। कैंसर की घटना दर पर सूचना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अधीन कार्य कर रही जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के आंकड़ों से उपलब्ध होती है। इन आंकड़ों के अनुसार बंलौर, मुम्बई, भोपाल और दिल्ली के शहरी जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों (पीबीसीआर) में महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे आम कैंसर है जबकि चेन्नई के जनसंख्या आधारित कैंसर केन्द्र में यह दूसरा सबसे आम कैंसर है।

(ग) और (घ) सन्दर्भाधीन समाचार में उल्लिखित अध्ययन में स्तन कैंसर का संबंध अप्रत्यक्ष धूम्रपान (पैसिव स्मोकिंग) से है। लेकिन भारत में धूम्रपान और स्तन कैंसर के बीच संबंध से जुड़े अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं। स्तन कैंसर के विकास से जुड़े ज्ञात जोखिम कारकों में अधिक वसा वाले आहार, शारीरिक कार्यकलापों की कमी, कम आयु में मासिक धर्म, मासिक धर्म देर से बन्द होना, पहली बार गर्भधारण 30 वर्ष के बाद तथा सम्भावित उच्च एस्ट्रोजेन स्तर है।

(ङ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी स्कीमों में अब संशोधन किया गया है। जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिसे राज्य सरकारों द्वारा चुने हुए जिलों में नोडल एजेंसियों के माध्यम से चलाया जाना है, जांच, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देकर, जागरूकता आदि पैदा करके कैंसर का शुरू में ही पता लगाने पर बल दिया जा रहा है।

खाद्य तेलों में आर्जिमोन मेक्सिकाना

4121. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में खाद्य तेलों में आर्जिमोन मेक्सिकाना पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उपयोग का प्रतिकूल प्रभाव क्या है;

(ग) क्या देश के कुछ भागों में इसके उपयोग से बहुत-सी मौतें हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्य तेलों में अर्गेमोन मेक्सिकाना की मौजूदगी की सूचनाएं हैं। प्रभावित क्षेत्र हैं लखनऊ क्षेत्र में; लखनऊ जिला, कानपुर क्षेत्र में कानपुर जिला, देवी पाटन क्षेत्र में गोंडा जिला, गोरखपुर क्षेत्र में गोरखपुर जिला, आगरा क्षेत्र में फिरोजाबाद जिला, बरेली क्षेत्र में बरेली जिला।

अर्गेमोन मे क्सिकाना की मिलावट वाले खाद्य तेल के सेवन से होने वाले ड्राप्सी के प्रकोप के कारण लखनऊ शहर में हाल ही में तीन मौतें हुई हैं।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है और उपाय शुरू किए गए हैं। रोगियों का कारगर ढंग से उपचार करने के लिए विशेषज्ञों का एक कार्यदल गठित किया गया है जिसमें मेडिसन, पैथोलाजी और निवारक मेडिसन के विशेषज्ञ शामिल हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के तहत सरसों तेल के मानकों में यह पहले ही व्यवस्था की गई है कि यह अर्गोमोन तेल से मुक्त होगा। राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे सरसों तेल की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखें और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अनुसार कार्रवाई करें तथा मिलावटी सरसों तेल के सेवन से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को सचेत करें।

[हिन्दी]

नाभिकीय संयंत्रों के अपशिष्ट की डम्पिंग

4122. श्री सीता राम यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में कोलार स्वर्णखान की परित्यक्त भूमि को नाभिकीय संयंत्रों के अपशिष्ट से भरने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विकिरण के कुप्रभाव को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीय की मांगें

4123. श्री रायापति सांबसिवा राव : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने सरकार से एक के बाद अनेक मांगें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मांगों में मतदान का अधिकार प्रदान किया जाना, उनके लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करना, भर्ती एजेंसियों के संबंध में अधिक सतर्कता बरतना तथा विदेशो में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के हितों की रक्षा की बात सम्मिलित है; और

(घ) यदि हां, तो इन मांगों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनकी सभी मांगों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कौन से कदम उठाये गये है/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां, विशेषकर खाड़ी के अनिवासी भारतीयों ने।

(ख) और (ग) उनकी मांगों में भर्ती एजेंसियों पर बेहतर पर्यवेक्षण, कामगारों के लिए बीमा, शिक्षण संस्थान में उनके बच्चों की भर्ती, भारत लौटने वाले कामगारों के कल्याण और पुर्नवास के उपाय, विदेशों के जेलों से निर्दोष पीड़ितों की रिहाई, मताधिकार एवं सस्ती एयरलाइन्स शामिल हैं। सरकार ऐसी किसी मांग से अवगत नहीं है जिसके लिए अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाए।

(घ) उपरोक्त मांगों में से कुछ पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) पंजीकृति भर्ती एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतों की उत्प्रवासी महासंरक्षक द्वारा जांच की गई है और उनके पंजीकरण को निलम्बित करने/रद्द करने के लिए कार्रवाई की गई। गैर पंजीकृत एजेंसियों के मामले में राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा शिकायत दर्ज की गई है। पिछले दो वर्षों में 27 पंजीकरणों को निलंम्बित व 4 को रद्द किया गया है। पुलिस के पास 64 शिकायतें दर्ज की गई हैं और 20 अभियोजन स्वीकृत किए गए हैं।

(ii) 25 दिसम्बर, 2003 से एक प्रवासी भारतीय बीमा योजना स्कीम कार्यन्वित की गई है। यह स्कीम तब से खाड़ी देशों के कामगारों जिनके लिए यह मुख्य रूप से मायने रखता है, के लिए अधिक प्रतियोगी और सुग्राही बन गया है।

(iii) निवासी भारतीयों के लिए लागू फीस पर खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया में अनिवासियों के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थानों में 15% अधिसंख्य सीटों की 1/3 सीटें निर्धारित की गयी हैं।

(iv) सरकार को जब कभी आवश्यकता पड़ती है तब निर्दोष पीड़ितों की रिहाई के लिए कदम उठाती है।

(v) केरल सरकार ने विशेष श्रेणी के रूप में निर्वाचक सूची में उन्हें शामिल करके अनिवासी भारतीयों को मत देने का अधिकार देने के लिए प्रस्ताव किया है।

(vi) एयर इण्डिया ने 29 अप्रैल, 2005 से उनके बजट 'एयर इण्डिया एक्सप्रैस' शुरू करते ही घोषण की है।

(vii) केरल सरकार ने खाड़ी में अनिवासी भारतीयों के कल्याण के लिए कई कल्याण योजनाएं आरम्भ की हैं। भारत सरकार प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए कल्याण निधि और प्रवासी रोजगार के कल्याण के लिए केन्दीय परिषद् की स्थापना के लिए प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

पिछड़े राज्यों में नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र

4124. श्री सूरज सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान पिछड़े राज्यों में नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) पिछड़े तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने तथा उनके विकास के लिए सरकार की नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिहार में कोई नया प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ज) बिहार में प्रौद्योगिकी संस्थानों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए सरकार की क्या योजना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार का यह मानना है कि नए संस्थानों को स्थापित करने और उपलब्ध संसाधनों को थोड़ा थोड़ा प्रदान करने के बजाय मेधावी छात्रों को तैयार करने के लिए शिक्षण और अनुसंधान हेतु उत्तम सुविधायें उपलब्ध कराने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए मौजूदा संस्थानों के वित्तपोषण हेतु पर्याप्त निधियां आवश्यक हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) से (ज) सरकार के पास इस समय विचारार्थ कोई प्रस्ताव नही है। तथापि उनकी क्षमता एवं आवश्यकता के आधार पर कोई नये प्रस्ताव प्राप्त होते है तो इन पर विचार किया जाएगा। सरकार के पास संकाय के कम कर्मचारी वर्ग वाले शैक्षणिक संस्थानों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम है। यह स्कीम इंटरनेट, आधुनिक उपस्कर आदि सहित शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के उन्नयन के लिए निधियां प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में टेलीफोन एक्सचेंज

4125. डा. राजेश मिश्रा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या तथा उनकी क्षमता का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2005-06 के दौरान नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना तथा मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) तत्संबंधी प्राक्कलित व्यय कितना है; और

(ङ) राज्य के उन स्थानों के नाम जहां टेलीफोन एक्सचेंज भवन निर्मित हैं, तथा उनकी संख्या क्या है तथा वर्तमान में उनमें से कितने प्रयोग में है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में चालू टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या क्रमश: 3265 और 450 है। जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां। बीएसएनएल का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में वर्ष 2005-06 के दौरान क्रमश: दस और एक नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है। बीएसएनएल का उत्तर प्रदेश में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों को विस्तार प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है और उत्तरांचल में चार मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का प्रस्ताव है।

(ग) स्थान बार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) इस पर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में होने वाला अनुमानित व्यय क्रमश: 4,53,73,128 रु. और 4,00,00,000 रु. है।

(ङ) उत्तर प्रदेश में 627 टेलीफोन एक्सचेंज भवन हैं जिनमें से 576 एक्सचेंज भवन को प्रयोग में लाया जा रहा है और उत्तरांचल में 49 टेलीफोन एक्सचेंज भवन हैं जिनमें से सभी को प्रयोग में लाया जा रहा है।

ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	सर्किल	जिला	एक्सचेंजों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा	81	170052
2.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	48	71128
3.	उत्तर प्रदेश	बदायूं	46	34092
4.	उत्तर प्रदेश	बागपत	21	36464
5.	उत्तर प्रदेश	बरेली	78	105284
6.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	68	86768
7.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	52	73120
8.	उत्तर प्रदेश	एटा	44	39052
9.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	15	29632
10.	उत्तर प्रदेश	जीबी नगर	36	160520
11.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	68	268304
12.	उत्तर प्रदेश	हाथरस	22	20744
13.	उत्तर प्रदेश	जेपी नगर	34	36176
14.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	60	82788
15.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	68	152004
16.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	49	95476
17.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	70	117516
18.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	35	24588
19.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	32	44352
20.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	48	103320
21.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	101	162522
22.	उत्तर प्रदेश	अंबेडकर नगर	34	21948
23.	उत्तर प्रदेश	ओरैया	23	18336
24.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	77	73580
25.	उत्तर प्रदेश	बलिया	46	36900
26.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	19	14168
27.	उत्तर प्रदेश	बांदा	75	29552
28.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	73	46204
29.	उत्तर प्रदेश	बस्ती	28	23768
30.	उत्तर प्रदेश	भदोही	28	28176
31.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	55	34004
32.	उत्तर प्रदेश	चंदौली	26	20760
33.	उत्तर प्रदेश	सीकेटी	28	10536
34.	उत्तर प्रदेश	देवरिया	43	35792
35.	उत्तर प्रदेश	इटावा	22	26160
36.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	41	37988
37.	उत्तर प्रदेश	फर्रूखाबाद	28	30460
38.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	49	26888

1	2	3	4	5
39.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	14	14560
40.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	46	25722
41.	उत्तर प्रदेश	गोंडा	47	34660
42.	उत्तर प्रदेश	जी आर	59	105655
43.	उत्तर प्रदेश	एचडीआई	43	28088
44.	उत्तर प्रदेश	एचएमपी	36	21176
45.	उत्तर प्रदेश	जालौन	44	25532
46.	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	68	55068
47.	उत्तर प्रदेश	झांसी	47	63156
48.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	27	20616
49.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	49	29584
50.	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	77	219940
51.	उत्तर प्रदेश	कौशांबी	12	6166
52.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	36	25756
53.	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर	103	55848
54.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	27	12756
55.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	97	311882
56.	उत्तर प्रदेश	महोबा	12	9808
57.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	27	25544
58.	उत्तर प्रदेश	मऊ	43	49664
59.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	45	39580
60.	उत्तर प्रदेश	एमआरजे	29	22468
61.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	62	36360
62.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	63	45942
63.	उत्तर प्रदेश	एसडीआर	29	14416
64.	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	43	37404
65.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	64	41448
66.	उत्तर प्रदेश	एसके नगर	19	7586
67.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	33	36980
68.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	10	5032
69.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	77	49716
70.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	69	42452
71.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	57	162840
72.	उत्तरांचल	अल्मोड़ा	50	23840
73.	उत्तरांचल	बागेश्वर	9	4692
74.	उत्तरांचल	चम्पावत	15	9928
75.	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	34	19860
76.	उत्तरांचल	देहरादून	61	157968
77.	उत्तरांचल	हरिद्वार	29	72052
78.	उत्तरांचल	नैनीताल	37	62428
79.	उत्तरांचल	यूएस नगर	38	60128
80.	उत्तरांचल	नया टेहरी	47	21500
81.	उत्तरांचल	उत्तर काशी	24	14500
82.	उत्तरांचल	चमोली पौढ़ी	32	14688
83.	उत्तरांचल	पौढ़ी	53	28952
84.	उत्तरांचल	रूद्रप्रयाग	21	6800

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य में स्थापना हेतु प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों से संबंधित ब्यौरे

क्रमांक	सर्किल	एक्सचेंज का नाम
1.	उत्तर प्रदेश	धीमा, सुल्तानपुर
2.	-वही-	कल्याणपुर, सुल्तानपुर
3.	-वही-	बिशेशरबंज, सुल्तानपुर
4.	-वही-	चांडोकी, सुल्तानपुर
5.	-वही-	नन्दमाहर, सुल्तानपुर
6.	-वही-	शादीपुर, सुल्तानपुर
7.	-वही-	चिरंजीव विहार, गाजियाबाद
8.	-वही-	शालीमार गार्डन, गाजियाबाद
9.	-वही-	बृज बिहार, गाजियाबाद
10.	-वही-	बागपत रोड, मेरठ
11.	उत्तरांचल	चौबतिया

वर्ष 2005-06 के दौरान उत्तरांचल राज्य में विस्तार हेतु प्रस्तावित मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों से संबंधित ब्यौरे

क्रमांक	सर्किल	एक्सचेंज का नाम
1.	उत्तरांचल	चिलियानानला, अल्मोड़ा
2.	-वही-	जीआईसी रोड, पिथौरागढ़
3.	-वही-	किच्छा, नैनीताल
4.	-वही-	राम नगर, नैनीताल

विवरण-III

क्र. सं.	एसएसए का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम जहां भवन का निर्माण किया गया है	भवन उपयोग में है/उपयोग में नहीं है
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	1. हांडिया	उपयोग में है
		2. मंझानपुर	उपयोग में है
		3. बिसारा	उपयोग में है
		4. शंकरगढ़	उपयोग में है
		5. बारा	उपयोग में है
		6. लाल गोपालगंज	उपयोग में है
		7. मेजा	उपयोग में है
		8. करछना	उपयोग में है
		9. सिराथु	उपयोग में है
		10. फफामऊ	उपयोग में है
		11. सिविल लाइंस इलाहाबाद	उपयोग में है
2.	आजमगढ़	1. जौनपुर	उपयोग में है
		2. कन्धरापुर	उपयोग में है
		3. नैनीजोर	उपयोग में है
		4. अमुवारी	उपयोग में है
		5. बरडीहा	उपयोग में है
		6. रामगढ़	उपयोग में है
		7. छपरा सुल्तानपुर	उपयोग में है
		8. कप्तानंज	उपयोग में है

1	2	3	4
		9. कोइल्सा	उपयोग में है
		10. हरिया	उपयोग में है
		11. फूलपूर	उपयोग में है
		12. लाहीडीह	उपयोग में है
		13. लालगंज	उपयोग में है
		14. देवगोन	उपयोग में है
		15. मेहनगर	उपयोग में है
		16. मुबारकपुर	उपयोग में है
		17. जहानगंज	उपयोग में है
		18. सी-डांट	उपयोग में है
		19. माइक्रोवेव	उपयोग में है
		20. महाराजगंज	उपयोग में है
		21. बरडाह	उपयोग में है
		22. फैझ	उपयोग में है
		23. संजरपुर	उपयोग में है
		24. नीरमबाद	उपयोग में है
		25. दिवैत	उपयोग में नहीं है
		26. बबुरा	उपयोग में नहीं है
		27. दीदारगंज	उपयोग में नहीं है
		28. हेतुगंज	उपयोग में नहीं है
		29. तरवा	उपयोग में नहीं है
		30. सिंहपुर	उपयोग में नहीं है
		3. बहराईच	1. जमुनाहा उपयोग में है
			2. भुजा उपयोग में है
			3. भांगा उपयोग में है
			4. महासी उपयोग में है
			5. जैतपुर बाजार उपयोग में है
			6. बेहरा उपयोग में है
			7. नोकला उपयोग में है
			8. नौपारा उपयोग में है
			9. बाबागंज उपयोग में है
			10. इमामगंज उपयोग में है
			11. महेरा उपयोग में है
			12. मिहिनपुरवा उपयोग में है
			13. श्रावस्ती उपयोग में है
			14. एकोना उपयोग में है
			15. पयागापुर उपयोग में है
			16. रिसिआ उपयोग में है
			17. कैसरगंज उपयोग में है
			18. रूकुनापुर उपयोग में है
			19. जरवाल रोड उपयोग में है
			20. जरवाल कस्बा उपयोग में है
			21. फकरपुर उपयोग में है
			22. हुजुरपुर उपयोग में है
			23. वजीरगंज उपयोग में है

1	2	3	4
		24. भाउच	उपयोग में है
		25. ऊरा	उपयोग में नहीं है
		26. गौर	उपयोग में नहीं है
		27. गंगापुर	उपयोग में नहीं है
		28. छपौर	उपयोग में नहीं है
		29. नवाबगंज	उपयोग में नहीं है
		30. रूपधिआ (शाखा)	उपयोग में नहीं है
		31. लक्ष्मपुर	उपयोग में नहीं है
		32. सिरसा	उपयोग में नहीं है
4.	बलिया	1. अत्तरासुआ	उपयोग में है
		2. अथीलापुर	उपयोग में है
		3. बैजलपुर	उपयोग में है
		4.(क) बलिया सी-डाट	उपयोग में है
		(ख) बलिया ओसीबी	उपयोग में है
		5. बांसडीह	उपयोग में है
		6. मनियार	उपयोग में है
		7. नागरा	उपयोग में है
		8. प्रधानपुर	उपयोग में है
		9. पुर	उपयोग में है
		10. रासरा	उपयोग में है
		11. नवरतनपुर	उपयोग में नहीं है
		12. मालदा	उपयोग में नहीं है
		13. टीकादेवरी	उपयोग में नहीं है
		14. इब्राहिमपट्टी	उपयोग में नहीं है
		15. दोकाटी (दालन छपरा)	उपयोग में नहीं है
		16. काजीपुर	उपयोग में नहीं है
		17. सालेमपुर	उपयोग में नहीं है
5.	बांदा	1. मानिकपुर	उपयोग में है
		2. करवी	उपयोग में है
		3. भारतकूप	उपयोग में है
		4. अटारा	उपयोग में है
		5. मर्दनका बांदा	उपयोग में है
		6. इंदिरानगर	उपयोग में है
		7. बबेरू	उपयोग में है
		8. खपतिहाल	उपयोग में है
6.	बाराबंकी	1. बाराबंकी	उपयोग में है
		2. बाराबंकी पुराना भवन	उपयोग में है
		3. बरेठी	उपयोग में है
		4. भानमऊ	उपयोग में है
		5. जहांगीराबाद	उपयोग में है
		6. कोला	उपयोग में है
		7. सदरगंज	उपयोग में है
		8. सतरीख	उपयोग में है
		9. टेरा	उपयोग में है
		10. सहीपुर	उपयोग में है

1	2	3	4
		11. उधौली	उपयोग में है
		12. जाकरिया	उपयोग में है
		13. बदनपुर	उपयोग में है
		14. बहूपुर	उपयोग में है
		15. बिशुनपुर	उपयोग में है
		16. फतेहपुर	उपयोग में है
		17. हेतमापुर	उपयोग में है
		18. कुरसी	उपयोग में है
		19. मदादेवा	उपयोग में है
		20. मोहम्मदपुर	उपयोग में है
		21. खाला	उपयोग में है
		22. रामनगर	उपयोग में है
		23. रानीबाजार	उपयोग में है
		24. सिहाली	उपयोग में है
		25. सूरतगंज	उपयोग में है
		26. तिलोकपुर	उपयोग में है
		27. तिलवारी	उपयोग में है
		28. भिलवाल	उपयोग में है
		29. हैदरगढ़	उपयोग में है
		30. कोठी	उपयोग में है
		31. सिधौर	उपयोग में है
		32. सुबेहा	उपयोग में है
		33. अलियाबाद	उपयोग में है
		34. दरियाबाद	उपयोग में है
		35. कुल्लापुर	उपयोग में है
		36. लेहौली	उपयोग में है
		37. खजूरी	उपयोग में है
		38. मौगौरपुर	उपयोग में है
		39. महमूदाबाद	उपयोग में है
		40. पुरेदलाई	उपयोग में है
		41. रामस्नेहीघाट	उपयोग में है
		42. रूदौली	उपयोग में है
		43. सादातगंज	उपयोग में है
		44. सैदखानपुर सराय	उपयोग में है
		45. बरई सिरौलीगौसपुर	उपयोग में है
7.	बस्ती	1. दुमरियागंज	उपयोग में है
		2. ईटावा	उपयोग में है
		3. बरनी	उपयोग में है
		4. शोहरतगढ़	उपयोग में है
		5. सिद्धार्थ नगर	उपयोग में है
		6. बंसी	उपयोग में है
		7. तिलौली	उपयोग में है
		8. बस्ती	उपयोग में है
		9. कैप्टनगंज	उपयोग में है
		10. बभनान	उपयोग में है
		11. खलीलाबाद	उपयोग में है

1	2	3	4
		12. विश्वनाथपुर	उपयोग में है
8.	देवरिया	1. देवरिया सी-डांट	उपयोग में है
		2. देवरिया ओसीबी	उपयोग में है
		3. भटानी दादन	उपयोग में है
		4. राम लक्ष्मण	उपयोग में है
		5. सलेमपुर	उपयोग में है
		6. भटानी	उपयोग में है
		7. पडरौना सी-डांट	उपयोग में है
		8. रविंद्र नगर	उपयोग में है
		9. साखोपार	उपयोग में है
		10. सुकरौली बाजार	उपयोग में है
		11. मथौली बाजार	उपयोग में है
		12. सोनहौला रामनगर	उपयोग में है
		13. बरियारपुर	उपयोग में है
		14. हाटा एम/डब्ल्यू रिपीटर	उपयोग में है
		15. पकारी बाजार	उपयोग में नहीं है
		16. खुखुंडू	उपयोग में नहीं है
9.	ईटावा	1. ईटावा	उपयोग में है
		2. औरया	उपयोग में है
		3. जसवंत नगर	उपयोग में है
		4. सैफई	उपयोग में है
10.	फैजाबाद	1. जलालपुर	उपयोग में नहीं है
		2. बसखारी	उपयोग में है
		3. गढ़वाल	उपयोग में है
		4. टांडा	उपयोग में है
		5. अकबरपुर	उपयोग में है
		6. गोसाईगंज	उपयोग में है
		7. माया	उपयोग में है
		8. दर्शन नगर	उपयोग में नहीं है
		9. बिकापुर	उपयोग में है
		10. मिल्कीपुर	उपयोग में है
		11. अयाध्या	उपयोग में है
		12. फैजाबाद	उपयोग में है
11.	फरूखाबाद	1. कैमगंज	उपयोग में है
		2. छिब्बरामाऊ	उपयोग में है
		3. गुरसहाईगंज	उपयोग में है
		4. फरूखाबाद	उपयोग में है
		5. सिरोली	उपयोग में है
		6. फतेहगढ़	उपयोग में है
12.	फतेहपुर	1. फतेहपुर	उपयोग में है
		2. खागा	उपयोग में है
		3. बिंडकी	उपयोग में है
13.	गाजीपुर	1. बरसारा	उपयोग में है
		2. गाजीपुर	उपयोग में है
		3. जाखनिया	उपयोग में है

1	2	3	4
		4. खरदिहा	उपयोग में है
		5. मेनपुरी	उपयोग में है
		6. मोहम्मदाबाद	उपयोग में है
		7. नंदगंज	उपयोग में है
		8. रायपुर	उपयोग में है
		9. रेवतीपुर	उपयोग में है
		10. सैदपुर	उपयोग में है
		11. जमानिया	उपयोग में है
14.	गोंडा	1. गोंडा	उपयोग में है
		2. बलरामपुर	उपयोग में है
		3. तुलसीपुर	उपयोग में है
		4. दतरौला	उपयोग में है
		5. तरावगंज	उपयोग में है
		6. आर्यनगर	उपयोग में है
		7. बंकअवा	उपयोग में है
15.	गोरखपुर	1. गोरखपुर	उपयोग में है
		2. रापतीनगर	उपयोग में है
		3. बांसगांव	उपयोग में है
		4. आनंदनगर	उपयोग में है
		5. महाराजगंज	उपयोग में है
16.	हमीरपुर	1. कुरारा	उपयोग में है
		2. हमीरपुर	उपयोग में है
		3. चौनी	उपयोग में है
		4. बीवर	उपयोग में है
		5. रगौल	उपयोग में है
		6. इक्कौली	उपयोग में है
		7. इमिलिया	उपयोग में है
		8. रथ	उपयोग में है
		9. गोहोद	उपयोग में है
		10. चरलैरी	उपयोग में है
		11. कल्फर	उपयोग में है
		12. महोब	उपयोग में है
17.	हरदोई	1. शाहबाद	उपयोग में है
		2. बिलग्राम	उपयोग में है
		3. संडिला	उपयोग में है
		4. कच्छौना	उपयोग में है
		5. हरपालपुर	उपयोग में है
		6. बेहतागोकुल	उपयोग में है
		7. सिविल लाइन एक्सचेंज हरदोई	उपयोग में है
		8. लखनऊ रोड एक्सचेंज हरदोई	उपयोग में है
18.	जौनपुर	1. जौनपुर मेन	उपयोग में है
		2. जौनपुर केटीवाई	उपयोग में है
		3. शाहगंज	उपयोग में है
		4. पीयू एक्सचेंज	उपयोग में है

1	2	3	4
		5. मरियाहु	उपयोग में है
		6. बदलापुर	उपयोग में है
		7. सिगरामाऊ	उपयोग में है
		8. सितमसराय	उपयोग में है
		9. शेखुपुर	उपयोग में है
		10. घनश्यामपुर	उपयोग में है
		11. साथरिया	उपयोग में है
		12. बरेठी	उपयोग में है
		13. कचगांव	उपयोग में है
		14. टार्टी	उपयोग में है
		15. मुगराबादशाहपुर	उपयोग में है
		16. रामपुर	उपयोग में नहीं है
		17. सुइथा कलां	उपयोग में नहीं है
19.	झांसी	1. ग्वालियर रोड झांसी	उपयोग में है
		2. ललितपुर रोड झांसी	उपयोग में है
		3. पिच्छौर, कानपुर रोड झांसी	उपयोग में है
		4. मोथ	उपयोग में है
		5. चिरगांव	उपयोग में है
		6. हाती	उपयोग में है
		7. मौरनीनपुर	उपयोग में है
		8. ललितपुर	उपयोग में है
		9. तालेबहात	उपयोग में है
		10. विजयपुरा	उपयोग में है
		11. जखौरा	उपयोग में है
		12. मेहरौनी	उपयोग में है
		13. देलवारी	उपयोग में है
		14. बांसी	उपयोग में है
		15. पाली	उपयोग में है
		16. माडवरा	उपयोग में है
20.	कानपुर	1. दूरसंचार भवन	उपयोग में है
		2. सीटीओ भवन	उपयोग में है
		3. कोएक्सियल भवन	उपयोग में है
		4. टेलीफोन भवन	उपयोग में है
		5. बेनाझाबर एक्सचेंज	उपयोग में है
		6. लाखनपुर एक्सचेंज	उपयोग में है
		7. कल्याणपुर एक्सचेंज	उपयोग में है
		8. नारामाऊ एक्सचेंज	उपयोग में है
		9. माइक्रोवेव सर्वोदयनगर	उपयोग में है
		10. लाजपत नगर	उपयोग में है
		11. रतन लाल नगर	उपयोग में है
		12. पांकी पावर हाऊस	उपयोग में है
		13. पांकी औद्योगिक क्षेत्र	उपयोग में है
		14. यशोदा नगर	उपयोग में है
		15. श्याम नगर	उपयोग में है
		16. कृष्णा नगर	उपयोग में है

1	2	3	4
		17. जज माऊ	उपयोग में है
		18. चकेरी	उपयोग में है
		19. रूमा	उपयोग में है
		20. महाराजपुर	उपयोग में है
		21. सिरसौल	उपयोग में है
		22. अकबर पुर	उपयोग में है
		23. भौती	उपयोग में है
		24. बिधनू	उपयोग में है
		25. चौबेपुर	उपयोग में है
		26. बिल्हौर	उपयोग में है
		27. देरापुर	उपयोग में है
		28. धातमपुर	उपयोग में है
		29. हंसेमाऊ	उपयोग में है
		30. जैनपुर	उपयोग में है
		31. झिझाक	उपयोग में है
		32. कैरजार	उपयोग में है
		33. मंढाना	उपयोग में है
		34. नरवाल	उपयोग में है
		35. पुखरायां	उपयोग में है
		36. रानिया	उपयोग में है
		37. रसूलाबाद	उपयोग में है
		38. रूरा	उपयोग में है
		39. सचेंडी	उपयोग में है
		40 शिव राजपुर	उपयोग में है
		41. सिकंदरा	उपयोग में है
		42. उत्तरी पूआ	उपयोग में है
		43. काका देव	उपयोग में है
		44. भाटी	उपयोग में है
		45. डीटीओ कैंट, कानपुर	उपयोग में है
		46. साकेतनगर	उपयोग में है
	21. लखीमपुर	1. कीरत नगर	उपयोग में है
		2. सिविल लाइन लखीमपुर	उपयोग में है
		3. हिदायत नगर	उपयोग में है
		4. धनराहरा	उपयोग में है
		5. निघासन	उपयोग में है
		6. पालिया	उपयोग में है
		7. संपूर्णनगर	उपयोग में है
		8. मोहम्मदी	उपयोग में है
		9. जे.बी. गंज	उपयोग में है
	22. लखनऊ	1. आलमबाग	उपयोग में है
		2. ट्रांसपोर्ट नगर	उपयोग में है
		3. बन्थारा	उपयोग में है
		4. राजाजीपुरम	उपयोग में है
		5. बाधेवन	उपयोग में है

1	2	3	4
		6. मोहनलालगंज	उपयोग में है
		7. मलिहाबाद	उपयोग में है
		8. इतौंजा	उपयोग में है
		9. कैसरबाग	उपयोग में है
		10. तालकटोरा	उपयोग में है
		11. दिलकुश	उपयोग में है
		12. महानगर	उपयोग में है
		13. अलिगंज	उपयोग में है
		14. गोमती नगर	उपयोग में है
		15. विरामखंड	उपयोग में है
		16. विभूतिखंड	उपयोग में है
		17. इंदिरानगर	उपयोग में है
23.	मैनपुरी	1. मैनपुरी ओसीबी (नया भवन)	उपयोग में है
		2. मैनपुरी आरएसयू (पुराना भवन)	उपयोग में है
		3. शिकोहाबाद	उपयोग में है
		4. सिरसागंज	उपयोग में है
		5. करहाल	उपयोग में है
24.	मऊ	1. अदारी	उपयोग में है
		2. ऐलख	उपयोग में है
		3. अमिला	उपयोग में है
		4. अतरसावन	उपयोग में है
		5. बधुआ गोडेम	उपयोग में है
		6. बोझी	उपयोग में है
		7. चकारा	उपयोग में है
		8. चिरैईकोट	उपयोग में है
		9. दोहरीघाट	उपयोग में है
		10. दुबारी	उपयोग में है
		11. घोसी	उपयोग में है
		12. हलधरपुर	उपयोग में है
		13. कल्याणपुर	उपयोग में है
		14. कोपागंज	उपयोग में है
		15. कुरथीजाफरपुर	उपयोग में है
		16. कुशमौर	उपयोग में है
		17. मधुबन	उपयोग में है
		18. आर्यदपुर	उपयोग में है
		19. मऊ सिविल लाइंस	उपयोग में है
		20. मौरबोज	उपयोग में है
		21. मोहम्मदाबाद	उपयोग में है
		22. नदवासराय	उपयोग में है
		23. पिपरीदीह	उपयोग में है
		24. पिपरासाथ	उपयोग में है
		25. रानीपुर	उपयोग में है
		26. रतनपुर	उपयोग में है
		27. शहादतपुर	उपयोग में है

1	2	3	4
		28. सेमरी जलालपुर	उपयोग में है
		29. सिपाह	उपयोग में है
		30. साग्गीचौरी	उपयोग में है
		31. सुलतानपुर	उपयोग में है
		32. सुरजप	उपयोग में है
25.	मिर्जापुर	1. अनगढ़	उपयोग में है
		2. फताहा (टेलीफोन एक्सचेंज भवन)	उपयोग में है
		3. फताहा (एम/ डब्ल्यू भवन)	उपयोग में है
		4. गरपुरा	उपयोग में है
		5. लालगंज	उपयोग में है
		6. हटिया	उपयोग में है
		7. पाटीहारा	उपयोग में है
		8. बहुटी	उपयोग में है
		9. मनीहर	उपयोग में है
		10. राजगढ़	उपयोग में है
		11. अहरौरा	उपयोग में है
		12. चौकिया	उपयोग में है
		13. चुनाई	उपयोग में है
		14. रोबर्टसगंज	उपयोग में है
		15. चुर्क	उपयोग में है
		16. चौपान	उपयोग में है
		17. डाला	उपयोग में है
		18. शक्तिनगर	उपयोग में है
		19. रिहन्दनगर	उपयोग में है
		20. पिपरी (एम/डब्ल्यू)	उपयोग में है
		21. दुधी	उपयोग में है
		22. सीखड़	उपयोग में है
26.	ओराई	1. काल्पी	उपयोग में है
		2. जलौन	उपयोग में है
		3. कुथौण्ड	उपयोग में है
		4. कोञ्च	उपयोग में है
		5. ओराई	उपयोग में है
27.	प्रतापगढ़	1. प्रतापगढ़	उपयोग में है
		2. कुण्डा	उपयोग में है
		3. लालगंज	उपयोग में है
		4. अंटू	उपयोग में है
28.	रायबरेली	1. फिरोज गांधी नगर	उपयोग में है
		2. देवेन्द्रपुर, अमावम रोड	उपयोग में है
		3. एचपीओ काम्पाउण्ड	उपयोग में है
		4. सलोन	उपयोग में है
		5. तिलोई	उपयोग में है
		6. डालमाऊ	उपयोग में है
		7. जाईस	उपयोग में है
		8. लालगंज	उपयोग में है

1	2	3	4
29.	शाहजहांपुर	1. तिलहर	उपयोग में है
		2. पोवायान	उपयोग में है
		3. रोसा	उपयोग में है
		4. शाहजहांपुर	उपयोग में है
		5. सिन्धौली	उपयोग में है
30.	सीतापुर	1. सीतापुर	उपयोग में है
		2. मिशरीख	उपयोग में है
		3. मोहाली	उपयोग में है
		4. सिधौली	उपयोग में है
		5. महमूदाबाद	उपयोग में है
		6. लहारपुर	उपयोग में है
		7. नीमसार	उपयोग में है
31.	सुल्तानपुर	1. सुल्तानपुर	उपयोग में है
		2. अमेठी	उपयोग में है
		3. मुसाफिरखाना	उपयोग में है
		4. जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र	उपयोग में है
		5. गौरीगंज	उपयोग में है
		6. रामगंज	उपयोग में है
		7. हनुमानगंज	उपयोग में है
		8. रावानिया	उपयोग में है
		9. कैपुर	उपयोग में है
32.	उन्नाव	1. सिविल लाईन	उपयोग में है
		2. शुक्लागंज	उपयोग में है
		3. हसनगंज	उपयोग में है
		4. पूर्वा	उपयोग में है
		5. बीघापुर	उपयोग में है
		6. नवलगंज	उपयोग में है
		7. औद्योगिकी क्षेत्र	उपयोग में है
		8. साफीपुर	उपयोग में है
		9. पी.डी. नगर	उपयोग में है
33.	वाराणसी	1. बनिया बाग	उपयोग में है
		2. कैण्ट	उपयोग में है
		3. पहाड़िया II	उपयोग में है
		4. पहाड़िया I	उपयोग में है
		5. शिवपुर	उपयोग में है
		6. शिवपुरवा	उपयोग में है
		7. दुर्गाकुण्ड	उपयोग में है
		8. लालपुर	उपयोग में है
		9. डीएलडब्ल्यू वाराणसी	उपयोग में है
		10. हारतिरथ	उपयोग में है
		11. एम.ए. रोड	उपयोग में है
		12. अशोक विहार पहाड़िया फेज-I	उपयोग में है
		13. संजय गांधी नगर	उपयोग में है
		14. कबीर नगर दुर्गाकुण्ड	उपयोग में है

1	2	3	4
		15. टिकड़ी	उपयोग में है
		16. राजतलब	उपयोग में है
		17. गोपीगंज टाउन	उपयोग में है
		18. भदोही	उपयोग में है
		19. ज्ञानपुर टाउन	उपयोग में है
		20. कमारिया	उपयोग में है
		21. चकिया	उपयोग में है
		22. चन्दौली	उपयोग में है
		23. मुगल सराय	उपयोग में है
		24. नौगढ़	उपयोग में है
		25. रामनगर (I)	उपयोग में है
		26. सकलडिहा	उपयोग में है
		27. विष्णुपुर	उपयोग में है

पीक्यूडीवाई 16635 उ.प्र. (प.) सर्किल

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	निर्मित विभागीय टेलीफोन एक्सचेंज भवन की संख्या	प्रयोग में लाए जा रहे/प्रयास में न लाए जा रहे टेलीफोन एक्सचेंज भवन की संख्या
1	2	3	4
1.	नोएडा	1. सेक्टर-19	उपयोग में है
		2. सेक्टर-62	उपयोग में है
		3. सेक्टर-39	उपयोग में है
		4. सेक्टर-58	उपयोग में है
		5. सेक्टर-24	उपयोग में है
		6. एनईपीजेड	उपयोग में है
		7. सुरजपुर	उपयोग में है
		8. कसना	उपयोग में है
		9. तिलपट्टा	उपयोग में है
		10. डेल्टा	उपयोग में है
		11. दादरी	11 उपयोग में है
2.	गाजियाबाद	1. राजनगर	उपयोग में है
		2. नेहरूनगर	उपयोग में है
		3. संजय नगर	उपयोग में है
		4. गोविंदपुरम	उपयोग में है
		5. नंदग्राम	उपयोग में है
		6. पटेल नगर	उपयोग में है
		7. प्रताप विहार	उपयोग में है
		8. इंद्रापुरम	उपयोग में है
		9. वसुंधरा	उपयोग में है
		10. कौशम्बी	उपयोग में है
		11. राजेन्द्रनगर	उपयोग में है
		12. शाहदरा पूर्व	उपयोग में है
		13. मोदीनगर	उपयोग में है
		14. मुरादनगर	उपयोग में है
		15. लोनी	उपयोग में है
		16. पिलखुवा	उपयोग मे है

1	2	3	4
		17. हापुड़ पुराना एक्सचेंज	उपयोग में है
		18. गढ़	उपयोग में है
		19. हापुड़ नया एक्सचेंज	उपयोग में है
3.	बुलंदशहर	1. भूर	उपयोग में है
		2. मोतीबाग	उपयोग में है
		3. खुर्जा	उपयोग में है
		4. सिकन्दराबाद	उपयोग में है
		5. सैटेलाइट सिकन्दराबाद	उपयोग में है
		6. देबाई	उपयोग में है
		7. जहांगीरबाद	उपयोग में है
		8. नरोरा	उपयोग में है
4.	मथुरा	1. चट्टा	उपयोग में है
		2. चैतन्य विहार	उपयोग में है
		3. गोवर्धन	उपयोग में है
		4. कोशी	उपयोग में है
		5. डैम्पियर नगर	उपयोग में है
		6. राधापुरम	उपयोग में है
		7. सदाबाद	उपयोग में है
		8. टाऊनशिप	उपयोग में है
		9. वृन्दावन	उपयोग में है
5.	बरेली	1. आई.टी.पी. नगर	उपयोग में है
		2. पीताम्बरपुर	उपयोग में है
		3. इफको	उपयोग में है
		4. रिचना	उपयोग में है
		5. बहेरी	उपयोग में है
		6. चौपला	उपयोग में है
		7. राजेन्द्रनगर	उपयोग में है
		8. सीटीओ काम्पाउण्ड	उपयोग में है
6.	सहारनपुर	1. गुरुद्वारा रोड	उपयोग में है
		2. मिशन कम्पाठण्ड	उपयोग में है
		3. तहरपुर	उपयोग में है
		4. बेहाट	उपयोग में है
		5. देवबैण्ड	उपयोग में है
		6. जांधेरा	उपयोग में है
		7. तालहेरी बुजूर्ग	उपयोग में है
		8. फंडपुरी	उपयोग में है
		9. गंगोह	उपयोग में है
7.	बदायूं	1. बदायूं	उपयोग में है
		2. उझनी	उपयोग में है
8.	मुरादाबाद	1. सिविल लाइन	उपयोग में है
		2. चन्दौसी	उपयोग में है
		3. सम्भल	उपयोग में है
		4. अमरोडा	उपयोग में है
		5. गजरौला	उपयोग में है
		6. बिलारी	उपयोग में है

1	2	3	4
		7. कैलसा	उपयोग में है
		8. पकबारा	उपयोग में है
		9. सोनकपुर	उपयोग में है
		10. सिंहपुर साहनी	उपयोग में नहीं है
		11. बहजोल	उपयोग में नहीं है
		12. मानसरोवर	उपयोग में नहीं है
9.	मेरठ	1. डोघट (बीपीटी)	उपयोग में है
		2. अमीनगर सराय (बीपीटी)	उपयोग में है
		3. खेकड़ा (बीपीटी)	उपयोग में है
		4. बागपत	उपयोग में है
		5. बड़ौत	उपयोग में है
		6. श्रद्धाना (मेरठ)	उपयोग में है
		7. ब्रह्मापुरी	उपयोग में है
		8. उद्योगपुरम	उपयोग में है
		9. घंटाघर	उपयोग में है
		10. श्रद्धापुरी नया एक्सचेंज	उपयोग में है
		11. श्रद्धापुरी पुराना एक्सचेंज	उपयोग में है
		12. बाउण्डरी रोड	उपयोग में है
		13. शास्त्री नगर	उपयोग में है
		14. पल्लव पुरम	उपयोग में है
		15. गंगानगर	उपयोग में है
		16. आरएसयू जीपीओ	उपयोग में है
		17. मवाना	उपयोग में है
		18. परीक्षितगढ़	उपयोग में है
		19. फलावड़ा	उपयोग में है
		20. किथौड़	उपयोग में है
		21. हस्तिनापुर	उपयोग में है
		22. खरखंडा	उपयोग में है
10.	मुजफ्फरनगर	1. पटेल नगर	उपयोग में है
		2. उल्मासपुर	उपयोग में है
		3. खटौली	उपयोग में है
		4. शामली	उपयोग में है
		5. कैराना	उपयोग में है
		6. उन्न	उपयोग में है
		7. बाबरी	उपयोग में है
		8. झिंझना	उपयोग में है
		9. मोहम्मदपुर राय सिंह	उपयोग में है
		10. निर्मणा	उपयोग में है
		11. सिसौली	उपयोग में है
		12. घाटियान	उपयोग में है
		13. रतनपुरी	उपयोग में है
		14. थानाभवन	उपयोग में है
		15. लंक	उपयोग में है
		16. कहरार	उपयोग में है

1	2	3	4
		17. हसनपुर लोहाड़ी	उपयोग में है
		18. जसोई	उपयोग में है
		19. गढ़ी अब्दुल्ला	उपयोग में है
		20. सोता	उपयोग में है
		21. डूंगर	उपयोग में है
11.	पीलभीत	1. पुराना टेलीफोन एक्सचेंज पीलभीत	उपयोग में है
		2. नया टेलीफोन एक्सचेंज पीलभीत	उपयोग में है
		3. पूरनपुर	उपयोग में है
		4. बिसालपुर	उपयोग में है
		5. इटगांव	उपयोग में है
		6. माधव टंडा	उपयोग में है
12.	रामपुर	1. सिविल लाइन रामपुर	उपयोग में है
		2. सिटी एक्सचेंज रामपुर	उपयोग में है
		3. मिलक	उपयोग में है
		4. शाहाबाद	उपयोग में है
		5. टंडा	उपयोग में है
		6. स्वार	उपयोग में है
		7. केमरी	उपयोग में है
		8. बिलासपुर	उपयोग में है
13.	एताह	1. एताह	उपयोग में है
		2. कसगंग	उपयोग में है
		3. जलेसर	उपयोग में है
14.	आगरा	1. टैक्सभवन आगरा	उपयोग में है
		2. फाउण्डरी नगर	उपयोग में है
		3. संजय प्लेस	उपयोग में है
		4. ट्रांसपोर्ट नगर	उपयोग में है
		5. ताजनगर एक्सचेंज (क्वार्टर)	उपयोग में है
		6. तोरा	उपयोग में है
		7. बोडला	उपयोग में है
		8. शमशाबाद	उपयोग में है
		9. सिकंदरा	उपयोग में है
		10. सुहागनगरी फिरोजाबाद	उपयोग में है
		11. नई बस्ती फिरोजाबाद	उपयोग में है
		12. टुण्डला	उपयोग में है
		13. शागंज	उपयोग में है
		14. अचनेरा	उपयोग में है
		15. माइक्रोवेव कंपाउण्ड फिरोजाबाद	उपयोग में है
		16. सीटीओ कंपाउण्ड आगरा	उपयोग में है
		17. ताज नगरी	उपयोग में नहीं है
		18. एतमादपुर	उपयोग में नहीं है
		19. जईदपुरकाला	उपयोग में नहीं है
15.	अलीगढ़	1. सिविल लाइन	उपयोग में नहीं है

1	2	3	4
		2. तालांगरी	उपयोग में है
		3. भुकरावली	उपयोग में है
		4. नाई का नागला (हाथरस)	उपयोग में है
		5. मथुरा रोड हाथरस	उपयोग में है
		6. सासनी	उपयोग में है
		7. गभाना	उपयोग में है
		8. बिजोली	उपयोग में नहीं है
16.	बिजनौर	1. टेलीफोन एक्सेंचज भवन मेरठ रोड	उपयोग में है
		2. नाजिबाबाद	उपयोग में नहीं है
		3. फीना	उपयोग में नहीं है
		4. पुरानी	उपयोग में नहीं है
		5. शेरकॉट	उपयोग में नहीं है
		6. बराहापुर	उपयोग में नहीं है
		7. बस्ता	उपयोग में नहीं है
		8. पिपलसाना	उपयोग में नहीं है
		कुल	173

राज्य के उन स्थानों के नाम जहां टेलीफोन भवन का निर्माण हो गया है एवं सभी भवनों का उपयोग हुआ है (उत्तरांचल)

क्रमांक	गौण स्विचन क्षेत्र	स्थानों के नाम
1	2	3
1.	अल्मोरा	अल्मोरा
2.		पिथौड़गढ़
3.		रानीखेत
4.		कसरदेवी
5.		लोहाघाट
6.	देहरादून	ममूरी
7.		राजपुर
8.		क्रॉस रोड
9.		लक्ष्मी रोड
10.		विधान सभा
11.		क्लेमाउण्ट टाउन
12.		पटेल नगर
13.		इंद्रा नगर
14.		विकास नगर
15.		चक्राता
16.		ऋषिकेश
17.		प्रेम नगर
18.	हरिद्वार	हरिद्वार
19.		भीमगुडा
20.		लक्सर
21.		रूड़की सिविल लाइन
22.		ज्वालपुर
23.		शिवालिक नगर
24.		धीरवाली

1	2	3
25.		धांधेड़ा
26.		भवनपुर
27.		रूड़की रामनगर
28.		गुरूकुल नरसान
29.	नैनीताल	नैनीताल
30.		भीमताल क
31.		भीमताल ख
32.		भोवाली
33.		कालडुंगी
34.		रामनगर
35.		हल्द्वानी क
36.		हल्द्वानी ख
37.		रूद्रपुर क
38.		रूद्रपुर ख
39.		किछा क
40.		किछा ख
41.		सितारगंज
42.		तनकपुर
43.		काशीपुर क
44.		काशीपुर ख
45.	नई टेहरी	नई टेहरी
46.		नरेन्द्र नगर
47.		उत्तर काशी
48.	श्रीनगर	श्रीनगर
49.		पोड़ी
50.		कोटवाड
51.		लैंसडाउन
52.		गोपेशवार
53.		जोशीमथ
54.		चमोली

[अनुवाद]

ब्राजील में भारतीय दूतावास भवन का निर्माण

4126. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील की सरकार ने वहां भारतीय दूतावास के निर्माण के लिए 1965 में एक भू खण्ड उपहार में दिया था;

(ख) यदि हां, तो ब्राजील में भारतीय दूतावास भवन के निर्माण में असाधारण विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक ब्राजील में भारतीय दूतावास भवन के किराये पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ब्राजील में भारतीय दूतावास भवन के शीघ्र निर्माण हेतु क्या प्रयास किए गए है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना पर एक वास्तुकार की पहचान किए जाने के साथ ही 1965 में कार्रवाई शुरू की गई थी, परंतु 1970 के दशकों में 1971 के युद्ध और उसके बाद तेल संकट के मद्देनजर सरकार द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से परियोजना में पुन: विलंब हो गया। 80 के दशकों में प्रयास पुन:

प्रयास किए गए। यद्यपि ब्राजील में मुद्रास्फिति के कारण, परियोजना को आर्थिक रूप से पूरा करना उचित नहीं समझा गया विशेषकर कम किरायों की तुलना में निर्माण लागत अत्याधिक थी। उसके बाद 1990 में खाड़ी युद्ध के कारण विदेशों की परियोजनाएं रोक दी गई। 90 के दशक के मध्य में पुन: प्रयास किए गए परंतु परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित नहीं हो सकी। 2000 के शुरू में निर्माण लागत में गिरावट देखी गई। तथापि, आर्थिक परिस्थिति बनने में कुछ समय जिसके बाद नए वास्तुकार के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई और अंतत वर्ष 2004 में औनचारिक नियुक्ति की जा सकी।

(ग) 1982 से रिकार्ड उपलब्ध है और चांसरी दूतावास और अन्य आवासों के किरायों पर अब तक 17.158 करोड़ रु. खर्च हो चुके है।

(घ) अब स्थिति सामान्य हो गई है और परियोजना पर पहले ही पहल शुरू की जा चुकी है। सरकार, परियोजना के शीघ्र निर्माण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। निर्माण परियोजना के लिए एक स्थानीय वास्तुकार का चयन किया जा चुका है और ड्राइंग और अनुमानित लागत तैयार किए जा चुके है।

उड़ीसा में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क

4127. श्री विक्रम केशरी देव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार से राज्य में एक-प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के कालाहांडी जिले में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त पार्क कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने अभी तक उड़ीसा सरकार से राज्य में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करने के संबंध में सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

विदेश स्थित मिशनों में भारतीय संस्कृति संबंधी पुस्तकों की अनुपलब्धता

4128. डा. के. धनराजू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विदेशों में स्थित विशेष रूप से फ्रांस में स्थित भारतीय मिशनों/दूतावासों में भारतीय संस्कृति तथा भारतीय मूल्यों संबंधी पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि बड़ी संख्या में भारतीय अधिकांशत: पांडिचेरी के तमिल, जो फ्रांसीसी 'संस्कृति का वातायन' के रूप में जाना जाता है जैसा कि स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, फ्रांस में रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो फ्रांस में रहने वाले तमिलों की बड़ी संख्या के लाभ के लिए दूतावासों के पुस्तकालय में तमिल संस्कृति तथा साहित्य पर पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) विदेशों में भारतीय मिशनों और पोस्टों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से भारतीय संस्कृति और साहित्य की पुस्तकों की पर्याप्त आपूर्ति और विविधता है। पेरिस में भारत के राजदूतावास में लगभग 7,000 पुस्तके हैं जिनमें भारतीय संस्कृति और साहित्य की पुस्तकें भी शामिल हैं।

(ग) यह अनुमान लगाया जाता है कि फ्रांस में तमिल समुदाय से संबंधित लगभग 55,000 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनमें से अधिकतम फ्रांस देश के राष्ट्रिक हैं।

(घ) पेरिस में भारत के राजदूतावास में कई तमिल प्रकाशन उपलब्ध है।

[अनुवाद]

हेपेटाइटिस बी का टीका

4129. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हेपेटाइटिस-बी के टीके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों तथा सी.जी.एच.एस. के औषधालयों में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में 'हेपेटाइटिस बी' के टीकाकरण का कार्य निजी एजेंसियों को सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो इन एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ङ) ये एजेंसियां टीके का क्रय कहां से कर रही हैं जिनकी कीमत वयस्क के लिए 50 रु. तथा बच्चों के लिए 30 रुपये आती है जिसे प्राइवेट एजेंसियां दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में कैम्पों का आयोजन कर यह टीके लगा रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार औषधालयों के माध्यम से यह सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) दिल्ली में सभी केन्द्र सरकार के अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में हेफाटाइटिस-बी वैक्सीन उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) देश में 15 शहरों और 33 जिलों, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, में ग्लोबल एलायंस और वैक्सीन एवं इम्यूनाइजेशन (गावी) की सहायता से हेपाटाइटिस-बी कार्यक्रम को प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत दिल्ली को हेपाटाइटिस-बी वैक्सीन और आटो डिसएबल सिरिंजें केंद्रीय आपूर्ति के भाग के रूप में प्रदान की जाती है। गावी द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार यूनिसेफ हेपाटाइटिस-बी वैक्सीन को 15.36 रुपये प्रति खुराक की दर से खरीदता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया हे कि वे एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिल्ली राज्य की नेभी रोग प्रतिरक्षण अनुसूची/कार्यक्रम में हेपाइटिस-बी के लिए रोगप्रतिरक्षण/टीकाकरण प्रदान करते हैं और यह औषधालयों सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त निधियां

4130. श्री प्रहलाद जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में एड्स के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौा क्या है;

(ख) क्या ऐसे गैर-सरकारी संगठनों ने ऐसी निधियों का पूर्ण उपयोग कर लिया है और क्या वे एड्स के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार कर रहे हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों के ऐसे पैकेजों के आधार पर सरकार ने एड्स के नियंत्रण के लिए कोई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2 के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों के वित्त का विकेन्द्रीकरण कर दिया या है जिसके अंतर्गत निधियां संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा दी जाती हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन किसी गैर-सरकारी संगठनों को सीधे निधि प्रदान नहीं करता परन्तु राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को व्यापाक कार्यात्मक एवम्, लागत संबंधी मार्गनिर्देश प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षित कार्यकलाप करने और सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना में गैर-सरकारी संगठनों हेतु अनुमोदित निधियों के बारे में सूचना वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ)पेशेवर यौन-कार्यकर्ता (सी.एस.डब्ल्यू.) पुरुषों के साथ यौनाचार करने वाले पुरुषों, टीके द्वारा औषध के उपयोगकर्ता (आई.यू.डी), ट्रकवाले प्रवासी मजदूरों जैसे एच आर वी के उच्च जोखिम वाले समूहों में लक्षित कार्यकलाप करने और एच आई वी/एड्स से पीड़ित लोगों को परिचर्या और पहुंच बाह्य (आऊटरीच) सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा आबंटित की जाती हैं। ये आवंटित निधियां नाको के मार्गनिर्देशों पर आधारित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग की जाती हैं। गैर-सरकारी संगठनों को निधियां उनके द्वारा पहले छह महीनों में निधियों

के उपयोग बाबत प्रगति रिपोर्ट और अगले छह महीनों में उनके द्वारा निधियों के उपयोग संबंधी उनकी क्षमता के आधार पर जारी की जाती हैं। यदि ऐसा पाया जाता है कि निधियो का उपयोग संतोषजनक नहीं है और लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी है तो राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी परियोजना वापिस ले सकती है और आगे वित्त पोषण रोक सकती है। इस प्रकार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा गैर-सरकारी संगठनों की ओर से निधियों के पूर्ण और समुचित उपयोग के संबंध में उचित देखरेख की जा रही है। कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच आपसी तालमेल निरन्तर बना हुआ है। कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करते समय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदत्त सूचना (थीडबैक) पर विचार किया जाता है।

विवरण

लक्षित कार्यकलापों और सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के बारे में विवरण

क्रम सं.	राज्य	2002-03 (लाख रुपए में)		2003-04 (लाख रुपए में)		2004-05 (लाख रुपए में)	
		लक्षित कार्यकलापों हेतु गै.स. संगठन सहायता	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	लक्षित कार्यकलापों हेतु गै.स. संगठन सहायता	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	लक्षित कार्यकलापों हेतु गै.स. संगठन सहायता	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	15.82		20.00		35.00	15.00
2.	अहमदाबाद	6.25		170.00	10.00	195.00	20.00
3.	आन्ध्र प्रदेश	151.76	67.40	1000.00	84.00	1100.00	85.00
4.	अरूणाचल प्रदेश	15.51		40.00		50.00	15.00
5.	असम	172.00		225.00	30.00	300.00	30.00
6.	बिहार	95.51		100.00	20.00	200.00	20.00
7.	चंडीगढ़	35.00		50.00	10.00	80.00	15.00
8.	छत्तीसगढ़	40.00		60.00		80.00	20.00
9.	चेन्नई	95.00	35.00	105.00	45.00	110.00	30.00
10.	दादरा व नगर हवेली	8.28		15.00		20.00	15.00
11.	दमन व दीव	10.00		15.00		25.00	15.00

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	दिल्ली	126.18		150.00	45.00	240.00	45.00
13.	गोवा	57.00		63.00	20.00	75.00	30.00
14.	गुजरात	38.10		900.00	15.00	850.00	30.00
15.	हरियाणा	110.00		150.00		100.00	20.00
16.	हिमाचल प्रदेश	40.00			20.00	85.00	15.00
17.	जम्मू-कश्मीर	40.00		30.00		40.00	20.00
18.	झारखण्ड	40.00		50.00		90.00	10.00
19.	कर्नाटक	165.00	87.65	280.00	100.00	400.00	100.00
20.	केरल	66.58		95.00	40.00	100.00	50.00
21.	लक्षदीप	9.00		15.00		15.00	10.00
22.	मध्य प्रदेश	144.92		180.00	20.00	150.00	20.00
23.	महाराष्ट्र	150.00	75.00	250.00	40.00	300.00	50.00
24.	मुम्बई (एम.पी.)	200.00	47.00	170.00	47.00	200.00	60.00
25.	मणिपुर	234.75	112.65	325.00	115.00	380.00	115.00
26.	मेघालय	26.00		35.00		50.00	15.00
27.	मिजोरम	92.00		115.00	20.00	135.00	15.00
28.	नागालैंड	165.00	62.50	170.00	20.00	250.00	50.00
29.	उड़ीसा	17.00		250.00		220.00	15.00
30.	पांडिचेरी	16.00		20.00	20.00	9.00	15.00
31.	पंजाब	16.00		170.00		150.00	20.00
32.	राजस्थान	99.81			20.00	160.00	30.00
33.	सिक्किम	15.00		25.00		30.00	15.00
34.	तमिलनाडु	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	त्रिपुरा	36.00		40.00		40.00	15.00
36.	उत्तरांचल	15.26		50.00		37.00	20.00
37.	उत्तर प्रदेश	259.21		500.00	20.00	400.00	20.00
38.	पश्चिम बंगाल	160.00		700.00	35.00	800.00	35.00
	कुल	3383.94	587.2	6933.00	896.00	7901.00	1220.00

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि का कार्य-निष्पादन

4131. श्री सुबोध मोहिते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि (एनपीएसएफ के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस निधि से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निधियां प्रदान करने के बावजूद, राज्य सरकारें अपने राज्यों में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित करने में असफल रही हैं;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि अर्थात जनसंख्या स्थिरता कोष को सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों, निगमित क्षेत्र, उद्योग, व्यापार संगठनों, व्यक्तियों आदि से प्राप्त संसाधनों को जनसंख्या स्थिरीकरण की परियोजनाओं की सहायता के लिए एकीकृत करने हेतु 12 जून 2003 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस कोष के कार्यकरण की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में शासी बोर्ड द्वारा दो बार समीक्षा की गई थी। इस बोर्ड की 22-3-2005 को हुई पिछली बैठक में शासी निकाय तथा कोष के शासी बोर्ड को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया।

जहां सरकार ने कोष के कार्पस फंड में 100 करोड़ रुपए का अंशदान किया है वहीं निगमित क्षेत्र, उद्योग, व्यापार संगठनों आदि से अभी तक कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (छ) जनसंख्या स्थिरता कोष से अभी तक किसी भी एजेंसी और राज्य सरकार को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई।

कृषि संबंधी राजसहायता का अंतरण

4132. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का जल, विद्युत और खाद में दी जाने वाली कृषि संबंधी राजसहायता को अवसंरचना और भूमि उपयोग में अंतरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि पर राजसहायता को हटाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कृषि और जल क्षेत्र की पुनर्संरचना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) फिलहाल, जल, विद्युत और खाद में दी जाने वाली कृषि सब्सिडी को अवसंरचना और भूमि उपयोग में अंतरित करने संबंधी कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सब्सिडी के कतिपय पहलुओं, जो फसल पैटर्न को विकृत करते हैं और जिनका प्राकृतिक संसाधनों पर नष्टकारी प्रभाव भी होता है, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) कृषि सब्सिडी को बंद करने का कोई भी प्रस्ताव योजना आयोग के विचारधीन नहीं है।

(घ) से (च) कृषि और जल क्षेत्रक के विकास के लिए पहचान किए गए क्षेत्र हैं- सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन में बढ़ता हुआ सार्वजनिक निवेश, जल संभर विकास और कृषि अनुसंधान में सुधार और पुनर्नवीकरण तथा विस्तार।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा

4133. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता बढ़ रही है और क्या आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के दुष्प्रभावों और खामियों के कारण और अधिक व्यक्ति इन पद्धतियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित नए अस्पतालों/औषधालयों/क्लीनिकों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) पश्चिमी देशों सहित दुनिया के कुछ भागों में आयुर्वेद की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है और आयुर्वेद अध्यापन के लिए विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति हेतु आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अमरीका में कनेक्टीकट विश्वविद्यालय के चिकित्सा छात्रों को आयुर्वेद के विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिए एक आयुर्वेद विशेषज्ञ को प्रतिनियुक्त किया गया है। यू.के., जर्मनी, हंगरी आदि में कार्य कर रहे कुछ गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट से यह भी ज्ञात हो रहा है कि उपचार की वेकल्पिक पद्धति के रूप में आयुर्वेद की मांग बढ़ रही है।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के सवंर्धन के लिए सरकार ने अनेक केंद्र क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं प्रारंभ की हैं। शैक्षणिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान क्रियाकलापों के संवर्धन, औषधीय पादपों की कृषि, शैक्षणिक सुविधाओं के उन्नयन, औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं व फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण, जिला अस्पतालों में भाचिप एवं हो. स्कंध, विशिष्टता निदानालय/बहु निदानालय खोलने अनिवार्य भाचिप एवं हो. औषधियों की आपूर्ति आदि हेतु इन स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ङ) और (च) संविधान के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य राज्य संबंधी विषय होने के कारण, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अस्पतालों, औषधालयों और निदानालयों की स्थापना करना राज्य सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के औषधालयों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के नए औषधालयों को स्थापित करने संबंधी प्रावधान भी हैं।

परमाणु ऊर्जा का उपयोग

4134. श्री सीताराम यादव :
श्री के.एस. राव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक महंगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हम इस संसाधन का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या औद्योगिक उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु कोई विशेष जोर दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(च) क्या सरकार का सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं। परमाणु बिजलीघरों से उत्पन्न बिजली की लागत उन ताप बिजलीघरों के तुलनीय है जो कोयले की खदानों से दूर स्थित हैं।

(ख) यह लागू नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) एनपीसीआईएल द्वारा उत्पादित बिजली की आपूर्ति लाभभोगी राज्य विद्युत बोर्डों को औद्योगिक उपयोग सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को आगे सप्लाई करने के लिए की जाती है।

(ङ) आने वाले पांच वर्षों (2005-2006 से 2009-2010 तक) के लिए परमाणु विद्युत के उत्पादन के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, उक्त अवधि में लगभग 1,40,000 मिलियन यूनिट (एमयूज) परमाणु विद्युत का उत्पादन होने की आशा है। वर्ष 2005-2006 के लिए 16,800 मिलियन यूनिट का लक्ष्य रखा गया है।

(च) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की सार्वजनिक क्षेत्र की दो सरकारी कम्पनियों द्वारा और अधिक परमाणु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है।

(छ) 10वीं योजना में और 11वीं योजना के शुरू में आरम्भ की जाने वाली परमाणु विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थल सरकार के विचाराधीन हैं। तथापि, इन परियोजनाओं की जगहों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का बंद होना

4135. श्री संतोष गंगवार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा सार्वजनिक टेलीफोन बूथों से प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत अर्जित राजस्व किया जाता है;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान एमटीएनएल और बीएसएनएल के अनेक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बंद हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन दोनों कंपनियों को उक्त स्थिति के कारण कितना घाटा होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस आवर्ति घाटे को रोकने हेतु की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन कनेक्टिविटी

4136. चौधरी लाल सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के अधिकांश जिलों को अभी तक टेलीफोन कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर डोडा, उधमपुर और कठुआ जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या जम्मू-कश्मीर में विशेषकर उक्त जिलों के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डोडा, उधमपुर और कठुआ जिलों के लिए एक्सचेंज क्षमता, सीधी एक्सचेंज लाइनों, प्रतीक्षा सूची (डब्ल्यू/एल) तथा एक्सचेंजों की संख्या के संबंध में 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां। वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) बेस टर्मिनल स्टेशनों (बीटीएस) की संस्थापना के लिए जिन स्थलों की पहचान की गई है उनके जिले-वार ब्योरे निम्नानुसार हैं:

जिला डोडा : गूल, माहोर, रामबन, डोडा, थाटरी, भद्रवाह, बांकोट और किश्तवार।

जिला उधमपुर : सलाल, पौनी, कटरा, उधमपुर, कुदमांड, रामनगर, ठीयल, मनस्वार और मनवाल।

जिला कठुआ : बशोली, महानपुर, बिल्लावर, गुजरू, नगरोटा, कठुआ, लखनपुर, बरनोटी, चडवाल, गगवाल, मारहीन, जंगलोर, बरवाल, गैंथिया, दिगांबा, नगरीपरोल तथा हीरानगर।

उपर्युक्त स्टेशनों पर बीटीएस की स्थापना करने के बाद इन तीनों जिलों के लगभग संपूर्ण क्षेत्र को कवर कर लिया जाएगा।

(ङ) लंबित प्रस्तावों को 2006-07 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

डोडा, उधमपुर और कठुआ जिलों के लिए एक्सचेंज क्षमता, सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल), प्रतीक्षा सूची (डब्ल्यू/एल) तथा एक्सचेंजों की संख्या।

क्र. सं.	जिले का नाम	एक्सचेंज क्षमता (लाइनों में)	सीधी एक्सचेंज लाइनें	प्रतीक्षा सूची	एक्सचेंजों की संख्या
1.	डोडा	14296	9509	835	20
2.	उधमपुर	28100	29772	978	43
3.	कठुआ	22628	14309	2188	37

क्रेडिट लिंक्ट कैपिटल सब्सिडी स्कीम

4137. **श्री अधीर चौधरी** : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु भेषज इकाइयों से संबंधित क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के अन्तर्गत उन मामलों का ब्योरा क्या है जिनमें प्रमुख ऋणदाता संस्थाओं और सिडबी के बीच प्रक्रियागत अपर्याप्तता के कारण पात्र ऋण लेने वाले इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता से वंचित हो रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में वर्षवार ब्योरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योग इकाइयों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) जोकि राष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.) के कार्यान्वयन के संबंध में दो नोडल अभिकरणों में से एक है, की 13 अप्रैल, 2005 की स्थिति अनुसार प्राप्त सूचना के अनुसार सी एल सी एस एस के तहत प्राइमरी लैंडिंग संस्थानों (पी एल आई) तथा सिडबी के बीच प्रक्रियात्मक अपर्याप्ताओं के कारण लघु फार्मा यूनिटों से संबंधित कोई दावा लम्बित नहीं है।

(ख) स्कीम के शुरू होने तथा 31 मार्च, 2005 तक फार्मा सेक्टर सहित सी एल सी एस एस के तहत स्वीकृत सब्सिडी का ब्योरा नीचे तालिका में प्रस्तुत है:-

वर्ष	यूनिटों की संख्या		आवधिक ऋण लाख रुपये में		सब्सिडी (लाख रुपये में)	
	सभी सेक्टर	फार्मा	सभी सेक्टर	फार्मा	सभी सेक्टर	फार्मा
2001-02	9	0	158.15	0.00	21.36	0.00
2002-03	47	3	1,127.05	61.69	93.97	1.69
2003-04	150	1	3,707.96	10.47	374.90	1.00
2004-05	512	17	16,537.90	655.00	1,348.08	56.98
योग	718	21	21,531.06	727.16	1,838.31	59.67

(ग) प्रौद्योगिकीय अप्रचलन के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने के उद्देश्य से, नए उप क्षेत्र/उत्पाद तथा संबद्ध प्रौद्योगिकियां समय समय पर सी एल सी एस एस के तहत 'स्वीकृत सूची' में जोड़ी जाती है।

संघीय बजट 2004-05 में की गई घोषणा के अनुसार सी एल सी एस एस के तहत सब्सिडी दर तथा ऋणों की सीमा में इजाफा करना, लघु उद्योग के लिए सम्वर्धनात्मक पैकेज के एक भाग के रूप में है जो कि निर्माण के अन्तिम चरण में है।

[हिन्दी]

नकली दवा निर्माता कंपनियों के विरुद्ध अभियान

4138. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नकली दवा निर्माता कंपनियों की पहचान करने के लिए एक अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के फर्जी चिकित्सकों द्वारा ही अधिकांशत: ये नकली दवाएं लिखी जाती हैं क्योंकि उन्हें इन दवाओं पर भारी कमीशन मिलता है;

(घ) यदि हां, तो इसे प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) चोरी-छीपे किए जाने वाला कार्य होने के कारण नकली औषधों की वास्तविक मात्रा का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता। तथापि, राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 की अवधि के दौरान 38824, 43138 और 40862 औषध नमूनों की जांच की गई थी जिनमें से क्रमश: 96,129 और 118 नमूने नकली पाए गए थे जो कि सूचित किए गए नमूनों का 0.33 प्रतिशत, 0.29 प्रतिशत और 0.288 प्रतिशत हैं।

मीडिया द्वारा उल्लिखित आंकड़ों में देश में 10 से 25 प्रतिशत औषधें नकली/मिलावटी बताई गई हैं। ये रिपोर्टें आधारहीन प्रतीत होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक कथित रिपोर्ट के आधार पर मीडिया बेबाकी से कहता है कि विश्व में उत्पादित नकली औषधों में से 35 प्रतिशत औषधें भारत में बनती हैं। तथापि, जांच करने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो इसकी प्रमाणिकता और न ही इन आंकड़ों के स्रोत की पुष्टि की है।

ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है जिससे यह साबित हो कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने वाले झोला छाप डाक्टर ज्यादातर नकली दवाएं लिखते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी औषधों से भारी कमीशन मिलता है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अंतर्गत यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने संबंधित औषध नियंत्रण संगठनों के जरिए औषधों के नियमन, विनिर्माण और बिक्री पर निगरानी रखें तथा नकली/मिलावटी औषधों के चलन की संभावना की निगरानी करें। यह सूचित किया

जाता है कि औषध सहित नकली उत्पाद का व्यापार विश्व भर में चलता है। तथापि, जन स्वास्थ्य पर नकली औषधों के पड़ने वाले गंभीर प्रभावों और असली उद्योग को होने वाली हानि को देखते हुए सरकार ने इस जोखिम से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:-

(i) मिलावटी औषधों के चयन की सम्भावना पर केन्द्रित निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(ii) राज्य सरकारों को औषध परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन अथवा नई औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक क्षमता निर्माण परियोजना शुरू की गई है।

यह आशा है कि देश में प्रति वर्ष मौजूदा लगभग 36,000 नमूनों की जांच बढ़कर 1,00,000 प्रति वर्ष हो जाएगी तथा नमूनों की जांच का रिपोर्टिंग समय जो वर्तमान में 3 से 6 महीने है वह कम होकर एक महीने से भी कम हो जाएगा।

(iii) एफ.डी.ए., महाराष्ट्र की सहायता से आसूचना कार्य संबंधी संभारतंत्र, मुकदमे आदि से जुड़े राज्य सरकार के नियामक अधिकारियों हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। इसे जारी रखने का प्रस्ताव है।

(iv) लाइसेंस देने, नमूने लेने, मुकदमें आदि के संबंध में देश में औषध नियामक अधिकारियों के बीच प्रभावी सूचना का अदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक देशव्यापी कम्प्यूटर नेटवर्किंग परियोजना शुरू की गई है।

इससे प्रवर्तन गतिविधियों की नियमित निगरानी और सुधारात्मक उपाय संस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार सक्षम होगी।

(v) फार्मा उद्योग और व्यापारियों को संयुक्त रूप में नकली औषधों की समस्या से निपटने के लिए प्रेरित किया गया है। फार्मा उद्योग द्वारा सेवा निवृत्त आसूचना अधिकारियों को भाड़े पर लेकर किए गए प्रयासों के जरिए कई मामलों का सफलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है।

(vi) चूंकि नकली औषधों की घटनाओं को समाप्त करना राज्य सरकारों द्वारा किए गए पर्याप्त उपायों पर आधारित होता है इसलिए इस मसले को अक्तूबर, 2002 में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सभी मुख्य मंत्रियों के साथ उठाया गया था।

(क) नकली औषधों की घटनाओं के नियंत्रण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नवम्बर, 2002 में सभी बड़े राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में व्यक्त विचारों को जनवरी, 2003 में कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया था।

(vii) नकली/घटिया औषधों की समस्या समेत देश में औषध नियामक प्रणाली से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए सरकार द्वारा 2003 में गठित माशेलकर समिति की सिफारिशों का विधान में आवश्यक परिवर्तन करने तथा प्रवर्तन कार्यकलापों में सुधार के लिए अनुकरण किया जा रहा है।

उल्लंघनकर्ताओं को कठोर सजा देने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन हेतु दिसम्बर, 2003 में लोक सभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया था जिसमें बड़ी से बड़ी सजा के रूप में मृत्युदण्ड भी शामिल था। इसमें उल्लंघन को गैर जमानती और संज्ञेय तथा संबंधित अदालतों मुकदमों की जल्दी सुनवाई की भी व्यवस्था थी। तेरहवीं लोक सभा भंग होने के साथ ही बिल भी समाप्त (लेप्सड) हो गया और अब इसे कुछ संशोधनों के साथ पुनः प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है।

[अनुवाद]

मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं की संख्या में वृद्धि

4139. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में मोबाइल फोनों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लोगों के लिए अधिक सस्ते वायरलैस फिक्स्ड लाइन फोनों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गत एक वर्ष के दौरान बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के कई उपभोक्ताओं ने मोबाइल फोनों की ओर रूख किया है; और

(च) यदि हां, तो फिक्स्ड फोनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल तथा निजी आपरेटरों द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 2005 में मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या मार्च 2003 में उनकी कुल संख्या की चार गुनी हो गई है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े से स्पष्ट है:

मार्च, 2003	मार्च, 2004	मार्च, 2005
13 मिलियन	33.58 मिलियन	52.17 मिलियन

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर बेतार फोनों और लैंडलाइन फोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर बेतार कनेक्शनों सहित लैंडलाइन कनेक्शनों के लिए, जहां तक प्रशुल्क का संबंध है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मोबाइल फोनों के लचीलेपन और शहरी क्षत्रों में अनेक घरों में कई स्थिर लाइन कनेक्शनों के कारण उपभोक्ता स्थिर लाइन फोनों के स्थान पर मोबाइल फोन ले रहे हैं और लगभग 3% स्थिर लाइन फोन वापस किए गए हैं।

(च) स्थिर फोनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा किए गए/प्रस्तावित विभिन्न उपाय निम्नवत हैं:

(i) स्थिर लाइन उपभोक्ताओं के लिए समय-समय पर "आन डिमांड एरिया" में नि:शुल्क पंजीकरण, नि:शुल्क संस्थापन आदि जैसी विशेष संवर्धनात्मक स्कीमें चलाई गई है।

(ii) लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक आकर्षक प्रशुल्क दरों पर ब्राडबैंड सेवाएं शुरू की गई हैं।

(iii) लैंडलाइन उपभोक्ताओं को नि:शुल्क "फोन प्लस सेवाएं" प्रदान की गई हैं।

मोबाइल फोन हैण्डसेटों का उत्पादन

4140. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल फोन हैण्डसेटों का स्वदेशी रूप से उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्माण प्रर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) भारत में मोबाइल फोन हैंडसेटों का विनिर्माण हाल ही में शुरू हुआ है और इस कारण उनका उत्पादन अभी नगण्य है। मोबाइल फोन हैंडसेटों की अधिकांश मांग आयात के जरिए पूरी की जा रही है। पिछले साढ़े तीन वर्षों की अवधि के दौरान इन हैंडसेटों के आयात का ब्यौरा निम्नवत है :

अवधि	आयातित संख्या (मिलियन में)
अप्रैल, 04 - अक्तूबर, 04	10.23
अप्रैल, 03 - मार्च, 04	15.96
अप्रैल, 02 - मार्च, 03	4.16
अप्रैल, 01 - मार्च, 02	0.32

(घ) सरकार ने मोबाइल फोन हैंडसेटों के देश में विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे कि: विनिर्माण के लिए अपेक्षित वस्तुओं (कच्चा माल, संघटक अवयव, पूंजी माल) के आयात पर सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से छूट, उत्पाद शुल्क से छूट, दायित्व को पूरा करने के प्रयोजनार्थ घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में 100% बिक्री की अनुमति प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) स्कीम को आशोधित करना, आदि।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता देना

4141. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैंसर के नए मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता देने के क्या मानदंड हैं;

(घ) क्या न्यासों द्वारा चलाए जा रहे निजी तथा धमार्थ अस्पताल आर.सी.सी. सुविधा हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे आवेदनों की कुल संख्या कितनी है जो स्वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(च) सरकार द्वारा अपनी स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है;

(छ) कैंसर के मरीजों के इलाज हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली दवाओं और थेरेपी की तुलनात्मक दरों का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार कैंसर के मरीजों को वित्तीय सहायता अथवा सस्ती चिकित्सा मुहैया कराने का है;

(झ) क्या सरकार का विचार टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च सेंटर एंड हास्पीटल, मुम्बई की तर्ज पर और अधिक केन्द्र खोलने का है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) दसवीं योजना के दौरान लक्षित कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों के संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार यह अनुमान है कि देश में हर वर्ष लगभग 7-9 लाख नए कैंसर रोगी हो रहे हैं। यह भी अनुमान है कि किसी निश्चित समय में देश में लगभग 20-25 लाख कैंसर रोगी हैं।

(ग) से (च) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र की मान्यता हेतु मानदंड संलग्न विवरण-I में हैं। वर्ष 2004-05 से कार्यान्वित किए जा रहे संशोधित राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार कवर न किए गए क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी जाएगी। घनी आबादी वाले राज्यों में दूसरे क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को भी मान्याता दी जा सकती है। तथापि, केवल सरकारी संस्थाएं ही क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के रूप में मान्यता की पात्र हैं।

(छ) इस सूचना को केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ज) निर्धन रोगियों के लिए कैंसर की उपचार सुविधाएं केन्द्रीय, राज्य सरकार के अस्पतालों और राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में नाम मात्र के प्रभारों पर उपलब्ध होती हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस मंत्रालय की एक योजना अर्थात राष्ट्रीय आरोग्य निधि है जिसके अन्तर्गत उपचार व्ययों को पूरा करने के लिए कैंसर सहित गंभीर रोगों से पीड़ित निर्धन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(झ) से (ट) इस समय संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 22 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र मान्यता प्राप्त हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मान्यता दिए जाने के लिए लक्षित पांच नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में से दो केन्द्रों को वर्ष 2004-05 में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है।

विवरण-I

नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की मान्यता हेतु मानदड

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी जाएगी:

(क) संस्थान को रेडियो विकिरण चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उनके पास अवश्य ही शल्यचिकित्सा, स्त्री रोग विज्ञान, कान, नाक और गला तथा समुचित उपकरणों और स्टाफ सहित एनिस्थीसियोलॉजी, रोग विज्ञान, कोशिका रोग विज्ञान, रुधिरविज्ञान, जैव रसायन और रेडियो निदान के सहायक विभागों सहित विकिरण अर्बुद विज्ञान के सुविकसित विभाग होने चाहिए।

(ख) केवल कैंसर रोगियों के लिए 50 पलंगों सहित कम से कम 300 सामान्य पलंगों सहित अस्पताल सुविधाएं अथवा केवल कैंसर रोगियों के उपचार के लिए 100 पलंगों के अस्पताल सहित संस्था/संस्थान के पास

कैंसर उपचार सहित 3 वर्ष का सीधा पिछला रिकार्ड होना चाहिए।

(ग) यह सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अथवा सरकारी अस्पताल होना चाहिए जो रेडियो चिकिरण उपचार प्रदान कर रहा हो।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को राज्य सरकार की सिफारिशों और विशेषज्ञों के एक दल द्वारा कैंसर उपचार सुविधाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के पश्चात् मान्यता दी जाएगी। नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को यह बचन बद्धता भी देनी आवश्यक होगी कि उनको क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को वित्तीय अनुदान देना बन्द करने के पश्चात् भी जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (डीसीसीपी) के पहुंच बाह्य कार्यकलापों में शामिल किया जाएगा और उनको शामिल करना जारी रखा जाएगा।

विवरण-II

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

किदवई स्मारक अर्बुदाविज्ञान संस्थान बंगलौर, कर्नाटक

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, अडयार, चेन्नई

आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार केन्द्र, कटक, उड़ीसा

क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण सोसाइटी शिमला, हिमाचल प्रदेश

कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

भारतीय रोटरी कैंसर संस्थान, (अखिल भारतीय आयु. संस्थान,) नई दिल्ली

आर एस टी हास्पिटल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर, महाराष्ट्र

पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, रायपुर, छत्तीसगढ़

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, चंड़ीगढ़

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र तिरूवनन्तपुरम

गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात

एमएनजे अर्बुद विज्ञान संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

पांडिचेरी क्षेत्रीय कैंसर सोसाइटी जिपमेर, पांडिचेरी

डा. बी.बी. कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम

टाटा स्मारक अस्पताल, मुम्बई, महाराष्ट्र

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, बिहार

आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर न्यास एवं अनुसंधान संस्थान, बीकानेर, राजस्थान

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र पं. बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक, हरियाणा

सिविल अस्पताल, ऐजवल, मिजोरम

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपकर बढ़ाना

4142. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन एच डी पी 11 के उस भाग की लंबाई कितनी है जिसे छह लेन वाला बनाया गया है और विभिन्न राज्यों में कितने कि. मी. लंबाई का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी बची लंबाई पर कार्य पूरा करने के लिए लक्षित तिथि क्या है;

(ख) इस पर कुल कितनी लागत आयी है तथा सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु प्रति कि.मी. लागत कितनी है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपकर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और विभिन्न वाहनों हेतु कितना उपकर लिया गया?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II (एन एच डी पी-11) में किसी भी हिस्से को अभी 6 लेन का नहीं बनाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। वित्त मंत्री ने 2005-06 के अपने बजट भाषण में अनन्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 0.50 पैसे के अतिरिक्त उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है। यह उपकर ईंधन पर एक समान है और वाहनों की श्रेणी पर आधारित नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाभिकीय ऊर्जा का अनुप्रयोग

4143. **प्रो. एम. रामदास** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाभिकीय ऊर्जा के अनुप्रयोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर द्वारा क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने उन्नत भारी जल रिएक्टर के डिजाइन और विकास में कितनी प्रगति की है; और

(घ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के विभिन्न नियंत्रणों के विकास और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने कितनी योगदान दिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में नाभिकीय ऊर्जा का अनुप्रयोग किया गया है :

(i) फसलों को बेहतर बनाने।

(ii) खाद्य पदार्थों के परिरक्षण।

(iii) जल के विलवणीकरण।

(iv) स्वास्थ्य परिचर्या और।

(v) कैंसर के निदान तथा उपचार।

(ख) फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) ने सोडियम प्रौद्योगिकी में महारथ हासिल करने और फास्ट रिएक्टरों का प्रचालन करने में बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया है। इसने ईंधन और संरचनात्मक सामग्री के अनुसंधान तथा विकास के लिए उत्कृष्ट सुविधा के रूप में काम किया है। फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के प्रचालन अनुभव से मिले फीडबैक ने 500 मेगावाट-ई क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) परियोजना, जोकि इस समय कलपाक्कम, तमिलनाडु में निर्माणाधीन है, का डिजायन तैयार करने में बहुमूल्य इनपुट्स प्रदान किए हैं।

(ग) प्रगत भारी पानी रिएक्टर (एएचडब्ल्युआर) का डिजायन पूरा कर लिया गया है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा प्रगत भारी पानी रिएक्टर का पियर रिव्यू किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रगत भारी पानी रिएक्टर के डिजायन के इष्टतमीकरण और मान्यकरण का कार्य जारी है। प्रगत भारी पानी रिएक्टर (एएचडब्ल्युआर) के डिजायन के ताप जलीय और सुरक्षा संबंधी पहलुओं के मान्यकरण के लिए एक समग्र परीक्षण सुविधा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में कमीशन की गई है। भौतिकी डिजायन के मान्यकरण के लिए एक क्रांतिक सुविधा निर्माण के अंतिम चरण में है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा लाइसेंस-पूर्व मूल्यांकन किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

(घ) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना का यूनिट-4 जोकि 540 मेगावाट-ई क्षमता वाला रिएक्टर है और जो मार्च, 2005 में क्रांतिक हुआ था, के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने कई नियंत्रण तथा यंत्रीकरण प्रणालियां जैसेकि रिएक्टर विनियमन प्रणाली (आरआरएस, जोकि एक सुरक्षा सम्बद्ध प्रणाली है), कम्प्यूटर आधारित रिएक्टर संरक्षण प्रणाली नं. 1 (रिएक्टर की प्राथमिक सुरक्षा प्रणाली), प्राथमिक ऊष्मा अभिगमन नियंत्रण प्रणाली, वाष्प जनित्र नियंत्रण प्रणाली (संयुक्त रूप में डीपीएचएस-पीसीएस नाम से जानी जाती है), शीतलक चैनल निकास तापमान मॉनीटरन प्रणाली (सीसीओटीएमएस), न्यूट्रॉन फ्लक्स मैपिंग प्रणाली (एफएमएस) और स्व शक्तिप्रद न्यूट्रॉन संसूचकों के लिए प्रवर्धक विकसित की हैं।

कई अन्य नियंत्रण तथा यंत्रीकरण (सी एंड आई) प्रणालियां, जोकि उनसे ही मिलती-जुलती हैं जैसी पूर्व-रिएक्टरों में हैं, का विनिर्माण इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के डिजायनों के आधार पर किया गया है।

तथापि, तारापुर में 540 मेगावाट-ई क्षमता वाले रिएक्टर को कमीशन करने से पहले, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने मद्रास परमाणु बिजलीघर (एमएपीएस), ककरापार परमाणु बिजलीघर (केएपीएस), कैगा परमाणु बिजलीघर और राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आरएपीएस) में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के विद्युत रिएक्टरों के लिए नियंत्रण तथा यंत्रीकरण प्रणालियां विकसित की हैं। तारापुर 1 तथा 2 के बायलिंग वाटर रिएक्टरों (बीडब्ल्युआर) में प्रतिस्थापन स्वरूप कई नियंत्रण तथा यंत्रीकरण प्रणालियां विकसित की गई थीं जिनमें से सबसे प्रमुख रॉड वर्थ मिनिमाइजर (आरडब्ल्युएम) प्रणाली है जिसने नियंत्रण छड़ों के सुरक्षित परिचालन को व्यवस्थित करना सुनिश्चित किया है जिससे रिएक्टर पावर आउटपुट का त्वरित बहिर्वाह नहीं होता है।

देश में टेलीफोन कनेक्शन

4144. श्री रनेन बर्मन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों और जारी किये गये कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य-वार प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची को शीघ्रतिशीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों और प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) चूंकि अधिकांश प्रतीक्षा सूची ग्रामीण क्षेत्रों में है इसलिए ऐसे क्षेत्रों में टेलीफ़ोन कनेक्शन प्रदान करने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर डब्ल्यूएलएल नेटवर्क संस्थापित करने की योजना बनायी गयी है।

(ii) लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए आउटडोर केबल की लंबाई 2.5 किमी. से बढ़ाकर 5.0 किमी तक करने की अनुमति दी गई है।

(iii) सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण नगरों, तीर्थ स्थानों और राज्य राजमार्गों में मोबाइल नेटवर्क संस्थापित किए गए हैं ताकि अधिक क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

(iv) इसके अलावा, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ निधि) तंत्र के माध्यम से दूरसंचार आपरेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

बीएसएनएल द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, निजी आपरेटर भी टेलीफोन की मांग को पूरा करते हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	सर्किल का नाम	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन		
		2002-03	2003-04	2004-05 (अस्थायी)*
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	2863	2309	5026
2.	आंध्र प्रदेश	625758	1784690	1321207
3.	असम	84470	62659	183993
4.	बिहार	261275	409790	482159
5.	छत्तीसगढ़	41757	25214	17565
6.	गुजरात	813715	1370435	1327903
7.	हरियाणा	282826	528255	498375
8.	हिमाचल प्रदेश	76636	113072	171296
9.	जम्मू-कश्मीर	41266	64673	213798
10.	झारखंड	58764	30622	78889
11.	कर्नाटक	648000	1603569	1530677
12.	केरल	621571	1194523	1308311
13.	मध्य प्रदेश	384835	686309	685962
14.	महाराष्ट्र	939245	1760023	1474063

1	2	3	4	5
15.	पूर्वोत्तर	43796	45289	93430
16.	उड़ीसा	174893	267614	371858
17.	पंजाब	741887	1540997	1279660
18.	राजस्थान	328467	677676	946393
19.	तमिलनाडु	523632	1388692	1620677
20.	उत्तरांचल	607528	23799	60472
21.	उत्तर प्रदेश	3426823	1585338	1914841
22.	पश्चिम बंगाल	256855	259172	522773
23.	कोलकाता	265884	894832	637467
24.	चेन्नई	238885	998519	709610
25.	दिल्ली	921913	2384099	1545237
26.	मुम्बई	723857	2211076	1598932
	कुल	9744846	21922236	20600574*

*28.2.2005 तक

विवरण-II

सर्किलवार प्रतीक्षा सूची

क्र. सं.	सर्किल का नाम	31.03.03 की स्थिति के अनुसार	31.03.04 की स्थिति के अनुसार	31.03.05 की स्थिति के अनुसार (अस्थायी)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	70	151	449
2.	आंध्र प्रदेश	56765	51934	40680
3.	असम	12476	15797	30306
4.	बिहार	101154	112465	96871
5.	छत्तीसगढ़	1630	2118	2809
6.	गुजरात	53207	58847	57328
7.	हरियाणा	86633	81657	89105
8.	हिमाचल प्रदेश	39084	44935	45207
9.	जम्मू-कश्मीर	43969	39704	67714
10.	झारखंड	8307	8143	210747
11.	कर्नाटक	104506	89730	95742
12.	केरल	487499	419762	357004
13.	मध्य प्रदेश	15350	17300	10059
14.	महाराष्ट्र	159583	159004	180287
15.	पूर्वोत्तर-I	7300	5975	4377
16.	पूर्वोत्तर-II	8325	5387	4442
17.	उड़ीसा	10509	27713	40958
18.	पंजाब	103371	92284	44887
19.	राजस्थान	130673	138019	137814
20.	तमिलनाडु	53778	58995	99195
21.	उत्तरांचल	7465	5729	8626
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	107119	101771	727179
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	54961	43670	52362
24.	पश्चिम बंगाल	148239	144226	125447
25.	कोलकाता	3445	22720	4609
26.	चेन्नई	1159	6929	1444
	कुल	1806577	1754965	2535648*

*इसमें डब्ल्यूएलएल और जीएसएम के लिए भी प्रतीक्षा सूची शामिल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री एक वक्तव्य देंगे।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, श्री लालकृष्ण आडवानी कुछ कहना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उनके वक्तव्य के बाद मैं उन्हें अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिस विमान में हिन्दुस्तान आए थे, उसमें भारत का तिरंगा झंडा उल्टा लगा हुआ था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उस विमान में दो झंडे थे। एक भारत का झंडा था और दूसरा पाकिस्तान का झंडा था। भारत के झंडे में हरा रंग ऊपर था और केसरी रंग नीचे था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद मैं आपकी बात पर ध्यान दूंगा। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सबके प्रति शिष्टाचार दिखाइये। हमें प्रधानमंत्री जी को सुनने का अधिकार है। जो बोलना है आप बाद में बोलिये। मैं श्री गीते को बाद में मौका दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मैं आपको समय दूंगा। इस बात पर सहमति है कि प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य देंगे। मैं आपको बाद में मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में बताना चाहिए। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया हम लोग ऐसा न करें। कृपया सहयोग कीजिए। आप बहुत ही वरिष्ठ और निष्ठावान सदस्य हैं। हम प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

अपराह्न 12.03 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य*

चीन के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा० मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को पिछले कुछ सप्ताहों में हमारे देश के दो महत्वपूर्ण दौरों के सम्बंध में अवगत कराना चाहता हूं।

चीन के प्रधानमंत्री श्री वेन जिआबाओ ने दिनांक 9 से 12 अप्रैल, 2005 तक भारत का राजकीय दौरा किया। इस दौरे के नतीजे महत्वपूर्ण रहे। प्रधानमंत्री श्री वेन ने स्वयं भी इसे 'ऐतिहासिक' बताया।

11 अप्रैल को चीन के प्रधानमंत्री के साथ मेरी मुलाकात काफी गर्मजोशी के साथ हुई और उपयोगी रही। हमने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए जिसमें भारत-चीन सम्बंधों की दिशा तथा द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तरों पर सहयोग की एक कार्य-योजना का उल्लेख है। संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति सदन के पटल पर रखी है। ग्यारह अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और व्यापक व्यापार तथा आर्थिक सहयोग पर भारत-चीन संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट जारी की गई। जिन विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें हाल के वर्षों में चीन के साथ हमारे सम्बंधों में हुई तीव्र प्रगति परिलक्षित होती है। प्रधानमंत्री श्री वेन तथा मैं इस बात पर सहमत थे कि भारत चीन सम्बन्धों ने व्यापक विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है।

संयुक्त वक्तव्य में हम "शान्ति और समृद्धि के लिए एक रणनीति तथा सहयोगपूर्ण साझीदारी" स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। यह हमारे बीच इस आम सहमति का द्योतक है कि भारत और चीन के रिश्ते द्विपक्षीय मुद्दों से आगे बढ़ गए हैं और **अब इन्होंने एक वैश्विक और स्ट्रेटेजिक स्वरूप प्राप्त कर लिया है।** इस साझीदारी में **लम्बित मतभेदों को आगे बढ़कर सुलझाने और लगातार सुधर रहे सम्बंधों के मार्ग में इन्हें न आने देने की हमारी इच्छा** परिलक्षित होती है। इसका स्वरूप कोई सैनिक संधि अथवा गठबंधन का नहीं है, बल्कि इसमें विश्व की घटनाओं के प्रति एक सामूहिक दृष्टिकोण के अलावा प्रयोजन की उपयुक्तता भी प्रतिबिम्बित होती है।

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1918/2005

[डा० मनमोहन सिंह]

भारत-चीन सीमा प्रश्न के हल के लिए राजनीतिक मापदंड *तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों पर हुआ करार इस दौरे की एक प्रमुख उपलब्धि रही। करार की एक प्रति माननीय सदन के पटल पर रखी गई है।* सीमा प्रश्न पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुए विचार-विमर्शों के फलस्वरूप ही यह समझौता संभव हो पाया है। विशेष प्रतिनिधियों की यह संस्था मेरे सम्मानीय पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री की जून, 2003 में हुई चीन यात्रा के समय बनाई गई थी। सीमा प्रश्न के हल की दिशा में यह करार सचमुच एक बड़ी उपलब्धि है। इससे दोनों देशों के ''समग्र और दीर्घकालिक हितों'' के संदर्भ में सीमा प्रश्न का एक ''राजनीतिक हल'' निकल सकेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि एक ''स्ट्रेटेजिक उद्देश्य'' के रूप में सीमा प्रश्न के शीघ्र समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

करार में पहली बार भारत-चीन सीमा प्रश्न के समग्र हल के सिद्धांतों को निर्दिष्ट किया गया है। यद्यपि यह समझौता बड़े महत्व का है, फिर भी, हम मानते हैं कि हम सीमा प्रश्न के अंतिम हल से अभी भी काफी दूर हैं।

हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि इसी बीच दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करेंगे और उसका पालन करेंगे, सीमावर्ती क्षेत्रों में शान्ति और अमन-चैन बनाए रखेंगे तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण तथा पुष्टिकरण के कार्य में तेजी लाएंगे। चीन के प्रधानमंत्री के दौरे के समय सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य क्षेत्र में, विश्वास बढ़ाने के उपायों को अमल में लाने के तौर-तरीकों के संबंध में जिस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए, उससे वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्री वेन के साथ हुई मेरी बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि चीन, सिक्किम को ''भारत का अभिन्न अंग'' मानता है, और सिक्किम अब भारत-चीन संबंधों में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जिस संयुक्त वक्तव्य पर हमने हस्ताक्षर किए उसमें ''भारत गणतंत्र का सिक्किम राज्य'' स्पष्ट रूप से बताया गया है। चीन की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो संशोधित मानचित्र हमें सौंपा गया, उसमें सिक्किम को भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के भीतर दर्शाया गया है।

दौरे के समय जो समझौते हुए उनसे संबंधों के आर्थिक पहलू, जिसे दोनों देश बहुत महत्व दे रहे हैं को भी काफी अधिक बढ़ावा मिलेगा। द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और यह पिछले वर्ष 13 बिलियन अमरीकी डॉलर के अंक को पार कर चुका है। सन् 2008 तक 20 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्री वेन के साथ हुई मेरी बैठक के दौरान हम इस बात पर सहमत हुए कि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को सरल बनाने और उसका विस्तार करने, निवेश के बहाव और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए एक भारत-चीन संयुक्त आर्थिक दल गठित किया जाए जिसकी सह-अध्यक्षता दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों द्वारा की जाए। प्रधानमंत्री श्री वेन और मैं एक संयुक्त कार्यदल गठित करने पर भी सहमत हुए ताकि *व्यापार व्यवस्था की व्यवहार्यता और लाभों का पता लगाया जा सके।*

चीन के प्रधानमंत्री और मैंने क्षेत्रीय तथा बहु-पक्षीय मुद्दों पर विचारों का लाभप्रद आदान-प्रदान भी किया। अन्य बातों के साथ-साथ, हम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के महत्व पर भी सहमत हुए। चीन ने बताया कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति को बहुत महत्व देता है और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका अदा करने की भारत की इच्छा को समझता है और उसका समर्थन करता है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से भारत-चीन संबंधों के चहुंमुखी विकास में काफी तेजी आयेगी। चीन के प्रति हमारी नीति में एक निरन्तरता और आम राय रही है।

महोदय, अब मैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा की बात करता हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान चीन के अरुणाचल पर दावे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। *(व्यवधान)* आज, अरुणाचल भारत सरकार के विचार के बारे में स्पष्टीकरण चाहता है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आपने यह मुद्दा पहली बार नहीं उठाया है। माननीय सदस्य मैंने प्रश्न काल के दौरान भी आपको अनुमति दी थी। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री उचित समय पर इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधात)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको भी अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह अरुणाचल का बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए माननीय सदस्य प्रधानमंत्री का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं। मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा इतना महत्वपूर्ण मामला उठाया गया है। प्रधान मंत्री महोदय यहां हैं। इन्होंने इनकी बात सुन ली है। मैंने उन्हें प्रश्न काल के दौरान भी अनुमति दी थी। मैं महत्व को कम नहीं कर रहा हूं किन्तु माननीय प्रधान मंत्री को वक्तव्य देते हुए व्यवधान उत्पन्न न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने इस पर चर्चा कर ली है। आप हमेशा इस पर चर्चा कर सकते हैं। कृपया सहयोग कीजिए। यदि आप व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे तो यह अच्छा नहीं लगता।

(व्यवधान)

श्री तापिर गाव : यह अरुणाचल प्रदेश के लोगों की आवाज है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं आखिरी बार बैठने का अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे आखिरी बार बैठने का अनुरोध कर रहा हूं। मुझे कुछ करने के लिए बाध्य मत कीजिए। आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आप उन्हें बाधा नहीं पहुंचा सकते। आपने अपनी बात कह दी है और मैं इसे कम करके नहीं आंक रहा हूं। फिर, आप बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं। मैंने कई बार यह कहा है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं।

डा० मनमोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 16 से 18 अप्रैल 2005 तक भारत की यात्रा की थी। मैंने उन्हें नई दिल्ली में क्रिकेट मैच देखने के लिए आमंत्रित किया था और हमने द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक वार्ता करने के लिए उनकी यहां उपस्थिति का उपयोग किया था। हमने एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया था जिसमें हमारे संबंधों का जिक्र किया गया है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए जिन विचारों और क्रियाकलापों पर सहमति हुई, उनकी भूमिका भी उसमें प्रस्तुत की गई थी। संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

महोदय, हमारी बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मुशर्रफ और मैंने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने विश्वास पैदा करने वाले उपायों, जनता के आपसी सम्पर्क और बातचीत के क्षेत्रों में वृद्धि करके की गई प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया और पहले से प्राप्त गति को बढ़ाने के लिए अपना साक्ष्य संकल्प व्यक्त किया। बढ़े हुए द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को हम कितना महत्व देते हैं इससे भी मैंने राष्ट्रपति मुशर्रफ को अवगत कराया। मैंने गैस पाइपलाइन सहित व्यापार और परिवहन के लाभकारी सम्पर्कों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हम इस बात पर सहमत थे कि दक्षिण एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग से दोनों देशों के लोगों को भलाई ही नहीं होगी बल्कि इससे सम्पूर्ण क्षेत्र में समृद्धि होगी।

हमने दोनों देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय करने पर भी सहमत हुए जिनमें खोखरापार-मुनाबाओ के बीच रेल सम्पर्क की बहाली भी शामिल है। संयुक्त वक्तव्य में इन दोनों का उल्लेख है।

इस माह के प्रारम्भ में हमने आतंकवादी धमकियों और श्रीनगर पर्यटक स्वागत केंद्र पर भयानक आत्मघाती हमले के बावजूद भी श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू की थी। हमारे लोगों का साहस और निश्चय और इस महत्वपूर्ण पहल को बाधित करने की कोशिश की हमारी दोनों सरकारों द्वारा निंदा, जैसा कि संयुक्त वक्तव्य में निहित है, हमें भविष्य में और अधिक तेजी से सफल कार्यवाही करने के लिए भरोसा देती है *(व्यवधान)* मुझे भरोसा है कि बस सेवा ने जनता का जनता से सम्पर्क, विशेषकर नियंत्रण रेखा के दोनों ओर रहने वाली जनता के बीच वर्षों की भावनाओं को प्रकट किया है *(व्यवधान)*

जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर भी सकारात्मक चर्चा हुई थी। मैंने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि सीमाओं का पुन: निर्धारण संभव नहीं है तथापि सभी उपाय जो दोनों तरफ के लोगों को साथ ला सकें, जिसमें सीमा और नियंत्रण रेखा के पार लोगों तथा व्यापार का आवागमन सुगम बनाने के लिए बढ़े हुए परिवहन सम्पर्क भी शामिल हैं, प्रक्रिया में मदद करेंगे और आपसी विश्वास का वातावरण पैदा करेंगे। राष्ट्रपति मुशर्रफ और मैं इमानदारी, उद्देश्यपूर्ण तथा भविष्यगामी तरीके से अपनी चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए। हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और शांति का लाभ दोनों देशों के लोगों, विशेषकर जम्मू और कश्मीर के लोगों को पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमत थे।

[डा० मनमोहन सिंह]

राष्ट्रपति मुशर्रफ ने जम्मू और कश्मीर का मुद्दा हल करने को महत्व दिया। तथापि, वह इस पर भी सहमत थे कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हम दोनों ने महसूस किया था कि इस प्रक्रिया से हमारे दोनों देशों में विश्वास और सूझ-बूझ की आम धारणा को बढ़ावा देने के लिए मदद मिलेगी, जो सभी प्रमुख मुद्दों ने न्यायोचित, उचित और आपस में स्वीकार्य समाधान के लिए वातावरण पैदा करने में सहायक होगा। परिणामस्वरूप हमने नियंत्रण रेखा के पार सम्पर्क और सहयोग को बढ़ाने के लिए आगे उपाय करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें विभाजित परिवारों, व्यापार, तीर्थस्थानों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए बैठक के स्थानों पर सहमति भी शामिल थी।

संयुक्त वक्तव्य में स्पष्ट रूप में 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त प्रेस वक्तव्य और 24 सितम्बर, 2004 को न्यूयार्क में भारतीय प्रधान मंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बैठक के पश्चात जारी संयुक्त वक्तव्य में किए गए वायदों की पुन: पुष्टि की गई है। इस पुष्टि में सीमा पार से आतंकवाद संबंधी हमारी चिंताओं का उल्लेख किया गया है। संयुक्त वक्तव्य में एक प्रतिज्ञा भी है कि आतंकवाद को शांति प्रक्रिया में बाधक नहीं बनने दिया जाएगा। इसमें शांति प्रक्रिया के महत्व और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार को भी रेखांकित किया गया है।

जहां मैं यात्रा के दौरान हमारी बातचीत में हुई प्रगति से संतुष्ट हूं वहीं हमें आगे आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत रहना चाहिए। मुश्किल मुद्दे जिन पर हमारे मतभेद हैं, जिनसे भारत और पाकिस्तान के बीच लम्बे समय से संबंध खराब रहे हैं, जिनके कारण का तुरंत समाधान की आशा नहीं है। अतिवादी शक्तियों और आतंकवादी संगठनों से शांति प्रक्रिया को खतरा समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए, मैंने राष्ट्रपति मुशर्रफ को बताया कि गम्भीर और निरंतर बातचीत की प्रक्रिया विश्वास और भरोसे का वातारण जो कि हिंसा, और आतंक से मुक्त हो तैयार करने पर निर्भर है। हम पाकिस्तान से अपेक्षा करते हैं कि वह अपने वायदों का इमानदारी से पालन करेगा।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि पिछले वर्ष पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। दोनों देशों ने व्यापक बातचीत का एक दौर सफलतापूर्वक पूरा किया है और पहले ही बातचीत का अगला दौर शुरू कर दिया है। राजनयिक और अन्य संबंध सामान्य बना दिए गए हैं और 13 दिसम्बर, 2001 से पहले के स्तर पर बहाल कर दिए गए हैं। हम सिलसिले में बड़ी संख्या में जनता का आपस में सम्पर्क हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और सियाचिन में वास्तविक भूमि स्थिति रेखा पर लागू युद्धविराम, कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, नवम्बर, 2003 से चल रहा है।

महोदय, भारत पाकिस्तान के साथ शांति और मित्रता के प्रति वचनबद्ध है। हम इमानदारी से पाकिस्तान के साथ सहयोगपूर्ण और रचनात्मक संबंध चाहते हैं। मुझे यह देखकर हर्ष हुआ कि पाकिस्तान की तरह से भी इस इच्छा का सम्मान किया जा रहा है और दोनों देशों में अच्छे संबंधों के लिए व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसे टिकाऊ और रचनात्मक संबंध बनाने के लिए हमें मेल-जोल ओर विश्वास बहाली की चल रही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हाल की सकारात्मक प्रवृत्ति बनी रहे। हमने शुरू हुई व्यापक बातचीत के दौर का कार्यक्रम और कार्यसूची तैयार की है। महोदय, हम मानते हैं कि निरंतर और उद्देश्यपूर्ण मेल मिलाप हमें शांति का मार्ग दिखाएगा और हम अपने लागों से किए गए मित्रता और सहयोग के वायदे को पूरा कर सकेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभापटल पर रखे गए पत्र संबंधी मद को ले सकता हूं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : महोदय, हिन्दुस्तान का झंडा उल्टा लगाया गया था, लेकिन पाकिस्तान का झंडा सीधा था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। मैंने वादा किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : जो भी वास्तविकता है, उसे सदन के सामने रखा जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गीते, मैंने वादा किया है। मैं आपको उचित समय पर अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : वह विमान पाकिस्तान से निकला था और पूरा मंत्रिमंडल वहां पर मौजूद था। जो अधिकारी आए थे, उन्हें यह मालूम था। यह जानबूझकर किया गया था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, मैंने कहा कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (डा० मनमोहन सिंह) : क्या मैं उत्तर दे सकता हूं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह अभी उत्तर देना चाहते हैं।

डा० मनमोहन सिंह : यह मामला पाकिस्तान के शिष्टमंडल के ध्यान में लाया गया था और उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : वह विमान पाकिस्तान से निकला था, वहीं से झंडा उल्टा लगाया गया था। क्या पाकिस्तान सरकार ने उस के लिए माफी मांगी है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभापटल पर रखे जाने हैं। उन्होंने खेद व्यक्त किया है। मेरे विचार से एक देश के रूप में हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभापटल पर रखे जाने हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुद्दा उठाया है। इस बात का महत्व समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने खेद व्यक्त किया था।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.23 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1904/2005]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1905/2005]

(3) (एक) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1906/2005]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : महोदय, मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा तैनाती) नियम, 2005 जो 18 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 182 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण;) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1907/2005]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलंगोवन) : महोदय, मैं वर्ष 2004-2009 के लिए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया संबंधी हैंडबुक (खण्ड-I) (31 मार्च, 2005 तक अद्यतन) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1908/2005]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1909/2005]

(3) (एक) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1910/2005]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाटर एण्ड पावर कंसल्टेन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1911/2005]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत (आर०एफ०आई०डी०) रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाइसेज के लिए फ्रिक्वेंसी बैंड 865- 867 मेगा हर्टज में लो पावर उपकरण का उपयोग (लाइसेंसिंग अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 जो 11 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 168(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1912/2005]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1913/2005]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० एच० मुनियप्पा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) का०आ० 10(अ) जो 4 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 810(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का०आ० 1383(अ) जो 17 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का०आ० 1384(अ) जो 17 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई-कन्याकुमारी खंड) के बाईपासों के निर्माण सहित निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का०आ० 1385(अ) जो 17 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई-कन्याकुमारी खंड) के बाईपासों के निर्माण सहित निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का०आ० 1386(अ) जो 17 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई-कन्याकुमारी खंड) के बाईपासों के निर्माण सहित निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का०आ० 1387(अ) जो 17 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरई खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का०आ० 349(अ) जो 18 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1457(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का०आ० 245(अ) और का०आ० 246(अ) जो 23 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य के सियोनी जिले में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का०आ० 285(अ) जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-त्रिची खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने तथा चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का०आ० 292(अ) जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (सिल्चर-हरनमाजो खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 293(अ) जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के सतारा खंडल

खंड के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ता से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 51(अ) जो 13 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य के विभिन्न जिलों में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(तेरह) का०आ० 109(अ) जो 1 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 111(अ) जो 1 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई-कन्याकुमारी खंड) का निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का०आ० 113(अ) जो 1 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरई-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने और चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का०आ० 218(अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ के उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) का निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का०आ० 219(अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा-मुजफ्फरनगर) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का०आ० 206(अ) जो 15 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर भूमि के अर्जन के लिए असम के कामरूप जिले के अतिरिक्त सहायक आयुक्त और भूमि अर्जन अधिकारी को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) का०आ० 207(अ) जो 15 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के विकास, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का०आ० 220(अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के विकास, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का०आ० 221(अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर भूमि के अर्जन के लिए असम के बारपेटा जिले के अपर उपायुक्त को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बाईस) का०आ० 22(अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के विकास, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का०आ० 223(अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर भूमि के अर्जन के लिए असम के नलबाड़ी जिले के अपर उपायुक्त को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का०आ० 224(अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के विकास, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का०आ० 225(अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर भूमि के अर्जन के लिए असम के बोंगाईगांव जिले के अपर उपायुक्त (राजस्व) को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का०आ० 234(अ) जो 21 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में बाईपास या पुन:सरेखण का निर्माण करने सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (i से vi) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1914/2005]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : महोदय, मैं राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेष आदेश, जिसके द्वारा गोवा के राज्यपाल को राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-II के 'दौरा खर्चे' के अंतर्गत अतिरिक्त खर्चों के लिए प्राधिकृत किया गया है की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1915/2005]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री श्रीप्रकाश जायसवाल की ओर से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1916/2005]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ सं० 7(3)/99-आईपी, जिसमें ऐसी मदों, जिनके लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की लघु उद्योग सीमा पांच करोड़ रुपए तक होगी, की सूची में परिवर्धनों संबंधी आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धरा 29ख की उपधारा (2ज) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 420(अ) जो 28 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का०आ० 477(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि लघु उद्योग क्षेत्र में अनन्य विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में से 99 मदों को हटाया जा सके, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1917/2005]

अपराह्न 12.26 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 26 फरवरी, 2005 को सभा को सूचित करने के पश्चात चौदहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के पहले भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 9 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2005;

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 2005;

(3) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005;

(4) विनियोग विधेयक, 2005;

(5) गोवा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005;

(6) गोवा विनियोग विधेयक, 2005;

(7) बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005;

(8) बिहार विनियोग विधेयक, 2005;

(9) परेल इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबन्ध-ग्रहण) निरसन विधेयक, 2005.

अपराह्न 12.26½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

की गई कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं 'एअर इंडिया लिमिटेड—सामान्य बिक्री एजेंट को अनुचित लाभ' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.27 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

नौवां से बारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो० राम गोपाल यादव (सम्भल) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में नौवां प्रतिवेदन;

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में दसवां प्रतिवेदन;

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन; और

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.27¼ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां से बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 16वां प्रतिवेदन;

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 17वां प्रतिवेदन;

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 18वां प्रतिवेदन;

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 19वां प्रतिवेदन; और

(5) कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.27½ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन० जनार्दन रेड्डी (विशाखापट्टनम) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.27¾ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं रेल मंत्रालय की "वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.28 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

नौवां से बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में नौवां प्रतिवेदन;

(2) भू संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में दसवां प्रतिवेदन;

(3) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन; और

(4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.28½ बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा० एम० जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.28¾ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

सत्तरवां और इकहत्तरवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार हेगड़े (कनारा) : महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 70वां प्रतिवेदन; और

(2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 71वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.29 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मैं, गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में एक सौ बारहवां प्रतिवेदन; और

(2) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.29½ बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन; और

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.30 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपकी सूचनार्थ मैं पिछले सप्ताह 21 मार्च से 24 मार्च 2005 के दौरान सभा के कार्य दौरान किए गए प्रमुख कार्यों को संक्षेप में यहां दोहराना चाहूंगा।

कुल स्वीकृत 80 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया। शेष तारांकित प्रश्नों का उत्तर 867 अतारांकित प्रश्नों के साथ सभापटल पर रखा गया।

इस अवधि के दौरान प्रश्नकाल के उपरांत अविलम्बनीय लोक महत्व के 95 मामले उठाये गए। नियम 377 के अधीन भी 58 मामले उठाये गए।

सभा ने पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 2005 और परेल इन्वेस्टमैंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) निरसन विधेयक, 2005, राज्यसभा द्वारा यथापारित को पारित करने में 5 घंटे का समय दिया।

इस अवधि के दौरान सभा में नियम 193 के अधीन लोक महत्व के दो महत्वपूर्ण मामलों पर लम्बी चर्चा हुई। ये मुद्दे थे, एक तो विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री द्वारा नेपाल के घटनाक्रम और विदेश मंत्री जी की अफगानिस्तान और पाकिस्तान यात्रा के बारे में 9 मार्च 2005 को सभापटल पर रखा गया वक्तव्य, जिसमें 4 घंटे 27 मिनट का समय लगा और दूसरा देश में प्राकृतिक आपदाओं के विषय पर जिसमें 7 घंटे 5 मिनट तक चर्चा हुई।

इस दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के सात विधेयक पुर:स्थापित किये गए। अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004 और एक गैर-सरकारी सदस्य के कृषि क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत उपाय, इस विषय पर संकल्प के बारे में चर्चा पूरी नहीं हो पाई।

विभागों से संबंधित स्थायी समितियों द्वारा ग्यारह प्रतिवेदन सभापटल पर रखे गए।

माननीय सदस्यों, मैं अधिक समय तक बैठकर व सभा की निश्चित अवधि से 7 घंटे 27 मिनट अधिक अतिरिक्त कार्य करके सभा की कार्यवाही चलाने में सहयोग देने के लिए माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूं। यह इस संस्था की गरिमा है, सभा की कार्यवाही चलाने में सहयोग देने के लिए मैं इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं।

मुझे विश्वास है कि सभा को इस सत्र के दूसरे चरण में भी सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में मुझे सदस्यों का तहे दिल से सहयोग प्राप्त होता रहेगा, यह सभा सभी माननीय सदस्यों की है।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं बताया कि कितने घंटे खराब किये गये। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खराब नहीं किये हैं। खराब होने पर हम बोलते थे। अब आप समय मत खराब कीजिए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.32 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

आपरेशन विजय (कारगिल) के लिए की गई खरीद के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए गए हलफनामे पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा न्यायमूर्ति फूकन आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदनों का सभा पटल पर रखा जाना

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : माननीय अध्यक्ष जी, कल विपक्ष की ओर से रक्षा सौदों के संदर्भ में सरकार ने कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किये हैं, उस पर जब आपत्ति उठाई गयी तो रक्षा मंत्री, सदन के नेता ने तुरंत खड़े होकर कहा कि सरकार इस पर पूरी बहस करने के लिए तैयार है। जब भी सदन उस पर बहस करना चाहे और अध्यक्ष जी अनुमति दें, हम बहस करने को तैयार हैं। मैं उनके इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। इसी कारण आज मैंने अपने सभी साथियों को कहा कि हमें इस बारे में यही एप्रोच अपनानी चाहिए कि सरकार जब बहस करने के लिए तैयार है तो हम बहस करेंगे। लेकिन इन रक्षा सौदों का संबंध, एक तो कारगिल युद्ध के समय के ट्रांजेक्शन्स थे और एक मामला और भी है जिस पर चर्चा होती रही है। मैं चाहूंगा कि इस पर एक सार्थक बहस हो, उससे पहले जहां तक कारगिल के सौदों का सवाल है, उस पर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी। यह फूकन कमीशन ने फरवरी 2004 में अपनी रिपोर्ट भी दी। उस पर सार्थक बहस तब होगी जब फूकन कमीशन की रिपोर्ट सदन में रखी जायेगी। आपने स्वयं भी कहा और कानून भी अपेक्षा करता है कि यह छ: महीने के अंदर-अंदर हो जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उत्तर दे सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए फूकन कमीशन की रिपोर्ट सदन में जल्द से जल्द आये। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। यह बात सही नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हम इस मुद्दे पर काफी अच्छे वातावरण में चर्चा कर रहे हैं। चलिए, ऐसा ही करते हैं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। इन्होंने प्रधान मंत्री महोदय का भाषण सुना है। इसे करते हैं। ये बहुत से महत्वपूर्ण मामले हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लालसिंह, मैं आपसे अपनी सीट पर बैठने का आग्रह कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलिति नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह परम्परा ठीक नहीं है। जब नेता लोग बोलते हैं तो

[अनुवाद]

हमें प्रत्येक का यथोचित आदर करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप देख रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मामले को और जटिल मत बनाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। जब कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं हो रहा तो आप क्यों कुछ भी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, रक्षा सौदों का एक दूसरा मामला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव मैं आपसे बैठने का आग्रह कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालसिंह, इसकी अपनी प्रतिक्रिया होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, रक्षा सौदों का एक दूसरा मामला है कि दिल्ली हाई कोर्ट में *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, समय आने पर दिया जायेगा। रूल के मुताबिक सबको टाइम मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, यह रियर एडमिरल श्री एस०पी० पुरोहित ने दायर किया था और उस पर यह मामला विजीलैंस कमीशन के पास गया और हमारी जानकारी में सैन्ट्रल विजीलैंस कमीशन ने भी उस पर अपनी पूरी रिपोर्ट दी है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर जब बहस हो तो उस बहस से पहले ये दोनों रिपोर्ट– एक तो फूकन कमीशन की रिपोर्ट और दूसरे सैन्ट्रली विजीलैंस कमीशन की रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट सरकार की ओर से सदन में रखी जाएं तो फिर वह बहस सार्थक होगी। आज रक्षा मंत्री जी स्वयं वक्तव्य देने वाले हैं जो एक एफिडैविट से संबंधित है। मेरा सुझाव होगा कि यह वक्तव्य भी उसी दिन रखा जाए जिस दिन सदन में बहस तय होती है। अब बहस कब तय हो, यह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी और अध्यक्ष महोदय तथा सदन की समिति तय करेगी। इसलिए मेरे दो

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

सुझाव हैं। एक तो आज रक्षा मंत्री जी जो वक्तव्य देने वाले हैं, उस वक्तव्य को भी उसी दिन रखा जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आपके बीच की बात है। मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। यह रक्षा मंत्री के लिए है। अब, आप अपना सुझाव दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : और दूसरी बात यह है *(व्यवधान)* यह दोनों रिपोर्ट, पहली तो फूकन आयोग की रिपोर्ट और दूसरी केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट सभापटल पर रखी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आखिर, यह बात विपक्ष के नेता ने कही है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि फूकन आयोग की रिपोर्ट फरवरी 2004 में आई थी। इस बात को जानकारी में लाने के लिए मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज का आभारी हूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह मेरे कार्यकाल से पहले किया गया था। मैंने यह मामला सरकार के पास भेज दिया है। मैंने उनकी बात सुनी है और मैंने पहले ही कहा है कि फूकन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट सभापटल पर रखी जानी चाहिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, यह उनकी अंतिम रिपोर्ट है क्योंकि फूकन आयोग तो अब है ही नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सही नहीं है तो वे बोलेंगे।

[अनुवाद]

अंतरिम रिपोर्ट के साथ-साथ 'की गयी कार्यवाही' संबंधी रिपोर्ट भी यथाशीघ्र सभा पटल पर रखी जानी चाहिए, निश्चित तौर पर सत्र के इस भाग के दौरान ही।

श्री प्रणब मुखर्जी, क्या आप इस बारे में वक्तव्य देना चाहेंगे।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं इस पर एक वक्तव्य देना चाहूंगा। यदि आप मुझे अनुमति दें तो उससे पहले मैं विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा। विपक्ष के नेता ने दो मुद्दे उठाये हैं कि सभा में दो दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि सभा में मेरे द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य और हलफनामे से उठने वाले मुद्दों पर सार्थक बहस करायी जा सके। एक मुद्दा फूकन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बारे में है जिसके संबंध में आपने सरकार को निर्देश दिये हैं और सरकार इनका पालन करेगी।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के बारे में मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक इस सभा के समक्ष एक निवेदन करना चाहूंगा – शायद विपक्ष के नेता इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें। – इस रिपोर्ट के संबंध में एक दिलचस्प स्थिति तब उत्पन्न हुई जबतकि लोक लेखा समिति को एक प्रतिवेदन देना पड़ा कि वे वर्ष 2001 के सी०ए०जी० प्रतिवेदन 7(क) की जांच का कार्य पूरा नहीं कर पाये क्योंकि इसके लिए आवश्यक सी०वी०सी० प्रतिवेदन उन्हें नहीं दिया गया। उस समय सरकार ने इस विषय पर विशेषाधिकार का दावा किया, इसके परिणामस्वरूप लोक लेखा समिति को वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जो कि इस सभा द्वारा ही बताया गया था।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से यह अपील करूंगा कि वे स्पष्ट करें कि उस समय लोक लेखा समिति को वह प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में कया बाधा थी। मैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। जब लोक लेखा समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि इस प्रतिवेदन के बिना वे अपना कार्य पूरा नहीं कर पायेंगे तब भी लोक लेखा समिति को वह प्रतिवेदन उपलब्ध न कराने का क्या कारण था? अब इस प्रतिवेदन की मांग करने के क्या कारण है? सीधी सी बात यह है कि सदन में सीटें बदल जाने के कारण पेटेन्ट, वैट और सी०वी०सी० प्रतिवेदन के बारे में अब उनका मूल उद्देश्य और दृष्टिकोण बदल गया है।

मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता स्पष्ट करने की कृपा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ का इससे कोई संबंध नहीं है। आपने अपनी बात कह दी है। मैं सदन के माननीय नेता से केवल एक बात जानना चाहता हूं कि क्या आप अब वक्तव्य देंगे? अथवा क्या आप कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे?

श्री प्रणब मुखर्जी : नहीं, मैं अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। *(व्यवधान)* कृपया एक मिनट दीजिए। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि विपक्ष के नेता ने मुझसे अपील की है। मेरा मुद्दा यह है कि कुछ बातें सभा से बाहर कही जा रही हैं। विभाग के प्रभारी मंत्री और इससे ऊपर सभा के नेता के रूप में मैं बाहर नहीं बोल सकता जबकि सभा का सत्र चल रहा हो। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि मैं अब वक्तव्य देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको अनुमति दे दी है।

श्री प्रणब मुखर्जी : उसके पश्चात जब भी इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया जाता है तो इसे चर्चा के विषय के तौर पर लिया जा सकता है। अथवा इस पर किसी विशेष प्रस्ताव के अधीन चर्चा की जा सकती है। आप जो भी निर्णय लेंगे हम उसका पालन करेंगे

परन्तु मुझे अपना वक्तव्य देने की अनुमति देने की कृपा करें *(व्यवधान)*

महोदय, पिछले कुछ दिनों में भारत संघ की ओर से दायर शपथ पत्रों के संबंध में मीडिया में विभिन्न बयान आए हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, एक मिनट रुकिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए। हम लोगों को ठीक तरीके से काम करना चाहिए। जिसको भी बोलना है, वह बोले। मैं तो किसी को कम्पले नहीं करता हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, आठ लोगों ने सूचना दी है। राजग सहयोगियों के सभी नेताओं ने सूचना दी है। क्या आप उनकी बात सुनेंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैंने विपक्ष के नेता को बुलाया है उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं। उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसलिए, विपक्ष के नेता की उनकी हैसियता से मैंने उन्हें बुलाया है। यदि आप उनके साथ स्वयं को सम्बद्ध करना चाहते हैं तो आप उनके साथ सम्बद्ध थे सकते हैं। क्या आप इस पर पुनः कुछ कहना चाहते हैं। वही बात कही जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, श्री जार्ज फर्नांडीज जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया उनके साथ सम्बद्ध हो जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने सूचना दी है। हम इस प्रक्रिया का पालन नहीं करते। आप उसके साथ सम्बद्ध हो जाइये। यह सम्बद्ध कर रहे हैं। आप सम्बद्ध हो जाइये। धन्यवाद।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका आभारी हूं। हम इस सुंदर वातावरण बना रहे हैं। आप इसके साथ सम्बद्ध हो जाइये। यही प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पालन नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन की नेता, जो कि रक्षा मंत्री भी हैं, ने जो बात कही है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं और इसलिए करना चाहता हूं कि उस समय में रक्षा मंत्री था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के बारे में उन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिए। उसके बाद आप अपनी बात कहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : यह स्टेटमेंट की बात नहीं है, उन्होंने जो कुछ अभी कहा है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा करने का समय नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह पत्र दीजिए। वह पत्र कहां है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट रुकिये। ठीक है, आपको पता है कि यह प्रक्रिया नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विपक्ष के नेता को अनुमति दिए जाने के पश्चात् यह ठीक नहीं है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सदस्यों को इस बारे में अलग बातें कहनी हैं।

अध्यक्ष महोदय : अलग बातें क्यों? यह वही और उस जैसी ही सूचना है जो आपने दी है और मैंने विपक्ष के नेता को बुलाया

है। आप उनके वक्तव्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहते। तब आप उसमें क्या जोड़ेंगे?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : श्री प्रणब मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से सी०वी०सी० को रिपोर्ट के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं हरेक को एक मिनट दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी श्री प्रणब मुखर्जी साहब ने यह बात कही है कि सी०वी०सी० की रिपोर्ट को उस समय कांफिडेंशियल रखा गया था और उसे पी०ए०सी० को नहीं दिया गया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना फूकन आयोग के बारे में है। मुझे खेद है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : नहीं, यह सी०वी०सी० के बारे में भी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं सुधार कर लेता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, सरकार की तरफ से जो पहला एफिडेविट दिया गया था, उसमें सी०वी०सी० रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था।

उसमें यह कहा है कि सी०वी०सी० की रिपोर्ट में ये बातें कही हैं इसलिए सी०बी०आई० को भेज रहे हैं, बाकी जगह भी भेज रहे हैं। जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कह दीं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया और फिर उस एफिडेविट को बदलकर सी०वी०सी० का हवाला दिया। जब सारी दुनिया जानती है तो हाउस में सी०वी०सी० की रिपोर्ट रखने में सरकार को क्या एतराज है। आप सी०वी०सी० रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं और हाउस में डिनाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या डिनाई हो सकता है। हमारी मांग है कि फुकन कमीशन की रिपोर्ट और सी०वी०सी० की रिपोर्ट दोनों सदन में रखी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाएं। यह पांच मिनट में समाप्त हो जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बृज किशोर त्रिपाठी की बात के अलावा कुछ नहीं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 4

[हिन्दी]

में जो स्टेचुटरी प्रोविजन है कि सरकार छः महीने के अंदर कमीशन की कोई भी रिपोर्ट जो रहती है,

[अनुवाद]

चाहे आंशिक रिपोर्ट हो, चाहे अंतरिम रिपोर्ट हो अथवा पूर्ण रिपोर्ट हो, संसद में रखेगी।

[हिन्दी]

संसद में रखेगी। यदि स्टेट द्वारा गठित कमीशन है। तो राज्य की असेम्बली में रखेगी। लेकिन छः महीने हो गए हैं, उस रिपोर्ट को अभी तक संसद में नहीं रख गया है। आपने सरकार को राइटली डायरेक्शन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने डायरेक्शन दिया है। अब पूरी बात क्यों कह रहे हैं, सीधा मुद्दे पर आएं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : सी०वी०सी० की जो रिपोर्ट है, मंत्री जी ने बताया कि उस समय पी०ए०सी० को रिपोर्ट नहीं दी थी, जब इनके दल के अध्यक्ष थे। लेकिन अब ये खुद सरकार में हैं, तो इन्हें रिपोर्ट सदन में रखने में क्या तकलीफ है। इसलिए उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए। इस सी०वी०सी० की रिपोर्ट में क्या है, यह सबको मालूम पड़ जाएगा और सारा देश जान जाएगा कि सी०वी०सी० रिपोर्ट में क्या है। *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : *

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

उसे निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं और मैं अनुरोध भी कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : वे लोग बोल रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। आपसे ज्यादा मैं कंट्रोल करता हूं।

[अनुवाद]

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हम सामान्य प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। आप भी वैसे ही मुद्दों से जुड़ रहे हैं। परन्तु यदि आप बहुत अधिक महसूस करते हैं तो मैं यह आभास नहीं देना चाहता कि मैं किसी को रोक रहा हूं। इसलिए, मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। आप मुद्दा उठाइये परन्तु व्यवधान उत्पन्न मत करिए। सभा के माननीय नेता ने अपनी टिप्पणी दे दी है। यदि इस पर कोई चर्चा होती है तो पूरा अवसर दिया जाएगा। किन्तु कृपया ऐसा नहीं कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : सरकार को उस रिपोर्ट को सदन में पेस करना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक दिन आप मुझे बहुत अप्रिय कार्यवाही करने के लिए बाध्य कर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे चुनौती देंगे तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सभा में इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार दूसरा शपथ पत्र दाखिल करने संबंधी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : कोई अध्यक्षपीठ को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। क्या इस सभा में यही परम्परा है।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : चर्चा से पहले जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत यह अनिवार्य शर्त है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा के लिए सरकार को फुकन आयोग की रिपोर्ट और सी०वी०सी० की रिपोर्ट सभा पटल पर रखनी चाहिए। देश को पता लगना चाहिए कि कारगिल युद्ध के समय क्या हो रहा था। आपको राजग सरकार को दोष नहीं देना चाहिए कि उन्होंने रिपोर्ट लोक लेखा समिति के समक्ष नहीं रखी इसीलिए यह सरकार भी नहीं रख रही है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको फुकन आयोग की रिपोर्ट और सी०वी०सी० रिपोर्ट सभा पटल पर रखनी पड़ेगी।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : यह केवल सरकार का परिवर्तन ही नहीं है जो कि हुआ है। एक अन्य सरकार भी थी जिसे मतभेद वाले शपथ-पत्र दाखिल करने की आदत नहीं थी।

अब सरकार ने एक विरोधाभासी शपथपत्र दाखिल किया है जो देश के लिए बहुत शर्मनाक है। अब, इसके अतिरिक्त *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इतने संवेदनशील मत बनिए।

श्री पी०सी० थामस : दूसरा शपथपत्र में सी०वी०सी० की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। विस्तृत रूप में, सी०वी०सी० के प्रतिवेदन के बारे में कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब वे एक वक्तव्य देने जा रहे हैं।

श्री पी०सी० थामस : वहां तक कि बिना किसी वक्तव्य के, बिना विपक्ष के किसी अनुरोध के, और यहां तक कि बिना अध्यक्ष महोदय के निदेश के वे इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी अब आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

उसी बात को मत दोहराइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज़ के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप क्यों बोल रहे हैं।? कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, सदन के नेता ने जो बातें यहां पर कही हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं फिर कहता हूं कि जो चर्चा यहां पर चल रही है, उस पर मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना है। लेकिन सदन के नेता ने सी०वी०सी० की रिपोर्ट को लेकर जो बातें यहां पर रखी हैं कि जब मौका था तो क्यों नहीं उसको बाहर निकाला आदि-आदि। यह बात आज नहीं जब मैं रक्षा मंत्रालय में था तब भी पूछी जाती थी और मैंने कहा था कि यह रिपोर्ट तो सार्वजनिक करने वाली रिपोर्ट नहीं है तो मुझे लेकर इतना हंगामा इन लोगों ने किया था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इन्होंने कहा था कि मैं चोर हूं, मैं लूटेरा हूं *(व्यवधान)* इन लोगों ने जो व्यवहार उस समय मेरे साथ किया था उसको मैं कह नहीं सकता हूं। *(व्यवधान)* मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी ये लोग मेरी बात को कबूल करने को तैयार नहीं हुए मैंने इसीलिए यह बात इस बार छेड़ी है कि यह रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। मैं जानता हूं कि उस रिपोर्ट में क्या है और आप भी जानते हैं कि रिपोर्ट में क्या है, क्यों वह रिपोर्ट बाहर नहीं जाती है। जो उसका इस्तेमाल करता है उसको मालूम है। लेकिन जिनको पता नहीं है कि सुरक्षा क्या चीज है, **(व्यवधान)* तो उनसे हमारी कोई अपेक्षा दी नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य दे चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, उन्हें अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिए। उन्होंने यह आरोप लगाया है। कि इस सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई भावना नहीं है। उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों साइड के सांसद बैठ जाइये।

[अनुवाद]

यदि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक है तो उसे हटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

हम सबसे अपील करते हैं कि आप बैठ जाइये। मिनिस्टर साहब बैठ जाइये। मिस्टर गीते आप कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, मैं सारे देश को बताना चाहता था कि जब लोग सत्ता में होते हैं तो उनका क्या दृष्टिकोण होता है और जब दूसरे लोग सत्ता में होते हैं तो उनका दृष्टिकोण दूसरा होता है। *(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : जैसा माननीय आडवाणी जी ने कहा है *(व्यवधान)* सी०वी०सी० की रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इनकी असली तस्वीर मैं देश के सामने रखना चाहता था और इसलिए मैंने यह आग्रह किया था। लेकिन आपका जो निर्णय होगा, वही निर्णय हम मानेंगे, चूंकि मुझे मालूम है कि सुरक्षा से इनको कितना मतलब है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही-वृत्तान्त देखूंगा। यदि उसमें कुछ भी असंसदीय होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। मैं इसे देखूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, कृपया बैठ जाइए। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उनसे पूछ रहा हूं। आप यह क्यों कह रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रत्येक को बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक से यह अनुरोध करता हूं कि वह बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कांतिलाल भूरिया, आप मंत्री हैं। आप को अवश्य बैठना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी अपने-अपने स्थान पर जाइए। गलत उदाहरणों का पालन मत कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी कोई बात सुनायी नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : एक कैबिनेट मिनिस्टर सब को भड़का रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कांति लाल भूरिया, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री भूरिया एक मंत्री होने के नाते आप को यह नहीं करना चाहिए। आप मंत्री हैं। मंत्रियों को यह नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। मैंने आपको अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप आपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों साइड के लोगों से अपील करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने इनको भी डांटा है और उनको भी डांटा है। आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य*

(एक) आपरेशन विजय (कारगिल) के लिए की गई खरीद के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया हलफनामा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रणब मुखर्जी, क्या आप अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहते हैं?

(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जी हां, महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं *(व्यवधान)*

महोदय, के०जी० धनंजय चौहान बनाम भारत संघ तथा अन्यों द्वारा दायर रिट याचिका 2004 की 270 (ग) में भारत संघ की ओर से दायर शपथ पत्रों के संबंध में पिछले कुछ दिनों में मीडिया में कई वक्तव्य आ चुके हैं। मैं तथ्यों को दर्ज कराना चाहता हूं।

यह रिट याचिका एक जनहित वाद के रूप में 15 जून 2004 को उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी। यह रिट याचिका मुख्यत: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2001 की रिपोर्ट संख्या 7 ए पर आधारित थी, जो 'संक्रिया विजय (कारगिल)' के लिए की गई अधिप्राप्ति संबंध विशेष लेखापरीक्षा के मामलों से संबंधित है। नियंत्रक - महालेखापरीक्षक ने रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी 123 मामलों की जांच की तथा 35 मामलों में कमियों का उल्लेख किया है। उसने यह निष्कर्ष दिया है कि 'अधिप्राप्तियां किए जाने के लिए कारगिल के बहाने का हवाला दिया गया अन्यथा इसकी और गहनता से जांच की जाती'।

याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया है कि 'संक्रिया विजय' के लिए की गई अधिप्राप्तियों के लिए जांच करने तथा जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु उपयुक्त रिट जारी की जाए।

25 अक्तूबर, 2004 को उच्चतम न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई होने पर माननीय न्यायालय ने भारत संघ को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, लोक लेखा समिति की 54वीं रिपोर्ट तथा लोक लेखा समिति की 54वीं रिपोर्ट के पैरा 5.11 में उल्लिखित केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, को दर्शाने वाले प्रत्युत्तर के रूप में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 अक्तूबर, 2004 के निदेशों के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय ने नियंत्रक-महलोखापरीक्षक तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्टों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1919/2005)

[श्री प्रणब मुखजी]

स्पष्ट करने वाला एक सार दिनांक 26 नवंबर, 2004 को विद्वान महान्यायवादी को भेजा था। विद्वान महान्यायवादी से दिनांक 2 दिसंबर, 2004 को एक प्रारूप शपथ-पत्र प्राप्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 अक्तूबर, 2004 के आदेशों के अनुरूप तथा की गई कार्रवाई के ब्यौरे दर्शाने वाला एक संशोधित प्रारूप आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु 28 दिसम्बर 2004 को विद्वान महान्यायवादी को भेजा गया था। 21 फरवरी, 2005 को विद्वान महान्यायवादी ने इस संशोधित प्रारूप पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया तथा इसमें संशोधन सुझाए जिन्हें इसमें शामिल किया गया तथा 9 मार्च, 2005 को वापस भेज दिया।

यह शपथ-पत्र भारत संघ की ओर से 10 मार्च, 2005 को माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया था। यह शपथ-पत्र दो भागों में है।

पहले भाग में प्रक्रियाएं दी गई है। शपथ-पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि 21 जून, 1999 की संशोधित प्रक्रिया विशेषकर 'संक्रिया विजय' के लिए विशिष्ट रूप से आवश्यक मदों के आयात की समय-सीमा को कम करने के लिए बनाई गई थी। यह संशोधित प्रक्रिया रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 1992 की आवश्यकता में बिना कोई शिथिलता किए जारी की गई थी। ऐसा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों में भी परिलक्षित होता है। तथापि, शपथ-पत्र के इस भाग में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी कि क्या अधिप्राप्ति करते समय इस प्रक्रिया का सही तरह से अनुसरण किया गया था अथवा नहीं?

शपथ-पत्र का दूसरा भाग नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की स्थिति से संबंधित है। इस शपथ पत्र में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है:

(क) सरकार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए लगातार प्रयास करती रही है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित 35 पैराओं में से ग्यारह पैराओं की विधीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की दी गई है तथा शेष पैरा जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) तहलका आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद लेन-देन से संबंधित मामले, जिनमें से दो {हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर तथा अंतिम रूप से निर्देशित गोलाबारूद (क्रासनोपोल)} नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से लिए गए हैं तथा इन्हें जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया था।

(ग) बिचौलिये की संलिप्तता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों तथा अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत के संबंध में सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(घ) जहां तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांचे गए व्यक्तिगत मामलों का सवाल है, तीन मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है, 12 मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बंद कर दिए गए हैं तथा 21 मामले अभी भी मंत्रालय में जांचाधीन हैं अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ पत्राचार के अधीन हैं।

(ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित तीन मामले, जिनका तहलका टेपों में भी जिक्र है। (टी-90 एस टैंक, कवचित रिकवरी वाहन तथा 130 मि०मी० एम-46 फील्ड गन का 155 मि०मी० कैलिबर में उन्नयन) अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिए गए हैं।

याचिका की सुनवाई के दौरान 14 मार्च, 2005 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि 'विद्वान एमिकस क्यूरी ने उल्लेख किया है कि दायर किया गया जवाबी शपथ-पत्र वाग्छलपूर्ण प्रतीत होता है तथा सभी प्रकार से परिपूर्ण नहीं है। विद्वान महान्यायवाही ने मामले की छानबीन करने तथा, अपेक्षित होने पर, एक अतिरिक्त शपथ-पत्र दायर करने का आश्वासन दिया है।

5 अप्रैल, 2005 को आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में एक राजनैतिक नेता ने यह कहते हुए दावा दिया कि भारत संघ की ओर से उच्चतम न्यायालय में दायर एक शपथ-पत्र में उन्हें 'क्लीन चिट' दी गई है। विद्वान महान्यायवादी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14 मार्च, 2005 के आदेश की प्रति 5 अप्रैल, 2005 को प्रस्तुत की। विद्वान महान्यायवादी ने 6 अप्रैल, 2005 को एक अन्य पत्र भेजा जिसके साथ माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर किए जाने वाले प्रारूप अतिरिक्त शपथ-पत्र की एक प्रति संलग्न थी। ये दोनों पत्र 6 अप्रैल, 2005 को रक्षा मंत्रालय में प्राप्त हुए थे।

उच्चतम न्यायालय के 14 मार्च 2005 के आदेश के अनुसरण में भारत संघ की ओर से 13 अप्रैल 2005 को अतिरिक्त शपथ पत्र दायर किया गया था। इसमें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर की जाने वाली भावी कार्रवाई पर जोर दिया गया है। शपथ-पत्र में उल्लेख किया गया है कि अधिप्राप्ति के पांच मामलों की जिम्मेदारी निर्धारित करने की दृष्टि से पुन: विस्तृत संवीक्षा की गई थी।

शपथ-पत्र में यह भी कहा गया है कि चूंकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने उल्लेख किया है कि 'अधिप्राप्तियां किए जाने के लिए कारगिल के बहाने का हवाला दिया गया अन्यथा इसकी और गहनता से संवीक्षा की जाती जिससे तत्कालीन रक्षा मंत्री सहित सरकार में पदाधिकारियों/प्राधिकारियों पर गंभीर कदाचार का सुझाव दिया इसलिए सरकार ने

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल 23 मामलों को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया गया।

13 अप्रैल 2005 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उपर्युक्त मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए सरकार के निर्णय की सूचना दे दी गई है।

ऐसा प्रभाव पैदा किया गया कि कतिपय व्यक्तियों को 'क्लीन चिट' देने जैसी बात कही गई है और यह कि पहले और दूसरे शपथ-पत्र के बीच बहुत अंतर है। शपथ-पत्रों को पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 10 मार्च 2005 को भारत संघ द्वारा दायर पहले शपथ-पत्र में न तो किसी को 'क्लीन चिट' दी गई है और न ही पहले और दूसरे शपथ-पत्रों के बीच कोई अंतर ही है। यद्यपि पहले शपथ-पत्र में अधिप्राप्ति की प्रक्रिया की व्याख्या और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है, तथापि, दूसरे शपथ-पत्र में सरकार द्वारा सुविचारित कार्रवाई की भावी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि यह पाया जाता है कि नियमों और विनियमों के उल्लंघन में व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से खरीददारी करने के लिए कारगिल को बहाना बनाया गया था तो पूर्व रक्षा मंत्री सहित अधिकारियों/प्राधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(दो) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

अध्यक्ष महोदय : श्री दयानिधि मारन, आप भी अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखें।

(व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : जी हां, महोदय, मैं सभा पटल पर वक्तव्य रखता हूं *(व्यवधान)*

महोदय, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग-II के तहत जारी माननीय लोक सभा अध्यक्ष के 73क निर्देश के अनुपालन में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन तीनों विभागों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित स्थायी समिति की प्रथम, द्वितीय और तृतीय रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में रिपोर्ट सं० 1

(i) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित स्थायी समिति ने दिनांक 18.8.2004 को आयोजित अपनी बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 2004-05 की अनुदान मांगों की जांच की। यह रिपोर्ट लोक सभा में 23.8.2004 को प्रस्तुत की गयी थी। इस रिपोर्ट में 16 सिफारिशें हैं।

(ii) उक्त समिति की ये सिफारिशें मुख्य रूप से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए उनकी योजना बजट का 2-3 प्रतिशत आबंटन, ई-गवर्नेंस से संबंधित राष्ट्रीय कार्य-योजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस निधि की स्थापना, मीडिया लैब एशिया द्वारा निधियों का उपयोग करने की समझ तथा मीडिया लैब एशिया परियोजनाओं में अत्यधिक समर्थन (स्पोन्सरशिप) आकर्षित करने के लिए प्रयास तथा उपाय करने और सी-डीएसी के परिव्ययों के संवर्द्धन से संबंधित है। जम्मू कश्मीर की रतह देश के अन्य राज्यों में सी०आई०सी० स्थापित करने, एप्लीकेशन स्पैसिफिक इंटिग्रेटिड सर्किट डिजाइन(ए०एस०आई०सी०) हेतु मानवशक्ति विकास के लिए प्रदत्त निधियों के बेहतर उपयोग, आई०जी०एन०आयू० द्वारा प्रचालित "बी" स्तर के डी०आई०ई०एस०सी०सी० पाठ्यक्रम को मान्यता देने के समान प्रयास किए जाने चाहिए तथा आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करते हुए एन०आई०सी० में कार्यचालन मानवशक्ति की आवश्यकता, प्रतिभाओं को परिरक्षित करने तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के कार्य को गंभीरता पूर्वक करने तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनाई गई नीति की तरह नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(iii) सरकार ने सभी 16 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कार्यान्वयन की दिशा में सभी संभव उपाय किये हैं। योजना आयोग ने डी०आई०टी० की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को समझा और 2005-06 के लिए 929.30 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के लिए कम से कम 3% राशि आबंटित करें। प्रोग्रामर प्रबंधन संरचना और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस निधि की वित्त पोषण व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(iv) समिति की वर्ष 2004-05 की अनुदान मांगों से संबंधित प्रथम रिपोर्ट में निहित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई से संबंधित 11वीं रिपोर्ट 9.3.2005 को लोक सभा में प्रस्तुत की गयी।

डाक विभाग के संबंध में रिपोर्ट सं० 2

(i) समिति ने दिनांक 10.8.2004 को डाक विभाग की वर्ष 2004-05 के लिए अनुदान मांगों की जांच की और इस

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1920/2005

[श्री दयानिधि मारन]

संबंध में लोक सभा, में अपनी द्वितीय रिपोर्ट 23.8.2004 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 12 सिफारिशें हैं।

(ii) समिति के ये सिफारिशें मुख्यत: डाक नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता से संबंधित है ताकि जनता की निर्बाध सेवा की जा सके; वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाकर एक्सप्रेस डाक के बाजार में स्पीड पोस्ट की भागीदारी बढ़ाई जा सके; दसवीं योजना अवधि के दौरान 5616 डाकघरों को कंप्यूटरीकृत करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके; विभाग की अपनी इमारतें निर्मित करने के लिए विस्तुत नीति तैयार की जा सके; बचत बैंक एजेंसी कार्य के लिए प्रति खाता/प्रति प्रमाण पत्र पारिश्रमिक में वृद्धि करने के लिए और विभाग के प्रचालन व्यय को कम करने के लिए अन्य मंत्रालयों में जैसा किया जाता है उसी के अनुरूप पेंशन संबंधी भुगतानों को कॉमन शीर्ष में रखने के लिए वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श किया जा सके; पूर्वोत्तर के लिए योजनागत व्यय में वृद्धि की आवश्यकता पूरी की जा सके; दसवीं योजना अवधि के दौरान किए गए आबंटन के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता को पूरा किया जा सके; हो रही आवर्ती क्षति को पूरा किया जा सके; तथा विभाग की विभिन्न सेवाओं/उत्पादों को अनुकूलतम बनाया जा सके और कर्मचारियों को उचित और गुणात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(iii) समिति की सभी 12 सिफारिशों पर डाक विभाग में विचार किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है/सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए पहल की गई है।

(iv) स्थाई समिति ने 9.3.2005 को लोक सभा में प्रस्तुत अपनी 12वीं रिपोर्ट में 5 सिफारिशों के संबंध में सरकार की टिप्पणियों को स्वीकार किया है। 4 सिफारिशों के संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है। जिन सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार के उत्तर को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और समिति ने अपनी सिफारिशों पर फिर से बल दिया है, उनके संबंध में समिति की सिफारिशों के अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

दूरसंचार विभाग से संबंधित रिपोर्ट सं० 3

(i) समिति ने दूरसंचार विभाग की वर्ष 2004-05 की अनुदान मांगों की जांच करने के लिए 10 अगस्त, 2004 को बैठक की और इस संबंध में 23.8.2004 को लोक सभा में अपनी तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कुल मिलाकर 22 सिफारिशें हैं।

(ii) ये सिफारिशें मुख्य रूप से बी०एस०एन०एल० को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों को वापस करने, एम०ए० आर०आर० आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलने के लिए अधिक मात्रा में निधि आबंटित करने, बी०एस०एन०एल० के ग्राहक आधार में कमी पर रोक लगाने, सामग्रियों/उपकरणों को समय से प्राप्त करने, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने, प्रचालकों के संबंध में लाइसेंस करारों को लागू करने, प्रतीक्षा सूची और दोष दर में कमी लाने, बकाया राशि की वसूली करने, बी०एस०एन०एल० द्वारा अपनाई जानेवाली बाजार नीति में सुधार लाने, एम०टी०एन०एल० की सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने और दोष दर को न्यूनतम करने, आई०टी०आई० लिमिटेड का पुनरुद्धार करने, सी-डॉट द्वारा अपेक्षित राजस्व सृजन सुनिश्चित करने, सी-डॉट द्वारा अनुसंधान को अद्यतन बनाने, टाई की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाने और उसके सूचना आधार को उन्नत करने, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध तथा बेतार अनुश्रवण संगठन द्वारा बजट प्रावधानों का उपयोग सुनिश्चित करने से संबंधित है।

(iii) उपर्युक्त सभी सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(iv) दूरसंचार विभाग से संबंधित वर्ष 2004-05 की अनुदान मांगों पर समिति के तीसरे प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन लोक सभा में 9.3.2005 को प्रस्तुत किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 26 अर्थात् नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

(एक) उड़ीसा में परालाखेमुंडी में एफ०एम० रेडियो स्टेशन शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा) : महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बरहामपुर के तीन विधानसभा क्षेत्र गणपति जिले में आते हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में है और अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की 70 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति से है। यह क्षेत्र नक्सलवादी आंदोलन से भी प्रभावित क्षेत्र है। वर्ष 2003 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परालाखेमुन्डी, जो एक जिला मुख्यालय है, में 5 किलोवाट के एक एफ०एम० रेडियो केन्द्र की मंजूरी दी थी। तदनुरूप, जिला प्रशासन ने भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए आवश्यक दो एकड़ जमीन भी सरकारी कीमतों पर देने की सहमति दे दी थी। लेकिन अभी तक जमीन को अधिग्रहीत करने और मंत्रालय द्वारा उस पर कार्य शुरू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

इसलिए महोदय आपके माध्यम से मेरा माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि वह परालाखेमुन्डी में एफ०एम० रेडियो केन्द्र की स्थापना हेतु तुरन्त कार्रवाई करें।

(दो) राज्य में औद्योगिक संवर्धन के लिए उत्तरांचल को दिए गए विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा समय से पूर्व कम किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, पूर्व में सरकार ने उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद उस नवोदित राज्य के त्वरित विकास हेतु उसे विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया और दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से उत्तरांचल को विशेष श्रेणी के राज्य का लाभ मिलना प्रारम्भ हुआ।

विकास के साथ-साथ नौजवानों को रोजगार मिले और उत्तरांचल तेजी से औद्योगिक प्रगति करे, इस आशय से सरकार द्वारा 7.1.2003 से आगामी दस वर्षों यानि (6.1.2013 तक) उत्तरांचल प्रदेश में स्थापित होकर उत्पादन प्रारम्भ करने वाले उद्योगों को उत्पादन कर, आयकर आदि में शतप्रतिशत छूट प्रदान करने के साथ-साथ अनेक प्रोत्साहन व रियायतें प्रदान की गई।

इन छूटों व प्रोत्साहनों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व वाणिज्य मंत्रालय ने उत्तरांचल राज्य के हित में जारी किया। इस विशेष औद्योगिकी प्रोत्साहन पैकेज जो दस वर्षों के लिये दिया गया था, को वर्तमान सरकार द्वारा दस वर्षों के बजाय चार वर्षों के लिये कर दिया गया यानि यह पैकेज सन् 2007 तक ही लागू रखने का फैसला लिया गया है, जिससे उत्तरांचल क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना पर विपरीत असर पड़ रहा है। बड़े व मझौले उद्योग जो यहां आने के लिये इच्छुक थे, उन्होंने अब यहां न आने का निश्चय कर लिया है।

उपरोक्त दस वर्षों की अवधि में 6 वर्षों की कटौती से सैंकड़ों उद्योग यहां पर अब स्थापित नहीं हो सकेंगे व हजारों बेरोजगार नवयुवकों के लिये इन उद्योगों में जो रोज़गार का अवसर मिलने वाला था, वह भी समाप्त हो गया है।

अत: उत्तरांचल के पिछड़ेपन व भीषण बेरोज़गारी को देखते हुए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्व सरकार द्वारा 2013 तक के लिये लागू किये गये विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की 6 वर्षों की कटौती को तत्काल वापस लें, ताकि उत्तरांचल में औद्योगिक समृद्धि के साथ-साथ भीषण बेरोज़गारी की समस्या का समाधान हो सके।

(तीन) राजस्थान के अजमेर और पुष्कर शहरों के चहुंमुखी विकास के लिए इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, अजमेर और पुष्कर पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हैं। राजस्थान के बीचों-बीच स्थित होने के कारण इन पर्यटन स्थलों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। राजस्थान में आने वाला हर पर्यटक अजमेर और पुष्कर भी अवश्य आने को लालायित रहता है। पर्यटन के ही एक महत्वपूर्ण अंग तीर्थाटन एवं प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व की दृष्टि से भी इन स्थानों का विशिष्ट महत्व है। पुष्कर सरोवर में रेत अत्यधिक इकट्ठी हो गई है। प्राकृतिक स्रोत अवरुद्ध हो गये हैं। अत: पुष्कर सरोवर से मिट्टी निकालने, इसे साफ-सफाई तथा प्रदूषण से मुक्त रखने तथा सुचारू जल व्यवस्था बनाये रखने की अत्यंत आवश्यकता है। अजमेर की सड़कें भी अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण हैं।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि विश्व पर्यटन मानचित्र पर अजमेर और पुष्कर को महत्ता प्रदान करने हेतु इन दोनों ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व के नगरों में आधारभूत संसाधनों के विकास हेतु विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे इनका सर्वांगीण विकास किया जा सके।

(चार) केरल में भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत हेडलोडर्स की मजदूरी बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की खरीद, उसके भंडारण और परिवहन के माध्यम से मुख्यत: सामाजिक क्षेत्र की सेवा करने का कार्य सौंपा गया है और इस तरह वह हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण संचालनकर्त्ता है।

भारतीय खाद्य निगम की तमाम बुराइयों के बावजूद इसके प्रमुख भारवाहकों के लिए कार्य करने वाला श्रमिक कार्यबल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य को रात-दिन कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के वेस्टहिल (कालीकट), तथा केरल स्थित मेवेलीक्कारा और चलाकुड्डी डिपो को अभी तक प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के अंतर्गत लाया जाना शेष है ताकि इन डिपों के कार्यरत भारवाहकों की मजदूरी एक समान सुनिश्चित की जा सके। इस मामले में मुंबई उच्च-न्यायालय द्वारा तथा चेन्नई के एक न्यायिक अधिकरण द्वारा भारवाहकों को दैनिक मजदूरी में वृद्धि कर उसे 50 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया था, लेकिन इस निर्णय को अभी भी भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन द्वारा लागू नहीं किया गया है।

हाल में केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है, जिसके कारण सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 1600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन भारतीय खाद्य निगम के भारवाहकों को दी जाने वाली बढ़ी हुई राशि प्रतिवर्ष 95 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह भारतीय खाद्य निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के श्रमिक कार्यबल के प्रति भी समान रूप से उदार दृष्टिकोण अपनाये क्योंकि यह उपक्रम सामाजिक क्षेत्र की सेवा करने वाला एक उपक्रम है।

(पांच) राज्य/केन्द्रीय चिकित्सा परिषदों में पंजीकृत निजी चिकित्सा व्यावसायियों को प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के लिए नीति बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, प्राइवेट चिकित्सक संगठन का प्रत्येक सदस्य उ०प्र० के अलावा अन्य प्रान्तों की राजकीय चिकित्सा परिषदों से पंजीकृत/सूचीकृत सदस्य हैं जो कि केन्द्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1970 की धारा 17 (3) (क) (ख) के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य की परिषद में नामावलीगत सदस्य सम्पूर्ण भारत के किसी भी भाग में चिकित्सा अभ्यास कर सकता है। मा० उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में इसकी पुष्टि की है। इस समय अकेले उ०प्र० में ही लगभग चार लाख रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो करोड़ों गरीब जनता को सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये निजी चिकित्सक सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों, परिवार नियोजन, पल्स पोलियो, एड्स गोष्ठियों, कुष्ठ रोग सर्वेक्षण आदि अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान करते हैं। सरकारों द्वारा झोलाछाप डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के नाम पर इन्हीं रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है, जबकि इन्हें प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। विशेषकर ग्रामीण अंचलों में जहां गरीबी है, वहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का काम सिर्फ यही लोग करते हैं। इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न्यायोचित नहीं है। केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे कि भविष्य में इनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो। यदि भूलवश रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर्स के विरुद्ध कहीं अपराध भी पंजीकृत हो गए हों तो सरकारें उनके मुकदमे अविलम्ब वापस लें।

(छह) बिहार में पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, पटना विश्वविद्यालय बिहार का ऐतिहासिक पहला विश्वविद्यालय है जो कि बिहार राज्य की राजधानी पटना में अवस्थित है। यहां के इकोनॉमिक्स एवं अन्य विभागों की पढ़ाई की तो विदेशों तक में चर्चा रहती है। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में पटना विश्वविद्यालय की अपनी एक अलग ही पहचान है। पटना विश्वविद्यालय को अगर केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए तो इसकी विशेषता और भी हो जाएगी। साथ ही साथ बिहार को भी एक गौरव प्रदान होगा।

अत: मैं सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करें जिससे इस प्राचीन विश्वविद्यालय का उत्थान हो सके।

(सात) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गोपामऊ शहर में "सम विकास योजना" के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थलों को दी जाने वाली सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शाहाबाद अंतर्गत गोपामऊ कस्बे का अपना अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। इस कस्बे में लखोरी ईंट द्वारा बने अद्भुत महल उसकी ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं एवं निर्माण कार्य में रुचि रखने वालों को अपनी ओर बराबर आकर्षित करते रहे हैं। कर्नाटक के मशहूर नवाब मोहम्मद अली वाला जा इसी कस्बे में जन्मे थे। आज इन महलों की दशा अत्यंत खराब हो गई है। इन महलों की सांस्कृतिक विरासत धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। अल्पसंख्यक वर्ग की इन महलों के प्रति अपार श्रद्धा है।

सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिला हरदोई में लागू सम विकास योजना का पैसा बढ़ाकर जिला प्रशासन को निर्देश दिये जाएं कि इन महलों की तरफ जाने वाली सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य प्रथम चरण में कराया जाए तथा उसे नगर पंचायत के स्तर पर न छोड़ा जाए।

(आठ) तमिलनाडु में "काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम" के अंतर्गत कृष्णागिरी जिले को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई०जी० सुगावनम (कृष्णागिरि) : महोदय, तमिलनाडु में धर्मपुरी जिले को दो भागों में बांटकर एक नया जिला कृष्णागिरी बनाया गया है और यह जिला 9.2.2004 से कार्य कर रहा है। कृष्णागिरी जिला मुख्यत: कृषि आधारित जिला है। यहां गत कई वर्षों से लगातार सूखा पड़ता रहा है। यहां के अधिकतर खेतिहर मज़दूरों को कोई काम न मिल पाने के कारण वे काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते रहे हैं।

कृष्णानगर का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र है जहां पारम्परिक जनजातीय गांव बसे हुए हैं। इन अकुशल जनजातीय लोगों के पास कोई काम न होन के कारण इन दिनों यहां पलायन स्तर 30 प्रतिशत और उससे अधिक तक जा पहुंचा है। इसे जिले की एक लम्बी सीमा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से मिलती हैं। यहां के कई क्षेत्र विशेषकर थल्ली, उथानगराई और माथुर ब्लाक जैसे पिछड़े क्षेत्र अत्यधिक गरीब हैं और नक्सली तत्व जनजातीय लोगों के अनपढ़ होने और उनके भोलेपन का फायदा उठाते हुई अक्सर इन क्षेत्रों पर धावा बोलते रहते हैं। यहां रोजगार अवसर सुलभ न होने के कारण कट्टरपंथी तत्वों को प्रमुखता से बढ़ावा मिलता है।

यदि 'कार्य के बदले अनाज' कार्यक्रम को इस जिले में लागू किया जाता है तो इससे निश्चित तौर पर गरीब अकुशल मजदूरों तथा जनजातीय लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी। इससे इस जिले में नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने में भी मदद मिलेगी।

अत: मेरा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कृष्णागिरी जिले को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की कृपा करें।

(नौ) देश में कृषि उत्पादन के बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंचाई सुविधाओं का विकास किए जाने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, वह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास की वार्षिक दर सात फीसदी ही रह पाएगी, जो लक्ष्य से बहुत कम है। लक्ष्य से कम विकास की दर का अर्थ है कि देश में जो रोजगार के अवसर सृजन करने का लक्ष्य था, वह पूरा नहीं होगा। परिणामस्वरूप देश में बेरोज़गारी बढ़ेगी। वार्षिक विकास की दर का लक्ष्य प्राप्त न कर पाने का सबसे बड़ा कारण है कृषि क्षेत्र में उत्पादन की कमी। जो उत्पादन चार फीसदी की दर से बढ़ना चाहिए था, वह मात्र 1.5 फीसदी की दर से बढ़ा है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहां की 60 फीसदी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। अत: खेती का विकास ही देश का विकास हो सकता है। खेती के विकास में सिंचाई की ही मुख्य भूमिका होती है। दुर्भाग्य से देश में विकास के लिए जो बुनियादी ढ़ांचे की सरकारी मान्यता है, उसमें सिंचाई का स्थान नहीं है। सिंचाई की अनदेखी का ही परिणाम है कि कृषि प्रधान देश में कृषि का उत्पादन गिरावट की ओर है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि यदि देश में विकास की दर लक्ष्य के आधार पर पानी है तो कृषि की अब अनदेखी समाप्त होनी चाहिए और सिंचाई को बुनियादी ढांचे में सर्वोपरि स्थान दिया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के विकास की ओर सरकार का ध्यान केन्द्रित हो।

(दस) गुजरात के गिर जंगल क्षेत्र में पड़ने वाले अमरेली-जूनागढ़-कोडीनार मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण किए जाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री बी०के० दुम्मर (अमरेली) : मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली से जूनागढ़ के रास्ते में कोडीनार तालूका है, जहां पर गिर फॉरेस्ट एरिया में एक सड़क है। उसका अभी तक पक्कीकरण वन मंत्रालय की स्वीकृति के अभाव में नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को दूसरे मार्ग से जूनागढ़ एवं कोडीनार जाना पड़ता है और समय की बरबादी एवं लोगों को बहुत असुविधा होती है। जिला प्रशासन ने इस मार्ग पर सड़क निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा है जो अभी तक वन मंत्रालय में लंबित है। जबकि दूसरी ओर अमरेली से ऊना जाने वाले मार्ग पर जो गिर फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है उसका सड़क निर्माण हो चुका है, जबकि यह मार्ग भी गिर फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है।

सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि गिर फॉरेस्ट में पड़ने वाले अमरेली से ऊना वाले मार्ग के सड़क निर्माण की तरह ही गिर फॉरेस्ट में पड़ने वाले अमरेली जूनागढ़ कोडीनार मार्ग पर सड़क निर्माण की मंजूरी शीघ्र दी जाए, जो वन मंत्रालय में अभी तक लंबित है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 27 और 28 पर एक साथ विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : महोदय, मैं भी नियम 377 के अंतर्गत बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपका नाम लिया गया था, तब आप उपस्थित नहीं थे।

श्री चन्द्र शेखर दूबे : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लेट आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री चन्द्र शेखर दूबे : मेरा मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण सभापटल पर रख सकते हैं। यह कार्यवाही-वृत्तांत का भाग बनेगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे : आपका आदेश हो तो मैं बोलना शुरू करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पेशल केस के तौर पर बोलने की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

इसे पूर्वोदाहरण न समझा जाए।

(ग्यारह) विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किए जाने के उद्देश्य से बोकारो स्टील प्लांट में चतुर्थ श्रेणी पदों को बकाया आरक्षित रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालयों के जरिए भरे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बोकारो इस्पात प्रबंधन एवं विस्थापित अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ था कि क्लास-चतुर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय नियोजनालय के माध्यम से नाम मंगाकर की जाएगी। इसके विपरीत प्रबंधन क्लास-चतुर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति के 95 बैकलॉग नियुक्तियों को भरने के लिए पूरे देश से इंटरनेट के माध्यम से 75000 आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। इनका साक्षात्कार कोलकाता में होन जा रहा है। प्रबंधन का यह कार्य न केवल कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाला है, बल्कि स्थानीय समझौते तथा केंद्र सरकार के नियमों एवं आदेशों के विपरीत भी है। इससे स्थानीय विस्थापित आंदोलनरत हैं जिससे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अत: मैं केंद्र सरकार से इस पर अविलम्ब रोक लगाने एवं स्थानीय एक्सचेंज से विस्थापितों का नाम मंगाकर उन्हें नियोजन देने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। यह भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अपराह्न 2.24 बजे

रेल बजट-अनुदानों की मांगें*, 2005-2006

और

रेल अभिसमय समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन किए जाने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 2005-2006 के रेल बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के वर्ष 2005-2006 के रेल बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना-पट्ट पर लगा दी जायेगी।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर मौजूद कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2005-06 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग सं०	मांग का नाम	15.3.2005 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3	4
1	रेलवे बोर्ड	13,21,69,000	66,08,47,000
2	विविध व्यय (सामान्य)	43,33,47,000	216,67,37,000
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	317,04,48,000	1585,22,39,000
4	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	600,90,72,000	3004,53,60,000
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	314,44,50,000	1572,22,51,000
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	629,47,29,000	3147,36,45,000
7	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	340,36,75,000	1701,83,72,000
8	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	500,36,82,000	2501,84,10,000
9	परिचालन व्यय-यातायात	2445,70,12,000	4884,30,41,000
10	परिचालन व्यय-ईंधन	1529,19,59,000	7645,97,97,000
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	253,98,89,000	1269,94,43,000
12	विविध संचालन व्यय	298,70,04,000	1493,50,18,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	1200,11,75,000	6000,58,72,000
14	निधियों में विनियोग	2212,91,33,000	11064,56,67,000
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व के लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	12,22,61,000	3973,27,39,000
16	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव		
	राजस्व	7,50,00,000	37,50,00,000
	अन्य व्यय		
	पूंजी	3520,80,51,000	17604,02,55,000
	रेलवे निधियां	773,61,50,000	3868,07,50,000
	रेलवे संरक्षा निधि	118,46,17,000	592,30,83,000
	विशेष रेलवे संरक्षा निधि	638,83,33,000	3194,16,67,000
	जोड़	15771,21,56,000	75424,01,93,000

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2004) के पहले प्रतिवेदन, जो 21 दिसम्बर, 2004 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 53 में अंतर्विष्ट सिफारिशें का अनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लालू प्रसाद जी को नहीं सुनेंगे। एन०डी०ए० की तरफ से हमने तय किया है कि रेल बजट अथवा अनुदान की मांगों के संबंध में लालू प्रसाद जी जब भी पढ़ेंगे, उन्हें हम नहीं सुनेंगे। इसलिए हम इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2004) के पहले प्रतिवेदन, जो 21 दिसम्बर, 2004 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 53 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

अब मैं श्री रतिलाल कालीदास वर्मा से बोलने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने रेल बजट प्रस्तुत करते समय-भी बहुत सारी बातें कही थीं और अब अनुदानों की मांगें स्वीकृति हेतु लेकर आए हैं। मैं शुरूआत सबसे पहले अपने क्षेत्र से करना चाहूंगा। यह मेरा छठवीं लोक सभा का काल चल रहा है। मैं प्रारम्भ से रेलवे के संबंध में अपने संसदीय क्षेत्र के लिए रेलवे के बारे में अनेक जरूरी सुविधाओं की मांग करता आया हूं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो भी रेल मंत्री बनते हैं, वे अपने राज्य और अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ ही ध्यान देते हैं। जैसे ओझा जब नारियल फेंकना होता है, तो वह यह देखता है कि उसके परिवार वाले किधर खड़े हैं और वह उधर ही नारियल फेंकता है। ऐसे ओझा ज्यादा समय तक नहीं चलते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में धंधुका संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं। मैं बहुत समय से बोटाट से अहमदाबाद रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने की मांग करता आ रहा हूं, लेकिन उस तरफ मंत्रालय का ध्यान नहीं जा रहा है। इसके कारण पूरा सौराष्ट्र गुजरात से अलग हो जाता है। इसकी बार-बार मैं मांग करता रहा हूं और इस बार भी मैंने रेल मंत्री जी से प्रार्थना की थी, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक रेल लाइन एन०डी०ए० सरकार के समय में जरूर हमारे क्षेत्र में ब्रॉडगेज हुई। वह सूरत नगर से भाव नगर रेल लाइन है, लेकिन प्लेटफॉर्म छोटा ही रह गया। रेलवे लाइन के साथ-साथ उसे ऊंचा नहीं उठाया गया। इसका परिणाम यह हो रहा है कि रेल के डिब्बों से उतरते वक्त प्लेटफॉर्म नीचा होने की वजह से रोजाना बुजुर्ग और विद्यार्थी फिसल जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जब रेल लाइन ब्रॉडगेज की गई, तो उसी समय प्लेटफॉर्म को भी क्यों ऊंचा नहीं उठाया गया अथवा बड़ा नहीं किया गया, यह बात मेरी समय में नहीं आ रही है। यह बात उसी समय रेल मंत्रालय के ध्यान में क्यों नहीं आई कि रेलवे लाइन के साथ-साथ उसे भी ऊंचा उठाया जाता। जहां भी यदि कोई गड़बड़ी हुई है या कोई घोटाला हुआ है, तो उसकी जांच की जाए। *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप कहां के प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने की बात कह रहे हैं?

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : मंत्री जी, मैं भावनगर-सूरतनगर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की बात कर रहा हूं, जिसे एन०डी०ए० सरकार के समय में ब्रॉडगेज बनाया गया, लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म छोटा और नीचा है जिसके कारण बुजुर्ग एवं विद्यार्थी लोग रेल से उतरते समय फिसल कर गिर जाते हैं और दुर्धटनाएं हो रही हैं। उस लाइन के प्लेटफॉर्म को बड़ा एवं ऊंचा बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि सौराष्ट्र आने-जाने का खर्च बहुत ज्यादा आता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि दसा से बोटाट एक नई रेलवे लाइन जोड़ी जाए जिससे अमरेली और कच्छ आदि के सब लोगों को एक आसान रास्ता मिल जाएगा। इससे समय की भी बचत होगी और खर्च भी कम होगा और पूरे राज्य के अंदर रेलवे की पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि धंधुका से भावनगर छ: घंटे लगते हैं और घूमकर जाना पड़ता है। बहुत सयम पहले एक सर्वेक्षण हुआ था।

डायरेक्ट धंधुका से भावनगर का जो सर्वे हुआ है, उसको निकालकर के उसकी जांच की जानी चाहिए। रेलवे को भी उससे बहुत बड़ा फायदा होगा और आम जनता को भी इससे बड़ा फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, नयी-नयी पटरियां बिछायी जाती है, लाइनों को ब्राडगैज किया जाता है, लेकिन इसके साथ गांव वालों के जो छोटे-छोटे फाटक होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। उसके लिए गांव वालों से राय नहीं ली जाती है। इससे किसानों को दस-दस किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ता है। जिन गांवों के पुराने फाटक थे उनको चालू रखना चाहिए। कभी-कभी तो ऐसा हुआ है कि किसी फाटक को बंद करके उसकी चाबी रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं, जब किसान तीन किलोमीटर जाकर उसकी चाबी लेकर आता है, तब वह फाटक खुलता है। मेरी प्रार्थना है कि दिन में वे फाटक खुले रहने चाहिए और वहां पर गेट-कीपर की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ प्लेटफॉर्म टूटे पड़े हुए हैं। उनके मरम्मत होनी चाहिए। यात्रियों के लिए बैठने की और उनके लिए पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

की जानी चाहिए, प्रत्येक स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ जो रात्रि गाड़ियां चलती हैं उनमें कुछ बदमाश लोग मां-बहनों और छोटे-मोटे लोगों को परेशान करते हैं या लूट लेते हैं। मेरी आपसे मांग है कि जहां-जहां रात्रि गाड़ियां चलती हैं उनमें पलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ जिस प्रकार से मुम्बई की लोकल ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग डिब्बों की व्यवस्था है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए अलग डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिए। बुजुर्गों और सीनियर सीटिजन के लिए भी अलग डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उसके साथ मैं हर बार अपने निर्वाचन क्षेत्र के ढोलका, सांनद, बावला, बोटाद इत्यादि स्टेशनों पर कोटा बढ़ाने की बार-बार मांग करता आया हूं। ये सब व्यापारियों के स्थल हैं। बोटाद जीरा, कपास, कोटन इत्यादि का बहुत बड़ा केन्द्र है। जो लोग मुम्बई या दिल्ली आना-जाना चाहते हैं उनके लिए कोटा बढ़ाने की मैं हमेशा मांग करता आया हूं। विरमगांव से मेहसाना तक का गैज परिवर्तन हो गया है किन्तु अभी तक ट्रेन नहीं चलायी गई है। 50 गांव इसकी वजह से बेकार बैठे हैं। वहां पर सब काम पूरा हो गया है लेकिन ट्रैन अभी तक शुरू नहीं की गई है। आज 6 महीने बीत चुके हैं। लेकिन ट्रैन शुरू नहीं की गई है। वहां पर ट्रैन शुरू की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ जो लोग वहां पर बैठे हैं, पुराने व्यापारी बैठे हैं, उनको भी अच्छी जगह पर बैठाया जाना चाहिए। कई स्थानों पर रेल की पटरी के नीचे के नाले बंद हो जाते हैं जिससे उसका पानी आस-पास की बस्तियों में चला जाता है। यदि नगरपालिका के लोग सफाई करने जाते हैं तो रेलवे अधिकारी कहते हैं कि यह उनके प्रिमाइसिस से बाहर है। आप यहां पर नहीं आ सकते हैं। इससे इन बस्तियों में पानी भर जाता है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। किन्तु नगरपालिका को सफाई नहीं करने देते हैं, उन्हें सफाई करने से रोकते हैं। जहां-जहां भी पानी की पाइपलाइन डालनी होती है या केबल डालनी होती है उसके लिए पहले डी०आर०एम० की मंजूरी लेनी पड़ती है। जब डी०आर०एम० मंजूरी देगा तब वह काम शुरू होगा। जिससे काम के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है। मेरी यह मांग है कि रेल मंत्रालय से एक आदेश जाना चाहिए कि जहां भी बिजली की या पानी की या टेलीफोन की लाइन डाली जानी और उसे तुरन्त परमीशन दी जाए। फिर बाद में उसकी परमीशन रेलवे से या डी०आर०एम० से ली जा सकती है।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि जो इंटरसिटी भावनगर से अहमदाबाद जाती है, वर खाली जाती है। उसके चार डिब्बे राजकोट चले जाते हैं और चार डिब्बे भावनगर चले जाते हैं, लेकिन बीच के महत्वपूर्ण स्टेशन छूट जाते हैं। इन सबको ध्यान में रखा जाए। इसके साथ आपने अपने बजट में बताया कि माल ढुलाई के लिए वृद्धि दर बढ़ी है लेकिन छोटे स्टेशनों पर माल ढुलाई को आपने बंद कर दिया है।

इससे लोग काफी परेशान हैं। आपने डीजल साइडिंग का भी विद्युतीकरण करने के लिए कहा है। गुजरात में जो-जो लाइनें बाकी हैं, उनका विद्युतीकरण किया जाए।

गुजरात में नमक उद्योग बहुत बड़ा है। आपने कहा कि हम उसे ज्यादा ऋण देंगे, लेकिन समय पर ऋण न मिलने के कारण गुजरात का नमक उद्योग ठप्प होता जा रहा है। उसे ऋण दिया जाए। कोयला लाने के लिए भी ऋण दिया जाए। गुजरात में कई जगह रेलवे ने पटरियां निकाल दी हैं। जहां से पटरियां निकाली गई हैं, उन जंगहों को उनके मूल मालिकों को वापिस दिया जाए।

मंत्री जी ने अपने मुद्दा नवम्बर 22 में बताया है कि महानगरों के स्टेशनों के विस्तार के लिए उन्हें आधुनिक स्टेशन के साथ विकसित करेंगे। अहमदाबाद काफी बड़ा स्टेशन है। आप उसे भूल गए हैं। आपने उसके विस्तारीकरण के लिए कुछ नहीं किया। उसके बगल में साबरमती रेलवे स्टेशन है। उसका विकास होने वाला था। एन०डी०ए० सरकार में कहा गया था कि दिल्ली से जाने वाली गाड़ियां वहां रुकेंगी, लेकिन आज तक वहां कोई गाड़ी नहीं रुकती। *(व्यवधान)*

आपने गांधी आश्रम से डांडी यात्रा निकाली और उसे गांधीनगर को अपमानित कर रहे हैं। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। आपने 25 किलोमीटर की नई रेल लाइन डालने के लिए लिखा है। आपने इसमें छः प्रपोजल रखे, जिसमें गांधीनगर का प्रपोजल अंत में रखा है। अगर कलोन से गांधीनरग तक नई रेल लाइन डाल दी जाती है तो राजधानी टू राजधानी सम्पर्क हो सकता है। आपने पांच दूसरे प्रपोजल रखे और इसे अंतिम समय में रखा। मैं समझता हूं कि आप इसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे।

आपने पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहन देने की बात की। गुजरात व्यापारियों का राज्य है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां गुजराती लोग न हों। आप गुजरात के व्यापारियों के साथ आइए, वहां के चैम्बर ऑफ कामर्स को बुलाइए और हर स्टेशन पर आपने जो सुविधा देने के लिए कहा है, जैसे हैंडलिंग, वेयरहाउसिंग तथा सड़क सम्पर्क इत्यादि का काम गुजरात में बहुत अच्छा हो सकता है। आपको सिर्फ काम करना है। चैम्बर ऑफ कामर्स को बुलाकर उनके साथ मिलना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। कृपया कोई टिप्पणी न करें।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : जब अप अलग से टाइम टेबल बनाते हैं, मेरा अनुरोध है कि आप वहां की लोकल पैसेंजर एसोसिएशन को विश्वास में लें। उनको विश्वास में लेकर टाइम टेबल चेंज करें ताकि हम आपके पास बार-बार न आए।

प्रतीक्षा सूची के बारे में सिर्फ आधे घंटे पहले मालूम पड़ता है। लोग अपने परिवार के साथ स्टेशन जाते हैं। उनकी टिकट कन्फर्म नहीं होती तो अब वे कहां जाएं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें अन्यथा यह बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। यदि आप मेरी अनुमति के बिना सभा में बोलेंगे तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : देश के अंदर रेलवे की अनगिनत सम्पत्ति पड़ी है। कौन से स्टेशन में क्या पड़ा है, वह आपको मालूम नहीं है। सामान की चोरी हो रही है, उसे मिट्टी खा रही है। जब ऑक्शन होता है तो अच्छी-अच्छी चीजें बेच दी जाती हैं। छोटे-छोटे स्टेशनों में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बेकार पड़ी है। आप कभी उसे जाकर देखिए। देश की सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

स्क्रैप में अच्छा माल बेचा जाता है, जिससे रेलवे को घाटे में डाल दिया जाता है। इसे सही तरह से देखा जाए।

आपने छोटी-मोटी नौकरियों में ठेकेदारी पद्धति अपना ली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग ठेकेदारों के यहां नौकरी करते हैं। उनको पूरे दाम नहीं दिए जाते। ठेकेदारी पद्धति दूर की जाए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग, जो रेलवे के ठेकेदारों के अंडर काम करते हैं, उनको आप रेलवे के कर्मचारी बनाएं। आप पिछड़े वर्ग के लोगों की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं। कि आप उन सबको कर्मचारी बनाकर उचित न्याय दिलवाएंगे।

रेलवे में काफी एक्सीडैंट्स होते हैं। कहीं गाड़ी आमने-सामने टकरा जाती है, कहीं पटरी से नीचे उतर जाती है, कभी रेलगाड़ी चलते-चलते नदी में गिर जाती है और कभी मालगाड़ी के सामने जाकर गले मिल जाती है।

इससे निर्दोषों की जान जाती है। आप उनके लिए एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आश्वासन दे देते हैं लेकिन गये हुए मां-बाप, भाई-बहन, बहु-बेटे वापिस नहीं मिलते। इसलिए एक लाख रुपये की खैरात देने से अच्छा है कि आप उन लोगों की जान बचाने का काम करें।

मंत्री जी ने अपने रेल भाषण में जो रियायतें दी हैं, वह सराहनीय हैं उन्होंने जो रियायतें दी हैं, मैं उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन रियायतें सही इंसान तक पहुंचे, सही लोगों को मिले और सही लोग उसका लाभ उठा सकें, यह काम आपको करना चाहिए।

मेरी आपसे एक मांग और है कि अहमदाबाद-भावनगर, इंटरसिटी को स्टापेज दिया जाये। वाकानेर जंक्शन को कम्प्यूटराइज किया जाये। विश्वामित्र स्टेशन पर मुम्बई से आने वाली गाड़ियों को रोका जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के अंत में दो शेर कहे थे। मैं उनका उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मंत्री जी ने कहा था कि

उठना है और भी ऊपर, है ऊंचाइयां पुकारतीं
है अपार क्षमताएं, आशाएं तुम्हें निहारतीं।

मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि–

पुकारते पुकारते ऊंचाइयां थक गई
रेल बजट को सुनकर आस निराश भई
दक्षिण भारत को छोड़कर सारी रेल बिहार चली गयीं
है अपार क्षमता फिर भी काम पूर्ण करने में अक्षमता दिखाई गयी।

मंत्री जी ने दूसरा शेर कहा था कि–

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए

इसके जवाब में मेरा कहना है कि–

सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही रेल भाषण का मकसद है,
अगर दिल और दिमाग से कोशिश है तो रेल की सूरत तो क्या,
सारा देश खूबसूरत हो जायेगा।

अंत में ब्राडगेज की बात कहना चाहूंगा कि उसे पूरा करना चाहिए। गोधरा-इंदौर-देवास के ब्राडगेज का काम रुका हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह क्यों रुका हुआ है। और वह कब तक पूरा हो जायेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

वर्मा जी, अब आपका भाषण रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : गुजरात के साथ अन्याय हुआ है। भले ही वहां भाजपा का राज है लेकिन वहां के आधे सांसद कांग्रेस से चुनकर आये हैं। उनकी भी बात नहीं सुनी जाती। गुजरात के जो रेल मंत्री थे, वे भी दुखी हैं। उनके साथ हम भी दुखी हैं।

कटौती प्रस्ताव

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

होशियारपुर में रेलवे के लिए कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए उद्योगों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (147)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

होशियारपुर और दिल्ली के बीच एक सीधी रेल गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (166)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

अमृतसर और श्री आनंदपुर साहिब को रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता। (167)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

जम्मू तवी एक्सप्रेस में एक पैंट्री कार लगाए जाने की आवश्यकता। (168)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

होशियारपुर से चलने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (169)

कि परिसंपत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

जेजो और ऊना रेलवे स्टेशनों के बीच एक नयी रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (177)

कि परिसंपत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

होशियारपुर रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफार्म का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (178)

[अनुवाद]

श्री बीच सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

दिल्ली में काठगोदाम तक बरास्ता मुरादाबाद एसी प्रथम श्रेणी डिब्बा वाली और अधिक रेलें चलाए जाने की आवश्यकता। (241)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

नई दिल्ली से रामनगर और नई दिल्ली से काठगोदाम तक दैनिक शताब्दी रेल चलाए जाने की आवश्यकता। (242)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

काठगोदाम और जम्मू तवी के बीच बरास्ता अम्बाला एक्सप्रेस रेल चलाए जाने की आवश्यकता। (243)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रामनगर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर पूर्वी रेलवे, मुरादाबाद के अधिकार क्षेत्र से उत्तरी रेलवे, इज्जतनगर, बरेली में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता। (244)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल कर्मचारियों के कल्याण के लिए काठगोदाम में 100 बिस्तरों वाले रेलवे अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (245)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तरांचल राज्य में सभी नैरोगेज लाइनों को ब्रॉडगेज लाइनों में बदले जाने की आवश्यकता। (246)

[श्री अविनाश राय खन्ना]

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तरांचल राज्य में सभी रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (247)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तरांचल राज्य में सभी रेलवे स्टेशनों पर पेयजल, जलपान गृहों की समुचित व्यवस्था किए जाने तथा स्वच्छता बनाए रखे जाने की आवश्यकता। (248)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

लालकुआं और खटीमा के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (249)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तरांचल के कुमाऊं डिवीजन के अल्मोड़ा, गंगोलीहाट, बेरीनाग, दिदीहाट, भिकियासेन, चौखुटिया, धारूचुला, मुन्स्यारी, कापाकोट, तहसील मुख्यालयों में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू किए जाने की आवश्यकता। (250)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रामनगर से चौखुटिया तक बरास्ता मारचुला जिला अल्मोड़ा रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (251)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

काठगोदाम और मुम्बई के बीच तथा काठगोदाम और अहमदाबाद के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (252)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

टनकपुर से चम्पावत तथा जागेश्वर ब्लाक रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (253)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

टनकपुर-काठगोदाम-रामनगर-कोटद्वार-हरिद्वार-देहरादून को जोड़ने वाली नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (254)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रामपुर और मुरादाबाद रेल क्रासिंग के बीच यातायात सुचारू बनाने के लिए उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (255)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भाषण नहीं देना है। चूंकि रेल मंत्री जी अपनी कांस्टीट्एंसी की बात स्वयं नहीं बोल सकते इसलिए हम उनकी कांस्टीट्एंसी की बात बोलना चाहते हैं। हमको लगता है कि उसका रिस्पांस देंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले उनसे कंसल्ट कर लीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम आपके माध्यम से मंत्री जी से कह रहे हैं कि पटना गंगा नदी पर जो पुल बन रहा है, वहां से जो रेलवे स्टेशन है, वह परमानंद में मिल रहा है। माननीय मंत्री जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहीं से सीधे तरइयां होते हुए मसरक जाती है। हमने इस संबंध में एक पत्र भी आपको लिखा था कि आप मसरक से लेकर परमानंद पुल का सर्वेक्षण करा दीजिए क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इससे काफी कठिनाई है। आपके निर्माचन क्षेत्र के तरइयां, परसा, गड़खा और सोनपुर चार विधान सभा क्षेत्र के बीच से यह निकलना है। हम चाहेंगे कि उसका सर्वेक्षण कराकर आप उस पर कार्रवाई कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम भाषण नहीं दे रहे हैं। हम केवल मंत्री जी की कांस्टीट्एंसी के बारे में बता रहे हैं। जब श्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थी, उस समय मसरक से महाराजगंज तक रेल परियोजना की स्वीकृति हुई थी। वह परियोजना बजट में भी आ गयी थी। उस पर प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति भी मिल गयी तथा उसका शिलान्यास भी हो गया। अभी आपको जब हमने इस बारे में पत्र लिखा तो हमें उत्तर मिला कि उसके दो करोड़ रुपये मुक्त गये हैं। लेकिन उसे आपके मंत्रालय ने प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि जमीन की व्यवस्था करके वहां जो स्वीकृत योजना है, उसे पूरा किया जाये। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मंत्री जी, आपके निर्वाचन क्षेत्र वाला जो मामला है, हमको लगता है कि आप अपने जवाब में इन दिनों बिन्दुओं पर चर्चा करके जरूर बतायेंगे। कम से कम अपने क्षेत्र का निदान जरूर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल शर्मा के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : मोहतरम् डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि मुझे आपने आज रेलवे की ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया।

मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अपनी रियासत के लोगों की तरफ से अपनी यू०पी०ए० सरकार, प्रधान मंत्री जी और खासकर माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने वैसाखी के त्यौहार के दिन मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी के सपने को साकार किया और हरी झंडी देकर वहां से रेल रवाना की। उसके साथ ही इन्होंने वहां अपनी तकरीर के दौरान, उस उद्घाटन के मौके पर रियासत जम्मू-कश्मीर में रेलवे के जो काम ऊधमपुर से काजीकुंड और काजीकुंड से बारामूला तक रेल ले जाने का वादा किया और वहां काम भी चल रहा है और यह भी कमिटमेंट दिया कि सन् 2007 तक ऊधमपुर से काजीकुंड और काजीकुंड से बारामूला तक रेल चलेगी। मैं समझता हूं कि जहां पिछले वर्षों में जो 15 वर्ष गुजरे हैं जबकि रियासत जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर था लेकिन आज जब वहां हर विभाग और खासकर रेल विभाग की तरफ से वहां तरक्की के काम काफी जोरों से जारी हैं जिससे आज लोगों को रोजगार भी मिलता है और यह महसूस होता है कि आज हिन्दुस्तान की सरकार और रेलवे विभाग जम्मू-कश्मीर के कटे हुए इलाकों को सारे देश के साथ जोड़ना चाहती है तो उसके लिए मैं लालू जी का धन्यवाद करता हूं।

हमारी रियासत जम्मू-कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यह दुरुस्त बात है कि पिछले सालों में लोग मिलिटेंसी के खौफ से वहां नहीं जाते थे लेकिन जब रेल चालू हो जाएगी और देश के कोने-कोने से लोग रेल के माध्यम से कश्मीर में पहुंचेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा। वैसे तो जम्मू में मां वैष्णो देवी की कृपा से जब वहां 60 लाख यात्री आज के दिन पहुंचते हैं और कटरा में 2006 में रेल पहुंचाने का फैसला भी इन्होंने किया है तो मैं इनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उसी लिंक को रजौरी और पुंछ जो दो जिले आगे पड़ते हैं, उनको भी रेल से जोड़ा जाए और यह इसलिए भी जरूरी है कि वहां हमारे बहुत सारे फौजी डिवीजन है, सारा लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और देश के कोने-कोने से हमारे फौजी जवान सरहदों पर तैनात हैं और उनको आने-जाने में जब बहुत दिक्कत होती है और यहीं नहीं, पिछले साल जब वे बसों और ट्रकों से जम्मू-कश्मीर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते थे तो रास्ते में कोई ऐसे हादसे होते थे जिनमें बहुत सारी जानें भी गई हैं।

अपराह्न 2.49 बजे

[श्री अर्जुन सेठी पीठासीन हुए]

मैं कहूंगा कि बहुत पहले रेल विभाग ने रजौरी-पूंछ रेल पहुंचाने का एक सर्वे भी किया था लेकिन पिछले साल मैंने उसके बारे में पिछली बार जब प्रश्न पूछा था तो उनका जवाब आया कि अभी हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन रेल विभाग और खासकर माननीय रेल मंत्री जी ने जो उत्साह दिखाया है, उससे जम्मू-कश्मीर के अवाम का मनोबल ऊंचा हुआ है। मैं कहूंगा कि रजौरी-पुंछ जो बड़े जिले हैं, उनको जोड़ना भी लाजमी बनता है और इससे वहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे क्योंकि वहां सोर्स ऑफ इंकम कोई नहीं है।

वे लोग जमींदारी पर निर्भर करते हैं और अगर वहां रेलवे लाइन काम शुरू हो जाए तो एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को आने-जाने के साधन मिलेगा और देश के कोने-कोने से आए हुए जो बहादुर जवान वहां तैनात हैं, उन्हें भी आने-जाने में सहुलियत मिलेगी। इस क्षेत्र में बहुत-से तीर्थ स्थान हैं, जहां हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, उनको भी सहुलियत होगी। मैंने पिछली बार भी इसी हाउस में यह कहा था कि हमारे जिला हैडक्वार्टर्स पर रिजर्वेशन काउण्टर नहीं हैं, जैसे पुंछ और राजौरी। मैं रेलवे मंत्री जी द्वारा रेलवे बजट ग्राण्ट्स प्रस्तुत करते समय की गयी उस घोषणा के लिए शुक्रगुजार हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश करने के लिए या इन्टरव्यु के लिए जाने वाले नौजवानों को ट्रेन के किराए में छूट दी जाएगी। मैं समझता हूं कि हमारी रियासत के नौजवान इसका उपयोग प्रदेश के बाहर तो कर सकते हैं, लेकिन अपने राज्य में इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उनको रिजर्वेशन करवाने के लिए तीन सौ किलोमीटर का फासला तय करके जम्मू जाना पड़ता है। इसलिए मेरी मांग है कि रियासते जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर कम्प्युटराइज्ड रिजर्वेशन सेन्टर खोले जाएं ताकि वहां के लोगों के साथ-साथ फौजी जवानों को भी लाभ मिल सके।

महोदय, हमारे यहां राजधानी एक्सप्रेस जम्मू तक जाती है लेकिन हफ्ते में एक बार जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों पर आपकी बड़ी इनायत होगी अगर उस राजधानी को प्रतिदिन कर दिया जाए। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस राजधानी एक्सप्रेस को पूरे हफ्ते रोज़ाना चलाया जाएगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मदन लाल शर्मा]

महोदय, माननीय रेलमंत्री जी और उनका विभाग, रियासते जम्मू-कश्मीर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू में, जो कि हमारी शीतकालीन राजधानी भी है, में एक रेलवे डिवीजन कायम किए जाने की जरूरत है क्योंकि हमारी रेलवे डिवीजन फिरोजपुर है और फिरोजपुर तथा कश्मीर-बारामूला के बीच कितनी दूरी है, इसे आप समझते हैं। इससे रेलवे को भी अपने कामों की नजदीक से मॉनिटरिंग करने में बहुत सहूलियत होगी और लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही जम्मू शहर का भी विकास होगा। इससे लोगों को रेलवे विभाग की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आज हमारी रियासत के लोग मौजूदा यू०पी०ए० सरकार, प्रधानमंत्री जी और रेलमंत्री जी के बड़े शुक्रगुजार हैं जो हाल ही में वहां गए थे। मैं ज्यादा लम्बी तक़रीर न करते हुए, रेलमंत्री जी और उनके विभाग द्वारा किए गए कामों के लिए उनकी तारीफ करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यहां जो सजेशन्स दिए हैं, उन पर माननीय मंत्री जी गौर करेंगे और मेरी रियासत, खासकर मेरे चुनावी हलके - जम्मू, पुंछ और राजौरी तक रेल पहुंचाने की मेहरबानी करेंगे।

[अनुवाद]

डा० रामचन्द्र डोम (वीरभूम) : सभापति महोदय, धन्यवाद। महोदय, मैं वर्ष 2005-06 की रेलवे की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं रेल मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने एक जनहितैषी रेल बजट पेश किया है।

बजट पर पहले चरण की चर्चा लगभग पूरी हो गयी है और अब दूसरे चरण में अनुदानों की मांगों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। मैं, इस बारे में कुछ विशेष निवेदन करना चाहूंगा और कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मांगों की सूची में कुल 16 शीर्ष दिये गये हैं।

हमारे देश में आज सबसे बड़ी समस्या, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, नई रेल परियोजनाओं का विस्तार करना है। विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, रेलवे नेटवर्क के विस्तार हेतु बजटीय सहायता की पूरी तरह उपेक्षा की गयी है। इस वर्ष भी, यद्यपि रेल मंत्री जी ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया है, फिर भी नई रेल परियोजनाएं शुरू करने के लिए विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, बजटीय सहायता संतोषजनक नहीं रही है।

दूसरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है पुरानी रेल लाइनों का रखरखाव और उनकी मरम्मत, यानी प्रकारान्तर से रेल लाइनों का आधुनिकीकरण करना। लेकिन यह काम बिलकुल ही संतोषजनक नहीं है। हमारे देश के कई रेलवे पुल बहुत पुराने हो चुके हैं और आये दिन रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यद्यपि हमारे मंत्री जी यह दावा कर रहे हैं कि विगत एक वर्ष में सबसे कम रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, फिर भी इस बात से उन्हें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि अधिकतर रेल दुर्घटनाएं रेलवे पुलों और रेल लाइनों के उचित रखरखाव न होन के कारण घटित हुई है। इसलिए, इस ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त धनराशि भी आवंटित की जानी चाहिए। अन्यथा, हमारी रेल सवाओं के एक महत्वपूर्ण भाग की उपेक्षा होती रहेगी। इस उपेक्षा का नकारात्मक परिणाम होता है – रेलगाड़ियों का पटरी पर से उतर जाना, दुर्घटनाएं तथा जीवन और संपत्ति को नुकसान।

इसी तरह हमारे रेलवे सुरक्षा कार्यक्रम की भी आनदेखी की जा रही है। यद्यपि रेलवे सुरक्षा के लिए एक विशेष रेल सुरक्षा कोष बनाया गया है फिर भी विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि इस कोष का उपयोग नहीं किया गया है और सुरक्षा कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा है। अत: रेलमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि रेलवे सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस काम में पैसे की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए।

हमारे रेल संचालन व्यय, विशेष रूप से ईंधन व्यय भी साल-दर-साल बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है। इसलिए ईंधन का जो तात्कालिक विकल्प, रेल लाइनों का विद्युतीकरण है, उसे तुरन्त किया जाना चाहिए। लेकिन विद्युतीकरण का कार्य भी संतोषजनक नहीं है।

अपराह्न 3.00 बजे

अब भी रेलवे नेटवर्क के एक बहुत बड़ा भाग विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आया है। इस विद्युतीकरण के कार्य में हम जितना ही विलम्ब करेंगे, हमारा ईंधन पर होने वाला व्यय बढ़ता ही चला जायेगा। कुछ समय बाद यह इतना अधिक बढ़ जायेगा कि हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि हमें नये विकास कार्यक्रमों को रोकना पड़ेगा।

जहां तक आमान परिवर्तन की बात है, हमें प्रत्येक रेल बजट में यही बताया जाता है कि इस बारे में सर्वेक्षण हो रहे हैं। ये सर्वेक्षण अंतहीन हैं। इन्हें एक समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। ये सर्वेक्षण कार्यक्रम एक तरह से सांत्वना पुरस्कार हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आमान परिवर्तन कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से लागू करना चाहिए। आमान परिवर्तन की गयी परियोजनाओं के मामले में जहां सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, वहां इसे समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना चाहिए।

जहां तक यात्री सेवाओं और सुविधाओं की बात है, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पक्ष की भी उपेक्षा की जा रही है, विशेषकर पैसेन्जर गाड़ियों में लोगों को समुचित यात्री सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इन पैसेन्जर गाड़ियों में पुराने डिब्बे लगे होते हैं। इनमें न तो बिजली होती है, न ही खिड़की शीशे होते हैं। शौचालय सुविधाएं भी अच्छी स्थिति में नहीं होती हैं और रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त पेय जल

सुविधाएं नहीं होती है। डी०एम०यू० और इ०एम०यू० सेवाओं में उचित शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। रेलवे की चालू परियोजनाओं, विशेषकर देश के पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्राथमिकता आधार पर शुरू किया जाना चाहिए। गुवाहाटी-लुमडिंग तथा गुवाहाटी धरमनगर रेलवे परियोजनाएं काफी समय से लंबित पड़ी है। इन परियोजनाओं पर कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। अत: इसे उच्च प्राथिमकता देते हुए शुरू किया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में चलाया जायेगा। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं पर ये परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से लागू भी जानी चाहिए।

इसी तरह, वैगन फैक्ट्रियों की उपेक्षा की जा रही है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में। हमारी वैगन फैक्ट्रियां सरकारी क्षेत्र में होने के बावजूद रुग्ण हैं। वैगनों के लिए और अधिक आर्डरों की आवश्यकता है। क्योंकि इनके आर्डरों में दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है। अत: इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चितरंजन स्थित हमारी लोकोमोटिव फैक्ट्री अच्छा काम कर रही है। इसमें रेल इंजन में गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर बनाये जाते हैं लेकिन यहां भी रेल इंजन के आर्डरों में कमी आ रही है। इस तरह के संयंत्रों को संरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और किसी भी तरह के निजीकरण अथवा वाणिज्यीकरण को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। मैं यहां कुछ चालू परियोजनाओं और कुछ सेवाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रेल सेवा है – अंदाल-पलास्थली रेल सेवा। यह सेवा ढाई वर्षों से रुकी हुई है। यह रेलवे लाइन देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों अर्थात् बर्धमान, बीरभूम तथा निकट के झारखण्ड के क्षेत्रों से होकर जाती है। दुर्भाग्य से बार-बार अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद इस सेवा को बहाल नहीं किया गया है।

इस रेलवे लाइन पर केवल एक ट्रेन चलती थी। इस ट्रेन को भी ढाई वर्षों से निलम्बित कर रखा गया है। मैं माननीय रेल मंजी जी से विशेषरूप से अनुरोध करता हूं कि वह अंडाल-पलस्थली रेलमार्ग पर इस रेल सेवा की पुन: बहाली करें। यह राज्य के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से है। यहां के श्रमिक इस रेल सेवा का प्रयोग अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए करते थे। अत: मैं उनसे एक बार फिर यह अनुरोध करता हूं कि वह इस रेल मार्ग पर ट्रेन सेवा को बहाल करें।

मेरा दूसरा मुद्दा बंदेल स्टेशन पर जल भराव की समस्या से संबंधित है। यह एक साश्वत समस्या है। इस मुद्दे को उस क्षेत्र के संसद सदस्य द्वारा भी संसद में उठाया गया है। लेकिन रेल प्राधिकारियों द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। बंदेल रेलवे स्टेशन पर जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए तुरन्त ही कुछ उपचारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए।

एक और बात है – दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे उपरि पुल का निर्माण करना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन इस परियोजना पर काम शुरू नहीं किया गया है। इसी तरह के दूसरे स्टेशनों पर भी रेलवे उपरिपुलों का निर्माण केवल रेलवे द्वारा ही किया जाना चाहिए।

महोदय, यहां मैं दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन का भी उल्लेख करना चाहूंगा। यह रेलवे लाइन झारखण्ड में दुमका तथा पश्चिम बंगाल में बीरभूम के पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ती है। यह परियोजना भी काफी समय से लंबित पड़ी है। इस परियोजना की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। इसी तरह अंदाल-सैन्थिया रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य भी यथाशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित जनशताब्दी एक्सप्रेस जो हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी की बीच चलेगी उसे वाया सिऊरी चलाया जाना चाहिए। अजीमगंज-अंदाल रेल सेवा को भी तुरन्त बहाल यिका जाना चाहिए। अमोदपुर-कटवा तथा कटवा-बर्धमान छोटीलाइन के बीच आमान परिवर्तन का काम काफी समय से लंबित पड़ा है। इसका सर्वेक्षण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र शुरू करें।

मेरा अलग मुद्दा सिऊरी रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है। सिऊरी एक जिला मुख्यालय है। इसके साथ ही यह एक औद्योगिक नगर भी है लेकिन यहां कोई टर्मिनल सुविधा नहीं है। अत: सिऊरी पर टर्मिनल सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसी तरह कोलकाता मेट्रो परियोजना विस्तार कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

यहां पर जो मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा वह है रेलवे हाकरों को लाइसेंस देना। यद्यपि माननीय मंत्री जी ने रेलवे हाकरों को लाइसेंस देन का वायदा किया है, फिर भी इस घोषणा को तुरन्त मूर्तरूप दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइसेंस न होने पर रेलवे पुलिस प्रतिदिन इन रेलवे हाकरों को उत्पीड़न करती रहती है। पुलिस द्वारा इस उत्पीड़न को रोका जाना चाहिए और रेलवे हाकरों को लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एकबार पुन: वर्ष 2005-06 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, हम 2005-06 की रेल बजट की अनुदान मांगों को पारित करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। कृपया वह इस वर्ष के बजट और पिछले वर्षों के बजट को देखें। उनके कारण जो स्थिति सामने आई है, उनका

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

अध्ययन करके ही उन्होंने यह बजट बनाया है। जिन मांगों को वह स्वीकृति देने वाले हैं, उनके बारे में गम्भीरता से कार्य योजना बनानी होगी। यदि कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट भी निरर्थक सिद्ध होगा।

मुझे लगता है इससे रेल के क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी का वर्ष 2003-04 के बजट की कुछ मदों संख्या की ओर आपाक ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर वे इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप उनके ध्यान में आएगा कि इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है। विविध प्राप्तियों की मांग संख्या में वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 में कमी आई है। इसमें विविध प्राप्तियां केवल चार पैसा अर्थात् सौ पैसे में चार पैसे अर्थात् चार प्रतिशत है। इसी तरह से रेल विकास निधि विनियोग में कमी आई है।

रेल मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसमें रेल के विकास की दृष्टि से दो पैसे हैं। अगर हम कल्पना करें कि इतना बड़ा देश है और रेल की बहुत आवश्यकता है। सड़क मार्ग के अलावा सारा आवागमन रेल मार्ग पर निर्भर करता है परंतु उसमें भी विकास की मद के लिए दो पैसे रखे जाते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि रेल मंत्रालय किस प्रकार से विकास करेगा, इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। हम और माननीय रेल मंत्री जी रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से हर समय सदन में और बाहर चिंता व्यक्त करते हैं लेकिन रेल सुरक्षा निधि विनियोग में कमी आई है। रेलवे संरक्षा के मद में तीन प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। मैं मानता हूं कि यह धनराशि बहुत कम है, इसमें वृद्धि किए बिना रेल सुरक्षा में सुधार नहीं कर सकते हैं।

मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश आवागमन की दृष्टि से और आबादी के घनत्व की दृष्टि से बहुत अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, यहां चारों ओर से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए रेल लाईनों की बहुत आवश्यकता है। यह संयोग की बात है कि देश की आजादी के बाद से अभी तक केवल दो बार रेल मंत्री मध्य प्रदेश से चुने गए हैं। एक बार श्री प्रकाश चन्द्र सेठी जी, शायद वर्ष 1972 के आसपास या पहले चुने गए थे और दूसरे श्री माधवराव सिंधिया जी चुने गए थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में रेलवे विकास की दृष्टि से कुछ प्रयास किए थे। उनके अलावा यदि किसी ने विकास के क्रम को अग्रसर करने का काम किया तो केवल श्री नीतीश कुमार जी ने किया।

माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा रेल बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में पूर्व योजनाएं तो स्वीकृत हैं लेकिन उन योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं किया गया है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं मकसि-देवास और इन्दौर-गोधरा रेल लाईन के लिए पिछले वर्ष 25 से 30 करोड़ का बजट प्रावधान था। इस वर्ष इन्दौर-गोधरा रेल लाईन के बजट प्रावधान में कमी आई है। पिछले वर्ष 25 करोड़ के लगभग बजट प्रावधान किया गया था लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। पेड़-पौधों को काट कर रास्ता साफ करने का काम किया था लेकिन वह पैसा ऐसे ही रह गया। इसी प्रकार से अजमेर-खंडवा छोटी रेल लाईन का आमान परिवर्तन करने का काम चल रहा है, इस परिवर्तन के लिए पिछले वर्ष ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया था, इससे पहले कुछ काम भी हुआ था लेकिन जो बजट प्रावधान पिछले वर्ष किया गया था उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। पुल बनकर तैयार हैं, पटरियां वगैरह खरीदकर, स्लीपर डालकर रतलाम तक जोड़ने का काम था, वह अब तक नहीं हुआ। उज्जैन से आगर तक आजादी से पहले से नैरो गेज रेल लाईन थी, जब देश में आपातकाल लगा था, उस समय किसी को कोर्ट कचहरी में निवेदन करने का प्रावधान नहीं था। ऐसी स्थिति में उज्जैन से आगर तक जो रेल लाईन थी, उसे उखाड़ दिया गया। रेल लाईन उखाड़ने के बाद जब जन प्रतिनिधियों ने मांग की तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि रेल लाईन को फिर से डालने का काम करेंगे। एन०डी०ए० सरकार के समय में हमने श्री नीतीश कुमार जी को और श्री रामविलास पासवान जी से अनुरोध किया था। श्री रामविलास पासवान जी ने उसकी स्वीकृति दी थी और श्री नीतीश कुमार जी ने सर्वे के लिए बजट प्रावधान किया था।

उसका सर्वे पूरा हो चुका है और उसकी रिपोर्ट अप्रैल, 2000 से रेल मंत्रालय के पास है। मैं रेल मंत्री जी से जाकर मिला था और उनसे निवेदन किया था कि इस लाईन की स्वीकृति दी जाये लेकिन स्वीकृति प्रदान करने के बजाय पिछले बजट में उन्होंने अद्यतन सर्वे की स्वीकृति प्रदान की थी। मेरी जानकारी के अनुसार यह कार्य पूरा हो गया है। मैं इस बजट में उम्मीद करता था कि इस लाईन की स्वीकृति देकर निर्माण कार्य के लिये बजट में राशि प्रदान करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उज्जैन-आगर-रामगंजमंडी-झालावाड़ रोड के लिये नई रेल लाइन की स्वीकृति प्रदान करें और इसके लिए सप्लीमेंटरी बजट में राशि स्वीकृत करें।

इसी प्रकार मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहूंगा। कहने के लिये हिन्दुस्तान में 250 सुपर फास्ट ट्रेनें हैं जिन पर यात्रियों से सुपर फास्ट एक्सप्रैस का किराया लिया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इन 250 सुपर फास्ट ट्रेनों में से केवल 70 ट्रेनें ऐसी हैं जो सुपर फास्ट मानदंड के अनुसार चलती है लेकिन यात्रियों से सभी 250 सुपर फास्ट ट्रेनों का किराया लिया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 180 सुपर फास्ट ट्रेनें है जो सुपर फास्ट मानदंड के अनुसार नहीं

चल रही है। मेरा निवेदन है कि यह तो सभी सुपर फास्ट गाड़ियों को उनके मानदंड के अनुसार चलाया जाये वरना यात्रियों से सुपर फास्ट का किराया न लिया जाये।

सभापति जी, पश्चिम एक्सप्रेस, जिसका पुराना नाम डीलक्स एक्सप्रेस था, वर्षों से मुम्बई-अमृतसर के बीच में चल रही है। इसका मथुरा पहुंचने का समय सुबह 7.00 बजे है और दिल्ली पहुंचने का समय 10.30 बजे है। मथुरा से दिल्ली आने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनें पौने दो घंटे में या दो घंटे में पहुंचती हैं लेकिन यह गाड़ी साढ़े तीन घंटे में पहुंचती है। इसे नई दिल्ली 9.00 बजे तक पहुंचने के लिए मैंने तथा डा० सत्य नारायण जटिया, डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री कान्ति लाल भूरिया ने लिखा क्योंकि यह सुपर फास्ट ट्रेन है। एक-एक घंटे का मार्जिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिये इस ट्रेन को दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इसे ठीक किया जाये।

सभापति जी, ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन की स्वीकृति करने के लिये माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन किया जा चुका है। उन्होंने पिछले बजट में घोषणा भी की थी। इस बार के रेल बजट में 46 नई ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है लेकिन उनमें 14 ट्रेनें ऐसी हैं जिनके लिये आमान परिवर्तन किया जाना है। मुझे यह बताने की कृपा की जाये कि यह आमान परिवर्तन कब तक हो जायेगा। यदि इस वर्ष के लक्ष्य के अनुसार उन रेल लाइनों का आमान परिवर्तन नहीं किया जाता तो नई ट्रेनें कैसे चलेंगी? कृपया अधिकारियों से इस बात की जांच करायें कि यह आमान परिवर्तन कब तक हो सकेगा? उन्होंने कह दिया और मंत्री जी ने दस्तखत कर दिया, इस तरह काम कैसे होगा?

सभापति जी, माननीय रेल मंत्री जी कुल्हड़ के नाम पर बड़ा हल्ला किया करते थे कि कुल्हड़ में चाय पीयेंगे, पानी पीयेंगे और रेलों में कुल्हड़ का उपयोग किया जायेगा। यहां तक कि आगरा स्टेशन पर काफा हल्ला किया गया लेकिन उन्हें देखना चाहिये कि आज कुल्हड़ में न चाय मिलती है और न पानी मिलता है। आज प्लास्टिक या कागज के गिलास में चाय मिल रही है। मेरा अनुभव है कि ऐसी घोषणा केवल उन्होंने ही नहीं की, ऐसी घोषणा श्री नीतीश कुमार जी ने भी की थी।

तत्कालीन रेल मंत्री, श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने भी घोषणा की थी कि रेलगाड़ियों में जो बैडरोल्स और चादरें हैं, वे सब खादी की बनी हुई खरीदेंगे। परंतु उस बात पर अमल नहीं किया जा रहा है। आप घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन उन पर अमल का भी ध्यान रखें। आप जरा पता करके देख लीजिए कि कितने स्टेशनों पर कुल्हड़ों का उपयोग हो रहा है। वहां कोई कुल्हड़ों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको इस बात पर विश्वास न हो तो आप इसकी जांच करा लें।

मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मक्सी से गुना-बीना तक सिंगल रेल लाइन है। मैंने आपसे निवेदन किया है कि इसका दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण करा दें। *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : जब आप ये सब बातें बोलेंगे, तो क्या आपके क्षेत्र में कोई काम होगा?

श्री बावरचंद गैहलोत : उज्जैन से इंदौर के बीच सिंगल लाइन है, इसका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण करा दें, क्योंकि उज्जैन और इंदौर में आबादी और आवागमन का घनत्व सर्वाधिक है। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी के रूप में माना जाता है। वहां बहुत लोग आते-जाते हैं। वहां उज्जैन तक तो इलैक्ट्रिक इंजन आता है, परंतु आगे इलैक्ट्रिफिकेशन न होने के कारण इंजन चेंज होता है, जिनमें आधा-पौना घंटा लग जाता है, इसके कारण मालगाड़ियों को भी पिटना पड़ता है। रेलवे के और जनता के हित में आप बहुत चिंता करते हैं, आप ऐसा हमेशा कहकर प्रदर्शित करते हैं। हमारा अनुरोध है कि इनका विद्युतीकरण और दोहरीकरण करने का काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि देवास, उज्जैन और नागदा में 21 और 24 डिब्बों वाली ट्रेनें आती हैं। उन गाड़ियों के 15 से 17 डिब्बे प्लेटफार्म पर रहते हैं, परंतु नौ-दस डिब्बे प्लेटफार्म के बाहर रहते हैं, जिसके कारण यात्रियों को उतरने में कठिनाई होती है। यात्रियों में से किसी का पांव टूटता है, किसी का पांव कटता है, किसी को चोट लगती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे स्टेशनों पर जहां 21 और 24 डिब्बों वाली ट्रेनें आती हैं, आप उनके प्लेटफार्मों की लम्बाई बढ़ाने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस अवसर पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु आपने माल भाड़े में वृद्धि न करने की जो बात कही है, उसमें आपने माल यातायात के लिए श्रेणीकरण किया है। आपने 190 से 100 श्रेणियां बनाई हैं। यह पहले सौ से 190 के बीच में होती थीं। परंतु इसके कारण माल भाड़े में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और इसका असर सारे देशवासियों पर होगा। कृपया इस पर भी आप पुनर्विचार कर लें। इस बजट में आपने जो-जो प्रावधान किये हैं, उनकी चरणबद्ध कार्य योजना बनाकर उसके अमल की आप स्वयं समीक्षा करें। अन्यथा कागजों में सारे पैसे का प्रावधान होगा और मौके पर खर्च नहीं होगा और फिर अगले साल अगले बजट में आप इसी प्रकार की बातें पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बजट पर अमल करने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना बनाकर आप स्वयं परीक्षण करें। यदि इसमें आपको समय समय पर सांसदों की जरूरत महसूस हो तो उनका भी उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री वी०के० दुम्मर (अमरेली) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2005-2006 की रेलवे की अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। रेल मंत्री, लालू जी, रेल राज्य मंत्री श्री रठवा जी और वेलु जी ने बहुत अच्छा रेल बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट में रेल मंत्री जी द्वारा छोटी रेलों का बहुत ख्याल किया गया है, इसलिए मैं रेल मंत्री जी और यू०पी०ए० सरकार को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली बार गुजरात से चुने हुए श्री रठवा जी को रेल मंत्रालय में काम करने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं सोनिया जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गुजरात की ओर इतना ध्यान दिया है। गुजरात की ओर रेलवे द्वारा ध्यान देने का इस सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास किया है।

माननीय सभापति जी, अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूंगा। महुआ-राजुलाधोला रेलवे स्टेशन के लिए पिपावा पोर्ट के साथ जॉइंट वैन्चर किया गया था और गुड्ज़ ट्रेन के लिए बनाया गया था। एन०डी०ए० सरकार ने डिमांड की कि वहां रेल सेवा शुरू की जाए। तब उन्होंने कहा कि पिपावा पोर्ट के साथ जॉइंट वैन्चर केवल गुड्ज़ ट्रेन के लिए किया गया है, यहां पैसेन्जर ट्रेन शुरू नहीं हो सकती है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि राठवा जी ने कश्मीर की ट्रेन शुरू करने के दूसरे दिन यह ट्रेन शुरू करके अमरेली की जनता को जो सुविधा दी है, यदि ऐसा काम और पांच साल हिन्दुस्तान में चलेगा तो देश का सही विकास हो सकता है।

माननीय सभापति जी, मैं दो-तीन बातें सौराष्ट्र के संबंध में कहना चाहता हूं। सौराष्ट्र में गायकवाड सरकार के समय, अंग्रेज़ों के समय में जब गवर्नर स्टेट था, तब भी वहां छोटी ट्रेन चलती थी। आज वहां इतने बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। छोटी रेलवे लाइन का गेज कनवर्शन करके यदि बड़ी लाइन चालू की जाए तो उससे भी फायदा हो सकता है। जैतलसर-दशा रेलवे लाइन जो मेरे सौराष्ट्र एरिया में लगती है, उसमें दो-तीन काम हो सकते हैं। इसके गेज कनवर्शन के काम के लिए मैंने एक प्रश्न भी दिया था और रेलवे की ओर से मुझे जवाब दिया गया है कि सर्वे का काम शुरू किया गया है। इसका सर्वे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जो रेलवे अंग्रेजों के समय पर चल रही थी, वह रेलवे स्टेशन इतने बढ़िया बनाए हुए हैं कि उनका भी उपयोग किया जा सकता है। केवल गेज कनवर्शन करके वहां पैसेन्जर ट्रेन चलाई जाए तो गुजरात की तरक्की हो सकती है। इसके लिए रेलवे मंत्रालय इस ओर विशेष ध्यान दे।

गुजरात में सूरत आज डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। टैक्सटाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर आज सूरत बन गया है। उस रूट पर जो राजधानी एक्सप्रैस चलती थी, बहुत से लोगों ने उसका स्टापेज सूरत पर देने के लिए लिखा था लेकिन स्टापेज नहीं मिल रहा था। इस बार सूरत में राजधानी एक्सप्रैस का स्टापेज करके सूरत की ओर ध्यान देने का काम रेल मंत्रालय ने किया है। राजधानी एक्सप्रैस का पहले मेहसाणा में भी स्टापेज नहीं था। वह स्टापेज देकर भी गुजरात की जनता के लिए बहुत अच्छा काम रेल मंत्रालय ने किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बोटक-अहमदाबाद पर आज मीटर गेज की ट्रेन चल रही है। पिपावा ऐसा पोर्ट है जिसको ज्यादा से ज्यादा डैवलप किया जा सकता है। यदि पिपावा की ओर ध्यान दिया जाए तो वह दूसरा कांडला जैसा पोर्ट बन सकता है। यदि बोटा-अहमदाबाद मीटर गेज का कनवर्शन ब्राड गेज में किया जाए तो अहमदाबाद से पिपावा जुड़ सकता है। सोमनाथ मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है और इस लोक सभा में मेरे सामने बैठने वाले मित्रों ने वहां से एक रैली भी निकाली थी। देश के लोगों का ध्यान खींचने के लिए सोमनाथ से एक रैली निकाली कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वहां के लिए एक ट्रेन भी नहीं दी गई। इस सरकार ने सोमनाथ का ब्राडगेज कनवर्शन करके वहां के लिए ट्रेन निकाली है। इसके लिए भी मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में गुजरात के करीब पांच लाख लोग रहते हैं। हैदराबाद से अहमदाबाद के लिए हफ्ते में तीन दिन ट्रेन चलती है। मैं राठवा जी और वेलू जी से कहूंगा कि हफ्ते में तीन दिन जो ट्रेन चलती है उसको डेली किया जाए। अभी पिछले दिनों मैं हैदराबाद गया था। वहां के गुजरात समाज ने कहा कि आप ऐसा करा दें तो इससे बहुत सुविधा लोगों को हो सकती है। हैदराबाद और अमहदाबाद के बीच जो ट्रेन अभी हफ्ते में तीन दिन चलती है, उसको रोज़ चलाया जाए।

माननीय सभापति जी, रेलवे क्रासिंग के कई छोटे-छोटे प्रश्न हैं। इस मंत्रालय में तीनों मंत्रियों ने जो काम शुरू किया है, वह बहुत अच्छे तरीके से किया है। जहां-जहां छोटी-छोटी क्रासिंग की मांग संसद सदस्यों ने की है, उसके लिए भी कुछ न कुछ सुविधा दी जाए। मैं मंत्रालय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि मुम्बई जैसे बड़े स्टेशन पर यदि कोई संसद सदस्य जाकर कहते हैं कि हमें यहां जाना है तो कोई ध्यान अधिकारियों की ओर से नहीं दिया जाता है। ब्यूरोक्रैट्स को भी थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। मैं रेल मंत्री जी से कहूंगा कि जब संसद सदस्य वहां जाते हैं तो उनकी रिस्पैक्ट की जानी चाहिए।

संसद सदस्य से कैसे बात करनी चाहिए, उन्हें कहां बैठाना चाहिए, इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी होने चाहिए। हम लोगों के लिए रेलवे स्टेशनों पर कमरा तक नहीं है। दिल्ली स्टेशन पर वेटिंग रूम अच्छा होना चाहिए। अच्छे वेटिंग रूम की सुविधा होनी चाहिए। जब बाहर से लोग दिल्ली में आते हैं तो भूमि के अनधिकृत अधिग्रहण के कारण लोगों को रेलवे स्टेशन से बाहर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिक्शे वाले और दूसरे लोगों द्वारा गलत ढंग से भूमि का अधिग्रहण किया गया है जहां से पैदल बाहर जाना भी मुश्किल

है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी इंतजाम करना चाहिए जिससे यात्री जल्दी-से-जल्दी स्टेशन से बाहर निकल सकें। लोग बहुत उम्मीद से दिल्ली में आते हैं लेकिन जब स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेल मंत्रालय को लोगों को सुविधा देने के लिए काम करना चाहिए। रेल मंत्री जी ने राजधानी ट्रेन को सभी राज्यों में चलाने के लिए जो काम किए हैं उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में श्री राठवा जी ने कम्प्यूटर द्वारा बुकिंग का नया ट्रेंड शुरू किया है वह राजुलाधोला और सार्वकुंडला में भी शुरू किया जाए। महुआ-राजुलाधोला में भी शुरू किया जाना चाहिए। श्री राठवा जी जो स्पेशल ट्रेन लेकर आए थे उस पर लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की है। ये ट्रेन बांद्रा के साथ, दिल्ली के साथ वेलगाना और मैसाना के साथ जोड़ी जानी चाहिए। इसके बीच में ब्राड गेज लाइन बदलने का काम चल रहा है वह अमरेली से दिल्ली तक जोड़ी जाए। रेल मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है और गुजरात के लिए यू०पी०ए० सरकार ने और श्रीमती सोनिया जी ने सोचा है। पहली बार गुजरात की ओर ध्यान दिया गया है। मैं श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा रेल बजट दिया है।

सभापति महोदय : श्री रघुनाथ झा। पहले आप अपनी सीट पर चले जाइए।

श्री रघुनाथ झा : महोदय, विशेष परिस्थिति में बोलने की इजाजत दे दें।

सभापति महोदय : यह पूर्वोदाहरण नहीं बनना चाहिए आप बोल सकते हैं।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं और मैं दो-चार बिंदुओं पर निवेदन करना चाहता हूं। रेल मंत्री जी ने दो बजट अपनी कार्य अवधि में पेश किए हैं उसमें सबसे अच्छा काम किया है वह यह है कि उन्होंने न तो रेल किराया बढ़ाया है और न ही माल भाड़े में वृद्धि की है। इसके बावजूद भी रेलवे की आमदनी बढ़ी है, यह सबसे प्रशंसनीय काम है। इसके लिए हम रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। महोदय हमारे बिहार में एक सप्तक्रांति ट्रेन मुजफ्फर पुर से दिल्ली के बीच में चलती है। पटना बिहार की राजधानी है। नार्थ बिहार के अंदरूनी इलाके से पटना का कोई कनेक्शन नहीं है। हम चाहते हैं कि पटना से सोनपुर तक ट्रेन को आगे बढ़ा दिया जाए। सोनपुर तक ट्रेन आए और वहीं से जाए तो इससे नार्थ बिहार के लोगों को फायदा मिल सकता है। आप बस वालों से भी कर लो। पटना के टिकट पर जो रेल चार्ज करे उसमें बस का किराया भी हो। पटना, हाजीपुर या सोनापुर के लिए एक घंटा सुबह में ट्रेन का समय बढ़ा दिया जाए।

दूसरी बात है कि, रेलवे के पदाधिकारी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि नार्मल पीरियड में 250-300 लोगों की द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी मं वेटिंग चलती है।

महोदय, पीक सीजन में 700-800 तक वेटिंग लिस्ट हो जाती है। हम लोगों ने पहले भी माननीय मंत्री जी को लिखा और अब फिर प्रार्थना करना चाहते हैं कि इसमें सैकिंड ए०सी० के 2 डिब्बे, थर्ड ए०सी० के दो डिब्बे और जनरल क्लास के चार डिब्बे जोड़ दिए जाएं, तो उस इलाके के लोगों को बहुत फायदा होगा।

महोदय, दूसरी बात यह है कि हमारे यहां पटना से तीन राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलती हैं। पटना राजधानी सप्ताह में दो दिन चलती है, दो दिन कोलकाता राजधानी चलती है और तीन दिन गुवाहाटी राजधानी चलती है। गुवाहाटी राजधानी गाड़ी पटना होकर आती है और उधर हाजीपुर होकर नॉर्थ बिहार में चली जाती है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि पटना राजधानी को डेली कर दीजिए। वह डेली दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली तक आए-आए। गुवाहाटी राजधानी उधर जाती है, वह पांच दिन छपरा और बलिया हो कर जाती है, लेकिन दो दिन के लिए नॉर्थ बिहार के लोगों को भी राजधानी के दर्शन करा दीजिए और दो दिन वह मुजफ्फरपुर और गोरखपुर होकर चलाई जाए। इस प्रकार से हम किसी नई राजधानी को चलाने की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि जो राजधानी पहले से चल रही है, उन्हीं में थोड़ी घटाबढ़ी कर के जैसा हमने सुझाव दिया है, वैसा कर दीजिए। इससे बिहार की जनता को बहुत सहूलियत हो जाएगी।

महोदय, हमारे यहां उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का रेल से कोई मेजर कनैक्शन नहीं है। उधर मोकामा बहुत दूर हो जाता है। पटना में गंगा पर ब्रिज बन रहा है। मुंगेर में गंगा का ब्रिज बन रहा है, लेकिन इनकी गति बहुत धीमी है। यदि पैसे की कमी है, तो पैसे की व्यवस्था की जाए और इन दोनों पुलों का निर्माण समय-सीमा के अंदर किया जाए। इससे हमारे इलाके को बहुत लाभ होगा।

महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जयनगर, दरभंगा, नरकटियागंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन 10 वर्षों से अधिक से बनाया जा रहा है। दरभंगा ब्राडगेज रेल लाइन है वहां से कहीं भी जाया जा सकता है। इसी प्रकार नरकटियागंज भी ब्रॉडगेज लाइन है। वहां से कहीं भी जाया जा सकता है, लेकिन बीच में यह छोटा सा हिस्सा छोटी रेल लाइन का है। यह बीच का मिसिंग लिंक का हिस्सा भी, यदि ब्रॉडगेज लाइन कर दिया जाए, तो यह बहुत बड़ी सुविधा हमारे इलाके के लोगों को मिल सकती है। यह छोटी लाइन बन रही है। तब से अब 10-11 साल हो चुके हैं, लेकिन जयनगर से दरभंगा और दरभंगा से सीतामढ़ी तक ही मिट्टी का कार्य भी पूरा नहीं हुआ

[श्री रघुनाथ झा]

है। पुल-पुलियों के निर्माण का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। यदि इसी गति से इसका निर्माण कार्य चलता रहा, तो इसमें 20-25 वर्ष लग जाएंगे। अभी तक 10-11 वर्ष तो लग चुके हैं। यदि 20-25 वर्ष बाद आप उसे पूरा भी करेंगे, तो उसका विशेष फायदा नहीं होगा, ऊपर से कास्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि उसका निर्माण कार्य समय-सीमा के अंदर पूरा किया जाए। इसी प्रकार से 38-40 किलोमीटर की दूरी मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच में है। वहां भी नई रेल लाइन पर नहीं बन रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसे भी टाइम पर बनाया जाए। इसे भी शुरू हुए 10 वर्षों से अधिक हो गए।

महोदय, हमारे यहां रेल-ओवर ब्रिज पहले से स्वीकृत हैं। सुगौली, रक्सौल, मोतीहारी, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा की स्वीकृति और घोषणा हो चुकी है। बिहार में कुल 32 रेल ओवर ब्रिज बनने हैं, लेकिन मंत्री महोदय ने अभी जिन दो का शिलान्यास किया उनका भी काम चालू नहीं हुआ है। अभी मंत्री जी ने रक्सौल में एक शिलान्यास किया, वह भी शुरू नहीं हुआ है। सुगौली एक इम्पौर्टेंट जगह है। यहां अंग्रेजों के जामने में संधि हुई थी। इसलिए वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन वहां भी ओवर ब्रिज नहीं है। इसलिए वहां घंटा-डेढ़ घंटा जाम लगा रहता है। वहां दो एन०एच० है। वहां दो-दो ट्रेनें आती हैं। एक रक्सौल साइट से और दूसरी मोतीहारी साइड से, लेकिन रेल ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण डेढ़-दो घंटे जाम प्राय: लगा रहता है। यही हालत नरकटियागंज की है। सुगौली एक ऐतिहासिक स्थान है। वहां संधि हुई थी। उसका नाम 'सुगौली' है, लेकिन रेलवे ने उसका नाम 'सगौली' लिखा हुआ है। यदि इस सगौली को सुगौली कर दिया जाए, तो ठीक रहेगा। वहां के लोगों की यह भावना है कि सगौली को सुगौली किया जाए। रकसौल से मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर तक दो गाड़ियां मात्र आधा घंटा के अंदर भागती हैं। जो गाड़ी रकसौल से मुजफ्फरपुर तक जाती है उसका चलने का समय 6 बजे प्रात: है। इसे 8 बजे रकसौल से चलाएं तो मोतिहारी जिला मुख्यालय में आने जाने में आम जनता को सहुलियत मिलेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया।

~~श्री प्रवेश पाठक (उन्नाव)~~ माननीय सभापति महोदय, रेल बजट में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय रेल मंत्री जी दो बजट प्रस्तुत कर चुके हैं।

बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न तो मालभाड़ा बढ़ाया और न ही यात्री किरायों में वृद्धि की है। महोदय, जब माननीय मंत्री जी ने अपना पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था तो काफी बढ़ा-चढ़ाकर बातें कही थीं। उसमें मट्ठा, दूध, खादी और कुल्हड़ का जिक्र किया था। किन्तु इस बात को एक साल बीत चुका है लेकिन न कहीं मट्ठा नजर आता है, न ही कुल्हड़, खादी की बात तो जाने दीजिए, हम जिस रेल में यात्रा करते हैं, उसमें जो चादरें दी जाती हैं, उनकी क्या हालत है, यह किसी से छिपी नहीं है। गंदी चादरों को दोबारा पैक करके दे दिया जाता है। माननीय रेल मंत्री जी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और छात्र नेता कभी झूठ नहीं बोलता है, बेशक उस काम के करने में देर हो सकती है। पटना विश्वविद्यालय से निकलकर माननीय रेल मंत्री जी ने यह मुकाम हासिल किया है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि उन्होंने जो घोषणाएं अपने बजट में की हैं उनको सुचारू रूप से पूरा करें। दूसरे अन्य रेल मंत्रियों की तरह साबित न हों। उन्होंने जो बातें कही है, चाहे रेलवे में भ्रष्टाचार के बारे में या जो नौकरशाह समय से काम नहीं करते हैं, चाहे खन्ना समिति की सिफारिशें रही हों। यदि खन्ना समिति की समिति की सिफारिशें समय से लागू की जातीं तो दुर्घटनाएं रोकी जा सकती थीं। अभी हमारे माननीय श्री विनोद खन्ना जी के निर्वाचन क्षेत्र में दुर्घटना हुई थी। चाहे रेलवे की सम्पत्ति का सवाल है। रेलवे सम्पत्ति पर अभी भी माफिया लोग काबिज हैं। इसके बारे में मैंने कई बार रेलवे मंत्री को लिखित में बताया था और आदेश भी हुआ था, लेकिन लखनऊ में जो अधिकारी बैठे हुए हैं या रेलवे बोर्ड में जो अधिकारी बैठे हैं, लगता है कि वे कान में तेल डालकर बैठे हैं। माफिया लोग रेलवे की जमीन पर काम्प्लैक्स बंदूक के बल पर बना चुके हैं, लेकिन उसको खाली कराने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। वहां के डी०आर०एम० ने रिपोर्ट दी कि सब कुछ नियमानुसार किया जा रहा है। आपको विदित होगा, मैंने अपने शिकायती पत्र में यह भी बताया था कि जिन लोगों ने रेलवे की जमीन पर या कालोनी पर कब्जा किया हुआ है उनका मतदाता सूची में नाम है। उनके यहां टेलीफोन कनैक्शन लगा हुआ है। मैंने पूछा कि वे कैसे रह रहे हैं, तो हमको सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है कि उनका नाम निर्वाचक नामावली में किस प्रकार से आया इसके लिए इलैक्शन आफिस को लिख दिया गया है। रेलवे का आरक्षण केन्द्र चार बाग में बना हुआ है। वहां पर बिजली की निर्बाद्ध आपूर्ति के लिए जनरेटर लगाया गया है। लेकिन उस जनरेटर का एक मोटा तार उनके यहां भी लगा हुआ है। इन अवैध रूप से रहने वाले लोगों के यहां पुलिस के लिए शेड बना हुआ है। पूरी कालोनी अवैध कब्जे में है, केवल चार बाग को छोड़कर। मैं इसकी लिखित सूचना तीनों मंत्रियों को कई बार दे चुका हूं। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लगता है कि रेल विभाग के अधिकारी रेलवे की सम्पत्ति को लुटवाने में पूरी तरह से सक्रिय हैं। कहीं किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

हमारे जनपद उन्नाव में चैतपुर रेलवे स्टेशन है। वहां पर पिछले 15 दिन में ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा था। ढाई फीट की

रेलवे ट्रैक गायब पायी गई। शाम को सात-साढ़े सात बजे का समय था आत-आठ साल के बच्चों ने खेलते हुए देखा की रेल की पटरियां वहां पर नहीं है। उन लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और घास-फूस जलाकर रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी। ड्राइवर ने उसको देखा गाड़ी रुक गई। उसके बाद उसकी मरम्मत की गई। तब तीन-चार घण्टे के बाद पुन: वह ट्रैक चालू हो सका। मैं मौके पर गया और उन बच्चों को सम्मानित किया। लेकिन रेलवे का कोई अधिकारी या जिलाधिकारी मौके पर नहीं आया। मैंने जब डी०आर०एम० से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर उनको सम्मानित किया गया तो ऐसी घटनाएं बार-बार होंगी और लोग हम से क्लेम करेंगे। महोदय, हिन्दुस्तान के लोग कैसे बचेंगे। वे बच्चे गरीब, दलित घर में पैदा हुए हैं। वे पांचों बच्चे पासी समाज के हैं। लेकिन उनके घर तक कोई अधिकारी नहीं गया क्योंकि व दलित बिरादरी से हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवायी जाए। वहां की पटरियां गायब हुईं या जानबूझकर गायब करवायी गयीं। इस पूरी घटना की जांच करवायी जानी चाहिए। इन बच्चों को वीरता पुरस्कार के लिए नामित किया जाना चाहिए। जो पुरस्कार बच्चों को 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है, उनको उसके लिए नामित किया जाए। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि उनको रिकमन्ड करके सम्मानित किया जाए। यह भूल-चूक किन लोगों को माध्यम से हुई? उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए।

समय-समय पर जब भी रेल विभाग की चर्चा होती है, हमने उन्नाव जनपद मुख्यालय पर विभिन्न ट्रेनों का ठहराव देने की मांग की है। वहां पर कोई एक्सप्रैस गाड़ियां बगैर रुके चली जाती हैं चाहे पुष्पक एक्सप्रैस हो, गोमती एक्सप्रैस हो, मरूधर एक्सप्रैस हो, लखनऊ-भोपाल एक्सप्रैस हो या चेन्नई एक्सप्रैस हो—हमने ऐसी मांग की थी। छोटे-छोटे स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकती है लेकिन उन्नाव जो कि उत्तर प्रदेश का जनपद मुख्यालय है, कानपुर जो औद्योगिक राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उन दोनों के बीच स्थित है, वहाँ एक-दो मिनट का स्टापेज देने से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इससे आपके राजस्व में वृद्धि ही होगी। अभी कहा जा रहा है कि प्लेफार्म नम्बर दो पर सिगनल का काम कम्प्लीट है लेकिन प्लेटफार्म नम्बर एक पर कम्प्लीट नहीं है। इस बारे में रेल मंत्री जी ने भी लिखा था कि ट्रेन रोकी जाये लेकिन रेलवे के अधिकारीगण रेल मंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। वे कान में तेल डालकर बैठ हुए हैं क्योंकि हमारे अंदर उन अधिकारियों से काम लेने की क्षमता नहीं है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को आगाह करूंगा कि आप अपने अधिकारियों पर कसौटी कसिये और उन्हें कहिये कि जो आदेश दिया जाये, उसका पालन होना चाहिए। हमारे यहां अचलगंज स्टेशन बहुत पुराना स्टेशन है। वहां 20-25 साल पहले चोरी-डकैती हुई थी जिसकी वजह से वह स्टेशन बंद कर दिया गया। मतलब फोड़े का इलाज यह है कि टांग को काटकर निकाल दीजिए। अगर टांग में फोड़ा है तो टांग नहीं निकाली जानी चाहिए। अगर ट्रेन में चोरी-डकैती हुई है तो वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त किये जाने चाहिए। वहां स्टेशन को बंद कर दिया गया। वहां पर रेलवे का कोई कर्मचारी नहीं बैठता।

हमारा एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि कानपुर से बालामऊ एक पैसेंजर गाड़ी अंग्रेजों के जमाने से चलती है। उसकी स्पीड इतनी कम है कि साइकिल वाला भी उसे क्रॉस कर जाता है। हमने कई बार रेलवे को लिखित में अनुरोध किया कि कानपुर से बालामऊ एक्सप्रैस ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाये ताकि साइकिल वाले उसे क्रॉस न कर सकें। इसी तरह एक ट्रेन आबिदा एक्सप्रैस चलाई गयी जो कानपुर से चलकर बालामऊ, सीतापुर होते हुए दिल्ली को जाती थी लेकिन हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि बड़े नेता लोग उसे खींचकर अपनी ओर ले गये। हमारा जो ट्रैक है, वह बगैर एक्सप्रैस ट्रेन के रह गया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उस ट्रेक पर एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाई जाये चाहे आबिदा एक्सप्रेस चलाई जाये या कोई नयी गाड़ी चलाई जाये। अंग्रेजों के जमाने में हरदोई उन्नाव और कानपुर को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रेक था। अभी कानपुर उन्नाव और माधोगंज तक रेलवे ट्रेक है लेकिन माधोगंज से हरदोई तक जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक कहां चला गया, ट्रेन कहां चली गयी, किसी को पता नहीं जबकि रेलवे जमीन है, रेलवे ट्रैक है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हरदोई मुख्यालय को जोड़ने के लिए एक रेलवे ट्रैक डाला जाये और एक ट्रेन चलाई जाये।

हमारे गृह राज्य मंत्री जी सदन में नहीं है। स्टेशन उन्नाव की सरजमीं पर है। उसका नाम कानपुर पुल बायां किनारा है जबकि वह शुकलागंज में है। उसका जनपद मुख्यालय उन्नाव है और नाम कानपुर का है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि शुकलागंज जो स्टेशन है, उसका नाम कानपुर पुल बायां किनारा काटकर पुन: शुकलागंज स्थापित किया जाये जो उन्नाव जनपद की धड़कन है। मंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं। हमने ढेर सारी कटौती प्रस्ताव रखे हैं। रेल विभाग की जो कमियां हैं, उनको मैंने आपके सामने रखा है। उन पर आप विचार कीजिए, गहन अध्ययन कीजिए। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं सरकार के समर्थन में हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि अधिकारियों की गलत नीतियों का प्रभाव हमारी सरकार पर न पड़ने पाये। सरकार को बचाने का प्रयास होना चाहिए। सरकार की इज्जत, सरकार, की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वालों को दंडित किये जाने का काम आप लोगों को करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि आप रेल विभाग के अधिकारियों के निर्देश दें कि उन्नाव जनपद मुख्यालय पर हमने जिन ट्रेनों को रोके जाने की मांग की है, रेलवे की सम्पत्ति पर जो

[श्री ब्रजेश पाठक]

अवैध कब्जे हैं तथा लालू जी ने जो कुल्हड़ खादी, दूध की बात की है, वह सब कहां चली गयी। मंत्री जी ने रेल बजट सदन में रखते समय एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि रेलवे ट्रैक पर छितरायेगा नहीं। मेरा कहना है कि छितराने की व्यवस्था आबाद रूप से चल रही है। मैं उचित नहीं समझता कि सदन में इसे स्पष्ट किया जाये कि वह छितरायेगा नहीं। वह छितराता है। उसे रोका जाये या लालू जी कहें कि वह व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार को माननीय रेल मंत्री को, कि बहुजन समाज पार्टी उनके हर बढ़ते कदम के साथ है, उनकी मदद के लिए है।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) : महोदय, हर साल हम रेल बजट और रेलवे के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हैं। पिछले छः वर्षों से मैं यह रेल बजट पर चर्चा में भाग लने वाले वक्ताओं को देख रहा हूं परन्तु मैं नहीं समझता कि उनके प्रयास पूरे हुए हैं।

महोदय, मैं अपनी बहुत पुरानी मांगों और तमिलनाडु के सेलम मंडल के बारे में संक्षेप में केवल दो या तीन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले 50 वर्षों से राज्य के द्विभाजन के पश्चात् हमारे लोग सेलम में एक मंडल के लिए आंदोलन कर रहे हैं जो कि एक औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र है। तमिलनाडु में आठ जिलों के हमारे लोगों को केरल राज्य के पालघाट जिले में जाना पड़ता है। हम अपने माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद से मिले और हम इस संबंध में वेलु जी से भी मिले। बजट से पहले उन्होंने बताया कि हमारी मांग पूरी की जाएगी। परन्तु हमें सत्ता पक्ष से कोई उत्तर नहीं मिला। हमारे माननीय नेता डा० कलगनार और डा० अय्या रामदास ने भी सेलम में एक रेल मंडल बनाने के लिए रेल मंत्री को पत्र लिखा था। इसलिए, यद्यपि हमारे माननीय रेल राज्य मंत्री हमारे राज्य के हैं, फिर भी हम माननीय मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह मामले पर ध्यान दें और सेलम मंडल के निर्माण में तेजी लाएं।

सेलम-करुर नई लाइन के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित करके इस पर तेजी से कार्य किया जाना चाहिए। यह नई लाइन 14 प्रतिशत से भी अधिक आय दर सहित बहुत लाभकारी है। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि सेलम से करुर तक नई लाइन लेकर आएं।

उसके पश्चात् मेरा अनुरोध है कि मेट्टूर-सेलम लाइन जिसे लगभग 15 वर्ष पूर्व यात्री यातायात के लिए बंद कर दिया गया था उसे पुनः चालू किया जाए। यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। वहां बहुत से कालेज और कारखाने बन रहे हैं। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि मेट्टूर-सेलम नई लाइन को पुनः चालू करें। मैं त्रिची और मदुरै खंड के विद्युतीकरण और डिंडीगल-मदुरै खंड के मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का भी अनुरोध करता हूं।

तमिलनाडु उन राज्यों में से है जो रेल विभाग को बहुत अधिक लाभ पहुंचा रहे हैं। इसमें प्रस्तुत अधिक किलोमीटर मीटर गेज लाइनें भी हैं। इन्हें बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिए। डिंडीगल से मदुरै ही नहीं बल्कि विल्लूपुरम से कटपाड़ी, विल्लूपुरम से कुंभाकोणम और तिरूनलवेलि से तिरूचेंदूर खंडों का भी मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इस सभा में एक बात कहना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारे राज्य को केवल 450 करोड़ रुपये मिला है। हमारा राज्य उन राज्यों में से है जिन्होंने केंद्र में सरकार बनाई है। हमारे तमिलनाडु और पांडिचेरी से 40 स्थान है, 40 संसद सदस्य हैं। यहां संप्रग सरकार होने का यही कारण है। परन्तु हमारे राज्य की अनदेखी की गई है और रेल बजट में केवल 400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हम मंत्रालय से चाहते हैं कि यदि 2,500 करोड़ रुपए हमारे राज्य के लिए स्वीकृत किए जाते हैं तो हमारे राज्य में 50 प्रतिशत कार्य पूरे हो सकते हैं। केवल चार या पांच वर्ष पहले भूतल परिवहन मंत्रालय ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सड़कें बनाना शुरू किया था। उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक कार्य किया है। उन्होंने सम्पूर्ण कार्य बहुत तेजी से पूरा किया है। लोग बहुत प्रसन्न हैं। किन्तु पिछले 100 वर्षों से हम पुलों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम रेलवे में मूल सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे प्लेटफार्म पर पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए भी संसद सदस्य को सभा में बोलना पड़ता है। मूल सुविधाएं बहुत कम हैं। उन्होंने अभी केवल आश्रम स्थल बनाया है। गत दो या तीन वर्षों में उन्होंने आश्रम बनाया है परन्तु सार्वजनिक घोषणा प्रणाली अभी भी शुरू नहीं हुई है। अधिकांश रेलवे प्लेटफार्म निम्न स्तर पर हैं। इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं और बहुत सारे युवा और वृद्ध व्यक्ति अपनी जान गंवा देते हैं।

विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सेंची-पनपक्कम-सेवापेट में वर्ष दर वर्ष जब ये रेल पथ का निर्माण करते हैं तो प्लेटफार्म स्वतः ही नीचे चला जाता है। इसलिए, प्लेटफार्म को ऊपर उठाया जाना चाहिए। इस संबंध में मैंने बहुत बार महाप्रबंधक और मंत्रालय को पत्र लिखे परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय मंत्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र विशेषरूप से अन्नानूर का दौरा किया था। उस क्षेत्र में दो दिनों से लिफ्ट उठने वाले द्वार को नहीं उठाया गया था। कोई तकनीकी खराबी थी। बहुत सारे वाहन एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सके। मैंने एक रेलवे अधिकारी डा० डी०आर० जयरामन से बात की और उन्हें खराबी के बारे में और वहां की हालत के बारे में बताया। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। रेलवे अधिकारियों की दृष्टि में संसद सदस्यों का कोई सम्मान नहीं है। यह बहुत खराब बात है।

गत एक वर्ष से संसद सदस्यों के साथ कोई बैठक नहीं की गई। रेल विभाग को जब संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त होती थीं तो ऐसी बैठकें करायी जाती थीं। वे उन शिकायतों का निवारण करते थे। पिछले एक वर्ष से मैं उस बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कम से कम दक्षिण रेलवे में उन्होंने कोई बैठक नहीं कराई। मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए।

चेन्नई में एक एम०टी०एस० योजना है। अपने कालेज के दिनों से मैं इसे देख रहा हूं। यह बहुत धीमी चल रही है। अभी यह चेन्नई बीच से वेलाचेरी तक है। पिछले 15-20 वर्षों से वे इस योजना पर कार्य कर रहे हैं। इस योजना के लिए तत्काल धन स्वीकृत किया जाना चाहिए। इसे सेंट थामस माउंट से जोड़ा जाना चाहिए। तभी हम यातायात सुचारू बना सकते हैं। सेंट थामस माउंट से भी विल्लीवक्कम को जोड़ने की योजना थी। यदि यह एक सर्किल से होकर आती है तो हम अधिकतम यातायात को सुचारू बना सकते हैं। मंत्री जी को इस एम०आर०टी०एस० योजना में गहरी रुचि लेनी पड़ेगी।

2004-2005 और 2005-2006 के बजटों में तमिलनाडु के लिए कोई रेल उपरिपुल और रेल निचला पुल स्वीकृत नहीं किया गया। 3 या 4 वर्ष पूर्व जो स्वीकृत किया गया था उसका निर्माण नहीं किया गया। आज तक उन्होंने कोई कार्य शुरू नहीं किया है। बीस-तीस से भी अधिक पुलों का अभी निर्माण किया जाना है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करिये।

श्री ए. कृष्णास्वामी : पिछले 2 से 3 वर्षों में राज्य के लिए कोई रेल उपरि पुल और रेल निचला पुल स्वीकृत न करके तमिलनाडु के साथ बहुत अन्याय किया गया है। यदि यह स्वीकृत हो भी जाती है तो हर वर्ष वे केवल 50 लाख या 30 लाख रुपए स्वीकृत करते हैं। एक पुल की अनुमानित लगात लगभग 12 करोड़ रुपए अथवा 15 करोड़ रुपए होती है। 50 लाख अथवा 40 लाख रुपए स्वीकृत करने का क्या लाभ है? राशि स्वीकृत करते हुए कुछ दिमाग का उपयोग करना चाहिए।

जब भूतल परिवहन मंत्री 8 किमी० सड़क का प्रतिदिन निर्माण कर सकते हैं तो रेलवे ऐसा क्यों नहीं कर सकता? माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में गर्व के साथ यह बात कही है। माननीय मंत्री श्री टी०आर० बालू ने भी अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया है।

अपराह्न 3.50 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

मैं माननीय मंत्री से तमिलनाडु में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं। उन्हें चेन्नई-अरक्कोणम खंड के दोहरीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण खंड है। यह बंगलोर और मुम्बई की तरफ जाता है। चेन्नई-तिरूवल्लूर तक हमारे पास चार रेल पथ हैं। अरक्कोणम माननीय मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। मैं माननीय मंत्री से तीसरा और चौथा पथ बनाने का अनुरोध करता हूं जिससे कि उपनगरीय क्षेत्र में यातायात सुचारू हो जाए। मैं उनसे नेमलीचेरी में एक रेलवे स्टेशन बनाने का भी अनुरोध करता हूं। यह एक बहुत पुरानी मांग है।

मैं अवड़ी अथवा कम से कम तिरूवल्लूर में एक्सप्रेस तथा पैसेंजर रेलगाड़ियों का ठहराव बनाने का भी अनुरोध करता हूं ताकि यात्री अवड़ी में उतरकर शहर जा सकें। ऐसा करके यातायात की भीड़भाड़ को कम किया जा सकता है। इसलिए, मैं माननीय मत्री से अपने राज्य को और धन देने का अनुरोध करता हूं जो समग्र विकास के लिए लाभकारी होगा।

अपराह्न 4.00

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, मैं रेल बजट, 2005-06 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं परन्तु मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि बजट में प्रस्तावों पर हमारी प्रतिक्रिया मिलीजुली है।

बजट का व्यापक तौर पर स्वागत करते हुए मैं कह सकता हूं कि इसमें रेल प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी नए उपाय का अभाव है। पर्याप्त बजटीय समर्थन की कमी से देश के बड़ी संख्या में क्षेत्रों और लोगों की चिंताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने में सफलता नहीं मिलेगी।

इस बात का भी भय था कि मालभाड़े को युक्तिसंगत बनाने से मुद्रा स्फीति में और वृद्धि होगी परन्तु उसके बावजूद भी माननीय रेल मत्री द्वारा उठाये गए नए कदम प्रशंसनीय हैं।

समय की कमी के कारण मैं स्वयं को पूर्वोत्तर राज्यों की दशा तब ही समिति रख रहा हूं। सभा के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की बहुत वर्षों से लगातार उपेक्षा की गई है। क्षेत्र देश के शेष भाग से अलग-थलग है। आजादी के 57 वर्षों के बाद भी सात में से छः राज्यों की राजधानियां रेल से जुड़ी हुई नहीं हैं। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है कि अधिक धन आवंटित किया जाए ताकि विभिन्न चालू परियोजनाओं को पूरा किया जा सके, नई परियोजनाओं का सर्वेक्षण कराया जा सके, नई रेल लाइनें बिछाई जा सकें, वर्तमान इकहरी लाइन को दोहरी लाइनों में परिवर्तित किया जा सके और पथों का नवीकरण तथा विद्युतीकरण कराया जा सके।

पूर्वोत्तर राज्यों के लोग रेलों पर निर्भर हैं। सभी आवश्यक वस्तुएं और निर्माण सामग्री देश के विभिन्न भागों से लाई जाती हैं। इसलिए

[श्री खगेन दास]

इन आवश्यक वस्तुओं ओर सामग्रियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त रेक प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

विशेष रूप से त्रिपुरा के बारे में बात करते हुए मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि कुमारघाट-अगरतला की चालू परियोजना की प्रगति आशाओं के अनुरूप नहीं है। यहां मैं तीन परियोजनाओं नामत: लमडिंग-सिलचर आमान परिवर्तन कार्य, कुमारघाट-अगरतला परियोजना और जिरिबूम-इम्फाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने और अतिरिक्त धन का प्रावधान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन परियोजनाओं के समय पर समापन के लिए उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश दें। माननीय प्रधान मंत्री को दिया गया मील का पत्थर सम्बंधी योजना का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।

कुमार-घाट अगरत्तला परियोजना में एक सुरंग, सं० 2, का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। इससे परियोजना में विलम्ब हो सकता है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कुमारघाट और बदरपुर के बीच आमान परिवर्तन सम्बंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट 1999 से ही रेलवे बोर्ड के पास कार्य की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है। वर्ष 1998-99 में अगरतला-सबरूम नई बड़ी लाइन के सर्वेक्षण कार्य की स्वीकृति मिल गई है।

क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए और बांग्लादेश के चिटगांव पत्तन से सुगम संपर्क के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण को अद्यतन बनाने का कार्य भी संभवत: पूरा हो गया है। इस बात की जोरदार मांग की जा रही है कि अगरत्तला-समरूम परियोजना में सम्बंधित कार्य पूरा किया जाए और वर्ष 2005-06 के लिए धन आवंटित किया जाए। अंतत:, मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मेरे द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करें और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों तथा पूरे राष्ट्र के हित में उपयुक्त कदम उठाए।

इन्हीं शब्दो के साथ मैं वर्ष 2005-06 के लिए अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : सभापति महोदय, मैं कम से कम तीन बार रेलवे के ऊपर बोल चुका हूं। मैंने कुछ सुझाव माननीय रेल मंत्री जी को दिये थे जिसमें पैसा कम और काम ज्यादा तथा लोगों को भी फायदा हो सकता है, परन्तु पता नहीं किन कारणों से रेलवे का ध्यान मेरे उन सुझावों की ओर नहीं गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो स्वर्ण-शताब्दी अमृतसर से दिल्ली तक आती थी उसमें फगवाड़ा से चार एमपीज भी चड़ते थे, उसका ठहराव आपने फगवाड़ा में किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो शताब्दी अमृतसर से दिल्ली के लिए आती है और दिल्ली से वापस अमृतसर जाती है उसमें कम से कम 8-9 सांसद आते हैं। दिल्ली पहुंचते-पहुंचते ग्यारह सवा ग्यारह बज जाते हैं जिसके कारण सेशन में पहुंचने में काफी देरी हो जाती है। अगर गाड़ी के पहुंचने का समय 15-20 मिनट कम कर दिया जाए तो हम लोग रात में आने के बजाए सुबह उससे आ सकते हैं और लोगों को भी फायदा पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि जिस भी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में एनाउंसमेंट होती है। सरहंद शहर का देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दसवें गुरू साहब के दो शहजादे वहां जिंदा दीवार में चिनवा दिये गये थे। स्टेशन आने पर केवल इतना कहा जाता है कि सरहंद आ गया, जो यात्री गये गाड़ी में चढ़े हैं उनका धन्यवाद। सरहंद की हिस्टरी के बारे में कुछ चर्चा हो जो तो रेलवे को नुकसान भी होने वाला नहीं है और हमारी भावनाओं की कद्र भी हो सकती है।

माननीय रेल मंत्री जी, मैंने रेल बजट भाषण बड़े ध्यान से पढ़ा और मैंने भी कुछ शेर नोट किये थे लेकिन माननीय वर्मा जी ने बोल दिये। मेरा कहना यह है कि पंजाब को देने की बात जब भी आती है तो सभी मंत्रालयों का हाथ पीछे चला जाता है। कम्प्यूटराइज्ड इंक्वायरी के बारे में मुझे यह कहना है कि दो बजे के बाद बहुत से स्टेशनों पर कंप्यूटर्स काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका समय आठ बजे से दो बजे तक होता है और बुकिंग कराने जाते हैं तो कंप्यूटर खराब रहता है।

ऐसी हालत में टिकट कहां से बुक कराएं? इसे एश्योर करने के लिए कृपया इन अनुदान की मांगों में इसका प्रॉवीजन करें। जब कम्प्यूटर सिस्टम खराब होता है, तो जिन लोगों को टिकट बुक करानी है, वे बुक नहीं करा पाते हैं। वे देखते रहते हैं कि कब सिस्टम ठीक होगा तो टिकट लेंगे और पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं या वेटिंग में आएगी। इसलिए कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए ताकि इनक्वायरी और टिकट बुकिंग में कोई अड़चन न आए।

मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दसुवा एक स्टेशन है। वहां आठ से दो बजे तक बुकिंग होती हैं। जम्मू तवी से दिल्ली तक एक ट्रेन गुजरती है लेकिन वहां के लोग आपके द्वारा दी गई सुविधाओं का फायदा उठा नहीं पाते हैं। कृपया कम्प्यूटर की बुकिंग का समय सुबह आठ से आठ तक किया जाए ताकि लोग ज्यादा से उस सुविधा का फायदा उठा सकें।

होशियारपुर, जहां से मैं चुन कर आया हूं, वहां के रेलवे स्टेशन पर डी०एम०यू० आती है लेकिन उसकी सीढ़ियां प्लेटफार्म से इतनी ऊंची हैं कि किसी बुजर्ग या बीमारी आदमी को अगर उतरना है तो

दो व्यक्ति उन्हें उतारने के लिए चाहिए ताकि उन्हें चोट न आए। उस प्लेटफार्म का रैनोवेशन इस हिसाब से हो ताकि गाड़ी प्लेटफार्म के साथ लगे और गाड़ी उतरने ओर चढ़ने वालों को तकलीफ न हो।

आनन्दपुर साहिब का पंजाब में बड़ा महत्व है। वहां एक गांव अखरेटा है। मैंने पहले अपने बजट भाषण में भी कहा था कि वहां रेलवे फाटक सिर्फ वीआईपीज के लिए खुलता है। आम जनता को 15 किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव जाना पड़ता है। किसानों के खेत भी फाटक के उस पार हैं। उनके घर एक तरफ हैं। उन्हें अगर फसल लानी है तो 15-20 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। बच्चों को एक-दो किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा अगर वह फाटक खुला होगा लेकिन फाटक बंद होने से 15 किलोमीटर घूम कर स्कूल जाना पड़ता है। वहां फाटक है और रेलवे का स्टाफ बैठा है। वह फाटक केवल वीआईपीज के लिए क्यों खुलता है? वहां नया फाटक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वह फाटक लोगों के लिए खोल दिया जाए तो लोग आपको आशीर्वाद देंगे और हमें भी अगले बजट को पेश करते समय कुछ और मांगों को रखने की इच्छा होगा। छोटे-छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं बार-बार बोल कर ऐसा लगता है कि हम अपनी बात का वजन घटा रहे हैं।

किस्मत से मैं जिस क्षेत्र होशियारपुर से आता हूं, मैं वहां से लोक सभा का मैम्बर हूं और तीन राज्य सभा के मैम्बर हैं। एक हमारी सहयोगी पार्टी अकाली दल का और दो कांग्रेस के मैम्बर्स हैं। वहां का वी.आई.पी. कोटा जिसे एच०क्यू० कोटा कहते हैं, सिर्फ दो टिकटों का है। चार एमपीज हैं और टिकट रिजर्वेशन के लिए कोटा दो टिकटों का है। अगर चार एमपी किसी को ऑब्लाइज करना चाहें तो नहीं कर सकते। कृपया वह कोटा बढ़ा कर कम से कम 10-12 टिकटों का किया जाए ताकि हम उस कोटे का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकें।

इसी तरह से एक मत्वपूर्ण स्थान फगवाड़ा है। वहां ट्रैफिक बहुत हो गया है। एनडीए के समय वहां के लिए फ्लाई ओवर मंजूर हुआ था लेकिन किन्हीं कारणों से वह फ्लाई ओवर पूरा बना नहीं है। कुछ बन गया है लेकिन काम रुका है। ज्यों-ज्यों काम डिले करेंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ कनस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी। उन कारणों को फाइंड आउट करें जिन के कारण फ्लाई ओवर का काम बंद पड़ा है। आप उसे पूरा कराने की कोशिश करें।

इसी तरह से टांडा और दसुवा दो शहर हैं। वहां ट्रैफिक काफी बढ़ चुका है। अमृतसर से लेकर दिल्ली तक आने-जाने वाले जितने भी फोर व्हीलर्स हैं – ट्रक बस और कारें, वे यहां चलती हैं लेकिन ट्रैफिक बढ़ जाने से बहुत तकलीफ होती है। वहां जम्मू से लेकर दिल्ली तक की गाड़ियां काफी आती-जाती हैं। हर समय वह फाटक बंद रहता है। इससे ट्रैफिक खड़ा रहता है। जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। यदि उन दो जगहों पर फ्लाई ओवर का प्रॉवीजन हो जाए तो लोगों को काफी सुविधा होगी। इससे मेरे इलाके का काफी काम हो जाएगा।

मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं, देश भर में मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का सैलेक्शन हुआ था और 133 डिस्ट्रिक्ट सैलेक्ट हुए थे जिनमें होशियारपुर भी एक डिस्ट्रिक्ट था। होशियारपुर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है क्योंकि वहां पहाड़ियां भी हैं, पीने के पानी की कमी है, खेती के लिए पानी की भी कमी है। मैं चाहता हूं कि आप होशियारपुर में कारखाना लगाएं जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और जो ट्रेंड है कि विदेशों में जाकर लोग मजदूरी करते हैं, वह बंद हो जाए और लोग अपने क्षेत्र में रोजगार पा सकें। इसके साथ ही मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जो मांगें बिना पैसे के खर्च की आपको बताई हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा।

महोदय, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जालंधर से एक गाड़ी, जिसका नाम शायद सहारनपुर एक्सप्रैस है, सुबह चार बजे चलती है। जालंधर से होशियारपुर की दूरी 40 किलोमीटर है, वहां रेल ट्रैक बना हुआ है। होशियापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां सोनालिका ट्रैक्टर फैक्ट्री है, हॉकिन्स कुक्कर की फैक्ट्री है, जे०सी०टी० और महावीर स्पिनिंग मिल्स हैं, अगर वह गाड़ी होशियारपुर से दिल्ली चले तो काफी इम्प्लाइज उस ट्रेन से फायदा ले सकते हैं। आपको सिर्फ वह गाड़ी जालंधर के बजाय होशियारपुर शुरू करनी होगी। मैंने लिस्ट पढ़ी है जिसमें रेल मंत्री जी ने इतनी नई रेलगाड़ियां शुरू की हैं और बहुत को एक्सटेंड भी किया है। मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री जी जब भाषण देंगे तो इस गाड़ी को भी एक्सटेंशन में डालेंगे तो होशियारपुर पर आपकी बहुत कृपा होगी और आपका बहुत धन्यवाद होगा। मैं एक बार फिर माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव (एलूरू) : महोदय, हमारे रेल मंत्री को आम आदमी का नेता समझा जाता है। कम से कम उन्होंने आम आदमी के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राज्य मंत्री श्री वेलुगी सरकारी सेवा से आए हैं और बहुत ही चुस्त और अनुशासित प्रशासन समझे जाते हैं। हमारे यहां रेलवे बोर्ड भी है जो अत्यन्त रुचिकर है और हम उस पर बहुत गर्व करते हैं।

हमारे रेल बोर्ड में अधिकांश पेशेवर लोग हैं जो अन्य मंत्रालयों में नहीं है। स्वाभाविक रूप से ऐसी पृष्ठभूमि में हम रेलवे में कुछ अच्छी बातें देखना चाहेंगे। जैसा कि मेरे अन्य सहयोगी ने कहा कि हमारे लिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह एक रोजमर्रा का कार्य बन गया है। यह ऐसा रोजमर्रा का कार्य हो गया है कि बचपन से

[श्री के०एस० राव]

ही जब कभी हम किसी बड़े प्लेटफार्म पर जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं कुछ मरम्मत कार्य चल रहा है और यदि वे यहां कुछ तोड़ रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह कुछ बना रहे होंगे। अधिकांश पैसा कुछ तोड़ने में या कुछ मरम्मत कार्य में या कुछ बदलने में खर्च किया जा रहा है। जहां तक प्लेटफार्म का सम्बंध है कुछ भी स्थायी नहीं है।

हम बहुत खुश है कि रेल बजट में आपने किराया में छेड़-छाड़ नहीं की है। हम इसकी सराहना और प्रशंसा करते हैं। ठीक इसी प्रकार की बात यात्री किराए को लेकर है तथा मालभाड़े की बात है जिसे आपने केवल युक्तिसंगत बनाया है बढ़ाया नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम इन दानों चीजों के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब पूछते हैं कि आपकी नई योजना क्या हैं, आप इसमें नया क्या जोड़ रहे हैं, रेलवे में आप और कौन-सी अतिरिक्त परिसंपत्ति ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी है।

यदि माननीय मंत्री और रेल बोर्ड निष्ठा, निश्चय के साथ काम करे तो उन्हें किसी बजटीय समर्थन की जरूरत नहीं है। हम सभी इस बात से सहमत है कि रेलवे आम लोगों के लिए परिवहन-साधन है। महोदय इसकी आमदनी का 80 प्रतिशत यात्री किराया से आता है, विशेषकर द्वितीय श्रेणी से तथा और केवल 20 प्रतिशत राजस्व उच्च श्रेणी के यात्रियों और माल परिवहन से आता है। जब श्री प्रफुल पटेल, नागर विमानन मंत्री 50,000 करोड़ रुपये की लागत से विमान खरीदने की बात सोच सकते हैं तो रेलवे को इसमें क्या दिक्कत है? क्या यह बजट आवंटन का प्रश्न है या समाज के सम्पन्न वर्ग की परिवहन आवश्यकता को पूरा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का प्रश्न है? यदि उनको इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है तो उनको इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? उनको एक अतिरिक्त पटरी बिछाने में क्या दिक्कत है? क्या आपको कहीं बाहर से प्रौद्योगिकी मंगानी है? यह मात्र भूमि अधिग्रहण का मामला है, श्रम शक्ति तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पत्थर, सीमेंट जो वहां उपलब्ध है, के उपयोग करने, तथा लोहे का उपयोग कर पुल बनाने, लोहे अयस्क से रेल पटरी बनाने तथा उनको बिछाने का मामला है। इस प्रक्रिया में पुन: चकित करने के लिए मात्र कुछ पैसे की जरूरत है। इससे किसी पर बोझ नहीं पड़ता है और वे इसे प्राप्त कर सकते हैं।

इस समय जब कि देश का सारा ध्यान देश की सीमा तक ही सीमित था, जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या भूमंडलीकरण के लिए हमारा बाजार खुला नहीं था तब इससे दिक्कत आ सकती थी लेकिन जब भूमंडलीकरण शुरू हो चुका है विश्व में दो प्रतिशत ब्याज दर पर सरल ऋण उपलब्ध है। इमे इस बात पर गर्व है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त क्षेत्र ने हमारे देश को बहुत ऊपर रखा गया है। वे दो प्रतिशत ब्याज दर पर हमें ऋण देने के लिए तैयार हैं और हम 50,0000 करोड़ रुपये उधार ले सकते हैं। मुझे बताया गया कि 240 चल रही परियोजनाएं जिनके लिए 46,000 करोड़ रुपये की जरूरत है, विलम्ब के कारण लम्बित हैं। जब तक ये रेल लाइनें पूरी हो जाती हैं तब तक हमारे पोते जन्म ले चुके होंगे।

आज आप सड़क परिवहन के बारे में सोचिए। क्या उनके पास निधियां हैं? यह देखते हुए कि देश में यातायात बढ़ गया है सरकार ने फैसला लिया है कि सड़कों को चार-लेन, छ:-लेन या आठ-लेन वाला बनाकर चौड़ा किया जाए। डीजल की कीमत 1 रुपये बढ़ा दी है और इसे सड़क क्षेत्र को आवंटित किया है। जब उनका पता चला कि यह पर्याप्त नहीं है हम लोगों ने पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग से जुड़े परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में उन्हें सुझाव दिया कि यदि उनको पैसा नहीं मिल पाता है तो वे ऋण के रूप में इसे प्राप्त करें। यदि फिर भी वे नहीं जुटा पाते हैं तो वे बी०ओ०टी० की मांग कर सकते हैं। बहुत-सी कम्पनियां, घरेलू कम्पनियां और कार्पोरेट क्षेत्र हैं जो धन निवेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी परिसम्पत्तियों को बढ़ानें के लिए चुंगी संग्रह को बढ़ा दिया।

इसी प्रकार रेल बोर्ड के सदस्य यदि विश्लेषणात्मक तरीके से सोचें तो वे पायेंगे कि निजी निवेशकों को किस प्रकार आकर्षित करेंगे। धन की कोई कमी नहीं है। इस देश में आम लोगों की सहायता के लिए परिसम्पत्तियों में सृजन के लिए केवल आयोजना, समर्पण और दृढ़ निश्चय की जरूरत है। एक धनी आदमी किसी स्थान पर एक घंटे में पहुंच सकता है वहीं एक आम आदमी जिसे यात्री रेलगाड़ी में 60 किलोमीटर जाना हो जो मोफसिस स्टेशनों के बीच गुजरती हो, को छ: घंटे लगते हैं। उनको यह पता नहीं होता है कि रेल ग़ाड़ी कब आती है, कब पहुंचती है और उन्हें यह पता नहीं होता है कि गाड़ी बीच में कहां रुक जाएगी। गरीब व्यक्ति को हर जगह कस्ट झेलना पड़ता है।

इन परिसम्पत्तियों का निर्माण कर हम ग्रामीण लोगों, गरीब आम आदमी को मदद क्यों नहीं करना चाहिए? यह कठिन नहीं है। यह केवल दिमाग का इस्तेमाल करने या आयोजना को उपयोग करने की बात है। मेरा यह निश्चित रूप से मानना है कि रेलवे में कभी भी, विशेषकर भूमंडलीकरण के बाद समुचित आयोजना कमी भी नहीं रही।

कृपया इसके बारे में सोचिए। यदि वर्तमान बोर्ड के सदस्य पुरानी बातों के बारे में ही सोचते रहेंगे, यदि वे बदलते परिवेश में बदलते समय में आधुनिक चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम रेलवे में कैसे सुधार ला सकते हैं?

महोदय, यदि आप देखें तो पाएंगे कि छोटे देश भी तेजी से विकास कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश जैसा बड़ा देश अभी भी उसी पुरानी

तौर-तरीके अपनाए हुए है। हम कहते हैं कि 1853 में हमने 34 किलोमीटर से शुरू की थी। और इस समय हमारे रेल लाइनों की लम्बाई 61,000 किलोमीटर है। यह सही है। लेकिन पिछले एक या दो दशकों में इसमें हमने कितनी वृद्धि की है? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? यह कारण बताया गया है कि रेलवे के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है से हमारा मतलब क्या है। इसका मतलब मुद्रा है। यह कैसे आता है? यह मनुष्य के पसीने को मुद्रा, परिसम्पत्ति में परिवर्तित करने से आता है लेकिन हम मानव श्रम को पैसे में नहीं बदल पा रहे हैं क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं हैं। हम लोगों को मेहनत के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग उन्हें श्रम नहीं करने दे रहे हैं। हम कोई योजना नहीं बना रहे हैं। हम उन्हें कोई अवसर नहीं दे रहे हैं।

महोदय, माननीय रेल मंत्री जी से नम्रता के साथ यह जानना चाहूंगा कि देश में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है। वे लोगों की कोई योजना क्यों नहीं बनाते है और लोगों की सेवाओं का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं तथा कोई रास्ता क्यों नहीं बनाते हैं? हैदराबाद और विजग के बीच एक रेल लाइन के निर्माण से यात्रा में 300 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ऐसा करके हम कितना बचत हो सकता है? ऐसा करने से पैसे और समय की काफी बचत होगी।

महोदय, हम तेल के आयात पर कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? 70,000 करोड़ रुपये। अब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीय सबसे तेज, सक्षम हैं और पूरे विश्व में उनका सम्मान होता है। यहां तक जर्मन और अमेरिकी भी इस बात से सहमत है कि भारतीय ज्यादा अच्छे हैं। मुझे यह जानकर खुशी है। 10 से 15 वर्ष पहले लोग सोचते थे कि भारत निर्धनतम देश है जहां प्रति व्यक्ति आय 200 से 300 डॉलर है। उनकी अवधारणा गलत थी। इस समय उनकी आय-प्रति व्यक्ति 1000 रुपये से 15000 रुपये है। इस बदली हुई सोच के साथ क्रय शक्ति को मूलभूत इकाई माना जाता है।

महोदय, तीन दिन पूर्व मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि यह देश पूरे विश्व के सबसे धनी देशों में चौथे स्थान पर है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री के०एस० राव : महोदय, मैं समाप्त करने वाला हूं।

इसलिए, माननीय रेल मंत्री जी, आप से मेरा मुख्य प्रश्न यही है कि आप कृपया रेलवे में सुधार के बारे में सोचें। यदि आवश्यक हुआ तो आप कुछ सलाहकारों को बुला सकते हैं। आप सम्मेलन का आयोजन करें। विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों से आप सुझाव ले सकते हैं जिसमें चैम्बर्स ऑ कमर्स, एण्ड इन्डस्ट्री के लोग हो सकते हैं, भारतीय उद्योग संघ के लोग हो सकते हैं जहां रेलवे में सुधार लाने के लिए सुझाव देने वाले काफी मेधावी लोग हो सकते हैं। मैं इस मंत्रालय की त्रुटियों को नहीं देखना चाहता।

लेकिन जब तक उचित प्रतिबंध और प्रेरणा इसमें नहीं है, जब तक सही लोगों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित नहीं किया जाता और दोषियों को दंडित नहीं किया जाता तब तक रेलवे में आप एक सही संस्कृति का सृजन नहीं कर सकते और इसके कारण अभाव और भ्रष्टाचार रहेगा।

जब एक स्व-सहायता समूह की महिला 1000 रुपये का ऋण लेती है तो उससे मूल धन के अतिरिक्त 8 प्रतिशत ब्याज भी चुकाने के लिए कहा जाता है जबकि हमने आपको 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति दी है तब, रेल मंत्री महोदय, आपको नई रेल लाइनों तथा पूंजीगत सम्पत्तियों का निर्माण करने हेतु स्वयं की सम्पत्ति सर्जित नहीं करनी चाहिए?

सभापति महोदय : श्री राव, कृपया अपनी बात समाप्त करें। अभी 25 और वक्ताओं ने इस वाद-विवाद में भाग लेना है और अभी हमारे पास समय की कमी है।

श्री के०एस० राव : अत:, यहां मैं माननीय मंत्री जी से पारंपरिक और उसी ढर्रे पर कार्य न करते हुए एक रचनात्मक रवैया अपनाने का सविनय निवेदन करता हूं। मैं यह दुआ करता हूं कि इतिहास उन्हें एक ऐसे मंत्री के रूप में याद रखे जिसने रेल मंत्रालय की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए। हम सभी यह चाहते हैं कि उनका नाम इतिहास में सदा-सदा के लिए अमर हो जाए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : माननीय सभापति महोदय, रेल मंत्रालय की अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आदरणीय लालू जी देश, के सफलतम रेल मंत्री हैं, ऐसा कहने में मुझे कोई अतिश्योक्ति नजर नहीं आती।

इस रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी द्वारा रेलवे की आय बढ़ाकर और रेलवे की परिसंपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल करके जनता के ऊपर से बोझ कम करने की कोशिश सबसे सराहनीय कदम कहा जाना चाहिए। यह एक अच्छा प्रयास है जो आगे के लिए भी ट्रैन्ड बनाता है और जनता पर बोझ कम करके, सैल्फ रैवेन्यू जनरेशन करके एक अच्छा नमूना हम भविष्य के लिए भी बना सकते हैं।

इस बजट में रेल के विकास का विकेन्द्रीकरण किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में विकास की किरण पुंज पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके लिए भी हम माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। लोग बेकार ही बिहार को बदनाम करते हैं। अभी हमारे पूर्ववक्ता ने इस तरह की टिप्पणी की। बिहार को इसके माध्यम

[श्री आलोक कुमार मेहता]

से थोड़ा कम भी मिला और पूरे देश को यदि हमारे माननीय रेल मंत्री जी के बजट से ज्यादा मिला तो उसके लिए हम खुश हैं और अपने रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं।

संपर्क क्रांति के माध्यम से देश के सुदूर इलाकों से दिल्ली को जोड़ने की जो कोशिश की गई है, उसके लिए भी रेल मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। दरभंगा से संपर्क क्रांति की घोषणा की गई, उसका उद्घाटना किया गया और हरी झंडी दिखलाई गई। पूरी दरभंगा कमिश्नरी की ओर से, हमारी कांस्टीट्यूएंसी समस्तीपुर की जनता की ओर से वे धन्यवाद के पात्र हैं। समस्तीपुर के निवासियों को लिछवी एक्सप्रैस के रूप में आपने जो उपहार दिया है, उसके लिए लोग आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इसे जल्दी से जल्दी शुरू करने की गुजारिश भी करते हैं। समस्तीपुर स्टेशन के पास 19वीं सदी में निर्मित एक रेलवे वर्कशाप के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण की परियोजना की घोषणा माननीय रेल मंत्री जी ने समस्तीपुर में की थी, लेकिन अभी तक उसमें क्या प्रगति हुई है, यह मालूम नहीं है। उसे याद दिलाने के लिए वहां की जनता की भावनाओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसे जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए।

नीतीश कुमार जी और जार्ज साहब की बातें बार-बार कही जाती हैं, जब कभी कुल्हड़ और खादी की बात आती है। इतिहास में पहली बार घोषणा की गई और इस घोषणा पर अमल किया गया। इस बात को नकारने की कोशिश बिल्कुल ही ढपोरशंखी बातें हैं, बार-बार जो कहा जाता है कि नीतीश जी ने घोषणा की थी, जार्ज साहब ने घोषणा की थी। आपकी घोषणाओं का कार्यान्वयन भी आप हमसे चाहते हैं? ऐसी उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। यह विशुद्ध रूप से यू०पी०ए० सरकार की घोषणा थी और पहली बार उस पर अमल किया गया। गांधी के सपनों को साकार करने की सफल कोशिश की गई, इसके लिए हम माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इसे मज़बूती से आगे बढ़ाया। यह बात ज़ाहिर है कि पहली बार इसे इंप्लीमैंट किया गया है, पहली बार नीति और नीयत में संगत बैठी है, तब इसका कार्यान्वयन हो रहा है। इसलिए उसमें कुछ कठिनाइयां भी सामने आ रही हैं।

कुल्हड़ और खादी की क्रय प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाया जाए ताकि कुटीर और लघु उद्योगों के मेहनती उद्यमियों को सीधे जनता को सामान बेचने का मौका मिल सके। दूध-दही और अन्य सामग्रियों के स्टॉल लगाने की प्रक्रिया को सरल किया जाए। पटना से प्रतिदिन राजधानी ट्रेन चलाई जाए। समस्तीपुर में भौला टॉकेज के पास तथा डी०एम०आर० चौक के पास दो ओवर-ब्रिज जरूर बनाए जाने चाहिए। इससे वहां पर बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा और 32 नंबर गुमटी पर ब्रिज बनाया जाना अत्यावश्यक है क्योंकि वहां घंटों लोगों को जाने के लिए इंतजार करना पड़ता है और ट्रैफिक के कारण बहुत लम्बी लाइन लग जाती है।

वहां पर विद्यापति एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। वहां की महत्ता इसी बात से जानी जाती है कि वे एक महाकवि और शिव भक्त थे और उनके अंतिम समय में उनकी मान्यता वाली बहुत कहानियां वहां के बारे में कही जाती हैं। वहां पर पर्यटन विभाग का भी कार्यालय है और ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी वहां का महत्व है। विद्यापति नगर स्टेशन की बजाए वहां का नाम विद्यापतिधाम स्टेशन कर दिया जाना चाहिए। इस बात की घोषणा माननीय मंत्री जी ने पिछली एक बैठक में की थी इसलिए मैं यह बात उनको याद दिलाना चाहता हूं। एक ट्रेन डी०एम०यू० की बहुत ज्यादा मांग है। हाजीपुर, पटौरी, मेहदीनगर, बछुआरा, समस्तीपुर से होते हुए दरभंगा जाने वाली एक डी०एम०यू० ट्रेन शुरू की जाए। इस ट्रेन की बहुत ज्यादा मांग है। समस्तीपुर, ताजपुर, महुआ, हाजीपुर के लिए नई लाइन बिछाने की मांग है। रेल मंत्री जी ऊजयारपुर, विद्यापतिनगर, पटौरी स्टेशनों का आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण किया जाए। माननीय मंत्री जी बथुआ और बसरिया के लिए एक हॉल्ट की चिर-प्रतिक्षित मांग है। इसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।

सभापति महोदय : आप अपनी बात संक्षेप में समाप्त कीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता : इसके लिए आवेदन भी दिया गया है कि वहां पर हॉल्ट बनाया जाए। समस्तीपुर, जनकपुर में रेलवे गुमटी की अत्यंत आवश्यकता है इसलिए शीघ्रातिशीघ्र इस दिशा में कार्यवाही की जाए। लोगों को आठ-दस किलोमीटर घूम कर जाना पडता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं और उनके द्वारा अच्छा बजट, जनहित के बजट को पेश किया गया है। इसके लिए तमाम पार्टियों और जनता की तरफ से प्रशंसा करता हूं और इस रेल बजट का समर्थन करता हूं।

श्री लालू प्रसाद : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि छह बजे केबिनेट की बैठक है और उपाध्यक्ष महोदय के बेटे की शादी है। माननीय सदस्यों को आपत्ति न हो तो वे अपने लिखित सुझाव दे दें। ऐसा पहले भी होता आया है।

सभापति महोदय : श्री भंवर सिंह, आप अपने निर्धारित स्थान पर नहीं हैं। आप कम समय में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूं। मैं रेल बजट के ऊपर बहस पर भाग लेते हुए माननीय रेल मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार 50-55 कि०मी० की रेल योजना जिस पर अंग्रेजों के समय से सर्वे होता आ रहा है और आपने भी सर्वे करवाया है। आपके पिछले बजट में

भी साफ लिखा हुआ है कि इसे अपडेट सर्वे के लिए बजट में रखा गया है।

सभापति जी, उस लाइन का काम शुरू होना तो दूर रहा, उसका नाम भी इस वर्ष के बजट में नहीं है। अजमेर से पुष्कर की आपने स्वीकृति दी है और इस रेल का काम भी शुरू हो गया है, पुष्कर, अजमेर और मेड़ता बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं। अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह है। पुष्कर में हिन्दुओं का बहुत बड़ा तीर्थस्थान है और मेड़ता भक्त मीरा का जन्मस्थान है। मेड़ता से पश्चिम और दक्षिणी भारत को जीरा और सरसों हमेशा जाती है। मेड़ता बहुत बड़ी कृषि मंडी है। वहां पशु-मेला भी लगता है। वहां से पशु भी पुष्कर से होकर पूरे भारत में जाते हैं। अगर हम मेड़ता को पुष्कर से जोड़ते हैं, तो उत्तरी भारत और पश्चिमी राजस्थान का सीधा लिंक अजमेर होकर दक्षिणी भारत से हो जाता है। इससे आम जनता को बहुत सहूलियत होगी और रेलवे को लाभ होगा, अन्यथा अभी मेड़ता रोड से फुलेरा होकर अजमेर जाना पड़ता है या जोधपुर से लूनी होकर मारवाड जंक्शन होकर अजमेर आना पड़ता है। इस रेल लाइन की मैं खासतौर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसे प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए।

महोदय, मेड़ता रोड का रेलवे प्लेटफार्म बहुत लम्बा है। जो पैसेंजर प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 पर उतरते हैं, उन्हें एकमात्र पुल होने के कारण प्लेटफार्म पार करने में बहुत कठिनाई होत है। पहले एक पुराना पुल था। वह प्लेटफार्म ऊंचा होने से, पुल नीचा पड़ने के कारण शायद रेलवे ने हटाया होगा। वह तो ठीक किया, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि वहां एक पुल और बनाया जाए ताकि पैसेंजर आसानी से इधर से ऊधर आ-जा सकें। इसी प्रकार टेलीफोन की सुविधा प्लेटफार्म नंबर 1 पर है, लेकिन जो यात्री प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 से यात्रा करते हैं, उनके लिए टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि प्लेटफार्म नं० 3 और 4 पर भी टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जाए।

महोदय, मैंने गेज परिवर्तन की प्रार्थना गत वर्ष भी की थी और इस वर्ष के बजट में भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डेगाना से रतनगढ़ तक गेज परिवर्तन के आदेश अगर आप देंगे, तो बेहतर रहेगा। मैं सिर्फ दो ठहरावों की मांग पर रहा हूं। सिकन्दराबाद से बीकानेर गाड़ी आती है और वापस बीकानेर से सिकन्दराबाद जाती है। वहां एक मुंडवा बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है, लेकिन यह रेल वहां नहीं रुकती है। मूंगा के बहुत व्यापारी सिकन्दराबाद और हैदराबाद रहते हैं। व्यापारिक गतिविधियां भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इस रेल का, मुंडवा रेलवे स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव दिया जाएगा, तो अति उत्तम रहेगा। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा धाम है। अब मैं तीर्थ स्थान की बात कर रहा हूं। हमारा दरिया महाराज का रैन के अंदर बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, लेकिन रैन में कोई भी द्रुत गति की रेल नहीं रुकती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि कोई भी द्रुत गति की एक रेलगाड़ी रैन में रोकी जाए अर्थात्, उसे दो मिनट का ठहराव वहां दिया जाए। मैं इतना ही कहकर, आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने की अनुमति प्रदान की। मैं रेल बजट पर आए कट मोशन्स का घोर विरोध करता हूं और रेल बजट का स्वागत करता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने यह दूसरा बजट प्रस्तुत किया है। इन रेल बजटों के दौरान सबसे बड़ी बात यह रही है कि रेल के किराए और मालभाड़े में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। किराए में वृद्धि न करने का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। रेलों के किराए बढ़ाने से हर चीज के दाम बढ़ते हैं, लेकिन रेलों के किराए और मालभाड़े में वृद्धि न कर के रेल मंत्री जी ने बहुत साहस का काम किया है। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। रेलों के किराए और मालभाड़े में वृद्धि नहीं करने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी, दोनों रेल राज्य मंत्रियों, श्री आर० वेलु और श्री नारनभाई रठवा तथा संबंधित रेल विभाग के अधिकारियों का देश की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत सुन्दर बजट पेश किया है। इस रेल बजट में कई अद्वितीय सुविधाएं प्रथम बार दी गई हैं। बेरोजगार नवयुवकों को केन्द्र सरकार की नौकरियों के चयन के लिए साक्षात्कार के लिए जाने हेतु दूसरे दर्जे में यात्रा करने की सुविधा तथा किसानों व दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण लेने के लिए यात्रा करने हेतु किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसी प्रकार विद्यार्थियों और दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों के लिए में जो सुविधा प्रदान की गई है, वह बड़ी सराहनीय उपलब्धि इस रेल बजट की रही हैं।

यह एक बड़ी सराहनीय उपलब्धि इस रेल बजट की रही है। इसके अलावा कुछ आरक्षण अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के सभी वर्गों की सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का जो विशेष प्रयास किया जा रहा है, वह भी अद्वितीय एवं सराहनीय है। मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को विशेष बधाई देता हूं। देश में बुक स्टाल और सभी खान पान के स्थानों पर इन्हीं गरीब वर्ग के लोगों के लिए या जो हमारी फौजी भाइयों की विधवाओं के लिए 25% से 49.5% आरक्षण दिया गया है वह बड़ा सराहनीय कदम है। अभी हमारे साथ श्री राव ने रेल के विकास के लिए पैसे की कमी का जिक्र किया है। मैं उनकी भावनाओं और प्रस्तावों से अपने आपको जोड़ता हूं। रेल के अन्य साधनों से पैसा जुटा कर हम रेल का विकास कर सकें, इसका भरपूर प्रसास किया जाना चाहिए। मथुरा भगवान राधा कृष्ण की जन्मभूमि है और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं और माननीय मंत्री जी भी उन्हीं के वंशज हैं तथा उन्होंने कहा कि मथुरा हमारा गुरुद्वारा है और वे वहीं से निकले हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था और मैं इसके लिए उनका

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मथुरा से इलाहबाद के लिए ट्रेन चलाकर हमारी मांग को पूरा किया है। उसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी आपको स्मरण होगा कि मैंने कोलकाता के लिए एक ट्रेन चलाने की मांग की थी क्योंकि आजादी के पहले एक ट्रेन तूफान मेल चला करती थी। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप दिल्ली से मथुरा, इलाहबाद होते हुए पटना और कोलकाता के लिए एक ट्रेन चलाने की कृपा करें जिससे वहां के लोगों को सुविधा हो सके क्योंकि मथुरा एक तीर्थस्थल है और करीब एक करोड़ यात्री मथुरा आते-जाते हैं। उनकी सुविधा का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरे क्षेत्र की मांग थी कि ताज एक्सप्रेस को कोसी स्टेशन पर रुकवाया जाए और दो नए स्टेशनों को बनवाने की मांग थी जिनमें सेमरी देवी का एक धार्मिक स्थान है जहां पर नवरात्रों के दिनों में अस्थायी स्टेशन बनाया जाता है। मेरी आपसे मांग है कि वहां पर स्थायी स्टेशन बनवाया जाए। दूसरा एक स्थान चौमा है। वहां पर भी एक स्थायी स्टेशन बनवाया जाए। तीन फ्लाईओवर मथुरा, दिल्ली, कोलकाता हाइवे पर प्रस्तावित किए हैं। इस रूट पर करीब प्रतिदिन 180 गाड़ियां निकलती हैं। वहां पर सैकड़ों किसान और तीर्थ यात्री जो बरसाना आते हैं या गोवर्धन जाते हैं या राधाकुंड जाते हैं या नंद गांव जाते हैं वे सभी इस रूट से जाते हैं उनके लिए वहां पर फ्लाईओवर की अत्यंत आवश्यकता है। छतापुर जो नंद गांव, बरसाना, गोवर्धन जाने का एक मुख्य मार्ग है। दूसरा मार्ग छटीकरा है जो वृंदावन, राधाकुंड, गोवर्धन, बरसाना एवं नंद गांव से दिल्ली को जोड़ता है। तीसरा मथुरा शहर में एक स्थान मछली मार्किट है वह मार्ग मथुरा से अलीगढ़ और हाथरस, राजस्थान के भरतपुर से हो कर दिल्ली को जोड़ने का प्रमुख मार्ग है वहां पर सारे शिक्षण संस्थान हैं। हमारा कोर मुख्यालय वहां पर है। वहां पर कचहरियां भी हैं। उनको जोड़ने वाला यह मार्ग प्रमुख है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इन तीनों पर फ्लाईओवर बनाने का प्रावधान रखा जाये। चूंकि वहां दो करोड़ यात्री आते हैं इसलिए वहां पर सभी आने-जाने वाली ट्रेनों को रोका जाये जिससे आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। मगर विशेष रूप से ए०पी० एक्सप्रैस, शताब्दी एक्सप्रैस, हबीबगंज ट्रेन जो अभी-अभी चलाई गयी है, उनको रोका जाये। मैं कई बार से ई०एम०यू० की मांग करता आ रहा हूं। आगरा से दिल्ली के लिए ई०एम०यू० ट्रेन की व्यवस्था की जाये जिससे दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के आस-पास सबरबन डिवीजन बनाकर 200 किलोमीटर के एरिया का प्रावधान किया जाये जहां ई०एम०यू० ट्रेन चले ताकि दिल्ली में जो लोग आकर ठहरते हैं, वह प्रैशर कम हो सके। मथुरा स्टेशन के वैस्ट साइड में बहुत पापुलेशन बढ़ गयी है। वहां पर प्लेटफार्म, बुकिंग आफिस, रिटायरिंग रूम, पार्किंग व सड़क आदि सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें। मथुरा एक तीर्थस्थल है। जैसा मैंने अभी कहा कि करोड़ों यात्री हर वर्ष वहां आते हैं। मैंने मथुरा स्टेशन को अपग्रेड करने की गात की थी। जब स्वर्गीय श्री माधव राव सिंधिया रेल मंत्री थे और बंसी लाल जी कैबिनेट मंत्री थे तब भी हमने मांग की थी कि उसको उपग्रेडेशन होना चाहिए। आज भी मथुरा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिये।

(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दो-दो मिनट करके बहुत समय हो गया है। अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : वहां पर प्लेटफार्म भी पूरे नहीं हैं। उनको पूरा बनाना चाहिए और मथुरा का अपग्रेडेशन होना चाहिए। मैंने एक नयी रेलवे लाइन बनाने के लिए आग्रह किया था। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी माननीय रेल मंत्री जी भी बोलेंगे। उनको भी उत्तर देना है। इसके अलावा और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : छाता, शेरगढ़, नौझील, बाजना, टेटीगांव, मांट, राया, महाबन, गोकुल, बलदेव, सादाबाद, हाथरस आदि के लिए नयी रेल लाइन देने के लिए हमने आपसे मांग की है। मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री एम० शिवन्ना** (चामराजनगर) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं इस वर्ष इतना अच्छा रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी, श्री वेलू जी और श्री राठवा जी को बधाई देना चाहता हूं। मुझे वर्ष 2005-06 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

अपराह्न 4.53 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

रेल मंत्रालय द्वारा लम्बे समय तक कर्नाटक की उपेक्षा की गई है। इसलिए, मैं माननीय श्री लालू जी से कर्नाटक का थोड़ा पक्ष लेने का अनुरोध करता हूं।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चामराजपेट-मेत्तुपलायम की रेल लाइन को तत्काल पूरा किए जाने की आवश्यकता है। माननीय श्री लालू जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र आने और इस रेल लाइन का उद्घाटन करने का वादा किया है। वे चामुन्डी पहाड़ियों और मैसूर शहर का भी दौरा करेंगे। इसे शीघ्र पूरा करने हेतु बजट आबंटन को भी एक करोड़ से बढ़ाकर कम से कम दो करोड़ रुपये कर दिया जाना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण लाइन जिसका दोहरीकरण किया जाना चाहिए, वह है मैसूर-बंगलौर लाइन।

बंगलौर से रामनगरम तक का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब रामनगरम से मैसूर तक का कार्य शीघ्रता से पूरा होना चाहिए। इस लाइन का विद्युतिकरण होना चाहिए क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं।

बंगलौर भारत की सिलिकॉन सिटी है। यहां की सड़कें बहुत सकरी हैं और प्रतिदिन इनपर दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए, बंगलौर के लिए मेट्रो रेल का कार्य तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए।

महोदय, इस मंत्रालय द्वारा दो रेल लाइनों पर विचार किया जा रहा है। बंगलौर-चामराजनगर रेलवे लाइन – (1) बंगलौर से कनकपुरा, मालावल्ली, टी० नारासीपुरा बन्नूर और चामराजनगर-मेत्तुपलायम, (2) बंगलौर से कनकपुरा होते हुए मालावल्ली, मोल्लेगल, चालान्दूर-चामराजनगर मेत्तुपलायम। इन दो लाइनों में से सर्वश्रेष्ठ लाइन चुनना माननीय मंत्री जी और उनके मंत्रालय पर निर्भर करता है।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को उनके प्रयासों, विशेषकर ग्रामोद्योग और हस्तकला को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों हेतु अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो भी माननीय सदस्य अपनी स्पीच सदन के पटल पर ले करना चाहते हैं, वे ले कर सकते हैं।

श्री महेश कनोडीया (पाटन) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने क्षेत्र उत्तर गुजरात में पाटन के लिए ब्रॉड गेज के लिए आपसे कई बार कह चुका हूं। इसके पहले भी मैंने कहा है। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं कि यह बजट शब्दों का मायाजाल है और असत्य का पुलिंदा जैसा लगता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात के साथ किया गया रेल संबंधी अन्याय है और जो मेरा वीरमगाव-भीलड़ी प्रोजेक्ट है, श्री नीतीश कुमार जी ने 1999 में जिसे सैंक्शन किया था जिसमें मेहसाड़ा से वीरमगाम-भीलड़ी तक ब्रॉड गेज बनाने का काम था। आपके बजट में वीरमगाम से मेहसाड़ा तक का उल्लेख किया गया है लेकिन मेहसाड़ा-पाटन से भीलड़ी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसे छुपाया गया है। क्यों छुपाया गया है? जब वह सैंक्शन्ड हो चुका है और उसके लिए धनराशि भी बजट में आबंटित की गई है लेकिन यह काम क्यों नहीं हो रहा है? पाटन शहर ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। वहां पर जसमा, उदर और शितराज और बड़े-बड़े ऐतिहासिक किस्से बन गये हैं। वहां के एक तालाब में पानी नहीं आता था तो एक सती का श्राप लगा था तब तक वीरमाया नामक बुनकर ने अपना मस्तक दिया था जिससे वहां पर पानी आया था।

अपराह्न 5.00 बजे

आज भी दूर-दूर से लोग इस स्थान पर दर्शन करने आते हैं। यद्यपि आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाने का वचन दिया था, फिर भी इसे इस साल के बजट में नहीं लिया गया है। वचन तो वचन होता है, उसका पालन किया जाना चाहिए।

"रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।"

महोदय, आज जनता जागरूक हो चुकी है, वह सब समझने लगी है।

श्री लालू प्रसाद: अब आपका काम हो जाएगा।

श्री महेश कनोडीया : माननीय मंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आज देश की जनता बहुत जागरूक हो गयी है और वायदा पूरा न होने पर वह हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप अधूरे पड़े इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे तो आप जब भी मुझे बिहार में आमन्त्रित करेंगे, मैं अलग-अलग आवाजों में गाकर सभी को खुश कर दूंगा।

[अनुवाद]

***श्री भर्तृहरि महताब** (कटक) : महोदय, मैं वर्ष 2005-06 के लिए रेलवे की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछली बार मैंने इस सभा का ध्यान रेल मंत्रालय के उड़ीसा की ओर उदासीन रुख की ओर आकर्षित किया था और आज में पुनः रेल मंत्रालय और सं०प्र०ग० सरकार द्वारा की गई उड़ीसा की उपेक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

हम रेल मंत्रालय से बार-बार यह अनुरोध करते रहे हैं कि वह इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाली रेल परियोजनाओं के

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

क्रियान्वयन को गति प्रदान करने हेतु एक विशेष कोष की स्थापना करें। उड़ीसा सरकार ने कम से कम तीन रेल परियोजनाओं की पहचान की है। वे हैं दैतारी-बनासपानी, जो कि 155 किलोमीटर लम्बी है, हरिदासपुर-पारादीप, जो कि 82 किलोमीटर लम्बी है तथा कटक-बारंगा लाइन का दोहरीकरण जो कि केवल 10 किलोमीटर लम्बा है और महानदी नदी के ऊपर दूसरा रेल पुल। इन सभी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा ली गई है।

जैसा कि सरकार को ज्ञात है कि दैतारी-बनासपानी परियोजना का बनासपानी और क्योंझर के बीच लगभग 50 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। तथापि ये एकल लाइन परियोजनाएं हैं और मैं जोर देकर कहता हूं कि इनका उन्नयन करने इन्हें दोहरी लाइन का नेटवर्क बनाए जाने की आवश्यकता है।

एक और बात जो हमें परेशान कर रही है वह है कि अंगुल-डुबरी-सुकिंदा सड़क एकल लाइन परियोजना, जो कि 90 किलोमीटर लंबी है, को कई वर्ष पूर्व स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु अभी तक उसपर शायद ही कोई प्रगति हुई है।

हमारी रूचि एक अन्य परियोजना में भी है जो कि कुआखई और काठजोड़ी नदी पर रेल पुल का निर्माण करने हेतु कटक से बारंगा रेल लाइन के बीच की रुकावट को दूर करने से संबंधित है। इसे उच्च वरीयता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए।

90 किलोमीटर लम्बी नौपाड़ा-गुनपुर रेल लाइन, जिसके बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है उसे और 70 किलोमीटर बढ़ाकर थुरूवली तक किया जाना चाहिए।

उड़ीसा अब औद्योगिक क्रान्ति की ओर बढ़ रहा है। इसे और स्पष्ट करते हुए मैं बता दूं कि एक इस्पात निर्माण क्रान्ति होने वाली है। बहुत से बड़े राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के, नामों ने राज्य की लौह अयस्क पट्टी में परियोजनाएं आरंभ करने में अपनी रूचि प्रदर्शित की है। उनमें से कुछ ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब तक 25 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कच्चे माल और तैयार माल दोनों के लिए 50 मिलियन टन अतिरिक्त परिवहन संचालन की आवश्यकता होगी। यदि टाटा, एस्सार, स्टरलाइट और पॉस्को द्वारा तैयार की जा रही परियोजनाओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह आंकड़ा अनुमानित रूप से 100 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। अत: मैं परिवहन की इस भारी मात्रा हेतु परिवहन का बेहतर सम्पर्क कायम करने का इच्छुक हूं जिससे रेलवे को भी अधिक राजस्व मिलेगा। इसलिए, कम से कम 3000 करोड़ रुपये के एक कोष की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है जिसे उड़ीसा में रेल संपर्क के विकास हेतु आवधिक रूप से निवेश किया जा सके।

उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य में ऐसी तीन पट्टियों की पहचान की है जहां लौह, इस्पात और स्पांज आयरन की इकाईयों की बड़े पैमाने पर स्थापना की जानी है। इसमें बारबिल-दुबुरी पट्टी, कटक-ढेंकानाल पट्टी और सम्बलपुर-झारसुगुड़ा-राउरकेला पट्टी सम्मिलित हैं। कालाहांडी-बोलंगीर पट्टी बॉक्साइट के भंडारों की दृष्टि से समृद्ध है इसमें बड़ी एल्युमीनियम परियोजनाएं लगाए जाने की संभावनाएं हैं। एल० एण्ड टी०, आदित्य बिरला समूह, वेदान्त और बी०एच०पी० बिलिटॉन इस संबंध में निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं।

मुझे पता है कि रेलवे सामान्यतया नई परियोजनाओं के संबंध में सावधानीपूर्वक परंपरागत रवैया अपनाना पसंद करता है? वह जब तक यातायात की संभाव्यता के बारे में संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक उसमें रूचि नहीं लेता। यह बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है। तथापि, पूर्व-तटीय रेलवे से पूछताछ किए जाने पर यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है यद्यपि इनकी प्रगति भूमि-अधिग्रहण से लेकर आरंभ होने की स्थिति तक विभिन्न स्तरों पर है।

नई ब्रॉड गेज रेल लाइनों, जिनमें सम्मिलित हैं 155 किलोमीटर लम्बी और 590 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली दैतारी-वनासपानी लाइन, 56 किलोमीटर लम्बी और 67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली लांजीगढ़-जूनागढ़ लाइन, 82 किलोमीटर लम्बी और 340 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली हरीदासपुर-पारादीप लाइन, 90 किलोमीटर लम्बी और 415 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सुकिंदा रोड-अंगुल लाइन, 154 किलोमीटर लम्बी और 727 करोड़ रुपये की लागत वाली तलचर-बिमलागढ़ लाइन और 290 किलोमीटर लम्बी तथा 700 करोड़ रुपये की लागत वाली खुर्दा रोड-बोलंगीर लाइन, में ये लाइनें महत्वपूर्ण हैं। तलचर-बिमलागढ़ और खुर्दा रोड-बोलंगीर लाइनें जो कि मूलत: यात्रियों के आवागमन हेतु हैं, को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाएं माल ढोने के लिए तैयार की गई हैं।

दोहरीकरण की परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कटक को अन्य सभी जगहों से जोड़ने वाले है, महानदी, काठजोड़ी और कुआखाई नदी पर बनने वाले दूसरे पुल का निर्माण कार्य है।

पारादीप के लिए मुक्त सम्पर्क की आवश्यकता है। जब तक इस प्रमुख पत्तन को हरीदासपुर-पारादीप रेल लाइन से नहीं जोड़ा जाता तब तक इसपर माल की ढुलाई बेहतर नहीं हो सकती। धामरा पत्तन के संबंध में बात चल रही है। इसी प्रकार गोपालपुर का छोटा पत्तन एक बड़े पत्तन में विकसित होने की प्रक्रिया में है। इसलिए, गोपालपुर को नरसिंहपुर होते हुए सीधे तलचर से जोड़ना आवश्यक बन गया है। इस संबंध में कदम उठाए जाने चाहिएं।

मैं पुन: अपील करता हूं कि चूंकि उड़ीसा एक औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर है, विशेषकर इस्पात, और आने वाले कुछ वर्षों में यहां माल की ढुलाई में भारी वृद्धि होने वाली है, अत: रेल मंत्रालय को इस समयबद्ध तरीके से इसका महत्वपूर्ण रेल सम्पर्क बनाने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के साथ आगे आना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा) : माननीय सभापति, धन्यवाद। मैं संप्रग सरकार की रेलवे की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। मैं संप्रग सरकार की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे विनम्र प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह जी, पददलितों के पक्षधर, रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव जी तथा रेल राज्य मंत्री, श्री वेलु जो सुदूर सुसंस्कृत दक्षिण के हैं, को बधाई देती हूं। उन सभी ने इस रेल बजट को बहुत सार्थक बनाया है। इस बजट में आम आदमी के हितों का ध्यान रखा गया है।

मैं इसे और सार्थक बनाने के लिए कुछ टिप्पणियां करना चाहती हूं। मेरे लिए भारतीय रेल एक विस्तृत चित्रपट की भांति है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रदर्शित करती है। हम याद कर सकते हैं कि किस तरह गांधी जी रेलगाड़ी से यात्रा किया करके लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। जब देश का विभाजन हुआ तो रेलगाड़ियां भी दुश्मनों के निशाने पर आ गई। जब महान राष्ट्र का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ तो इन्हीं रेलगाड़ियों में काफी अत्याचार हुए।

रेलगाड़ियों से प्रेरित होकर कई फिल्में बनीं। डा० राजकुमार और कमल हसन ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया। रेल, प्रेमियों, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यह सच्चे भारतियों का आम यातायात का साधन का है। रेलवे के महत्व को समझे बिना रेलवे के बारे में कहने का कोई अर्थ नहीं है। यह आम जनता का यातायात का साधन है। हमें इसे अधिक महत्व देना चाहिए तथा इसे अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए अपनी राय देनी चाहिए। आज, रेलवे स्टेशनों के सुरक्षा उपायों में सुधार करने की आवश्यकता है। महिलाएं और बच्चे रेलगाड़ियों से यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि यह यातायात का सर्वाधिक आरामदेह साधन है। एक आम आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलगाड़ी से यात्रा कर सकता है। संभ्रांत व्यक्ति हवाई जहाज़ से यात्रा कर सकता है लेकिन आम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें कुली से लेकर स्टेशन मास्टर तक रेलवे कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करना चाहिए तथा उसे बढ़ाना चाहिए। हमें महिलाओं, बच्चों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की छेड़छाड़ करने वाले व्यक्तियों तथा गुंडों से रक्षा करनी चाहिए।

मुझे आशा है कि मंत्रालय ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। लालूजी और वेलु जी बहुत जीवट नाम हैं जो इसके प्रति वचनबद्ध हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि रेलवे को और अधिक कुशल बनाया जाए।

रेलगाड़ी के डिब्बों तथा मालगाड़ियों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि मैंने सुना है कि इन दिनों सामान से भरे ट्रक भी डीजल दामों में वृद्धि, सड़क और पुल चुंगी के कारण रेलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। सामान से भरे ट्रकों के लिए भी रेलगाड़ी से जाना अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है। इसलिए मालगाड़ियों और रेल के डिब्बों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है *(व्यवधान)*

जहां तक नई रेल लाइनों का संबंध है, यद्यपि हमारे मंत्री महोदय ने मेरे राज्य अर्थात् कर्नाटक को काफी महत्व दिया है, फिर भी हमें और अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। आप सूची देख सकते हैं। लालूजी ने हमें और अधिक सुविधाएं देने की कृपा की है। मैं सभी परियोजनाओं को देख सकती हूं। यहां कोट्टूर-अरियार-अरपन्नाहल्ली नई लाइन है। मेरे राज्य को यह सुविधा तभी मिल सकती है जब नई रेल लाइनें बनेंगी तथा लाइनों का दोहरीकरण होगा। यदि मंत्रालय में धनराशि की कमी है तो कृपया आसानी से मिलने वाले ऋण लें। आप भारतीय रेल की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए नई रेल लाइनों के निर्माण तथा इन सब कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से आसानी से मिलने वाले ऋणों को लेने में संकोच न करें।

मैं कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र से हूं। मेरे क्षेत्र के लोग बहुत गरीब है। वहां कोई सिंचाई सुविधा नहीं है तथा किसान पिछले चार वर्षों से लगातार सूखे से ग्रस्त हैं। यदि आप बंगलौर-मेटुपालैयम से बरास्ता कनकपुरा और मलवेली तक नई रेल लाइन शुरू करते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोगों को नए उद्योग लगाने में काफी सहायता मिलेगी। इससे कसानों को अपनी फसलों तथा कृषि उत्पादों के परिवहन में भी सहायता मिलेगी। कृपया कर्नाटक को महत्व दीजिए तथा मंत्रालय में लंबित हमारी सभी परियोजनाओं के निपटान में सहायता दीजिए।

*महोदय, मैं कर्नाटक राज्य के लिए रेल परियोजनाओं की सूची सभापटल पर रखना चाहती हूं।

सर्वप्रथम, मैं कुछ महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के बारे में कहूंगी जिनमें कर्नाटक सरकार लागत वहन करेगी। इसमें कोट्टरू से हरिहर बरास्ता हरपनहल्ली (नई लाइन), बंगलौर से केंगेरी तक का विद्युतीकरण (दोहरीकरण), केंगेरी से रामनगरम (दोहरीकरण), बीजापुर से गदग (आमान परिवर्तन) तथा हासन से मंगलौर (आमान परिवर्तन) शामिल हैं।

हासन से मंगलौर (आमान परिवर्तन) की परियोजना इक्विटी भागीदारी से पूरी होगी।

---

*....*लिखित भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आसानी से मिलने वाले ऋण लिए जा सकते हैं। इसमें हासन से बंगलौर बरास्ता श्रावणबेलागोला (नई लाइन), कडूर-चिकमगुलूर-सकलेशपुर (नई लाइन), बंगलौर-सत्यमंगलम बरास्ता कनकपुरा (नई लाइन), हुबली से अंकोला (नई लाइन), चामराजनगर से मेटुपालैयम (नई लाइन), मुनीराबाद से महबूबनगर बरास्ता रायचूर (नई लाइन), बीदर से गुलबर्गा (नई लाइन), मैसूर से चामराजनगर (आमान परिवर्तन), शिमोगा से तालगुप्पा (आमान परिवर्तन), यशवन्तपुर से तुमकुर (दोहरीकरण), होसपेट से तोरणगल्लू (दोहरीकरण) और बंगलौर – व्हाइट फील्ड – के०आर० पुरम (चार लेन वाला बनाना, बंगलौर) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता के लिए उपहार के रूप में एक नई लाइन शुरू करें जो मुख्यत: कृषक समुदाय से संबद्ध हैं। यह नई लाइन बंगलौर से मेटुपालैयम बरास्ता कनकपुरा-मलवेली-चामराजनगर है।

अब, मैं वर्ष 2005-06 के रेल बजट में कर्नाटक के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। दो नई लाइनें वर्ष 2005-06 के दौरान पूरी होनी हैं। ये लाइनें हैं– बंगलौर की हासन-श्रावणबेलागोला-हासन और बंगलौर-बंगलौर की नेलामंगला-हासन।

इस वर्ष के रेल बजट में कुछ नई रेलगाड़ियों की घोषणा की गई थी। इसमें माडगांव से मंगलौर तक जन शताब्दी एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन), चेन्नई से बंगलौर तक शताब्दी एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन), मंगलौर से श्रावणबेलागोला तक पैसेंजर (लाइन पूरी होने के पश्चात्), आमान परिवर्तन के पश्चात् यशवन्तपुर-मंगलौर एक्सप्रैस (बरास्ता मैसूर), आमान परिवर्तन के बाद यशवन्तपुर-मंगलौर एक्सप्रैस (बरास्ता अरसीकैरे), हुबली-चिकजाजूर पैसेंजर (प्रतिदिन) तथा बेलगाम-मिराज पैसेंजर-दो फेरे (सप्ताह में 5 दिन)

कुछ रेलगाड़ियों का वर्ष 2005-06 के दौरान विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। इसमें कुंभकोणम तक मैसूर-तंजावुर एक्सप्रैस (आमान परिवर्तन के पश्चात्)? यशवन्तपुर तक काचेगुडा – श्री सत्यसाई प्रशांति नीलायम एक्सप्रैस, मैसूर तक जयपुर-बंगलौर एक्सप्रैस (दोहरीकरण के पश्चात्) तथा राजेन्द्रनगर, पटना से बंगलौर शहर तक संघमित्रा एक्सप्रैस।

सप्ताह में दो बार चलने वाली हावड़ा-यशवन्तपुर एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाकर उसे प्रतिदिन चलाया जाए तथा यह तिरूपति से होकर जाए।

कोलार-चिकबालापुर, कोट्टूर-चित्रदुर्ग बरास्ता जागलुर, बंगलौर-मेटुपालैयम तथा कनकपुरा-मलवेली के आमान परिवर्तन के बारे में नए सर्वेक्षण किए जाएं।

हरिहर में एक नए ठोस शयनयान संयंत्र की घोषणा की गई तथा परियोजना अर्थात् मंगलौर से शोरणपुर तक लाइनों का शीघ्र दोहरीकरण किया गया है। कुछ लाइनों अर्थात् तोरणगल्लू-होसपेट, हगरी-बेल्लारी तथा बंगलौर-बिडदी का दोहरीकरण पूरा होने वाला है। शोलापुर की बीजापुर-बसावना बागेवाड़ी-गदग तथा हासन-बंगलौर की सकलेश-सुब्रह्मण्यिम रोड जैसी लाइनों का आमान परिवर्तन पूरा होने वाला है।

इन शब्दों के साथ में धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।*

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : सभापति जी, यहां रेल मंत्री जी और उनके दोनों सहयोगी रेल राज्य मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं जब पहली बार 11वीं लोक सभा में चुन कर आया था, तो मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की भावना और जरूरत को ध्यान में रखते हुए रेल बजटों पर रात को दो-तीन बजे, जब भी मुझे मौका मिला, अपनी मांगों को रखा। दुर्भाग्य से अभी तक मुझे कोई यश नहीं मिला। मैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से आता हूं, जो अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बुलढाणा में कोई औद्योगिक विकास या इरीगेशन के साधन नहीं हैं और न ही कोई अच्छे रास्ते हैं। इसलिए वहां के लोगों की बहुत दिनों से मांग है कि उस क्षेत्र में एक रेलमार्ग होना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में 1926 में उसका सर्वे हुआ था। वह मार्ग जलाना से सेगांव है। जलाना साउथ सेंट्रल रेलवे का बड़ा स्टेशन है और सेगांव सेंट्रल रेलवे का स्टेशन है। दोनों को जोड़ने के लिए करीब 150 किलोमीटर की दूरी है। अगर यह रेल लाइन बनती है तो मराठवाड़ा के नौ जिले और विदर्भ के 11 जिले जुड़ जाएंगे। लोगों को इससे सुविधा होगी और उससे आदान-प्रदान होगा। जैसे कहा जाता है कि पहले अंडा या पहले मुर्गी, उसी तरह यह भी है कि विकास पहले या रेलवे पहले। जहां रेल जाती है, वहां अपने आप विकास हो जाता है, क्योंकि वहां औद्योगिकरण हो जाता है। इसलिए हमारे क्षेत्र विदर्भ और मराठवाड़ा के लोगों की मांग है कि वहां यह रेलमार्ग होना चाहिए। मैंने इस मांग को कई रेल बजटों और रेलवे की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा के समय भी उठाया है। लेकिन मुझे अभी तक इसका यश नहीं मिला।

अगर आपको फंड रेज करना है, तो जैसे कोंकण रेलवे के लिए आपने बॉण्ड्स के माध्यम से निधि जमा की थी, उसी तरह से वहां के लिए भी 100 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि हम जमा कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि यह रेलमार्ग बनना चाहिए।

मुझे रेल मंत्री जी से और उनके दोनों सहयोगी राज्य मंत्रियों जी से उम्मीद है कि वे इसे पूरा करेंगे। मैंने इस मांग को नियम 377 के माध्यम से भी सदन में रखा था। लेकिन मुझे बताया गया कि यह रेलमार्ग वायबल नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि रेलवे सर्विस इंडस्ट्री

है या इनकम इंडस्ट्री है। रेलवे को सर्विस इंडस्ट्री होना चाहिए। रेलवे के माध्यम से विकास होता है। इसलिए यह रेलमार्ग होना जरूरी है। रेल मंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य के भाषण के बाद तुरंत जवाब दिया था कि हम इसे पूरा करेंगे।

मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप यह कार्य रेल मार्ग को ध्यान में रखकर करेंगे।

मैं दो छोटी-छोटी बातें और कहना चाहता हूं। सेगांव गजानंद महाराज का तीर्थ-क्षेत्र माना जाता है और वहां तीर्थ के लिए लाखों लोग आते हैं लेकिन रेल मार्ग के कारण वहां पर आधा किलोमीटर की लम्बी लाइन लग जाती है लेकिन वहां पर अभी तक ओवर-ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है। मेरी मांग है कि वहां पर एक ओवर-ब्रिज का निर्माण शीघ्र कराया जाए। इसी तरह से नांदुरा ताल्लुका क्षेत्र है ओर वह हाई-वे पर पड़ता हे और वहां पर भी ओवर-ब्रिज न होने के कारण लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहां पर भी एक ओवर-ब्रिज होना चाहिए। मैं मुम्बई शहर में रहता हूं और कांदिवली मेरे क्षेत्र में पड़ता है। वहां कांदिवली में चार-पांच साल से आधा ब्रिज बन चुका है। लेकिन आधा नहीं बना है, यह समझ में नहीं आता है। वहां लागत लग चुकी है, इसलिए अगर वहां आप आधा हिस्सा भी पूरा करेंगे तो लोग आपको धन्यवाद करेंगे।

सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति जी, मैंने पहले भी अपनी कुछ मांगें रखी थीं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब मैं फिर से अपनी कुछ मांगें माननीय मंत्री जी के समक्ष रख रहा हूं। हमारे यहां उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी डिविजन में 8 जंक्शन से कौंची स्टेशन तक शटल जाती है लेकिन कुछ दिनों से उस शटल का टाइम-टेबल बदल दिया गया है। टाइम-टेबल बदलने का मतलब क्या है, समझ में नहीं आता है। अगर यात्रियों की सुविधा के लिए टाइम-टेबल बदला जाए तो ठीक है लेकिन टाइम-टेबल बदलने के कारण यात्रियों को जंक्शन पर आकर तीन-चार घंटे रुककर ट्रेन मिले तो इस असुविधा के लिए कौन जिम्मेदार है? पहले यात्रियों को आधे घंटे में ही ट्रेन मिल जाती थी और वे मुम्बई, लखनऊ और इलाहाबाद के लिए चले जाते थे। लेकिन अब उन्हें दो-तीन घंटे इंतजार में बैठना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर अधिकारियों ने टाइम-टेबल चेंज क्यों किया। मैंने इस बारे में माननीय मंत्री जी को भी लिखकर दिया था कि टाइम-टेबल के समय को पहले की तरह ही रखा जाए। अगर समय पहले की तरह रखेंगे तो लोगों को सुविधा होगी और राजस्व में वृद्धि होगी। लेकिन फिर भी समय पहले वाला नहीं रखा गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि समय को पहले की भांति रखा जाए, जिससे यात्रियों को असुविधा ने हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अधिकारी इस शटल को घाटे में दिखाकर बंद करने का कोई योजना तो नहीं बना रहे हैं। कौंच स्टेशन के अगल-बगल वाली जमीन पर कहीं माफियाओं की नजर तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारियों ने भूमाफियाओं से सांठ-गांठ कर ली हो और समय चेंज होने से रेलवे को राजस्व का लाभ नहीं होगा और जमीन को भूमाफियाओं को कब्जा करने के लिए छोड़ देंगे। समय चेंज होने के कारण जनता बड़ी उत्तेजित है और धरने व प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। डी०आर०एम० से भी मैंने इस विषय में बात की है लेकिन अधिकारियों ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

हमेशा देखने में आता है कि एक्सीडैंट्स ज्यादा हो रहे हैं और वे रात को 12 बजे से सुबह पांच बजे के बीच होते हैं। इसका क्या कारण है? उसका प्रमुख कारण यह है कि जिस स्टेशन मास्टर की ड्यूटी होती है। *(व्यवधान)* मैं एक महत्वपूर्ण बात रख रहा हूं।

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : आप लिख कर दे सकते हैं।

सभापति महोदय : आप बोल चुके हैं। आप सप्लीमैंटरी डिमांड्स के समय भी बोल सकते हैं। आज समय का अभाव है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : मैं अभी पूरा नहीं बोला हूं।

*माननीय महोदय जी, उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में झांसी से करीब 6 बजे एक इंटरसिटी चलायी जा रही है, वह करीब 10 बजे कानपुर पहुंचती है, यह 10 बजे से 6 बजे शाम तक कानपुर में खड़ी रहती है। मेरी रेल मंत्री से मांग है कि इस इंटरसिटी को इलाहाबाद तक बढ़ाया जाये तथा इसको मोठ स्टेशन पर रोका जाये।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि झांसी डिवीजन में एट जंक्शन से कोच तक शटल करीब 100 साल से ज्यादा समय से चल रही है। अभी करीब 6 माह से समय बदल दिया गया है, जिससे यात्रियों की संख्या कम हो गयी है। मुझे लगता है कि यह शटल जब घाटे में चलेगी तो बंद करने की कोई योजना तो नहीं बनायी जा रही है क्योंकि इस समय झांसी डिवीजन में एक अधिकारी कोंच स्टेशन के पास मदारी ग्राम के निवासी हैं उनके द्वारा इस शटल का समय बदला गया है। मुझे शंका है कि इन अधिकारी की कोंच के भूमि माफियाओं से सांठगांठ तो नहीं चल रही है कि शटल घाटे में दिखाकर स्टेशन कोंच को बंद कर रेलवे की जगह को कब्जा करना चाहते हों।

मेरी आपसे मांग है कि शटल का समय पूर्ववत किया जाये, जिससे यात्रियों को लाभ मिले तथा रेलवे विभाग को राजस्व का लाभ मिल सके। माननीय रेल मंत्री जी एट जंक्शन पर कोचीन एवं पुष्पक एक्सप्रेस को रोका जाये। माननीय मंत्री जी मोठ स्टेशन पर कुशीनगर एवं इंटरसिटी ट्रेन को रोका जाये। दिल्ली को पूर्वोत्तर की ओर जो ट्रेनें चलती हैं,

---

*....*लिखित भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

उन में से चार पांच गाड़ियों को दिल्ली से झांसी कानपुर होते हुए किन्हीं पांच गाड़ियों को आने जाने के चलायी जाये। ग्वालियर, आगरा, झांसी, उरई के यात्री पूर्वोत्तर तथा दिल्ली से सीधे जुड़ जायेंगे।

माननीय मंत्री जी कोंच स्टेशन को कम्प्यूटरीकृत किया जाये, जिससे करीब 300 ग्रामों के यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। माननीय रेल मंत्री जी मेरे लोक सभा में कालपी स्टेशन एक तीर्थस्थान है, जहां महर्षि व्यास जी की कर्मभूमि तथा तपोभूमि है, जहां पर हमेशा लाखों यात्री दर्शन करने आते हैं। अत: मेरी रेल मंत्री से मांग है कि कालपी स्टेशन पर भी कोचीन एवं पुष्पक एक्सप्रेस को रोका जाये, जिससे दर्शन हेतु यात्री कालपी स्टेशन पर उतर सकें।*

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं समझ रहा हूं कि समय कम है इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। वैसे यह विभाग भारत सरकार का सबसे बड़ा विभाग है। देश के अरबों लोगों को इस कोने से उस कोने तक पहुंचाने का इससे बढ़ कर कोई साधन नहीं है इसलिए इस विभाग को बजट के बारे में कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। जब इस विभाग के बजट के बारे में चर्चा की जाती है तो हमें तकलीफ होती है। जिस विभाग को पैसा देने के लिए देश की जनता स्टेशनों पर भीड़ लगाए खड़ी है उस विभाग के पास बजट की क्या कमी हो सकती है? देश की जनता को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए अगर साधनों की कमी है तो आप उसे दूर कीजिए। देश की जनता रेल विभाग को करोड़ों-अरबों रुपया देने के लिए तैयार है। इसलिए माननीय मंत्री जी के पास बजट की कमी नहीं होनी चाहिए। जिस विभाग को करोड़ों लोगों अरबों रुपए देने के लिए तैयार हों, स्टेशनों पर भीड़ लगाए खड़े हों और टिकट न मिलने पर वापस चले जाते हों, वहां बजट की कोई चर्चा करना ठीक नहीं होगा।

अयोध्या-फैजाबाद एक तीर्थ स्थल है। बिहार से जितनी गाड़ियां आती हैं वे गोरखपुर से सीधे पश्चिम को चली जाती हैं। सरयू नदी पर पुल बना जिस पर अरबों रुपये लगे लेकिन वहां से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरती है। मेरी मांग और सुझाव है कि बिहार, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, उनमें से कुछ गाड़ियों को गोरखपुर से फैजाबाद जो पुल बन गया है, फैजाबाद-अयोध्या होकर डाइवर्ट कर दें तो लोगों को सुविधा होगी और रेल विभाग को लाभ होगा। इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी।

बाराबंकी से फैजाबाद मुश्किल से सौ किलोमीटर की दूरी है। उसका दोहरीकरण और विद्युतीकरण कर दिया जाए तो काफी लोगों को सुविधा मिल जाएगी। पूर्वांचल से बहुत से लोग अहमदाबाद, सूरत नौसारी, भड़ौच और मुम्बई जैसे औद्योगिक शहरों में जाते हैं जिससे उनके बच्चों को रोटी मिलती हैं। वे लोग ट्रेन की छतों में बैठ कर जाते हैं। मेरी गुजारिश है कि अयोध्या-फैजाबाद से भी ऐसी ट्रेनें जो लखनऊ तक सीमित रहती हैं, वे फैजाबाद तक बढ़ा दें तो पूर्वांचल के बहुत से लोग जो अहमदाबाद, मुम्बई, सूरत, नौसारी, भड़ौच, बड़ोदरा जाते हैं उनको सुविधा हो जाएगी। अभी उन्हें वहां जाने में बहुत मुश्किल होती है। आप एक ट्रेन इलाहाबाद के थ्रू भेजते हैं। उसके समय में परिवर्तन कर दें तो वहां की जनता को सुविधा होगी।

यात्रियों को जो असुविधाएं होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। असुविधाओं में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्टेशनों में चोरियां, छीना-छपटी और लूटपाट होती हैं। ट्रेनों में जो चाय और पानी लेकर घूमते हैं, उनको भी यह दिक्कत झेलनी पड़ती है। इसके साथ-साथ बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रेल के साथ बहुत से लोगों की जिन्दगी जुड़ी है।

कुल्हड़ों पर भी बहुत से लोगों की नजर लगी है। आप अपने कुल्हड़ पर भी नजर रखे हैं लेकिन उनके घड़ों पर भी नजर रखें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप बैठ जाएं।

डा० राजेश मिश्रा (वाराणसी) : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे रेल बजट की डिमांडस फॉर ग्रांटस के बारे में बोलने का अवसर दिया है। मैं रेल बजट की डिमांडस फॉर ग्रांटस के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय श्री लालू प्रसाद जी, श्री राठवा जी और श्री वेलू जी को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, सामने के बैंच से तमाम चर्चाएं होती है कि रेल मंत्रालय ने अपने वायदे को नहीं निभाया है। मैं कहना चाहता हूं कि विकास की प्रक्रिया एक साल या एक-दो दिन में पूरी नहीं होती, यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप चर्चा करते हैं कि 11वीं लोकसभा में भी हमने कहा था, वह पूरा नहीं हुआ, 12वीं लोकसभा में भी पूरा नहीं हुआ। आपको खुद अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में किसकी सरकार थी और आपके मंत्रियों ने इसे क्यों पूरा नहीं किया। मैं सम्मानित रेल मंत्रीगण को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विक्लांगों, नौजवान बेरोजगारों के लिए, जब वे इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो टिकट फ्री किया है।

महोदय, ये कुल्हड़ की बात कहते हैं। हम जिस ट्रेन से जाते हैं तो हमें कुल्हड़ दिखाई देते हैं, पता नहीं उधर के लोगों को शीशे के गिलास ही क्यों दिखाई देते हैं। यह हमारी समझ में नहीं आता जबकि हमें तो कुल्हड़ ही दिखाई पड़ते हैं। हम माननीय रेल मंत्रीगण

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने रेलवे के यात्री भाड़े और माल-भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की। आपने अपने स्रोतों से रेलवे की आय बढ़ायी है और निश्चित रूप रेलवे की आय बढ़ी है।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में ट्रेन चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में भी ट्रेन चलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, निश्चित रूप से यह बहुत ही मजबूत कदम है। इससे भारत और पाकिस्तान के संबंध में सुधर रहे हैं, इसमें रेल मंत्री जी का विशेष योगदान है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्रीगण को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। काशी हिन्दुस्तान का एक तीर्थ स्थल है, वहां से सवा सौ किलोमीटर पर प्रयाग तीर्थ स्थल है। आज की तारीख में वहां सिंगल लाईन है। पांच से छः घंटे में ट्रेन प्रयाग और काशी के बीच में जाती है, अगर यह डबल लाईन हो जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप समय का ध्यान रखें।

डा० राजेश मिश्रा : मैं कहना चाहता हूं कि प्रयाग और काशी को डबल लाईन से जोड़ दिया जाए तो जो दूरी चार घंटे की है उसे डेढ़ या दो घंटे में पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वाराणसी उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग का केंद्र है। यहां से बंगलौर के लिए एक सीधी ट्रेन होनी चाहिए। वाराणसी से कोलकाता के लिए जो ट्रेन है वह डनडायरेक्ट होकर आती है जिसमें पांच-छः घंटे ज्यादा समय लगता है। हमारा अनुरोध है कि वाराणसी से कोलकाता डायरेक्ट ट्रेन होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

डा० राजेश मिश्रा : महोदय, वाराणसी में स्लीपर का कारखाना है। मेरा अनुरोध है कि स्लीपर के कारखाने को अपग्रेड किया जाए। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : महोदय, मैंने श्री लालू प्रसाद जी से मांग की थी कि गीतांजली एक्सप्रैस का सहगांव में स्टॉप दिया जाए। मैं बड़े प्रेम और आदर के साथ उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्टॉप दे दिया और इसके लिए उनकी बहुत प्रशंसा भी हुई है। तरुण भारत लीडिंग पेपर में श्री लालू प्रसाद जी का फोटो एक तरफ और रेल का फोटो एक तरफ दिया गया, पूरी स्टोरी दी गई और इतिहास बना दिया। यहां सत्ताइस साल पहले ट्रेन चली थी और महाराष्ट्र में गजानन महाराज जो एक श्रद्धा स्थल है, उन्होंने कहा कि सहगांव को दर्शन देने आई है। माननीय श्री लालू प्रसाद जी, मुझे याद है मैं कन्सलटेटिव कमेटी का मैम्बर हूं, आपने कहा कि भारतीय रेल को विश्व में नंबर एक पर ले जाना चाहता है। जब तक मेरे डिस्ट्रिक्ट में रेल नहीं आएगी तो नंबर एक पर रेल कैसे जाएगी?

महोदय, मैंने पूसर-वर्धा-नांदेड़ की एक लाईन के बारे में सुझाव दिया था।

माननीय मंत्री जी को याद है। यह कहा गया था कि इस प्रोजैक्ट में 460 करोड़ रुपये लगना है, यह बहुत मुश्किल है, यह रेल मंत्री जी बता रहे हैं। अगर हम विश्व में नंबर-एक पर जाना चाहते हैं तो आप विदर्भ और मराठवाड़ा को देखिये। रेल के इतिहास में उत्तर प्रदेश से रेल मंत्री हुये हैं, दक्षिण भारत से रेल मंत्री हुये हैं लेकिन हमारा महाराष्ट्र हमेशा दुर्लक्षित रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाये।

सभापति जी, मैंने रेलवे स्टेशन पुसर का सुझाव दिया है जहां तोरादेवी संत समागम का श्रद्धा स्थान है। यहां पूरे देश से लोग आते हैं। महाराष्ट्र में नान्देड़ में गुरु गोविन्द सिंह जी की 300वीं जयन्ती वर्ष 2007 में मानने जा रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार ने नान्देड़ के ब्युटीफिकेशन के लिये 700 करोड़ रुपया दिया है। इसलिये मैं रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी, श्री राठवा, श्री वेलु से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

महाराष्ट्र सरकार ने बस भाड़ा बढ़ा दिया है जबकि रेल का किराया कम है। इससे रेल की अहमियत बढ़ गई है। महाराष्ट्र में शकुन्तला रेलवे स्टेशन पर अभी तक ब्रिटिश मालिकाना है, उसे आजाद कर दीजिये। लालू प्रसाद जी ने रेल का भाड़ा कम किया है, उसके लिये धन्यवाद।

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : महोदय, मैं राष्ट्रीय लोक दल चौ० अजीत सिंह की पार्टी की ओर से रेल बजट का समर्थन करता हूं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मैं पं०उ०प्र० की बिजनौर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं मैं लोक सभा में, निम्न अनुरोध कई पत्रों द्वारा माननीय मंत्री जी मे कर चुका हूं परन्तु मा० मंत्री जी द्वारा किसी भी पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया जम्मू तवी-झावड़ा लाइन पर मौजमपुर जंक्शन जो कि मुरादाबाद-दिल्ली लाइन के गजरौला जंक्शन को जोड़ता है, जहां डाइवर्जन की आवश्यकता है।

मौजमपुर जंक्शन से गजरौला जंक्शन के मध्य इकहरी लाइन अंग्रेजी शासन के समय की है, जिसकी दोहरीकरण करने की काफी आवश्यकता है। बिजनौर, चांदपुर रेलवे स्टेशनों के दोनों ओर रेलवे क्रासिंग को

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।*

[श्री मुन्शी राम]

मानव चलित के स्थान पर हाइड्रोलिक चौड़ा गेट बनाये जाना यैंतायैंत के अवरोध को समाप्त करेगा।

बिजनौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक अतिरिक्त ट्रेन की आवश्यकता की मांग भी कर चुका हूं क्योंकि बिजनौर रेलवे स्टेशन से आसपास मेरठ, मुजफ्फरनगर जिलों के यात्री भी बिजनौर स्टेशन से लखनऊ जाना चाहते हैं। अत: एक नयी ट्रेन बिजनौर से लखनऊ के लिए चलायी जाये। उत्तरांचल एवं पं० उत्तर प्रदेश से देश के पश्चिम एवं उत्तर दिशा के लिए कोई सीधी रेल गाड़ी नहीं है। अर्थात इस ओर हरिद्वार से सीधी रेल गाड़ी चेन्नई, आंध्र मुम्बई के लिए चलायी जाये।

उत्तरांचल की राजधानी देहरादून को नैनीताल से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर रेलवे स्टेशन के समीन नगीना, नजीबाबाद के पास क्रासिंग पर फ्लाइ ओवर बनाये जाने की भी मांग कर चुका हूं। परन्तु, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा उपरोक्त आवश्यक मांगों की अनदेखी की है, जो कि सभी मांगें क्षेत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उपरोक्त आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे।

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति जी, माननीय रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट दिया है, उसके लिए मैं उनका, श्री बेलु जी का और श्री राठवा जी का धन्यवाद करता हूं।

मैं रेल संबंधी कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। दक्षिण गुजरात में वापी रेलवे स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं दी गई है। उस स्टेशन पर कोई रिटायरिंग रूम नहीं है, प्लेटफार्म नं० 1 से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिये ओवरब्रिज नहीं है। वापी रेलवे स्टेशन पर डेली कलेक्शन 7 से 12 लाख रुपये है फिर भी ये सुविधायें नहीं दी गई हैं। दूसरी सब से आवश्यकता वहां फास्ट ट्रेनों के स्टापेज की है। अवन्तिका, अवध, स्वराज और जनता एक्सप्रेस वहां नहीं रुकती हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसी फास्ट ट्रेनों का स्टापेज दिया जाये।

एशिया के नं० 1 वापी, दमन दियु और दादरा इंडस्ट्रियल शहर है जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। वहां लाखों की संख्या में वर्कर्स आते हैं। उन वर्कर्स के आने जाने के लिये एम०ई०एम०यू० ट्रेनें बढ़ाई जानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि दमन से नासिक के लिये एक नई रेल लाईन बनायी जाये जो वाया वापी-सिलवासा होकर जाये।

सभापति जी, मुम्बई राजधानी और अगस्त क्रान्ति एक्सप्रैस ट्रेनों में स्टाफ का अलग-अलग ड्रेस है। मेरा निवेदन है कि यह एक प्रकार का ड्रेस होना चाहिये। इसके अतिरिक्त वापी से आगे बलीठा रेलवे फाटक है जहां ट्रेफिक ज्यादा रहता है। इसलिये इस फाटक पर रेल ओवर ब्रिज की डिमांड है।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि०प्र०) : माननीय सभापति महोदय, रेल बजट की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में देश में 46 नई ट्रेनें चलाने, 27 ट्रेनों के मार्ग का विस्तार करने और 10 ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करने की घोषणा की थी। मंत्री महोदय ने रेल किराया न बढ़ाकर लोगों को राहत देने की कोशिश की है, उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा भूमिका पर न जाते हुए मंत्री महोदय का ध्यान हिमाचल प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप केवल सुझाव दे दीजिए।

श्री सुरेश चन्देल : महोदय, हिमाचल प्रदेश 57 सालों के बाद भी आज रेलों के विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के रिकांगपियों में बैठकर पूरे देश की रेलों का नक्शा बना था। लेकिन इस बात का दुर्भाग्य है कि जहां सारे हिन्दुस्तान की रेलों के विकास का नक्शा खींचा गया था, वही स्थान आज रेलों के मामले में सबसे ज्यादा उपेक्षित है। इसके मैं आपको दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1973 में एक मात्र ब्रोड गेज लाइन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बननी प्रारम्भ हुई थी। वर्ष 1973 में उसकी घोषणा हुई थी और कहा गया था कि यह पांच साल में बनकर तैयार हो जायेगी। लेकिन आज 2005 के आते-आते अभी तक यह केवल 32 किलोमीटर ही बनी है। इसके अलावा कोई नई रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में नहीं बनी है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज तक हिमाचल प्रदेश की जो उपेक्षा हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश तथा मेरे संसदीय क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

देश के 52 शक्तिपीठों में से तीन शक्तिपीठ नैना देवी, ज्वालादेवी और मां चिन्तपूर्णी मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ते हैं, जहां लाखों लोग हर साल आते हैं। इन यात्रियों को बसों के द्वारा वहां आने में बहुत कठिनाई होती है। मेरा निवेदन है कि इन स्थानों को जोड़ने के लिए कोई बहुत लम्बे ट्रैक बनाने की आवश्यकता नहीं है। आनंदपुर साहब से नैना देवी को जोड़ने के लिए 18-20 किलोमीटर लम्बा ट्रैक बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह से रानीताल से ज्वालादेवी को जोड़ने के लिए मात्र 16 किलोमीटर का ट्रैक बनाना पड़ेगा। वहां से आगे दियोटसिद्ध तक इसे जोड़ने का मैं आपसे आग्रह करता हूं। क्योंकि वह भी देश के कोने-कोने से लाखों लोग आते हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन शक्तिपीठों के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उपरोक्त नई लाइनों की व्यवस्था करने की कृपा करें।

अंत में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ऊना से एक जनशताब्दी ट्रेन जरूर चलाई जाए, क्योंकि एक शताब्दी ट्रेन चंडीगढ़ से चलती है, जनशताब्दी ट्रेन भी वहां से चलती है, लेकिन हमारे क्षेत्र से भी एक जनशताब्दी ट्रेन प्रारम्भ की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने मंत्री जी से जो निवेदन अपने वक्तव्य में किये हैं, उन पर माननीय रेल मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री जे०एम० आरून रशीद (पेरियाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस रेल बजट का समर्थन करता हूं। हमारे माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी ने यात्री भाड़ा और मालभाड़ा न बढ़ाकर तथा सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त पास देकर आम, गरीब यात्रियों तथा छोटे व्यापारियों के पक्ष में बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। विलम्ब शुल्क तथा अन्य बातों से बचने के लिए हमारे माननीय रेल मंत्री ने एक अच्छा काम यह किया है कि सामान उठाने के लिए रेलवे बुकिंग काउंटर को 24 घंटे के लिए खोल दिया है। माननीय रेल मंत्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बोदिनायक्कनूर-मदुरै का आमान परिवर्तन की घोषणा की थी लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। बोदिनायक्कनूर, कम्बम, कुड्डालोर मसालों विशेषरूप से काली मिर्च, इलायची तथा कपास, आम, नारियल, चाय, कॉफी आदि के लिए मुख्य स्थान हैं। मैं पहले ही माननीय रेल मंत्री से अनुरोध कर चुका हूं कि वे छोटे मसाला व्यापारियों के लिए एक बुकिंग काउंटर खोल दें। अन्यथा उन्हें बुकिंग के लिए मदुरै अथवा कोयम्बटूर भेजने पड़ते हैं। वे बिक्री कर, सड़क कर, प्रवर्त्तन तथा अन्य अधिकारियों के कारण काफी बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इन रुकावटों से बचने के लिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। समय कम है।

श्री जे०एम० आरून रशीद : महोदय, क्या मैं अपना भाषण सभापटल पर रख सकता हूं?

सभापति महोदय : जी नहीं, कृपया बात समाप्त कीजिए।

श्री जे०एम० आरून रशीद : अतः, मैं माननीय रेलमंत्री लालू जी से बोदिनायक्कनूर में मसाला बुकिंग काउंटर खोलने का अनुरोध करता हूं। अय्यप्पन मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। पूरे भारतवर्ष से लाखों लोग यहां आते हैं। उन्हें 150 कि०मी० से अधिक की दूरी जगलों में और ऊंचाई पर चढ़ कर तय करनी पड़ती है। यह उनके लिए कठिन कार्य है।

सभापति महोदय : रशीद महोदय, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जे०एम० रशीद : महोदय, क्या मैं अपना भाषण सभापटल पर रख सकता हूं?

सभापति महोदय : जी, हां।

**श्री जे०एम० आरून रशीद* : यदि माननीय रेल मंत्री थेनी, बोदिनायक्कनूर, कुड्डालोर से इस लाइन को अय्यप्पन मंदिर तक बढ़ाते हैं तो इससे यात्री विशेषरूप से पूरे भारत से आने वाले तीर्थयात्रियों को काफी राहत मिलेगी। मैं अनुरोध करता हूं कि बोदिनायक्कनूर-मदुरै छोटी लाइन को तुरंत बड़ी लाइन में बदला जाए। तमिलनाडु में ही 1800 कि०मी० से अधिक दूरी की छोटी लाइन है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए।

चीन, जापान, कोरिया और अन्य देशों को लौह अयस्क निर्यात करने में भारत का पहला स्थान है। चूंकि मांग बढ़ रही है, निर्यातकों के दलाल रेलवे रेक बॉक्स बुकिंग की स्थिति का फायदा उठा रहे हैं।

निर्यातक मांग सूची में एक साथ बॉक्स-एन वैगन मांग रहे हैं और कृत्रिम मांग पैदा कर रहे हैं। वास्तविक खान मालिकों, छोटे निर्यातकों को अपने लौह अयस्क को रेल द्वारा लदान पत्तनों तक भेजने के लिए बॉक्स-एन तथा रेक्स नहीं मिल पाते हैं। उन्हें बॉक्स-एन रेक की अग्रिम बुकिंग के लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती हैं। उन्हें रेल रेक की बुकिंग के लिए केवल 500 रुपये देने होते हैं। दक्षिण रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे में यह कम राशि होने के कारण दलाल तथा तथाकथित निर्यातक कृत्रिम मांग पैदा करते हैं। ये पार्टियां तथा दलाल चेन्नई पत्तन के रेलवे मंडल में बॉक्स-एन रेक की कृत्रिम मांग पैदा करके पैसा कमा रहे हैं। यदि पार्टी मांग सूची देना चाहती हैं तो उन्हें समग्र भाड़े के रूप में पूरी जमा राशि का भुगतान पहले ही करना होता है। महोदय, यदि यह प्रक्रिया सभी रेलवे जोन में अपनाई जाती है तो बॉक्स-एन रेक्स की कृत्रिम मांग को तत्काल कम किया जा सकता है। रेलवे पूरे भारत में वास्तविक मांग पैदा कर सकता है। कृपया इस पर ध्यान दीजिए ताकि बॉक्स-एन रेक्स की कृत्रिम मांग तथा दलालों की हस्तक्षेप से बचा जा सके।*

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर (वडोदरा) : सभापति जी, सबसे पहले मैं आम लोगों को राहत पहुंचाने वाले बजट के लिए मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें रखना चाहूंगी। बड़ौदा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। अहमदाबाद जाते हुए पहला स्टेशन बाजवा है जहां आई०पी०सी०एल० रिफाइनरी है और कई पी०एस०यूज़० हैं। पब्लिक सैक्टर से उत्पन्न माल की ढुलाई का काम भी वहीं होता

---

*...*लिखित भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर]

है। वहां जो रेल फाटक है, वह हर दस मिनट के बाद 20 मिनट तक बंद रहता है। वहां बड़े-बड़े कंटेनर्स चलते रहते हैं जिसके कारण लोगों को बहुत मुश्किल होती है। इसको रेल मंत्रालय ने पैंडिंग प्रोजैक्ट में दिया हुआ है। उसको जल्दी शुरू कराने के लिए मेरी प्रार्थना है। उसमें एक बात मैं ध्यान में लाना चाहूंगी कि स्टेट गवर्नमैंट और सैन्ट्रल गवर्नमैंट की जो 50:50 प्रतिशत की भागीदारी होती है, उसको यदि केन्द्र सरकार पूरा वहन करती है तो ज्यादा सहूलियत होगी।

शयाजी नगरी ट्रेन वर्षों से कामकाजी लोगों को सूरत, बलसाड़ तक पहुंचाने का काम करती थी। उसको कच्छ तक एक्सटैन्ड करने के बाद दिक्कतें बढ़ गई हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के पत्र भी आते हैं। लोग कहते हैं कि इस को शयाजी नगरी ट्रेन को पहले की तरह शुरू किया जाए और कच्छ के लिए एक नयी ट्रेन शुरू की जाए। *(व्यवधान)*

तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि वड़ोदरा-अहमदाबाद-मुम्बई रेलवे के नक्शे पर हाइयैस्ट यूटिलिटी ट्रैक है और इस कारण वहां एक एडीशनल ट्रैक की आवश्यकता है। मैं मांग करती हूं कि वहां एक तीसरा ट्रैक एडीशनल दिया जाए। विश्वामित्री जो पहले से ही एक्सटैंड किया हुआ है, वह अच्छा रेलवे स्टेशन है। उसका भी उपयोग ठीक से किया जा सकता है। बाजवा का भी उपयोग किया जा सकता है जिससे भारण कम हो सकता है। हजीरा पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जिसमें आई०ओ०सी० वगैरह जो चार पी०एस०यूज़० काम कर रहे हैं, उस लाइन को हिन्टरलैंड तक बढ़ाना चाहिए।

*श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय रेल मंत्री द्वारा 2005-2006 के रेल बजट के अनुदानों की मांग को पूर्णरूपेण समर्थन करते हुए मैं निम्नांकित सुझाव लिखित रूप में समयाभाव के कारण सभापति महोदय के निदेशानुसार सभा पटल पर रखता हूं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद के अंतर्गत पटना-गया रेल खंड के बीच टेहेटा एवं जहानाबाद के बीच नियाजीपुर हाल्ट की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि टेहेटा एवं जहानाबाद स्टेशन की दूरी 10 कि०मी० से अधिक है तथा इस क्षेत्र के गरीब, किसान मजदूर एवं आम जनता की मांग सालों से चली आ रही है। नियाजीपुर हाल्ट की स्थापना से इस क्षेत्र के सैंकड़ों गांव के वासी को सभी सुविधा मिलेंगी।

पटना-गया रेल खंड के अंतर्गत जहानाबाद स्थित जहानाबाद-अरवत रोड़ में रेल लाइन के ऊपर पुल की आवश्यकता है। लाइन के नीचे एक काफी पुराना पुल है, जिसमें हमेशा दुर्घटना होते ही रहती है।

*लिखित भाषण सभापटल पर रखा गया।

अत: इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि व्यापक जनहित में उक्त वर्णित सुझाव को स्वीकार करते हुए कार्यान्वित कराने का शीघ्रातिशीघ्र निदेश दें।

श्री अवतार सिंह भड़ाना (फरीदाबाद) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। फरीदाबाद से लाखों लोग रोज़ दिल्ली आते हैं। जी०डी०पी०-4 पैसेंजर शटल जो दिल्ली से पलवल तक जाती है, उसको होडल-कोसीकलां तक एक्सटैन्ड करने के संबंध में मैंने कई बार मंत्री जी से प्रार्थना की। प्रार्थनाएं तो बहुत कीं परंतु एक भी प्रार्थना पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लिखकर मंत्री जी को दे दें।

श्री अवतार सिंह भड़ाना : मेरा निवेदन है कि उस शटल को मंत्री जी होडल-कोसीकलां तक एक्सटैंड करने की मेहरबानी करें। यह करीब 12 बजे दिल्ली से चलती है और 1 बजे पलवल पहुंचती है। इसी प्रकार एक गाड़ी एसएनपी-3 के स्थान पर आगरा पैसेंजर को दिल्ली तक भेजने की मांग है जिससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा होगी। मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री जी इन दोनों मांगों पर ध्यान दें।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से रेल राज्य मंत्री राठवा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जनसंपर्क क्रांति एक्सप्रैस जोधपुर से शुरू की। मैं खास तौर से अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर के संबंध में तीन-चार सुझाव देना चाहूंगा।

फुलेरा से जोधपुर 240 कि०मी० की लाइन है, जिस पर आटो सिगनल प्रणाली नहीं होने से वहां पहुंचने में डेढ़ घंटा अधिक समय लगता है। कृपया आटो सिगनल प्रणाली की सुविधा वहां प्रदान कराएं। जोधपुर राजस्थान का बहुत बड़ा शहर है जहां की आबादी लगभग 25 लाख है। वहां बासनी रेलवे स्टेशन, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, प्रताप नगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड रेलवे स्टेशन और बी०जे०एस० में आरक्षण कार्यालय खोलने की मांग बहुत समय से की जा रही है। कृपया वहां आरक्षण कार्यालय खोले जाएं।

*मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर दो द्वार हैं लेकिन दूसरे द्वार पर आरक्षण की सुविधा नहीं है। कृपया वह सुविधा प्रदान कराने की कृपा करें। मानव रहित फाटक पुन: चालू करने की बाबत भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता

*...*लिखित भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

हूं। बिलाडाबर रेलवे लाइन स्वीकृत करने के संबंध में भी मैं निवेदन करता हूं। इसके अतिरिक्त फलौरी, पोकरण, शेरगढ़ बाड़मेर नई रेलवे लाइन स्वीकृत करने के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं जिनका सर्वे भी हो चुका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जन संपर्क क्रांति एक्सप्रैस का समय बदला जाए एवं इसको पुरानी दिल्ली से शुरू किया जाए। मैं मांग करता हूं कि जोधपुर-पूना के बीच नई रेल सेवा शुरू की जाए। मंडारे एक्सप्रैस जो जोधपुर से दिल्ली के बीच चलती है, उसका रेवाड़ी ठहराव निरस्त किया जाए।

महोदय, मेरे ये सुझाव आम जनता और रेल मंत्रालय के हित में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रेल मंत्री महोदय इन पर अवश्य कार्रवाई करेंगे।*

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल) : महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। रेल मंत्री जी से पिछली कंसल्टेटिव कमेटी की मिटिंग में बात हुई थी जिसमें मैंने वारांगल एरिया जो तेलेंगाना में काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर काफी समस्याएं हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की दृष्टि में लाना चाहता हूं कि जो प्रोपोजल कंसल्टेटिव कमेटी की मिटिंग में हमने दिया है उसे वह स्वीकार करके उसका समाधान करेंगे।

सभापति महोदय : श्री रामकृपाल यादव जी आप लिख कर दे दीजिए।

श्री लालू प्रसाद : आप कुछ देना चाहते हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अजमेर के पास व्यावर नगर की आबादी सवा लाख के लगभग है और वहां पर आश्रम एक्सप्रैस जो दिल्ली से अहमदाबाद जाती है उसका एक मिनट का स्टापेज देने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : रेल मंत्री जी आप बोलिए। माननीय सदस्य उस समय अनुपस्थित थे इसलिए उन्हें समय नहीं दिया जा सकता है। यह परंपरा नहीं है। इनको सदन के समय के प्रति एटैंटिव रहना चाहिए। मंत्री जी आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा के मामले पर जिम्मेदारी से और सावधानीपूर्वक विचार करें। उड़ीसा राज्य को भुवनेश्वर से दिल्ली तक बरास्ता ढेंकानाल और सम्बलपुर के लिए राजधानी एक्सप्रैस की आवश्यकता है। हमारे राज्य में रेलगाड़ी औसतन 15.03 कि०मी० प्रति हजार कि०मी० की रफ्तार से चलती हैं जबकि पूरे देश में यह गति 19 कि०मी० से अधिक है। उड़ीसा एक समृद्ध राज्य है जहां काफी खनिज पाए जाते हैं। रेलवे को उड़ीसा से काफी कमाई हो सकती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा के मामले पर अलग से विचार करे ताकि वह उड़ीसा को उसका हिस्सा तथा रेल मानचित्र में सही स्थान मिलना सुनिश्चित हो सके।

***श्री इकबाल अहमद सरडगी** (गुलबर्गा) : महोदय, मैं किसानों, दुग्ध उत्पादकों, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोगों तथा बेरोजगार युवाओं को दी जा रही छूट के लिए संप्रग सरकार तथा रेल मंत्री को बधाई देता हूं। यह आम आदमी का बजट है जहां किराये नहीं बढ़ाये गए हैं।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र गुलबर्गा मुम्बई, बंगलौर, चेन्नई तथा हैदराबाद रेल लाइनों के मध्य स्थित है। हैदराबाद, कर्नाटक की लम्बे समय से लंबित मांग है कि गुलबर्गा में एक मंडल रेल मुख्यालय (डी०आर०एम० कार्यालय) स्थापित किया जाए। लगभग 21 माननीय संसद सदस्यों ने इस संबंध में अभ्यावेदन दिया है। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन से काफी संख्या में रेल यातायात का आवागमन होता है। इसलिए, मैं गुलबर्गा में डी०आर०एम० कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, बीदर से गुलबर्गा तक जाने वाली रेल लाइन बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। यह कर्नाटक के हैदराबाद क्षेत्र को दिल्ली से जोड़ती है। इस नई रेल लाइन से गुलबर्गा से नई दिल्ली तक की यात्रा 5 घंटे कम हो जाएगी। इस चालू परियोजना के लिए केवल 4.5 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया है जबकि पिछले वर्ष 15 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा कराने के लिए 50 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएं।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गुलबर्गा में एक रेलवे कार्यशाला स्थापित की जाए जो युवाओं को रोजगार प्रदान करने तथा हैराबाद, कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्र के विकास में बहुत सहायक होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेलमंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि सैदम, चित्तपुर, वाडी तथा नलवार रेलवे स्टेशन का नवीकरण किया जाए।

मैं एक बार फिर रेल बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं तथा आम आदमी के पक्ष में रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं। मुझे यहां विचार व्यक्त करने हेतु यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

---

*लिखित भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

*लिखित भाषण सभापटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : हम दागी मंत्री को नहीं सुनेंगे, इसलिए सदन से वॉक आउट करते हैं।

अपराह्न 5.43 बजे

(इस समय श्री खारबेल स्वाईं और कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने रेल बजट 2005-06 के लिए सदन में प्रस्तुत अनुदान की मांगों पर हुई चर्चा में भाग लिया और अपने बहुमूल्य विचारों से मुझे और सदन को अवगत कराया। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकतर सदस्यों ने रेल बजट की सराहना की है एवं माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव भी दिए हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की ओर से जो भी सुझाव आए हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।

महोदय, वर्ष 2005-06 के रेलवे बजट की संसद की स्थायी समिति द्वारा गहन समीक्षा की गई है और समिति ने अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी है। स्थायी समिति द्वारा कई उपयोग सुझाव दिए गए हैं। इन सभी सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इससे समिति को अवगत कराया जाएगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, 2004 ने अपने पहले प्रतिवेदन में वर्ष 2004-05 हेतु रेल मंत्रालय द्वारा सामान्य राजकोष को देय लाभांश दर को 7 परसेंट से घटाकर 6.5 परसेंट करने की अनुशंसा की है। मैं इस अनुशंसा के लिए कन्वेंशन कमेटी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं इस अनुशंसा का समर्थन करने के लिए वित्त मंत्रालय का भी आभारी हूं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि रेलवे की अच्छी वित्तीय हालत के मद्देनजर रेल मंत्रालय अपनी आस्थगित लाभांश दायिताएं मूल रूप से संसद के द्वारा स्वीकृत 9 वर्षों के बजाय 8 वर्षों में ही निपटा देगा।

महोदय, चालू वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में मैंने वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान रेलवे की उत्कृष्ट उपलब्धि के बारे में सदन को अवगत कराया था।

सभापति महोदय, मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रेलवे ने 2004-05 में लगभग 602 मिलियन टन माल का लदान किया, जो कि बजट अनुमानो में निर्धारित लक्ष्य से 22 मिलियन टन अधिक है। यह लदान 2003-04 के लदान से 45 मिलियन टन, यानी 8 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार अनेक वर्षों के बाद माल परिवहन के क्षेत्र में रेलवे की भागीदारी बढ़ी है, हालांकि वर्ष 2004-05 के वित्तीय परिणाम अभी अपेक्षित हैं फिर भी फरवरी, 2005 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार माल यातायात आमदनी में संशोधित लक्ष्य पर आधारित बजट अनुपात से 187 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी दर्ज की गई है। यात्रियों की संख्या में भी 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है एवं यात्री आमदनी का संशोधित लक्ष्य भी प्राप्त होने की संभावना है। अत: कुल यातायात आमदनी संशोधित अनुमानों में निर्धारित लक्ष्य से लगभग 200 करोड़ रुपए अधिक होने की आशा है जो 2003-04 में दर्ज की गई कुल आमदनी से 3970 करोड़ रुपए यानी 9 प्रतिशत अधिक है। मुझे पूरा यकीन है कि हम संशोधित अनुमानों में निर्धारित 91.2 प्रतिशत के ऑपरेटिंग रेश्यो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस प्रकार हाल ही में समाप्त हुए वर्ष 2004-05 में रेलवे को उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल हुई हैं और इसके लिए मैं सभी रेलकर्मियों और रेल उपयोगकर्ताओं को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हम वर्ष 2004-05 की उपलब्धियों से संतुष्ट होकर बैठने वाले नहीं हैं। हमें रेलवे को और अधिक ऊंचाईयों पर ले जाना है ताकि इसे विश्व की सर्वोत्तम रेल प्रणालियों में गिना जा सके। वस्तुत: यह है कि–

"प्रथम चरण है नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर
इस जन-मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर"

गत 25-30 वर्षों में भारतीय रेल पर ट्रेक संरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिकीकृत करने में भारी निवेश किया गया है। इस कार्य में पिछले वर्ष सकल आधार पर लगभग 3,850 करोड़ रुपए एवं पिछले 20 वर्षों में 34,250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब स्वर्णिम चतुर्भुज एवं उसके विकर्ण मार्गों पर 90 पाउंड की रेल, कास्ट आयरन स्लीपर प्राय: बदल दिए गए हैं। रोलिंग स्टाक क्षमता का पूरा लाभ भारतीय रेल को प्राप्त करने के उद्देश्य से गत वर्ष हमने अधिकतर वैगनों की भार वहन क्षमता में 2 टन की बढ़ोतरी की थी। जिन मार्गों से कच्चा लोहा एवं अन्य खनिज पदार्थों का परिवहन बंदरगाहों एवं कारखानों में किया जाता है उन मार्गों पर उपलब्ध ट्रेक संरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिकीकरण करने का कार्य जारी है। इन कच्चा लौह खनिज वाले मार्गों पर यात्री गाड़ियां भी अपेक्षाकृत कम चलती हैं। अत: हमने एक पायलट प्रोजैक्ट के अंतर्गत ऐसे कुछ चयनित मार्गों पर सभी माल गाड़ियों का एक्सल लोड 21.32 टन से बढ़ाकर 22.32 टन कर के वैगनों की माल वहन क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमने बोरीबंद मालों के परिवहन के लिए बी०सी०एन० एवं बी०सी०एन०ए० वैगन की वहन क्षमता को भी बढ़ाकर क्रमश: 60 एवं 62.8 टन प्रति वैगन करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से भारतीय रेल की माल वहन क्षमता में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी और 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शुद्ध आय होने की संभावना है। यह निर्णय मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की उन पंक्तियों का स्मरण कराता है, जिनमें उन्होंने कहा है–

"हम असमर्थताओं से नहीं सम्भावनाओं से घिरे हैं,
हर दीवार पर द्वारा बन सकता है और हर द्वार से
पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है।"

महोदय, विश्व भर में रेल को ऊर्जा की खपत की दृष्टि से किफायती एवं पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के साधन के रूप में मान्यता दी गई है। रेल परिवहन में ऊर्जा खपत ट्रक की तुलना में एक चौथाई से भी कम होती है। हमने पिछले कुछ वर्षों में सड़क परिवहन के सर्वांगीण विकास की ओर तो विशेष ध्यान दिया और उसमें भारी निवेश किया है, लेकिन रेल परिवहन में उतना निवेश नहीं किया गया है जितना कि परिवहन की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी है।

वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में की गयी घोषणाओं के कार्यान्वयन पर भी वर्ष के दौरान कड़ी नजर रखी गयी थी और ज्यादातर घोषणाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं और शेष पूरा होने के अंतिम चरणों में हैं। सिर्फ दो गाड़ियों को छोड़कर सभी गाड़ियां चलाई जा चुकी हैं। इनमें से एक गाड़ी आमान परिवर्तन के पश्चात् जुलाई के अंत तक तथा दूसरी गाड़ी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति मिलने के बाद चला दी जायेगी।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने इसी माह तेरह तारीख को ऊधमपुर स्टेशन से उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रैस को हरी झंडी दिखाकर 55 किलोमीटर लम्बी जम्मू तवी-उधमपुर रेल लाइन की शुरूआत की है और इस प्रकार यू०पी०ए० सरकार ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के सपने को साकार करके दिखाया है। ऊधमपुर से आगे बारामूला तक की रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य भी जोरों से चल रहा है और इसे भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा किया जायेगा। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी के शब्दों में–

जब तक पहुंच न लेंगे तब तक न सांस लेंगे
वह लक्ष्य सामने है पीछे नहीं टलेंगे।

मिथिलांचल की आम जनता की मांग का आदर करते हुए हमने दरभंगा और दिल्ली के बीच चलाई गयी सम्पर्क क्रांति एक्सप्रैस को अब सुपरफास्ट गाड़ी के रूप में सप्ताह में दो दिन के बजाय प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। बजट प्रस्तुत करते समय मैंने घोषणा की थी कि दिल्ली-मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रैस का विस्तार दरभंगा तक किया जायेगा। चूंकि दिल्ली-दरभंगा के बीच शुरू की गयी संपर्क क्रान्ति को सुपरफास्ट गाड़ी के रूप में प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया गया है इसलिए अब सप्त क्रांति का विस्तार दरभंगा तक नहीं किया जायेगा। 2005-06 के बजट भाषण में की गयी घोषणाओं को भी क्रियान्वित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और मुझे माननीय सदस्यों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सभी घोषणाओं को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्रों तथा राज्यों में चल रही चालू परियोजनाओं के जल्दी से जल्दी न पूरा हो पाने के संबंध में व्यक्त की गई चिंता से पूरी तरह सहमत हूं। महोदय, चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 46000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इनमें से दोहरीकरण, विद्युतीकरण महानगरीय परिवहन परियोजना, आमान परिवर्तन, सामरिक महत्व, राष्ट्रीय परियोजनाओं' एवं थ्रू-पुट संवर्धन की लंबित योजनाओं को बजटीय सहायता, बजटेतर पहल एवं आंतरिक संसाधनों से पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संबंधित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से ली गयी अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए 'सुदूर क्षेत्र रेल संपर्क योजना' का विस्तृत प्रस्ताव लगभग तैयार हो गया है और शीघ्र ही हम इसे सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। हम सभी लंबित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता क्रम भी निर्धारित कर रहे हैं।

चूंकि इन योजनाओं के पूरा होने से संबंधित क्षेत्र एवं राज्यों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी इसलिए मैंने मुख्यमंत्रियों से भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग देने का अनुरोध किया है। माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन प्रयासों के जरिए हम सभी चालू परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि रेलवे जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी प्रगति और विकास को बनाए रखें।

हालांकि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को अपने इस उत्तर में शामिल करने का प्रयास किया है, पर हो सकता है कि कुछ मुद्दे छूट गये हों। मैं इन मुद्दों के बारे में उन्हें पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से शीघ्र अवगत करा दूंगा। माननीय सदस्यों द्वारा रेल बजट को दिए गए व्यापक समर्थन के लिए मैं उनको एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं तथा सदन से अनुरोध करता हूं कि वह रेलवे की वर्ष 2005-2006 के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयक को अपनी स्वीकृति दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप रुक गये हैं इसलिए आपका काम हो जायेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सदस्यों ने वर्ष 2005-2006 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) के लिए अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रख सकता हूं या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से प्रस्तुत करना चाहता है?

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 2005-06 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :–

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री लालू प्रसाद द्वारा प्रस्तुत संकल्प सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश के दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2004) के पहले प्रतिवेदन, जो 21 दिसम्बर, 2004 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 53 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.59 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2005*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 20.4.2005 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

[हिन्दी]

लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा गुरुवार, 21 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 21 अप्रैल, 2005/1 वैशाख, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	361
2.	श्री ई० पोन्नुस्वामी कुंवर मानवेन्द्र सिंह	362
3.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री सुग्रीव सिंह	363
4.	श्री खारबेल स्वाईं श्री असादूद्दीन ओवेसी	364
5.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ श्री जी० करूणाकर रेड्डी	365
6.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	366
7.	श्री सी०के० चन्द्रप्पन श्री गुरूदास दासगुप्त	367
8.	श्री मधु गौड यास्खी श्री इकबाल अहमद सरडगी	368
9.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	369
10.	श्री नीतीश कुमार	370
11.	श्री अतीक अहमद श्री प्रभुनाथ सिंह	371
12.	डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री पी० राजेन्द्रन	372
13.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री राजेन गोहेन	373
14.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री रवि प्रकाश वर्मा	374
15.	श्री हितेन बर्मन	375
16.	श्री किसनभाई वी० पटेल श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	376
17.	श्री शिवराज सिंह चौहान	377
18.	श्री राजनरायन बुधौलिया श्री वाई०जी० महाजन	378
19.	श्री देविदास पिंगले	379
20.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	380

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे०एम०	3945, 4105
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4012, 4027, 4038, 4088
3.	अग्रवाल, डा० धीरेन्द्र	3920, 3925
4.	अहीर, श्री हंसराज जी०	3980
5.	अर्गल, श्री अशोक	3962
6.	आठवले, श्री रामदास	3954
7.	आजमी, श्री इलियास	3964
8.	"बाबा", श्री के०सी० सिंह	3989
9.	"बचदा", श्री बची सिंह	4017
10.	बंसल, श्री पवन कुमार	4005
11.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	4024, 4057, 4088, 4089
12.	बर्मन, श्री रनेन	3940, 3964, 4144
13.	बखला, श्री जोवाकिम	3964, 4090
14.	बेल्लारमिन, श्री ए०वी०	3952
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3964, 3969

1	2	3
16.	भगोरा, श्री महावीर	3964
17.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3964
18.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3966, 4031, 4101
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	4003, 4080, 4126
20.	बरकटी, श्री नारायण चन्द्र	3942, 4016
21.	बोस, श्री सुब्रत	3919
22.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3964, 4028, 4074
23.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3995
24.	चन्देल, श्री सुरेश	4033
25.	चौरे, श्री बापू हरी	3924, 4042, 4065, 4116
26.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3928, 4036, 4108
27.	चित्तन, श्री एन०एस०वी०	4141
28.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	3961, 3968
29.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3935
30.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	4098
31.	चौधरी, श्री पंकज	4007
32.	चौधरी, श्री अधीर	4092, 4137
33.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	4093
34.	देव, श्री बिक्रम केशरी	4006, 4127
35.	देखमुख, श्री सुभाष सुरेश चंद्र	4091
36.	धनराजू, डा० के०	4008, 4128
37.	गढ़वी, श्री पी०एस०	3917, 4053, 4084
38.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4023, 4056, 4088
39.	गमांग, श्री गिरिधर	3929, 3970
40.	गांधी, श्रीमती मेनका	3964, 3993, 4044, 4119
41.	गंगवार, श्री संतोष	3991, 4135
42.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3921, 4086
43.	गोहेन, श्री राजेन	4030, 4099
44.	हर्ष कुमार, श्री जी०वी०	3972, 4034, 4106
45.	हसन, श्री मुनव्वर	4021, 4088
46.	जगन्नाथ, डा० एम०	3964, 3978, 4004
47.	जय प्रकाश, श्री	3927
48.	जोगी, श्री अजीत	4013, 4054, 4070
49.	जोशी, श्री प्रहलाद	4011, 4022, 4047, 4052, 4130
50.	कामत, श्री गुरूदास	3977
51.	करूणाकरन, श्री पी०	3976
52.	कौर, श्रीमती परनीत	3953
53.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3951, 3977, 4120
54.	खां, श्री सुनील	3918
55.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3978
56.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3916, 4113
57.	खारवेनथन, श्री एस०के०	3978, 3994, 4045, 4096, 4120
58.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3949, 4141
59.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3932, 4069
60.	कृष्णा, श्री विजय	4023, 4088
61.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3968, 4103
62.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3971, 4056
63.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3956
64.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3948
65.	महाजन, श्री वाई०जी०	3961, 3964, 4036, 4074
66.	महतो, श्री बीर सिंह	4085, 3964
67.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3920, 3925, 3979
68.	महताब, श्री भर्तृहरि	4014
69.	मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार	3948
70.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस०	3990

1	2	3
71.	माने, श्रीमती निवेदिता	3937, 4023, 4056, 4088
72.	मेघवाल, श्री कैलाश	3926, 3964, 4061, 4076, 4138
73.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3977, 4037, 4109
74.	मिश्रा, डा० राजेश	3944, 4125
75.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	4139
76.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3981, 4039, 4112
77.	मोहन, श्री पी०	3962
78.	मुकीम, मो०	4088
79.	मो० ताहिर, श्री	3968, 4103, 4106
80.	मोहिते, श्री सुबोध	3973, 4131
81.	मुन्शी राम, श्री	3968, 4103
82.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4096
83.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3985, 3986
84.	नायक, श्री ए० वेंकटेश	4035, 4062, 4107
85.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	3975
86.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3934, 4020, 4079
87.	नायक, श्री अनन्त	4088, 4094
88.	नीतीश कुमार, श्री	4094
89.	ओराम, श्री जुएल	3958, 4041, 4068, 4115
90.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4018, 4055, 4073
91.	पलनिसामी, श्री के०सी०	3947, 4105
92.	पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण	4021
93.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4104
94.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	4002
95.	पटेल, श्री किसनभाई वी०	4027, 4083
96.	पाठक, श्री ब्रजेश	3950, 3964, 4040, 4064, 4114
97.	पाठक, श्री हरिन	4106
98.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3948, 4051, 4072
99.	पिंगले, श्री देविदास	3957, 4029
100.	पोन्नुस्वामी, श्री ई०	4022, 4082
101.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3965
102.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3964, 3996, 4111
103.	राजेन्द्र कुमार, श्री	4001, 4063
104.	राजेन्द्रन, श्री पी०	4097
105.	रामदास, प्रो० एम०	4143
106.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4022
107.	राणा, श्री काशीराम	3988
108.	राव, श्री के०एस०	4134
109.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3949, 3984, 4048, 4123
110.	राव, श्री डी० विट्टल	3974, 3998
111.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3987, 4066
112.	रावले, श्री मोहन	4021
113.	रेड्डी, श्री जी० करूणाकर	4043, 4089, 4118
114.	रेड्डी, श्री एन० जनार्दन	4022
115.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	4142
116.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3931, 4085
117.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4049, 4075, 4100
118.	शर्मा, डा० अरूण कुमार	3992
119.	सरोज, श्री तूफानी	3963
120.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4009
121.	सत्पथी, श्री तथागत	4115, 4132
122.	सेठी, श्री अर्जुन	3999
123.	शाह, ले० कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र सिंह	3964
124.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3960
125.	शाहिद, मोहम्मद	3968

1	2	3
126.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3939
127.	शांडिल्य, डा० कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	3936, 4129
128.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4026, 4060, 4078
129.	शिवन्ना, श्री एम०	3952, 3974, 4035, 4062, 4107
130.	शिवनकर, प्रो० महादेवराव	3961
131.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	3967, 4032, 4102
132.	सिद्दीश्वर, श्री जी०एम०	3983
133.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	4010
134.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3920, 3964, 4118
135.	सिंह, श्री रामसेवक	4016, 4067
136.	सिंह, श्री अजीत कुमार	3955
137.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3923
138.	सिंह, चौधरी लाल	4015, 4136
139.	सिंह, श्री दुष्यंत	3962, 4025, 4059, 4095
140.	सिंह, श्री गणेश	3959, 4032
141.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	4056, 4088
142.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	4033, 4061, 4077, 4118
143.	सिंह, श्री मोहन	3938, 3964, 4081
144.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4071, 4085
145.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3941
146.	सिंह, श्री राकेश	3922
147.	सिंह, श्री रेवती रमन	3984, 4117
148.	सिंह, श्री सुग्रीव	4027, 4088
149.	सिंह, श्री सूरज	4000, 4124
150.	सिंह, श्री उदय	4080
151.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3930
152.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	4021, 4087
153.	सुमन, श्री रामजीलाल	3971, 4056, 4094
154.	स्वाईं, श्री खारबेल	4100
155.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3943, 3977, 4050, 4088, 4132
156.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3996, 4046, 4121
157.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3928, 3961, 4108
158.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम०पी०	4133, 4140
159.	वर्मा, श्री रवि कुमार	4038, 4063, 4110
160.	विनोद कुमार, श्री बी०	3982
161.	यादव, श्री एम० अंजनकुमार	3933, 3979, 4111
162.	यादव, श्री बालेश्वर	3915, 3920, 4104
163.	यादव, श्री गिरधारी	3920
164.	यादव, श्री पारसनाथ	3946
165.	यादव, श्री राम कृपाल	3948
166.	यादव, श्री सीता राम	3997, 4037, 4047, 4122, 4134
167.	यास्खी, श्री मधु गौड	4019, 4058, 4080, 4088
168.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4088

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	
परमाणु ऊर्जा	:	377
कोयला	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	361, 372, 376, 378, 379
विदेश	:	363, 364, 368
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	362, 367, 369, 370, 371, 373, 374, 380
महासागर विकास	:	
प्रवासी भारतीय कार्य		
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	365
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	375
लघु उद्योग		366
अंतरिक्ष		
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन		

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री		
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	4003, 4020
परमाणु ऊर्जा		3948, 3952, 4045, 4047, 4074, 4122, 4134, 4143
कोयला		3963, 3967, 3991, 4032, 4048, 4079, 4102
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3915, 3918, 3919, 3920, 3925, 3926, 3931, 3933, 3934, 3937, 3944, 3945, 3949, 3950, 3968, 3969, 3971, 3972, 3985, 3995, 3997, 4005, 4007, 4012, 4013, 4015, 4024, 4025, 4027, 4030, 4031, 4036, 4049, 4056, 4068, 4077, 4078, 4084, 4089, 4091, 4093, 4095, 4099, 4101, 4103, 4105, 4117, 4118, 4125, 4135, 4136, 4139, 4140, 4144.

विदेश	:	3946, 3955, 3984, 4006, 4011, 4022, 4040, 4054, 4073, 4076, 4088, 4104, 4116, 4126, 4128
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	3917, 3921, 3924, 3927, 3928, 3929, 3932, 3935, 3940, 3941, 3942, 3951, 3956, 3957, 3960, 3961, 3965, 3973, 3975, 3976, 3977, 3979, 3980, 3981, 3986, 3987, 3993, 3994, 3996, 4004, 4009, 4014, 4016, 4017, 4018, 4019, 4021, 4026, 4029, 4033, 4034, 4035, 4038, 4042, 4043, 4044, 4051, 4053, 4057, 4058, 4062, 4063, 4064, 4065, 4067, 4069, 4070, 4071, 4072, 4075, 4080, 4092, 4098, 4111, 4119, 4120, 4121, 4129, 4130, 4131, 4133, 4138, 4141
महासागर विकास	:	4082
प्रवासी भारतीय कार्य	:	3978, 4123
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	3916, 3939, 3988, 4083, 4085, 4086, 4087, 4097, 4109
योजना	:	3938, 3953, 3954, 3959, 3970, 3999, 4050, 4060, 4090, 4094, 4107, 4114, 4132
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	3922, 3930, 3958, 3998, 4002, 4008, 4046, 4096, 4110, 4113, 4115, 4124, 4127
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग		3923, 3936, 3943, 3947, 3962, 3764, 3966, 3982, 3983, 3989, 3990, 3992, 4010, 4037, 4039, 4042, 4052, 4059, 4061, 4066, 4081, 4100, 4106, 4112, 4142
लघु उद्योग		4137
अंतरिक्ष	:	3974, 4000, 4001, 4023, 4055, 4108
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	4028.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/9/22/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्र

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।